FOREWORD

BY

HIS EXCELLENCY M. S ANEY

GOVERNOR OF BIHAR.

Pundit Vishveshwar Nath Reu published his first volume of AryaVidhan, Uttarardha (latter half) of his Smriti, last year at the end of the month of Ashadh. In his preface to that work he had promised to present to the learned men his second volume shortly. True to his word, almost to the letter, he has completed his work and is publishing it within a year from that date.

His first volume, dealing mainly with inheritance and succession, has been well received by the learned public and the legal profession and appreciately noticed in the Press by those who are qualified to pronounce an authoritative opinion on this important and unique treatise on Hindu Law in Sanskrit. His Excellency Dr. Kailasnath Katju, Governor of West Bengal, a lawyer and a jurist of great eminence, wrote the foreword to the book. I have no doubt that this second volume will also meet with the same cordial and appreciative reception at the hands of the lawyers and Sanskrit scholars as the first one.

Many eminent Indian lawyers and jurists have written comprehensive works on Hindu Law during the last one hundred years. Some of them are standard works and widely referred to by the lawyers and judges in discussing and deciding points of Hindu Law. As the language of the courts was English during the British rule, all those works were written in English. Pundit Vishveshwar Nath Reu is, so far as I know, the first Indian lawyer to write in Sanskrit a treatise on some of the most

important branches of Hindu Law. Any one who reads this book will have to admit that the learned author has treated the subjects included therein thoroughly, taking special care to introduce into the book the latest changes brought about by judicial decisions and legislation. He has also indicated in an appendix the reforms outlined in the Hindu Code Bill which is pending before the Parliament.

This book will show the readers how the most complex concepts of modern jurisprudence can be [illegible]

proper treatment in books written in English. This special feature of Sanskrit language, viz. its capacity to compress in a few words the sense conveyed in lengthy discussions even in civilized and highly developed languages like English, French, German, etc., should be its strongest recommendation for being the medium of India to express her cultural conceptions to her own children and the rest of the world as well.

Dharma Shastras, their commentaries and the [illegible]

the British rule as that was admittedly the common religious and cultural language of the whole of [illegible] the intro- [illegible] ge by the [illegible] inkers like Dr. Bhagwandas and others realised the importance of retaining Sanskrit as the language of the nation for expression of their ideas and views on matters of cultural and scientific nature. He wrote his famous work Manavadharmasar in Sanskrit. I may bring to the notice of the readers that champions of Ayurvedic system have recently written their works on physiology, anatomy and general system of Ayurveda in Sanskrit. Similarly, the scholars who are out for reform of the Indian

calendar have also compiled their treatises on Indian astronomy in Sanskrit. Sanskrit should be automatically restored to her natural position as the common cultural language of India, now that the British power has disappeared and the English language could not therefore retain its position as a common language of the educated people of the country. No knowledge can form a permanent part of Indian cultural thought unless it is conveyed to the Indians throunh the medium of Sanskrit language. That language is like mother's milk. Thought conveyed through it can be more easily taken in and digested by them. If we want to make an earnest effort for the development of the Indian nation according to its genius, adoption of Sanskrit language as a medium of common cultural thought is essential The experience gained in the past 150 years should be sufficient to convince everyone who thinks seriously that knowledge taught to the people through a medium of language other than Sanskrit has no tendency to take root, grow and mould the thought and actions of the common people. But when it comes, through Sanskrit, it automatically spreads and serves the masses. Philosophic ideas of Shri Shankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, Vallabhacharya and other great teachers became popular among the people within a short time. The reason is that they understood exposition in Sanskrit language without much effort as that is the mother language which feeds the Prakrit tongue spoken by them. The process is automatic.

I am, therefore, very glad that the learned author has written his work in easy and elegant Sanskrit. The old Pundits who know the law contained in the Smritis and the Nibandhas had no means so far to know the alterations brought about in the Hindu Law by legislative measures and judicial decisions. The present work will place in their hands the latest version of Hindu Law and will thus help them to know it up to date. It is very necessary that the latest aspect of the Hindu

laws and the tread of modern thought which aims at their further reform should be available to them. The old Pundits with their thorough grasp of the principles of Mimansa and its canons of interpretation, are the proper persons to elucidate the fundamentals underlying the system of Hindu jurisprudence as conceived by the old Rishis and also examine critically the modern innovations in the light of those principles It will give rise to a lively [illegible] discussion which will undoubtedly-ass [illegible] tunity to [illegible] ter- influen[illegible] nes mine [illegible] of fut[illegible]

Pundit Reu's work will certainlly raise the question of the importance of Sanskrit language in the making up of New India. If India wants to progress on lines [illegible] and not have a [illegible] past, Indian State should [illegible] Sanskrit as her cultural language. No other language, foreign or Indian, can take its place.

Before I conclude I thank Pundit Reu for the great regard he showed in asking me to write a foreword to his scholarly work on Hindu Law Pundit Reu's name will be added to the galaxy of those illustrious [illegible] Hindu Law by [illegible] Smritis in the [illegible] those whose names will be cherished by posterity with reverence and gratitude.

जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः ।
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम् ॥
(सुभाषितम्)

Ranchi
21-6-49

M. S. Aney

विहारप्रान्त–शासकेन महामान्येन श्रीमता माधव श्रीहरि अणे महोदयेन लिखिताया भूमिकायाः संस्कृतानुवादः ।

पण्डित विश्वेश्वरनाथ रेउणा स्वनिर्मिताया विश्वेश्वरस्मृतेरुत्तरार्धरूपस्य अस्यार्यविधानस्य प्रथमो भागो गतवर्षापाढान्ते यः प्रकाशितस्तद्भूमिकायां तेन तस्य द्वितीयमपि भागमचिरादेव विद्वत्समाजसमक्षमुपस्थापयितुं प्रतिज्ञातमासीत् । तदेतत् स्वं कथनमक्षरशः पालयता तेन सोऽपि पूर्णतां नीतः । वर्षाभ्यन्तर एव च स तेन प्रकाश्यमानो नयनपथमुपयाति ।

तदीयः स प्रथमो भागो, यत्र प्रायो दायप्राप्तिरुत्तराधिकारश्च विवेचितः, पण्डितवर्गेण वैधानिक-समाजेन च सममानि, प्राशंसि च सामयिकपत्रेषु सम्यक् सविवेचनं संस्कृतभाषालिखिते महत्त्वपूर्णेऽस्मिन्नपूर्वे निबन्धे संमतिदानमसमर्थैरलंकर्मीणैर्विद्वद्भिः । विधानशास्त्रपारीणेनाऽत्युच्चश्रेणीय-व्यवहारविदा मान्यवरेण पश्चिमवङ्गशासकेन डाक्टर-श्रीकैलासनाथ-काटजू-महोदयेन चैतदीयप्रथमभागस्य भूमिका लिखिताऽऽसीत् । विश्वसिमि, तदीयोऽयं द्वितीयोऽपि भागः प्रथमभागवदेव वैधानिकवर्गेण संस्कृतज्ञकोविदकुलेन च सम्यक् साभिनन्दं चादृतो भवितेति ।

अतीतायां शताब्द्यामुत्कृष्टश्रेणीयैर्वाकीलैर्व्यवहारज्ञैश्चार्यविधानविषये समदर्भिषत सुमहान्तः संदर्भाः । तेषु केचनादर्शत्वेनाद्रियन्ते व्यवह्रियन्ते च वाकीलैर्न्यायाधीशैश्च हिन्दूविधानीयविषयविवेचननिर्धारणेषु अतीवाधिक्येन । किन्तु ब्रिटिशराज्ये आंग्लभाषाया न्यायालयीयभाषात्वेन ते सर्वे निबन्धास्तस्यामेव भाषायां व्यलिख्यन्त । यावदहं वेद्मि, पं० विश्वेश्वरनाथ रेउरेव भारतीयेषु विधानशास्त्रस्य प्रथमो विद्वान्, येनार्यविधानसंबन्धिनीषु गौरवास्पदेषु कतिपयासु शाखासु संस्कृतभाषायां लिखितो ग्रन्थः । प्रत्येकेनैतत्पाठकेनेदं मन्तव्यं भविष्यति यदेतस्य लेखकेन निर्दिष्टाः सर्वेऽपि विषया विशदतया व्यविच्यन्त । सुतरामवहितं चात्र तेन; व्यावहारिकनिर्णयैर्न्यायव्यवस्थाभिश्च कृतानि नवीनतमानि परिवर्तनानि

समावेशयितुम्। तेन परिशिष्टे विधानपरिषत्समक्षमुपस्थापितस्य हिन्दूविधानस्य रूपरेखायां समुद्धृतानि संशोधनान्यपि संमुद्रलिख्यन्त।

ज्ञापयिष्यत्येतत्पुस्तकं पाठकान्, यदिदानींतनन्यायव्यवस्थाया जटिलसमस्या अपि पर्याप्तरीत्या याथार्थ्येन च कथं विशदीकर्तुं शक्यन्ते संस्कृतभाषायाम्। अत्रत्येषु कतिपयेषु श्लोकशतकेषु विशदीकृतो विषयो यदीङ्गिलशभाषायां लिख्येत तदा चेन्नाधिकतराणि तर्हि तावन्ति पृष्ठस्थानानि तु अवश्यमेवापेक्ष्येरन। विशिष्टोऽयंगुणः संस्कृतभाषायाः। तत्र (संस्कृते) हीङ्गिलशगिरा, फ्रेंचभारत्या, जर्मनभाषया तादृग्योन्नतपर्याप्तपरिपुष्टया वा कयापि अन्यया भाषया विस्तृतविवेचनाद्वारा विशदीकृत आशयोऽप्यल्पाल्पैः पदन्यासैः संक्षेप्तुं शक्यते। भारतद्वारा स्वबालकानामन्येषां वा परिशिष्ट-संसारिणां हृदयेषु स्वसांस्कृतिकभावना अङ्कयितुं माध्यमत्वेन संस्कृतमेवावलम्बनीयमित्यत्र एष एव सुदृढः प्रमाणलेशः।

इंगिलशराज्यारम्भतः प्राग् व्यापकविषयाणां तदन्तर्गतमुख्यमुख्यविषयाणां वा विवेचकानि सर्वाणि धर्मशास्त्राणि तदवलम्बिना व्याख्यानिबन्धाश्च संस्कृतभाषायामेवाऽलिख्यन्त। यतः सैव तत्कालावधि निखिलभारतसंमता सर्वजनीना धार्मिकी सांस्कृतिकी च भाषासीत्। किन्त्विंग्लैण्डीयैरांग्लभाषायां तत्पदमारोपितायां व्यलुप्यत सैषा पद्धतिः। एवं सत्यपि तदानीं डॉक्टर-श्रीभगवानदासस्तादृशोऽन्ये च दूरदर्शिनो विचारशीला जनाः सांस्कृतिकेषु वैज्ञानिकेषु च विषयेषु स्वं मतं प्रकटीचिकीर्षवः संस्कृतस्यैव राष्ट्रभाषात्वाङ्गीकरणेन स्वं गौरवममन्यन्त। डॉ० श्रीभगवानदासो मानवधर्मसाराभिधानं स्वकीयं ग्रन्थं संस्कृत एव विरचितवान्। अहमेतदपि पाठकेभ्यः सूचयितुमिच्छामि यदायुर्वेदपद्धतिपक्षपातिनः सांप्रतमेव शारीरिकक्रियाशास्त्र-शरीरव्यवच्छेदशास्त्रायुर्वेदसाधारणप्रणालीषु स्वान् ग्रन्थान् संस्कृतभाषायमेव निर्मितवन्तः। इत्थं भारतीय-पञ्चाङ्गसंशोधनव्यापृता विद्वांसोऽपि भारतीयखगोलविद्यासम्बन्धीनि स्वानि पुस्तकान्यपि देववाण्यामेव प्रायेणुः। इदानीं तु लुप्तैवेंग्लिशप्रभुता। अतो नांग्लभाषा साक्षर-समाजस्य संभाषणभाषा भवितुं प्रभवति। अतः संस्कृतभाषा तदीये नैसर्गिके भारतीयसांस्कृतिक-

भाषापदे पुनः स्थापनीया। काचिदपि नाम विद्या भारतीयेभ्यः संस्कृत-भाषामाध्यमद्वारा यदि नो शिक्षिता स्यात्तर्हि सा भारतीयसांस्कृतिक-विचाराणां स्थाय्यङ्गं भवितुं नैव प्रभवेत्। इदं (संस्कृतं) हि मातृस्तन्यायते (भारतीयेभ्यः)। एतद्द्वारा नीयमाना विचारा एभिः (भारतीयैः) अतीव सुग्रहाः सुपचाश्च। यदि वयं भारतीयं राष्ट्रं तत्परम्परानुसारं विकासयितुं सुदृढं व्यवस्येम तर्हि संस्कृतभाषा सर्वजनीन-सांस्कृतिक-विचार-माध्यमत्वेनाऽवश्यं स्वीकारणीया स्यात्। समतीतायाः सार्धशताब्द्या अनुभवो गभीरविचारिणं प्रत्येकं जनमेतद् विश्वासयितुमलंभूष्णुः स्याद् यत्, संस्कृतेतरभाषामाध्यमद्वारा शिक्ष्यमाणं ज्ञानं नैव (भारतीयानां कृते) मूलग्रहण-प्रवृत्तये कल्पेत, नैव च परिवृध्य सर्वसाधारणजनस्य विचारान् व्यापारांश्च संस्कर्तुं प्रभवेत्। परं तदेव यदि संस्कृतभाषाद्वाराऽधिगम्येत, तर्हि स्वयं परिवर्धेत जनतां च लाभं नयेत्। श्रीशङ्कर-रामानुज-माधव-वल्लभाचार्याणां तदितरेषामाचार्याणां च दार्शनिका विचारा अचिरेणैव लोकप्रियतां प्राप्ताः, अत्रैतदेव कारणं, यत्ते निरायासविशेषं स्वाशयप्रकटनाय संस्कृतभाषाश्रयमहत्त्वमबुध्यन्त। यतः सैवास्मदीया मातृभाषा; या जनैर्भाष्यमाणां प्राकृतभाषां पुष्णाति। स्वयंसिद्धः किल सर्वोऽप्ययं कार्यक्रमः।

ममायमतीव हर्षो यद् विदुषा ग्रन्थकर्त्राऽयं ग्रन्थो ग्रथितः सुन्दर-सरलया संस्कृतभारत्या। नासादितं किमपि साधनं स्मृतिनिबन्धगतविधानविद्भिः पुरातनविद्वद्भिरद्यावधि विधानव्यवस्थापनकार्यैर्व्यावहारिक-निर्णयैश्च कृतानि परिवर्तनानि ज्ञातुम्। परमेष ग्रन्थोऽधुनाऽलङ्करिष्यति तेषां करकमलं हिन्दूविधानस्य नवीनतमरूपान्तरपरिज्ञापनाय। एवमस्य सांप्रतिकं रूपं ज्ञापयितुं तत्कृतेऽयं (ग्रन्थः) साहाय्यं दास्यति। तेषां कृते एतदत्यावश्यकं यदार्यविधानस्य नवीनतमानि रूपाणि भविष्य-संशोधनलब्धया आधुनिकविचारगतीश्च ते जानन्तो भवेयुः। मीमांसासिद्धान्तानां तदर्थनिरूपणनियमानां च ज्ञातारः पुरातना विद्वांस एव प्राचीन-महर्षीणामाधारभूतानि न्यायव्यवस्थापद्धतिमर्माणि प्रकटयितुं प्रभविष्णवस्तन्नियमप्रकाशेनाधुनिक-नियमान् गुणागुणप्रकाशनपूर्वकं परीक्षितुं प्रारभन्ते। तदेनन् तदीयं परीक्षणं सजीवं किन्तु निर्विकारं विचार विमर्शं

जनयिष्यति करिष्यति च भारतीयराष्ट्रभाग्यं प्रभावयितुं लब्धाधिकाराणां यथार्थं निःसंदेहं च जनताया आगामिनीमुन्नतिरूपरेखां निर्धारयितुमुद्यतानां नेतॄणां महायताम्।

रेउ पण्डितस्यायं ग्रन्थो नव्यभारतनिर्माणे संस्कृतभाषामहत्त्वमभ्रमुत्पादयिता। यदीदं भारतवर्षं स्थिरतापथेन चिकीर्षत्युन्नतिम्, दिदृक्षति च स्वकीयामविच्छिन्नताम्, अपिच स्वानीतमनयादचिन्तितमाकस्मिकं च न धाञ्छति विच्छेदम्, तर्हि भारतीयराज्येन संस्कृतं सांस्कृतिकभाषात्वेन स्वीकर्तुं बन्धनीयः परिकरः। नान्या देशीया विदेशीया वा भाषाऽस्याः पदं ग्रहीतुमीष्टे।

एतद्-भूमिका-समापनतः प्राक्-यदहं श्री रेउ पण्डितेन वैदुष्यपुरस्सरं लिखितस्य स्वनिबन्धस्य भूमिकालेखनेन संमानितोऽस्मि, तदर्थं समर्पयामि धन्यवादान्। पण्डितश्रीरेउ-नाम तेषां कीर्तिशालिनां कर्तव्यपरायणानां पूतात्मनां तेजोमये मण्डले संयोक्ष्यते, यैरतीते समये स्मृतिपदव्यपदिष्टैः स्वैर्महद्भिः प्रबन्धैर्हिन्दूविधानानि विरचितानि। अतोऽसावपि महाभागस्तेष्वेकतमो भविष्यति, येषां नामानि भाविनीभिः संततिभिः सादरं सकृतज्ञत्वं च स्मरिष्यन्ते।

जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः।
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम्॥

(सुभाषितम्)

राँची
२१-६-४६

एम्. एम्. अणे

विहार के शासक (GOVERNOR)

महामान्य श्रीमान् माधव श्रीहरि अणे
द्वारा लिखी भूमिका का हिन्दी अनुवाद।

पण्डित विश्वेश्वरनाथ रेउ ने अपनी विश्वेश्वरस्मृति के उत्तरार्धरूप इस आर्यविधान का पहला भाग गत वर्ष आपाढ़ के अंत में प्रकाशित किया था और उस भाग की भूमिका में उसके दूसरे भाग को भी शीघ्र ही विद्वानों को भेंट करने की प्रतिज्ञा की थी। अपने कथन का अक्षरशः पालन करते हुए उन्होंने उसको भी पूरा कर दिया है और वे उसे तब से एक वर्ष के भीतर ही प्रकाशित कर रहे हैं।

उनका यह प्रथम भाग, जिसमें विशेषतया दायप्राप्ति और उत्तराधिकार का विवेचन है, पण्डित वर्ग और कानूनी पेशे वालों द्वारा सम्मानित हुआ है और संस्कृत में लिखे गये हिंदू-विधान के इस महत्त्वपूर्ण और अपूर्व निबंध पर साधिकार संमति देने में समर्थ पुरुषों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं में सुन्दर विवेचना के साथ प्रशंसित किया गया है। उस प्रथम भाग की भूमिका पश्चिमी बंगाल के शासक (Governor) महामान्यवर तथा विधानशास्त्र के विद्वान् और अत्युचकोटि के व्यवहारज्ञ डाक्टर कैलासनाथ काटजू ने लिखी थी। मुझे विश्वास है कि उनका यह द्वितीय भाग भी प्रथम भाग के समान ही कानून के विद्वानों और संस्कृत के पण्डितों द्वारा सच्चा और प्रशंसा पूर्ण संमान प्राप्त करेगा।

पिछले सौ वर्षों में बहुत से उच्चकोटि के वकीलों और व्यवहारज्ञों ने हिन्दू कानून के संबन्ध में बड़े-बड़े ग्रंथ लिखे हैं। उनमें से कुछ आदर्शरूप हैं और वकीलों और न्यायाधीशोंद्वारा हिंदू-विधान-संबन्धी विषयों का विवेचन और निर्धारण करने में अत्यधिक उपयोग में लिये जाते हैं। परन्तु अङ्गरेजों के राज्य में न्यायालयों की भाषा अङ्गरेजी होने से वे सब ग्रन्थ अङ्गरेजी में ही लिखे गये हैं। जहाँ तक मुझे ज्ञात है पण्डित विश्वेश्वरनाथ रेउ ही भारतीयों में विधान के पहले विद्वान् हैं, जिन्होंने हिंदू कानून की कुछ विशेष महत्व की शाखाओं पर संस्कृत में पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक को पढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अङ्गीकार करना होगा कि इसके विद्वान् लेखक ने पुस्तक में दिये विषयों का विशदरूप से विवेचन किया है और व्यावहारिक निर्णयों और न्यायव्यवस्थाओं द्वारा किये गये नवीनतम परिवर्तनों का भी पुस्तक

में समावेश करने का विशेष ध्यान रक्खा है। उन्होंने परिशिष्ट में विधान-परिषद् के सामने उपस्थित किये हिन्दू कानून के मसौदे में उद्धृत संशोधनों का भी उल्लेख कर दिया है।

यह पुस्तक पाठकों को बतलायगी कि आधुनिक न्यायव्यवस्था की जटिल समस्यायें भी पूर्ण और यथार्थ रूप से संस्कृत में किस प्रकार प्रकट की जा सकती हैं। इसमें जो कुछ कतिपय श्लोकशतकों में लिखा गया है, उसे ठीक तौर से प्रकट करने के लिए अङ्गरेजी में लिखी पुस्तक में अधिक नहीं तो कम से कम उतने ही पृष्ठों की आवश्यकता होगी। संस्कृत भाषा में यह खास गुण है। अर्थात् उसमें अङ्गरेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि उन्नत और पूर्णतया परिपुष्ट भाषाओं में लम्बी विवेचनाओं द्वारा प्रकट किये आशय को भी थोड़े से शब्दों में संक्षिप्त किया जा सकता है और यही इस (संस्कृत) के भारत द्वारा अपनी सांस्कृतिक भावनाओं को अपने निजके बालकों और उसी प्रकार बाकी की दुनिया पर प्रकट करने के माध्यम होने का प्रबल प्रशंसापत्र होना चाहिए।

अङ्गरेजों का राज्य होने के पूर्वतक व्यापक विषयों अथवा उनमें के खास-खास विषयों का विवेचन करने वाले सारेही धर्मशास्त्र और उनके आधार पर बनी उनकी व्याख्यायें और निबन्ध संस्कृत में ही लिखे गये थे, क्योंकि वही उस समय तक सारे ही भारत की मानी हुई सर्वजनीन धार्मिक और सांस्कृतिक भाषा थी। परन्तु अङ्गरेजों द्वारा अङ्गरेजी को राज-भाषा का पद दे देने पर वह पद्धति विच्छिन्न होगई। फिर भी उस समय डाक्टर भगवानदास और अन्य दूरदर्शी विचारवान पुरुषों ने सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विषयों पर अपना मत प्रकट करने के लिए संस्कृत को ही जनता की भाषा के रूप में कायम रखने का गौरव समझ लिया था। उन्होंने (श्री भगवानदास ने) अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ मानवधर्मसार संस्कृत में लिखा था। मैं पाठकों को सूचित करना चाहता हूँ कि आयुर्वेद पद्धति के पक्षपातियों ने हाल ही में शारीरिक-क्रियाशास्त्र, शरीरव्यवच्छेदशास्त्र और आयुर्वेद की साधारण प्रणाली पर अपने ग्रन्थ संस्कृत में ही लिखे हैं। इसी प्रकार भारतीय पञ्चाङ्ग के संशोधन में लगे विद्वानों ने भी भारतीय खगोल-विद्या पर की अपनी पुस्तकें भी संस्कृत में ही लिखी हैं। अब तो अङ्गरेजी सत्ता का लोप हो चुका है, इसलिए अङ्गरेजी भाषा देश के साधारणों की बोलचाल की भाषा होने का अधिकार नहीं रख सकती। अतः संस्कृत को स्वयमेव भारत की सांस्कृतिक भाषा के रूप में उसके नैसर्गिक पद पर फिर से स्थापित कर देना चाहिए। कोई भी विद्या, यदि वह भारतीयों को संस्कृत

भाषा के माध्यम द्वारा न सिखलाई गई हो, तो भारतीय सांस्कृतिक विचारों का स्थायी अङ्ग नहीं बन सकती। यह (संस्कृत) भाषा मातृ-दुग्ध के समान है। इसके द्वारा पहुँचाये हुए विचार उनके (भारतीयों के) द्वारा अधिक सुगमता से ग्रहण किये जा सकते और पचाये जा सकते हैं। यदि हम भारतीय राष्ट्र को उसकी परम्परा के अनुसार ही विकसित करने का गम्भीर उद्योग करना चाहते हैं, तो संस्कृत भाषा को सर्व-जनीन सांस्कृतिक विचारों के माध्यम के रूप में स्वीकार कर लेना आवश्यक है। पिछले १५० वर्षों का अनुभव, गम्भीरता से विचार करने वाले, प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास करा देने में पर्याप्त होगा कि वह ज्ञान जो लोगों को संस्कृतेतर भाषा के माध्यम द्वारा सिखाया जाता है जड़ पकड़ने की प्रवृत्ति नहीं रखता अथवा परिवर्धित होकर सर्व-साधारण के विचारों और कार्यों को संस्कृत नहीं कर सकता। परन्तु वही जब संस्कृत भाषा द्वारा प्राप्त होता है, तब अपने आप बढ़ता है और जनता को लाभ पहुँचता है। श्री शङ्कराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य और ऐसे ही अन्य गुरुओं के दार्शनिक विचार थोड़े ही समय में लोकप्रिय हो गये। इसका कारण यही था कि वे बिना विशेष परिश्रम के ही उनको संस्कृत भाषा में प्रकट करने के महत्त्व को समझते थे: क्योंकि वही हमारी मातृ-भाषा है, जो लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्राकृत बोली का पोषण करती है। यह (सारा ही) कार्यक्रम स्वयं सिद्ध है।

मुझे विशेष हर्ष है कि विद्वान् ग्रंथकर्ता ने अपना यह ग्रंथ सरल और सुन्दर संस्कृत में लिखा है। स्मृतियों और निबन्धों में रहे विधान के ज्ञाता पुराने पण्डितों के लिए अबतक विधान व्यवस्थापन के कार्यों और व्यावहारिक निर्णयों द्वारा किये गये परिवर्तनों के जानने का कोई साधन नहीं था। परन्तु यह ग्रन्थ उनके हाथों में हिन्दू कानून का नवीनतम रूपान्तर रखेगा और इस प्रकार उन्हें उसके आजकल के रूप को जानने में सहायता देगा। यह अत्यन्त आवश्यक है कि हिन्दू-विधान के नवीनतम रूप और आधुनिक विचारों की गति की, जो उनमें आगे होनेवाले संशोधनों को लक्ष्य रखती है, उन्हें जानकारी होती रहे। मीमांसा के सिद्धान्तों और उसके अर्थनिरूपण के नियमों के ज्ञाता पुराने पण्डित ही प्राचीन ऋषियों की आधारभूत न्यायव्यवस्था पद्धति के गर्भ में रहे मूल तत्त्वों को प्रकट करने वाले और उन नियमों के प्रकाश में आधुनिक नियमों का गुणावगुण विवेचन पूर्वक परीक्षण करनेवाले उपयुक्त व्यक्ति हैं। यह परीक्षण सजीव किन्तु निर्विकार विचारविमर्श

को उत्पन्न करेगा और यह उन नेताओं को, जिनको भारतीय राष्ट्र के भाग्य को प्रभावित करने का अवसर प्राप्त है, भारतीय जनता की आगामी उन्नति की रूप रेखा को अधिक यथार्थता और असंदिग्धता के साथ निश्चित करने में नि:सन्देह सहायता करेगा।

पण्डित रेउ का यह ग्रन्थ अवश्य ही नवीन भारत के निर्माण में संस्कृत भाषा के महत्व के प्रश्न को उत्पन्न करेगा। यदि भारतवर्ष स्थिरता के मार्ग से उन्नति करना चाहता है, अविच्छिन्नता बनाई रखना चाहता है और अपने भूतकाल से अचिन्तित और आकस्मिक विच्छेद नहीं चाहता, तो भारतीय राज्य को संस्कृत को अपनी सांस्कृतिक भाषा के रूप में ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दूसरी कोई भी देशी या विदेशी भाषा इसका स्थान नहीं ले सकती।

अपनी भूमिका को समाप्त करने के पूर्व मैं पण्डित रेउ को, मुझे अपने विद्वत्ता पूर्वक लिखे हिन्दू-विधान विषयक ग्रन्थ की भूमिका लिखने के लिए कहकर उन्होंने जो मेरे प्रति संमान प्रकट किया है, उसके लिए, धन्यवाद देता हूँ। पण्डित रेउ का नाम उन कीर्तिशाली और कर्तव्य-परायण आत्माओं के प्रभामय मण्डल में सम्मिलित किया जायगा, जिन्होंने भूतकाल में अपने बृहत् प्रबन्धों द्वारा, जो स्मृतियों के नाम से प्रसिद्ध हैं, हिन्दू-विधान का निर्माण किया था। अतः वे भी उनमें से एक होंगे जिनके नाम भावी संतति द्वारा संमान और कृतज्ञता के साथ स्मरण किये जायँगे।

(जिनके यशरूपी शरीर में बुढ़ापे और मृत्यु से उत्पन्न होने वाला भय नहीं है, ऐसे श्रेष्ठ कृतिवाले और रसों की सिद्धि वाले कवीश्वर सदा विजयी रहते हैं।) (सुभाषित)

रॉंची
२१-३-४६

एम० एस० अणे

प्राक्कथनम् ।

विश्वेश्वरस्मृतेरुत्तरार्धरूपेण रचितस्यास्यार्यविधान (हिन्दू-कानून)-स्य प्रथमो भागः किञ्चित्कालतः पूर्वमेव पाठकानां संमुख उपस्थापितोऽभूत् । आशास्महि च तदानीं यदनतिचिरेणैवास्य द्वितीयो भागोऽपि कोविदानां करकमलान्यलङ्करिष्यति । दिष्ट्या सेयमाशाद्य परमात्मनोऽनुग्रहेण पूर्तिमगमत् यत् सोऽयं तस्य द्वितीयो भागोऽपि विदुषामग्रे समुपस्थाप्यते ।

यथाहि पश्चिमवङ्गशासकेन (GOVERNOR) विश्रुतेन विधानविषयविदुषा श्रीमता कैलासनाथ काटजू महाभागेनास्य प्रथमभागस्य भूमिकां विलिख्य परिवर्धितोऽस्माकमुत्साहस्तथैव विहारप्रान्तशासकेन (GOVERNOR) विख्यातेन संस्कृतज्ञशिरोमणिना श्रीमता माधव श्रीहरि अणे महाशयेनास्य द्वितीयभागस्य भूमिकां लिखित्वाऽनुगृहीताःस्मः ।

न केवलमाशास्महे अपि तु विश्वस्मामहे यद् यद्वत्प्रथितैर्विधानविज्ञैः संस्कृतकोविदैश्च समादृतोऽस्य प्रथमो भागस्तद्वदेव एष द्वितीयो भागोऽपि तैः कृपयाऽऽत्मीयीकरिष्यते ।

एवमत्र सहृदयपाठकान्पुनरप्येकवारं प्रार्थयामहे यद् यद्यस्मिन् ग्रन्थे मानवधर्मजं दृष्टिदोषं स्वल्पज्ञताजन्यामशुद्धिमनौचितीं वा कामपि किञ्चिदप्युपलभेरंस्तर्हि तैः कृपया सूचनीया वयं, येन भाविसंस्करणे तत्तत् संशोध्येत ।

सति संभवेऽस्या विश्वेश्वरस्मृतेः पूर्वार्धमपि अविलम्बमेव प्रकाशयितुं प्रयतिष्यामहे ।

जोधपुरम्
आषाढ शुक्ल १५, २००१ वि० सं० } विश्वेश्वरनाथ रेउ ।

ययोर्हि पूज्यपादानां प्रसादाद् रचिता स्मृतिः।
तयोः पित्रोः पदाब्जेषु मयेयं श्रद्धयाऽर्प्यते ॥

जिनके कृपा–प्रताप से स्मृति विरची, स-सनेह।
उन माता–पितु–चरण पे करूं समर्पण एह ॥



श्रीमान् पण्डित मुकुन्दमुरारि रेउ



श्रीमती चान्दरानी रेउ

ययोर्हि पूज्यपादानां प्रसादाद् रचिता स्मृतिः।
तयोः पित्रोः पदाब्जेषु मयेयं श्रद्धयाऽर्प्यते ॥

जिनके कृपा-प्रताप से स्मृति विरची, स-सनेह।
उन माता-पितु-चरण पे करूं समर्पण एह ॥

प्राक्कथनम् ।

विश्वेश्वरस्मृतेरुत्तरार्धरूपेण रचितस्यास्यार्यविधान (हिन्दू-कानून)-स्य प्रथमो भागः किञ्चित्कालतः पूर्वमेव पाठकानां संमुख उपस्थापितोऽभूत् । आशास्महि च तदानीं यदनतिचिरेणैवास्य द्वितीयो भागोऽपि कोविदानां करकमलान्यलङ्करिष्यति । दिष्ट्या सेयमाशाद्य परमात्मनोऽनुग्रहेण पूर्तिमगमत् यत् सोऽयं तस्य द्वितीयो भागोऽपि विदुषामग्रे समुपस्थाप्यते ।

यथाहि पश्चिमवङ्गशासकेन (GOVERNOR) विश्रुतेन विधानविषयविदुषा श्रीमता कैलासनाथ काटजू महाभागेनास्य प्रथमभागस्य भूमिकां विलिख्य परिवर्धितोऽस्मावमुत्साहस्तथैव विहारप्रान्तशासकेन (GOVERNOR) विख्यातेन संस्कृतज्ञशिरोमणिना श्रीमता माधव श्रीहरि अणे महाशयेनास्य द्वितीयभागस्य भूमिकां लिखित्वाऽनुगृहीताःस्मः ।

न केवलमाशास्महे अपि तु विश्रम्भामहे यद् यद्वत्प्रथितैर्विधानविज्ञैः संस्कृतकोविदैश्च समादृतोऽस्य प्रथमो भागस्तद्वदेव एव द्वितीयो भागोऽपि तैः कृपयाऽऽत्मीयीकरिष्यते ।

वयमत्र सहृदयपाठकान्पुनरप्येकवारं प्रार्थयामहे यद् यदस्मिन् ग्रन्थे मानवधर्मजं दृष्टिदोषं स्वल्पज्ञताजन्यामशुद्धिमनौचितीं वा कापि किञ्चिदप्युपलभेरंस्तर्हि तैः कृपया सूचनीया वयं, येन भाविसंस्करणे तत्तत् संशोध्येत ।

सति संभवेऽस्या विश्वेश्वरस्मृतेः पूर्वार्धमपि अविलम्बमेव प्रकाशयितुं प्रयतिष्यामहे ।

जोधपुरम्
आषाढ शु० १५, २००१ वि० सं० } विश्वेश्वरनाथ रेउः

प्राक्कथन

कुछ समय पूर्व विश्वेश्वरस्मृति के उत्तरार्धरूप से लिखे इस आर्य-विधान (हिन्दू-कानून) का पहला भाग पाठकों के सामने रक्खा गया था और आशा प्रकट की गई थी कि इसका दूसरा भाग भी शीघ्र ही विद्वानों के कर-कमलों को भूषित करेगा। हमें हर्ष है कि ईश्वर के अनुग्रह से हमारी वह आशा पूर्ण हुई और इसका यह दूसरा भाग भी विद्वानों के सामने उपस्थित किया जाता है।

जिस प्रकार पश्चिमी बंगाल के शासक (GOVERNOR) और कानून के प्रसिद्ध विद्वान् श्रीमान् पण्डित कैलासनाथ काटजू ने इसके पहले भाग की भूमिका लिखकर हमारा उत्साह बढ़ाया था, उसी प्रकार बिहार के शासक (GOVERNOR) और संस्कृत के प्रसिद्ध पण्डित श्रीमान् माधव श्रीहरि अणे महाराय ने इसके दूसरे भाग की भूमिका लिख कर कृपा दिखाई है।

हमें केवल आशा ही नहीं किन्तु पूर्ण विश्वास भी है कि जिस प्रकार कानून के विख्यात विद्वानों ने और संस्कृत के प्रसिद्ध पण्डितों ने इस (आर्य-विधान) के पहले भाग का आदर किया है उसी प्रकार वे इसके दूसरे भाग को भी अपनाने की कृपा करेंगे।

हम यहां पर एक बार फिर सहृदय पाठकों से निवेदन करते हैं कि यदि इस पुस्तक में मनुष्य-स्वाभाव से होने वाले दृष्टि-दोष से या अल्पज्ञता के कारण कहीं कुछ भी अशुद्ध या अयुक्त प्रतीत हो तो हमें सूचित करने की कृपा करें, जिससे अगले संस्करण में उसका संशोधन कर दिया जाय।

संभव हुआ तो इस विश्वेश्वरस्मृति के पूर्वार्ध को भी शीघ्र ही प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जायगा।

जोधपुर
ता० १० जुलाई, १९५१ ई० सं० } विश्वेश्वरनाथ रेउ

विषय-संख्या	विषयनामानि	श्लोक-संख्या	पृष्ठ-संख्या
	स्वयम्भूरक्षकोऽसंबद्धरक्षकश्च अपने आप बना रक्षक और बिना संबन्धवाला रक्षक	३५५६	५१४
	प्रतीकारोपायाः रोक के उपाय	३५६७	५१५
२५	भृतिः गुजारा (जीविका)	३५६९	५१६
	भृतेरधिकारस्य स्वरूपं परिमाणं च गुजारे के अधिकार का रूप और परिमाण	३५६९	५१६
	भृत्यर्हा जनाः जीविका के योग्य जन	३५८९	५१८
	पत्न्या भृतिः भार्या की जीविका	३६३९	५२५
	विधवाया भृतिः विधवा की जीविका	३६७४	५३०
	भृत्याः परिमाणम् जीविका का परिमाण	३७२८	५३७
	कुटुम्बार्थस्य परसात्करणं भृत्यधिकारे तत्प्रभावश्च कुटुम्ब के धन का दूसरे के हाथ में देना और जीविका के अधिकार पर उसका प्रभाव	३७५६	५४१
	कुटुम्बनिवासगृहस्य हस्तान्तरितीकरणं निवासाधिकारे तत्प्रभावश्च कुटुम्ब के रहने के घर का दूसरे के हाथ में देना और उसका रहने के अधिकार पर प्रभाव	३७६८	५४७
	इच्छापत्रेणाऽप्रभावितो भृतेरधिकारः इच्छापत्र से अप्रभावित जीविका का अधिकार	३८२२	५५०
	भृतेरधिकारस्य परसात्करणमात्मसात्करणं च जीविका के अधिकार का दूसरे को सौंपना या उस पर अधिकार करना	३८२३	५५०
	भृत्यर्थमभियोगः जीविका के लिए मुकद्दमा	३८२६	५५१

आर्यविधानम् ।

(विश्वेश्वरस्मृतेरुत्तरार्धरूपम् ।)

१८ उपहारः ।

इनाम या भेंट ।

एकस्याऽधिकृतेस्त्यागोऽन्यस्यस्वामित्वकल्पनम् ।
उपहारः, परं स स्यात् पूर्णस्त्वन्यप्रतिग्रहात् ॥२२४२॥

एक के अधिकार का त्याग और दूसरे का मालिकपन निश्चित करना उपहार (gift) होता है । परन्तु वह (उस) दूसरे के (स्वामित्व के) ग्रहण करलेने से (ही) पूरा होता है ।

मिताक्षराऽनुगाः किंवा दायभागाऽनुगाः पुनः ।
इच्छापत्रोपहाराभ्यां दातुं व्यक्त्यर्थमीशते ॥२२४३॥

मिताक्षरा को मानने वाले या फिर दायभाग को मानने वाले इच्छा पत्र (will) या उपहार (gift) के द्वारा अपना व्यक्तिगत धन (दूसरे को) दे सकते हैं ।

भरणाय परं येषां न्यायेनोत्तरदास्तु ते ।
तेषां पोषाय कर्तव्या दानात् पूर्वं विचारणा ॥२२४४॥

परन्तु जिनके भरण-पोषण के लिए वे न्याय से उत्तरदायी हैं, उनके पोषण के लिए दान के पहले ही विचार कर लेना चाहिए । (अर्थात्—उनके भरण-पोषण का प्रबन्ध पहले ही कर देना चाहिए ।

दायभागीयपृक्तस्तु स्वार्थं पृक्ताऽर्थगं क्षमः ।
अपि दातुमुपर्युक्तविधिना नाऽत्र संशयः ॥२२४५॥

दायभाग को मानने वाला साझेदार तो साझे के धन में के अपने स्वार्थ (interest) को भी ऊपर कही विधि से (इच्छा पत्र या उपहार के द्वारा) दे सकता है । इसमें सन्देह नहीं है । (उपर्युक्त विधि से यहां पर आश्रितों के पोषण के प्रबन्ध से तात्पर्य है । अर्थात्—उसे भी पहले उसका प्रबन्ध करना होगा ।)

परं मैताक्षरश्चे नाऽवशिष्टः स्यात्कुटुम्बिषु ।
इच्छापत्रोपहाराभ्यां पृक्ताऽर्थं दातुमक्षमः ॥२२४६॥

परन्तु मिताक्षरा को माननेवाला (साझेदार) यदि कुटुम्बवालों में (सब के मरजाने पर) अकेला बाकी बचा हुआ न हो, तो इच्छा पत्र और उपहार के द्वारा साझे के धन को नहीं दे सकता । (अर्थात्—सब साझेदारों के मर जाने पर अकेला पीछे रह गया हो, तो वह भी दे सकता है ।)

परन्तु जहां खास स्थिति के कारण (उपहृत धन का) अधिकार नहीं दिया जा सकता, वहां पर वह (रजिस्ट्री किया) लेख उपहार (gift) को सिद्ध करने वाला होता है (अर्थात्–उसके आधार पर वह उस धन को पा सकता है।)

पराऽर्पणाय संपत्तेर्नियमा येऽद्य निश्चिताः ।
उपहार उपेक्षाभूदधिकाराऽर्पणस्य तैः ॥२२६३॥

दूसरे को संपत्ति देने के जो नियम आज कल निश्चित किये हैं, उनसे (अर्थात्–१८८२ के Transfer of Property Act से) उपहार में अधिकार सौंपने (के नियम) की आवश्यकता नहीं रही है।

प्रविहाय चले वित्तं नाऽधिकाराऽर्पणं ह्यलम् ।
उपहारे, नवाऽपेक्षा तत्र तस्याऽधुना मता ॥२२६४॥

अचल संपत्ति को छोड़ कर (अन्यत्र) उपहार में अधिकार का सौंपना पर्याप्त नहीं होता (अर्थात्–केवल ऐसा करने से ही काम नहीं चलता।) और आजकल यहां पर (उपहार में) उस (अधिकार सौंपने) की आवश्यकता भी नहीं मानी है।

स्थिरवित्तोपहारेऽद्य दातुर्लेखो भवेदलम् ।
राजपत्राऽङ्कितश्चाऽथ द्वाभ्यां साक्षीकृतः पुनः ॥२२६५॥

अचल संपत्ति के उपहार में आजकल (उपहार) देनेवाले का, रजिस्ट्री किया हुआ और दो (जनों) से साक्षी किया हुआ (witnessed) लेख, पर्याप्त होता है।

चलवित्तोपहारे तद् वित्तस्वाम्यसमर्पणम् ।
राजपत्राऽङ्कितो लेखः पूर्वोक्तो वा भवेदलम् ॥२२६६॥

चल (अस्थिर) संपत्ति के उपहार में उस (उपहार) के धन का अधिकार सौंपना या पहले कहा रजिस्ट्री किया लेख (जिस पर दो गवाहियां हों) पर्याप्त होता है।

ग्रहीतुरुपहारे या स्वीकृतिः प्राक् प्रदर्शिता ।
मिताक्षरामतेनाऽत्र सा मता त्रिप्रकारिका ॥२२६७॥

यहां पर पहले उपहार में जो मिताक्षरा के मत से (उपहार) लेनेवाले की स्वीकृति कही है, वह (स्वीकृति) तीन तरह की मानी गई है।

मानसी वाचिकी शारीरिकी वा नाऽत्र संशयः ।
एतास्वावश्यकी तत्र कतमाऽपि स्फुटा पुनः ॥२२६८॥

मनसे की हुई, जिह्वा से की हुई या शरीर से की हुई (corporeal) इनमें

संशय नहीं है । फिर वहां पर इनमें से कोई सी (एक) प्रकट तौर से आवश्यक है ।

भूमिदाने तु यत्किञ्चित्स्वाम्यस्यार्पणमन्तरा ।
विक्रयोपहृती तस्या दानं चाऽपि न सिध्यति ॥२२६९॥

भूमि के देने में तो थोड़े-बहुत अधिकार के दिये बिना उस (भूमि) का बेचना, उपहार में देना या (अन्य प्रकार से) देना भी सिद्ध नहीं होता ।

स्मृत्युक्तविधिना कर्तुर्मृत्युकालेऽसतः कृते ।
उपहारीकृतं नाऽऽसीन्मान्यं पूर्वं ततः परम् ॥२२७०॥
विधानत्रितयेनैष नियमः परिवर्तितः ।
विधानानामतस्तेषां व्याख्याऽग्रेऽत्र करिष्यते ॥२२७१॥

स्मृतियों में कहे नियमों से कर्ता के मरने के समय अविद्यमान के लिए किया उपहार (gift) पहले मान्य नहीं था; परन्तु बाद में तीन कानूनों से यह बदल दिया गया है । इसलिए उन कानूनों की व्याख्या यहां पर आगे की जायगी ।

नवत्रिनवचन्द्राऽब्दे कर्तुर्विभवमन्यसात् ।
विधिर्यः स्वीकृतस्तस्य द्वितीयाऽध्यायसंगतम् ॥२२७२॥
उपहारीकृतं वित्तं मृतिकालेऽसतः कृते ।
अपि ग्राह्यं यतस्तत्र तदभावो न बाधकः ॥२२७३॥

विक्रम संवत् १९३९ (ई० सं० १८८२) में संपत्ति को दूसरे के अधीन करने (The Transfer of Property Act) का जो कानून स्वीकार किया गया था, उसके दूसरे अध्याय (chapter II) के अनुसार (देनेवाले की) मृत्यु के समय अविद्यमान (पुरुष) के लिए उपहार (gift) में दिया धन भी ग्रहण करने (मानने) लायक होता है, क्योंकि वहां पर उस (लेनेवाले) का न होना रुकावट नहीं डालता ।

परं सार्वत्रिको नैष नियमः किन्तु केवलम् ।
वक्ष्यमाणास्ववस्थासु प्रयोगोऽस्य मतो बुधैः ॥२२७४॥

परन्तु यह नियम सब स्थानों पर काम में आने लायक नहीं है । विद्वानों ने इसका प्रयोग आगे कही जानेवाली अवस्थाओं में ही माना है ।

आखाऽश्वग्रहभूवर्षफाल्गुनाऽद्यचतुर्थिकम् ।
मद्रासवर्जं मद्रासप्रान्ताऽधिष्ठायिहिन्दुभिः ॥२२७५॥
कृतेन वा प्रयोज्येनोपहारेण हि मानवः ।
स्वाऽन्तकालेऽसतेऽप्यत्र स्वधनं दातुमीश्वरः ॥२२७६॥

विक्रम संवत् १९७० की फागुन वदि ४ (२४ फरवरी १९१४) से, मद्रास शहर को छोड़कर, मद्रास प्रान्त में रहनेवाले हिन्दुओं द्वारा किये या (उस समय से)

प्रयोग में आनेवाले उपहार (gift) के द्वारा पुरुष यहाँ पर अपने अन्त समय में अविद्यमान (व्यक्ति) को भी अपना धन दे सकता है ।

आश्विनस्याङ्कभूवर्षोऽश्विनकृष्णनवम्यथ ।
मद्रासप्रान्तवर्जं तु सर्वत्रैवांग्लभारते ॥२२७७॥
कृतेन वा प्रयोज्येनोपहारेण तु हिन्दवः ।
स्वाऽन्तकालेऽसतेऽप्यत्र स्वधनं दातुमीश्वराः ॥२२७८॥

या विक्रम संवत् १९७३ की क्वाँर वदि ९ (२० सितम्बर १९१६) से, मदास प्रान्त को छोड़कर, सारे ब्रिटिश भारत में किये या (उस समय से) प्रयोग में आनेवाले उपहार से हिन्दू लोग अपने अन्त समय में अविद्यमान (पुरुष) को भी, यहाँ पर, अपना धन दे सकते हैं ।

आऽश्वाऽश्वनवभूवर्षचैत्रकृष्णचतुर्थिकम् ।
मद्रासन्यायभूवश्यैर्हिन्दुभिर्विहितेन वा ॥२२७९॥
आखाऽश्वनवभूवर्षफाल्गुनाद्यचतुर्थिकम् ।
प्रयोज्येनोपहारेण जनः स्वार्थोऽर्पणे क्षमः ॥२२८०॥

(या) विक्रम संवत् १९७७ की चैत्र कृष्णा ४ (ता० २७ मार्च १९२१) से मद्रास न्यायालय (High Court of Madras) के अधिकार (Civil Jurisdiction) में रहे हिन्दुओं द्वारा किये या विक्रम संवत् १९७० की फागुन वदि ४ (ता० १४ फरवरी १९१४) से प्रयोग में आनेवाले उपहार के द्वारा मनुष्य अपना धन दे सकता है ।

वित्तान्यसात्कृतिविधेर्द्वितीयांऽशविचारणा ।
करिष्यते पुरः किन्तु तन्निष्कर्षोऽत्र दीयते ॥२२८१॥

धन को दूसरे के अधीन करने के कानून (The Transfer of Property Act 1882) के दूसरे भाग (II chapter) का विचार आगे किया जायगा, परन्तु यहां पर उसका सार दिया जाता है ।

अनुत्पन्नोपहारेऽन्यत् प्राग्दानं चेद् व्यवस्थितम् ।
तर्हि शेषे धने पूर्णमुत्तरस्वाम्यमिष्यते ॥२२८२॥

नहीं पैदा हुए के लिए दिये उपहार में यदि अन्य पहले दान की व्यवस्था करदी हो (preceded a prior disposition), तो बाकी रहे धन में उत्तर पुरुष का पूर्ण स्वाम्य आवश्यक होता है । (अर्थात्–यदि 'क' ने एक निधि (trust) बनाकर अपना धन 'ख' को सौंप दिया हो और उसके ये नियम रक्खे हों कि–पहले क्रमशः वह और उसकी मनोनीत पत्नी उस धन का उपभोग करेंगे और उनके बाद उनका उस विवाह से होनेवाला बड़ा पुत्र तथा उसके बाद उनका द्वितीय पुत्र, तो यहाँ पर

'क' के बचे धन में ज्येष्ठ पुत्र को पूर्ण स्वाम्य न मिलने से वह अधिकारी न हो सकेगा)।

स्वान्तोत्पन्नकृते स्वेच्छापत्रदानेऽपि पूर्ववत्।
व्यवस्था चेत् कृता तर्हि प्रागवत् स्वाम्यमपीष्यते ॥२२८३॥

अपनी मृत्यु के बाद उत्पन्न होनेवाले के लिये अपने इच्छापत्र द्वारा किये दान में भी यदि पहले की सी व्यवस्था की हो, तो पहले के से अधिकार की भी आवश्यकता होती है। (अर्थात्—यदि पिताने इच्छापत्र के द्वारा अपनी संपत्ति पहले अपने पुत्र को दी (bequest की) हो और उसके बाद उस पर उस पुत्र की स्त्री का हक रक्खा हो और उसकी मृत्यु पर वही संपत्ति अन्य जनों को दी हो, तो पुत्र की स्त्री को संपत्ति पर पूर्ण अधिकार न मिलने से वह दान अन्याय्य समझा जायगा। यहां पर इच्छापत्र लिखनेवाले की मृत्यु पर पुत्र-वधू का अविद्यमान होना मानकर ही उपर्युक्त उदाहरण दिया गया है।)

उपहाराऽनवच्छेदविरोधे नियमास्तु ये।
न तेषां बाधको मान्य उपहारो भवेदिह ॥२२८४॥

उपहारके बराबर चलते रहने के विरुद्ध जो नियम हैं उनका बाधक उपहार यहां मान्य नहीं होता। (अर्थात्—उपहार देने के समय विद्यमान एक या अनेक पुरुषों के मरने के बाद और उन नाबालिगों के, जो बालिग होकर उस संपत्ति के हकदार हों, बाद उनके उत्तराधिकारियों को नियुक्त करने में (१८८२ के Transfer of Property Act के अनुसार दिया) उपहार (gift) समर्थ नहीं होता।)

दत्ते कतिपयेभ्यस्तूपहारे ये न संमताः।
प्रागुक्तनियमाभ्यां हि त एव स्युर्बहिष्कृताः ॥२२८५॥

कई पुरुषों को (क्रमशः) उपहार देने पर, जो पहले कहे दोनों नियमों से मान्य नहीं हैं, वे ही उपहार से बहिष्कृत होते हैं (अन्य संमत लोग नहीं होते।)

अनुत्पन्नजनः किन्तु पूर्वोक्ताभ्यां बहिष्कृतः।
नियमाभ्यां तदाऽशक्तस्तदन्त्योऽपि धनग्रहे ॥२२८६॥

परन्तु (यदि) नहीं पैदा हुआ पुरुष पहले कहे दोनों नियमों द्वारा (धनाधिकार से) बहिष्कृत कर दिया गया हो, तो उसके बाद का पुरुष भी धन प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है।

नव्यन्याये विशिष्टा य उपहारनियामकाः।
नियमास्तेऽत्र संख्याताः संक्षेपेण सुनिश्चितम् ॥२२८७॥

नवीन कानून में उपहार के नियमन करनेवाले जो खास नियम हैं, वे यहां संक्षेप से निश्चयपूर्वक कहे हैं।

उपहर्त्राऽधिकारश्चेदाजीवं रक्षितः स्वयम् ।
भोगायोपहृताऽर्थस्य नोपहारं स नाशयेत् ॥२२८८॥

यदि उपहार देनेवाले ने उपहार में दिये धन के भोग का अधिकार, जीवन पर्यन्त, अपने पास रक्खा हो, तो वह (अधिकार) उपहार को नष्ट नहीं करता (अर्थात्–ऐसा उपहार न्याय्य माना गया है ।)

यत्रोपहारे नियमस्तद्विघट्टनबाधकः ।
वाऽविभाज्यत्वनियमैः सोऽनेकार्थं समर्पितः ॥२२८९॥
अमान्यौ नियमौ तत्र पूर्वोक्तौ द्वावपि ध्रुवम् ।
किन्तूपहारो मान्यः स न्यायेनाऽत्र न संशयः ॥२२९०॥

जहां उपहार में उसको नष्ट कर देने में बाधा डालनेवाला नियम हो या वह (उपहार) बटवारा न करने के नियम के साथ कई पुरुषों को दिया गया हो, तो वहां निश्चय ही पहले वहे दोनों नियम मानने लायक नहीं होते । परन्तु यहां पर वह उपहार कानून से मान्य होता है, इसमें संशय नहीं है । (अर्थात्–उपहार प्राप्त करने वाले उसे दे या बांट सकते हैं ।) (देखो श्लोक २४५३ से २४५५ तक)

भूमौ राजप्रदत्तायां पृथग् नियमतः परम् ।
पाल्याः समस्ता पत्राऽत्र प्रतिबन्धास्तु मानवैः ॥२२९१॥

परन्तु राजा की दी हुई पृथ्वी में, जुदा नियमों (Crown Grant Act 1895) के कारण, पुरुषों को यहां पर सारे ही प्रतिबन्धों (नियमों) का पालन करना होता है ।

सकृद्दत्तोपहारस्तूपहर्त्रा स्वस्थचित्ततः ।
स्वातन्त्र्येण च, दात्राऽपि प्रत्यादेश्यस्तु नो मतः ॥२२९२॥

उपहार देनेवाले के द्वारा, स्वस्थ चित्तसे (होश-हवास की दुरुस्ती की हालत में) और स्वतन्त्रता से (बिना किसी प्रकार के दबाव के), एकवार दिया हुआ उपहार, देनेवाले से भी रोके (खारिज किये) जाने लायक नहीं माना गया है । (अर्थात्–उपहार देनेवाला भी उसे एकवार देकर वापस नहीं ले सकता ।)

विधवोपहृते वित्ते ग्रहीतोपायनस्य हि ।
तस्याः कार्यफलज्ञत्वं प्राप्ते काले प्रमाणयेत् ॥२२९३॥

विधवा स्त्री द्वारा दिये उपहार में उपहार का लेनेवाला ही उस (स्त्री) के (उस) कार्य के परिणाम के ज्ञान को, समय आने पर, प्रमाणित करे । (अर्थात्–विधवा स्त्री ने यह काम सोच-समझ के किया है, आवश्यकता पड़ने पर, इसका सिद्ध करना उपहार लेनेवाले का काम होता है ।)

द्वान्यर्थमुत्तमर्णानां कृतोपहृतिरत्र चेत् ।
तर्हि तूत्तमर्णरुच्यैव निष्फला सा भवेद्ध्रुवम् ॥२२९४॥

यदि यहां पर कर्ज देनेवालों को हानि पहुँचाने के लिए उपहार दिया गया हो, तो कर्ज देनेवाले की इच्छा से ही, वह (उपहार) पूरी तौर से निष्फल (अमान्य) हो जाता है।

मृत्युभावनया दत्तोऽप्युपहारस्तु निश्चितम् ।
आर्येषु स्मृतिशास्त्रैर्हि मान्य एव मतो बुधैः ॥२२९५॥

विद्वानों ने, मृत्यु के विचार से (in contemplation of death) दिया उपहार भी निश्चय ही, आर्यों में, स्मृति शास्त्रों से, मान्य ही माना गया है।

निक्षेपाऽधिकृतेभ्योऽत्र दानेनाऽधिकृतेः पुरा ।
तत्तुल्या वाऽन्यकृत्याऽपि निक्षेपस्त्वभवद् ध्रुवम् ॥२२९६॥

पहले समय में, यहां पर, निक्षेप (trust) के अधिकारियों (trustees) को अधिकार दे देने से या उसी तरह के दूसरे कार्य से भी निश्चय ही निक्षेप (trust) हो जाता था।

उपहारोऽपि प्रागासीत् शक्यस्तेनैव कर्मणा ।
नवीनन्यायनिक्षेप-विधिरग्रे प्रदर्श्यते ॥२२९७॥

पहले उपहार भी उसी काम से (अधिकार देने आदि से) हो सकता था। नवीन कानून का निक्षेप (trust) का तरीका आगे दिखाया जाता है।

निक्षेपस्तु भवेद् ग्राह्योऽचलाऽर्थस्य सुनिश्चितः ।
अच्छेदनीयलेखेन राजमुद्राऽङ्कशालिना ॥२२९८॥
स्वयं कर्तु रुताऽनेन न्यस्तानां निधिरक्षिणाम् ।
तयोरन्यतरस्याऽत्र रुचिपत्रेण वा पुनः ॥२२९९॥

स्थिर संपत्ति का निक्षेप (trust), निश्चितरूप से, स्वयं निक्षेप करनेवाले के या उसके द्वारा नियुक्त (उस) धन की रक्षा करनेवालों (trustees) के रद न हो सकनेवाले रजिस्ट्री किये लेख से ग्राह्य (मान्य) होता है। या फिर यहां पर उनमें से किसी एक के इच्छापत्र (will) से मान्य होता है।

चलाऽर्थस्याऽपि निक्षेपः प्रागुक्तविधिना भवेत् ।
दातृरक्षितृलेखेन रक्षितुः सात्कृतेन वा ॥२३००॥

अस्थिर संपत्ति का भी निक्षेप (trust), पहले कही विधि से, देनेवाले (ट्रस्ट करनेवाले) और उस निधि (trust) के रक्षकों के (पक्के रजिस्ट्री किये) लेख से या उस संपत्ति के रक्षक (trustees) को सौंप देने से होता है।

इच्छापत्रोपहाराभ्यां यस्मै दानमसंभवम् ।
तस्मै कृतोपि निक्षेपो नैव मान्यः कदाचन ॥२३०१॥

इच्छापत्र (will) और उपहार (gift) के द्वारा जिसको न दिया जा सके उसके लिए किया निक्षेप (trust) भी कभी मान्य नहीं होता । (अर्थात्—जो इच्छापत्र या उपहार के द्वारा धन पा सकता है, उसी के लिए निक्षेप (trust) भी किया जा सकता है ।)

कर्तुं स्मृतिविरुद्धां हि दायादानां परम्पराम् ।
विहितस्त्वत्र निक्षेपो नो मान्य उपहारवत् ॥२३०२॥

यहां पर हिन्दू शास्त्रों के विरुद्ध हकदारों की परंपरा कायम करने को किया निक्षेप (trust), उपहार (gift) की तरह (ही) मान्य नहीं होता ।

यत्र नव्यविधानस्य नो व्याप्तिस्तत्र घोषणम् ।
निक्षेपस्यैव निक्षेप्तुः स्वाम्यदानमृतेऽप्यलम् ॥२३०३॥

जहां नवीन कानून (१८८२ के Indian Trust Act) का प्रभाव नहीं होता, वहां (ट्रस्टियों को) अधिकार सौंपे बिना ही, निक्षेप (trust) करनेवाले का निक्षेप (trust) की घोषणा (declaration) करना ही पर्याप्त होता है ।

१६ इच्छापत्राणि ।

वसीहत ।

साधारण्येन सर्वेऽपि वयःस्थाः स्वस्थमानसाः ।
नियमैर्वक्ष्यमाणैः स्युरिच्छापत्रकृतौ क्षमाः ॥२३०४॥

साधारण तौर पर सारे ही होश-हवासवाले बालिग, आगे कहे जानेवाले नियमों के अनुसार, इच्छापत्र (will) करने में समर्थ होते हैं ।

स्वीकृत्यै कामपत्रं यो नयेन् न्यायालये जनः ।
प्रमाणयेत् स एवाऽन्त्यामिच्छां कर्तुस्तु तद्गताम् ॥२३०५॥
कर्तुः स्वतन्त्रतां स्वस्थचित्ततां च यथाविधि ।
तत्सिद्धौ तदलीकत्वसिद्धिर्योत्यभियोक्तरि ॥२३०६॥

जो पुरुष इच्छापत्र को स्वीकृत (registered) करवाने के लिए न्यायालय में ले जाय, वही उसमें कर्ता की अन्तिम इच्छा का होना तथा उसके कर्ता का स्वतन्त्र और स्वस्थचित्त होना, कायदे के अनुसार प्रमाणित करे । इन बातों के सिद्ध होने पर उनको झूठा सिद्ध करना मुकद्दमा चलानेवाले (इच्छापत्र का विरोध करनेवाले) के जिम्मे हो जाता है ।

तत्सिमांतुस्तथाऽऽहर्तुः स्वार्थं तस्मिन् भवेद् यदि ।
कारणानि तथाऽन्यानि सन्देहोत्पादकानि वा ॥२३०७॥
भवेयुः साधयेत्तर्हि तत्राऽऽहर्तृ च निश्चितम् ।
लेखस्य न्याय्यतां कर्तुश्चात्मकर्मफलज्ञताम् ॥२३०८॥

यदि उस (इच्छापत्र) में उसको करनेवाले या लानेवाले का स्वार्थ हो या सन्देह उत्पन्न करनेवाले दूसरे कारण हों, तो वहां पर (उसको न्यायालय की स्वीकृति के लिये) लानेवाला ही, निश्चितरूप से (उस) लेख (इच्छापत्र) के न्याय्य, (न्यायानुमोदित) होने को और (उसके) कर्ता को अपने कार्य के नतीजे की जानकारी होने को सिद्ध करे।

सत्येवं तदनौचित्यं साधयेयुर्विरोधिनः।
अनर्हशक्तिवश्यत्वं कर्तुर्वा तन्निराकृतौ ॥२३०९॥

ऐसा ही जाने पर विरोधी लोग उसके विरोध में उस (will) का अनुचित होना या (उसके) कर्ता का अनुचित दबाव में होना सिद्ध करें।

स्मृतिशास्त्रेषु नोल्लेख इच्छापत्रस्य दृश्यते।
किन्तु तत्कर्तृकं दानं चिरादङ्गीकृतं बुधैः ॥२३१०॥

हिन्दुओं के स्मृतिशास्त्रों में इच्छापत्र का उल्लेख नहीं दिखाई देता। परन्तु उसके द्वारा किया जानेवाला दान विद्वानों ने बहुत समय से अङ्गीकार कर लिया है।

इच्छापत्रेण तत्कर्ता दातुं शक्तो निजं धनम्।
अवयःस्थाय मूढाय विकलायाऽपि निश्चितम् ॥२३११॥

इच्छापत्र के द्वारा उसका करने वाला (पुरुष) अपना धन नाबालिग को, मूढ (idiot) को और विकल को भी निश्चितरूप से दे सकता है। (यहां पर विकल से उस पुरुष का तात्पर्य है, जो शारीरिक विकलता के कारण दायप्राप्ति से वञ्चित हो।)

विधानोक्तवयस्थायुरनवाप्य जनः परम्।
इच्छापत्रकृतौ न स्याच्छक्तो न्यायेन निश्चितम् ॥२३१२॥

परन्तु कानून (ई० सं० १८७५ के Indian Majority Act के तीसरे सैक्शन) में कही बालिग की अवस्था को प्राप्त किये बिना (अर्थात्—नाबालिग) पुरुष कानून से, निश्चित तौर पर, इच्छापत्र के करने में समर्थ नहीं होता।

इच्छापत्रं तदेव स्याद् येन कर्ता निजं धनम्।
स्वमृत्यौ न्यायतो दातुं शक्तोऽन्यस्मै निजेच्छया ॥२३१३॥

इच्छापत्र वही हो सकता है, जिसके द्वारा (उसका) करनेवाला, अपने धन को, अपनी मृत्यु पर, अपनी इच्छा से, कानून के अनुसार दे सके। (इच्छापत्र का लक्षण १९२५ के Indian Succession Act में विशद रूप से दिया है।)

दत्तकाऽऽदानमात्रस्याऽधिकारो यत्र दीयते।
लेखेन न तु संपत्तिरिच्छापत्रं न तद् भवेत् ॥२३१४॥

जहाँ पर लेख में केवल गोद लेने का अधिकार ही दिया जाय, संपत्ति नहीं दी जाय, वह इच्छापत्र नहीं हो सकता।

उपहारेण यद् वित्तं नो दातुं स्याद् जनः क्षमः।
इच्छापत्रिकयाऽप्यत्र तद्दाने सोऽक्षमो मतः ॥२३१५॥

पुरुष जिस धन को उपहार (gift) के द्वारा नहीं दे सकता है, उसको, यहां पर, वह इच्छापत्र से देने में भी असमर्थ माना गया है।

भार्यादीनां च पोष्याणां न्याय्यामधिकृतिं पुनः।
हर्तुमेवाऽत्र विहितमिच्छापत्रं न संमतम् ॥२३१६॥

फिर यहां पर भरण-पोषण की हकदार पत्नी आदि के न्याय द्वारा माने हुए (भरण-पोषण पाने के) अधिकार को नष्ट करने के लिए ही किया इच्छापत्र (Will) नहीं माना गया है।

इच्छापत्रेण यां दातुं संपत्तिं स्यात् क्षमो जनः।
सा वर्ण्यतेऽथ लोकानामवबोधाय निश्चितम् ॥२३१७॥

पुरुष जिस संपत्ति को इच्छापत्र से दे सकता है, लोगों के जानने के लिए, निश्चितरूप से, उसका वर्णन किया जाता है।

व्यक्तिगां स्वार्जितां चाऽपि संपत्तिं दातुमीश्वरः।
इच्छापत्रेण पुरुषः सर्वत्रैव तु भारते ॥२३१८॥

भारत में सब जगह ही पुरुष इच्छापत्र से व्यक्तिगत (निजी) और स्वयं प्राप्त की संपत्ति को दे सकता है।

दायभागमते तातः पैतृकीं च निजार्जिताम्।
इच्छापत्रेण संपत्तिं दातुं शक्तो यथेप्सितम् ॥२३१९॥

दायभाग के मत में पिता इच्छापत्र द्वारा बाप-दादाओं की और अपनी प्राप्त की संपत्ति को अपनी इच्छानुसार देने में समर्थ होता है।

संसृष्टस्थ निजं स्वार्थं संसृष्टार्थगतं पुनः।
इच्छापत्रेण निर्बाधं तत्र दातुं क्षमो मतः ॥२३२०॥

फिर वहाँ पर (दायभाग में) साझेदार साझे के धन में रहे अपने स्वार्थ (interest) को इच्छापत्र द्वारा, बिना रुकावट के, देने में समर्थ माना गया है।

मिताक्षरामते मासाऽपरसंसृष्टसमतिः।
अपि तातश्च संसृष्ट इच्छापत्रेण न क्षमः ॥२३२१॥
पृक्तं स्वार्थं निजं दातुं यत्तन्मृत्यौ भवेत् कलिः।
आधिपत्येऽपशिष्टानां पत्राऽऽसाधिकृतेश्च नुः ॥२३२२॥

मिताक्षरा के मत में दूसरे साझेदारों की संमति प्राप्त किए हुआ पिता या साझेदार भी इच्छापत्र द्वारा साझे में के अपने स्वार्थ को नहीं दे सकता, क्योंकि इससे उसके मरने पर पीछे रहे साझेदारों के और इच्छापत्र द्वारा अधिकार पानेवाले पुरुष के अधिकार में झगड़ा हो सकता है।

पुनः पृक्ताऽवशिष्टानां स्वाम्यमाद्यं मतं यतः।
लेखाऽऽप्ताऽधिकृतेनुः प्राक् तेषामधिकृतिस्ततः ॥२३२३॥

फिर क्योंकि साझेदारों में पीछे बचे पुरुषों का अधिकार पहला माना गया है, इसलिए उनका अधिकार इच्छापत्र द्वारा अधिकार पाये हुए पुरुष (के अधिकार) से पहले होता है।

परं पृक्ताऽवशिष्टस्तु पृक्ताऽर्थं व्यक्तिवित्तवत्।
इच्छापत्रेण तत्राऽपि दातुं प्रभवति ध्रुवम् ॥२३२४॥

परन्तु वहाँ पर भी साझेदारों में पीछे रहा (अकेला पुरुष) साझे के धन को निज के धन की तरह इच्छापत्र के द्वारा, निश्चय ही, दे सकता है।

इच्छापत्रप्रभावस्तु तत्कर्तुर्मृत्युवासरात्।
प्रवर्तते ह्यतस्तस्मात्पूर्वं चेद्दत्तकग्रहः ॥२३२५॥
सुतोत्पत्तिरथो गर्भस्तदन्ते पुत्रजन्मदः।
मृतपृक्तसुतोत्पत्तिर्वा तदा तन्निरर्थकम् ॥२३२६॥
मृतसंपृक्तविभव एतेष्वेकतमं पुनः।
यथास्थानं प्रयात्यत्राऽवशिष्टन्यायतो ध्रुवम् ॥२३२७॥
परं म्रियेत चेत् पुत्रो जातो वा दत्तकीकृतः।
प्राङ् मृतेर्धनिनस्तर्हि तत्पत्रं सार्थकं पुनः ॥२३२८॥

इच्छापत्र का असर उसके करनेवाले के मरने के दिन से होता है। इसलिए यदि उसके पहले (इच्छापत्र करनेवाले द्वारा) गोद ले लिया जाय, (इच्छापत्र करनेवाले के) पुत्र उत्पन्न हो जाय, (इच्छापत्र करनेवाले द्वारा) उसके मरने पर पुत्र को जन्म देनेवाला गर्भाधान हो जाय या मरे हुए साझेदार के पुत्र उत्पन्न हो जाय, तो वह (इच्छापत्र) निरर्थक (रद्द) हो जाता है और मरे हुए पुरुष का साझे का धन मौके के अनुसार इन (ऊपर गिनाये हुओं) में से एक को, साझेदारों में से बाकी रहनेवालों के न्याय (survivorship) से निश्चय ही मिल जाता है। परन्तु यदि उत्पन्न हुआ पुत्र या गोदलिया पुत्र धन के स्वामी के मरने के पहले ही मरजाय, तो वह इच्छापत्र फिर सार्थक हो जाता है।

प्राग्दत्तकग्रहादिच्छापत्रे चेत्समयस्त्विति।
यत्पूर्वं दत्तकाऽऽदातुर्विधवा मोदयते धनम् ॥२३२६॥

आजीवं मितकालं वा सोऽयमङ्गी कृतः पुनः ।
दत्तकस्य जनित्राऽपि तर्हि मान्योऽत्र रूढितः ॥२३३०॥

यदि गोदलेने के पहले इच्छापत्र में यह शर्त (agreement) की गई हो कि पहले गोद लेनेवाले की विधवा स्त्री जीवन पर्यन्त या नियत समय तक धन का उपभोग करेगी और इसे दत्तक के जन्मदाता पिता ने भी स्वीकार कर लिया हो (अर्थात्-इस शर्त को मान कर ही अपना लड़का गोद दिया हो), तो वह रिवाज के अनुसार मान्य होता है ।

इच्छापत्रगतः किन्तु समयः स विधानतः ।
रूढ्या च नो मतो दत्त-पुत्रपित्राऽपि संमतः ॥२३३१॥
येन दत्तग्रहाऽन्तेऽन्यः क्रियते तत्सहांऽशभाक् ।
नाऽतो रुक्पत्रकृत् कृतेऽर्थांऽशने दत्त उत्तरी ॥२३३२॥

परन्तु इच्छापत्र में की वह शर्त (agreement), जिससे दत्तक लेने के बाद किसी दूसरे को उसका हिस्सेदार बना दिया जाय, दत्तक पुत्र के (असली) पिता ने स्वीकार करली हो, तब भी कानून और रिवाज से मान्य नहीं होती । इसलिए इच्छापत्र करनेवाले पुरुष द्वारा किये धन के (ऐसे) बटवारे में दत्तक उत्तरदायी नहीं होता । (अर्थात्-यदि गोद लेनेवाला पिता अपने इच्छापत्र में गोद लेने के बाद अपने धन का कुछ भाग किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को मिलने या किसी अन्य कार्य में प्रयुक्त होने की शर्त लिख जाय, तो उसके मरने पर उसका दत्तक पुत्र उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता ।)

यत्र एकाऽवशिष्टोऽपि दद्याद्रुचिपत्रतः ।
एकार्थांऽशं शुभायैकं दत्तकायाऽपरं तथा ॥२३३३॥
विधवायै स्वभार्यायै तृतीयं च तुरीयकम् ।
कुटुम्बिभ्यो न तत्राऽपि दत्तकस्तूत्तरी मतः ॥२३३४॥
दत्तस्य जनकेन प्राक् तदङ्गीकृत्य लेखतः ।
दत्तकत्वे सुतो दत्तो भवेद्यद्यपि निश्चितम् ॥२३३५॥

जहां पर साझेदारों में से पीछे बचा हुआ (पुरुष) भी इच्छापत्र के द्वारा साझे के धन का एक भाग कल्याण के लिए, दूसरा दत्तक पुत्र के लिए, तीसरा अपनी विधवा पत्नी के लिए (इच्छापत्र उसके करनेवाले की मृत्यु के बाद प्रभाव दिखलाता है, इसलिए यहां पर अपनी विधवा पत्नी कहा गया है) और चौथा (अन्य) कुटुम्बियों के लिए दे दे, वहां पर भी यद्यपि दत्तक के जन्म-दाता पिता ने, निश्चय ही, पहले उन (सब) शर्तों को लेख द्वारा अङ्गीकार करके पुत्र को गोद दिया हो, तब भी दत्तक पुत्र (बाद में) उत्तरदाता (जिम्मेदार) नहीं माना गया है ।

पूर्वोक्तविधिना तातः पैतृकाऽल्पांऽशमस्थिरम् ।
उपहर्तुं क्षमः किन्तु नो दातुं रुचिपत्रतः ॥२३३६॥

पहले कही रीति से पिता चल पैतृक धन का थोड़ा सा भाग उपहार में दे सकता है, परन्तु इच्छापत्र से नहीं दे सकता ।

स्त्री स्त्र्यर्थं स्वं क्षमा दातुमिच्छापत्रेण निश्चितम् ।
क्वचित् पुनश्च तत्राऽपि पत्यनुज्ञाऽस्त्यपेक्षिता ॥२३३७॥

स्त्री इच्छापत्र से अपने स्त्री-धन को दे सकती है । फिर कहीं-कहीं उसमें भी पति की स्वीकृति आवश्यक होती है ।

अविभाज्यधनस्याऽपि स्वामीच्छापत्रतः क्षमः ।
तद् दातुं तत्र बाधा चेद् नो रूढ्या नियमेन वा ॥२३३८॥

नहीं बाँटे जानेवाले धन का स्वामी भी इच्छापत्र से उसे दे सकता है, यदि वहां पर रिवाज या नियम से रुकावट न हो ।

सारमेतस्य यद्दातुं साधारण्येन तु क्षमः ।
यद् वित्तमुपहारेण जनो रुक्पत्रतोऽपि तत् ॥२३३९॥

इस (सब) का सार (यह) है कि साधारण तौर से पुरुष जिस धन को उपहार से दे सकता है, उसको इच्छापत्र से भी दे सकता है ।

क्वचिदस्याऽपवादोऽपि स्मृतिषु ज्ञायते यथा ।
भर्तुर्दायाऽऽगतं वित्तं चलमत्रोपहारतः ॥२३४०॥
दातुं क्षमा मयूखीया विधवा किन्तु सैव नो ।
समर्था रुचिपत्रेण दातुं प्राक् कथितं धनम् ॥२३४१॥

कहीं-कहीं स्मृतियों में इसका अपवाद भी जाना जाता है । जैसे यहां पर 'व्यवहारमयूख' को माननेवाली विधवा पति से दाय (हिस्से) में मिले अस्थिर धन को उपहार से दे सकती है; परन्तु वही (विधवा) पहले कहे धन को इच्छापत्र से नहीं दे सकती ।

दायभागाऽनुगो दायाद्,भार्यां वञ्चयितुं क्षमः ।
इच्छापत्रेण पुत्रैस्तु भज्यमाने धने निजे ॥२३४२॥

दायभाग को माननेवाला (पुरुष) इच्छापत्र से, पुत्रों द्वारा अपने धन के बँटे जाने के समय, अपनी स्त्री को हिस्से से वञ्चित कर सकता है ।

किन्तु सा लभते तत्र भरणायोचितं धनम् ।
भर्तुर्वित्तात् यथोक्तं प्राक् पत्नीभावेन निश्चितम् ॥२३४३॥

परन्तु वह (स्त्री) वहां पर पत्नी होने के कारण, पहले कहे अनुसार, पति के धन से भरण-पोषण के लिए उचित धन पाती है ।

जनः स्वपुत्रान् भार्यां च दायादानपरानपि ।
इच्छापत्रेण निःशेषं स्वाऽर्थाद् वञ्चयितुं क्षमः ॥२३४४॥
वञ्चनोल्लेखनं तेषां तस्मिन्नावश्यकं मतम् ।
मृत्युपत्रे परार्थस्तद्दानोल्लेखो ह्यलं मतः ॥२३४५॥

पुरुष इच्छापत्र के द्वारा अपने पुत्रों को, स्त्री को, और दूसरे हकदारों को भी पूरी तौर से अपने धन से वञ्चित कर सकता है। उस (इच्छापत्र) में उनके वञ्चित करने के उल्लेख की आवश्यकता नहीं मानी है। मृत्युपत्र में दूसरे के लिए उस (धन) के दान का उल्लेख (ही) पर्याप्त होता है।

मृत्युपत्रं तदर्थं चेन्न्यायेनाऽसंगतं भवेत् ।
तर्हि बाधाः समुलङ्घ्य दायादान् याति तद्धनम् ॥२३४६॥

यदि मृत्युपत्र (bequest) उस (पुरुष) के लिए (जिसके लिए वह किया गया हो) कानून से असंगत - (अनुचित) हो, तो वह धन बाधाओं का उल्लङ्घन करके हकदारों को मिल जाता है।

इच्छापत्रे प्रयुक्तश्चेत् समयो यत्तु निश्चिते ।
कार्ये जाते व्रजेद्र्थः पूर्णः प्राग् निश्चितं जनम् ॥२३४७॥
तर्हि तत्संभवात् पूर्वं यात्यर्थस्तु कुटुम्बिनम् ।
निकटस्थं यतो दायः स्वाम्यहीनो न तिष्ठति ॥२३४८॥

यदि इच्छापत्र में शर्त रक्खी हो कि निश्चित काम (बात) के होने पर सारा धन पहले निश्चित किये पुरुष को मिलेगा, तो उस (बात) के होने के पहले (वह) धन नजदीक के कुटुम्बी को मिल जाता है, क्योंकि दाय का धन बिना स्वामी के नहीं रहता।

दत्तकग्रहणेनाऽत्र वञ्च्यते न जनो धनम् ।
व्यक्तिगं दददन्यस्मै स्वपत्रेण विधानतः ॥२३४९॥
यतो दत्तग्रहे नाऽस्ति व्यक्तिगाऽर्थनियन्त्रिका ।
बाधा कापि परं नो स पैतृकाऽर्थोऽर्पणे क्षमः ॥२३५०॥

पुरुष गोद लेने के कारण इच्छापत्र द्वारा अपने व्यक्तिगत धन को दूसरे को देता हुआ कानून से वञ्चित नहीं हो सकता (रोका नहीं जा सकता); क्योंकि गोद लेने में व्यक्तिगत धन को नियन्त्रण करनेवाली (उसमें रोक लगानेवाली) कोई बाधा नहीं है। परन्तु वह पैतृक धन देने में समर्थ नहीं होता।

उत्तराऽधिकृतेर्न्यस्य विधाने नियमा हि ये ।
चातुर्वर्ण्यकृते, तेषां प्रयोगविषयास्त्वमी ॥२३५१॥

(भारतीय) उत्तराधिकार के कानून के जो नियम (Indian Succession Act 1925, part VI, Sec. 57) हिन्दुओं के लिए हैं, उनके प्रयोग के लिए ये (नीचे लिखे) स्थान हैं:—

भाद्रेन्दुविक्रमाब्दाऽच्छभाद्रषष्ठ्या उपक्रमात्।
महाराष्ट्रद्रविडयोस्तथा मगधवङ्गयोः ॥२३५२॥
इच्छालेखास्तथा तेषामुपलेखाश्च ये पुनः।
चातुर्वर्ण्ये न वा बौद्धैः सिक्खैर्जैनैस्तथा कृताः ॥२३५३॥

विक्रम संवत् १९२७ की भादों सुदि ६ (१८७० की १ सितम्बर) से बंबई और मद्रास, तथा बिहार और बंगाल में (भी) हिन्दुओं, बौद्धों, सिक्खों और जैनों द्वारा किये इच्छापत्र (will) और उनके उपलेख (codicils)।

त एव च कृता उक्तदेशेभ्य इतरत्र वा।
उक्तदेशस्थितस्थायिसंपदो दानहेतवे ॥२३५४॥

अथवा ऊपर कहे देशों में स्थित स्थायी संपत्ति के देने के लिए उन देशों से अन्य स्थानों पर किये वही (इच्छापत्र और उपलेख)।

आलोकाऽष्टनवैकाऽब्दपौषकृष्णत्रयोदशि।
कृतास्तैरुभये लेखाः प्रागुक्तनियमातिगाः ॥२३५५॥

(विक्रम) संवत् १९८३ की पौष बदि १३ (ई० स० १९२७ की १ जनवरी) से उनके (हिन्दुओं, बौद्धों, सिक्खों और जैनों) द्वारा किये, उपर्युक्त (दोनों) नियमों (श्लोक २३५२ से २३५४ तक) में नहीं आने वाले दोनों (तरह के) लेख।

त्रिष्वप्येतेषु पत्रस्य लेख आवश्यको मतः।
द्वाभ्यां साक्षीकृतः कर्तुर्हस्ताक्षरयुतस्तथा ॥२३५६॥

इन तीनों (श्लोक २३५२ से २३५५ तक कहे) स्थानों पर इच्छापत्र का लेख-बद्ध होना, दो जनों की गवाही युक्त होना और (उसके) करनेवाले के हस्ताक्षर सहित होना आवश्यक माना गया है।

इच्छापत्रकृते नाऽस्ति यतो रूपं सुनिश्चितम्।
अतस्तत् क्रियतेऽनेकविधाभिः कर्तृभिर्ध्रुवम् ॥२३५७॥

क्योंकि इच्छापत्र के लिए कोई (खास रूप निश्चित नहीं है, इसलिए उनके करनेवालों द्वारा वह निश्चय ही अनेक प्रकार से किया जाता है।

एतेषु त्रिषु चेत्पूर्वं द्वे प्रत्याख्यातुमिच्छति।
कोऽपि तर्हि स शक्तः स्यात् पूर्वोक्तनियमस्य हि ॥२३५८॥
विभागे सप्ततितमे दत्तेन विधिना पुनः।
एकसप्ततभागोक्तरीत्या तत्र विपर्ययः ॥२३५९॥

यदि कोई भी इन तीनों में से पहले दो (श्लोक २३५३ से २३५४ तक पढ़े) का प्रतिवाद (revocation) करना चाहता है, तो वह पहले कहे (ई० स० १९२५ के भारतीय उत्तराधिकार के) कानून की ७० वीं धारा में दी विधि से ही उसमें समर्थ हो सकता है और (उसी की) ७१ वीं धारा में कही रीति से उस (इच्छापत्र) में परिवर्तन (alteration) हो सकता है।

आपडष्टनवैकाऽब्दाश्विनकृष्णचतुर्दशि।
कृतेषु तेषु चाऽन्येपि प्रागुक्तौ नियमौ मतौ ॥२३६०॥

(विक्रम संवत्) १९८९ की आश्विन (क्वार) वदि १४ (ई० स० १९३२ की १ अक्तूबर) से किये उन (इच्छापत्रों wills और उसके उपलेखों codicils) में अन्तिम (तीसरे) स्थान पर भी पहले (श्लोक २३५८ और २३५९ में) कहे दोनों नियम माने हैं। (अर्थात् वहां भी उसके प्रत्याख्यान या परिवर्तन में उपर्युक्त नियम ही काम आते हैं।)

चातुर्वर्ण्यकृतं पत्रं कर्तुरुद्वाहाग्न निष्फलम्।
स्वार्थाय चेत् सुतोत्पत्तेर्दत्तकाऽऽदानतोऽपि नो ॥२३६१॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों (हिन्दुओं) द्वारा किया इच्छापत्र (उसके) कर्ता के विवाह (हो जाने) से भी निष्फल नहीं होता। यदि वह निजी धन के लिए किया हो, तो (करनेवाले के) पुत्र उत्पन्न होने या गोदलेने से भी (वह) निष्फल नहीं होता।

नासीदावश्यको लेखो स्वपत्रे वाऽस्य खण्डने।
खण्डने पत्रनाशश्च कर्त्रा यदपि संमतः ॥२३६२॥
स्मृतिशास्त्रेषु, किन्त्वद्यावश्यकौ तौ बभूवतुः।
नूतनैर्नियमैर्नूनं स्वीकृतैरधिकारिभिः ॥२३६३॥

स्मृतिशास्त्रों में इच्छापत्र या उसके खण्डन (revocation) में लिखावट की आवश्यकता नहीं थी। और यद्यपि उस (पत्र) के करनेवाले ने इच्छापत्र को नष्ट करने की अनुमति भी दे दी हो, तथापि उसको (वास्तविक रूप से) नष्ट करना आवश्यक नहीं था। (अर्थात्–कर्ता का अपने इच्छापत्र को नष्ट करने की अनुमति दे देना ही उस पत्र के प्रत्याख्यान (revocation) में पर्याप्त था।) परन्तु आजकल अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किये नवीन नियमों से ये दोनों निश्चय ही आवश्यक हो गये हैं।

यत्रोपहारे यात्यर्थः कर्तुर्मृत्यौ परं जनम्।
स चास्य स्वत्त्विलेखश्च प्रायेणोभौ समौ मतौ ॥२३६४॥

जहां पर उपहार (gift) में उसके कर्ता के मरने पर दूसरे को धन मिलता है, वह और इच्छापत्र (bequest) प्राय- (करीब-करीब) समान माने गये हैं।

यस्तुतो वा विधानेन वर्तमानस्तु यो मृतौ।
रुक्पत्रकर्तुः, प्रायः स तदर्थग्रहणे क्षमः ॥२३६५॥

जो इच्छापत्र करनेवाले की मृत्यु पर (मृत्यु के समय) वास्तव में या कानून (के विचार) से विद्यमान हो, बहुधा वह उसका धन ले सकता है।

गर्भगस्तत्सुतो दत्तीकृतो वा तस्य भार्यया।
तदन्तेऽत्र विधानेन तन्मृतौ वर्तमानवत् ॥२३६६॥

उस (इच्छापत्र करनेवाले) का गर्भ में रहा पुत्र या उसके बाद उसकी स्त्री द्वारा गोद लिया गया (पुत्र) कानून (के विचार) से यहां उसकी मृत्यु पर वर्तमान की तरह होता है।

तथैवाऽविद्यमानायै स्नुषायै विहितं पुनः।
इच्छापत्रं विधानेन मान्यमेव मतं बुधैः ॥२३६७॥
विद्यमाना भवेत् सा चेत्तदन्तसमये तथा।
पुत्रेण परिणीता स्याद् दशाब्दाऽन्तं तदन्ततः ॥२३६८॥

उसी प्रकार फिर अविद्यमान पुत्र वधू के लिए किया इच्छापत्र विद्वानों ने कानून (के विचार) से मान्य ही माना है, यदि वह (स्त्री) उस (इच्छापत्र करनेवाले) के अन्तिम समय विद्यमान हो और (उसके) पुत्र ने उसके मरने से दस बरस (के भीतर) तक उसको व्याह लिया हो।

सार्वत्रिकास्तथा सार्वकालिका नियमास्तु ये।
इच्छापत्रकृते तेऽत्र गदिता बोधहेतवे ॥२३६९॥

इच्छापत्र के विषय में सब स्थानों और सब समयों के जो नियम हैं, वे ज्ञान के लिए यहां कहे हैं।

स्मृत्युक्तविधिना कर्तुर्मृत्युकालेऽसतः कृते।
कृतं रुक्पत्रमासीन्नो मान्यं पूर्वं ततः परम् ॥२३७०॥
विधानत्रितयेनैष नियमः परिवर्तितः।
विधानानामवस्तेषां व्याख्याऽग्रे च करिष्यते ॥२३७१॥

स्मृतियों में कहे नियमों से, कर्ता के मरने के समय अविद्यमान के लिए इच्छापत्र पहले मान्य नहीं था; परन्तु उसके बाद तीन कानूनों से यह नियम बदल दिया गया है। इसलिए उन कानूनों की व्याख्या यहां पर आगे की जायगी।

आत्माऽष्टनवचन्द्राऽब्द उत्तराधिकृतेस्तु यत्।
विधानं स्वीकृतं तस्य चतुर्थ्याऽनुमोदितम् ॥२३७२॥
इच्छापत्रं कृतं कर्तुर्मृतिकालेऽसतः कृते।
अपि ग्राह्यं यतस्तत्र तदभावो न बाधकः ॥२३७३॥

वि० सं० १९८२ (ई० सं० १९२५) में उत्तराधिकार का जो कानून (The

Indian Succession Act) स्वीकार किया गया था, उसकी चार धाराओं (sections ११३, ११४, ११५ और ११६) से अनुमोदित (उनमें कही अवस्थाओं वाला) इच्छापत्र (will) कर्ता के मरने के समय अविद्यमान के लिए किया हुआ होने पर भी ग्रहण करने (मानने) योग्य होता है, क्योंकि वहां पर उस (लेनेवाले) का न होना रुकावट नहीं डालता ।

परं सार्वत्रिको नैष नियमः किन्तु केवलम् ।
वक्ष्यमाणास्ववस्थासु प्रयोगोऽस्य मतो बुधैः ॥२३७४॥

परन्तु यह नियम सब स्थानों पर काम में आने लायक नहीं है । विद्वानों ने इसका प्रयोग आगे कही जानेवाली अवस्थाओं में ही माना है ।

आखाऽभ्रग्रहभूवर्षफाल्गुनाऽसचतुर्थिकम् ।
मद्रासवर्जं मद्रासप्रान्ताऽधिष्ठायिहिन्दुभिः ॥२३७५॥
कृतेन वा प्रयोज्येन दत्तपत्रेण तु कश्चन ।
स्याऽन्तकालेऽसतेऽप्यत्र स्वधनं दातुमीश्वरः ॥२३७६॥

वि० सं० १६७० की फाल्गुन वदि ४ (१४ फरवरी १९१४) से, मद्रास शहर को छोड़कर, मद्रास प्रान्त में रहनेवाले हिन्दुओं द्वारा किये या (उस समय से) प्रयोग में आनेवाले इच्छापत्र से कोई भी यहां पर अपना धन अपने अन्त समय, में अविद्यमान (जन) को भी दे सकता है ।

आत्रिसप्ताऽङ्कभूवर्षाऽश्विनकृष्णनवम्यथ ।
मद्रासप्रान्तवर्जेऽतु सर्वस्मिन्नांग्लभारते ॥२३७७॥
कृतेन वा प्रयोज्येन दत्तपत्रेण तु हिन्दवः ।
स्याऽन्तकालेऽसतेऽप्यत्र स्वधनं दातुमीश्वराः ॥२३७८॥

या विक्रम संवत १६७३ की क्वाँर वदि ६ (२० सितम्बर १९१६) से, मद्रास प्रान्त को छोड़कर, सारे ब्रिटिश-भारत में किये या (उस समय से) प्रयोग में आनेवाले इच्छापत्र (will) से हिन्दूलोग अपने अन्त समय में अविद्यमान (पुरुष) को भी, यहां पर, अपना धन दे सकते हैं ।

आऽश्वाऽभ्रनवभूवर्षचैत्रकृष्णचतुर्थिकम् ।
मद्रासन्यायभूवश्यैर्हिन्दुभिर्विहितेन वा ॥२३७९॥
आखाऽभ्रनवभूवर्षफाल्गुनाऽसचतुर्थिकम् ।
प्रयोज्येनेष्टिपत्रेण धनं दातुं प्रभुर्जनः ॥२३८०॥

विक्रम संवत् १९७७ की चैत्र कृष्ण ४ (ता० २७ मार्च १९२१) से, मद्रास न्यायालय (High Court of Madras) के अधिकार (Civil Jurisdiction) में रहे, हिन्दुओं द्वारा किये या विक्रम संवत् १६७० की फागुन वदि ४ (ता० १४

फरवरी १९१४) से प्रयोग में आनेवाले इच्छापत्र से मनुष्य (अपने अन्त समय अविद्यमान पुरुष को भी) धन दे सकता है।

मिताक्षराऽनुगोऽभक्तं पृक्तिस्वार्थं तु न क्षमः।
दातुं रुक्पत्रतः किन्तु शक्तो व्यक्तिगतं धनम् ॥२३८१॥
दातुं पृक्ताय पृक्तं चाऽपृक्ताय मृतिपत्रतः।
मृतेऽर्पके क्षमः पृक्तस्तयोरेकतरग्रहे ॥२३८२॥

मिताक्षरा को माननेवाला इच्छापत्र के द्वारा बिना बटे साझे में के अपने स्वार्थ (interest) को नहीं दे सकता। परन्तु (वह) मृत्युपत्र से अपने व्यक्तिगत (self acquired) धन को साझेदार को और साझे के धन (स्वार्थ) को साझेदार से भिन्न अन्य व्यक्ति को दे सकता है (और) देनेवाले के मरने पर (वह) साझेदार उन (दोनों तरह के धनों) में से एक ले सकता है। (अर्थात्–वह अपनी इच्छानुसार इन दोनों में से एक धन ले सकता है, दोनो नहीं ले सकता।)

उत्तराऽधिकृतेर्नव्यविधानविषयौ तु यौ।
प्रागुक्तौ द्वौ हि तत्रत्या मृतिपत्रप्रयोक्तृता ॥२३८३॥
तदर्थाऽधिकृतिर्वाऽपि प्राड्विवाकैर्न मन्यते।
नो चेदधिकृते न्यायालये तस्याऽनुमोदनम् ॥२३८४॥
किन्त्वन्यमृतिपत्रेषु पूर्वोक्ताऽधिक्रियाकृते।
आर्ये ष्वावश्यकं न स्यात्पूर्वोक्तमनुमोदनम् ॥२३८५॥

उत्तराधिकार के नये कानून (The Indian Succession Act 1925) के जो पहले दो विषय (श्लोक २३५२ से २३५४ तक में) कहे हैं, उनमें का मृत्युपत्र को प्रयोग में लाने (right of executor पन) का अधिकार या उस (मृत्युपत्र में लिखे) धन का अधिकार (legatee पन) न्यायकर्ताओं द्वारा तब तक नहीं माना जाता, जब तक कि अधिकारी बनाये गये न्यायालय (Court of Competent Jurisdiction) में उस (मृत्युपत्र) का अनुमोदन न हो जाय। (अर्थात्–उसके लिए (probate न मिल जाय)। परन्तु हिन्दुओं में अन्य मृत्युपत्रों में पहले कहे अनुमोदन (probate) की आवश्यकता नहीं होती।

मृतिपत्रमकृत्वैव मृतश्चेत्तर्हि तत्र नो।
तद्धनांऽशेशतासिद्ध्यै व्यवस्थावश्यकी मता ॥२३८६॥

यदि (पुरुष) मृत्युपत्र किये बिना ही मर गया हो, तो वहां उसके धन के एक (any) भाग का अधिकार सिद्ध करने के लिए व्यवस्था की (letter of administration) की आवश्यकता नहीं मानी है।

मृतग्राह्यऋणोद्धारकृते यत्राभियोजनम् ।
तत्रोत्तराऽधिकारस्य व्यवस्थापत्रकस्य वा ॥२३८७॥
मृतलेखस्य वा माने प्रागुपस्थापिते जनैः ।
अधमर्णात् स्वमुद्धर्तुं प्राप्यते राजशासनम् ॥२३८८॥

जहां पर मृत पुरुष द्वारा वसूल किये जानेवाले ऋण के लिए मुकद्दमा किया गया हो, वहां पर पुरुषों द्वारा उत्तराधिकार के प्रमाण (succession certificate), व्यवस्था पत्र के प्रमाण (letter of administration) वा मृत्यु-लेख के प्रमाण (probate) के पहले उपस्थित करने पर कर्जदार से धन का उद्धार करने को राजशासन (डिग्री-decree) मिल जाता है।

मृते पितरि तद्धर्जितार्थोद्धृं निहेतुके ।
अभियोगेऽनिवार्यं स्यादुत्तरस्वाम्यपत्रकम् ॥२३८९॥

पिता के मरने पर उसके स्वर्जित धन (self acquired property) के उद्धार के लिए किये मुकद्दमे में उत्तराऽधिकार का पत्र (succession certificate) आवश्यक होता है।

पृक्ताऽवशिष्टया प्राप्तस्य धनस्योद्धारकर्मणि ।
उत्तराऽधिकृतेः पत्रं बुधैर्नावश्यकं मतम् ॥२३९०॥

विद्वानों ने साझेदारों में से शेष रहजाने (survivorship) से मिले धन के उद्धार के काम में उत्तराधिकार-पत्र आवश्यक नहीं माना है।

मृतिपत्रकृदासन्नो दायादोऽर्थप्रतिग्रहे ।
क्षमस्तत्पत्रप्रामाण्यदानं चेन्न विरोधयेत् ॥२३९१
तदन्त्यस्तर्हि शक्तः स्यात् तद्दानस्य विरोधने ।
तदर्थे ये च नियमास्ते प्रागेव प्रदर्शिताः ॥२३९२॥

मृत्युपत्र करनेवाले का नजदीकी और धन को पीछा प्राप्त करने में समर्थ (reversionary) हकदार यदि उस (मृत्युपत्र) के प्रमाण (probate) को देने का विरोध न करे तो, उसके बादवाला (हकदार) उस (probate) के दान का विरोध करने में समर्थ हो सकता है। और इसके लिए जो नियम हैं, वे पहले ही (श्लोक १२०१-१२०८ में) दिखला दिए हैं।

मृतिलेखप्रमाणं वा व्यवस्थापत्रकं पुनः ।
नाप्यते पृक्तवित्तस्य कृते न्यायाऽधिपैः परम् ॥२३९३॥
प्रबन्धकस्य यैकस्य पृक्तस्यैवाऽभिधाऽङ्कितम् ।
तस्मै तत्रावशिष्टाय दीयतेऽन्तिमपत्रकम् ॥२३९४॥

न्यायाधीश लोग साझे के धन के लिए मृत्युलेख का प्रमाण (probate) या फिर व्यवस्थापत्र (letter of administration) नहीं देते। परन्तु वह (धन)

यदि प्रबन्धक (manager) या एक साझेदार के नाम पर चढ़ा हो, तो (साझेदारों में से) पीछे बचे (पुरुष) को चिट्ठा पत्र (व्यवस्था-पत्र (letter of administration) दिया जाता है।

यतः पृक्थनं दातुं जनो रुक्पत्रतोऽक्षमः।
रुक्पत्राऽधिकृतोऽतो नो तस्याऽधिकृतिमर्हति ॥२३९५॥

क्योंकि पुरुष, इच्छा-पत्र के द्वारा, साझे के धन को नहीं दे सकता, इसलिए इच्छा-पत्र द्वारा अधिकृत (पुरुष executor) उस (साझे के धन) का अधिकार पाने योग्य नहीं होता।

प्रागासीदेष नियमो नव्येन नियमेन तु।
रुक्पत्रेऽधिकृतो यो यः कार्यसञ्चालकोऽथवा ॥२३९६॥
स स्यात्प्रतिनिधिर्नूनं मृतस्य न्यायसंमतः।
सर्वकार्येषु सर्वोऽर्थाऽधिकारी चाऽपि तस्य सः ॥२३९७॥

यह (उपर्युक्त) नियम पहले था। परन्तु नये कानून से, जो इच्छा-पत्र द्वारा अधिकृत (executor) किया गया हो या जो कार्य चलानेवाला (administrator) हो, वह मृत (इच्छापत्र करनेवाले) का निश्चय ही सब कामों में न्याय से माना हुआ प्रतिनिधि (legal representative) हो सकता है और वह उस (मृत-पुरुष) के सब धन पर अधिकार रखनेवाला भी होता है।

रुक्पत्राधिकृतः शक्तः पत्रकृन्मरणान्तरम्।
तद्धनं तु निजायत्तमुपयोक्तुं यथोचितम् ॥२३९८॥

इच्छा-पत्र द्वारा अधिकृत (पुरुष) (executor) इच्छापत्र करने वाले के मरने पर अपने अधीन रहे उसके धन को उचित उपयोग में ला सकता (dispose of कर सकता) है।

स्थिरेऽर्थे पालयेत्सोऽत्र नियमान् रुचिपत्रगान्।
रुचिपत्रप्रमाणं वा प्राप्नुयात् प्राड्विवाकतः ॥२३९९॥
तद्धनस्य यथौचित्यविनियोगाज्ञया सह।
अपालयन् विधामेतां जनो दोषी भवेद् ध्रुवम् ॥२४००॥

वह (executor) स्थिर धन (immovable property) के विषय में इच्छापत्र में रहे नियमों का पालन करे, या न्यायाधीश से उस धन के उचित रूप से उपयोग (dispose) करने की आज्ञा के साथ ही इच्छापत्र का प्रमाण (probate) प्राप्त करे। पुरुष इस विधि को नहीं पालता हुआ अवश्य ही दोषी होता है।

कार्यसंचालकश्चाऽपि स्वायत्तां मृतसंपदम्।
यथाऽवश्यं तु विक्रेतुं दातुं वा व्ययितुं क्षमः ॥२४०१॥

कार्य चलानेवाला (administrator) भी, अपने अधीन रही, मरे हुए की संपत्ति को मौके के अनुसार बेचने, देने या खर्च (dispose of) करने में समर्थ होता है।

साचेत्स्थिरा न शक्तः स आधीकारेऽथ विक्रये।
उपहारे विनिमयेऽन्यसात्कारे व्ययेऽर्पणे ॥२४०२॥
पश्चाऽधिकाऽब्दभोगाय मूल्यादानपुरस्सरम्।
चेत्तेनाऽधिगता नाज्ञा न्यायाऽधीशस्य तस्य च ॥२४०३॥
व्यवस्थायाः कृते पत्रं येन दत्तं भवेत्पुरा।
एनां विधानसरणीमतिक्रम्याऽत्र दुष्यति ॥२४०४॥

यदि वह संपत्ति स्थिर (immovable) हो और यदि उसने उस न्यायाधीश की, जिसने पहले व्यवस्थापत्र (letter of administration) दिया हो आज्ञा प्राप्त न करली हो, तो वह (executor) गिरवी रखने, बेचने, उपहार में देने, बदलने, दूसरे के अधीन करने, खर्च करने या मूल्य लेकर पाँच वर्ष से अधिक तक भोगने के लिए (lease पर) देने में समर्थ नहीं होता।

मृतिपत्रे तु तत्कर्तुराशयः प्रमुखो मतः।
स शब्दैस्तद्गतैर्ज्ञेयः परिस्थित्या च पण्डितैः ॥२४०५॥
कर्तुर्मतं तथालोच्यं संपत्तेः क्रमसंक्रमे।
तस्य जातिगता रीतिरपि चिन्त्याऽर्थनिर्णये ॥२४०६॥

मृतिपत्र (will) में उसके करनेवाले का आशय (intention) मुख्य माना है। विद्वानों को वह (आशय) उस (मृतिपत्र) में के शब्दों से और परिस्थिति (surrounding circumstance) से जानना चाहिए। साथ ही संपत्ति के निर्णय में संपत्ति के क्रम से दूसरे के मिलने के विषय में (मृतिपत्र) कर्ता का मत (धार्मिक मत) और उसकी जाति का रिवाज भी विचार में ले लेना चाहिए।

२० उपहारलेखेच्छापत्रयोः समाना नियमाः।

उपहार-लेख और इच्छापत्र के समान नियम।

आर्यो दायकृतौ शक्त आजीवं स्वजनाय वा।
आजीवमानुपूर्व्येण स्वजनेभ्योऽथ कस्यचित् ॥२४०७॥
निश्चिताऽप्यधिभुक्त्यर्थं, चेद् ग्रहीता न्यायतः क्षमः।
इच्छपत्रलेखपत्राभ्यां दत्ताऽर्थस्य प्रतिग्रहे ॥२४०८॥

यदि पानेवाला इच्छापत्र या लेखपत्र (उपहार) के द्वारा दी गई संपत्ति के लेने में कानून से समर्थ हो, तो आर्य (हिन्दू) अपने कुटुम्बी से जीवन पर्यन्त के लिए या एक के बाद दूसरे कुटुम्बियों के जीवन पर्यन्त के लिए अथवा किसी के

निश्चित अवधि तक भोग के लिए दाय (life estate, successive life estate या estate for limited term) करने में समर्थ होता है ।

पुनः स संपदो भागमपि निश्चेतुमीश्वरः ।
असद्भ्यः किन्तु संदातुमसमर्थोऽभवत्पुरा॥२४०६॥

फिर वह उन (पानेवालों) के लिए संपत्ति का हिस्सा भी निश्चित कर सकता है। परन्तु (वह) पहले अविद्यमान को देने मे असमर्थ था ।

नव्यप्रकारकं दायं कर्तुं वा न्यायसंगतम्
दायक्रमं व्यत्यसितुं स्वेच्छापूर्त्यै जनोऽक्षमः ॥२४१०॥

पुरुष अपनी इच्छा को पूरी करने के लिये नवीन प्रकार का दाय (estate) करने में या कानून से मान्य दायक्रम (line of succession allowed by law) को उलटने में समर्थ नहीं होता ।

उत्तराऽधिकृतिर्नैव व्यक्तिगेच्छाऽवलम्बिता ।
विधानाऽनुगता साऽस्ति जातिरीत्याऽनुगाऽथवा॥२४११॥

(क्योंकि) उत्तराधिकृति (inheritance) एक व्यक्ति की इच्छा के आधार पर नहीं है, वह (तो) कानून के अनुसार या जाति के रिवाज (recognized custom) के अनुसार है ।

यथा क्षमो भवेदार्य उपहर्तुं स्वलेखतः ।
दातुं स्वपत्रतो वाऽर्थमनुत्पन्नाय निश्चितम् ॥२४१२॥
तत्तु पूर्वं समाख्यातं विबोधाय विपश्चिताम् ।
तद्गताश्चाऽन्यनियमा वक्ष्यन्तेऽत्र विधानतः ॥२४१३॥

आर्य (हिन्दू) जिस रीति से (उस समय तक) नहीं उत्पन्न हुए (पुरुष) के लिए धन को अपने लेख (deed) से उपहृत कर सकता या इच्छा-पत्र से दे सकता है, वह विद्वानों के जानने के लिए, पहले (क्रमशः श्लोक २२७० से २२६७ तक और श्लोक २३७० से २३८० तक) कह दी है । यहा पर (अब) कानून में से उसमें के (कुछ) दूसरे नियम कहे जायेंगे ।

नवत्रिनवचन्द्राऽब्दे कर्तुं विभवमन्यसात् ।
विधिर्यः स्वीकृतस्तस्य द्वितीयाऽध्यायगा नयाः ॥२४१४॥
आर्येषु प्राक् प्रयोगाऽर्हा नासन् किन्तु ततः कृताः ।
षडष्टनवचन्द्राऽब्दे संशोध्यैनं यथाविधि ॥२४१५॥

विक्रम संवत् १६३६ (ई० सं० १८८२) में धन को दूसरे के अधिकार में करने के लिए जो कानून (The Transfer Of Property Act) स्वीकार किया गया था, उसके दूसरे अध्याय (Chapter II) में के नियम पहले हिन्दुओं में प्रयोग होने लायक नहीं थे, परन्तु उसके बाद, वि० संवत् १६८६ (ई० सं० १६२६

की मृत्यु के समय जीवित अनेक पुरुषों के या एक पुरुष के जीवन पर्यन्त तथा उस मृति-पत्र को करनेवाले की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुए उस धन के हकदार बालक की नाबालिगी पर्यन्त रोक लिया गया हो, (वहां) दाय के धन का देना अमान्य होगा। (उदाहरण—श्लोक २४२३ और २४२४ की टीका में दिया जा चुका है।)

रिक्तदाने विधिर्योऽसौ कथितो न्यायसंमतः।
न्यासेऽसर्वजनीनेऽपि स एवाऽत्र मतो बुधैः ॥२४२७॥

इच्छापत्र—द्वारा धन देने (bequeathing) में जो यह न्याय संमत विधि (श्लोक २४२५–२४२६ में) कही है, वही विद्वानों ने, यहां पर, खानगी निधि (private trust) में भी मानी है।

रुक्पत्रे यत्र वित्तस्य दानं त्यक्त्वा विनिश्चिता।
पारम्पर्येण वंश्यार्था तद्धृद्धेरुपभोगिता ॥२४२८॥
तत्पत्रं निष्फलं, तस्मात्तद्वित्तमिह गच्छति।
साधारण्येन तद्वित्ताऽधिपदायहरान्ध्रुवम् ॥२४२९॥

जहां पर इच्छा-पत्र (will) में धन के दान को छोड़कर उस (धन) की आमदनी के उपभोग को परम्परा से (एक के बाद दूसरे) वंशजों के लिए निश्चय किया हो, वह पत्र निष्फल होता है। इसलिए यहां पर, वह धन साधारण तौर से निश्चय ही उस धन के मालिक के हकदारों को मिलता है। (अर्थात्—इस प्रकार अपने—धन का स्थायी कोष (perpetuity) बनाना न्याय से अमान्य है।)

धर्माऽर्थमथ दानाऽर्थं वृत्तेर्दानाय यो निधिः।
तत्र स्याच्छाश्वतो न्यासः स्मृतिशास्त्राऽनुमोदितः ॥२४३०॥

धर्म के या दान के लिए वृत्ति देने को जो निधि (religious and charitable endowment) हो, वहां पर (उसमें) स्मृतिशास्त्रों में माना हुआ हमेशा का निधि (perpetual trust) भी हो सकता है।

उपहारीकृतं वा स्याद्दत्तं रुक्पत्रतो धनम्।
कस्मैचिज्जनवर्गाय तत्र ये स्युरसंमताः ॥२४३१॥
प्रागुक्तनियमाभ्यां हि त एव स्युर्बहिष्कृताः।
तदर्थप्राप्तितोऽन्ये तु तद्धने भागिनो ध्रुवम् ॥२४३२॥

जहां पर धन किसी जनों की श्रेणी (class of persons) के लिए उपहार (gift) किया गया हो या इच्छापत्र द्वारा (bequest) में दिया गया हो, वहां पर जो (लोग) पहले (श्लोक २४२० से २४२६ तक) कहे दोनों नियमों से अमान्य हों, वे ही उस धन को पाने से बहिष्कृत (वञ्चित) होंगे (धन नहीं पायेंगे), परन्तु दूसरे (बाकी के) निश्चय ही उस धन में हिस्सेदार होंगे (धन पायेंगे)।

रुक्पत्रकर्तुरन्ते यो रुक्पत्राऽधिकृतो जनः
वर्तमानो भवेत्तस्य ते सुता अधिकारिणः ॥२४३३॥
पित्रन्तेऽष्टादशाऽब्दाऽन्तं ये वयःस्थाः क्षमास्तथा ।
इच्छापत्राऽनुसारेण दत्ताऽर्थस्य परिग्रहे ॥२४३४॥

इच्छापत्र करने वाले की मृत्यु पर जो इच्छापत्र के द्वारा अधिकार पानेवाला पुरुष विद्यमान हो, उसके वे पुत्र अधिकारी होंगे, जो (अपने) पिता के बाद १८ वर्ष तक बालिग और इच्छापत्र के अनुसार दिये हुए धनके ग्रहण करने में समर्थ हो जायँगे।

पूर्वोक्तैर्नियमैर्यत्राऽफले पूर्वाऽधिकारिणे ।
रिक्तदानोपदे तत्र तदन्त्यायाऽपि निष्फले ॥२४३५॥

जहां पहले (श्लोक २४२० से २४२६ तक में) कहे नियमों से इच्छापत्रद्वारा दिया दान और उपहार पहले अधिकारी के लिए निष्फल हों, वहां (वे) उसके बाद के (अधिकारी के) लिए भी निष्फल होते हैं।

विकल्पेन कृते यत्र स्वतन्त्रउपहारके ।
रुक्पत्रलेखे चैकस्तु प्रयोगसमये भवेत् ॥२४३६॥
मान्योऽन्यश्चाऽफलस्तत्र मान्य एव प्रयुज्यते ।
नाऽन्यो यतः स नियमैर्विरुद्धत्वाद् न गृह्यते ॥२४३७॥

जहां पर स्वतन्त्र (indipendent) उपहार (gift) या इच्छापत्र के लेख के विकल्प (alternative) रूप से करने पर उनके प्रयोग के समय (विकल्प में का) एक मान्य और दूसरा अमान्य हो, वहां पर मान्य का ही प्रयोग होता है। दूसरे (अमान्य) का नहीं, क्योंकि वह नियमों से विरुद्ध होने से ग्रहण नहीं किया जाता।

रिक्थांऽशं कुटुम्बिभ्योऽन्यं धर्मायाऽर्पयेज्जनः ।
रुक्पत्रकृत्, परं तत्राऽयोग्याः कतिपये जनाः ॥२४३८॥
कुटुम्बिषु तदर्थानौ तदा वै धर्मसात्कृतः ।
भागो मान्यः स्वतन्त्रत्वात्पूर्वाऽपेक्षाविवर्जितः ॥२४३९॥

(जहां) इच्छापत्र करनेवाला पुरुष दाय-धन का एक भाग कुटुम्बियों को और दूसरा (भाग) धर्म के लिए दे, परन्तु वहां पर कुटुम्बियों में से कुछ पुरुष उस धन के पाने में अयोग्य हों, तो पहले की अपेक्षा (परवाह) न करनेवाला धर्म के लिए दिया भाग स्वतन्त्र होने से मान्य होगा।

पूर्णं ससमयं स्वाम्यं दद्याद् रुक्पत्रतो जनः ।
स्वाऽर्थे यत्परकालीनघटनातोऽफलं भवेत् ॥२४४०॥

घटना सा तु सद्यस्का स्यात्ततुर्जीवितो मृतौ ।
तद्दानं चाऽङ्कनाकाले कर्त्रन्ते वा सते भवेत् ॥२४४१॥

इच्छापत्र करनेवाला, इच्छापत्रद्वारा, अपने धन पर शर्त के साथ पूरा अधिकार दे सकता है, जो आगे होनेवाली (किसी खास) घटना से निष्फल हो सके । परन्तु वह घटना (धन) लेनेवाले जीवित (पुरुष) की मृत्यु पर उसी समय की हो और वह दान इच्छापत्र करने के समय या उसके कर्ता की मृत्यु के समय विद्यमान (पुरुष) के लिए दिया गया हो । (अर्थात्–'क' ने अपना धन इच्छापत्र द्वारा अपने चार पुत्रों को दे दिया हो और उसमें यह शर्त रक्खी हो कि जो पुत्र अपने पीछे अपना पुत्र या पौत्र छोड़े बिना मर जायगा, उसका धन उसके दूसरे भाई या उनके पुत्र बाँट लेंगे । अब यदि इच्छापत्र करनेवाले के पीछे उसका एक पुत्र केवल अपनी विधवा स्त्री को छोड़कर ही मरजाय तो उसके निष्पुत्र और निष्पौत्र होने से उसका धन उसकी विधवा को न मिलकर उसके भाइयों को और उनके अभाव में उनके पुत्रों को मिलेगा । परन्तु यदि उसके पुत्र होता, तो वह (भी) अपने को मिले धन के भाग का पूर्ण स्वामी हो जाता ।)

यत्र प्रभाव्यते दानं प्रागुक्तैर्नियमैस्त्रिभिः ।
तत्राऽजाताय पुंसेऽपि धनं दातुं जनः क्षमः ॥२४४२॥

(परन्तु) जहा पर दान पहले (श्लोक २२७५ से २२८० और २३०३ से २३८० में) कहे तीन नियमों से प्रभावित होता है, वहां परमनुष्य नहीं पैदा हुए पुरुष के लिए भी धन दे सकता है । (यदि कोई पुरुष अपने दाय की एक योजना (settlement) करके उसमें का कुछ धन अपनी कन्या को पूर्णरूप से दे दे, परन्तु उसमें यह शर्त लगादे कि यदि उसकी पुरुष-सन्तान की परम्परा समाप्त हो जायगी तो, वह धन उस (देनेवाले) के अपने हकदारों को वापस मिल जायगा । यहां पर वह घटना उस कन्या (अर्थात्–धन लेनेवाले जीवित व्यक्ति) की मृत्यु पर तत्काल न होकर उसके बाद किसी समय हो सकती है । अतः ऐसे स्थान पर धन वापस देनेवाले के हकदारों को नहीं मिल सकता ।)

एकपड्नवचन्द्राऽब्दे वङ्गे यः स्वीकृतो विधिः ।
तदधीना हि विज्ञेया वङ्गीया रिक्थयोजना ॥२४४३॥

विक्रम संवत्–१९६१ (ई० सं० १९०४) में (इस संबन्ध का) जो कानून (The Bengal Settled Estate Act) स्वीकृत किया गया था, बंगाल की भूसम्पत्ति आदि द्वारा दिये जानेवाले धन की योजना (settled estate) बनाना उसके अधीन जाननी चाहिए ।

अयशिष्टोपहरणं दानं कस्यचनतोऽथवा ।
दातुर्मृत्यौ सतोऽन्तोऽत्र सद्यः स्याद्यत्तमभावकृत् ॥२४४४॥

दत्ते तद्दानकाले ते विद्यमानाय वा पुनः।
तद्दातुर्मृत्युकाले वा सते मान्ये तदा मते ॥२४४५॥
किन्तु पूर्वोक्तनियमत्रितयेन प्रभाविते।
ते उभे दातुमीशः स्यादसतेऽप्यर्पको ध्रुवम् ॥२४४६॥

बचे हुए (धन) (remainder) का उपहार में देना अथवा इच्छापत्र के द्वारा देना यदि यहां पर देनेवाले की मृत्यु पर विद्यमान (पुरुष) के मरते ही प्रभाव डालनेवाला (effective) हो, या वे दोनों (उपहार और इच्छापत्र द्वारा दिया दान) उनके देने के समय विद्यमान (व्यक्ति) को दिये गये हों, या फिर उस (दान) के देनेवाले की मृत्यु-समय विद्यमान (व्यक्ति) को दिये गये हों, तो मान्य माने गये हैं। परन्तु पहले (श्लोक २२७५ से २२८० और २३७५ से २३८० में) कहे तीन नियमों से प्रभावित (अर्थात्-जहां उपहार या इच्छापत्र-कृत दान उन नियमों के अनुसार हो वहां) उन दोनों को देनेवाला निश्चय पूर्वक (उपर्युक्त दोनों समयों में) अविद्यमान व्यक्ति को भी दे सकता है। (अर्थात्-यदि किसी ने अपना धन पहले 'क' को, उसके जीवन पर्यन्त के लिए, इस शर्त पर दिया हो कि 'क' के मरने पर वह धन 'ख' को मिलेगा। ऐसी अवस्था में यदि 'क' और 'ख' दोनों दान देने के समय या देनेवाले की मृत्यु के समय विद्यमान हों, तो 'क' के बाद बचा हुआ धन 'ख' ले सकेगा। परन्तु यदि वह दान या उपहार पूर्वोक्त तीन नियमों में आता होगा, तो उक्त दोनों समयों पर अविद्यमान व्यक्ति भी उन्हें ले सकेगा।)

न्यासास्तु स्मृतिशास्त्रेषु लभ्यन्ते पूर्वकालतः।
किन्तु ते हितकृद् न्याय्यकार्येभ्यः केवलं मताः ॥२४४७॥

न्यास (trust) तो स्मृतिशास्त्रों में पूर्व समय से ही मिलते हैं, परन्तु वे केवल हितकारी न्यायानुमोदित कार्यों (beneficiary interests recognized by the law) के लिए ही माने गये हैं।

अतो यत्र ग्रहीता स्यादयोग्यो न्यायतोऽथवा।
तस्मै प्रदत्तो दायो नो आर्यन्यायाऽनुमोदितः ॥२४४८॥
तत्र न्यासेन तद्दानममान्यं संमतं बुधैः।
यतो यदुपहारेण मृतिपत्रेण वा पुनः ॥२४४९॥
साक्षात्येन त्वदेयं स्याद् न्यासेनाऽधिकृतस्य हि।
माध्यस्थ्येनाऽप्यदेयं, यद् न्यायेनेह यं न संमतम् ॥२४५०॥

इसलिए जहां लेनेवाला कानून से अयोग्य (अनधिकारी) हो या उसको दिया हुआ दाय (estate) आर्य (हिन्दुओं के) न्याय द्वारा अनुमोदित न हो, वहां पर न्यास (trust) द्वारा वह दान विद्वानों ने अमान्य माना है। इसलिए

जो सीधी तौर से उपहार या मृति-पत्र के द्वारा नहीं दिया जाने लायक है, वह न्यास में अधिकृत (trustee) की मध्यस्थता (intervention) से भी नहीं देने लायक ही रहता है, क्योंकि न्याय में कुटिलता नहीं मानी गई है।

(उपहार के लिए देखो श्लोक २२४१ से २२५८ और २२७० से २२९६ तथा इच्छापत्र के लिए २३२५ से २३६० और २३६५ से २३८० ।)

करोति यत्र लेखेन मृत्युपत्रेण वा जनः ।
कस्मैचिद् निजवित्तस्य पूर्णस्वाम्यार्पणार्थिकाम् ॥२४५१॥
व्यवस्थां, तत्र तत्पश्चात् प्रयुक्तं तन्नियन्त्रकम् ।
यद् वाक्यं तदमान्यं स्यादप्रयुक्तमिव ध्रुवम् ॥२४५२॥

जहाँ पर पुरुष उपहार के लेख (deed) से या मृत्यु-पत्र से किसी को धन का पूरा स्वामित्व देने के लिए व्यवस्था करता है, वहाँ पर जो पीछे से प्रयुक्त किया उस (अधिकार) का नियन्त्रक (उसमें रुकावट डालने वाला) वाक्य हो, वह निश्चय ही (उस पत्र में) अप्रयुक्त की तरह अमान्य होता है।

यत्र पूर्णतया दत्तं कस्मैचित्स्वधनं परम् ।
दानलेखोऽथ दृक्लेखस्तदर्थं कृत आदिशेत् ॥२४५३॥
अविनाश्यत्वमर्थस्याऽविभाज्यत्वं तथा पुनः ।
उपभोगोपयोगौ च तस्य निर्दिष्टरीतितः ॥२४५४॥
तत्रादेशा अमी त्याज्यास्तांस्तथाऽलिखितानिव ।
मत्वैव तद्ग्रहीताऽर्थपूर्णस्वाम्यं निषेवते ॥२४५५॥

जहाँ पर किसी को अपना धन पूरी तौर से दे दिया हो, परन्तु उसके लिए किया (उपहार के) दान का लेख या इच्छापत्र का लेख उस धन के (नाश करने alienation) के लायक न होने या बाँटने लायक न होने का, या फिर उस (धन) का उपभोग (enjoyment) और उपयोग (application) बतलाये हुए तरीके (particular manner) से करने का आदेश देता हो, तो वहाँ पर इन आदेशों को छोड़ देना चाहिए और उन (आदेशों) को (उन पत्रों में) नहीं लिखा मान कर ही उस (धन) का लेनेवाला धन का पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता है। (अर्थात्-वह उसे इच्छानुसार खर्च कर सकता है।) (देखो श्लोक २२८७ से २२९८ तक)

यत्राऽर्थस्योपहारेण दृक्पत्रेणाऽथवाऽर्पितम् ।
पूर्णस्वाम्यं परं दानलेखे स्याद् नियमः कृतः ॥२४५६॥
यत्र देयावयःस्थाय ग्रहीत्रेऽप्यशिताऽस्य तु ।
तावद् यावद् वयःप्राप्त्याऽनन्तरो नियतोऽवधिः ॥२४५७॥

न व्येति, तत्र नो मान्यो वयःप्राप्त्युत्तरोऽवधिः।
वयः प्राप्तौ ग्रहीताऽतस्तदर्थग्रहणे क्षमः ॥२४५८॥
किन्तु यत्रतदर्थाऽऽयोऽवधौ तस्मिन् समर्पितः।
अन्यस्यार्थं तत्र मान्यः स्यादवधिस्तु तदुत्तरः ॥२४५६॥

जहां पर उपहार में देने के द्वारा या इच्छापत्र के द्वारा धन का पूरा अधिकार दिया हो, परन्तु दान के लेख में नियम कर दिया हो कि इस (धन) का अधिकार तब तक बालिग लेनेवाले को भी नहीं देना चाहिए, जब तक नियत किया हुआ बालिग होने के बाद का अवधि न बीत जाय, वहां पर बालिग होने के बाद का अवधि नहीं मानना चाहिए। इसलिए बालिग होने पर लेनेवाला उस धन को लेने में समर्थ होता है। परन्तु जहां पर उस (पूर्वोक्त) धन की आमदनी उस (नियत की हुई) अवधि में दूसरे के लिए दे दी हो, वहां पर उसके (बालिग होने के) बाद की अवधि भी मान्य होती है।। (अर्थात्–ऐसी अवस्था में उस अवधि पर्यन्त धन की आय दूसरे को मिलती रहने से धन का पानेवाला बालिग होजाने पर भी उस समय की समाप्ति के पूर्व धन नहीं पा सकता।)

अर्थाऽऽयोपहृतिर्यत्र कृता किन्तु न निश्चिता।
आजीवमायभाजां तत्स्थितिर्वा तदनन्तरम् ॥२४६०॥
उत्तराऽधिकृतेनैव विनिर्णीता परम्परा।
तत्रोपहारः संपूर्णस्वाम्यो ज्ञेयः सुनिश्चितम् ॥२४६१॥

जहां पर धन की आमदनी तो उपहार में दी हो परन्तु आमदनी लेनेवालों की आयुपर्यन्त के लिए उस (धन) की स्थिति (but the estate given is not in terms limited to the lives of the benificiaries) का निर्णय नहीं किया हो अथवा उनके बाद (उनके) उत्तराधिकारियों की परम्परा का निर्णय नहीं किया हो वहां पर उपहार निश्चय ही संपूर्ण अधिकारवाला (as an absolute gift) जानना चाहिए।

यत्रोपहारे ह्यशुचिः समयः स्यान्नियोजितः।
तत्रोपहारो मान्यः स्यादमान्यः समयस्तु सः ॥२४६२॥

जहां पर उपहार में अपवित्र (immoral) शर्त लगादी गई हो, वहां पर उपहार मान्य होता है, परन्तु वह शर्त अमान्य होती है।

परसात्करणेऽर्थस्य तदायप्रचयाय च।
आयभागप्रचित्यै वा समयः क्रियते, परम् ॥२४६३॥
स कालः परसात्कर्तुर्दीर्घः स्यादायुषोऽथवा।
अष्टादशाब्दतो दीर्घतरोऽमान्यस्तदाऽवधिः ॥२४६४॥

मान्य आदातृजीवं वा दानादष्टादशाऽब्दिकः।
अतः परं च मूलायावुपयोज्यौ मतौ बुधैः ॥२४६५॥

और धन के दूसरे के अधिकार मे (transfer) करने में उस (धन) की आमदनी को जमा करने या आमदनी के एक भाग को जमा करने के लिए शर्त करदी जाय, परन्तु वह (आमदनी के जमा करने का) समय दूसरे के अधिकार में देनेवाले (transferor) की आयु से लंबा हो या अठारह वर्ष से लंबा हो, तो अमान्य होता है तथा देनेवाले के जीवन पर्यन्त का या उपहार देने से अठारह वर्ष तक का अवधि मान्य होता है और इसके बाद विद्वानों ने मूल (धन) और (उसकी) आमदनी को उपयोग में लाने योग्य माना है।

स्वपत्रेप्यत्र वित्तस्याऽशेषाऽऽयप्रचयाय चेत्।
तद्भागप्रचयायाऽथ तद्दातुर्मरणोत्तरम् ॥२४६६॥
अष्टादशाऽब्दादधिककालं तु समयो भवेत्।
अष्टादशाऽब्दमेव स्यात्तर्हि मान्यः स निश्चितम् ॥२४६७॥
मन्यते स तदन्ते चाऽसमाप्तोऽपि समाप्तवत्।
मूलायावुपयुज्येते अतोऽत्र तदनन्तरम् ॥२४६८॥

यहां पर इच्छापत्र में भी यदि धन की (सारी) आमदनी के जमा करने के लिए या उसके एक भाग के जमा करने के लिए उस (धन) के देनेवाले की मृत्यु के बाद अठारह वर्ष से अधिक तक की शर्त हो, तो वह (शर्त) निश्चय ही अठारह वर्ष तक की मानी जाती है और उसके बाद वह (शर्त) नहीं पूरी होने पर भी पूरी हुई के समान समझी जाती है। इसलिए यहां पर उसके बाद मूल और (उसकी) आमदनी काम में ले ली जाती है।

परन्त्वत्र ऋणोद्धृत्यायुपहर्तुस्तथा पुनः।
दातुः स्वपत्रतो वाऽन्यदत्तभागहृतस्तथा ॥२४६९॥
बालभागकृते दातुरन्यस्वार्थधरस्य वा।
तयोः कालाऽन्तरे भावी सुतभोगकृतेऽथवा ॥२४७०॥
परस्मात्कृतवित्तस्य धृत्य संरक्षणाय वा।
कृतो दीर्घतरोऽप्यत्राऽवधिः पूर्वविनिश्चितात् ॥२४७१॥
अवधेर्मान्य एव स्यात् किन्तु प्रागुक्तपत्रयोः।
एतेषां तु समुल्लेखो नूनं कार्यो यथोचितम् ॥२४७२॥

परन्तु यहां पर उपहार देनेवाले के या फिर इच्छापत्र से देनेवाले के अथवा (उस) दिये हुए में भाग लेनेवाले (interested) (किसी) दूसरे के कर्ज के चुकाने के लिए किया तथा उक्त धन को (उपहार या इच्छापत्र से) देनेवाले के या (उस धन में) स्वार्थ (interest) रखनेवाले (किसी) अन्य के बच्चों के भाग के

लिए अथवा उन दोनों (देनेवाले और स्वार्थ रखनेवाले) के आगे किसी समय होने वाले पुत्रों (remoter issues) के भोग के लिए किया अथवा दूसरे के अधीन (transfer) किये धन के धारण करने (maintenance) के लिए या रक्षा (preservation) के लिए किया-पहले निश्चत किए अवधि से लंबा (अर्थात्-दाता की आयु से अधिक लंबा या दान के समय से अथवा दाता की मृत्यु के समय से अठारह वर्ष से अधिक का) अवधि भी मान्य ही होता है। परन्तु पहले कहे दोनों पत्रों (उपहारपत्र या इच्छापत्र) में आवश्यकता के अनुसार इनका उल्लेख अवश्य ही कर देना चाहिए।

ऋणोद्धाराय वा बालभागकल्पनहेतवे।
नियमौ यौ समाख्यातौ तावत्राऽङ्गीकृतौ यतः ॥२४७३॥
सप्ताऽष्टनवशीतांऽशुमितविक्रमवत्सरे।
चैत्रमासे सिते पक्षे द्वितीयायां तिथौ कुजे ॥२४७४॥
अतस्तत्पूर्वदत्ताऽर्थे स्मृत्युक्तनियमो मतः।
तत्रायप्रचये नूनं मान्यत्वं मन्यते बुधैः ॥२४७५॥
दातुर्लक्ष्यस्य शुद्धत्वाद् न्याय्यत्वाऽद्थवा पुनः।
लोकाऽऽचाराऽविरुद्धत्वादेव नित्यमसंशयम् ॥२४७६॥

ऋण चुकाने या बालकों के लिए भाग नियत करने (preservation of portions for children) के लिए जो नियम (श्लोक २४६६ और २४७२ में) कहे गये हैं, वे क्योंकि यहां पर विक्रम सवत् १९८७ की चैत्र शुक्ला द्वितीया मंगलवार (१ अप्रेल १९३०) को (The Transfer of Property) (Amendment) Act 20 और The Transfer of Property (Amendment) Supplementary Act 21 को, जो कि १ अप्रेल १९३० से Indian Succession Act में जोड़ कर) स्वीकार किये गये थे, इस लिए उनके पहले दिये धन में स्मृतियों में कहा नियम माना है। यहां पर (स्मृतियों में) आमदनी के जमा करने के विषय में (उपर्युक्त नियमों की या धन की आय को इकट्ठी करने) की मान्यता को विद्वान् लोग निश्चय ही देनेवाले के आशय (object) की शुद्धता से, न्याय्यता (legalness) से या फिर लोक में प्रचलित व्यवहार के विरुद्ध न होने से ही, सदा निश्चित रूप से, मानते हैं।

आयाऽप्रचयसंबन्धे नियमा येऽत्र दर्शिताः।
धार्मिके वृत्तिदाने तु तेऽमान्या विबुधैर्मताः ॥२४७७॥

(धन की) आय के संग्रह करने के संबन्ध में जो नियम यहां दिखाये हैं, वे धर्म संबन्धी वृत्ति स्थापन (religious endowment) में तो विद्वानों ने अमान्य

माने हैं (अर्थात्–उक्त स्थानों पर आय के इकट्ठी करने की आज्ञा पर समय आदि की पाबन्दी का कोई निषेध नहीं है।)

इच्छापत्रकर्तुः पुत्रस्य विवाहस्य कृतेऽपि च।
वित्ताऽऽयाऽऽचयो मान्यः कर्त्रा यद्याङ्कितः स चेत् ॥२४७८॥

और इच्छापत्र करनेवाले के पुत्र के विवाह के लिए भी धन की आमदनी का जमा कराना मान्य होता है, यदि इच्छापत्र के करनेवाले ने उसका उल्लेख पत्र में कर दिया हो। (अर्थात्–इसके लिए भी धार्मिक वृत्ति के स्थापन के समान ही आय के संचय में कोई रोक नहीं है।)

अन्याज्ञाया अभावे तु याति मूलधनेन हि।
सार्धमेवात्र तस्यायसंग्रहः स्मृतिरीतितः ॥२४७९॥

अन्य किसी आज्ञा के (दान-पत्र में) न होने पर स्मृतियों में कही रीति से यहां पर मूल धन के साथ ही उसकी आमदनी का संग्रह (income accumulation) (भी) जाता है। (अर्थात्–जो मूल धन लेता है, वही उस संग्रह को भी लेता है।)

उपहारस्य लेखेन स्वपत्रेणाऽथवा क्षमः।
दातुमार्यजनस्तत्र नामोल्लेखनपूर्वकम् ॥२४८०॥
एकस्मै चाऽप्यनेकेभ्यः शक्तिमन्यनियुक्तये।
किन्तु प्रागुपदाकाले मृत्युपत्रकृतोऽथवा ॥२४८१॥
मृत्यौ साक्षात्सते न्यायभावनातोऽथवा क्रमात्।
दातुमासीत्समर्थः स नाऽसते तु कदाचन ॥२४८२॥
ततः स्वीकृत्य प्रागुक्तविधानत्रितयं बुधैः।
दातुं शक्यः कृतः सोऽत्र पूर्वोक्तविधिनाऽसते ॥२४८३॥

आर्य पुरुष (हिन्दू) उपहार के लेख से या इच्छापत्र के लेख से, उनमें नाम का उल्लेख करके एक को या अनेकों को (अपने पीछे) दूसरे की नियुक्ति के लिए अधिकार (power) दे सकता है। परन्तु (पूर्वोक्त १६१४, १६१६ और १६२१ के विधानों के स्वीकृत होने के) पहले उपहार देने के समय या मृत्युपत्र करनेवाले की मृत्युपर साक्षात्-रूप से (actually) विद्यमान या कानून की भावना (contemplation of law) से विद्यमान के लिए ही क्रम से (अर्थात्–उपहार-दान में उक्त दान के समय और मृत्युपत्र में कर्ता की मृत्यु के समय विद्यमान को ही) देने को समर्थ था। अविद्यमान को कभी नहीं दे सकता था। उसके बाद विद्वानों ने पहले कहे तीन नियमों (कानूनों) को स्वीकार करके यहां पर उसे अविद्यमान

के लिए (भी) पहले (श्लोक २४१२ से २४३५ तक में) कही विधि से देने में समर्थ कर दिया है।

लेखाप्राऽधिकृतिर्यत्रैकाऽधिकान् विनियोजयेत्।
तत्रैकः स्यादयोग्यो वाऽयोग्या एकाधिकास्तदा ॥२४८४॥
अयोग्या एव संत्याज्या योग्या ये न्यायतः पुनः।
ते सर्वे भागभाजः स्युर्विना बाधमसंशयम् ॥२४८५॥

जहां (पूर्वोक्त) लेख से अधिकार पाया हुआ पुरुष एक से अधिक जनों को (अपने पीछे) नियुक्त करे (और) वहां पर एक पुरुष अयोग्य हो या एक से अधिक अयोग्य हों, तो अयोग्य पुरुषों को ही छोड़ देना चाहिए। फिर जो पुरुष न्याय (कानून) से योग्य हों, वे सब विना बाधा के निश्चित रूप से भाग पाते हैं।

प्राच्यपाश्चात्ययोर्भिन्ना विचारसरणिर्यतः।
अतः प्राच्येषु पाश्चात्या नियमा ननु वर्जिताः ॥२४८६॥

क्योंकि पूर्व और पश्चिमवालों के विचार का तरीका भिन्न है, इसलिए पूर्ववालों में निश्चय ही पश्चिम के नियम (तरीके) वर्जित हैं।

यत्रोपहारो रुक्पत्रदानं वा दीयते ध्रुवम्।
एकाऽधिकेभ्यस्तत्र स्याद् विचारोऽधिकृतेः कृते ॥२४८७॥
यत्तदर्थग्रहीतारः पृक्ता वा सहभागिनः।
सहभागिषु सामान्याः संहता वांऽशिनः पुनः ॥२४८८॥

जहां पर उपहार या इच्छापत्र-द्वारा दिया दान निश्चय ही एक से अधिक जनों को दिया जाता है, वहां पर अधिकार के लिए विचार होता है, कि उस धन को लेनेवाले साझेदार (coparceners) हैं या साथ-साथ लेनेवाले (tenants) हैं। फिर साथ हिस्सा लेनेवालों में (भी) साधारण-सहभागी (tenants in common) हैं या मिले हुए साथ हिस्सा लेनेवाले (joint tenants) हैं।

संपृक्तया तु गृहीतेऽर्थे मृतौ पृक्तेषु कस्यचित्।
पृक्ताऽवशिष्टरीत्यैवाऽवशिष्टास्तत्र भागिनः ॥२४८९॥
पुंसन्तानाश्च पृक्तानां जन्मना स्युस्तदंशिनः।
पृक्ताऽर्थवत्तदर्थेऽपि निर्बाधं न्यायतः पुनः ॥२४९०॥

साझे के द्वारा धन के लेने पर साझेदारों में से किसी की मृत्यु होने के समय साझेदारों में बचा हुआ हकदार होता है-इस रीति से, उस धन में पीछे रहे (साझेदार ही) हिस्सेदार होते हैं, और फिर साझेदारों की पुरुष सन्तान साझे के धन की तरह ही उस धन में भी जन्म से (ही), कानूनन, विना रुकावट के, उनकी हिस्सेदार होती है।

मृते कस्मिन्नपि पुनः सामान्यसहभागिषु ।
तद्भागो याति दायादानानुपूर्व्येण तस्य तु ॥२४६१॥

फिर साधारणतया साथ लेनेवालों (tenants in common) में किसी के मरने पर उसका भाग उसके हकदारों (heirs) को यथाक्रम (by succession) से मिलता है ।

संहतेषु पुनस्तेषु तदर्थसहभागिषु ।
मृतस्वार्थः प्रयात्यत्राऽवशिष्टानेव निश्चितम् ॥२४६२॥

फिर उनके उस धन का मिले हुए साथ हिस्सा लेनेवाले (joint tenants) होने पर यहां मरे हुए का स्वार्थ (interest) निश्चय ही (साथवालों में से) पीछे बचे हुओं को मिलता है ।

यत्रोपहारतो वेच्छापत्रतोऽधिकृता जनाः ।
पृक्तास्तत्रैव प्रश्नः स्यात्पृक्तयाऽङ्गीकरणस्य तु ॥२४६३॥

जहां पर उपहार से या इच्छापत्र से अधिकारी बनाये हुए पुरुष साझेदार हों वहीं (धन के) साझेदारी से लेने का सवाल हो सकता है ।

विधानलब्धजन्मैव पृक्तिर्याऽत्र निश्चितम् ।
सा तु नो सृज्यते तस्मात्कर्मभिः सहकारिणाम् ॥२४६४॥

यहां पर साझेदारी को निश्चित-रूप से कानून से उत्पन्न हुई ही मानना चाहिए । इसलिए वह सहयोगियों (parties) के कामों (actions) से पैदा नहीं की जा सकती ।

यत्रोपहारो स्वपत्रदानं वा दीयते जनैः ।
एकाधिकेभ्योऽपृक्तेभ्योऽकृत्वैवांऽशविनिर्णयम् ॥२४६५॥
गृह्णन्ति तत्र ते भागं सामान्यसहयोगतः ।
न तु संहतियुक्तेन सहयोगेन कुत्रचित् ॥२४६६॥

जहां पर लोगों द्वारा उपहार (gift) या इच्छापत्र (will) से दिया जानेवाला दान, साझेदारों से भिन्न एक से अधिक पुरुषों को, हिस्सों का निर्णय किये बिना ही (without specification of shares) दिया जाता है, वहां पर वे हिस्से को साधारण सहयोग (tenants in common की रीति) से लेते हैं । मिले हुए सहयोग (joint tenants की रीति) से कहीं भी नहीं लेते ।

यत्रोपहारतो दत्तमिच्छापत्रेण वाऽथवा ।
धनमेकाऽधिकेभ्यस्तु पृक्तेभ्यः किन्तु नो पुनः ॥२४६७॥
संहत्या सहभागित्वं पृक्तत्वं वा प्रदर्शितम् ।
लेते तथाऽपि सामान्यसहयोगित्वतो प्रदः ॥२४६८॥

जहां पर धन एक से अधिक साझेदारों को उपहार से दिया हो या इच्छापत्र से दिया हो, परन्तु लेख में लिखावट से साथ-साथ लेना (joint tenant पन) या साझेदारी न दिखलाई हो, वहां पर भी साधारण-सहयोगिता (tenants in common पन) से (ही) (वह धन) लिया जाता है।

उपहारप्रदत्ते वा रुचिपत्रार्ऽपिते धने।
स्त्रीणां स्वाम्यमपूर्णं वा पूर्णमित्यत्र कथ्यते ॥२४९९॥

उपहार में दिये या इच्छापत्र से दिये धन में स्त्रियों का अधिकार अधूरा या पूरा होता है यह यहा पर कहा जाता है (बतलाया जाता है)।

मातरं तनयां भ्रातृतनयां भगिनीमुत।
अन्याः स्त्रीर्याति चेदर्थः कृत्स्नाऽधिकृतिदायतः ॥२५००॥
व्ययितुं ताः क्षमाः स्वैरं तर्हि तं नाऽपरं, परम्।
अभावे रुचिपत्रस्य तन्मृत्यौ प्रथमं धनम् ॥२५०१॥
स्त्रीधनेऽधिकृतांस्तासां याति किन्त्वपरं हि तत्।
धनदातुस्तु दायादान् प्रत्यायाति सुनिश्चितम् ॥२५०२॥

यदि मा, पुत्री, भतीजी, बहन या अन्य स्त्रियों को पूर्ण अधिकारवाले दाय के द्वारा (by an absolute estate of inheritance से) धन मिला हो, तो वे उसे अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकती हैं, परन्तु दूसरे (अपूर्ण अधिकार limited estate वाले) को नहीं। उनके मरने पर, इच्छापत्र के नहीं होने से, पहला (पूर्णाधिकार वाला) धन उनके स्त्री-धन (पाने) के अधिकारियों को मिलना है, परन्तु दूसरा (अपूर्णाधिकार वाला) वह (धन), निश्चय ही, धन देनेवाले के हकदारों के पास लौट आता है।

स्थावरं जङ्गमं वाऽपि धनं यत्रोपदीकृतम्।
पत्या पत्न्यै तु तत्राऽपि नियमोऽसौ मतो बुधैः ॥२५०३॥

जहां पर पति ने अचल या चल संपत्ति पत्नी को उपहार में दी हो, वहां पर भी विद्वानों ने यही नियम माना है। (अर्थात्–यदि संपत्ति पूरे अधिकार के साथ दी हो, तो उसके मरने पर वह उसके स्त्री-धन के हकदारों को मिलेगी और यदि अधूरे अधिकार के साथ दी हो, तो उस स्त्री के मरने पर उसके पति के हकदारों के पास लौट जायगी।

नियतस्याऽथ पूर्णस्य स्वाम्यस्य तु विनिर्णयः।
समयेनोपहारस्य विधेयोऽत्र मतो बुधैः ॥२५०४॥

विद्वानों ने नियमित (limited) या पूर्ण (absolute) अधिकार का निर्णय उपहार की शर्तें (term) से करना माना है।

मिताऽधिकारा आर्येषु पुंप्राप्तेऽर्थे स्त्रियो यतः ।
अतश्चेदुपदापत्रे रुचपत्रे वा न निश्चितम् ॥२५०५॥
स्त्रीभ्योदत्ते धने तासां पूर्णं स्वाम्यं तदा तु ताः ।
मिताऽधिकारा यत्रात्र मन्यन्ते विबुधैर्ध्रुवम् ॥२५०६॥

क्योंकि आर्यों (हिन्दुओं) में पुरुष से मिले धन में स्त्रियां नियमित (limited) अधिकारवाली होती हैं, इसलिए यदि उपहार-पत्र में या इच्छा-पत्र में स्त्रियों को दिये धन में उनका पूर्ण स्वाम्य निश्चित न किया हो, तो वे यहां पर विद्वानों द्वारा निश्चय ही नियमित (limited) अधिकारवाली ही मानी जाती हैं।

२१ धर्माऽर्थिकाया दानाऽर्थिकायाश्च वृत्तेः प्रतिष्ठापनम् ।

धर्म के लिए या दान के लिए वृत्ति का नियत करना ।

दातुं क्षमो भवेदार्यो वयस्थः स्वस्थमानसः ।
स्ववित्तमुपहारेण रुचिपत्रेण वाऽथवा ॥२५०७॥
धर्मकृत्यकृते वाऽथ दानकृत्यकृते पुनः ।
कृत्रिमाकृत्रिमत्वञ्च न्यासस्येत्थं कृतस्य तु ॥२५०८॥
दातुस्तदुत्तराणाञ्च तत्र भाव्यधिकारिणाम् ।
तदर्थस्योपयोगस्य रीत्यैव ज्ञायते ध्रुवम् ॥२५०९॥

बालिग और स्वस्थ मन (sound mind) वाला आर्य (हिन्दू) अपने धन को उपहार के द्वारा या इच्छापत्र के द्वारा, धर्म के कामों (religious endowments) के लिए या दान के कामों (charitable endowments) के लिए दे सकता है और इस प्रकार किये न्यास (endowment) का असली या नकली होना देनेवाले और उसके बाद उस (धन) के विषय में होनेवाले अधिकारियों के उस धन के उपयोग की रीति से ही निश्चय रूप से जाना जाता है।

चिकित्सालयदेवार्चाश्राद्धभोजनवृत्तयः ।
शिक्षाऽर्थं वृत्तयोऽथान्या ईदृशो न्यास हेतवः ॥२५१०॥

अस्पताल, देव-पूजन, श्राद्ध, भोजन (ब्राह्मण-भोजन या निर्धन-भोजन), के लिए वृत्तियां और शिक्षा के लिए वृत्तियां और इसी प्रकार की अन्य वृत्तियां इस (न्यास) में कारण होती हैं। (अर्थात्–यह न्यास ऐसे कामों के लिए ही होता है।)

उपहारोऽथ रुचपत्रदानं धर्मार्थमेव चेत् ।
तदाऽनिर्णीतकार्यत्वादुभयं स्यान्निरर्थकम् ॥२५११॥

यदि भेट या इच्छापत्र द्वारा दिया दान (केवल) धर्म के लिए ही हो (अर्थात्-किस प्रकार के धर्म के कार्य के लिए है, यह बात साफ तौर से न लिखी

हो), तो (धार्मिक) काम का निर्णय न हो नेसे (वे) दोनों (भेंट और इच्छा-पत्र से दान) निरर्थक (अमान्य) होते हैं।

न्यासस्य धार्मिकस्याऽत्र प्रबन्धो न्यायगेहगः।
यतस्तस्माद् विनिर्णेया धर्मकृत्याऽपि तत्र तु ॥२५१२॥

क्योंकि यहां पर धार्मिक न्यास (religious endowment) का प्रबन्ध न्यायालय के अधीन होता है, इसलिए वहां पर (धार्मिक न्यास में) धार्मिक कार्य का निर्णय भी कर देना चाहिए।

धर्माय धर्मशालायै संस्कृताऽध्ययनाय च।
कृतो न्यासोऽपि पूर्वस्याऽस्पष्टत्वात्स्यान्निरर्थकः ॥२५१३॥

धर्म के, धर्मशाला के और संस्कृत भाषा के पढने के लिए किया न्यास (endowment) भी पहले (धर्मकार्य) के साफ तौर से स्पष्ट न होने से निरर्थक हो जाता है।

उपहारेण यां दातुं रुचिपत्रेण वा क्षमः।
संपदं, तां जनो दातुं धर्मदानकृतेऽप्यलम् ॥२५१४॥

पुरुष जिस संपत्ति को उपहार या इच्छापत्र से दे सकता है, उसको धर्म और दान के (कामों के) लिए भी दे सकता है। (उपहार में देने के विषय में देखो श्लोक २२४२ से २२५८ तक और इच्छापत्र से देने के विषय में श्लोक २३१८ से २३५० तक)।

आवश्यकस्तु नो लेखो निक्षेपे धार्मिके परम्।
रुक्पत्रेण कृते तस्मिन् रुक्पत्रं लिखितं तथा ॥२५१५॥
द्वाभ्यां साक्षीकृतं मान्यं चेन्न्यासः स्यात्प्रभावितः।
नेत्राऽष्टनवचन्द्राऽब्दोत्तरस्वाम्यविधानतः ॥२५१६॥

धार्मिक निक्षेप (religious and charitable endowment) में लेख (करने) की आवश्यकता नहीं है। परन्तु उस (निक्षेप) (endowment) के इच्छापत्र के द्वारा किये होने पर, यदि यह निक्षेप विक्रम संवत् १९८२ (ई० सं० १९२५) के (The Indian Succession Act) कानून से शासित (governed) हो, तो लिखा हुआ और दो (जनों) से गवाही किया हुआ (witnessed) मान्य होता है। (उत्तराधिकार के कानून के लिए देखो श्लोक १२४६ से १२५४ तक)।

वाद्धं पेर्गणनालेख्यं तद्धद्धेस्तत्र चाङ्कनम्।
न्यायाऽनुमोदिते धर्म्ये न्यासे नाऽलं मतं बुधैः ॥२५१७॥

विद्वानों ने ब्याज-बट्टा करनेवाले (money lender) के हिसाब (account) का लेख (अर्थात्-उसमें रुपये का जमा करवाना) और उस (रुपये) के ब्याज का उस (हिसाब) में लिखवाना (Credit करवाना) कानून से माने धार्मिक न्यास (religious and charitable endowment) में पर्याप्त नहीं माना है। (अर्थात्-इस तरह से 'धार्मिक वृत्ति संस्थापन' नहीं हो सकता।)

यत्राऽऽर्यो धर्मसंस्थानं दानसंस्थानमेव वा।
कर्तु मुत्सहते तत्र स स्वाचाराऽनुमोदितम् ॥२५१८॥
उद्देश्यं प्रकटीकृत्य दद्यादर्थं तु तत्कृते।
न्यासो नाऽऽवश्यकस्तत्र किन्तूद्देशस्य निश्चयः ॥२५१९॥
स्पष्टत्वेन प्रकर्तव्यस्तदुद्दिष्टधनं पुनः।
पृथक् स्थाप्यं प्रदेयं वा तत्सात्करणमार्गतः ॥२५२०॥

जहां पर आर्य (हिन्दू) धार्मिक संस्थान (religious endowment) या दान-संस्थान (charitable endowment) करना चाहता है, वहां पर वह अपने आचार (law-कायदे) से माने हुए मतलब (कार्य-purpose) को प्रगट करके उसके लिए धन दे। वहां पर (उसके लिए) न्यास (ट्रस्ट) करना आवश्यक नहीं है। परन्तु वहां पर अपने मतलब का निश्चय साफ़ तौर से कर देना चाहिए और उसके लिए रखा हुआ धन अलग रख देना चाहिए या उस (कार्य) के निमित्त (dedicate) करके दे देना चाहिए।

मूर्तिसात्कृतभूमिं तु यद्यप्यादातुमक्षमा।
मूर्तिस्तथाऽपि तद्भूमेर्न्यासेन परसात्कृतिः ॥२५२१॥
नाऽऽवश्यकी न वा तत्र मूर्तिप्राभृतसूचकाः।
स्पष्टाः शब्दास्तथा धर्म्याः सङ्कल्पाऽऽद्याः पुनर्मताः ॥२५२२॥
अपेक्षिताः, परं तत्र न्यासेच्छायाः प्रकाशनम्।
तस्यात्मसात्कृतिर्वाऽलं न्यासाऽधिकृतसात्कृतिः ॥२५२३॥

मूर्ति के निमित्त की हुई पृथ्वी को यद्यपि मूर्ति लेने में असमर्थ होती है, तथापि उस भूमि का न्यास (ट्रस्ट) के द्वारा दूसरे (ट्रस्टियों) के अधीन करना आवश्यक नहीं है और न वहां पर (उस भूमि के) मूर्ति को भेंट करने को सूचित करनेवाले स्पष्ट शब्दों की या धार्मिक संकल्प (करने) आदि की आवश्यकता मानी गई है। परन्तु वहां पर न्यास (ट्रस्ट करने की) इच्छा का प्रकट करना और उस (ट्रस्ट) का अपने (दाता के) अधिकार में रखना या ट्रस्टियों को सौंप देना (ही) पर्याप्त होता है।

सकृत्कृतः पुनर्न्यासो दानीयो धार्मिकोऽथवा।
न्यायाऽनुमोदितः कर्त्राऽप्यनिरास्यः स्मृतो बुधैः ॥२५२४॥

फिर विद्वानों ने एकबार किया कानून से माना हुआ दान-संस्थान या धार्मिक संस्थान (उसके) करनेवाले से भी अखण्ड्य (नहीं तोड़ाजाने लायक) माना है।

प्रतिमासात्कृतं वित्तमिति लेखस्तु केवलम्।
नाऽलं न्यासे, यतः कर्तुस्तत्राऽर्थत्यागमुख्यता ॥२५२५॥
सा च निश्चीयते कर्तुरुत्तरैः कर्मभिस्तथा।
आचारैरुपयोगस्य रीत्या वाऽर्पितसंपदः ॥२५२६॥
नैवं चेत्तर्हि लोकास्तु कृत्रिमन्यासतो ध्रुवम्।
वञ्चयेयुः स्ववित्तात् स्वानुत्तमर्णान् यथेप्सितम् ॥२५२७॥
अपि दायहराणाश्चाऽन्यथा कुर्युः परम्पराम्।
निषिध्याऽर्थव्ययं वंशे नित्यां कुर्युश्च तत्स्थितम् ॥२५२८॥

(यह) धन प्रतिमा के निमित्त कर दिया है-केवल इस प्रकार का लेख धार्मिक न्यास (endowment) में पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि वहां पर उसके करनेवाले का धन का त्याग करना (उस धन का अधिकार छोड़ना) मुख्य होता है; और वह करनेवाले के आगे के कामों से, व्यवहार से या (उस) दिये हुए धन के उपयोग की रीति से निश्चित किया जाता है। यदि ऐसा नहीं हो, तो लोग बनावटी न्यास (endowment) से, निश्चय ही, अपने कर्ज देनेवालों को अपनी इच्छानुसार, अपने धन से वंचित कर डालें, अपने उत्तराधिकारियों के क्रम को उलट डालें और धन को खर्च करने का निषेध करके अपने वंश में उस (धन) की स्थिति को स्थिर बना डालें। (अर्थात्-अपने वंशवालों के लिए उस धन से स्थायी कोष बना डालें, जो कि कानून से अमान्य है।)

देवमूर्त्याख्यया क्रीता संपत्तिः किन्तु नैव सा।
मूर्तिः संस्थापिता लोकपूजार्थं वा नियोजिता: ॥२५२९॥
पूजकास्तत्कृते केऽपि चेत्तर्हि प्रतिमाकृते।
क्रीताऽपि सा तु तत्क्रेतुर्व्यक्तिगैव भवेद् ध्रुवम् ॥२५३०॥

यदि देव मूर्ति के नाम से संपत्ति खरीदी हो, परन्तु उस मूर्ति को लोगों द्वारा पूजी जाने के लिए स्थापन नहीं किया हो अथवा उसके लिए कोई भी पुजारी नियुक्त नहीं किये हों, तो प्रतिमा के लिए खरीदी हुई भी वह (संपत्ति) निश्चय ही उसके खरीदनेवाले की खुद की ही (संपत्ति) होती है। (अर्थात्-उस पर पुरुष की निजी संपत्ति पर लगानेवाले नियम ही लगते हैं।)

वस्तुतो यत्र नो दत्तं मूर्तिपूजाकृते धनम्।
कृतं किन्तु स्ववंश्येभ्योऽविच्छिन्नं भुक्तिसाधनम् ॥२५३१॥

तत्रेद्गुपहारो नो मान्यो मूर्तिकृते कृतः।
कौटुम्ब्याः किन्तु चेद् दात्रा कृतास्तत्र निरीक्षकाः ॥२५३२॥
देवालयस्य, निश्चित्य पुरस्कारस्तु तत्कृते।
आयाऽनुरूपो नो तर्हि तद्दानं स्यान्निरर्थकम् ॥२५३३॥

वास्तव में जहां पर मूर्ति पूजा के लिए धन नहीं दिया हो, किन्तु अपने वंश-वालों के लिए भोग करने का स्थायी साधन बनाया हो, वहां पर ऐसा उपहार मूर्ति के लिए किया नहीं माना जाता। परन्तु यदि वहां पर दाता ने (अपने) कुटुम्बियों को, (संस्थान की) आमदनी के अनुसार उनके लिए पुरस्कार (remuneration) नियत करके, (मूर्ति के) देवालय के निरीक्षक (प्रबन्धक) नियुक्त कर दिये हों, तो वह दान (endowment) निरर्थक नहीं होता। (अर्थात्-मान्य ही रहता है।)

दानधर्मकृते दाने पूर्णस्त्यागोऽथवांऽशिकः।
कृतोऽस्य निर्णयो नूनं क्रियते दानलेखतः ॥२५३४॥

दान और धर्म के लिए (किये) दान में पूरी तौर से (completely) दान दिया है या आंशिक-रूप से (partially) इसका निर्णय निश्चय ही दान के लेख से किया जाता है।

मूर्तिपूजाकृते पूर्णा संपत्तिर्यत्र दीयते।
तल्लाभांऽशमदत्त्वैवाऽन्यस्मै, पूर्णाऽर्पणं हि तत् ॥२५३५॥

जहां पर उसके लाभ का कुछ भाग दूसरे को देने के बिना ही, पूरी संपत्ति मूर्तिपूजा के लिए दे दी जाती है, वह पूर्ण (complete) दान होता है।

मूर्तेरेव भवेदेषा संपत्तिस्तु तथाऽर्पिता।
येषु कार्येषु सा योज्या तत्त्वग्रे दर्शयिष्यते ॥२५३६॥

वह उपर्युक्त प्रकार से दी हुई संपत्ति मूर्ति की ही होती है। वह किस काम में लगाई जाने लायक होती है, वह तो आगे (श्लोक २५८२ से २५६५ में) दिखलावेंगे।

नाममात्राय यद्दानं मूर्त्यर्थं क्रियते जनैः।
आंशिकं वा समर्यादं तदुक्तं न्यायपारगैः ॥२५३७॥
दाने एतादृशे संपद् विभाज्या, वंश्यगामिनी।
व्ययाऽर्हा चाऽपि विज्ञ या मूर्तिमात्रा च सस्थिता ॥२५३८॥

पुरुषों द्वारा जो दान मूर्ति के वास्ते केवल नाम मात्र के लिए किया जाता है, कानून जाननेवालों ने उसे आंशिक (partial) या मर्यादा से युक्त (qualified) कहा है। ऐसे दान में संपत्ति (आपस में) बांटने लायक, मेरासाज़ों (हकदारों)

को मिलनेवाली, खर्चकी जा सकने लायक और मूर्ति के नाम से रहनेवाली जाननी चाहिए।

मूर्तेः पूजोत्सवाभ्यां य आयोऽर्थस्याऽधिको भवेत्।
दातुर्वंश्यनिवासाय स चेदत्र प्रयुज्यते ॥२५३९॥
गृहेषु तर्हि विज्ञेयः सोऽर्थोऽपूर्णतयैव हि।
दत्तो मूर्तिकृते नूनं तदर्चायाः प्रवृत्तये ॥२५४०॥

धन की जो आमदनी मूर्ति की पूजा और उत्सव (के खर्च) से अधिक हो, यदि वह यहां पर उस धन के देनेवाले के वंशजों के निवास के लिए घरों में लगा दी जाय, तो वह धन मूर्ति के लिए, निश्चित रूप से उसकी पूजा को जारी रखने के लिए, अधूरे (partial) रूप से ही दिया गया जानना चाहिए।

अभावे दानलेखस्य भूमेरायः प्रयुज्यते।
मूर्त्यर्चनाऽर्थमित्येतत् तथ्यं न स्यातप्रमापकम् ॥२५४१॥
तद्भूमेस्तत्कृते न्यासीकरणस्य, परं यदि।
साद्यं स्याद् भूमिदानस्य पञ्चाशद्वर्षतोऽधिकम् ॥२५४२॥
तर्हि तस्माद्दिनादायस्तद्भवस्तत्र युज्यते।
इति सिद्धिस्तु पूर्वोक्तसाक्ष्यस्य स्यात्समर्थिका ॥२५४३॥

दान के लेख के विद्यमान न होने पर, (उस) पृथ्वी की आमदनी मूर्ति की पूजन में काम में ली जाती है–यह बात उस भूमि के उस (मूर्ति) के लिए न्यास (endowment) करने को सिद्ध नहीं करती। परन्तु यदि (उस) पृथ्वी के दान की पचास वर्ष से अधिक (तक) की गवाही हो, तो उसी (दान देने के) दिन से उस (पृथ्वी) से हुई आमदनी उस (मूर्ति की पूजा) में लगाई जाती है–इस (बात) का सिद्ध होना पहले कही गवाही का समर्थक होता है।

कर्ता पृक्तकुटुम्बस्याऽऽमृतेर्ददद्भूद् व्ययम्।
दानसंस्थानकस्याऽस्य नित्यं पृक्तधनायतः ॥२५४४॥
परं नासीद्धि तद्दानं सर्वाऽऽयव्ययकारकम्।
नैवेदं तु प्रमाणं स्याद् दानस्य श्लिष्टसंपदः ॥२५४५॥

साझे के कुटुम्ब का कर्ता (मुखिया) मरने तक साझे के धन की आमदनी से इस दान के लिए बनाई हुई संस्था का खर्च बराबर देता रहा था, परन्तु वह दान (साझे के धन की) सारी आमदनी खर्च करनेवाला नहीं था–यह (बात) साझे के धन के दान का प्रमाण नहीं हो सकती।

मूर्त्यर्चनकृते भूमेरायो नित्यं प्रयुज्यते।
इत्येतेनैव नो सिद्धिर्भूमिदानस्य जायते ॥२५४६॥

परं यत्र पुराणेनाऽस्पष्टलेख्येन तत्कृते ।
दातुर्निर्धार्यते भावस्तत्रैतदपि साधनम् ॥२५४७॥
संपत्तेरुपयोगस्य रीत्या स्वाम्यस्य वा पुनः ।
विधिनाऽपि ग्रहीतव्यः सहायो भावनिर्णये ॥२५४८॥

(इस) भूमि की आय (इस) मूर्ति के पूजन के लिए सदा काम में ली जाती है—इतने से ही (उस मूर्ति के लिए) (उक्त) भूमि का दान सिद्ध नहीं होता । परन्तु जहां पर पुराने और अस्पष्ट (जो खुलासा न हो ऐसे) लेख से इस (दान) के लिए देनेवाले का भाव (इरादा) निश्चित किया जाता है, वहां पर यह (आमदनी का मूर्ति के काम में लिया जाना) भी साधन (उसके सिद्ध करने में सहायक) होता है । (देनेवाले के) इरादे का निर्णय करने में (उस) संपत्ति को काम में लेने के तरीके और अधिकार के तरीके से भी सहायता लेनी चाहिए ।

दात्रन्तेऽविद्यमानाय दत्तं स्वपत्रतो धनम् ।
व्यर्थं येन विधानेन तत्तु नैवोपयुज्यते ॥२५४९॥
वित्तप्रदाने निक्षेपाऽधिकृतेभ्यस्तु निश्चितम् ।
दातुरन्ते प्रणेयाया मूर्तेः स्थापनहेतुके ॥२५५०॥

जिस (श्लोक २२७० में कहे) नियम से देनेवाले की मृत्यु पर नहीं विद्यमान रहनेवाले व्यक्ति को, इच्छा-पत्र द्वारा, दिया धन व्यर्थ (अमान्य) होता है, उस (नियम) का उपयोग, देनेवाले के मरने के बाद बनाई जानेवाली (देव-) मूर्ति के ट्रस्ट के अधिकारियों (ट्रस्टियों) को धन देने (सौंपने) में नहीं किया जाता ।

तथैवाऽत्र क्षमो दाता प्रतिमाभ्यः स्थिरं धनम् ।
दातुं, कतिपया यासु स्थापितास्तेन जीवता ॥२५५१॥
स्थाप्यानामपरासां च कृता नाम्ना हि सूचना ।
तत्र तन्नामनिर्देशो बुधैरावश्यको मतः ॥२५५२॥

उसी प्रकार यहां देनेवाला (उन) मूर्तियों के लिए, जिनमें से कुछ तो उसने जीते जी स्थापन कर दी हों और (बाकी) आगे स्थापन की जानेवाली मूर्तियों के नाम की सूचना करदी हो, स्थिर धन (भी) दे सकता है । विद्वानों ने यहां पर (ऐसे दान के समय) उन (मूर्तियों) का नाम बतलादेना आवश्यक माना है ।

मूर्तिनाशेऽथ वैकल्ये निक्षेपस्तु न नश्यति ।
तत्र स्थाप्याऽपरा मूर्तिस्तद्देवस्यैव निश्चितम् ॥२५५३॥

मूर्ति के नष्ट हो जाने या खण्डित हो जाने पर निक्षेप (endowment) नष्ट नहीं होता । वहां (ऐसे स्थान) पर उस देवता की ही दूसरी मूर्ति, निश्चितरूप से, स्थापन कर देनी चाहिए ।

प्रतिष्ठा मन्दिरे मूर्तेर्मन्दिरस्याऽथ निर्मितिः।
स्यातां नावश्यके कर्तुं न्यासे मूर्तिकृतेऽत्र तु ॥२५५४॥

यहां पर मन्दिर में मूर्ति की प्रतिष्ठा और मन्दिर को बनाना मूर्ति के लिए न्यास (endowment) करने में आवश्यक नहीं है। (अर्थात्-देनेवाला पहले से बने मन्दिर में स्थित मूर्ति के लिए भी संपत्ति दे सकता है।)

कार्ये सर्वजनीनेऽत्र धार्मिके दानिकेऽथवा।
नित्यवृत्तिकृते न्यासो नोऽमान्यो विबुधैर्मतः ॥२५५५॥
यतः स उपहारेण स्वप्नपत्रेणाऽथवा कृते।
दाने व्यक्तिविशेषेभ्य यवाऽमान्यः प्रकीर्तितः ॥२५५६॥

विद्वानों ने सार्वजनिक (public) धर्म संबन्धी या दान संबन्धी काम में सदा के खर्च के लिए किया न्यास (endowment) अमान्य (अनुचित) नहीं माना है; क्योंकि उपहार के द्वारा या इच्छापत्र के द्वारा किसी खास व्यक्ति (private individual) के लिए दिये जाने में ही (देखो श्लोक २४२३ से २४२६ तक) उस (प्रकार के दान) को अमान्य कहा है।

लौकिकेभ्यस्तु कार्येभ्यो यदा दानं कृतं तदा।
धर्मभावतयैवैतत् कृतमित्युक्तितोऽपि तत् ॥२५५७॥
न भवेद्धार्मिको न्यासस्ततो विप्रार्पिते धने।
तद्व्ययप्रतिषेधस्तु नैव मान्यो भवेदिह ॥२५५८॥

जब दान लौकिक कार्यो के लिए किया गया हो, तब यह धर्म भाव से ही किया गया है-ऐसा कहदेने से भी वह (दान) धर्म संबन्धी न्यास (endowment) नहीं होता। उसी कारण से ब्राह्मण को दिये धन में उस (मूलधन) के खर्च की मनाई, यहां पर, मान्य नहीं होती।

कालस्तु नियतः प्राग्यद् दत्ताऽर्थस्यायसंचये।
न स धर्म्येऽथ दानीये न्यासे मान्य इह स्मृतः ॥२५५९॥

पहले (श्लोक २४६३ से २४७६ तक में) जो समय, दिये हुए धन की आमदनी के इकट्ठी करने के विषय में निश्चित किया है, वह यहां पर धर्म संबन्धी अथवा दान संबन्धी न्यास में मान्य नहीं बतलाया है।

एकस्य वाऽप्यनेकेषां मृत्यन्ते भविताऽप्यलम्।
मान्यो धर्म्योऽथ दानीयो न्यासो नूनमसंशयम् ॥२५६०॥

एक के या अनेकों के मरने के बाद होनेवाला धार्मिक या दान-संबन्धी न्यास निश्चय ही, विना सन्देह के, मान्य होता है।

पूर्णस्वाम्येन संपत्तिर्यदा मूर्त्यै समर्पिता ।
देवस्थानकृते, तस्याः प्रबन्धाऽधिकृती तदा ॥२५६१॥
तस्य प्रबन्धकं यातः सेवायत्तस्तु यः स्मृतः ।
मठार्थं चेत्प्रदत्ता सा मठेशं ते तु गच्छतः ॥२५६२॥

जब संपत्ति पूरे अधिकार के साथ मन्दिर के लिए देवोत्तर की जाती है (देवता आदि के लिए दान की जाती है), तब उसका प्रबन्ध और अधिकार उस (मन्दिर) के प्रबन्धकर्ता के पास चले जाते हैं, जिसको सेवायत्त (Shebait) कहा है । यदि वह (संपत्ति) मठ के लिए दी हो, तो वे दोनों (प्रबन्ध और अधिकार) महन्त को मिलते हैं ।

अभियुक्त्यायधीशौ तौ स्वात्तसंपत्तिरक्षणे ।
नाभियुङ्क्ते यतो देवः स्वदत्तार्थकृते स्वयम् ॥२५६३॥

वे दोनों (सेवायत्त और महन्त) अपने द्वारा प्राप्त की हुई संपत्ति की रक्षा के विषय में मुकद्दमा भी कर सकते हैं, क्योंकि देवता खुद अपने को दी हुई संपत्ति के लिए मुकद्दमा नहीं करता है ।

सेवायत्ता भवेयुर्ये मठाधीशास्तथा पुनः ।
परम्परातस्ते सर्वे संपत्तेरधिकारिणः ॥२५६४॥

जो एक के बाद दूसरे सेवायत्त या फिर मठाधीश होंगे, वे सब (अपने-अपने समय में) संपत्ति के अधिकारी होंगे ।

देवालयाः क्रियन्तेऽत्र ह्याध्यात्मिकसमृद्धये ।
आर्यैर्मठास्तथा स्वेष्टशास्त्राऽध्ययनहेतवे ॥२५६५॥

आर्यों द्वारा यहाँ पर देवालय, निश्चय ही, आत्मा की उन्नति के लिए बनाये जाते हैं और मठ अपने अभीष्ट शास्त्रों के अध्ययन के लिए (बनाये जाते हैं) ।

देवालयेषु संपत्तेर्देवता स्वामिनी मता ।
मठेषु तु तदाचार्यपदं स्वाम्यवहं पुनः ॥२५६६॥

मन्दिरों में संपत्ति का स्वामी देवता होता है और मठों में उस (मठ) के आचार्य की गद्दी (office) स्वामित्व रखनेवाली होती है ।

सेवायत्तोऽत उन्मादी वञ्च्यतेऽर्थाऽधिकारतः ।
परं नैव मठाचार्यः कस्मादपि तु कारणात् ॥२५६७॥

इसलिए पागल सेवायत्त धन के अधिकार से वञ्चित कर दिया जाता है, परन्तु मठाधीश किसी भी कारण से (वञ्चित) नहीं किया जाता ।

देवमूर्तिमठौ स्वार्यनियमैर्व्यावहारिकौ ।
पुरुषाविव विज्ञेयौ जडावप्यत्र तौ, परम् ॥२५६८॥

सेवायत्तोऽथवाऽध्यक्षोऽवेक्षको देवसंपदः ।
निरीक्षको मठाचार्यस्तथाऽत्र मठसंपदः ॥२५६६॥

देवता की मूर्ति और मठ इन दोनों को, जड़ होने पर भी यहां पर आर्यों के नियमों के द्वारा व्यवहार करनेवाले (juridical) पुरुष के समान जानना चाहिए। परन्तु यहां पर सेवायत्त या प्रबन्धक देवता की संपत्ति का देख-भाल करनेवाला होता है, और महन्त मठ की संपत्ति का देख-भाल करनेवाला होता है ।

देवालयो यतो नैव पुरुषो व्यावहारिकः ।
मतस्ततोऽभियोगा नो तदीयास्तस्य नामतः ॥२५७०॥

क्योंकि मन्दिर को व्यावहारिक (juridical) पुरुष नहीं माना है, इसलिए उसके संबन्ध के मुकद्दमे उस के नाम से नहीं होते (अर्थात्-मूर्ति और मठ के व्यावहारिक पुरुष के समान मानलिये जाने से उनके नाम पर तो मुकद्दमे हो सकते हैं। परन्तु मन्दिर के नाम से नहीं हो सकते) ।

धर्मन्यासाऽधिकारेऽत्र स्त्रियोऽपि स्युः क्षमाः परम् ।
नैव ता धर्मकृत्यानामनुष्ठाने क्षमा मताः ॥२५७१॥

यहां पर धर्म के निधि (endowment) का अधिकार प्राप्त करने में स्त्रियां भी समर्थ होती हैं; परन्तु वे धार्मिक कामों के करने में समर्थ नहीं मानी गई हैं ।

द्रविडेषु च ताः शक्ता आचार्यत्वाय निश्चितम् ।
मन्दिरेषु, प्रभुत्वाय तथा तत्रत्यसंपदः ॥२५७२॥

मद्रासवालों में वे (स्त्रियां) मन्दिरों में निश्चितरूप से आचार्य पद के लिए, और वहां (मन्दिरों) की संपत्ति का अधिकार पाने के लिए समर्थ होती हैं ।

देवालयमठौ धर्माधारावार्येषु संमतौ ।
अतः संघातमात्रौ तौ न ज्ञेयौ विबुधैर्जनैः ॥२५७३॥

आर्यों में मन्दिर और मठ धर्म के आधार समझे जाते हैं; इसलिए विद्वान् लोगों को उन्हें केवल समुदाय मात्र (corporate bodies with rights of property vested in the corporation) नहीं समझना चाहिए ।

धर्मसंस्थानिका संपत् तत्तत्स्थानीयरीतितः ।
आचार्यवर्यैरक्ष्या स्याद् न्यासेष्वधिकृतैरपि ॥२५७४॥

धर्मसंस्थान (मन्दिरों और मठों) की संपत्ति की रक्षा, उन उन स्थानों की रीति के अनुसार, वहां के आचार्यों को छोड़कर अन्य ट्रस्टियों द्वारा भी की जा सकती है ।

सेवायत्तः स्वकीयेन पदेनैव प्रबन्धकः ।
स्वीयमन्दिरसंपत्तेर्न्यासाऽधिकृतवद् ध्रुवम् ॥२५७५॥

सेवायत अपने पद से ही अपने मन्दिर की संपत्ति का, निश्चय ही, ट्रस्टी की तरह, प्रबन्धक होता है ।

देवालयस्य कार्येषु स आचार्यपदस्थितः ।
अतः सेवाप्रबन्धाभ्यां च्युतोऽसेवाकरो भवेत् ॥२५७६॥

मन्दिर के कार्यों में वह आचार्य के पद पर होता है । इसलिए (मूर्ति की) सेवा और (मन्दिर के) प्रबन्ध से हटजाने पर वह सेवायत नहीं रहता ।

मठसंपद् मठाधीशाऽधीनाऽऽचार्यत्वतोऽस्य तु ।
मठस्य, नोपयोज्या सा परं तत्सौख्यहेतवे ॥२५७७॥

मठ की संपत्ति इस (महन्त) के (वहां का) आचार्य होने से महन्त के अधीन होती है । परन्तु वह (संपत्ति) उसके आराम के लिए उपयोग में लाने लायक नहीं होती ।

मठाधीशस्य कर्तव्याचारौ रीत्यैव निश्चितौ ।
स्तः सोऽतोऽत्र न विज्ञेयो न्यासाप्ताऽधिकृतेः समः ॥२५७८॥

महन्त के काम और आचार रिवाज से ही निश्चित होते हैं । इसलिए यहां पर उसे ट्रस्टी के समान नहीं समझना चाहिए ।

मठेशो नाऽभिषिक्तोऽपि मठाऽर्थं त्वन्यहस्तगम् ।
प्रत्याऽऽदातुं क्षमो नूनमभियुज्याऽर्थहारिणम् ॥२५७९॥

गद्दी पर नहीं बिठाया हुआ महन्त भी दूसरे के हाथ में गये मठ के धन को, धन हरण करनेवाले पर मुकद्दमा चलाकर, वापस ले सकता है ।

न्यासाऽऽप्तस्वाम्यवद् धर्मकर्ताऽपि स्यात्प्रबन्धकः ।
सेवायतमठेशाभ्यामल्पस्वाम्यस्तथाऽत्र सः ॥२५८०॥

धर्म (देवोत्तर संपत्ति) का करनेवाला भी ट्रस्टी के समान ही प्रबन्धक हो सकता है और वह यहां पर सेवायत और महन्त से कम अधिकारवाला होता है ।

न्यासाऽधिकृतवत्त्वेन सेवायतस्तु न क्षमः ।
स्वनामाऽसूचयित्वैव क्रेतुं स्वसुरसंपदम् ॥२५८१॥

ट्रस्टी के समान होने से सेवायत अपने नाम को प्रकट किये बिना ही अपने देवता की संपत्ति को नहीं खरीद सकता ।

नियमैरार्यमान्यैर्हि सकृद्दत्तास्तु संपदः ।
धर्मार्थे सदार्थे विघट्यन्ते न दातृभिः ॥२५८२॥

आर्यों के मान्य कानून से एकबार दान सहित धार्मिक पूजा के लिए दी हुई संपत्ति देनेवालों द्वारा भी (दान से) हटाई नहीं जा सकती । (वापस नहीं ली जा सकती) ।

सेवासक्तो मठेशो वा बन्धकीकृत्य तां भुवम्।
यथावश्यकमादातुमृणं पूजाकृतेऽथवा ॥२५८३॥
संपद् रक्षा कृते शक्तः किन्तु तस्याऽधिकारिता।
निश्चीयत ऋणाऽऽदाने दृष्ट्वाऽऽवश्यकतां पुनः ॥२५८४॥

सेवायत्त या महन्त उस (मन्दिर या मठ की संपत्ति) को, निश्चय ही, गिरवी रखकर, पूजा के लिए या उस (संपत्ति) की रक्षा के लिए, आवश्यकताऽनुसार, कर्ज ले सकता है। परन्तु फिर भी ऋण लेने में उसका अधिकार (ऋण की) आवश्यकता को देखकर ही निश्चय किया जाता है।

अधिकारस्तयोश्चाऽत्र स्याद् देवायत्त संपदि।
बालसंपत्तिरक्षायै नियुक्तस्येशतासमः ॥२५८५॥

और यहां पर देवोत्तर संपत्ति में उन दोनों (सेवायत्त और महन्त) का अधिकार बालक की संपत्ति की रक्षा के लिए नियुक्त (ट्रस्टी) के अधिकार के समान होता है।

अतोऽनिवार्यकार्याय संपल्लाभाय वा पुनः।
व्ययितुं तां क्षमौ स्यातां नान्यकार्येषु जातुचित् ॥२५८६॥

इसलिए वे दोनों अनिवार्य (बहुत जरूरी) काम के लिए या फिर संपत्ति के हित के लिए उसको खर्च कर सकते हैं, दूसरे काम के लिए कभी नहीं (कर-सकते)।

आयं वर्धयितुं पूर्वां विक्रीयाऽत्र तु संपदम्।
क्रेतुमन्यां समर्थौ तौ नो मतौ न्यायतः पुनः ॥२५८७॥

और वे दोनों यहां पर आमदनी को बढ़ाने के लिए पहली संपत्ति को बेचकर दूसरी को खरीदने में कानून से समर्थ नहीं माने गये हैं।

देवायत्तीकृतायाश्च संपत्तेर्नित्यपट्टकम्।
दातुं स्यातां क्षमौ नैव ऋते न्यायप्रयोजनम् ॥२५८८॥

और वे दोनों न्याय के प्रयोजन (legal necessity) को छोड़कर धर्मार्थ दी हुई संपत्ति का सदा के लिए पट्टा (permanent lease) नहीं दे सकते।

परं निश्चितकालं तु पूर्वाचाराऽनुमोदितम्।
पट्टं दातुं क्षमौ स्यातां, पुनर्यत्राऽनुमोदितम् ॥२५८९॥
नित्यपट्टमपि न्यायाऽधिकृतैस्तत्र तद्भवेत्।
मान्यं भाविमठाधीशैः सेवायत्तैश्च निश्चितम् ॥२५९०॥

परन्तु वे दोनों पहले के रिवाज के अनुसार निश्चित समय के लिए पट्टा देने में समर्थ होते हैं और जहां पर सदा का पट्टा भी न्यायाधीशों ने मानलिया हो, वहां

पर वह (पट्टा) आगे होनेवाले महन्तों और सेवायतों से भी निश्चिय ही, मान्य हो जाता है।

सेवायत्तस्तुनान्यस्मै स्वाधिकारार्पणे क्षमः ।
सहायं तु निजं कर्तुं परं सोऽन्यं क्षमो मतः ॥२५६१॥

सेवायत अपने अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता। परन्तु वह दूसरे को अपना सहायक बनाने में समर्थ माना गया है।

सहायकार्पितं पट्टममान्यं देवसंपदः ।
सेवायत्तमपृष्ट्वैव दत्तं तच्चेदसंशयम् ॥२५६२॥

सहायक का दिया देवता की संपत्ति का पट्टा (lease), यदि वह निश्चय ही सेवायत से बिना पूछे दिया गया हो, तो अमान्य होता है।

स्वायुषोऽधिककालाय पट्टं दातुं तु न क्षमः ।
मठेशो मठसंपत्तेस्तच्चेन्नाऽवश्यकं भवेत् ॥२५६३॥

महन्त मठ की संपत्ति का पट्टा, यदि वह आवश्यक (बहुत जरूरी) न हो, तो अपनी आयु से अधिक काल के लिए नहीं दे सकता।

क्वचिद् देवालयायाऽपि जात आवश्यके पुनः ।
नित्यपट्टस्तु तद्भूमेर्दत्तो मान्यो मतो बुधैः ॥२५६४॥

फिर कहीं देवालय के लिये भी, आवश्यक होने पर, उस (मन्दिर) की भूमि का सदा के लिए दिया पट्टा (permanent lease) विद्वानों ने मान्य माना है।

मठागतानां वासार्थं भोजनार्थमथो पुनः ।
स्थाननिर्माणमप्यत्र न्यायेनाऽवश्यको विधिः ॥२५६५॥

फिर मठ में आनेवालों के रहने के लिए अथवा भोजन के लिए स्थान बनवाना भी, यहां पर न्याय से आवश्यक कर्तव्य माना गया है।

देवार्पितायाः संपत्तेर्विच्छेदे विहिते जनः ।
विच्छेदकृदवार्यत्वं न्याय्यत्वं चाऽस्य साधयेत् ॥२५६६॥

देवोत्तर संपत्ति के खर्च (alientıon) कर डालने पर खर्च करनेवाला पुरुष उसमें आवश्यकता और उसका न्याय से अनुमोदित होना सिद्ध करे (इस बात को सिद्ध करना उसके जिम्मे होगा)।

अन्विष्य तेन वा सम्यग् न्याय्याऽवश्यकताकृते ।
सन्तुष्टश्चाऽभवत् सोऽत्र तदर्थमिति साधयेत् ॥२५६७॥

अथवा उसने न्याय्य आवश्यकता (legal necessity) के विषय में खोज (inquiry) करली और वह इस बारे में सन्तुष्ट (satisfy) हो गया यह सिद्ध करे।

निक्षेपाऽधिकृतः सेवायत्तो वाऽनुमतः पुनः।
न्यायेशेनाऽऽधये तत्राऽन्वेषस्तेनाऽपि सिध्यति ॥२५६८॥

फिर न्यायाधीश ने ट्रस्टी को या सेवासक्त को उस (देवोत्तर संपत्ति) को गिरवी रखने के लिए अनुमति दे दी हो, तो (उसका) छान-बीन करना सिद्ध हो जाता है। (अर्थात्-यह आज्ञा ही खर्च करनेवाले के इस विषय में पूरी छान-बीन करलेने की प्रमाण मानली जाती है।)

अनालोच्यैव सा ज्ञेया विधिन्यायाऽधिकारयोः।
दूषणे सत्यपि न्यायाधीशदत्ता निदेशना ॥२५६६॥

न्यायाधिकारी की दी हुई वह आज्ञा, रीति (procedure) और न्याय के अधिकार (jurisdiction) का दोष (defect) होने पर भी, आलोचना (question) के लायक नहीं होती (अर्थात्-मान्य ही होती है)।

देवार्पितायाः संपत्तेर्विच्छेदे तूत्तरप्रदौ।
तावुभौ बालसंपत्तिरक्षाऽधिकृतवन्मतौ ॥२६००॥

देवोत्तर (मन्दिर और मठ की) संपत्ति के व्यय करने (alienation) में वे दोनों (सेवायत्त और महन्त), बालक की संपत्ति की रक्षा में नियुक्त (प्रबन्धक) के समान (ही), उत्तर-दाता माने गये हैं।

विघट्टने तु संपत्तेर्ये मान्या नियमाः परे।
यथास्थानं पुरोक्तास्त उपयोज्या यथोचितम् ॥२६०१॥

संपत्ति के खर्च करने (alienation) में जो दूसरे मानने लायक नियम, अपने-अपने स्थानों पर कहे हैं, वे जहां जैसा उचित हो उपयोग में लेने चाहिये। (इनके लिए देखो श्लोक ११७-११८, और १४७४-१४८२)

सेवायत्तप्रदत्तेऽत्र नित्ये पट्टे विचेचनम्।
दीर्घकालोत्तरं चेत्स्याद् येन चाऽसंभवं भवेत् ॥२६०२॥
तात्कालिकस्थितेर्ज्ञानं तर्हि न्यायालयाऽधिपैः।
तद्दानं दातुरन्तेऽपि मान्यमेव मतं ध्रुवम् ॥२६०३॥

यहां पर यदि सेवायत्त द्वारा दिये हमेशा के पट्टे (permanent lease) में लंबे समय के बाद विचार (inquiry) हो, जिससे कि उस (पट्टा देने के) समय की हालत का जानना असंभव हो जाय, तो वह (पट्टे lease का) दान न्यायाधिकारियों-द्वारा, देनेवाले के मरने पर भी, निश्चय ही, मान्य माना गया है। (अर्थात्-अदालत को ऐसी हालत में यही मानना होगा कि वह पट्टा आवश्यकता होने पर ही दिया गया था।)

सेवायत्तेन वा नूनं मठेशेन ऋणे कृते।
न्याय्यव्ययाय, ऋणदस्तं प्रति प्राप्य शासनम् ॥२६०४॥

उद्धर्तुं देवसंपत्तेरायतः स्वमृणं क्षमः।
तदर्थं देवसंपत्तेर्न्यासाऽभावेऽपि निश्चितम् ॥२६०५॥

पुजारी या महन्त द्वारा निश्चयरूप से वाजिब खर्च (legal necessity) के लिए कर्जा किये जाने पर, कर्ज देनेवाला, उस (कर्ज लेनेवाले) के विरुद्ध डिग्री (decree) प्राप्त कर अपने ऋण को, उस (ऋण) के लिए, निश्चित ही, देवोत्तर संपत्ति के गिरवी न होने पर भी, देवोत्तर संपत्ति की आमदनी से वसूल कर सकता है।

अधमर्णे मृतेऽप्यत्र तदन्तेऽधिकृतं प्रति।
शासनं प्राप्य कर्तव्य ऋणोद्धारः पुरोक्तवत् ॥२६०६॥

यहाँ पर कर्ज लेनेवाले के मरजाने पर भी उसके बाद अधिकारी होनेवाले के विरुद्ध डिग्री प्राप्त कर पहले कहे अनुसार (देवोत्तर संपत्ति से) कर्जे की वसूली करनी चाहिए।

न्याय्याऽवश्यकताहेतो ऋणं यत्र कृतं भवेत्।
तत्राऽभियोगे विशदं तादृक् स्याच्छासनं यतः ॥२६०७॥
अभियुक्तोऽधमर्णो वा तदन्ते तत्पदागतः।
तदृणं रक्षितं वा नो न्यासेनेति स्फुटं भवेत् ॥२६०८॥
ऋणशोधाय कालोऽपि निर्देश्योऽथ सुनिश्चिता।
देयाऽऽज्ञा यत्र काले चेत् प्रतिदत्स्यमृणं तदा ॥२६०९॥
नियोक्ष्यते प्रबन्द्धाऽन्यो धनाऽऽयव्ययहेतवे।
अयं नियन्त्य यः सम्यग् मन्दिरस्य मठस्य वा ॥२६१०॥
पूजोत्सवादिकार्येभ्यो भृत्यै चास्याऽधिकारिणः।
उत्तमर्णाय शेषाऽऽयं यावच्छुद्धि प्रदास्यति ॥२६११॥

जहाँ पर वाजिब (उचित) आवश्यकता के लिए कर्जा किया हो, वहाँ पर मुकद्दमे में ऐसी खुलासा डिग्री होनी चाहिए कि जिससे-कर्ज लेनेवाले पर मुकद्दमा चलाया गया है या उसके बाद उसकी गद्दी पर बैठनेवाले पर और वह कर्जा बन्धक द्वारा (संपत्ति को गिरवी रख कर) रक्षित (secured) है या नहीं-ये बातें साफ हो जायें। कर्जा चुकाने के लिए समय भी निश्चित कर देना चाहिए और निश्चित-रूप से आज्ञा दे देनी चाहिए कि यदि मयाद के भीतर कर्जा नहीं दिया, तो (संपत्ति के) जमा-खर्च के लिए दूसरा प्रबन्धक (receiver) नियुक्त किया जायगा, जो मन्दिर या मठ के पूजा और उत्सव आदि के कामों के लिए और उसके अधिकारी (पुजारी या महन्त) के गुजारे के लिए खर्च को ठीक तौर से बांधकर बची हुई आमदनी को, जब तक (कर्ज की) सफाई न हो, कर्जा देनेवाले को दे देगा।

सेवायत्तो मठेशोऽथो ऋणाऽऽदाने क्षमो यतः।
कार्येभ्योऽपरिहार्येभ्यस्तं प्रत्याप्तं च शासनम् ॥२६१२॥
ऋणोद्धारार्थि बध्नाति तत्कृते तु तदुत्तरान्।
प्राड्विवाकैरतः पूर्वशासनस्याऽत्र युक्तताम् ॥२६१३॥
विविच्यैव प्रदातव्यं शासनं ह्यपरान् प्रति।
मिथो संमतितो जाते शासने प्रथमे पुनः ॥२६१४॥
प्राड्विवाकः स्वसन्तोषं कुर्यादालोच्य तां स्वयम्।
यत्साऽऽसीद् मन्दिरस्याऽथो मठस्य हितहेतवे ॥२६१५॥

क्योंकि सेवायत्त या महन्त आवश्यक कार्यों के लिए कर्ज़ लेने में समर्थ होता है और उसके विरुद्ध कर्ज़ वसूल करने की डिग्री, उस (कर्ज़) के लिए, उसके बादवालों को भी बांधती है (उन पर भी लगती है)। इसलिए न्यायाधीश को पहले की (कर्ज़ लेनेवाले के विरुद्ध हुई) डिग्री के औचित्य की छान-बीन करके ही दूसरों (उत्तराधिकारियों) के विरुद्ध डिग्री देनी चाहिए। फिर पहले की डिग्री के आपस के समझौते से होने पर न्यायाधीश, क्या वह मन्दिर या मठ के हित के लिए हुई थी, इस तरह उसकी छान बीन करके अपना सन्तोष करले।

मठाधीशे मृते तस्य स्थानेऽन्यस्त्वभिषिच्यते।
तत्तद् मठगताचारैरेव नान्यप्रकारतः ॥२६१६॥

(पहले के) महन्त के मरने पर, उन-उन मठों के रिवाज के माफिक ही उसके स्थान पर दूसरा बिठाया जाता है, दूसरी तरह से नहीं।

निर्दिश्यते मठेशेन स्वयं वा रुचिपत्रतः।
मठेशस्तु क्वचित्स्वाऽन्ते क्वचिदन्यैर्मठाऽधिपैः ॥२६१७॥
समशाखाभवैर्नूनं तथा च प्रतिवेशिभिः।
क्वचिद् मठाऽनुगैः शिष्यैर्व्रियते स्वमठाऽधिपः २६१८॥

कहीं महन्त द्वारा खुद या इच्छापत्र द्वारा अपने बाद महन्त नियत किया जाता है। कहीं एक ही संप्रदाय के आस-पास रहनेवाले दूसरे महन्तों द्वारा और फिर कहीं मठ के अनुगत शिष्यों द्वारा अपने मठ का महन्त चुना जाता है।

मठेशो यत्र शक्तः स्याद् निर्देशे स्वोत्तरस्य तु।
तत्राऽपि सोऽधिकारं तं परस्मै दातुमक्षमः ॥२६१९॥

जहां पर महन्त अपने उत्तराधिकारी को नियत करने में समर्थ होता है, वहां पर भी वह उस अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता।

मठाऽधीशपदस्याऽत्र न विभागो मतो बुधैः।
तथैव मठसंपत्तेरपि ज्ञेयाऽविभाज्यता ॥२६२०॥

विद्वानों ने महन्त के पद का हिस्सा नहीं माना है। उसी प्रकार मठ की संपत्ति भी नहीं बांटी जा सकती है।

मठे परम्परायाते पट्टशिष्यो मठाऽधिपः।
मठेशेनाऽकृते न्याय्ये निर्देशे रीति संमतः ॥२६२१॥

परम्परा से अधिकार में रहे (मौरूसी) मठ में मुख्य (senior) शिष्य महन्त होता है। महन्त द्वारा ठीक नियुक्ति न होने पर रिवाज से माना हुआ (महन्त) होता है।

कर्तुर्हिताय निर्दिष्टो नो मठस्य हिताय यः।
अमान्यः स तथैवाऽत्र च्छलसन्धानतः कृतः ॥२६२२॥

जो (नया महन्त) बनानेवाले के फायदे के लिए नियत किया गया हो, मठ के फायदे के लिए नहीं, वह अमान्य होता है। उसी तरह यहां पर छल के लिए मिलकर किया हुआ (collusive) भी (अमान्य होता है)।

निर्दिश्यैवोत्तराधीशं मठेशो म्रियते यदि।
तर्हि सोऽनभिषिक्तोऽपि निर्दिष्टः स्याद् मठाऽधिपः॥२६२३॥

यदि महन्त उत्तराधिकारी को निर्देश (designate) करके ही मरजाय, तो संस्कार-रहित (होने पर) भी वह नियत (मुकर्रर) किया हुआ महन्त होता है।

अनेकमठिकायुक्ते मठे यत्र मठाधिपः।
रीत्यैकस्तत्पदं नाऽश्यं तत्र चेन्नाऽनिवार्यता ॥२६२४॥

जहां पर अनेक छोटे-छोटे देव-स्थलों से युक्त मठ में रिवाज के अनुसार एक महन्त हो, वहां पर यदि अनिवार्यता (special circumstance justifying it) न हो, तो उस (महन्त के) पद का विभाग नहीं करना चाहिए। (अर्थात्-वहां पर एक से अधिक महन्त नहीं बनाने चाहिए)।

सेवायत्तपदं येन सृष्टं लेखेन वाऽथवा।
स्वपत्रेणेह तद् भावानुसारं याति तत्पदम् ॥२६२५॥

जिसने लेख (deed) या इच्छापत्र (will) से सेवायत्त (पुजारी) के पद को बनाया हो, उसके भाव (इरादे) के अनुसार वह पद चलता है। (अर्थात्-उसके नियमानुसार ही वह एक के बाद दूसरे को मिलता है)।

लेख्ये यत्र तदर्थं वा वित्तस्वाम्यकृतेऽथवा।
नतम्पन्थकृते न स्यान्निर्देशो, न च रीतितः ॥२६२६॥
निश्चितं तत्तु तत्कर्तुरेकस्मै दायहारिणे।
तत्र दायहराः कर्तुः सर्वे तत्स्वामिनो ध्रुवम् ॥२६२७॥

जहां पर लेख में उस (पद) के लिए, धन के अधिकार के लिए, या उस

(धन) के प्रबन्ध के लिए आज्ञा न हो और न रिवाज से वह (पद) उस (पद) को बनानेवाले के एक उत्तराधिकारी के लिए निश्चित हो, वहां पर निश्चय ही (उस पद के) कर्ता के सारे ही उत्तराधिकारी उस (पद) के अधिकारी होते हैं।।

परं नैवाऽनया रीत्या सेवायत्तपदं व्रजेत्।
तान् य आचारतोऽयोग्या निर्वाहे तत्पदस्य तु ॥२६२८॥

परन्तु इस तरह सेवायत्त का पद, जो रिवाज से उस पद को निभाने में असमर्थ हों, उनको नहीं मिलता।

मितस्वाम्या यतो नार्यः साधारण्येन निश्चिताः।
सेवायत्तपदस्यार्थेऽप्यतस्तास्तादृशो मताः ॥२६२९॥

क्योंकि साधारण तौर से स्त्रियां परिमित (limited) अधिकार-वाली निश्चित की गई हैं, इसलिए सेवायत्त पद के लाभ (interest) में भी वे वैसी ही मानी गई हैं।

जन्या चेत्तत्पदं यायादेकाऽधिकजनेष्विह।
निश्चित्यैव मिथः कालं कुर्युस्तर्ह्यर्चनादिकम् ॥२६३०॥

यदि यहांपर जन्म (descent) के कारण वह पद एक से अधिक जनों को मिले, तो (वे) आपस में समय (period) का निश्चय करके पूजन आदि करें।

समये चेदशक्तास्तेऽथोपहाराऽऽयदाऽर्चना।
तेष्वेकोऽप्यभियुज्याऽन्यान्कालं निर्णापयेत्सदा ॥२६३१॥

यदि वे एकाधिक पुरुष आपस में तय (agreement) न कर सकें और पूजा भेट की आमदनी देनेवाली हो, तो उनमें से एक भी दूसरों पर मुकद्दमा चलाकर समय (period) का निर्णय करवाले।

अर्चाऽधिकार एषोऽत्र संपत्तेस्तु समो मतः।
अर्चयेयुरतः श्लिष्टाः कालं भक्त्वा यथोचितम् ॥२६३२॥

यहां पर यह पूजा का अधिकार संपत्ति के समान (ही) माना गया है, इसलिए सांझवाले (joint owners) उचित-रूप से समय को बांट कर पूजन करें।

यत्रोपहारशून्या स्यात्पूजा तत्राऽभियोजनम्।
नो मतं ह्यधिकाराऽर्थं पूजायास्तु बुधैर्ध्रुवम् ॥२६३३॥
प्रबन्धकास्तथा न्यासाऽधिकृता इव तत्र ते।
अतः संभूय कर्तव्यं तत्र संपत्तिरक्षणम् ॥२६३४॥

जहां पर पूजा भेट (की प्राप्ति) से शून्य हो, वहां पर विद्वानों ने, निश्चय ही, पूजा के अधिकार के लिए मुकद्दमा चलाना नहीं माना है। वहां पर वे (सारे ही

पूजा के हकदार) प्रबन्धकों या ट्रस्टियों के समान होते हैं। इसलिए वहां पर संपत्ति की रक्षा साथ मिलकर करनी चाहिए।

व्यवहारविचारीको विवेकं क्षमते परम्।
प्रबन्धस्य व्यवस्थां हि व्यक्तेः स्वसुरसंपदः ॥२६३५॥

परन्तु सिविल कोर्ट पुरुष की अपनी (private) देवोत्तर संपत्ति के संबन्ध की व्यवस्था की विवेचना करने में समर्थ होती है।

देवस्यार्थं यदा तत्र तदा सोऽप्यनुयोज्यते।
यत्र स्वार्थविरोधः स्यात्सुरपूजकयोः पुनः ॥२६३६॥
भवेत्प्रतिनिधिस्तत्र निष्पक्षोऽन्यः सुरस्य तु।
सेवायत्तविवादेषु न देवस्याऽनुयोजना ॥२६३७॥

जब वहां पर देवता का स्वार्थ (interest) हो, तब उसे भी (मुकद्दमे में) साथ (शरीक-party) कर लेते हैं और जहां पर देवता और सेवायत्त के स्वार्थ परस्पर विरोधी हों, वहां पर (कोई) दूसरा निष्पक्ष (disinterested) (व्यक्ति) देवता का प्रतिनिधि (representative) होता है। सेवायत्तों के (आपस के) झगड़ों में देवता शरीक (party) नहीं किया जाता।

देवे न्यासीकृतेऽशक्तो द्वाभ्यामेकतरोऽर्चकः।
लाभांशायाऽभियोक्तुं हि सेवायत्तजनं परम् ॥२६३८॥

देवता को पट्टे (lease) पर दे देने पर दो सेवायत्तों में से एक (अपने) लाभ (royalty) के हिस्से के लिए दूसरे सेवायत्त पर मुकद्दमा नहीं चला सकता।

मिताक्षरानुगाश्चे स्युः पृक्ताः सेवारतास्तदा।
ज्येष्ठ एव क्षमः संपत्प्रबन्धे नाऽपरे क्रमात् ॥२६३९॥

यदि सेवा करनेवाले साझे के कुटुम्बवाले और मिताक्षरा के अनुयायी हों, तो (उनमें से) सब से बड़ा ही संपत्ति का प्रबन्ध कर सकता है, दूसरे (छोटे) बारी-बारी से नहीं (कर सकते)।

पृक्ताऽनेकाऽर्चनाऽऽसक्तनियुक्तौ दानकारकः।
अपि क्षमो मतो लोके निर्विवादं निजेच्छया ॥२६४०॥

(वह) दान का करनेवाला भी अपनी इच्छा से सामेवाले एक से अधिक सेवायत्तों की नियुक्त करने में, यहां पर बिना किसी झंझट के, समर्थ होता है।

सेवायत्तेषु नो कश्चित् स्वे वारेऽपीहितास्पदे।
मूर्ति नेतुं क्षमः पूजासौकर्याय कदाचन ॥२६४१॥

सेवायत्तों में से कोई, अपनी बारी में भी, मूर्ति को पूजा की आसानी के लिए अपने चाहे हुए स्थान पर कभी नहीं लेजा सकता।

सेवायत्तस्तु नो वङ्गे प्रयागे वा क्षमो मतः ।
निर्देष्टुं स्वोत्तरं रूढ्या अभावे रुचिपत्रतः ॥२६४२॥

बंगाल और प्रयाग में सेवायत्त को, रिवाज न होने पर, इच्छापत्र के द्वारा अपना उत्तराधिकारी नियुक्त (नामजद) करने में समर्थ नहीं माना है ।

महाराष्ट्रे परं शक्तः स्वोत्तरं स क्रमागतम् ।
योग्यं तत्कर्मनिर्वाहे निर्देष्टुं दायपत्रतः ॥२६४३॥

परन्तु बंबई प्रान्त में (वह) दायपत्र (इच्छापत्र) के द्वारा परम्परा से आये हुए (standing in the line of succession) और उस (सेवायत्त) के कार्य को करने के योग्य उत्तराधिकारी को नियुक्त (नामजद) कर सकता है ।

अतो यत्र समर्थः स निर्देष्टुं स्वोत्तरं स्वयम् ।
तत्र कार्येण लेखेन वा नियुञ्जीत तं ध्रुवम् ॥२६४४॥

इसलिए जहां पर वह खुद अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करने में समर्थ हो, वहां पर निश्चय ही काम (an act intervivos) द्वारा या लेख (will) द्वारा उसे नियुक्त करे ।

परं यत्र नियुक्तेः प्राक् स्वोत्तरस्य म्रियेत सः ।
तत्र प्रवर्तको वा तद्-दायादोऽधिकृतिं भजेत् ॥२६४५॥

परन्तु जहां पर वह (सेवायत्त) अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति के पहले ही मरजाय, वहां पर (उस) अधिकार को (उस धर्म-न्यास का) प्रारम्भ करनेवाला (founder) या उस (प्रवर्तक) का उत्तराधिकारी (heir) प्राप्त कर लेता है ।

देवोत्तरायाः संपत्तेः प्रबन्धाऽधिकृतिः स्वयम् ।
सेवायत्तेन विक्रीता ज्ञेयाऽमान्या बुधैरिह ॥२६४६॥

सेवायत्त (या महन्त) ने स्वयं देवोत्तर संपत्ति के प्रबन्ध का अधिकार बेच-दिया हो, तो विद्वानों को यहां पर उसे नहीं मानने लायक ही जानना चाहिए ।

क्रेता तद्धर्मनिक्षेपशिष्टिं चाऽनुसरिष्यति ।
इति कृत्वाऽपि विक्रीताऽधिकृतिर्नाऽन्यगा भवेत् ॥२६४७॥

खरीदनेवाला उस धार्मिक ट्रस्ट (endowment) के नियमों का पालन करेगा-ऐसा (तय) करके भी बेचा हुआ (अपना) अधिकार दूसरे के पास नहीं जाता ।

सेवायत्तं प्रति प्राप्य ऋणोद्धाराय शासनम् ।
जनस्तदधिकारं तु नैव विक्रेतुमीश्वरः ॥२६४८॥

पुरुष कर्जे को वसूल करने के लिए सेवायत्त के खिलाफ डिग्री प्राप्त करके भी उस (सेवायत्त) के अधिकार को नहीं बेच सकता ।

रूढिसत्त्वेऽप्यमान्योऽसावधिकारस्य विक्रयः ।
समाजाचारवर्ज्यत्वात् प्राड्विवाकैरसंशयम् ॥२६४९॥

रिवाज होने पर भी, समाज के रिवाज से वर्जित होने से, यह अधिकार का बेचना न्यायकर्ताओं द्वारा, निःसन्देह, नहीं, मानने लायक होता है।

विक्रेतुरेव लाभाऽर्थमसंबद्धाय दीयते ।
विक्रयेणाऽधिकारश्चेत्तदमान्यं विशेषतः ॥२६५०॥

यदि बेचनेवाले के लाभ के लिए ही अधिकार को बेचकर असंबद्ध (उस ट्रस्ट से किसी प्रकार का संबन्ध न रखनेवाले—stranger) पुरुष को दे दिया जाय, तो यह विशेष रूप से अमान्य होता है।

स्वाऽधिकारं तथैवाऽत्र धर्मन्यासे नियोजिताः ।
अपि शक्ता न विक्रेतुं स्वार्थलाभाय जातुचित् ॥२६५१॥

उसी प्रकार यहां पर धार्मिक ट्रस्ट के ट्रस्टी अपने आर्थिक लाभ के लिए अपने अधिकार को कभी नहीं बेच सकते।

सेवायत्तपदस्याऽत्र निषिद्धे विक्रयेऽप्यलम् ।
तत्रोपहारतोऽन्यस्मै तत् समर्पयितुं जनः ॥२६५२॥
यत्र निक्षेपकर्त्रैव स्ववंश्येभ्यः सुरक्षितः ।
तत्प्रबन्धोऽन्यवंश्येभ्यो दत्तो वा स निजेच्छया ॥२६५३॥
एतादृशे स्थले सेवायत्तस्त्यक्त्वा निजं पदम् ।
दातुं योग्याय वंश्याय स्वोत्तरस्थाय तत्क्षमः ॥२६५४॥

सेवायत के पद का बेचना मना होने पर भी पुरुष उस स्थान पर उसे उपहार (gift) द्वारा दूसरे को देने में समर्थ होता है, जहां पर उस ट्रस्ट के बनानेवाले ने ही उसका प्रबन्ध अपने वंशवालों के लिए सुरक्षित रखा हो, या उसे अपनी इच्छा से दूसरे घरानेवालों को दे दिया हो। ऐसे स्थान पर सेवायत अपने पद को छोड़कर वंश में उत्पन्न हुए अपने से आगे के योग्य व्यक्ति (standing in the line of succession) को उसे दे सकता है।

सेवायत्तेष्वनेकेषु सत्सु त्यक्त्वा निजं पदम् ।
स्ववर्गे कोऽपि कस्मै चित् स्वं स्वाम्यं दातुमीश्वरः ॥२६५५॥
न्यासलाभाय, किन्त्वमाऽसंबद्धाय तु न क्षमः ।
दातुं, यदि न तद्दानं रूढितः संमतं भवेत् ॥२६५६॥

अनेक सेवायतों के होने पर (उसमें से) कोई भी अपने पद को छोड़कर, ट्रस्ट के फायदे के लिए, अपने अधिकार को अपने वर्ग के किसी पुरुष को दे सकता है। परन्तु संबन्ध नहीं रखनेवाले पुरुष (stranger) को, यदि वह देना रिवाज से माना गया न हो, तो नहीं दे सकता।

न्याय्या मिथोऽभिमत्या चेद्वादिनाऽधिकृतिर्निजा।
आत्मनोऽन्तेऽर्हते किन्तु प्रागेव स्वाम्यमीयुषे ॥२६५७॥
त्यक्ता तर्हि तु स त्यागः सेवायत्तपदस्य हि।
मान्य एव मतो विज्ञैर्नाऽत्र कार्या विचारणा ॥२६५८॥

आपस के न्याय्य (bonafide) समझौते से यदि मुद्दई ने अपना अधिकार, अपने बाद में अधिकार प्राप्ति के योग्य, परन्तु अपने से पहले ही अधिकारी हुए, पुरुष के लिए छोड़दिया हो, तो सेवायत्त पद का वह त्याग विद्वानों ने मान्य ही माना है। इसमें विचार नहीं करना चाहिए।

नैव सर्वजनीनस्य मन्दिरस्य प्रवन्धकः।
तद् मन्दिरगतां मूर्तिं शक्तः स्थापयितुं स्वयम् ॥२६५९॥
अन्यस्मिन्मन्दिरे चेत्स्युर्विरुद्धा बहुसंख्यकाः।
पूजकास्तत्कृते नूनं न्यायमान्यमदो मतम् ॥२६६०॥

सार्वजनिक मन्दिर (public temple) का प्रबन्धक, यदि बहुसंख्यक भक्त, निश्चय ही, उस (काम) के विरुद्ध हों, तो उस मन्दिर की मूर्ति को स्वयं दूसरे मन्दिर में नहीं स्थापन कर सकता। यह न्याय से माना हुआ मत है।

आर्यन्यायाऽनुसारेण देवसेवाप्रवर्तकः।
तद्दायादोऽथवा सेवायत्तास्पदपतिर्भवेत् ॥२६६१॥

हिन्दू नियमानुसार देवता की सेवा का प्रारम्भ करवाने वाला (founder) या उसका हकदार (heir) सेवायत्त के पद का अधिकारी होता है।

अन्यस्तु तन्नियुक्तः स्यात् क्रमसंक्रमणं पुनः।
तत्पदस्याऽत्र विज्ञेयं पूर्वोक्तनियमैध्रुवम् ॥२६६२॥

दूसरा सेवायत्त तो उसका नियुक्त किया हुआ ही होता है। और यहां पर उस पद का क्रम से दूसरे को मिलना (devolution) निश्चय ही पहले (श्लोक २६२५ से २६४५ तक में) कहे नियमों से जानना चाहिए।

न्यासे सर्वजनीनेऽथ व्यक्तिगे नियमा इमे।
पण्डितैः कथिता नूनं तस्मान्मान्या मता इह ॥२६६३॥

पण्डितों ने सार्वजनिक (public) और व्यक्तिगत (private) ट्रस्ट (trust) में ये नियम कहे हैं। इसलिए ये, निश्चय ही, यहां पर मान्य माने गये हैं।

प्रवर्तकः प्रवन्धाऽर्थं स्वीयन्यासस्य निश्चितम्।
स्वप्रातिनिध्यतः शक्तो नियोक्तुमपरं जनम् ॥२६६४॥
पुनर्निरीक्षितुं चाऽपि तत्प्रवन्धं स्वयं तथा।
अपसारयितुं तं च स्वकर्तव्ये कृताऽऽगसम् ॥२६६५॥

प्रवर्तक (founder) अपने ट्रस्ट (trust) के प्रबन्ध के लिए अपने प्रति-

निधिरूप से, निश्चय ही, दूसरे आदमी को नियुक्त कर सकता है, और फिर उसके प्रबन्ध का स्वयं निरीक्षण भी कर सकता है और उसके अपने कर्तव्य में अपराधी होने पर उसे दूर भी कर सकता है।

परं कर्त्रा निजं स्वाऽर्थं त्यक्त्वा न्यासे समर्पितः।
तस्य पूर्णाऽधिकारश्चेत् परस्मै तर्हि निश्चितम् ॥२६६६॥
सोऽभियोक्तुं समर्थो नो प्रदत्ताऽधिकृतिं जनम्।
तन्न्यासीयप्रबन्धस्य स्वामित्वपुनराप्तये ॥२६६७॥

परन्तु यदि कर्ता (founder) ने ट्रस्ट (trust) में (के) अपने स्वार्थ (interest) को छोड़कर, उसका पूरा अधिकार दूसरे को सौंप दिया हो, तो वह जिसको अधिकार दिया हो, उस पर, उस ट्रस्ट के प्रबन्ध के अधिकार को वापस लेने के लिए निश्चय ही मुकद्दमा नहीं चला सकता।

उपहारप्रणीता वा रुचिपत्रकृता पुनः।
वंश्यक्रमाऽनुगाऽर्थस्य संस्था न्यायविरोधतः ॥२६६८॥
अमान्याऽतः क्रमाऽऽयाते पदे, न्यासे च धार्मिके।
स्थिरेऽर्थे चाऽपि नो शक्ताः प्राप्तुं दायादतां जनाः ॥२६६९॥

उपहार (gift) से बनाई या फिर इच्छापत्र (will) से बनाई औलाद के क्रम से चलती रहनेवाली धन की संस्था (estate of inheritance) न्याय (law) के विरोध के कारण नहीं मानने लायक होती है। इसलिए (उस संस्था के) क्रम से चले आनेवाले पद (hereditory office) में, क्रम से चले आनेवाले धार्मिक ट्रस्ट (hereditary endowment) में और क्रम से चले आनेवाले स्थिर धन (hereditory immovable property) में पुरुष हकदारी (inheritance) को नहीं पा सकते। (अर्थात्-अपने हकदारों के लिए स्थायी ट्रस्ट नहीं बनाया जा सकता।)

रुचिपत्रोपहाराभ्यां तथैवार्योऽत्र न क्षमः।
सेवायत्तान् विधातुं स्वान् पुंसंतानान् यथाक्रमम् ॥२६७०॥

उसी प्रकार (एक) हिन्दू यहां पर इच्छापत्र या उपहार से अपनी पुरुष संतान को क्रमानुसार (पहले पुत्र को फिर पौत्र को और उसके बाद प्रपौत्र आदि को) सेवायत्त बनाने (नियुक्त करने) में समर्थ नहीं होता।

इच्छापत्रविधौ मोक्ता उपहारविधौ च ये।
सेवायत्तपदाऽऽप्त्याप्यादेया नियमा हि ते ॥२६७१॥

इच्छापत्र की विधि में और उपहार की विधि में जो नियम कहे हैं, वे ही सेवाय॰

के पद की प्राप्ति में भी ग्रहण करने चाहिए। (इसके लिए देखो श्लोक २३७५-२३७८, २४१०-२४११ और २४५१-२४५२।)

कर्त्रा यदि प्रणीतैका श्रेणी तत्पदहेतवे।
निःशेषा किन्तु जाता सा प्रबन्धाऽधिकृतिस्तदा ॥२६७२॥
कर्त्तारं वाऽस्य दायादान् याति ते नाऽन्यथा क्षमाः।
लेख्याऽगुप्ताऽधिकारास्तु प्रबन्धपरिवर्तने ॥२६७३॥

यदि कर्ता ने उस (सेवायत) पद (को ग्रहण करने) के लिए एक श्रेणी (line of succession) बनादी हो, परन्तु वह समाप्त हो गई हो, तो प्रबन्ध का अधिकार (उस सेवायत पद के) कर्ता या इसके हकदारों (heirs) के पास चला जाता है। लेख (deed of endowment) द्वारा अरक्षित अधिकार वाले वे अन्य प्रकार से प्रबन्ध को बदलने में समर्थ नहीं होते। (अर्थात्-धार्मिक न्यास के करने के समय उसके लेख में अपने अधिकार सुरक्षित न रक्खे हों, तो अधिकारियों की श्रेणी के निःशेष होने पर ही ट्रस्ट के कर्ता या उसके उत्तराधिकारियों को ट्रस्ट पर अधिकार प्राप्त होता है)।

सकृद्धर्माय यद्दत्तं प्रत्याऽऽदातुं न शक्यते।
तल्लाभदोऽधिकारोऽपि दत्तो नाऽऽयाति चार्पकम् ॥२६७४॥

एकबार जो धर्म के लिए दे दिया हो, वह वापस नहीं लिया जा सकता। उसका लाभप्रद अधिकार भी (एक बार दे दिये जाने पर) देनेवाले के पास लौटकर नहीं आता। (यहां पर देनेवाले से देनेवाला और उसके उत्तराधिकारी ग्रहण करने चाहिए)।

चेद् यदर्थं धनं दत्तं तस्मिन्नो उपयुज्यते।
तर्हि दाताऽथ तद्दायहरः शक्तोऽभियोगतः ॥२६७५॥
तस्मिन् कर्मणि तद्वित्तमुपयोजयितुं ध्रुवम्।
परं दत्ताऽर्थमादातुं न क्षमौ तावुभावपि ॥२६७६॥

यदि जिस काम के लिए धन दिया हो उस काम में नहीं लिया जाता हो, तो देनेवाला या उसका उत्तराधिकारी मुकद्दमे द्वारा, निश्चय ही, उस धन को उस काम में उपयोग करवा सकता है। परन्तु वे दोनों ही दिये हुए धन को वापस नहीं ले सकते।

यदर्थं वित्तदानं स्यात्तस्याऽस्तित्वे गते पुनः।
प्राड्विवाकाऽऽज्ञया स्यातां तत्समाऽर्थोपयोजिनौ ॥२६७७॥

फिर जिस काम के लिए धन दिया हो उसके अस्तित्व के मिटजाने पर वे दोनों (देनेवाला और उसके उत्तराधिकारी) न्यायाधीश की आज्ञा से उस (धन) को (उसीके) समान काम में लगवा सकते हैं।

दानमस्थाय्यपि प्रत्यादातुं नैवाऽत्र शक्यते।
न्यासप्रवर्तकः कर्ता नोत्तरा उपचायिनः ॥२६७८॥

अस्थायी दान (temporary endowment) भी यहां पर वापस नहीं लिया जा सकता। ट्रस्ट का प्रारम्भ करनेवाला (उसका) कर्ता (founder) होता है, बाद के (धनको) बढानेवाले नहीं होते।

मूर्त्यै दत्तोपदा तस्याः संपत्तिस्तु यतो मता।
अतस्तु तत्कृते दत्ता तस्या एवाऽत्र भूरपि ॥२६७९॥

क्योंकि मूर्ति के लिए दिया उपहार उसकी संपत्ति माना गया है। इसलिए उस मूर्ति के लिए दी हुई भूमि भी, यहां पर, उसी की होती है।

परं तत्रत्यया रूढ्या कर्तृघोषणया तथा।
क्वचित्स्यातामुभे सेवायत्तस्यैवाऽत्र ते ध्रुवम् ॥२६८०॥

परन्तु वहां (मन्दिर) के रिवाज से या कर्ता (मन्दिर के स्थापन करनेवाले) की घोषणा (express declaration) से यहां पर कहीं-कहीं वे दोनों (उपहार में दी संपत्ति और भूमि) सेवायत्त की ही होती हैं।

जनैरुपहृतं द्रव्यमुपयोज्यमसंशयम्।
मूर्तेः पूजोत्सवाभ्यां वा मन्दिरस्य व्ययाय वा ॥२६८१॥
तत्रत्यपुण्यकार्येभ्य एव नाऽन्यत्र कुत्रचित्।
सेवायत्तोऽपि नाऽलं तद्व्ययितुं निजकर्मणि ॥२६८२॥

लोगों द्वारा भेट किया हुआ धन, बिना संशय के, मूर्ति की पूजा या (उसके) उत्सव के लिए, मन्दिर के खर्च के लिए या वहां के दान-पुण्य के कामों के लिए ही काम में लेना चाहिए। (उसे) कहीं भी दूसरे काम में नहीं लेना चाहिए। सेवायत्त भी उसे अपने काम में खर्च नहीं कर सकता।

सेवाभारविहीनैस्तु यत्र तद् गृह्यते क्वचित्।
विघट्टमार्हस्तत्तत्र ऋणे ग्राह्यश्च जायते ॥२६८३॥

जहां कहीं (मन्दिर की) सेवा की जिम्मेदारी से हीन लोगों द्वारा वह धन लिया जाता है, वहां वह बटवारे (alienation) के योग्य और कर्ज़ में लेने लायक (attachable) हो जाता है।

मन्दिराऽऽगतयात्रिभ्यो धनाऽऽदानाऽधिकारिता।
मता विघट्टनाऽनर्हा विधानज्ञैस्तु पण्डितैः ॥२६८४॥

मन्दिर में आनेवाले यात्रियों से धन लेने का अधिकार, कानून के जाननेवालों ने, बटने योग्य (alienable) नहीं माना है।

शासितुं सार्वजनिकमन्दिरस्य प्रबन्धकान् ।
पदाद् भ्रंशयितुं चाऽपि क्षमा न्यायालया मताः ॥२६८५॥

सार्वजनिक (public) मन्दिरों के प्रबन्ध कों पर शासन करने में और उनको अपने पद से हटाने में भी न्यायालय (courts) समर्थ माने गये हैं ।

छल वा देवसंपत्तेर्मिथ्याऽऽयव्ययकल्पनम् ।
अलं तस्य बहिष्कारे तथा घोराऽपराधनम् ॥२६८६॥

कपट (fraud) या देवता की संपत्ति का झूठा जमा-खर्च (misappropriation) अथवा घोर अपराध उस (प्रबन्धक—manager) को हटाने में पर्याप्त होते हैं ।

स्वपदाऽधिकृतिभ्रान्तिः शैथिल्यं वा स्वकर्मणि ।
पर्याप्तौ नो मतौ हेतू स्वपदादपसारणे ॥२६८७॥

अपने पद के अधिकार का भ्रम अथवा अपने काम में ढीलापन उसको अपने अधिकार से दूर करने में पर्याप्त कारण नहीं माने गये हैं ।

एतादृशे स्थले स्थाप्या सभैका न्यायकारिभिः ।
या निरीक्षेत तत्कार्यं शिष्यात्तं च यथोचितम् ॥२६८८॥

न्याय करनेवालों को ऐसे स्थान पर एक सभा (committee) स्थापित करनी चाहिए, जो उस (प्रबन्धक) के कामों का निरीक्षण (supervision) करे और उसे उचित रूप से शिक्षा दे (control करे) ।

निर्मायैकां व्यवस्थां वा मन्दिरे तां प्रवर्तयेत् ।
पारम्पर्यपदेऽप्येषा व्यवस्था नैव हानिदा ॥२६८९॥

अथवा (वह सभा) एक व्यवस्था ((scheme) को बनाकर मन्दिर में चला देवे । यह व्यवस्था (प्रबन्ध) परम्परा से मिलनेवाले पद (hereditary office) में भी हानि नहीं करती ।

नियमैः सार्वजनिके मन्दिरे यैर्व्यवस्थितिः ।
तैः कर्तुं व्यक्तिगे तस्मिश्च शक्या सा कथञ्चन ॥२६९०॥

जिन नियमों से सार्वजनिक मन्दिर में व्यवस्था (प्रबन्ध) होती है, उनसे उस (मन्दिर) के व्यक्तिगत (private) होने पर वह (व्यवस्था) किसी तरह नहीं हो सकती ।

यत्र सर्वजनीनं हि दानं स्वीयं वदञ्जनः ।
नियुङ्क्ते तत्प्रबन्धार्थं जनं मान्यं न तन्मतम् ॥२६९१॥

जहां पर मनुष्य सार्वजनिक दान (charity) को अपना बतलाता हुआ

उसके प्रबन्ध के लिए (किसी) आदमी को नियुक्त करता है, वह मान्य नहीं माना गया है।

> व्यक्तिगः सार्वजनिको धर्मन्यासो द्विधा मतः।
> क्रियतेऽथ तयोर्व्याख्या जनानां बोधहेतवे ॥२६६२॥

धार्मिक न्यास (relegious endowment) दो तरह का माना है—व्यक्तिगत (private) और सार्वजनिक(public)। आगे लोगों के जानने के लिए उनकी व्याख्या (खुलासा) की जाती है।

> कौटुम्बिकस्य देवस्याऽर्थायै यत्र पृथक् कृता।
> संपत्तिर्यत्र च स्याऽर्थो नाऽन्येषां व्यक्तिगस्तु सः ॥२६६३॥

जहां कुटुम्ब के देवता की पूजा के लिए संपत्ति जुदा करदी हो और जिसमें दूसरों (कुटुम्ब से भिन्न लोगों) का स्वार्थ (interest) न हो, वह व्यक्तिगत न्यास (private endowment) होता है।

> स स्यात्सर्वजनीनो यः सर्वेषां हितकाम्यया।
> उपयोगाय वा तेषां धर्मन्यासः कृतो भवेत् ॥२६६४॥

जो धार्मिक न्यास (religious endowment) सब लोगों के हित की इच्छा से या उनके उपयोग के लिए किया गया हो, वह सार्वजनिक (public endowment) होता है।

> यत्रैकस्मिन् गृहे देवं न्यस्य न्यासो विधीयते।
> तत्पूजाऽर्थं तथा शेष आयस्तस्योपयुज्यते ॥२६६५॥
> भोजने निर्धनानां वा साहाय्येऽध्ययनैषिणाम्।
> तत्र स व्यक्तिगश्चाऽत्राऽधिकृताः सहकारिणः ॥२६६६॥

जहां एक घर में देवता को स्थापन कर उसकी पूजा के लिए न्यास (endowment) किया जाता है और उसकी बची हुई आमदनी गरीबों के भोजन में या विद्यार्थियों की सहायता में काम में लाई जाती है, वहां पर व्यक्तिगत (private endowment) होता है और वहां पर ट्रस्टी लोग साथ मिलकर काम करनेवाले होते हैं।

> मन्दिरे सार्वजनिके दानं कौटुम्बिकैरपि।
> अनाधृष्यं मतं किन्तु तद्देवाऽत्र एतं भवेत् ॥२६६७॥
> कौटुम्बिकाय देवाय तदा कौटुम्बिकाः क्षमाः।
> विधातुं सर्वसंमत्या दानोद्देश्यविपर्ययम् ॥२६६८॥

सार्वजनिक मन्दिर में दिया दान (endowment) कुटुम्बवालों द्वारा भी हस्ताक्षेप करने लायक नहीं माना गया है। परन्तु वही, यहां पर, कुटुम्ब के देवता

के लिए किया गया हो, तो कुटुम्बवाले सब (कुटुम्बवालों) की संमति से दान के उद्देश्य को बदल सकते हैं।

व्यक्तिगन्यासकर्तुर्हि वंश्याश्चेदक्षमाः स्वयम्।
कर्तुं पूजां कुटुम्बस्य मूर्तेर्न्यासाऽऽयतस्तदा ॥२६९९॥
अन्यवंशे समर्प्या सा पूजार्थं न्याससंयुता।
दाने मूर्तिहिताऽर्थे तु तन्मान्यं दातुरुत्तरैः ॥२७००॥

खानगी न्यास (private endowment) करनेवाले के वंशज यदि न्यास (endowment) की आमदनी से खुद कुटुम्ब की मूर्ति की पूजा करने में असमर्थ हों, तो वह मूर्ति मय न्यास के पूजा के लिए दूसरे वंश में सौंप देनी चाहिए। (ऐसे) दान के मूर्ति के हित के लिए होने पर वह देनेवाले के बादवालों (वंशजों) को (भी) मान्य समझना चाहिए।

नाऽन्यो भेदस्तु विज्ञेयो न्यासयोरुभयोरपि।
कौटुम्बिकाय देवाय न्यस्तोऽर्थोऽप्यत एव हि ॥२७०१॥
व्याहन्तुमनिवार्यत्वाऽभावे नैवाऽत्र शक्यते।
सेवायत्तऋणोद्धाराऽऽज्ञायां चाऽपि न तद्ग्रहः ॥२७०२॥

दोनों (खानगी और सार्वजनिक) न्यासों में दूसरा भेद नहीं जानना चाहिए। इसी लिए कुटुम्ब के देवता के लिए न्यास किया हुवा धन भी, यहां पर, अनिवार्यता न होने से नष्ट (alienate) नहीं किया जा सकता और सेवायत्त पर के कर्जे की डिग्री में भी नहीं लिया जाता।

कौटुम्बिकाय देवाय यत्र दत्तं धनं पुनः।
क्रियते लौकिकाऽर्थाय तत्र संमतिरिष्यते ॥२७०३॥
सर्वेषामेव वंश्यानां स्त्रीपुंसानां तु निश्चिता।
यतः सर्वेऽपि ते तस्या मूर्तेः पूजानुरागिणः ॥२७०४॥

फिर जहां पर कुटुम्ब के देवता के लिए दिया धन (endowment) लौकिक (secular) काम के लिए करा जाय, वहां पर कुटुम्ब के सारे ही स्त्री-पुरुषों की निश्चित संमति की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे सब उस मूर्ति की पूजा के प्रेमी (interested) होते हैं।

धर्मन्यासविधानं तु खनेत्राऽङ्कधराब्दगम्।
व्यक्तिगे धार्मिके न्यासे न प्रयोज्यं मतं बुधैः ॥२७०५॥

विद्वानों ने वि० स० १९२० (ई० सं० १८६३) का धर्मन्यास का कानून (The Religious Endowment Act 1863) व्यक्तिगत धार्मिक न्यास (private endowment) में प्रयोग करने लायक नहीं माना है।

कारयित्वा गृहाद् भिन्नं मन्दिरं दानमर्पितम् ।
पूर्णस्वाम्येन लोकाश्चाऽनुज्ञाता दर्शनार्थिनः ॥२७०६॥
निर्बाधं यत्र तत्सर्वजनीनं मन्दिरं मतम् ।
न तद्व्यक्तिगतं तत्र समाधेरपि योगतः ॥२७०७॥

जहां (अपने) घर से भिन्न मन्दिर बनवाकर पूर्णाधिकार सहित दान दिया हो और दर्शन की इच्छावाले लोगों को बिना रोक के अनुमति दी हो, उसे सार्वजनिक मन्दिर माना है। वहां पर (किसी सन्त की) समाधि के होने पर भी वह व्यक्तिगत (मन्दिर) नहीं होता।

मठाः सर्वजनीनाः स्युः साधारण्येन, ते परम् ।
निर्मातुरिच्छया ज्ञेया क्वचिद् व्यक्तिगता अपि ॥२७०८

साधारण तौर से मठ सार्वजनिक होते हैं। परन्तु बनानेवाले की इच्छा से उन्हें कहीं-कहीं व्यक्तिगत भी जानना चाहिए (अर्थात्-कहीं-कहीं वे व्यक्तिगत भी होते हैं।) ।

विशिष्टसंप्रदायाऽर्थं निर्मिते मन्दिरे जनाः ।
पूजार्थं नैव शक्ताः स्युस्तद्भिन्नमतगा ध्रुवम् ॥२७०९॥

खास संप्रदाय के लिए बनाये मन्दिर में उससे भिन्न मत के अनुयायी लोग, निश्चय ही, पूजा के लिए समर्थ नहीं होते (पूजा नहीं कर सकते)।

गर्भागारप्रवेशाय शुल्कं चेद् मन्दिरे भवेत् ।
तदमान्यममान्याश्च तत्कृते नियमास्तु ये ॥२७१०॥

यदि मन्दिर में देवमूर्ति के पास जाने के लिए कर (fee) हो, तो वह अमान्य होता है और उसके विषय के, जो कानून कायदे होते हैं वे भी अमान्य होते हैं।

नित्यपट्टो मठेशेन दत्तश्चेद् मठसंपदः ।
स्वैरमथाऽन्यकार्येभ्यो न्याय्याऽऽवश्यकतामृते ॥२७११॥
तदुत्तरो मठाधीश आमीत्तन्मृत्युवासरात् ।
क्रेतारं द्वादशाब्दान्तमभियोक्तुं क्षमः पुरा ॥२७१२॥
यावज्जीवं यतः शक्तः पट्टदाने मठाऽधिपः ।
अतस्तस्य मृतौ क्रेताऽनधिकाराऽधिकारवान् ॥२७१३॥

यदि महन्त ने अपनी इच्छा से, बिना न्याय्य आवश्यकता (legal necessity) के (ही), अन्य कामों के लिए, मठ की संपत्ति का सदा के लिए पट्टा (permanent lease) दे दिया हो, तो पहले समय में, उसके बाद होनेवाला महन्त उसके मरने के दिन से बारह वर्ष तक खरीदनेवाले (पट्टा लेनेवाले) पर मुकद्दमा चला सकता था। क्योंकि महन्त अपने जीने तक पट्टा (lease) देने में समर्थ होता है,

इसलिए खरीदनेवाला उसके मरने पर बिना अधिकार के अधिकार (adverse possession) वाला होता है।

परं चेत्सोऽपि तत्पट्टमङ्गीकुर्यात्तदा क्षमः।
द्वादशाब्दं तु तच्छिष्यो गुरोरन्तेऽभियुक्तये ॥२७१४॥

परन्तु यदि वह (नया महन्त) भी उस (नित्य के) पट्टे को अङ्गीकार करले तो उसका शिष्य, गुरु के मरने पर, बारह बरस तक मुकद्दमा चला सकता है।

सेवायत्तमठेशाभ्यां न्याय्याऽवश्यकतां विना।
विहितं हि समुद्धर्तुं मृणं संप्राप्य शासनम् ॥२७१५॥
विक्रीता देवसंपत्तिश्चेत्तद् भावीपदाऽधिपः।
द्वादशाऽब्दं समर्थोऽभूत्प्रत्यादानाऽभियुक्तये ॥२७१६॥

सेवायत्त या महन्त द्वारा न्याय्य आवश्यकता के बिना किए हुए कर्ज को वसूल करने के लिए डिग्री प्राप्त कर देवता की संपत्ति बेचदी गई हो, तो आगे उस पद पर बैठनेवाला (अर्थात्–उनका शिष्य) बारह वर्ष तक (उसको) फिर से प्राप्त करने के लिए मुकद्दमा चला सकता था।

द्वादशाब्दयास्तु समयः संख्येयो विबुधैरिह।
विक्रयस्य दिनादेव नाऽधमर्णस्य मृत्युतः ॥२७१७॥

विद्वानों द्वारा यहां (उपर्युक्त स्थान) पर बारह वर्ष का समय बेचने के दिन से ही गिनना चाहिए कर्जा करनेवाले की मृत्यु से नहीं।

विक्रीता देवभूमिस्तु सेवायत्तेन वाऽथवा।
मठेशेन स्वयं यत्र न्याय्याऽवश्यकतां विना ॥२७१८॥
तत्राऽपि द्वादशाब्दानां समयो विक्रयाहतः।
विक्रेतुर्मरणान्नाऽसौ विज्ञातो ह्यभियुक्तये ॥२७१९॥

जहां पर सेवायत्त ने अथवा महन्त ने खुद ही बिना न्याय्य आवश्यकता के देवता की भूमि बेच दी हो, वहां पर भी मुकद्दमा चलाने का बारह वर्ष का समय, बेचने के दिन से ही, माना गया है, बेचनेवाले के मरने से यह (समय) नहीं माना है।

यत्र संपत्तियुक्तस्य मठस्याऽर्पणपत्रके।
समाविष्टा भवेद्भूमिस्तद्गा, लेखः स निष्फलः ॥२७२०॥
दानाहादेव तत्र स्यादभियोगे क्षमो जनः।
मठेशस्य मृतौ किन्तु मठाऽर्थोऽस्य विक्रये ॥२७२१॥

जहां संपत्ति सहित मठ के दान-पत्र में उस (मठ) की भूमि (भी) साथ जोड़ दी हो, वह लेख निष्फल (अमान्य) होता है और वहां पर पुरुष (हक-दार) दान (देने) के दिन से ही मुकद्दमा चलाने में समर्थ होता है। परन्तु मठ

की संपत्ति के (कुछ) भाग को बेचने पर महन्त की मृत्यु से समर्थ होता है ।

धर्मन्यासो मठाऽर्थं वा मन्दिराऽर्थं कृतः पुरा ।
भिन्नः साधारणान्न्यासादासीन्न्यायेन निश्चितः २७२२॥

मठ के लिए या मन्दिर के लिए किया धार्मिक न्यास (endowment) पहले साधारण न्यास (trust) से भिन्न, न्याय से निश्चित, था ।

मठाधीशस्तथा सेवासक्तोऽप्यासीत्पृथक् पुनः ।
न्यासदत्ताऽधिकारात्तु रक्षकाद् न्याससंपदः ॥२७२३॥

महन्त और सेवायत भी न्यास (trust) में दिया गया है अधिकार जिसको ऐसे न्यास (trust) की संपत्ति के रक्षक (trustee) से जुदा था ।

[illegible]

[illegible] इन दोनों

परन्तु [illegible] का न्यासत्व (ट्रस्ट पन) और रक्षकत्व (ट्रस्टीपन) होता था । (अर्थात्—वही पर वह धन ट्रस्ट होता था और पानेवाला सेवायत या महन्त उसका ट्रस्टी होता था ।)

षडष्टनवचन्द्राऽब्दे परिशोध्य पुरातनम् ।
याणतुं निधिचन्द्राब्दपरिच्छित्तिविधानकम् ॥२७२५॥
धर्माऽर्थस्य समावेशः न्यास एव कृतः पुनः ।
रक्षकत्वं च निर्णीतं सेवायत्तमठेशयोः ॥२७२६॥

(विक्रम संवत्) १९८६ (ई० सं० १९२९) में (विक्रम संवत्) १९६५ (ई० सं० १९०८) के मर्यादा के कानून (The Indian Limitation Act 1908) का संशोधन (amendment) करके धार्मिक धन (religious or charitable endowment) का समावेश न्यास (trust) में ही करदिया और फिर सेवायत और महन्त का (उसका) रक्षक (trustee) होना (भी) निर्णीत (तय) कर दिया है ।

ज्ञानाह्वाद् द्वादशाब्दान्तोऽभियुक्त्यै निश्चितोऽवधिः ।
दानधर्मार्थनिक्षेपस्थितायां स्थिरसंपदि ॥२७२७॥
कृतायां परसात्लाभहेतवे रक्षकेण तु ।
निवार्पिकोऽवधिश्चाऽथ सैव स्यादस्थिरा यदि ॥२७२८॥

रक्षक (manager) द्वारा लाभ के लिए (for valuable consideration), दान और धर्म न्यास (charitable or religious endowment) में रही स्थिर संपत्ति के दूसरे के अधिकार में दे देने पर, मालूम होने के दिन से बारह वर्ष तक मुकद्दमे के लिए अवधि निश्चित की है, और यदि वही (दूसरे के

अधिकार में दी गई संपत्ति) अस्थिर हो, तो तीन वर्ष की अवधि मानी है।

धर्म्यन्यासगतायास्तु स्थिरायाः संपदः स्वयम्।
पूर्वाऽधिकारिणाऽन्यस्मै लाभार्थं हि समर्पिते ॥२७२६॥
स्वाम्ये तत्पुनरादत्त्यै समयो द्वादशाब्दिकः।
प्रदातुर्मरणात्यागात्तथा निष्कासनात् पुनः ॥२७३०॥

धार्मिक न्यास (religious or charitable endowment) में की स्थिर संपत्ति के अधिकार को खुद पहले के अधिकारी द्वारा, लाभ के लिए, दूसरे को सौंप देने पर उसके वापस लेने के लिए, देनेवाले के मरने से, त्यागपत्र देने (resignation) से या निकाल दिये जाने (removal) से बारह वर्ष तक का समय निश्चित किया है। (अर्थात्–उस समय के भीतर ही मुकद्दमा चलाना चाहिए)।

अस्थिरा सा भवेद्यत्र तत्र तस्याः कृते कृतः।
अभियोगाऽवधिर्नूनं न्यायमान्यस्त्रिवार्षिकः ॥२७३१॥

जहां पर वह (उपर्युक्त प्रकार से दी हुई संपत्ति) चल हो, वहां पर उसके लिए कानून से मानी हुई मुकद्दमे की अवधि तीन वर्ष की है। (अर्थात्–ऐसे स्थान पर अधिकार को दूसरे को देनेवाले के मरने से, त्यागपत्र देने से या निकाले जाने से तीन वर्ष के भीतर अभियोग चलाना होता है)।

पूर्वद्वयेऽभियुक्त्यै स्यादनुरक्तो जनः क्षमः।
परद्वयेऽर्पकस्यैवोत्तरस्तत्पदभाजनम् ॥२७३२॥

पहले दो स्थानों पर (अर्थात्–प्रबन्धक द्वारा स्थिर और अस्थिर संपत्ति का अधिकार दूसरे को देने पर) मुकद्दमा चलाने के लिए (कोई भी) अनुरक्त (interested) पुरुष समर्थ हो सकता है और पिछले दो स्थानों पर (अर्थात्–पुराने प्रबन्धक द्वारा दूसरे को दिये स्थिर और अस्थिर संपत्ति के अधिकार को वापस लेने के लिए) मुकद्दमा चलाने में देनेवाले के बाद का उस पद का उत्तराधिकारी ही समर्थ होता है।

अनेनैव विधानेन दत्तपट्टाद्विमोच्यते।
संपत्तिर्द्वादशाब्दान्तं धर्मन्यासगता पुनः ॥२७३३॥
विनिर्गतेऽवधौ न स्याद् विद्यमानो मठाधिपः।
तामुद्धर्तुं क्षमः किन्तु निश्चिताऽर्थग्रहे प्रभुः ॥२७३४॥

इसी (Limitation Act) से धार्मिक न्यास (religious endowment) में की संपत्ति दिये हुए पट्टे (lease) से, बारह वर्ष तक छुड़ाई जाती है। अवधि के निकल जाने पर विद्यमान (अर्थात्–जिसने बारह वर्ष तक संपत्ति को

वापस लेने के लिए प्रयत्न न किया हो ऐसा) महन्त उसको नहीं छुड़वा सकता । परन्तु वह (पट्टे में) निश्चित किये धन को लेने में समर्थ होता है ।

> सेवायत्तो मठेशो वा बाल्ये दूरीकियेत चेत् ।
> स्वपदार्त्तर्हि शक्तः सोऽभियुक्त्यै तद्दिनात्किल ॥२७३५॥
> द्वादशाब्दमयो ज्यब्दं वायःस्थप्राप्तितः पुनः ।
> तयोर्दीर्घतरः कालो यो भवेत्तदवच्युत ॥२७३६॥

यदि सेवायत्त या महन्त बचपन में अपने पद से दूर कर दिया जाय, तो वह निश्चित रूप से उसी दिन से बारह वर्ष तक या बालिग होने से तीन वर्ष तक अथवा उन दोनों में से जो समय लम्बा हो उसकी समाप्ति तक मुकद्दमा चलाने में समर्थ होता है ।

> आजीवाऽऽप्ताऽधिकारे तु सेवायत्ते मृते यदि ।
> तद्दायादैर्हि संपत्तिर्धर्म्याऽधिक्रियते तदा ॥२७३७॥
> न्यासप्रवर्तकस्याऽलं दायादा अभियुक्तये ।
> मृत्युतो द्वादशाऽब्दान्तं सेवायत्तस्य निश्चितम् ॥२७३८॥

अपने जीवन पर्यन्त के लिए पाये हुए अधिकारवाले सेवायत्त के मरने पर यदि धार्मिक संपत्ति उसके हकदारों द्वारा कब्जे में करली जाय, तो (उस) न्यास (endowment) को प्रचलित करनेवाले (founder) के उत्तराधिकारी, सेवायत्त के मरने से बारह वर्ष तक, निश्चित रूप से, मुकद्दमा चला सकते हैं ।

> विरुध्याऽभियोक्त्राऽत्र तत्पूर्वाऽधिकृतेन वा ।
> पारम्पर्यपदं कोऽपि स्वात्मसात्कुरुतेऽपरः ॥२७३९॥
> अवधिस्त्वभियोगाय तद्दिनाद् द्वादशाऽब्दिकः ।
> उद्धारार्थं पदस्याऽत्र नूनं न्यायविनिश्चितः ॥२७४०॥

यहां पर मुकद्दमा चलानेवाले से या उसके पहले के अधिकारी से विरोध करके परम्परा से (hereditary) चले आनेवाले पद (office) को, कोई दूसरा कब्जे में कर ले (तो) ऐसे स्थान पर पद को छुड़वाने के वास्ते मुकद्दमा चलाने की अवधि उस (कब्जा करने के) दिन से बारह वर्ष की, निश्चितरूप से, न्याय से, निश्चित है ।

> यजमानीयवृत्यास्तु पैत्र्या याऽत्राऽधिकारिता ।
> सा पैतृकस्थिराऽर्थस्य स्वाम्यवद्धि मता बुधैः ॥२७४१॥

यहां पर पैतृक (बाप-दादों से आनेवाली) यजमान वृत्ति का जो अधिकार वह विद्वानों ने पैतृक अचल धन के अधिकार के समान माना है ।

२२ विवाहः

पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा ।
कन्याप्रदः पूर्वनाशे प्रकृतिस्थः परः परः ॥ (६३) ॥
अप्रयच्छन्नवाप्नोति भ्रूणहत्यामृतावृतौ ।
दात्रभावे विवाहार्हं कन्या कुर्यात्स्वयं वरम् ॥ (६४) ॥

(याज्ञवल्क्यः ।)

पिता, दादा, भाई, सकुल्य (एक कुल का) या माता पहले के मरने पर, स्वस्थ चित्तवाला, दूसरा-दूसरा कन्या देनेवाला होता है । कन्या को नहीं देता हुआ (वह अधिकारी उसके) प्रत्येक ऋतु काल (her courses) में गर्भ-हत्या का अपराधी होता है । देनेवालों के न होने पर कन्या खुद शादी के योग्य वर को करले । (यह याज्ञवल्क्य का वचन है ।)

असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः ।
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥

(मनुस्मृतिः, अध्यायः ३, श्लोकः ५।)

जो माता की सपिण्डा न हो और जो पिता के गोत्र की न हो, वह स्त्री ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के अग्निहोत्र आदि के काम में और सन्तानोत्पत्ति में प्रशंसित मानी गई है । (यह मनु का वचन है ।)

सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते ।
समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ॥

(मनुस्मृतिः; अ० ५, श्लो० ६० ।)

सातवीं पीढ़ी में सपिण्ड पन दूर हो जाता है और जन्म और नाम के अज्ञात हो जाने पर (अर्थात्-कुल में इतना दूर हो जाने पर कि जिससे जन्म और नाम का पता ही न चले) समानोदकता दूर हो जाती है । (यह भी मनु का वचन है)

स्मृतिशास्त्राऽनुसारेण विवाहस्त्वार्यजातिषु ।
धर्मकृत्यकृते धर्म्यः संयोगो विबुधैर्मतः ॥२७४२॥

विद्वानों ने आर्य जातियों में विवाह को स्मृतिशास्त्रों के अनुसार धार्मिक कार्मों (अग्निहोत्र आदि—religious duties) के लिए धार्मिक संयोग (holy union) माना है ।

जायापतिकृताद् भिन्नः समयात् स यतस्ततः ।
द्वयोरेकतरस्याऽत्र बाल्ये जातोऽपि निश्चितः ॥२७४३॥

क्योंकि वह पत्नी और पति के किये वादे (contract) से भिन्न है, इसलिए, यहां पर, उन दोनों में से एक के बचपन (minority) में होने पर भी निश्चित ही रहता है । (अमान्य नहीं होता) ।

संपाद्यते विवाहोऽयं पितृभ्यामार्यसन्ततेः ।
वधूवरौ क्षमौ तत्र नोपयोक्तुं निजं मतम् ॥२७४४॥

आर्यों (हिन्दुओं) की सन्तान का यह विवाह माता-पिता द्वारा किया जाता है । पत्नी और पति उसमें अपने मन का उपयोग करने में समर्थ नहीं होते ।

परं विक्षिप्तचित्तस्य विवाहो नैव संमतः ।
बलाच्छलाद्वा विहित उद्वाहोऽपि तथा पुनः ॥२७४५॥

परन्तु पागल का विवाह ठीक नहीं माना है । और ज़बरदस्ती और धोखे से किया विवाह भी वैसा (अमान्य) ही होता है ।

महाराष्ट्रीयसर्वोच्चन्यायालयमतेन तु ।
विवाहो दशमो धर्म्यसंस्कारः कायशुद्धये ॥२७४६॥

महाराष्ट्र (बंबई) की हाइकोर्ट के मत से विवाह, शरीर की शुद्धि के लिए, दसवाँ धार्मिक संस्कार है ।

द्राविडेनाऽपि सर्वोच्चन्यायालयमतेन सः ।
जन्माऽऽसदोषनाशाय संस्कारो दशमो मतः ॥२७४७॥

मद्रास हाइकोर्ट के मत से भी वह (विवाह) जन्म से आये दोषों के नाश के लिए दसवाँ संस्कार माना गया है ।

वह्न्यष्टनवभूवर्षे निर्माय्यैकं विधानकम् ।
बाल्योद्वाहनिषेधोऽत्र कृतो नव्यमताऽनुगैः ॥२७४८॥

विक्रम संवत् १९८६ (ई० सं० १९२९) में एक नया कानून (Child Marriage Act) बनाकर नवीन मत के अनुयायियों ने यहाँ पर बाल-विवाह का निषेध कर दिया है ।

अष्टादशाऽब्दकं बाल्यं पुंसां तत्र प्रकीर्तितम् ।
चतुर्दशाऽब्दकं स्त्रीणां विवाहार्थं पुनर्मतम् ॥२७४९॥

यहाँ पर (उस कानून में) पुरुषों का अठारह वर्ष तक का बचपन कहा है और स्त्रियों के विवाह के लिये चौदह वर्ष का (बचपन) माना है ।

वरवध्वोस्तु पितरौ रक्षकाश्च वरः स्वयम् ।
बाल्योद्वाहेन संबद्धा दण्डाऽर्हा अपि चोदिताः ॥२७५०॥

बाल-विवाह से संबन्ध रखने वाले पति और पत्नी के माता-पिता, रक्षक (guardians) और खुद वर को दण्ड पाने लायक भी बतलाया है ।

किन्तु तेन विधानेन बाल्योद्वाहस्य मान्यता ।
अधृष्यैव स्थिताऽद्याऽपि स्मृत्याऽऽचाराऽनुमोदनात् ॥२७५१॥

परन्तु उस कानून से (भी) बाल-विवाह की मान्यता, स्मृतियों के रिवाज से मानी हुई होने से, आज भी अधर्षित (unaffected) ही है ।

विवाहा अष्टधा प्रोक्ताः स्मृतिशास्त्रेषु, तेषु च।
चत्वारोऽनुमता अन्ये चत्वारोऽननुमोदिताः ॥२७५२॥

स्मृतिशास्त्रों में विवाह आठ प्रकार के कहे हैं और उनमें से चार माने हुए तथा दूसरे चार नहीं माने हुए (unapproved) हैं।

द्वावेवाऽनुमतौ किन्त्विदानीमार्यजातिषु।
ब्राह्मो ह्यनुमतेष्वेवमासुरस्त्वपरेषु च ॥२७५३॥

परन्तु आर्य जातियों (हिन्दुओं) में आज-कल दो (विवाह) ही माने गये हैं। माने हुओं में ब्राह्म विवाह, और दूसरों (नहीं माने हुओं) में आसुर विवाह।

पित्रा वा रक्षकैरन्यैः शुल्काऽऽदानं विनैव तु।
विवाहे दीयते कन्या यत्र ब्राह्मस्तु स स्मृतः ॥२७५४॥

जहाँ पिता या दूसरे रक्षकों (guardians) द्वारा बिना शुल्क (कन्या के एवजाने का धन) लिये ही विवाह में कन्या दी जाय, वह ब्राह्म विवाह माना गया है।

शुल्कमादाय दीयेत ब्राह्मेण विधिनाऽपि चेत्।
कन्या तर्ह्यासुरोद्वाहः स मतो विबुधैरिह ॥२७५५॥

यदि शुल्क (धन) लेकर ब्राह्म विवाह की विधि से भी कन्या दी जाय, तो भी विद्वानों ने, यहाँ पर, उसे आसुर विवाह माना है।

शुल्केनैव भवेद्भेदो ब्राह्माऽऽसुरविवाहयोः।
ब्राह्मस्तस्याऽनुपादानादुपादानात्तथाऽऽसुरः ॥२७५६॥

ब्राह्म और आसुर विवाहों का शुल्क से ही भेद होता है। उस (शुल्क-धन) के नहीं लेने से ब्राह्म और लेने से आसुर (विवाह) होता है।

भार्यायै तज्जनन्यै वा मानदर्शनहेतवे।
दत्तेन प्राभृतेनैव नाऽऽसुरः स मतः परम् ॥२७५७॥

परन्तु अपनी स्त्री या उसकी माता को, आदर सूचित करने के लिए दिये उपहार से ही वह आसुर विवाह नहीं माना गया है।

ब्राह्मे कन्योपहारः स्याद् याथार्थ्येन वराय हि।
आसुरे विक्रयस्तस्या मूल्याऽऽदानेन निश्चितः ॥२७५८॥

ब्राह्म विवाह में वास्तविकता से, वर के लिए कन्या की भेट (gift) होती है। आसुर में मूल्य (कीमत) लेने से, निश्चय ही, उस (कन्या) की बिक्री होती है।

तन्मूल्यं शुल्कमित्याहुः कन्यातातधनं च तत्।
पूर्वमासीत्ततः कन्याविक्रयो निन्दितो यदा ॥२७५९॥
तदानीमभवत्तच्च कन्यायाः स्त्रीधनं परम्।
वैशिष्ट्यात्तन्मृतौ तस्या भ्रातुर्मातुश्च तद्भवेत् ॥२७६०॥

इस मूल्य (कीमत) को शुल्क कहा है और वह पहले कन्या के पिता का धन होता था। उसके बाद जब कन्या का बेचना बुरा मानलिया गया, तब वह (शुल्क) कन्या का स्त्री धन हो गया। परन्तु (अपनी) विशिष्टता के कारण वह (धन) उस (कन्या) के मरने पर उस (कन्या) के भाई और मा का हो जाता है। (देखो श्लोक ५६९-६०१)

चातुर्वर्ण्ये समुत्पन्ना हिन्दवोऽतः क्षमा मताः ।
ब्राह्माऽऽसुरविवाहेषु वोढुमेकेन कन्यकाम् ॥२७६१॥

इसलिए चार वर्णों में उत्पन्न हुए हिन्दू ब्राह्म और आसुर विवाहों में से एक से कन्या के साथ विवाह करने में समर्थ माने गये हैं।

३,।)

जिस (विवाह) में धर्म शास्त्र के अनुसार कपड़ों और गहनों सहित कन्या दी जाती है, वह ब्राह्म विवाह कहाता है।

गोयुगं गोचतुष्कं वा वरादादाय दीयते ।
कन्याऽऽर्षः सोऽत्र विज्ञेय आसुरोऽति धनग्रहात् ॥ ८ ॥

वर से एक जोड़ी बैल (या गाय) या दो जोड़ी बैल (या गाय) लेकर कन्या दी जाती है, उसे यहां पर आर्ष (विवाह) और वर से बहुत सा धन (शुल्क) लेकर कन्या ब्याही जाती है, उसे आसुर विवाह जानना चाहिए।

मिथोजातप्रणययोर्यूनोर्यस्तु यदृच्छया ।
विवाहः कामसंजातो गान्धर्वः स निगद्यते ॥ ९ ॥

अपनी इच्छा से आपस में एक-दूसरे के साथ प्रेम करनेवाले युवक और युवती का जो कामेच्छा से हुआ विवाह है, वह गान्धर्व-विवाह कहाता है।

मातापित्रोर्योऽनुमतः संयोगो वरकन्ययोः ।
प्राजापत्यस्तु स प्रोक्तो हठाद् यूनस्तु राक्षसः ॥ १० ॥

वर और कन्या का आपस का जो संयोग (गान्धर्व-विवाह) माता और पिता को भी पसन्द हो, वह प्राजापत्य विवाह कहा गया है। युवक की जबरदस्ती (forcible capture) से हुआ राक्षस विवाह कहाता है। (गान्धर्व विवाह वर-वधू के आपस में तय करलेने (mutual contract) से माना गया है। उसमें माता-पिता की अनुमति (consent) की आवश्यकता नहीं होती। प्राजापत्य में पिता की अनुमति आवश्यक होती है। परन्तु इसमें ब्राह्म विवाह की क्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती।)

ऋत्विजे कन्यकादानं दैवो ज्ञेयः पुरातनः ।
बलात्कारेण पैशाचो विवाहेष्वधमोऽधमः ॥११॥ विश्वे०,अ०३,)

यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण को कन्या देना पुराने समय का दैव विवाह है। बलात्कार [सोती हुई या नशे में रही कन्या के कौमार्य को बलपूर्वक नष्ट करने] से, विवाहों में सब से अधम (खराब), पैशाच विवाह होता है।

(ये श्लोक विश्वेश्वरस्मृति के तीसरे अध्याय के हैं।)

ब्राह्मो मान्येषु विप्रेभ्यो द्विजेभ्यो वाऽभवत् पुरा।
प्राजापत्याऽऽर्ष दैवास्तु नाऽद्य मान्या मता बुधैः ॥२७६२॥

पहले मान्य विवाहों में ब्राह्म विवाह ब्राह्मणों के लिए या ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए था। विद्वानों ने प्राजापत्य, आर्ष और दैव (विवाह) आज कल मान्य नहीं माने हैं।

क्षत्रियेभ्यस्त्वमान्येषु गान्धर्वश्चाऽथ राक्षसः।
आसुरो वैश्यशूद्राभ्यां पैशाचस्तु विनिन्दितः ॥२७६३॥

अमान्यों में गान्धर्व और राक्षस विवाह क्षत्रियों के लिए, आसुर विवाह वैश्यों और शूद्रों के लिए था और पैशाच विवाह (सब के लिए) निन्दित था।

गान्धर्वोपयमे कन्याऽवयःस्था त्वक्षमा मता।
कन्योद्वाहो वराऽस्त्रेण संमतो विध्यनुष्ठितः ॥२७६४॥

नाबालिग कन्या गान्धर्व विवाह में असमर्थ मानी गई है। वरके शस्त्र के साथ कन्या का विवाह शास्त्रोक्त विधि से किया हुआ ही माना है। (अर्थात्–उसमें भी ब्राह्म विवाह की विधि का होना आवश्यक है)।

आसुरेऽसाधिते सम्यग् ब्राह्म एवात्र मन्यते।
न्यायालयैरुपयमः शूद्रेष्वपि सुनिश्चितम् ॥२७६५॥

आसुर विवाह की ठीक तौर से सिद्धि न की गई हो तो न्यायालयों द्वारा शूद्रों के विषय में भी, यहां पर, निश्चित रूप से, ब्राह्म विवाह ही माना जाता है। (अर्थात्–साधारणतया सब का ब्राह्म विवाह होना ही माना जाता है। आसुर विवाह के लिए उसका सिद्ध करना आवश्यक होता है।)

नार्या इहाऽनपत्याया ब्राह्मोढाया मृतौ व्रजेत्।
स्त्रीधनं तु पतिं तस्य दायादांश्च पुनः क्रमात् ॥२७६६॥

यहां पर ब्राह्म विवाह द्वारा ब्याही हुई निःसन्तान स्त्री की मृत्यु पर (उसका) स्त्री-धन (उसके) पति को और फिर क्रम से उस (पति) के हकदारों को मिलता है।

अपत्यरहितायाश्चाऽऽसुरोढाया मृतौ क्रमात्।
भ्रातरं मातरं तातं दायादांश्चास्य तद् व्रजेत् ॥२७६७॥

और आसुर विवाह द्वारा ब्याही हुई निःसन्तान स्त्री के मरने पर (उसका)

वह (स्त्री-धन) भाई को माता को, पिता को और उस (पिता) के हकदारों को क्रम से मिलता है ।

भार्यां सत्यामपीहाऽऽर्यो वोढुं शक्तोऽपरां स्त्रियम् ।
यथेच्छं तत्कृते भार्या संख्याबाधा न विद्यते ॥२७६८॥

यहां पर स्त्री के मौजूद होने पर भी आर्य (हिन्दू) दूसरी स्त्री से इच्छानुसार विवाह कर सकता है । उसके लिए पत्नियों की गिनती की बाधा नहीं है ।

नारी तु न क्षमा कर्तुं भर्तारमपरं परम् ।
जीवत्याद्ये न विच्छेदो विवाहस्य कृतो यदि ॥२७६९॥

परन्तु स्त्री यदि विवाह का विच्छेद (divorce) न किया हो, तो अगले (पति) के जीवित होने पर दूसरा पति नहीं कर सकती ।

जगद्मुनिधिचन्द्राऽब्दे निर्माय्यैकं विधानकम् ।
आर्येषु विधवोद्वाहो विधानस्वीकृतः कृतः ॥२७७०॥

विक्रम संवत्-१९१३ (ई० सं० १८५६) में एक कानून बनाकर आर्यों (हिन्दुओं) में विधवा-विवाह कानून से मान्य कर दिया गया है ।

[illegible]

फिर उ संपत्ति में

उसके मालिकपन के विषय में पहले ही नियम कहे जा चुके हैं । (देखो श्लोक ११६)

स्मृतिभिर्यौवनात् पूर्वं कन्योद्वाहः प्रकीर्तितः ।
कन्यादानाय निम्नोक्ता रक्षकाश्चाऽनुमोदिताः ॥२७७२॥
मैताक्षरेषु तत्तातस्तदभावे पितामहः ।
भ्रातरोऽथ पितुर्वंश्याः प्रत्यासन्नाः क्रमात्मस्तुः ॥२७७३॥
वङ्गीयेषु जनन्याः प्राक् तत्तातो भ्रातरस्ततः ।
नियुक्ता अपरे ज्ञेया जनाः पूर्वोक्तवत् क्रमात् ॥२७७४॥

स्मृतियों में जवान होने के पहले ही कन्या का विवाह करना कहा है और कन्यादान (to give a girl in marriage) के लिए नीचे लिखे रक्षक (guardian) ठीक माने हैं:—मिताक्षरा को माननेवालों में उस (कन्या) का पिता । उसके अभाव में क्रम से दादा, भाई, पिता के नजदीक के कुटुम्बी (अर्थात्-पहले नजदीकवाला, उसके अभाव में उसके बादवाला आदि) फिर माता । बंगालवालों में माता के पहले उस (माता) का पिता (नाना), और उसके बाद माता के भाई (मामू) नियुक्त किये गये हैं । बाकी के लोग पहले की तरह ही क्रम से मानने चाहिए ।

नराणां यौवनात् पूर्वमुद्वाहो न प्रकीर्तितः ।
स्मृतिष्वतो न पुरुषास्तत्कृते तत्र सूचिताः ॥२७७५॥

स्मृतियों में पुरुषों का विवाह जवान होने से पूर्व नहीं कहा है। इसीसे उसके लिए वहां पर पुरुष (रक्षक) नहीं बतलाये हैं।

परन्तु तस्य बाल्येऽपि नोद्वाहस्तत्र वर्जितः ।
अतोऽनुमन्तुं तं तस्य न्याय्यः संरक्षकः क्षमः ॥२७७६॥

परन्तु वहां पर (उन स्मृतियों में) उस (लड़के) का विवाह बाल्य अवस्था में भी वर्जित नहीं किया है । इससे उस (बाल्यावस्था के विवाह) की अनुमति देने में उसका न्याय से माना हुआ रक्षक (lawful guardian) समर्थ होता है।

कन्यादानाऽक्षमत्वेन माता यद्यपि वर्जिता ।
विवाहे पितृवंश्येभ्यः पूर्वं नूनं, तथाऽपि सा ॥२७७७॥
पित्रभावे स्वकन्याया यतो न्यायेन रक्षिका ।
अतो ह्यनुमतिस्तस्यास्तत्र त्वाऽवश्यकी मता ॥२७७८॥

कन्यादान नहीं कर सकने से यद्यपि माता विवाह में पिता के कुटुम्बवालों से पहले निश्चित रूप से वर्जित है, तथापि क्यों कि वह, पिता के न होने पर अपनी कन्या की कानून से रक्षिका है इसलिए उसकी अनुमति (राय) (भी) वहां पर (पिता के न होने की अवस्था में) आवश्यक मानी है।

यत्रोपह्रियते कन्या मात्रा तत्राऽपि सा स्वयम् ।
कन्यादानाय पुरुषं नियुङ्क्तेऽन्यमसंशयम् ॥२७७९॥

जहां कन्या माता द्वारा (विवाह में) दी जाती है, वहां भी वह खुद कन्या का दान करने के लिए, निःसंदेह, दूसरे पुरुष को नियुक्त करती है।

वरस्य वरणे शक्ता जात्या रक्षकभावतः ।
जननी निजकन्यार्थं सत्यप्यत्र पितामहे ॥२७८०॥
इत्थं पञ्चनदीयेन द्राविडेन च निश्चितम् ।
मुख्यन्यायालयेनाऽतो नात्र शङ्का मता बुधैः ॥२७८१॥

स्वभाव से ही रक्षिका (natural guardian) होने से दादा के मौजूदा होने पर भी माता अपनी कन्या के लिए वरके चुनने में समर्थ होती है-ऐसा लाहौर व और मदास की हाइकोर्ट ने निश्चय कर दिया है। इसलिए विद्वान् लोग इसमें शङ्का नहीं मानते।

पितामह्यां तु जीवन्त्यां विमाता वरणेऽक्षमा ।
सपत्नीजातकन्याऽर्थं वरस्येति मतं परम् ॥२७८२॥

परन्तु दादी की जीवित अवस्था में सौतेली मा अपनी सौत की लड़की के लिए वर को चुनने में असमर्थ होती है-ऐसा माना गया है।

सत्स्वत्र पितृवंश्येषु मातृवंश्यास्तु न क्षमाः ।
स्वेच्छया कन्यकां दातुं वरायोपयमे परम् ॥२७८३॥
यत्र पूर्वे निषेधेयुर्यत्र वाऽनर्हतामियुः ।
तत्रापरे क्षमाः कन्याविवाहे न्यायतो ध्रुवम् ॥२७८४॥

यहाँ पर पिता के वंशवालों के होने पर माता के वंशवाले अपनी इच्छा से कन्या को विवाह में वर को देने को समर्थ नहीं होते। परन्तु जहां पहलेवाले (कन्या के पिता के वंशज) (कन्या का विवाह करने से) इनकार कर दें या जहां (वे) अयोग्य हो जायँ (disqualified themselves), वहां पर दूसरे (माता के वंशवाले) निश्चय ही न्याय से (उसके) विवाह में समर्थ होते हैं।

विधवा याऽवयस्था च मैथुनेनाऽक्षता पुनः।
पुनर्विवाहतः पूर्वं सा पित्राज्ञामवाप्नुयात् ॥२७८५॥
पितामहस्य वा मातुर्ज्येष्ठभ्रातुश्च वा क्रमात्।
भ्रातृणामपरेषां वा परेषां कुटुम्बिनाम् ॥२७८६॥
अभाव एव पूर्वस्य परस्याज्ञाऽनुमोदिता।
नव्यस्य विधवोद्वाहविधेः सप्तमखण्डके ॥२७८७॥

जो विधवा नाबालिग हो और पति के सहवास में न आई हो, वह दूसरे ब्याह से पहले पिता की या क्रम से दादा, माता, बड़े भाई, दूसरे भाई या अन्य कुटुम्बियों की आज्ञा ले ले। नवीन विधवा-विवाह के कानून (The Hindu Widow Remarriage Act 1855 A. D.) के सातवें खण्ड (section) में पहले के नहीं होने पर ही दूसरे की आज्ञा मानी गई है।

श्वश्र्वा एवाऽनुमत्या यो विवाहोऽमान्य एव सः।
न्यायालयैर्दिधिषुणा यावत्स्यादक्षता हि सा ॥२७८८॥

सास की ही अनुमति से जो विवाह हो, वह जब तक वह स्त्री दूसरे पति के सहवास में न आई हो, तब तक न्यायालयों द्वारा अमान्य होता है। (अर्थात्-स्त्री के दूसरे पति के सहवास में आने के पहले अभियोग चलाया जाय, तो न्यायालय ऐसे विवाह को अमान्य कर सकते हैं। परन्तु पति के संसर्ग में आजाने के बाद नहीं कर सकते।)

विधवा यौवनस्था या, या वा पत्या क्षता पुनः।
सा शक्ता स्वानुमत्यैवाऽपरोद्वाहे न संशयः ॥२७८९॥

जो विधवा जवान हो या जो पति के सङ्ग में आ चुकी हो, वह अपनी मरजी से ही दूसरा विवाह करने में समर्थ होती है। इसमें संशय नहीं है।

मैताक्षरेषु बाल्याऽन्तं षोडशाब्दसमापने।
वार्षैकाब्दसमाप्तौ स्याद् वङ्गीयेषु पुनश्च सः ॥२७९०॥

मिताक्षरा को माननेवालों में नाबालिगी का अन्त सोलह वर्ष समाप्त करने पर होता है और बंगालवालों में वह पन्द्रह वर्ष की समाप्ति पर होता है।

द्विऽयङ्केन्द्वाब्दिकवयः प्राप्तिकल्पो न युज्यते।
आर्येषूपयमे तस्यच्छेदे दत्तग्रहे तथा ॥२७८१॥

विक्रम संवत् १९३२ (ई० सं० १८७५) का बालिग होने का कानून (The Indian Majority Act) आर्यों (हिन्दुओं) में विवाह में, उसके उच्छेद (divorce) में और गोद लेने में प्रयोग नहीं किया जाता।

पिता मुख्यो मतो लोके कन्यादानाऽधिकारिषु।
मिथः संबन्धतस्तस्य कर्तव्यं प्रथमं च यत् ॥२७८२॥
अभियुक्तोऽप्यतश्चौर्येऽपराधे वाऽपरेऽपि च।
गार्हस्थ्येन त्वसंबद्धे सोऽधिकाराच्च हीयते ॥२७८३॥

जगत्–में कन्यादान करने के अधिकारियों में आपस के संबन्ध के कारण पिता मुख्य माना गया है और उसका वह प्रथम (मुख्य) काम है। इसलिए चोरी में दण्डित हुआ भी या दूसरे गृहस्थी से संबन्ध न रखनेवाले (not connected with domestic relations) अपराध में दण्डित हुआ भी वह (उस) अधिकार से नहीं गिरता।

परं तेन परित्यक्ता यत्र भार्या च कन्यका।
तत्र माता क्षमा स्वैरं कन्योपयमने स्वयम् ॥२७८४॥

परन्तु जहां पर उस (पिता) ने स्त्री और कन्या को छोड़ दिया हो, वहां माता कन्या का विवाह करने में खुद अपनी इच्छानुसार समर्थ होती है।

जीवत्यपीह जनके कन्यकोपयमक्षमे।
कन्योद्वाहस्तु विधिना कृतो मात्रा निजेच्छया ॥२७८५॥
अपृष्ट्वैव पतिं, किन्तु बलात्कारोऽथवा छलम्।
न स्यात्तस्य कृते सोऽत्र मान्यो न्यायालयैरपि ॥२७८६॥

वहां पर कन्या का विवाह करने में समर्थ पिता के जीवित होते हुए भी माता ने, पति को पूछे बिना ही, अपनी इच्छा से, विधि-विधान के साथ कन्या का विवाह कर दिया हो, परन्तु उस (विवाह) के लिए बलात्कार (force) या छल-कपट (fraud) न किया गया हो, तो वह विवाह न्यायालयों से भी मान्य होता है।

कन्योद्वाहस्तु कर्तव्यं न स्वत्वं रक्षकस्य हि।
अङ्गीकृतिरतस्तस्य न तत्राऽवश्यकी मता ॥२७८७॥
यद्यपि प्राप्यते भिन्ना संमतिः स्मृतिशास्त्रिणाम्।
अस्मिन्, तथाऽपि निर्णीतमित्थं न्यायालयाऽधिपैः ॥२७८८॥

यद् विवाहस्तु शास्त्रीयविधिना विहितो यदि ।
तर्हि मान्यः, कृतोऽप्यत्र रक्षकाऽनुमतिं विना ॥२७९९॥
मिथ्याविज्ञापनेनाऽथ प्राप्य रक्षकसंमतिम् ।
अवमान्याऽथवा न्यायालयाज्ञामपि निश्चितम् ॥२८००॥

कन्या का विवाह करना रक्षक (guardian) का कर्तव्य (duty) है, अधिकार (right) नहीं । इसलिए उसमें उसकी स्वीकृति (consent) आवश्यक नहीं मानी है । यद्यपि इस (विषय) में स्मृति-शास्त्र के विद्वानों की भिन्न-भिन्न संमति मिलती है, परन्तु न्यायालयों के जजों ने ऐसा ही निर्णय किया है कि यहां पर रक्षक (guardian) की संमति के बिना, झूठी सूचना (misrepresentation) द्वारा रक्षक की अनुमति (consent) प्राप्त कर या निश्चय-रूपसे न्यायालय (court) की आज्ञा की परवा न करके भी किया विवाह, यदि शास्त्र की विधि से किया गया हो, तो मान्य होता है ।

विवाहः शास्त्ररीत्याऽपि कृतः किन्तु न मन्यते ।
न्यायालयैर्बलात्काराच्छलाद्वा विहितो यदि ॥२८०१॥

परन्तु शास्त्र की रीति से किया विवाह भी, यदि जबरदस्ती से या छल-कपट से किया गया हो, तो न्यायालयों द्वारा नहीं माना जाता ।

जाते विवाहे मान्याः स्युः पूर्वोक्ता नियमाः परम् ।
वाग्दान एव संजाते रक्षकस्तु क्षमो भवेत् ॥२८०२॥
निषेद्धुमभियोगेनोद्वाहं रक्ष्यजनस्य तु ।
वरेणाऽवाञ्छितेनाऽथ वध्वाऽनीप्सितयाऽथवा ॥२८०३॥
रक्षितस्य हितायैव सम्राऽऽज्ञा न्यायकारिभिः ।
देयाऽथ प्रतिबन्धाश्चोपयोज्या रक्षकोपरि ॥२८०४॥

पहले कहे नियम विवाह हो जाने पर ही मान्य होते हैं । परन्तु केवल मंगनी (contract of marriage) के ही होने पर रक्षक (guardian) अभियोग द्वारा (अपनी) रक्षा में रहे हुए (ward) का विवाह, नहीं चाहे हुए वर के साथ या नहीं चाही हुई कन्या के साथ होना रुकवा सकता है । वहां पर (उस मामले में) न्यायकरनेवालों को रक्षित (ward) के हित के लिए ही आज्ञा देनी चाहिए और रक्षक के ऊपर प्रतिबन्ध लगाने चाहिए ।

वधूवरावुभयमे स्यातामेवैकजातिकौ ।
अन्यथा तद्विवाहः स्यादमान्यो नाऽत्र संशयः ॥२८०५॥

विवाह में वधू और वर एक-जाति के ही होने चाहिए, नहीं तो विवाह अमान्य होता है । इसमें सन्देह नहीं है ।

प्रथया किन्त्वनुमतः सोऽपि मान्यो भवेद् ध्रुवम्।
एकजात्युपजात्योस्तूद्वाहो मान्यो भवेत्पुनः॥२८०६॥

परन्तु रिवाज से अनुमत हो, तो वह (भिन्न जातिवालों के बीच का विवाह) भी निश्चय ही मान्य होता है। फिर एक जाति की दो उप जातियों (different sub-divisions of the same caste) में का विवाह मान्य होता है।

आर्यत्वे संस्कृतो यः स विवाहे शूद्रवन्मतः।
म्लेच्छधर्मादतो हिन्दूकृतायाः स्यात् स्त्रियास्तु यः॥२८०७॥
विवाहः शूद्रभर्त्रा स शूद्रोद्वाहवदाहृतः।
मान्यश्च यदि नान्याभिर्बाधाभिः स हि दूषितः॥२८०८॥

जिसका हिन्दू धर्म में संस्कार किया गया हो (अर्थात्-जिसे संस्कार करके हिन्दू धर्म में दीक्षित (convert किया हो) वह विवाह के विषय में शूद्र के समान माना गया है। इसलिए म्लेच्छ धर्म से (विवाह के पूर्व ही) हिन्दू बनाई हुई स्त्री का शूद्र पति के साथ जो विवाह होता है, वह शूद्रों के (आपस के) विवाह के समान माना गया है और यदि अन्य प्रकार की रुकावटों से दूषित न हो, तो वह मान्य भी होता है।

महाराष्ट्रेऽनुलोमास्तूद्वाहा मान्याः प्रकीर्तिताः।
तदुत्पन्नःसुतश्चाऽपि तत्रौरससमो मतः॥२८०९॥
अतः स दायात्तातस्य पितृव्यस्याऽथवा पुनः।
निःसंशयं हि लभते भागस्य दशमांऽशकम्॥२८१०॥

बंबई प्रदेश में अनुलोम विवाह (जिनमें वर ऊंचे वर्ण का और कन्या उससे नीचे वर्ण की हो) मान्य कहे हैं। और उन (विवाहों) से उत्पन्न हुआ लड़का भी वहां पर असली (legitimate) पुत्र के समान माना गया है। इसलिए वह (लड़का) पिता के अथवा फिर चाचा के दाय से निःसन्देह ही भाग का दसवां हिस्सा पाता है। (अर्थात्-औरस पुत्र को मिलनेवाले भाग का दसवां हिस्सा पाता है)।

न्यायाचार्यैस्तु वङ्गीयैः शूद्राब्राह्मणयोः पुनः।
जातिवैष्णवधर्मिष्वेवोद्वाहो मान्य ईरितः॥२८११॥

बंगाल के सबसे बड़े न्यायकर्ताओं (Judges Of The Calcutta High Court) ने शूद्रा स्त्री और ब्राह्मण पुरुष का विवाह जाति-वैष्णवों में ही मान्य कहा है।

अनौरसौ यदि स्यातां विवाह्यौ तु वधूवरौ।
तयोर्मान्यथितो यः स्यात्स तज्जातीयको मतः॥२८१२॥

यदि विवाह करने लायक स्त्री और पुरुष संतान से भिन्न (illegitimate)

हों, तो उन दोनों में से जो जिसमें आश्रित (संबन्धित) हो, वह उसी जाति का माना गया है ।

पितुर्हीनतरा जातौ मातुरुच्चतरा यतः ।
अतोऽनुलोमजाः शास्त्रे सूचिता भिन्ननामभिः ॥२८१३॥

क्योंकि अनुलोमज संतान जाति में पिता से हीन और माता से ऊंची होती है, इसलिए शास्त्र में भिन्न नाम से सूचित की गई है ।

मूर्धाभिषिक्तः संजातः क्षत्र्यां ब्राह्मणतस्तु यः ।
तस्माद्वेवाऽथ वैश्यायां जातोऽम्बष्ठ उदीरितः ॥२८१४॥

जो क्षत्रिया स्त्री में ब्राह्मण से पैदा हुआ हो, वह मूर्धाभिषिक्त कहाता है और उसी (ब्राह्मण) से वैश्या में पैदा हुआ अम्बष्ठ कहा गया है ।

शूद्रायां ब्राह्मणाज्जातः सुतः पारशवोऽथवा ।
निषाद इति विख्यातो नाम्ना स्मृतिषु निश्चितम् ॥२८१५॥

शूद्रा स्त्री में ब्राह्मण से पैदा हुआ लड़का स्मृति-शास्त्रों में निश्चय ही पारशव या निषाद इस नाम से प्रसिद्ध है ।

वैश्यायां क्षत्रियाज्जातः माहिष्यः स्यात्सुतस्तथा ।
शूद्रायां च ततो जातः सुत उग्रः प्रकीर्तितः ॥२८१६॥

वैश्या में क्षत्रिय से उत्पन्न हुआ पुत्र माहिष्य होता है । शूद्रा स्त्री में क्षत्रिय से पैदा हुआ पुत्र उग्र कहा गया है ।

शूद्रायां वैश्यतो जातः करणोऽत्र मतो बुधैः ।
दयानन्दाऽनुगैश्चैष नियमस्तु न मन्यते ॥२८१७॥

शूद्रा स्त्री में वैश्य से पैदा हुए को विद्वानों ने यहां पर करण माना है । स्वामी दयानन्द के अनुयायियों (आर्यसमाजियों) में यह नियम (section) नहीं माना जाता है ।

मातुः सापिण्ड्यतो वाऽथ पितुः सागोत्र्यतः पुनः ।
विवाहा येऽमतास्तेऽपि मान्याश्च प्रथया मताः ॥२८१८॥

फिर माता के सपिण्डों में होने से और पिता के गोत्र में होने से जो विवाह अमान्य माने गये हैं, वे भी रिवाज से माने हुए होने से मानने लायक हो जाते हैं । (अर्थात्—रिवाज से अमान्य होने पर ही ऐसे विवाह अमान्य रहते हैं ।)

शूद्रेष्वनुमितेष्वत्र जातेषु विहितः पुनः ।
प्रथायशाद् विवाहो हि स्नुषया श्वशुरस्य तु ॥२८१९॥
करेवा नामतः ख्यातोऽमान्य एव मतो बुधैः ।
स्मृतिशास्त्रविरुद्धत्वादनार्यीयतया तथा ॥२८२०॥

यहां पर विद्वानों ने शूद्र ख्याल किये गये (presumed) जातों में प्रथा (रिवाज) के कारण किया करेवा नाम से प्रसिद्ध पुत्र-वधू का समुर से विवाह स्मृति-शास्त्रों के विरुद्ध और आर्य नियमों के विरुद्ध होने से अमान्य ही माना है ।

समगोत्राऽथवा तुल्यप्रवरा नोह्यते कनी ।
पुंक्रमाद्वरवध्वोर्यद् मूलैक्यं तातयोस्तयोः ॥२८२१॥

समान गोत्रवाली या समान प्रवरवाली कन्या से व्याह नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन वर और वधू के पिताओं का पुरुष क्रम से (in the male line) एक ही मूल पुरुष (common ancestor) होता है ।

प्रयागे तातगोत्रीयं वरमप्युद्वहेद्यदि ।
पुनर्विवाहे विधवा तर्हि मान्यः स संमतः ॥२८२२॥
प्रत्येति न पितुर्गोत्रे सा पूर्वेशे मृतेऽपि यत् ।
ईदृग् विवाहमूलोऽतः पुत्रोऽपि न्यायसंमतः ॥२८२३॥

इलाहाबाद में यदि विधवा पुनर्विवाह में पिता के गोत्रवाले वर के साथ भी विवाह करले, तो वह मान्य माना है; क्योंकि पहले पति के मरने पर भी, वह पिता के गोत्र में वापस नहीं आती । इसलिए ऐसे विवाह से उत्पन्न हुआ पुत्र भी न्याय से माना हुआ (legitimate) होता है ।

विधिरेष तु शूद्रेषु न्यायेनैव विवर्जितः ।
यतस्तेषु स्वगोत्रस्याऽभावः शास्त्रविनिश्चितः ॥२८२४॥

यह (उपर्युक्त विधवा विवाह की) रीति शूद्रों में कानून से ही वर्जित है; क्योंकि उन में अपने (निज के) गोत्र का अभाव शास्त्रों से निश्चित है ।

वङ्गे मिताक्षरायां च विवाहस्तु सपिण्डया ।
वर्जितः किन्तु सापिण्ड्यनिर्णये विमतिस्तयोः ॥२८२५॥

बंगाल में (दाय भाग में) और मिताक्षरा में सपिण्डा स्त्री के साथ विवाह वर्जित है । परन्तु उन दोनों में सपिण्डता के निर्णय में भेद है ।

वङ्गेषु क्रमतः सप्तवंश्येषु पितृतः स्थिता ।
तस्य षड्भ्यो नृपूर्वेभ्योऽप्यवोढव्या न कन्यका ॥२८२६॥
मातामहस्य वंश्येषु पञ्चस्वत्र स्थिताऽथवा ।
तस्य पुंपूर्वजचतुष्टयस्याऽपि तथा मता ॥२८२७॥

बंगाल में पिता से क्रम से सात पीढ़ी तक की औलाद में रही अथवा उस (पिता) के छह पुरुष पूर्वजों की सात पिढ़ी में रही, कन्या व्याहने लायक नहीं होती । अथवा नाना की पांच पीढ़ी तक की औलाद में रही या उस (नाना) के चार पुरुष पूर्वजों की पांच पीढ़ी में रही भी वैसी ही (अविवाह्य) मानी गई है ।

स्वसृजानां पितुर्मातुः पितुस्तातस्य वा पुनः ।
पितुर्मातुलपुत्राणां सप्तवंश्येषु संस्थिता ॥२८२८॥
तेषां पञ्चाग्रुत प्राचां, संवद्धा यैर्वरेण सा, ।
सप्तवंश्यगता वङ्गेऽविवाह्या कन्यका मता ॥२८२९॥

पिता की मौसी के पुत्रों की या पिता की पुफी के पुत्रों की अथवा पिता के मामा के पुत्रों की औलाद में सात पीढ़ी में रही अथवा उनके छह पूर्वजों की, जिनके द्वारा वह वर से संबद्ध (connected) हो, औलाद में सात पीढ़ी तक रही कन्या बंगाल में विवाह करने लायक नहीं होती ।

मातुः पैतृष्वसेयानां मातृस्वसृभुवां तथा ।
तथा मातुलजानां च पञ्चवंश्येषु संस्थिता ॥२८३०॥
तेषां वाऽथ चतुर्ष्वाचां संवद्धा यैर्वरेण सा ।
पञ्चवंश्यस्थिता कन्या वङ्गे त्याज्या मता पुनः ॥२८३१॥

फिर माता की पुफी के पुत्रों की या माता की मौसी के पुत्रों की अथवा माता के मामा के पुत्रों की पाँच पीढ़ी तक की औलाद में रही अथवा उनके चार पूर्वजों की, जिनके द्वारा वह वर से संबद्ध (connected) हो, पांच पीढ़ी में रही कन्या बंगालवालों में विवाह करने योग्य नहीं मानी गई है ।

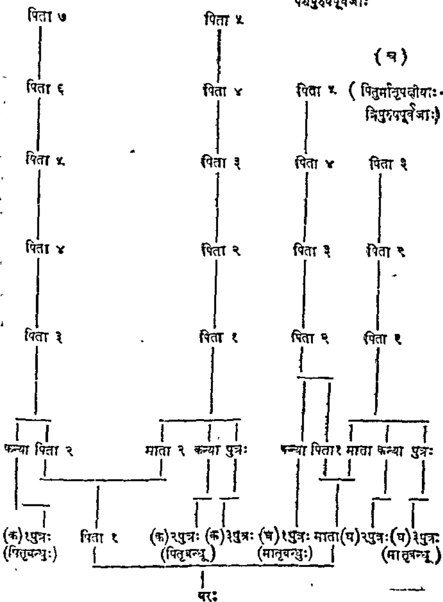
प्रागुक्तलक्षणाऽप्येषा गोत्रत्र्यन्तरीकृता ।
वङ्गेषु कन्यका नूनं विवाहयितुमर्हते ॥२८३२॥

बंगाल में पहले कहे लक्षणोंवाली यह (अविवाह्य) कन्या भी तीन गोत्र दूर हुई होने से (अपने से तीन गोत्र दूर हो जाने से-removed by three Gotras) विवाह करने योग्य हो जाती है ।

(ख)
(पितृपक्षीयाः
सप्तपुरुषपूर्वजाः)

(ग)
(पितुर्मातृपक्षीयाः
पञ्चपुरुषपूर्वजाः)

(घ)
मातुःपितृपक्षीयाः
पञ्चपुरुषपूर्वजाः



(१) कोऽपि पुरुषो रेखालेख्यदर्शितानां (खकाराङ्कितानां) स्वपितृपक्षीयाणां सप्तानां पुरुषपूर्वजानां कतमस्याऽपि सप्तवंश्याऽवधिस्थां कन्यां विवोढुं न प्रभवेत् ।

(२) कोऽपि जनो रेखालेख्यसूचितानां (ङकाराङ्कितानां) स्वमातृपक्षीयाणां पञ्चानां पुरुषपूर्वजानां कतमस्याऽपि पञ्चवंश्याऽवधिगतां सुतां नोपयन्तुं शक्नुयात् ।

(३) कोऽपि नरो रेखालेख्यप्रकटितानां (ककाराङ्कितानां) स्वत्रिपितृबन्धूनां कतमस्याऽपि सप्तवंश्यावधिस्थितां तनयां नोपयन्तुमीष्टे ।

क (१) स्थितस्य जनस्य मातुः (खकाराङ्कितानां) पितृपक्षीयाणां पञ्चानां पुरुष पूर्वजानां तु प्रथमनियम एव समावेशोऽस्ति । किन्तु क (२) स्थितस्य जनस्य मातुः (गकाराङ्कितानां) पितृपक्षीयाणां पञ्चानां पुरुषपूर्वजानां क (३) स्थितस्य जनस्य पितुश्चाप्यस्मिन्नेव समावेशो ज्ञेयः । गकाराङ्किताः पूर्वोक्ताः पञ्चपुरुषपूर्वजा एव क (३) स्थितस्य जनस्य पितुरपि पञ्चपुरुषपूर्वजा ज्ञेयाः ।

(४) कोऽपि मनुष्यो रेखालेख्यव्यक्तानां (घकाराङ्कितानां) स्वस्य त्रयाणां मातृबन्धूनां कतमस्याऽपि पञ्चवंश्यावधिस्थितां कन्यां परिणेतुं न समर्थः ।

घ (१) स्थितस्य जनस्य मातुः (ङकाराङ्कितानां) पितृपक्षीयाणां चतुर्णां पुरुषपूर्वजानां तु द्वितीयनियम एव समावेशोऽस्ति । किन्तु घ (२) स्थितस्य जनस्य मातुः (चकाराङ्कितानां) पितृपक्षीयाणां त्रयाणां पुरुषपूर्वजानां घ (३) स्थितस्य जनस्य पितुश्चाप्यस्मिन्नेव समावेशो ज्ञेयः । चकाराङ्किताः पूर्वोक्तास्त्रयः पुरुषपूर्वजा एव घ (३) स्थितस्य जनस्य पितुरपि त्रयः पुरुषपूर्वजा ज्ञेयाः ।

(१) कोई भी पुरुष नकशे में दिखाये ('ख' में के) अपने पितृ पक्ष के ७ पुरुष पूर्वजों में से किसी की भी सात पीढ़ी में रही कन्या से विवाह नहीं कर सकता ।

(२) कोई भी पुरुष नकशे में बताये ('ङ' में के) अपने मातृ पक्ष के ५ पुरुष पूर्वजों में से किसी की भी पांच पीढ़ी में रही कन्या से विवाह नहीं कर सकता ।

(३) कोई भी पुरुष नक्शे में दिये ('क' में के) अपने पितृ-बन्धुओं में से *किसी की भी सात पीढ़ी में रही कन्या से विवाह नहीं कर सकता।* 'क' (१) पर रहे पुरुष की माता के ('ख' के नीचे दिये) पितृ-पक्ष के पांच पुरुष पूर्वजों का तो पहले नियम में ही समावेश है। परन्तु 'क' (२) पर रहे पुरुष की माता के ('ग' के नीचे दिये) पिता के पक्ष के पांच पुरुष पूर्वजों और 'क' (३) पर रहे पुरुष के पिता का भी इसी में समावेश जानना चाहिए। 'ग' के नीचे दिये पहले कहे पांच पुरुष-पूर्वजों को ही 'क' (३) पर रहे पुरुष के पिता के भी पांच पुरुष-पूर्वज जानने चाहिए।

(४) कोई भी पुरुष नक्शे में दिये ('घ' में के) अपने मातृ-बन्धुओं में से *किसी की भी पांच पीढ़ी में रही कन्या से विवाह नहीं कर सकता।* 'घ' (१) पर स्थित पुरुष की माता के ('ङ' के नीचे दिये) पितृ-पक्ष के चार पुरुष-पूर्वजों का तो दूसरे नियम में समावेश है। परन्तु 'घ' (२) पर स्थित पुरुष की माता के ('च' के नीचे दिये) पितृ-पक्ष के तीन पुरुष पूर्वजों और 'घ' (३) पर स्थित पुरुष के पिता का भी इसी में समावेश जानना चाहिए। 'च' के नीचे दिये पहले कहे तीन पुरुष पूर्वजों को ही 'घ' (३) पर रहे पुरुष के पिता के भी तीन पुरुष-पूर्वज जानने चाहिए।

मिताक्षरामते कन्या सा विवाहाय वर्जिता।
यत्पितुः स्वपितुश्चैकं मूलं सप्तजनाऽवधि ॥२८३३॥
निषिद्धोपयमायात्र सा कन्याऽपि सुनिश्चितम्।
यन्मातुश्च स्वमातुश्च मूलं पञ्चजनाऽवधि ॥२८३४॥

मिताक्षरा के मत में वह कन्या विवाह के लिए वर्जित है, जिस के पिता का और अपने पिता का मूल (मूल-पुरुष common ancestor) सात पीढ़ी के भीतर हो। यहां पर विवाह के लिए वह कन्या भी, निश्चित-रूप से, वर्जित है, जिसकी मा का और अपनी मा का मूल (मूल-पुरुष) पांच पीढ़ी के भीतर हो।

अथवाऽत्र सपिण्डत्वाद् विवाहे वर्जिता इमे।
पितृशाखीयपूर्वेषां सप्तानां सप्तवंशजाः ॥२८३५॥
क्रमात् स्त्रीद्वारतो वाऽथ पुरुषद्वारतस्तथा।
मातृवंशीयपूर्वेषां पञ्चानां पञ्चवंशजाः ॥२८३६॥

अथवा सपिण्ड होने से ये (नीचे लिखे लोग) यहां पर विवाह में वर्जित हैं- पिता की शाखा के सात पूर्वजों के स्त्रियों के द्वारा या पुरुषों के द्वारा (होनेवाले)

क्रम से सात (पीढ़ी तक के) वंशज और माता के पांच पूर्वजों के पांच (पीढ़ी तक होनेवाले) वंशज।

जनस्य वंशसंख्याने समानः पूर्वजस्तथा ।
विवाहाय्च नरो भिन्नसंख्याकोऽत्र मतो बुधैः ॥२८३७॥

विद्वानों ने पुरुष की पीढ़ियों के गिनने में समान पूर्वज (common ancestor) और विवाह करनेवाला पुरुष भिन्न-भिन्न संख्यावाले (seperate unit) माने हैं। (अर्थात्—वे भी गिने जाते हैं)।

विवाहजस्तु संबन्धो यदुद्वाहे न बाधकः ।
अतो भार्यास्वसुः कन्यामुपयन्तुं जनः क्षमः ॥२८३८॥

क्योंकि विवाह से उत्पन्न हुआ संबन्ध विवाह में बाधक नहीं होता, इसलिए पुरुष अपनी पत्नी की बहन की कन्या से विवाह कर सकता है।

गोत्रप्रवर्तकस्यैव पुंवंश्यजकुटुम्बके ।
सगोत्रे, नाऽत्र मूलस्य विप्रकृष्टिविचारणा ॥२८३९॥

गोत्र को चलानेवाले (ऋषि) के पुरुष वंशजों से उत्पन्न हुए दो कुटुम्ब सगोत्री (एक गोत्रवाले) होते हैं। यहां पर मूल पुरुष (common ancestor) की दूरी का विचार नहीं किया जाता (अर्थात्—वह चाहे कितनी पीढ़ी दूर हो, फिर भी उस दूरी का सगोत्री होने पर कोई असर नहीं पड़ता।)

गोत्रप्रवर्तकस्यैव पुंपूर्वत्रयवंशजौ ।
पुंश्रेणी चेद् मतौ तर्हि समानप्रवरौ पुनः ॥२८४०॥

फिर गोत्र चलानेवाले (ऋषि) के तीन पुरुष पूर्वजों के वंशज यदि पुरुष श्रेणी (male line) में हों, तो समान प्रवर (एक प्रवर वाले) माने गये हैं।

वङ्गीया नियमास्त्वत्र रघुनन्दनसूरिणा ।
उद्वाहतत्त्वे व्याख्याता मनूक्तिं सुविविच्य हि ॥२८४१॥

यहां पर बंगाल के (विवाह के) नियम रघुनन्दन पण्डित ने मनु के कहे (इस प्रकरण के प्रारम्भ में उद्धृत किये मनुस्मृति के तीसरे अध्याय के ५ वें श्लोक) की व्याख्या करके 'उद्वाहतत्त्व' (नामक पुस्तक) में कहे हैं।

कमलाकरभट्टेन स्वीये निर्णयसिन्धुके ।
वाराणसेयमान्ये त उद्धृता निश्चितं पुनः ॥२८४२॥

फिर निश्चय ही कमलाकर भट्ट ने, बनारसवालों से मान्य, अपने निर्णयसिन्धु में उन्हें उद्धृत किया है।

ऊर्जे सितत्रयोदश्यां त्रिपञ्चद्विमिताब्दके ।
आर्योद्वाहः कृतो मान्यः केन्द्रीयन्यायसंसदा ॥२८४१॥ क

विहितः स्वीयगोत्रे वा प्रवरे वा निजे पुनः।
अवान्तरासु वा स्वीय-जातेः शाखासु निश्चितम् ॥२८४२॥ख
वि० सं० २००३ की कार्तिक सुदि १३ (७ नवम्बर १९४६ ई० स०) को केन्द्रीय धारा सभा ने हिन्दुओं का अपने गोत्र अपने प्रवर या अपनी जाति के अंतर्गत वर्गों में किया विवाह निश्चय ही मान्य कर लिया है।

रामाकाशखनेत्राब्दे मुम्बाप्रान्ते तु हिन्दुषु।
एकाधिको विवाहो हि सत्यां पत्न्यां विवर्जितः ॥२८४२॥ ग
वि० सं० २००३ (१९४६ ई० स०) में बम्बई-प्रान्त में हिन्दुओं में एक स्त्री के जीते जी (पुरुष का) दूसरा विवाह वर्जित कर दिया है।

द्वे कर्मणी मते मुख्ये ब्राह्मासुरविवाहयोः।
अग्नेः समक्षं कर्मैकं सप्तपद्यपरं तथा ॥२८४३॥
ब्राह्म और आसुर विवाहों में दो काम मुख्य माने गये हैं एक अग्नि के सामने किया जानेवाला कर्म और दूसरा सप्तपदी (वर और वधू का साथ-साथ सात डग भरना)।

सप्तमे सप्तपद्यास्तु पदे पूर्णो भवेदिह।
विवाहस्तस्य पूर्तौ नाऽनिवार्या वरसङ्गतिः ॥२८४४॥
यहां पर सप्तपदी के सातवें डग पर विवाह सम्पूर्ण रूप से हो जाता है। उसके पूरे होने में वरके साथ (कन्या का) सहवास (consumation) आवश्यक नहीं है।

अग्निकर्मविना लोकेऽन्यकर्मकरणादपि।
पूर्णता स्याद्विवाहस्य जात्याचारानुमोदनात् ॥२८४५॥
यहां पर अग्निकर्म के विना दूसरे काम के करने से भी जाति के रिवाज द्वारा मानलिए जाने से विवाह की सम्पूर्णता हो जाती है।

विधवाया विवाहे नो शास्त्रीयस्य हि कर्मणः।
आवश्यकत्वं-यच्छास्त्रैः सोऽत्र नैवाऽनुमोदितः ॥२८४६॥
विधवा के (पुनः) विवाह में शास्त्र में कहे कर्म की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि, यहां पर, वह शास्त्रों से माना हुआ नहीं है।

वाचा दत्तां क्षमो दातुं संदत्तोऽन्यवराय हि।
परं यस्मै प्रदत्ता प्राक् दातारमभियुज्य सः ॥२८४७॥
स्वक्षतिं पूरयेत्तस्मिन्मृते चाऽप्राप्तशासने।
न्याय्यः प्रतिनिधिः शक्तो वाग्दानस्य व्ययमदे ॥२८४८॥
संदत्त-मँगनी की हुई (कन्या) को दूसरे वर को दे सकता है। परन्तु

जिसको वह पहले (मांगदान में) दी गई हो; वह देनेवाले पर मुकद्दमा चलाकर अपना नुकसान पूरा कर सकता है और उस मुकद्दमा चलानेवाले के बिना डिग्री प्राप्त किये ही मरजाने पर उसका न्याय्य प्रतिनिधि (legal representative) मँगनी के समय हुआ खर्च ले (वसूल कर) सकता है।

जातो विवाद इति तु सिद्धे न्यायालयस्तु तम्।
शास्त्ररीत्या कृतं न्यायमान्यमेवात्र मन्यते ॥२८४९॥

विवाद हो गया है ऐसा सिद्ध हो जाने पर यहां पर न्यायालय उसको शास्त्र की रीति से किया और न्याय से मान्य ही मानता है।

प्रोक्तादुभयमात् सर्वैः संबद्धैर्दम्पती इव।
स्वीकृतौ मान्यपत्रेषु तथैव लिखितौ च यौ ॥२८५०॥
आदृतौ च तथैवाऽत्र विशेषाऽवसरेष्वपि।
तयोर्विवाहो मान्यः स्याद् मान्या तज्जा प्रजाऽपि च ॥२८५१

तथा कथित (alleged) विवाह (के समय) से जो सारे संबन्ध रखनेवालों द्वारा पति और पत्नी की तरह माने गये हों, मान्य पत्रों में उस (पति-पत्नी की) तरह लिखे गये हों और यहां पर विशेष अवसरों पर उसी तरह संमानित किये गये हों, उन दोनों का विवाह मान्य होता है और उस (विवाह) से उत्पन्न हुई संतान भी मान्य होती है।

पुनश्च स विवाहोऽपि संपन्नः शास्त्ररीतितः।
मन्यते पुरुषैर्नूनं, यावत्तस्य न खण्डनम् ॥२८५२॥

फिर जब तक उस विवाह का खण्डन न हो, तब तक वह विवाह भी लोगों द्वारा, निश्चय हो, शास्त्र की रीति से किया माना जाता है।

नरेण सह वासोऽस्य तद्रक्षायां स्थितिस्तथा।
तद्वश्यत्वं स्त्रियास्तेन स्वीकृतिस्तज्जसन्ततेः ॥२८५३॥
भार्यात्वसिद्धये नार्या अलं तत्सहवासिनः।
परं तत्र न भार्यात्वं यत्रोद्वाहनिराकृतिः ॥२८५४॥

स्त्री का पुरुष के साथ रहना, उस (पुरुष) की रक्षा में रहना और उस (पुरुष) के अधीन रहना तथा उस पुरुष द्वारा उस स्त्री से उत्पन्न हुई संतान को स्वीकार करना उस स्त्री का उस साथ रहनेवाले की भार्या होना सिद्ध करने के लिए पर्याप्त होता है। परन्तु जहां (उन दोनों के) विवाह का नहीं होना सिद्ध कर दिया जाय वहां पत्नी पना नहीं रहता।

विशिष्टोद्वाहनविधिर्नवद्व्यङ्कैकवत्सरे।
संशोध्याऽशीतिनन्देन्दुपर्वे इत्यमकल्पत ॥२८५५॥

हिन्दुसिक्खाऽऽर्हता बौद्धा दंपती भवितुं क्षमाः।
लेखाऽधिकारिसान्निध्ये नामोल्लेखनपूर्वकम् ॥२८५६॥

विक्रम संवत् १९२९ (ई० स० १८७२) के विशिष्ट विवाह के विधान (The Special Marriage Act) को वि० सं० १९८० (ई० स० १९२३) में संशोधित (The Special Marriage (Amendment) Act) करके ऐसा (आगे लिखे अनुसार) कर दिया गया है:-हिन्दू, सिक्ख,जैन और बौद्ध रजिस्ट्रार (Registrar) के समक्ष नाम लिखवाकर पति-पत्नी बन सकते हैं। (अर्थात्-इन धर्मों को माननेवाले स्त्री-पुरुष आपस में सिविल (civil) विवाह कर सकते हैं)।

ईदृग्दाम्पत्यसंबद्धः पृथक् स्यात् पृक्तवर्गतः।
बाधाऽधिकारास्तस्याऽत्र शास्त्रोक्तोद्वाहिवत्स्मृताः ॥२८५७

ऐसे पति-पत्नी के संबन्धवाला (अर्थात्-जिसने ई० स० १८७२ के civil marriage के कानून के अनुसार विवाह किया हो) साझे के कुटुम्ब से जुदा हो जाता है। उसकी बाधायें (disabilities) और अधिकार (rights) शास्त्रोक्त विधि से विवाह करनेवाले की (बाधाओं और अधिकारों के) समान (ही) माने हैं। (अर्थात्-उत्तराधिकार पाने में वह शास्त्रोक्त विधि से विवाहित पुरुष के समान ही अधिकार रखता है)।

अश्वशून्यनवैकाऽब्द-जातिच्युतिनिवारकम्।
विधानं तत्कृते ज्ञेयमागमोक्तविवाहिवत् ॥२८५८॥

वि० सं० १९०७ (ई० स० १८५०) का जाति बहिष्कृति-निवारक कानून (The Caste Disabilities Removal Act) भी शास्त्रोक्त विवाह करनेवाले के समान ही उसके लिए भी जानना चाहिए।

द्व्यष्टाङ्कदमाब्द-हिन्दूजात्युत्तराधिकियाविधिः।
तस्य तस्य प्रजानां चोत्तरे स्वाम्ये प्रयुज्यते ॥२८५९॥

वि० सं० १९८२ (ई० स० १९२५) का भारतीय जाति का उत्तराधिकार का कानून (The Indian Succession Act) उसके और उसकी सन्तान के उत्तराधिकार में प्रयोग किया जाता है।

सोऽशक्तो दत्तकाऽऽदाने तत्पिता स्यात्परं क्षमः।
अभावे त्वन्यपुत्राणां कुलरीत्यनुसारतः ॥२८६०॥

वह (सिविल विवाह करनेवाला पुरुष) दत्तक लेने में समर्थ नहीं होता। परन्तु उसका पिता दूसरे पुत्रों के न होने पर कुल की रीति के अनुसार (गोदलेने में) समर्थ होता है।

धारा नूनं चतुर्विंशी विशिष्टोद्वाहनाविधेः।
अशीत्यङ्कधराऽब्दोत्था तत्प्राग्वादेषु नो मता ॥२८६१॥

वि० सं० १९८० (ई० स० १९२३) में बने विशिष्ट विवाह के कानून (The Special Marriage (Amendment) Act) की चौबीसवीं धारा (section 24) निश्चय ही उस (समय) के पहले के झगड़ों में नहीं मानी गई है। (अर्थात्-यह उनमें लागू नहीं होती)।

हिन्दूसिक्खाऽऽर्हता बौद्धा विवाह्याः स्युः परस्परम्।
अन्यैः सह कृतास्तेषां विवाहाः स्युरसंमताः २८६२॥

हिन्दू, सिक्ख, जैन और बौद्ध आपस में विवाह कर सकते हैं। दूसरों (अन्य धर्मवालों) के साथ किये उनके विवाह अमान्य होते हैं।

मिताक्षरीयसंपृक्तकुटुम्बेषूपयुज्यते।
नराणां तत्कनीनां च शौतोद्वाहेषु पृक्तराः ॥२८६३॥

मिताक्षरा को माननेवाले साझे के कुटुम्बों में पुरुषों और उनकी कन्याओं के शास्त्र संमत (legitimate) विवाहों में साझे का धन काम में लिया जाता है।

असंस्कृतास्तु संस्कार्या याज्ञवल्क्योऽलिखत् यतः।
पृक्तार्थमुपयोज्यं स्यात्तस्मादुपयमादिषु ॥२८६४॥

क्योंकि असंस्कृतों का संस्कार करना चाहिए ऐसा स्वयं याज्ञवल्क्य ने (अपनी स्मृति में) लिखा है। इसलिए विवाह आदि में साझे का धन काम में लिया जाता है।

विवाहश्चाऽपि संस्कार एवाऽऽर्येषु मतो यतः।
ऋणं तदर्थकं तस्माद् भवेत्कौटुम्बिकं ननु ॥२८६५॥

आर्यों में विवाह भी संस्कार में माना गया है। इसलिए उसके लिए लिया ऋण भी अवश्य ही कुटुम्ब का (कुटुंब संबन्धी) ऋण होता है।

विभागार्थं कृते भ्रात्राऽभियोगे तूद्वहेद्यदि।
भ्राताऽन्यस्तर्हि पृक्तार्थस्तत्र नैवोपयुज्यते ॥२८६६॥
परं यतो भगिन्या नो अंशःस्वपितृसंपदि।
अतः पृक्तार्थतः कार्यस्तद्विवाहस्तु सर्वदा ॥२८६७॥

भाई द्वारा (साझे के धनके) बटवारे के लिए मुकद्दमा चला देने पर (चला देने के बाद) यदि दूसरा भाई विवाह करे, तो साझे का धन वहां (विवाह में) काम में नहीं लिया जा सकता। परन्तु क्योंकि बहन का हिस्सा अपने पिता के धन में नहीं होता है, इसलिए उस (अपनी बहन) का विवाह तो सदा साझे के धन से करना चाहिए।

भातृजाया विवाहे तु तत्पिता भारभाक् परम् ।
अप्राप्तांशे मृते तस्मिन् तां पृक्तार्ऽथेन वाहयेत् ॥२८६८॥

भाई की लड़की के विवाह में उसका पिता भार का भागी होता है । परन्तु उस (पिता) के हिस्सा पाए विना ही मरजाने पर उस (भतीजी) का विवाह साझे के धन से करे । (विशेष सूचना के लिए देखो श्लोक ८६४-८६७)

पृक्तानां पूर्वमुक्तो यो विवाहे नियमस्त्विह ।
स एव वाक्प्रदानेऽपि ज्ञेयो न्यायविनिश्चितः ॥२८६६॥

यहां पर साझेदारों के विवाह में जो नियम पहले कहा है, वही मँगनी में भी न्याय से निश्चित जानना चाहिए ।

भर्त्रर्थं व्ययितुं शक्ता कन्योद्वाहेऽधवा परम् ।
दौहित्र्यास्तु विवाहे नो साऽपि शक्ता मता बुधैः ॥२८७०॥

विधवा (अपनी) कन्या के विवाह में पति का धन खर्च कर सकती है । परन्तु नवासी के विवाह म तो विद्वानों ने उसे भी (ऐसा करने में) समर्थ नहीं माना है ।

विच्छित्तिस्तु विवाहस्य स्मृत्यज्ञातैव निश्चितम् ।
कुलरीत्या न मान्या चेद्दम्पती तत्र न क्षमौ ॥२८७१॥

विवाह का विच्छेद (divorce) तो निश्चय ही स्मृतियों द्वारा अज्ञात ही है (उनमें इसका उल्लेख नहीं है) । यदि कुल के रिवाज से अमान्य हो, तो पति और पत्नी उस (विवाह-विच्छेद = divorce) में समर्थ नहीं होते ।

विपर्ययस्तु धर्मस्य तथा जातिबहिष्कृतिः ।
दम्पत्योर्व्यभिचारित्वं पत्युत्सर्गपुरस्सरम् ॥२८७२॥

वेश्यात्वं चाऽपि भार्याया नैवात्र प्रभवेत् खलु ।
शास्त्रीयस्य विवाहस्य विच्छित्तौ तु कदाचन ॥२८७३॥

धर्म का परिवर्तन (बदलना), जाति से निकाला जाना, पति-पत्नी का व्यभिचारी होना और पत्नी का पति को छोड़कर वेश्यापन (करना) भी यहां पर निश्चय ही शास्त्रानुसार किये विवाह को तोड़ने में कभी भी समर्थ नहीं होता ।

गुणनेत्राऽङ्कचन्द्राऽब्दे कृतमेकं विधानकम् ।
धर्मान्तरितदेशीयविवाहोच्छित्तिसाधकम् ॥२८७४॥

विक्रम संवत् १६२३ (ई० स० १८६६) में दूसरा धर्म ग्रहण करनेवाले देशी (मनुष्य) के विवाह को तोड़नेवाला एक कानून (The Native Converts Marriage Disolution Act.) बनाया गया था ।

दम्पत्योः कतमस्यापि खीष्टधर्मग्रहे ततः।
अपरश्चेत्तदर्थं तं त्यजेत्तर्हि स ईशुगः ॥२८७५॥
षण्मासान् हि प्रतीक्ष्यान्ते प्राड्विवाकं निवेदयेत्।
इत्थं तेनाऽभियुक्तो सोऽप्यपरं निर्दिशेज्जनम् ॥२८७६॥
पूर्वेण सहवासार्थमेकाब्दावसरं तथा।
दद्यात्तन्निर्णयार्थाय व्यतीतेऽवसरेऽपि चेत् ॥२८७७॥
निर्देशोऽमान्य एव स्यात्तर्हि न्यायालयाऽधिपः।
तयोर्विवाहविच्छेदकृते शासनमर्पयेत् ॥२८७८॥

उसके बाद से पति-पत्नी में से किसी (एक) के ईसाई धर्म ग्रहण करलेने पर यदि दूसरा उस (धर्म-परिवर्तन) के कारण उसे छोड़दे, तो वह ईसा की शरण में जानेवाला छः महीने तक राह देखकर न्यायाधीश को निवेदन करे। इस प्रकार उसके (धर्मान्तर में जानेवाले के) द्वारा मुकद्मा चलाये जाने पर वह (न्यायाधीश) भी दूसरे (उसको छोड़नेवाले) को पहले (धर्मान्तर में जानेवाले) के सहवास (to live and cohabit) के लिए आज्ञा दे और उसके निर्णय के लिए एक वर्ष का अवसर दे। यदि अवसर बीतने पर भी (वह) आज्ञा अमान्य ही रहे, तो न्यायकर्ता उन दोनों के विवाह के विच्छेद के लिए आज्ञा (decree) दे दे। (ई० स० १८६६ का The Indian Divorce Act भी खीष्ट धर्म ग्रहण करनेवाले को ही यह अधिकार देता है; क्योंकि उस धर्म ग्रहण करनेवाला एक समय में एक ही पत्नी रख सकता है।)

ततस्तु तावुभावत्र विधवाविधुराविव।
स्यातां पुनर्विवाहे हि शक्तावुक्तविधानतः ॥२८७९॥

उसके बाद वे दोनों यहां पर (पहले) कहे हुए कानून से विधवा और विधुर की तरह फिर से (दूसरा) विवाह करने में समर्थ होते हैं।

इत्थं पुनर्विवाहेन समुत्पन्ना च सन्ततिः।
औरसीव मता चेन्नो देश्यन्यायबहिष्कृता ॥२८८०॥

इस प्रकार के पुनर्विवाह से उत्पन्न हुई सन्तान यदि किसी देशीय कानून (Native law) से बहिष्कृत न हो, तो औरस (legitimate) सन्तान के समान ही मानी गई है।

धर्मान्तरग्रहेणैवोद्वाहो नाऽत्र विभिद्यते।
तत्राऽपरेण तत्यागो न्यायाज्ञा चाऽप्यपेक्षिता ॥२८८१॥

दूसरा धर्म ग्रहण करलेने से ही यहां पर विवाह नहीं टूटता। यहां पर दूसरे द्वारा उसका त्याग करना और कानून के अनुसार आज्ञा प्राप्त करना भी आवश्यक होता है।

स्वैरं भर्त्रनुमत्या वाऽपरोद्वाहस्तु योषितः।
आचारानुमतश्चापि महाराष्ट्रेषु निष्फलः ॥२८८२॥
व्यभिचारसहायत्वाद् द्रविडे तु पुनर्मतः।
मिथोऽनुमत्योद्वाहस्योच्छेदाचारोऽधिकारिभिः ॥२८८३॥

अपनी इच्छा से या पति की अनुमति से स्त्री का (पहले पति को छोड़कर) दूसरा विवाह करना, रिवाज से माना गया होने पर भी, व्यभिचार में सहायक होने से बंबई में निष्फल होता है (समझा जाता है)। परन्तु मद्रास में अधिकारियों ने पति-पत्नी दोनों की आपस की अनुमति से विवाह के विच्छेद का रिवाज (custom) मानलिया है।

जात्या तु निश्चितं वित्तं दत्त्वैको जातिरीतितः।
परेऽनिच्छत्यपि स्वैरं छिनत्त्युद्वाहमात्मनः ॥२८८४॥
लोकाचारविरोधात्तद् महाराष्ट्रे विवर्जितम्।
जातिमुख्याज्ञया छिन्नो विवाहोऽपि तथा मतः ॥२८८५॥

जाति की रीति से जाति के द्वारा निश्चित धन देकर (पति या पत्नी में से) एक, दूसरे के नहीं चाहने पर भी, अपनी इच्छा से अपना विवाह काट डालता है, यह (बात) लोकाचार के विरुद्ध होने से बंबई प्रान्त में नहीं मानी जाती है। जाति के पंचों की आज्ञा से काटा हुआ विवाह भी वैसा ही माना है।

पत्या सह निवासाय तद्वश्यत्वाय च ध्रुवम्।
पत्नी विवाहतो बद्धा स्यादिति न्यायनिश्चितम् ॥२८८६॥

पत्नी विवाह के द्वारा निश्चय ही पति के साथ रहने और उसके अधीन होने के लिए बंधी होती है, ऐसा कानून से निश्चित है।

समयस्तद्विरुद्धश्चेत्कृतोऽमान्यो मतो बुधैः।
पुनरूढवतीशेऽपि सा नो तं त्यक्तुमीश्वरी ॥२८८७॥

उस (ऊपर कहे नियम) के विरुद्ध यदि कोई वादा (agreement) किया हो, तो वह विद्वानों द्वारा मान्य नहीं माना गया है। पति के दूसरा विवाह करलेने पर भी, वह उसको छोड़ नहीं सकती।

श्वशुरग्रामवासं प्राक् प्रतिज्ञायाऽपि स क्षमः।
ग्रामान्तरं स्त्रियं नेतुं साऽक्षमा तद्विरोधने ॥२८८८॥

पहले ससुर के गाँव में रहने का वादा करके भी वह स्त्री को दूसरे गाँव ले जाने को समर्थ होता है। वह (स्त्री) उसका विरोध नहीं कर सकती।

भर्ताऽप्यत्र विवाहेन बद्धस्तद्भरणाय च।
तया सह निवासाय शास्त्रादेशादसंशयम् ॥२८८९॥

पति भी शास्त्र की आज्ञा के कारण, निश्चय ही विवाह के द्वारा उसके भरण-पोषण के लिए और उसके साथ रहने के लिए बँधा होता है ।

न्यायेन रक्षको भर्ताऽवयःस्थाया निजस्त्रियाः ।
अतस्तां सहवासे स्वे क्षमः स्थापयितुं हि सः ॥२८९०॥

पति कानून से अपनी नाबालिग स्त्री का रक्षक होता है । इसलिए वह उसे अपने साथ रख सकता है ।

वयःप्राप्त्यन्तमथ सा पितृभ्यां निवसेदिति ।
जात्याचारे स्थिते भर्तोल्लङ्घने तस्य न क्षमः ॥२८९१॥

और बालिग होने तक वह माता-पिता के साथ रहे-ऐसे जाति के रिवाज के होने पर पति उसका उल्लङ्घन नहीं कर सकता ।

जातायाः प्राग् वयः प्राप्ते र्विधवायास्तु रक्षकाः ।
पत्युः संबन्धिनः पूर्वं संबन्धिभ्यः पितुर्ध्रुवम् ॥२८९२॥

बालिग होने के पहले विधवा हुई स्त्री के, निश्चय ही, पिता के संबन्धियों से पूर्व पति के संबन्धी रक्षक होते हैं ।

संस्थापयिष्ये बालां स्वां पत्नीं कौटुम्बिकस्त्रियाः ।
संरक्षकत्वे व्यज्यैवं नेतुं तामपि स क्षमः ॥२८९३॥

वह (पति) अपनी बालिका पत्नी को कुटुम्ब की स्त्री की रक्षा में रक्खूंगा इस प्रकार सूचित करके उसको भी (साथ) ले जा सकता है ।

दम्पत्योः कतमोऽप्यत्राऽभियोक्तुमपरं क्षमः ।
सहवासाय, निर्णीः स्त्रीं तत्कृते नादिशेत् परम् ॥२८९४॥
कुष्ठोपदंशसदृशे रोगे रुग्णः पतिस्तु चेत् ।
स्थापिता वा गृहे तेनोपपत्नी स्यात्तथा पुनः ॥२८९५॥
क्रौर्येण तस्य भार्यायास्तद्गृहागमनेन तु ।
अमङ्गलस्य शङ्का वा सोऽथ धर्मान्तरं गतः ॥२८९६॥

यहां पर पति-पत्नी में से कोई भी सहवास (conjugal rights) के लिए मुकदमा चला सकता है । परन्तु न्याय करनेवाला, यदि पति कोढ़ या उपदंश के समान रोगों से बीमार हो, या उसने घर (ही) में उपपत्नी को रखलिया हो, या फिर उसकी क्रूरता के कारण उसके घर जाने से पत्नी को खतरा हो, अथवा उसने दूसरे धर्म को ग्रहण करलिया हो, तो स्त्री को (सहवास की) आज्ञा न दे ।

परं भर्त्राऽपरभार्या परिणीताऽथवा पुनः ।
व्यभिचारी स वा भार्या बालेत्याबाधि न त्रयम् ॥२८९७॥

परन्तु पति ने दूसरी स्त्री से विवाह करलिया, या वह व्यभिचारी है या पत्नी नाबालिग है-ये तीनों (बातें) (आज्ञा देने में) बाधा नहीं देतीं ।

भार्यया तु न तत्क्रौर्यं सूचितं तदपीह नो ।
भर्ता तत्सहवासाय सदा शक्तोऽभियोगतः ॥२८९८॥

यदि पत्नी ने उस (पति) की क्रूरता नहीं बतलाई हो, तो भी पति यहां पर (हिन्दुओं में) मुकद्दमे के द्वारा सदा उस (पत्नी) के सहवास में समर्थ नहीं होता ।

यत्र भार्या निजत्यागमवहेलां च तत्कृताम् ।
सूचयेत् साधयेत्तत्र साऽभियोगं स्वसूचितम् ॥२८९९॥
न्यायेशश्च परीक्ष्यास्याः साक्ष्यं दद्यात्स्वशासनम् ।
तद्भर्त्रे सव्यवस्थं वाऽव्यवस्थं हि यथोचितम् ॥२९००॥

जहां पर स्त्री उस पति के द्वारा अपना त्याग या अपनी तरफ लापरवाही करना प्रकट करे, वहां वह (स्त्री) अपने बतलाये अभियोग (इलजाम) को सिद्ध करे और न्यायकर्ता उसकी गवाही की परीक्षा करके उस (स्त्री) के पति के लिए व्यवस्था (condition) सहित या बिना किसी रोक के, जैसा उचित समझे, अपनी आज्ञा दे ।

भर्मदेशे तथा वङ्गे शास्त्रीयोद्वाहभावना ।
अनौरस्यत्वनाशाय रिक्थायैव मता बुधैः ॥२९०१॥

बर्मा और बंगाल में विद्वानों ने विवाह के शास्त्रीय होने की भावना सन्तान के नकलीपन (illegitimacy) के नाश के लिए उत्तराधिकार (inheritance) में ही मानी है ।

परं यत्र विवाहस्य मान्यत्वे शङ्क्यते जनैः ।
न्यायेशैस्तत्र मृग्यं तच्छास्त्रीयत्वमसंशयम् ॥२९०२॥

परन्तु जहां पर लोगों द्वारा विवाह की मान्यता में शङ्का की जाय, वहां पर न्यायकरनेवालों को निःसंदेह उस (विवाह) के शास्त्र की रीति से किये होने की जाँच करनी चाहिए ।

२३ दत्तकग्रहणम् ।

माता पिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि ।
सदृशं प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दत्त्रिमः सुतः ॥

(मनुस्मृतिः, अध्यायः, ९, श्लोकः, १६८)

माता-पिता जिस समान (एक गोत्र या जाति के) पुत्र को, आपत्ति में (गोद लेनेवाले के पुत्र के अभाव में), प्रीति के साथ, जल द्वारा (जल हाथ में लेकर) देवें, उसे दत्तक पुत्र जानना चाहिए ।

सूनो रजःशुक्रजत्वात् पितरावात्मजन्मनः ।
त्यागविक्रयदानेषु वशिष्ठो मन्यते क्षमौ ॥२६०३॥

पुत्र के (उनके) रज और शुक्र से उत्पन्न होने के कारण वशिष्ठ माता-पिता को अपने पुत्र के छोड़ने, बेचने और दान करने में समर्थ मानता है।

नाऽऽदेयो नापि देयः स्यात् पुत्रः केनचिदेककः ।
यतः स पितृवंशवृद्धिहेतुर्निर्वपते पितॄन् ॥२६०४॥

अकेला (भ्रातृहीन) पुत्र किसी के द्वारा न (गोद) लेने लायक न देनेलायक होता है; क्योंकि वह अपने पिता की वंश की वृद्धि का कारण होकर पितरों को तृप्त करता है।

पत्युराज्ञां विना नाऽलं पुत्राऽऽदानाऽर्पणे प्रसूः ।
साऽलं पत्यनुमत्यैव वशिष्ठ इदमब्रवीत् ॥२६०५॥

स्त्री पति की आज्ञा के बिना पुत्र को (गोद) लेने या देने में समर्थ नहीं होती। वह पति की अनुमति से ही समर्थ होती है (ऐसा कर सकती है)-ऐसा वशिष्ठ ने कहा है।

अतः पुत्रमुपादित्सुराहूय स्वजनांस्तथा ।
सूचयित्वा नृपं गेहे मन्त्रैर्हुत्वा हुताशनम् ॥२६०६॥
यथासंभवमासन्नं स्वीयगोत्रभवं जनम् ।
दत्तकत्वेन गृह्णीयादौरसे तनयेऽसति ॥२६०७॥
कुलं ज्ञात्वैव स ग्राह्यः यतः स पितृतारकः ।
चेद् भवेज्ज्ञातिसंदेहो दूरादात्ते तु दत्तके ॥२६०८॥
शूद्रवद् व्यवहर्तव्यस्तर्हि तद्ग्राहिणा हि सः ।
इत्थं वशिष्ठमुनिना स्वं मतं प्रकटीकृतम् ॥२६०९॥

औरस पुत्र के न होने पर पुत्र (गोद) लेने की इच्छावाला पुरुष अपने कुटुम्बियों को बुलाकर, राजा को सूचना देकर और घर में अग्नि में होम करके, जहां तक संभव हो नजदीक के और अपने गोत्र में उत्पन्न हुए पुरुष को गोद ले। कुल जान कर ही उसे लेना चाहिए; क्योंकि वह पितरों को तारने (सद्गति दिलाने) वाला होता है। यदि दूर (कुल) से गोद लेने पर (उसकी) जाति के विषय में सन्देह हो जाय, तो गोद लेनेवाला उसके साथ शूद्र का सा व्यवहार करे। वशिष्ठ मुनिने इस प्रकार अपना मत प्रकट किया है।

दत्तकग्रहणान्ते चेदौरसस्तनयो भवेत् ।
तुर्यभागहरस्तर्हि वशिष्ठोक्त्या स दत्तकः ॥२६१०॥

गोद लेने के बाद जो औरस पुत्र हो जाय, तो वह दत्तक, वशिष्ठ के कथना-
" ॥ । है।

वशिष्ठस्य मते नैव स्वर्गप्राप्तिरपुत्रिणः ।
अतस्तु पुत्रमिच्छन्ति पितृकल्याणकाम्यया ॥२६११॥

वशिष्ट के मतानुसार बिना पुत्रवाले को स्वर्ग प्राप्ति नहीं होती, इसीसे पितरों के कल्याण की कामना से पुत्र की इच्छा की जाती है ।

पितुरेकाकिपुत्रस्य दत्ताऽऽदाननिषेधनम् ।
आसन्नगोत्रजाऽऽदानं चाऽद्य नावश्यकं मतम् ॥२६१२॥

(परन्तु) पिता के अकेले पुत्र के गोद लेने का निषेध या नजदीक गोत्र में उत्पन्न हुए का गोद लेना आजकल आवश्यक नहीं माना है ।

पारसीकाङ्ग्लयवनविधानेषु न संमतः ।
दत्तकस्य ग्रहः किन्तु हिन्दूशास्त्रेषु स स्मृतः ॥२६१३॥

पारसियों, अंगरेजों और मुसलमानों के कानून में दत्तक पुत्रका (गोद) लेना नहीं माना है । परन्तु हिन्दू-शास्त्रों में इसका उल्लेख है ।

परं जातिविशेषेषु वा कुलेषु विवर्जितः ।
चेत्तेष्वपि ग्रहस्तस्य प्रथा पाल्या तदा ध्रुवम् ॥२६१४॥

परन्तु यदि उन (हिन्दुओं) में भी जाति या कुल विशेष में उस (गोद) का लेना वर्जित हो, तो अवश्य ही रिवाज का पालन करना चाहिए (गोद नहीं लेना चाहिए) ।

औरसो दत्तकश्चाऽथ क्षेत्रजो गूढजस्तथा ।
सहोढश्चाऽपविद्धश्च कानीनः कृत्रिमः पुनः ॥२६१५॥

पौनर्भवः पारशवः परिक्रीतः स्वदत्तकः ।
द्वादशेमे सुता आर्यैर्मान्या अत्राभवन् पुरा ॥२६१६॥

(१) औरस (पति से पत्नी में उत्पन्न हुआ), (२) दत्तक (गोदलिया हुआ) (३) क्षेत्रज (पत्नी में किसी दूसरे पुरुष से उत्पन्न हुआ), (४) गूढज (अज्ञात रूप से किसी पुरुष से उत्पन्न हुआ । अर्थात्-जिसके असली पिता का पता न हो), (५) सहोढ (विवाह के समय गर्भ में रहा), (६) अपविद्ध (माता-पिता द्वारा छोड़ दिये जाने पर पाला हुआ), (७) कानीन (बिना ब्याही लड़की से उत्पन्न हुआ), (८) कृत्रिम (धर्मानुसार पालन करने के लिए स्वयं अङ्गीकार किया हुआ), (९) पौनर्भव (स्त्री के दूसरे विवाह से उत्पन्न हुआ), (१०) पारशव (ब्राह्मण से शूद्रा स्त्री में उत्पन्न हुआ), (११) परिक्रीत (खरीदा हुआ) और (१२) स्वयंदत्त (माता-पिता के न रहने से स्वयं ही गोद गया हुआ) ये बारह पुत्र यहां पर पहले आर्यों से मान्य थे ।

एतेषु दत्तकः क्रीतः कृत्रिमश्चापविद्धकः।
स्वयं दत्त इमे पञ्च दत्तकास्तु पुराऽभवन् ॥२६१७॥

इनमें दत्तक, परिक्रीत, कृत्रिम, अपविद्ध और स्वयंदत्त-ये पाँच दत्तक पहले होते थे।

द्वावेवाऽद्य विधानेन मान्यौ दत्तककृत्रिमौ।
कृत्रिमश्चाऽभिमिथिलं दत्तः सर्वत्र भारते ॥२६१८॥

आजकल कानून से दत्तक और कृत्रिम दो ही मान्य हैं। कृत्रिम मिथिला की तरफ़ (मिथिला और उसके आस-पास) और दत्तक सारे भारत में।

सप्तस्वन्येषु पुत्रेषु मान्योऽद्यौरस एव हि।
एवं पुत्रत्रयं मान्यमार्येष्वद्य विधानतः ॥२६१९॥

दूसरे (बाकी के) सात पुत्र में आजकल औरस पुत्र ही माना जाता है। इस प्रकार आजकल आर्यों में कानून से तीन पुत्र (औरस, दत्तक और कृत्रिम) (ही) मान्य होते हैं।

पिण्डाऽञ्जल्योर्हि लाभेन स्वीया पित्र्या च सद्गतिः।
स्वनाम्नश्चाऽत्र रक्षेति लाभौ दत्तग्रहे मतौ ॥२६२०॥

पिण्ड और तिलाञ्जलि के मिलने से अपनी और पितरों की सद्‌गति तथा यहाँ पर अपने नाम की रक्षा-ये दो लाभ (अपुत्र पुरुष द्वारा) गोद लेने में हैं।

कन्यादानं यथोद्वाहे पवित्रं परिकीर्तितम्।
पुत्रदानं तथैवाऽत्र मतं दत्तसमर्पणे ॥२६२१॥

जिस प्रकार विवाह में कन्यादान पवित्र कहा है, उसी प्रकार यहाँ पर गोद देने में पुत्र दान को भी (पवित्र) माना है।

अत एव पितृभ्यां तु देयोऽद्भिरिह दत्तकः।
इत्युक्तं मनुना, चैते द्वे अप्युभयलौकिके ॥२६२२॥

इसीलिए माता-पिता को जल के द्वारा गोद देना चाहिए-ऐसा मनु ने कहा है और ये (कन्यादान और पुत्रदान) दोनों दोनों लोकों से संबन्ध रखनेवाले हैं।

दत्तदश्चाथ दत्ताऽऽदश्चेत् समौ न्यायतस्तथा।
दत्तकश्च स्वयं ग्राह्यो भवेदत्र विधानतः ॥२६२३॥
याथार्थ्येन कृतौ दानग्रहावग्निश्च तर्पितः।
तर्ह्येव दत्तो मान्यः स्याद्विहोममपि वा क्वचित् ॥२६२४॥

जब गोद देनेवाला और लेनेवाला दोनों कानून से (अपने-अपने कार्य) में समर्थ हों, गोद जानेवाला स्वयं (भी) यहाँ पर कानून से गोद लेने लायक हो, गोद देना और गोद लेना ठीक तरह से (रिवाज के माफ़िक) किया गया हो और होम (दत्त होम भी) किया हो, तब ही दत्तक मान्य होता है। परन्तु कहीं बिना होम के भी (मान्य) हो जाता है।

न्यायाऽनुमोदिता दत्तकग्रहणक्षमा जनाः ।

न्याय से माने हुए गोद लेने में समर्थ लोग ।

न्यायानुमोदिताः सर्वे पुरुषास्तद्ग्रहे क्षमाः ।
पत्यर्थं च स्त्रियो नान्यकृते तास्तु कदाचन ॥२९२५॥

न्याय से माने हुए सारे ही पुरुष उसको (दत्तकपुत्र को) ले सकते हैं और स्त्रियां पतियों के लिए गोद ले सकती हैं, परन्तु दूसरों (अन्य पुरुषों) के लिए वे (स्त्रियां) (गोद) नहीं ले सकतीं ।

अतः पुत्रकृते माता भ्रात्रर्थं भगिनी तथा ।
नो शक्ता तद्ग्रहे पत्युर्विनाज्ञां सधवाऽपि च ॥२९२६॥

इसलिए पुत्र के लिए मां और भाई के लिए बहन उस (दत्तक पुत्र) के लेने में समर्थ नहीं होती और (उसी तरह) पति की आज्ञा के बिना सधवा स्त्री भी समर्थ नहीं होती ।

विधवा तु समर्था स्यात् पत्युराज्ञां विना क्वचित् ।
क्वचित्प्राप्ताऽधिकारैव भर्तृतो दत्तकग्रहे ॥२९२७॥

कहीं पर पति की आज्ञा के बिना (भी) विधवा (गोद लेने में) समर्थ होती है और कहीं पति से गोद लेने का अधिकार प्राप्त करके ही समर्थ होती है ।

विधवा पतिवत्नी वा दत्तं पत्यर्थमेव हि ।
गृह्णीयान्न निजार्थं तमङ्गीकुर्यात् कदाचन ॥२९२८॥

विधवा या सधवा पति के लिए ही गोद ले, अपने लिए उसे कभी न ले ।

स्वार्थं स्त्रिया गृहीतोऽत्र दत्तकस्तु विधानतः ।
अमान्य एव विज्ञेयः स्मृतिशास्त्रेऽपि वर्जितः ॥२९२९॥

यहां पर स्त्री द्वारा अपने लिए लिया हुआ दत्तक पुत्र कानून से अमान्य ही समझना चाहिए । वह स्मृति-शास्त्र में भी वर्जित है ।

निष्कर्षस्त्वस्य यच्छक्तः पुरुषो दत्तकग्रहे ।
तदर्थं वा क्षमीकर्तुं भार्यां नान्यं जनं तु सः ॥२९३०॥

इसका तात्पर्य यह है कि पुरुष गोद लेने में अथवा उसके लिए अपनी पत्नी को अधिकार वाली करने में समर्थ होता है । वह दूसरे जन को (इस विषय का) अधिकार नहीं दे सकता ।

पुरुषो वर्तमानस्य विधानस्याऽनुसारतः ।
अवयस्योऽपि निर्णीतिक्षमं वयमुपागतः ॥२९३१॥
प्रकृतिस्थमनाश्चात्र दत्तकग्रहणे प्रभुः ।
उरस्यदत्ततत्पुत्रपौत्राऽभावे तदातने ॥२९३२॥

बालिग न होने पर भी (किसी बात का) निर्णय करने की आयु प्राप्त किया हुआ और होश हवासवाला पुरुष प्रचलित (या मौजूदा) कानून के अनुसार, उस (गोद लेने के) समय असली या गोद के पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र के अभाव में, गोद ले सकता है।

जात्याऽन्धमूकबधिराऽपोगण्डविकलेन्द्रियाः।
जडा येऽसाध्यरोगाश्चाऽवार्यकुष्ठेन पीडिताः ॥२६३३॥
दायाऽधिकारकाले चोन्मत्ता वाऽसाध्यरोगिणः।
पुत्रपौत्रप्रपौत्राश्चेदीदृशाः शास्त्रदूषिताः ॥२६३४॥
तर्ह्यप्यनीश एव स्याज्जनो दत्तपरिग्रहे।
महाराष्ट्रीयसर्वोच्चन्यायालयमतं त्विदम् ॥२६३५॥

यदि जन्म से अन्धे, गूंगे, बहरे, विकलाङ्ग, विकल इन्द्रिय और जो जड़ होने के साथ ही असाध्य रोगवाले हों, असाध्य कोढ़ से पीडित हों, दाय प्राप्ति के समय पागल हों या असाध्य रोगी हों, ऐसे शास्त्रों से दूषित पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र हों, तो भी पुरुष गोद लेने में असमर्थ ही होता है। बंबई के सर्वोच्च न्यायालय (High Court) का यह मत है।

द्राविडन्यायभूमत्या स्थित्यामस्यामपि पुमान्।
आदाने दत्तकस्याऽसीज्जनः किन्तु यदा पुनः ॥२६३६॥
शराष्टाङ्कधराब्दीयमयोग्यत्वनिवारकम्।
विधानं स्वीकृतं विद्भिस्तदा तत्राऽप्यभूत्किल ॥२६३७॥
जन्मोन्मत्तजडेष्वेव तेष्वसौ दत्तकग्रहे।
समस्तधिकारश्चाऽन्यत्र नूनं निराकृतः ॥२६३८॥

मद्रास न्यायालय (High Court) के मत से पुरुष इस (वर्ण्युक्त) स्थिति में भी दत्तक लेने में समर्थ था। परन्तु फिर जब विद्वानों ने (विक्रम) संवत्-१६८५ (ई० स० १६२८) का अयोग्यता निवारक कानून [Hindu Inheritance (Removal of disabilities) Act] स्वीकार करलिया, तब वहां पर (मद्रास में) भी वह (पुरुष) उन (पुत्र-पौत्र-प्रपौत्रों) के जन्म से जड़ या पागल होने पर ही गोद लेने में समर्थ रह गया और दूसरे स्थान पर उसका अधिकार तोड़ दिया गया।

परं नैतद्विधानं तु वङ्गीयैः स्वीकृतं ततः।
दायभागोक्तरीत्यैव गृह्यते तत्र दत्तकः ॥२६३९॥

परन्तु बंगालवालों ने यह विधान स्वीकार नहीं किया है। इसलिए वहां पर 'दायभाग' में कही रीति से ही गोद लिया जाता है।

अग्रहीतात्वकृतोद्वाहो, विधुरोऽननुमोदितः ।
भार्यया वा स जानीते जातां गर्भवतीं स्त्रियम् ॥२६४०॥
नैतान्यत्र समर्थानि दत्तकग्रहणाय हि ।
उद्यतं पुरुषं तस्येच्छातो वारयितुं पुनः ॥२६४१॥

गोद लेनेवाला बिना ब्याहा है, रंडुआ है, स्त्री द्वारा अनुमोदित नहीं है (अर्थात्–स्त्री ने उसके गोद लेने का अनुमोदन नहीं किया है) या वह अपनी स्त्री का गर्भवती होना जानता है–ये (सब) गोद लेने को तैयार पुरुष को उसकी इच्छा से नहीं हटा सकते । (अर्थात्–उसमें रुकावट नहीं डाल सकते) ।

जात्या वहिष्कृते यात्र स्वैरं धर्मान्तरं गते ।
पुत्रे सत्यपि शास्त्रेण जनो दत्तग्रहे क्षमः ॥२६४२॥

जाति से निकाले हुए या अपनी इच्छा से (हिन्दू धर्म को छोड़कर) दूसरे धर्म में गये पुत्र के होने पर भी पुरुष शास्त्र के अनुसार गोद ले सकता है ।

सप्तखाङ्कधराब्दीयविधानेनाऽधुना तु सः ।
समर्थो वा न वा, पुत्रः स तद्दायहरः परम् ॥२६४३॥

(विक्रम) संवत् १६०७ (ई० स० १८५०) के कानून (Act 21 of 1850 A. D.) से इस समय वह (पुरुष) (गोद लेने में) समर्थ है या नहीं (इसका निश्चय नहीं हुआ है) । परन्तु उसका वह (जाति से निकाला हुआ या हिन्दू-धर्म छोड़ देनेवाला) पुत्र दाय पानेवाला (पिता के धन का अधिकारी) हो गया है ।

नेत्रत्र्यङ्कधराब्दीयवयःप्राप्तिविधानतः ।
जनोऽष्टादशवर्षान्ते वयःस्थो मन्यते परम् ॥२६४४॥
न्यायाधीशैर्नियुक्तश्चेद्रक्षकस्तत्कृते तदा ।
एकविंशतिवर्षान्ते स वयःस्थो मतो बुधैः ॥२६४५॥

(विक्रम) संवत् १६३२ (ई० स० १८७५) के वयः प्राप्ति (The Indian majority Act) से पुरुष अट्ठारह वर्ष की आयु के बाद बालिग माना जाता है । परन्तु न्यायाधीशों (Court of Justice) ने उसके लिए रक्षक (guardian) नियुक्त कर दिया हो (या वह Court of wards के अधिकार में कर दिया गया हो), तो वह विद्वानों द्वारा इक्कीस वर्ष के अन्त में बालिग माना जाता है ।

किन्तु दत्तग्रहे नैतद् विधानमुपयुज्यते ।
जनः पञ्चदशाब्दान्ते क्षमः स्यात्तत्कृते ह्यतः ॥२६४६॥

परन्तु गोद लेने में यह (वयःप्राप्ति का) कानून काम में नहीं लिया जाता । इसलिए पुरुष पन्द्रह वर्ष (की आयु) के बाद उस (गोद लेने) के लिए समर्थ होता है ।

रत्नकालयरलास्थस्तदाज्ञाप्राप्त्यनन्तरम् ।
यत्र शक्तो भवेदत्र दत्तकग्रहणे ध्रुवम् ॥२६४७॥

कोर्ट ऑफ वार्ड्स की निगरानी में रहा (पुरुष) उस (कोर्ट) की आज्ञा प्राप्त करने के बाद ही गोद लेने में, यहां पर निश्चित रूप से, समर्थ होता है।

दासेये विद्यमानेऽपि जनो दत्तग्रहे क्षमः ।
पत्याऽऽज्ञयैव, सधवा तस्मै दत्तग्रहे क्षमा ॥२६४८॥

दासीपुत्र (illegitimate son) के मौजूद होने पर भी पुरुष गोद लेने में समर्थ होता है। सधवा स्त्री पति की आज्ञा से ही उस (पति) के लिए गोद ले सकती है।

मृतभर्तृकया दत्ताऽऽदानेऽत्र विबुधैर्मता ।
भिन्नभिन्नप्रदेशेषु भिन्नभिन्ना व्यवस्थितिः ॥२६४९॥

विद्वानों ने विधवा स्त्री द्वारा गोद लेने के विषय में भिन्न-भिन्न व्यवस्था मानी है।

मिथिलायां समर्था नो दत्तकग्रहणेऽधवा ।
भर्त्रा प्राप्ताऽधिकाराऽपि तत्रत्याचारतो ध्रुवम् ॥२६५०॥

मिथिला में वहां के रिवाज से, पति से अधिकार प्राप्त की हुई विधवा भी गोद लेने में समर्थ नहीं होती।

वाराणस्यामथो वङ्गे द्रविडे च क्षमा हि सा ।
चेत्पत्याऽधिकृता वाचा रीत्या वाऽपरया परम् ॥२६५१॥
दत्तग्रहनिषेधस्याऽभाव एव न शक्नुयात् ।
दत्तकग्रहणेशक्तां विधातुं विधवां स्त्रियम् ॥२६५२॥

बनारस, बंगाल और मद्रास में यदि पति ने वाणी से या अन्य प्रकार से अधिकार दे दिया हो तो वह (विधवा) (गोद लेने में) समर्थ होती है। परन्तु गोद लेने की मनाई का न होना (करना) ही विधवा स्त्री को गोद लेने में समर्थ नहीं बना सकता।

मृत्युकाले त्वसंसृष्टे भर्तरि द्रविडे पुनः ।
सपिण्डाज्ञामवाप्यैव दत्ताऽऽदाने क्षमाऽधवा ॥२६५३॥

फिर मद्रास में मृत्यु के समय पति के (कुटुम्ब से) जुदा होने पर विधवा स्त्री (पति के) सपिण्डों की आज्ञा प्राप्त करके ही गोद लेने में समर्थ हो जाती है।

संसृष्टश्चेद् भवेद् भर्ता तर्हि संसृष्टिनां मतम् ।
तदन्तेऽवाप्य सा तत्र शक्ता स्याद्दत्तकग्रहे ॥२६५४॥

यदि पति (कुटुम्बवालों के) साथ रहता हो, तो उस (पति) की मृत्यु के बाद साथ रहनेवालों की अनुमति प्राप्त कर वह (विधवा स्त्री) वहां पर (मद्रास में) गोद लेने में समर्थ होती है ।

महाराष्ट्रे तु सा शक्ता दत्तकग्रहणे स्वयम् ।
अनवाप्यैव कस्याऽपि स्वीकृतिं तत्र कर्मणि ॥२८५५॥

बंबई में वह (विधवा), उस काम में किसी की भी स्वीकृति लिये बिना ही, गोद लेने में स्वयं समर्थ होती है ।

पत्युराज्ञां विना नाऽलं पुत्राऽऽदानाऽर्पणे प्रसूः ।
ऐतद्वशिष्ठवचनं सर्वत्राद्रियते बुधैः ॥२८५६॥
परमेतस्य भिन्नाभिर्व्याख्याभिर्भिन्नताऽभवत् ।
दत्तग्रहविधौ भिन्नप्रदेशेष्वत्र निश्चितम् ॥२८५७॥

पति की आज्ञा के बिना माता पुत्र को (गोद) लेने या देने में समर्थ नहीं होती–विद्वानों द्वारा यह वशिष्ठ का वचन सब जगह माना जाता है । परन्तु इसका भिन्न-भिन्न प्रकार से अर्थ किये जाने के कारण यहां पर भिन्न-भिन्न प्रदेशों में गोद लेने की रीति में निश्चय ही भिन्नता होगई है ।

मिथिलायां यतः साऽऽज्ञा सद्यस्तन्येव गृह्यते ।
अत एव न जात्वीशा विधवा दत्तकग्रहे ॥२८५८॥

क्योंकि मिथिला में वह (पति की) आज्ञा तत्काल की ही (गोद के समय की ही) ली जाती है, इसलिए विधवा स्त्री गोद लेने में कभी समर्थ नहीं होती । (क्यों कि विधवा का पति उसके गोद लेने के समय विद्यमान नहीं होता) ।

वाराणस्यां च वङ्गेषु साऽऽज्ञा पत्या तु जीवता ।
दत्ताऽपि प्रभविष्णुः स्यात्तदन्ते दत्तकग्रहे ॥२८५९॥

बनारस और बंगाल में वह (गोद लेने की) आज्ञा पति द्वारा जीवित अवस्था में दी गई होने पर भी उस (पति) के मरने के बाद गोद लेने में प्रभाव वाली होती है ।

महाराष्ट्रे तु तत् तस्मिञ्जीवत्येव प्रभावकृत् ।
अतो मृतेऽहि पत्यौ सा गृह्णीयात्तच्छुभाय तम् ॥२८६०॥

बंबई में तो वह (वशिष्ठ का) वचन उस (पति) की जीवित अवस्था में ही प्रभाव करनेवाला होता है । इसलिए पति के मरने पर वह (विधवा) उस (पति) के (पिण्डदान द्वारा) कल्याण के लिए उस (दत्तक पुत्र) को ले सकती है ।

तत्रत्यैस्तत्कृते पत्युर्यत आज्ञाऽनुमीयते ।
ततो मृताऽवयःस्थायाऽप्येषा दत्तग्रहे क्षमा ॥२८६१॥

मद्रासवालों (बंबई वालों) द्वारा उस (विधवा के गोद) के लिए पति की आज्ञा अनुमान (presumed) करली जाती है, इसलिए यह (विधवा स्त्री) मरे हुए नाबालिग पति के लिए भी गोद ले सकती है ।

द्रविडैः पतिशब्देन पालको ह्युपलक्ष्यते ।
साऽतः पत्युः सपिण्डानामाज्ञया तद्ग्रहे क्षमा ॥२६६२॥

मद्रासवालों द्वारा पति शब्द से रक्षक का भाव लिया जाता है । इसलिए वह (विधवा) पति के सपिण्डों की आज्ञा से गोद लेने में समर्थ होती है ।

भर्तुर्वोतरसपिण्डानां विनाज्ञां विधवाऽर्हती ।
पत्यर्थं तद्ग्रहेऽशक्ता चेद् बाधा नात्र रीतिजा ॥२६६३॥

जैन विधवा, यदि यहां पर रिवाज से बाधा न हो तो, अपने पति या उस (पति) के सपिण्डों की आज्ञा के विना उस (दत्तक पुत्र) को लेने में समर्थ नहीं होती । (अर्थात्-रिवाज से आज्ञा की आवश्यकता न हो तो स्वयं गोद ले सकती है अन्यथा नहीं ।)

पत्युः स्पष्टादेशतो विधवाया दत्तकग्रहणम् ।

पति की स्पष्ट आज्ञा से विधवा का गोद लेना ।

अवयस्थोऽपि निर्णेतुं धर्मं वय उपाश्रितः ।
हिन्दुः स्वस्थमना भार्यां तत्रेशां कर्तुमीश्वरः ॥२६६४॥

बालिग न होने पर भी निर्णय करने योग्य अवस्था को प्राप्त हुआ स्वस्थ मन-वाला (होश हवासवाला) हिन्दू उस (गोद लेने) में अपनी स्त्री को अधिकारिणी कर सकता है ।

मृत्युकाले तु संसृष्टैर्मैताक्षरमतानुगैः ।
अपि दत्तेच्छुभिः स्वा स्त्री कार्या तत्राऽधिकारिणी॥२६६५॥

मृत्यु के समय साझेदारी में रहे, मिताक्षरा के मत को माननेवाले, दत्तक पुत्र लेने की इच्छावालों को भी अपनी स्त्री को उस विषय में अधिकार दे देना चाहिए । (अर्थात्-विना अधिकार के वह गोद नहीं ले सकती) ।

मिथिलायामशक्तैव विधवा दत्तकग्रहे ।
वशिष्ठवचनव्याख्याशैलीत इति निश्चितम् ॥२६६६॥

मिथिला में तो वशिष्ठ के वचन की व्याख्या के तरीके से विधवा गोद लेने में असमर्थ ही है, यह निश्चित है ।

मान्याऽध्यवार्यमेवात्र पत्या दत्तेशता ध्रुवम् ।
दत्तग्रहाय, नान्येषां संसृष्टो दीयतेऽथ सा ॥२६६७॥

गोद लेने के लिए पति द्वारा अपनी विधवा स्त्री को दिया अधिकार ही यहां पर

मान्य होता है (दूसरे को दिया नहीं)। और वह (अधिकार) (उसे) दूसरों के साझे में (भी) नहीं दिया जाता।

अन्यैः सह नियुक्ता तु न शक्ता दत्तकग्रहे।
गृहीतो दत्तकश्चाऽपि तयाऽमान्यो मतः पुनः ॥२६६८॥

दूसरों के साथ नियुक्त की हुई (विधवा) गोद लेने में समर्थ नहीं होती और फिर उसके द्वारा लिया दत्तक पुत्र भी अमान्य होता है।

नियमश्चेत्कृतस्तस्यै पत्याऽधिकृतिपत्रके।
यत्साऽमुकानुमत्यैव क्षमा स्याद्दत्तकग्रहे ॥२६६९॥
तर्हि तस्याऽनुमत्यैव सा दत्तग्रहणे क्षमा।
तस्मिञ् जीवति वा प्रेते नान्यथा तु कदाचन ॥२६७०॥
भार्याया अवयःस्थात्वं प्रधानं तत्र कारणम्।
तथा दत्तग्रहश्चाऽपि दायायैव न धर्मणे ॥२६७१॥

यदि पति ने उसके लिए अधिकार पत्र में नियम (शर्त) करदी हो कि वह (विधवा) अमुक (जन) की अनुमति से ही गोद लेने में समर्थ होगी, तो वह (स्त्री) उस (पुरुष) की अनुमति से ही गोद लेने में समर्थ होती है। उस (अनुमति देनेवाले) के जीते जी या मरने पर भी अन्यप्रकार से (विना उसकी अनुमति के) कभी समर्थ नहीं होती। ऐसे स्थान पर पत्नी का छोटी अवस्थावाली होना ही प्रधान कारण होता है और गोद लेना भी धर्म (पिण्डदान) के लिए न होकर दाय-धन प्राप्ति (inheritance) के लिए ही होता है।

जनैः कतिपयैर्यत्र निर्वाच्यो दत्तको भवेत्।
तत्रैकेन वृतश्चेत् स संमन्त्र्यान्यैर्जनैः सह ॥२६७२॥
तैश्च प्रागथवा दत्ताऽऽदानस्य समयेऽपि नो।
दर्शिताऽसंमतिस्तर्हि मतो मान्यः स दत्तकः ॥२६७३॥

जहां पर दत्तक पुत्र कई पुरुषों द्वारा चुना जाने को हो, वहां पर यदि एक चुननेवाला दूसरे चुननेवालों के साथ सलाह करके उसे चुन ले और वे पहले (सलाह के समय) या गोद लेने के समय भी असंमति प्रदर्शित न करें, तो वह (चुना हुआ) दत्तक पुत्र मान्य होता है।

अमुकस्याऽनुमत्यैवाऽऽदेयो दत्तः स्त्रियेत्ययम्।
समयश्चेत्तदाऽमान्यस्तस्मिन् जीवति वा मृते ॥२६७४॥
तत्स्वीकृतिं विनैवाऽत्र गृहीतो दत्तकः सुतः।
मन्त्रणामात्र निर्देशे सा स्वतन्त्रा मता परम् ॥२६७५॥

अमुक (पुरुष) की अनुमति से ही स्त्री को गोद लेना चाहिए इस प्रकार की शर्त हो, तो उस पुरुष के जीते हुए या मरने पर उसकी स्वीकृति के विना ही, यह

पर, गोद लिया हुआ पुत्र अमान्य होता है। परन्तु (शर्त में) सलाह लेने मात्र का निर्देश हो, तो वह स्त्री (सलाह लेने न लेने में) स्वतन्त्र मानी गई है।

एकाऽधिकासु या भर्त्राऽधिकृता दत्तकग्रहे।
सैवाऽथवा भवेच्छक्ता यथेच्छं दत्तकग्रहे ॥२६७६॥

एक से अधिक विधवाओं में जिसे पति ने गोद लेने का अधिकार दिया हो, वही विधवा अपनी इच्छानुसार गोद लेने में समर्थ होती है।

एकाऽधिका नियुक्ताश्चेत्पत्या दत्तग्रहे स्त्रियः।
तर्हि ताभिर्गृहीतोऽत्र मान्यः स्याद्दत्तकः सुतः ॥२६७७॥
एष ज्येष्ठासुतोऽन्यासां सापत्नेयो मतः परम्।
द्रविडोच्चन्यायागारमतं ज्ञेयं सुनिश्चितम् ॥२६७८॥
तासु प्राप्ताधिकारासु म्रियते काऽपि तर्हि तु।
अवशिष्टाः स्त्रियः सर्वा अक्षमा दत्तकग्रहे ॥२६७९॥
ज्येष्ठा भार्यैव कुत्राऽपि क्षमा दत्तग्रहे पुनः।
अतस्तद्ग्रहणे जातेराचारः प्रमुखो मतः ॥२६८०॥

यदि पति ने एक से अधिक स्त्रियों को गोद लेने में नियुक्त किया हो, तो यहां पर उनके द्वारा लिया हुआ दत्तक पुत्र मान्य होता है। परन्तु वह बड़ी (पत्नी) का पुत्र और दूसरी पत्नियों का सौतेला लड़का माना गया है। इसे मद्रास हाईकोर्ट का सुनिश्चित मत जानना चाहिए। उन अधिकार प्राप्त स्त्रियों में से कोई मरजाय, तो बाकी की सब स्त्रियां गोद लेने में असमर्थ हो जाती हैं। फिर कहीं बड़ी पत्नी ही गोद लेने में समर्थ होती है। इसलिए उस (दत्तक पुत्र) के लेने में जाति का आचार मुख्य माना गया है।

पृथगेकाऽधिकाभ्यश्चेद्दत्ता स्यादधिकारिता।
तर्हि ज्येष्ठैव विधवा शक्ता प्राग् दत्तकग्रहे ॥२६८१॥

यदि एक से अधिक स्त्रियों को अलग-अलग (severally) अधिकार दिया हो, तो पहले बड़ी विधवा (स्त्री) ही गोद ले सकती है।

प्रत्यादिष्टे तयाऽऽदाने कनिष्ठा स्यात् क्षमा तथा।
सति न्याय्ये सपत्न्याऽऽत्ते दत्तेऽमान्योऽपरग्रहः ॥२६८२॥

उस (ज्येष्ठ विधवा पत्नी) द्वारा गोद लेने का इनकार करने पर छोटी (विधवा पत्नी) समर्थ होगी। और सौत के गोद लिए, न्याय से अनुमोदित, पुत्र के विद्यमान होने पर दूसरे (पुत्र) को गोद लेना अमान्य होता है।

मौखिकी लिखिता चेत्यधिकृतिर्द्विविधा मता।
लिखिता राजमुद्राताऽद्वितीयाद्रियते बुधैः ॥२६८३॥

अधिकार मुख से दिया या लिखा हुआ दो प्रकार का माना है । लिखा अधिकार रजिस्टर्ड होने पर ही विद्वानों से माना जाता है ।

इच्छापत्रगता सा चेदुपयोज्या तदा तु सा ।
नेत्राष्टाङ्कैकवार्षिक्युत्तराऽधिकृतिनीतितः ॥२६८४॥

यदि वह (अधिकार) इच्छापत्र (Will) के द्वारा दिया गया हो, तो उसे वि० सं० १६८२ (ई० स० १६२५) के उत्तराधिकार कानून (*Indian Succession Act*) के अनुसार उपयोग करना चाहिए ।

अवयःस्थेन चेद्दत्ताऽधिकृतिर्मृत्युपत्रतः ।
तत्पत्राऽमान्यभावेऽस्य राजमुद्राङ्कनं स्मृतम् ॥२६८५॥

यदि नाबालिग ने मृत्युपत्र (Will) के द्वारा अधिकार दिया हो, तो उस (मृत्यु) पत्र को अमान्यता होने से उस (पत्र) का रजिस्ट्री कर वाना कहा गया है ।

सोपाधिकाप्यधिकृतिर्न्याय्योपाधियुता यदि ।
तर्हि मान्यैव, नो मान्याऽन्याय्योपाधियुता परम् ॥२६८६॥
यथाऽनूढे मृतेऽर्भे सूर्दत्तं लात्वधिकारिणी ।
मातापुत्रविरोधे साऽधिकृताऽपि न शक्नुयात् ॥२६८७॥

शर्त के साथ का अधिकार भी यदि न्यायानुमोदित शर्तवाला हो, तो मान्य ही होता है । परन्तु अन्याय की शर्तवाला अमान्य होता है । जैसे बिन ब्याहे बालक पुत्र के मरने पर अधिकार प्राप्त माता गोद ले सकती है । (परन्तु) मा बेटों के विरोध होने पर, उस (माता) को अधिकार प्राप्त हो, तब भी वह समर्थ नहीं होती । (अर्थात्–पति ने पिछली शर्त पर गोदलेने का अधिकार दिया हो, तो भी वह मान्य नहीं होता ।)

भावस्त्वधिकृतेः पाल्योऽधवया दत्तकग्रहे ।
तस्यां चेदवधिर्दत्तस्तदा तस्मिन् हि तद्ग्रहः ॥२६८८॥

विधवा को गोद लेने में अधिकार के आशय को पालना चाहिए । उस (अधिकार) में यदि मियाद दी हो, तो उसी (मियाद) में गोद ले लेना चाहिए ।

अभावः सन्ततेर्यत्राऽधिकृतौ निश्चितः पुनः ।
पत्युरन्तेऽपि जातायां कन्यायां तत्र साऽफला ॥२६८९॥

फिर जहां पर अधिकार में सन्तति का अभाव (होना) निश्चित कर दिया हो, वहां पर पति के (मरने के) बाद भी कन्या के उत्पन्न होने पर वह (अधिकार) निष्फल हो जाता है ।

दत्तके निश्चिते पत्या गृह्णीयात् सा तमेव हि ।
तन्मृत्यौ तु पुनश्चान्यं निषेधो यदि नो कृतः ॥२६९०॥

सति तस्मिंस्तु वैशद्यं तस्य नूनमपेक्ष्यते ।
महाराष्ट्रीयसर्वोच्चन्यायालयमतानुगैः ॥२६६१॥

पति के गोद के पुत्र को निश्चित करदेने पर वह (स्त्री) उसी को ले और यदि निषेध न हो, तो उस (निश्चित दत्तक पुत्र) के मरजाने पर फिर दूसरे को ले। उस (निषेध) के होने पर बंबई हाईकोर्ट के मत के माननेवालों द्वारा उसका स्पष्ट (खुलासा तौर पर) होना अवश्य ही आवश्यक माना जाता है।

दत्ताऽधिकाराऽप्यथवा यदि नेच्छेत्सुतग्रहम् ।
न्यायेन दायाऽधिकृतौ तस्यै बाधा न तर्ह्यपि ॥२६६२॥

(गोद लेने का) अधिकार दी गई विधवा भी यदि पुत्र लेना न चाहे तो (भी) उसके दायाधिकार में न्याय से बाधा नहीं होती।

बाधा तत्राऽवधेश्चापि तद्ग्रहे नो बुधैर्मता ।
यावज्जीवं क्षमा सा स्याद् यदीच्छेद् दत्तकग्रहम् ॥२६६३॥

और ऐसे स्थान पर विद्वानों ने उस (गोद) लेने में अवधि की बाधा भी नहीं मानी है। यदि वह (विधवा) गोद लेना चाहे, तो जीवन पर्यन्त समर्थ होती है।

दत्तग्रहाऽधिकारस्तु विधवाया निषिध्यते ।
पत्या काकाऽथ विशदवचसाऽत्र सुनिश्चितम् ॥ २६६४ ॥

विधवा का गोद लेने का अधिकार यहां पर निश्चय ही पति द्वारा इशारे से (impliedly) या साफ़ वचन से (expressly) निषिद्ध किया जाता है।

इच्छापत्रप्रदत्तश्चेत् स तर्हि प्रतिषिध्यते ।
नेशाएसङ्ख्यराव्दीयोत्तराधिकृतिरीतितः ॥२६६५॥

यदि वह (गोद लेने का अधिकार इच्छापत्र (will) के द्वारा दिया हो, तो वि० सं० १९६२ (ई० स० १९२५) के उत्तराधिकार (Indian Succession Act) के नियमानुसार निषिद्ध किया जाता है। (अर्थात्-उसकी ७० वीं धारा के अनुसार उसका निषेध (revocation) होता है।

पत्यादेशमृते विधवाया दत्तकग्रहणम् ।

पति की आज्ञा के बिना विधवा का गोद लेना।

द्रविडे च महाराष्ट्रे निम्नोक्ताऽवसरेषु सा ।
पत्याऽप्राप्ताऽधिकाराऽपि भवेद्दत्तग्रहे क्षमा ॥२६६६॥

मद्रास और बंबई में नीचे लिखे अवसरों पर पति से अधिकार नहीं प्राप्त की हुई भी वह (विधवा) गोद ले सकती है।

प्रथमं द्राविडी रीतिर्विशद्येन प्रदर्श्यते।
पत्या काकाऽथ वचसा सा चेन्नाऽत्र निवारिता ॥२९९७॥
तर्ह्यप्राप्ताऽधिकाराऽपि दत्तकग्रहणे क्षमा।
पतिपत्न्योः पृथग्वासो नो निवारणसूचकः ॥२९९८॥

पहले मद्रास की रीति विशद रूप से बतलाई जाती है—यदि पति ने इशारे से (impliedly) या वचन से (expressly) वह (गोद लेने से) रोकी न गई हो, तो बिना अधिकार पाई हुई भी (वह) गोद लेने में समर्थ होती है। पति और पत्नी का अलग-अलग रहना (ही) उसको (गोद लेने से) रोकने का सूचक नहीं होता।

विश्लिष्टो मृत्युकाले चेत्पतिस्तस्याऽथवा तदा।
तत्पितुः कुलवृद्धस्य प्राप्याज्ञां तद्ग्रहे क्षमा ॥२९९९॥

यदि मृत्यु के समय पति जुदा हो, तो उसकी विधवा उस(पति) के कुल में वृद्ध पिता की आज्ञा प्राप्त करके उस (दत्तक पुत्र) को लेने में समर्थ होती है।

तस्मिन्नपि मृते तत्र सा क्षमा दत्तकग्रहे।
भर्तुर्बहूनामासन्नसपिण्डानामनुज्ञया ॥३०००॥

यहां पर उस (ससुर) के भी मरजाने पर वह (स्त्री) पति के बहुत से (बहु संख्यक) पास के सपिण्डों की आज्ञा से गोद लेने में समर्थ होती है।

तैः पुनः कामचारेण निरुद्धा स्वीकृतिर्यदि।
प्रत्यादेषु तदिच्छायाः प्राबल्यं तर्ह्यलं मतम् ॥३००१॥

फिर यदि उन्होंने (नज़दीकी सपिण्डों ने) (अपनी) हठ से (capriciously) (गोद लेने की) स्वीकृति रोकली हो, तो प्रत्यादों (reversioners) में उस (स्त्री को गोद दिलवाने की) इच्छा की प्रबलता (preponderance) होना पर्याप्त होता है।

सर्वैरेव सपिण्डैर्वा सपत्न्याः कन्यया सह।
मन्त्रणं तत्कृते तस्या न स्यादावश्यकं परम् ॥३००२॥

परन्तु उसका सारे ही सपिण्डों से या सौत की कन्या से उस (गोद) के लिए सलाह करना आवश्यक नहीं होता।

आसन्नानां सपिण्डानां मताऽभावो न पूर्यते।
दूरस्थानां सपिण्डानामनुमत्या हि तत्कृते ॥३००३॥

पास के सपिण्डों के मत का अभाव, उस (गोद) के लिए, दूर के सपिण्डों की अनुमति से पूरा नहीं होता।

आसन्नेष्ववयःस्थानां मत्तानां वाऽथ संमतिः।
नावश्यकाथवा नाऽलं दत्तकग्रहणे स्त्रियाः ॥३००४॥

पास के सपिण्डों में नाबालिगों या पागलों की संमति स्त्री के गोद लेने में न तो आवश्यक होती है न पर्याप्त (sufficient) होती है ।

दुराशयेन वा द्वेषवशेनैव विरोधनम् ।
आसन्नस्य सपिण्डस्याप्यमान्यं हि मतं बुधैः ॥३००५॥

विद्वानों ने पास के सपिण्ड के भी, खराब इरादे या द्वेष वश होने के कारण ही (स्त्री के गोद लेने के) विरोध करने को अमान्य माना है ।

दूरस्थानां सपिण्डानां संमत्यर्थं भवेद्यदि ।
दौष्कर्यं वा स्थितस्तेषु कारागारेऽत्र कश्चन ॥३००६॥
असंमन्त्र्यैव तैः शक्ता तर्हि दत्तग्रहेऽथवा ।
अन्यथा मन्त्रणाऽऽसन्नैस्तैः सर्वैः समपेक्षिता ॥३००७॥

यदि दूर रहनेवाले सपिण्डों की संमति (प्राप्त) करने के लिए कठिनता हो या, वहाँ पर, उनमें से कोई जेल में हो, तो विधवा उनके साथ सलाह किये बिना ही गोद ले सकती है । ऐसी अवस्था न होने पर पासके उन सब (सपिण्डों) के साथ सलाह करना आवश्यक माना गया है ।

अवश्यमेव ते सर्वे निषेद्धारो हि तद्ग्रहम् ।
अत एव न पृष्टास्ते इत्युक्तिर्न प्रभाविणी ॥३००८॥

वे सब (सपिण्ड) अवश्य ही उस (गोद) के लेने का विरोध करनेवाले थे इसीलिए उनको नहीं पूछा-यह कहना प्रभाव नहीं रखता (पर्याप्त नहीं होता) ।

सपिण्डाऽनुमतेनात्र न्याय्यो दत्तग्रहो न वा ।
न्यायेशैरिति निर्णेयोऽभियोगे समुपस्थिते ॥३००९॥

यहाँ पर सपिण्डों की अनुमति होने से गोद लेना उचित हुआ है या नहीं मुकद्दमा आने पर न्यायाधीशों को इसका निर्णय करना चाहिए ।

प्रत्यासन्नां सपिण्डानामभावे वंशजैः पुनः ।
प्रत्यासन्नैः साऽनुमन्त्र्यैव दत्ताऽऽदाने क्षमा भवेत् ॥३०१०॥

फिर सपिण्ड प्रत्यासन्नों (agnate reversioners) के अभाव में वंशज प्रत्यासन्नों (nearest cognate reversioners) के साथ सलाह करके ही वह गोद लेने में समर्थ होती है । (जैसे फुफेरे भाई आदि के साथ) ।

सपिण्डानामभावे तु ब्रह्मदेशेऽथवाः क्षमाः ।
यथेच्छं तद्ग्रहे किन्तु नैतदाद्रियते बुधैः ॥३०११॥

बर्मा (Rangoon) में सपिण्डों के अभाव में विधवा अपनी इच्छानुसार उस (गोद) के लेने में समर्थ होती है । परन्तु विद्वान् इस (प्रथा) का आदर नहीं करते ।

यत्रासन्नसपिण्डस्तु दत्तग्रहणसंमतिम्।
दत्त्वा म्रियेत चेत्तस्य ग्रहणात्पूर्वमेव हि ॥३०१२॥
न स्याद्दत्तग्रहान्तं चावस्थासु परिवर्तनम्।
नापराणि निमित्तानि यान्याश्रित्य विरोधयेत् ॥३०१३॥
मृतस्योक्तसपिण्डस्याऽनन्तरश्च सपिण्डकः।
तर्ह्यात्तो दत्तको नूनं मान्य एव मतो बुधैः ॥३०१४॥

जहां पर नजदीक का सपिण्ड गोद लेने की संमति देकर यदि उस (गोद) के लेने के पहले ही मरजाय और गोद लेने तक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तथा दूसरे भी ऐसे कारण न हों जिनका आश्रय लेकर उपर्युक्त मरे हुए सपिण्ड के बाद का (नजदीकी) सपिण्ड विरोध करे, तो लिया हुआ दत्तक पुत्र विद्वानों द्वारा मान्य ही माना गया है।

भार्यासुतावनुत्यज्य चेन्म्रियेत जनस्तदा।
जीवत्पुत्रा तु सा भार्या पुत्राऽऽज्ञप्ताऽपि न क्षमा ॥३०१५॥
दत्तकग्रहणे, किन्तु मृतिपत्रेण चेत्सुतः।
दद्यादनुमतिं तस्यै तर्ह्यन्ते तस्य सा क्षमा ॥३०१६॥
पुत्रान्ते तस्य दायान्तः काले दत्तग्रहस्य वा।
आसन्नानां सपिण्डानां सतां संमत्युपेक्षणम् ॥३०१७॥
न बाधकं स्त्रिया दत्तग्रहे, कामं च न क्षमः।
प्रत्याख्यातुं सपिण्डोऽपि दत्तामनुमतिं सकृत् ॥३०१८॥

यदि पुरुष पत्नी और पुत्र को छोड़कर मरे, तो जीते हुए पुत्रवाली वह पत्नी पुत्र से इजाजत पाने पर भी गोद नहीं ले सकती। परन्तु यदि पुत्र मृति-पत्र (will) के द्वारा उसको अनुमति दे, तो वह (स्त्री) उस (पुत्र) के बाद (मरने पर) (गोद लेने में) समर्थ होती है। पुत्र के मरने पर उस का हक दाय के धन पर नहीं रहना, (उस पुत्र के हित का अभाव होना) या गोद लेने के समय पास के जीवित सपिण्डों की संमति का न लेना स्त्री के गोद लेने में बाधक नहीं होता (अर्थात्—कोई हकदार इन कारणों को बतलाकर गोद लेने को अमान्य नहीं कर सकता।) तथा सपिण्ड भी एकवार दी हुई (अपनी) संमति को अपनी इच्छा से ही लौटा नहीं सकता (उसका विरोध नहीं कर सकता)।

मृत्युकाले तु संसृष्टश्चेद्भर्ता तर्हि संमतिम्।
तत्पितुः समवाप्यैवाऽधवा दत्तग्रहे क्षमा ॥३०१९॥

यदि मरने के समय पति साझेदारी से (jointly) रहता हो, तो उसके पिता की संमति प्राप्त करके ही (उसकी) विधवा गोद लेने में समर्थ होती है।

तस्मिन्नपि मृते पत्युर्भ्रातृणां वा सहांऽशिनाम्।
अन्येषां हि समादायाऽनुमतिं सा क्षमा भवेत् ॥३०२०॥
पत्यन्ते तद्धितं येषु संसृष्टिष्ववशिष्टितः।
याति, तेषां विनाज्ञां सा तत्राऽन्यं योक्तुमक्षमा ॥३०२१॥

उस (ससुर) के भी मर जाने पर पति के (सब) भाइयों की या अन्य साझेदारों की अनुमति लेकर वह (स्त्री) (गोद लेने में) समर्थ होती है। पति के मरने पर उसका हित (हक) पीछे जीवित रहने (survivorship) के कारण जिन (साझेदारों) को मिलता है, उनकी इजाजत के बिना वह (स्त्री) उस (हक) में दूसरे को नियुक्त (introduce) नहीं कर सकती।

मृते भर्तरि गृह्णीयात् संसृष्टानामनुज्ञया।
भार्या दत्तं न विश्लिष्टसपिण्डाऽनुज्ञया ततः ॥३०२२॥

इसलिये पति के मरने पर (उसकी) पत्नी साथवाले साझेदारों की अनुमति से गोद ले, जुदा हुए सपिण्डों की अनुमति से नहीं।

पत्याऽस्म्यधिकृतेत्याऽऽदिच्छलोक्त्या प्राप्य संमतिम्।
स्त्रिया गृहीतोऽमान्यः स्याद्दत्तको नाऽत्र संशयः ॥३०२३॥

पति ने मुझे अधिकार देदिया है—इत्यादि कपट की उक्तियों से (गोद लेने की) संमति प्राप्त कर स्त्री के द्वारा गोद लिया दत्तक पुत्र अमान्य होता है, इसमें संशय नहीं है।

पत्युः कुटुम्बिभिर्दत्ताऽनुमतिः स्वार्थलिप्सया।
क्रीता तेभ्यश्च या नो सा मान्या दत्तग्रहे मता ॥३०२४॥

पति के कुटुम्बियों द्वारा स्वार्थ की इच्छा से दी हुई संमति या उनसे जो खरीदी हुई संमति हो वह गोद लेने में मान्य नहीं मानी गई है।

परं संसृष्टिविहितः समयः स्वांऽशरक्षणे।
माऽन्याय्यो यस्य तत्राऽस्ति न्यायस्योल्लङ्घनं ध्रुवम् ॥३०२५॥

परन्तु साझेदार की अपने भाग के रक्षण के लिए की शर्त अन्याय्य नहीं होती, क्योंकि इसमें निश्चय ही न्याय्य का उल्लंघन नहीं होता।

विधवाभर्तृवंश्येभ्यः संप्राप्याऽधिकृतिं क्षमा।
भर्तृवद् दत्तकीकर्तुं पुत्रमेकाकिनं ह्यपि ॥३०२६॥

विधवा भी पति के कुटुम्बियों (Kinsmen) से अधिकार पाकर (अपने) पति के समान ही अकेले पुत्र को भी गोद ले सकती है।

अपृष्ट्वैव सपत्नीं स्वां सपिण्डानुमतेन हि।
ज्येष्ठयाऽप्यया त्वासो दत्तो मान्यो मतो बुधैः ॥३०२७॥

ज्येष्ठा भार्या द्वारा, अपनी सौत को पूछे बिना ही, सपिण्डों की अनुमति से, ग्रहण किया दत्तक विद्वानों ने मान्य माना है।

अपण्वे व निजां ज्येष्ठां सपत्नीं दत्तकग्रहः ।
कनिष्ठया कृतोऽमान्यः सपिण्डाऽनुमतोऽपि चेत् ॥३०२८॥

अपनी बड़ी सौत को पूछे बिना छोटी स्त्री द्वारा किया गोद का ग्रहण (पतिके) सपिण्डों से अनुमत होने पर भी अमान्य होता है।

सदाशयत एवाऽत्राऽधवा दत्तग्रहे क्षमा ।
प्रत्यादास्तद्विरोधेऽपि शक्ताः शुद्धाशयेन हि ॥३०२९॥

विधवा स्त्री नेक नीयती से ही यहां पर गोद लेने में समर्थ होती है और हकदार (reversioners) भी नेक नीयत से ही उसका विरोध कर सकते हैं।

महाराष्ट्रेऽनवाप्यैव पत्यनुज्ञां क्षमाऽधवा ।
दत्तकग्रहणे निम्नाऽवस्थासु सुविनिश्चितम् ॥३०३०॥

बंबई में विधवा पति की संमति प्राप्त किये बिना ही नीचे लिखी अवस्थाओं में निश्चय रूप से गोद लेने में समर्थ होती है।

काकाऽथ वचसा पत्या निषिद्धा चेन्न तद्ग्रहे ।
निषिद्धस्तद्ग्रहो भर्त्रा स्वयं नो बाधको मतः ॥३०३१॥

यदि पति ने इशारे से (impliedly) या वचन से (expressly) उस (गोद) के लेने में रोक न लगाई हो (तो विधवा गोद ले सकती है)। पति का स्वयं गोद लेने से इनकार करना (स्त्री के लिए) बाधक नहीं होता।

न्याय्याऽन्याय्यतया पत्या गृहीते दत्तके न सा ।
शक्ताऽऽक्षेप्तुं ग्रहीतुं वाऽपरं जीवति तत्सुते ॥३०३२॥

न्याय से या अन्याय से पति के गोद ले लेने पर वह (स्त्री) न ऐतराज़ कर सकती है न उस पुत्र की जीवित अवस्था में दूसरा (गोद) ले सकती है।

विधवा तु मृते पत्यौ प्रतिबन्धान् हि तत्कृतान् ।
दत्तकग्रहणे सर्वान् पालयेन्न्यायतो ध्रुवम् ॥३०३३॥

विधवा स्त्री पति के मरने पर गोद लेने में उस (पति) के किये (लगाये) सब प्रतिबन्धों (restrictions) का न्याय से, निश्चित तौर पर, पालन करे।

सर्वस्वं मृतिपत्रेण दत्तं धर्माय येन हि ।
तस्योक्तिर्यन्न गृह्णीयां दत्तकं स्वकृते तथा ॥३०३४॥
नाऽधिकुर्यां निजां भार्यामपि तद्ग्रहणे पुनः ।
न बाधिका तदन्ते स्यात्तस्यास्तत्राऽन्यसंपदे ॥३०३५॥

जिसने इच्छापत्र (will) के द्वारा सारा धन धर्मार्थ दे दिया हो, उसका

(यह) कहना कि-मैं अपने लिए गोद का पुत्र न लूंगा और फिर अपनी स्त्री को भी उसके ग्रहण करने के विषय में अधिकार न दूंगा-उसके मरने पर उस (स्त्री) के दूसरी (watan) संपत्ति के लिए वैसा करने (गोद लेने) में बाधक नहीं होता।

महाराष्ट्रे यतो नैवाऽधिकृतिः समपेक्ष्यते।
अतोऽधवागृहीतोऽसौ मान्य एव मतो बुधैः ॥३०३६॥

क्योंकि बंबई प्रान्त में अधिकार की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए विधवा का लिया यह (दत्तक पुत्र) विद्वानों ने मान्य ही माना है।

मृत्युकाले विसृष्टस्य पत्युर्दायमवाप्य तु।
पत्नी पतिसपिण्डानां विनाज्ञां तद्ग्रहे क्षमा ॥३०३७॥

स्त्री मरने के समय जुदा रहे पति के दाय-धन को प्राप्तकर तो, पति के सपिण्डों की आज्ञा के बिना (ही), उसे (दत्तक पुत्र को) ले सकती है।

मृते भर्तरि संसृष्टेऽधवादत्तग्रहेशता।
व्याख्याभिर्भिन्नरूपाभिर्भिन्न-भिन्नैव लभ्यते ॥३०३८॥

सामेदारी में रहनेवाले पति के मरने पर विधवा का गोद लेने का अधिकार भिन्न-भिन्न रूप की व्याख्याओं के कारण भिन्न-भिन्न प्रकार का ही मिलता है।

रसत्रिनवचन्द्राब्दे महाराष्ट्रेऽधवारितम्।
मुख्यन्यायालयेनैव तत्रत्येन तु प्राग् हि यत् ॥३०३९॥
पत्याऽनधिकृता या तत्संसृष्टैर्नाऽनुमोदिता।
विधवा न क्षमा दत्तग्रहणाय निजेच्छया ॥३०४०॥

विक्रम संवत् १९३६ (ई० स० १८७९) में बंबई प्रान्त में वहां के मुख्य न्यायालय (High Court) ने ही पहले निश्चित किया था कि पति से अधिकार नहीं दी हुई या उस (पति) के सामेदारों से अनुमति नहीं दी हुई विधवा, अपनी इच्छा से (ही), गोद लेने के लिए समर्थ नहीं होती।

वसुवेदनवैकाब्दे श्वशुराऽनुमता पुनः।
दत्तकग्रहणे शक्ता न्यायिभिर्निर्णायि सा ॥३०४१॥

फिर वि० सं० १९४८ (ई० स० १८९१) में न्यायकर्ताओं ने उस (विधवा) को श्वशुर की अनुमति मिलने पर गोद लेने में समर्थ ठहराया है।

संसृष्टैश्चेन्नियुक्तः स्यान्मृतसंसृष्टहेतवे।
लेखेन दत्तकस्तर्हि त्वविभक्तधना अपि ॥३०४२॥
तेऽन्ये विसृष्टा विज्ञेया अनूढे च मृते पुनः।
तस्मिन्सुते भवेच्छक्ता तन्माता दत्तकग्रहे ॥३०४३॥

सामेदारों ने यदि मरे हुए सामेदार के लिए लेख (deed) के द्वारा दत्तक पुत्र नियुक्त कर दिया हो, तो उन दूसरों (सामेदारों) को धन का बटवारा न

किये हुए होने पर, भी, जुदा हुए जानना चाहिए और फिर उस पुत्र के अविवाहित मरने पर उसकी माता गोद लेने में समर्थ होती है।

मातृगर्भे तु संस्थः काले दत्तग्रहस्य चेत्।
भवेत्तर्हि तदाऽऽदानममान्यं तत्र निश्चितम् ॥३०४४॥

यदि गोद लेने के समय सामेदार मा के गर्भ में हो, तो वहां पर उसका (गोद के पुत्र का) लेना निश्चित ही अमान्य होता है।

नवाष्टनवचन्द्राब्दे महाराष्ट्रे तु सा कृता।
उपेक्ष्य भर्तृसंसृष्टानपि दत्तग्रहे क्षमा ॥३०४५॥

वि० सं० १६८६ (ई० स० १६३२) में बंबई प्रान्त में वह (विधवा) पति के सामेदारों को विना पूछे ही गोद लेने में समर्थ करदी गई है।

सपत्नीषु क्षमा ज्येष्ठा स्वेच्छया दत्तकग्रहे।
कनिष्ठाऽनुमतिस्तत्र न्यायेनैवाऽनपेक्षिता ॥३०४६॥

सौतों में बड़ी (सौत) अपनी इच्छा से गोद ले सकती है। वहां पर छोटी (सौत) की अनुमति कानून से ही आवश्यक नहीं होती।

कनिष्ठा सविशेषं चेत् पत्या नाऽधिकृता भवेत्।
तद्ग्रहे तर्हि नो शक्ता सा ज्येष्ठाऽनुमतिं विना ॥३०४७॥

यदि पति ने छोटी (भार्या) को खास तौर से गोद लेने का अधिकार न दिया हो, तो वह बड़ी (भार्या) की अनुमति के विना (गोद लेने में) समर्थ नहीं होती।

दत्तास्यधिकृतिःस्वार्थात् कनिष्ठायै पुराऽऽर्प्य चेत्।
ज्येष्ठा सपत्नी तस्यास्तु तत्कृते ह्यप्रवर्तनम् ॥३०४८॥
आरोपयन्ती गृह्णीयाद् दत्तकं तनयं स्वयम्।
तर्ह्यमान्यो मतो लोके स दत्तो न्यायशास्त्रिभिः ॥३०४९॥

यदि बड़ी सौत गोद लेने के (अपने) अधिकार को स्वार्थ के कारण पहले छोटी (सौत) को देकर फिर उसके उस (गोद लेने के) काम को नहीं करने का दोष लगाती हुई स्वयं (बड़ी सौत) दत्तक पुत्र ले ले, तो न्याय के विद्वान्, वहां पर, उस पुत्र को अमान्य मानते हैं।

मृतिकाले तु संसृष्टो भर्ता पित्रा भवेद्यदि।
कनिष्ठा श्वशुराज्ञप्ता स्वयं दत्तग्रहे क्षमा ॥३०५०॥

यदि मृत्यु के समय पति (अपने) पिता के साथ हो, तो ससुर से आज्ञा प्राप्त की हुई उसकी छोटी स्त्री खुद ही गोद ले सकती है। (अर्थात्-ऐसी अवस्था में उसे अपनी बड़ी सौत से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती)।

पत्युर्मरणकाले चेत् कनिष्ठा पुत्रिणी भवेत् ।
तत्पुत्राऽन्ते च तद्रिक्थं सा दाये प्राप्नुयात् तदा ॥३०५१॥
तस्या ज्येष्ठा सपत्नी नो स्याच्छक्ता दत्तकग्रहे ।
यतः कनिष्ठाप्राप्तोऽर्थो प्रत्यादातुं न शक्यते ॥३०५२॥

यदि पति की मृत्यु के समय छोटी स्त्री पुत्रवाली हो और उस पुत्र के मरने पर वह उसके धन को दाय (हकदारी) में पा लेवे, तो उस स्त्री की बड़ी सौत गोद नहीं ले सकती, क्योंकि छोटी स्त्री को मिला धन वापस नहीं लिया जा सकता ।

महाराष्ट्रे परं शक्ता ज्येष्ठा दत्तग्रहेऽधुना ।
तत्राप्यतः कनिष्ठाप्तो यात्यर्थस्तं हि दत्तकम् ॥३०५२क॥

परन्तु महाराष्ट्र (बंबई) में आजकल बड़ी सौत ऐसी अवस्था में भी गोद ले सकती है । इसलिये छोटी सौत द्वारा पाया हुआ धन उस (बड़ी सौत) के दत्तक-पुत्र को मिलता है ।

व्याख्यां यतोऽनुसृत्यैव प्रधानन्यायसंसदः ।
निर्णयस्त्वेष विहितो मान्योऽतः सर्वभारते ॥३०५२ख॥

क्योंकि यह निर्णय प्रधान न्यायकारिणी सभा (The Privy Council) की व्याख्या (Comment) का अनुसरण करके ही किया है, इसलिए सारे ही भारत-वर्ष में मान्य होगा ।

विधवाया दत्तकग्रहणे साधारणा नियमाः ।

(विधवा के गोद लेने में साधारण नियम)

दत्ताऽऽदाने भवेद् भर्तुर्जीवतो यादृगीशता ।
तादृगेव तदन्ते स्यात्सत्पत्न्या नाऽधिका ततः ॥३०५३॥
अतः पत्युरपत्येषु तेन दत्तीकृतेषु वा ।
पुत्रपौत्रप्रपौत्रेषु ह्येकस्मिन्नपि जीवति ॥३०५४॥
अवयस्था वयस्था वा विधवा न क्षमा भवेत् ।
दत्तकग्रहणे नूनमिच्छन्त्यपि कथञ्चन ॥३०५५॥

जीवित पति को गोद लेने में जैसा अधिकार होता है, वैसा ही अधिकार उसके बाद उसकी स्त्री को होता है उससे अधिक नहीं । इसलिये पति की संतान या गोद लिये बेटों, पोतों और पड़पोतों में एक के भी मौजूद होने पर नाबालिग या बालिग विधवा, निश्चित तौर पर, इच्छा रखती हुई भी किसी प्रकार गोद लेने में समर्थ नहीं होती ।

अवयस्था त्वपुत्राऽपि वयो निर्णयनक्षमम् ।
संप्राप्यैव समर्था स्याद्विधवा दत्तकग्रहे ॥३०५६॥

वह नाबालिग विधवा अपुत्र होने पर भी निर्णय कर सकने लायक वय (उम्र) प्राप्त करके ही गोद लेने में समर्थ हो सकती है।

पत्याऽधिकारदाने चेद्धृतो दत्तस्तदा तु सा।
अनवाप्यैव पूर्वोक्तं वयस्तद्ग्रहणे क्षमा ॥३०५७॥

यदि पति ने अधिकार देने में दत्तक पुत्र नियत (नामज़द) कर दिया हो, तो वह (नाबालिग विधवा) पहले कही (निर्णय कर सकने लायक) वय को प्राप्त किये बिना ही उस (दत्तक पुत्र) को (गोद) लेने में समर्थ होती है।

वङ्गेऽथ द्रविडे तस्याः षोडशाब्दप्रवेशतः।
निर्णयक्षमता प्रोक्ता वाराणस्यां तदन्ततः ॥३०५८॥

बंगाल और मद्रास में निर्णय कर सकना (age of discretion) सोलहवें वर्ष के प्रवेश (प्रारम्भ) से और बनारस में इस (सोलह वर्ष) की समाप्ति से कहा है।

पत्या प्राप्ताऽधिकाराऽपि पांसुला विधवाऽक्षमा।
दत्तग्रहे, परं शूद्रा महाराष्ट्रे क्षमा मता ॥३०५९॥

पति से अधिकार प्राप्त की हुई भी बदचलन विधवा गोद लेने में समर्थ नहीं होती, परन्तु बंबई प्रान्त में (ऐसी) शूद्रा स्त्री (गोद लेने में) समर्थ मानी गई है।

विधवा तु पुनर्भूत्वंगता नैव क्षमा भवेत्।
पूर्वभर्तृकृते दत्तं ग्रहीतुं न्यायतो ध्रुवम् ॥३०६०॥

विधवा दूसरा विवाह कर लेने पर, कानून से, निश्चय ही, पहले पति के लिए गोद लेने में समर्थ नहीं होती।

यदि नो निश्चिता संख्या पत्या तद्विधवा क्षमा।
पूर्वे-पूर्वे मृते दत्ते ग्रहीतुं तु परं परम् ॥३०६१॥

यदि पति ने संख्या निश्चित न करदी हो तो विधवा पहले-पहले दत्तक पुत्र के मरने पर दूसरे-दूसरे (दत्तक पुत्र) को ले सकती है।

आज्ञां पतिसपिण्डानामनवाप्यैव सा क्षमा।
दत्ताऽऽदाने महाराष्ट्रे तत्रेच्यो नाऽत्र आशयः ॥३०६२॥

बंबई प्रान्त में पति के सपिण्डों की आज्ञा प्राप्त किये बिना ही वह (विधवा) गोद लेने में समर्थ होती है इसलिए वहां पर (उसका) आशय (motive) नहीं देखा जाता।

द्रविडे तत्सपिण्डानामाज्ञयैव यतः क्षमा।
अतो दत्तग्रहे तत्र तदौचित्यमपेक्ष्यते ॥३०६३॥

क्योंकि मद्रास में उस (पति) के सपिण्डों की आज्ञा से ही (वह विधवा) गोद लेने में समर्थ होती है, इसलिए वहां पर उस आशय (motive) का औचित्य (validity) आवश्यक होता है ।

दत्ताऽऽदाने स्त्रियाश्चाऽथ प्रत्यादानां विरोधने ।
शुद्धाशयत्वं न्यायेशाः क्षमास्तत्र परीक्षितुम् ॥३०६४॥

वहां पर न्यायाधीश (विधवा) स्त्री के गोद लेने में और (धन पर फिर से कब्जा करने वाले) हकदारों (reversioners) के (गोद का) विरोध करने में (उनके) शुद्ध आशय (proper motive) की परीक्षा कर सकते हैं । (अर्थात्-उनको इस बात का अधिकार है ।)

दत्तग्रहेऽथ विधवा दत्त्वोत्कोचं प्रवर्तिता ।
यदि तर्हि तु तद्दानं निन्द्यं स्यात् स्मृतिरीतितः ॥३०६५॥

और यदि रिश्वत देकर विधवा को गोद लेने को तैयार किया हो, तो वह (रिश्वत का) दान स्मृतियों की रीति से निन्दनीय ही होता है ।

विधवासु त्वनेकासु पत्या याऽधिकृता भवेत् ।
अपृष्ट्वैव सपत्नीः सा दत्तकग्रहणे क्षमा ॥३०६६॥

अनेक विधवाओं में जिसको पति ने अधिकारिणी बनाया हो, वह (दूसरी) सौतों को बिना पूछे ही गोद ले सकती है ।

यदि नाऽधिकृता काऽपि तर्हि ज्येष्ठा क्षमामवेत् ।
द्रविडे तु सपिण्डानामनुमत्यैव तद्ग्रहे ॥३०६७॥
कनिष्ठाऽनुमतिस्तत्र नानिवार्या मता, परम् ।
कनिष्ठया ग्रहे तस्य ज्येष्ठाऽऽज्ञावश्यकी मता ॥३०६८॥

यदि (पति ने) किसी को भी अधिकार न दिया हो, तो बड़ी (विधवा) मद्रास में सपिण्डों की अनुमति से ही उस (गोद) के लेने में समर्थ होती है । वहां पर छोटी (सौत) की अनुमति आवश्यक नहीं मानी है । परन्तु छोटी (सौत) के गोद लेने में उस (बड़ी सौत) की आज्ञा आवश्यक मानी गई है ।

स्त्रियां नाऽधिकृतायां तु महाराष्ट्रीयनिर्णयाः ।
व्याख्याभिर्विधरूपाभिर्ये ते प्रागेव वर्णिताः ॥३०६९॥

(पति द्वारा) स्त्री को अधिकार नहीं मिलने पर बंबई प्रान्त में अनेक तरह की व्याख्याओं से जो निर्णय होते हैं, वे पहले ही वर्णन कर दिये गये हैं । (देखो श्लोक ३०१८ से ३०४२ तक) ।

द्रविडे च महाराष्ट्र एव दत्तग्रहे क्षमा ।
पत्याऽनधिकृताऽप्येषा मता धिये: सुनिश्चितम् ॥३०७०॥

विद्वानों ने मद्रास और बंबई प्रान्त में ही इस पति से अधिकृत नहीं की हुई (विधवा) को भी गोद लेने में समर्थ माना है।

विधवाया दत्तकग्रहणाधिकारसमाप्तिः।

विधवा के गोद लेने के अधिकार की समाप्ति।

यत्र भर्ता मृतोऽपुत्रस्त्यक्त्वा दायहरां स्त्रियम्।
भर्तुर्वा केवलः पुत्रः प्रमीतो दायहारिणीम् ॥३०७१॥
उत्सृज्य मातरं तत्र पूर्वत्र विधवा तथा।
परत्र माता दत्तार्थं यावज्जीवं क्षमा मता ॥३०७२॥

जहां पर बिना पुत्रवाला पति, धन की हकदार पत्नी को छोड़कर मरा हो या पति का इकलौता पुत्र माता को धन की अधिकारिणी छोड़कर मरा हो, वहां पर पहले स्थान पर (पति के मरने पर) विधवा (पत्नी) और दूसरे स्थान पर (पुत्र के मरने पर) माता जीवन पर्यन्त गोद लेने में समर्थ मानी गई है।

यतस्ते तत्र दत्तं हि गृह्णीतः स्वार्थहेतवे।
आजीवं तु तयोस्तस्मादर्धस्वार्थहरो हि सः ॥३०७३॥

क्योंकि वहां पर (पहले कही अवस्थाओं में) वे दोनों (पति के मरने पर पत्नी और पुत्र के मरने पर माता) अपने (अधिकृत) धन के लिए गोद लेती हैं, इसलिए उन दोनों के जीवित रहने तक वह (दत्तक पुत्र) आधे (moiety of) धन का अधिकारी रहता है।

पूर्वं मरणतः पुत्रोऽष्टादशाब्दैर्वयस्यताम्।
संस्कारक्षमतां पञ्चदशाब्दैर्वा गतोऽपि सन् ॥३०७४॥
विधवाऽस्याः स्वपत्यर्थं दत्ताऽऽदानाऽधिकारतः।
क्षमो वञ्चयितुं नैव न्यायस्यैव विनिश्चयः ॥३०७५॥

पुत्र मरने से पहले अट्ठारह बरस का होने से बालिगपन को या पंद्रह वर्ष का होने से संस्कार की योग्यता (ceremonial competence) को प्राप्त होकर भी विधवा माता को अपने पति के लिए गोदलेने के अधिकार से वंचित (रोक) नहीं कर सकता—यह कानून का निश्चय है। (इस नियम का संबन्ध श्लोक ३०७१—३०७२ में कहे पुत्र के मरण से है।)

पुत्रं त्यक्त्वाऽथवा भार्यां मृतो यस्याः सुतो न सा।
शक्ता दत्तग्रहे पत्या पुत्रान्तेऽधिकृतापि चेत् ॥३०७६॥
कारणं तत्र यद्दायो मृते पुत्रे तु तत्सुतम्।
पुत्राऽभावे च तत्पत्नीं याति न्यायाऽनुसारतः ॥३०७७॥

जिस (माता) का पुत्र, पुत्र या स्त्री को छोड़कर मरगया हो, वह पति द्वारा पुत्र के मरने की अवस्था में (गोद के लिए) अधिकृत की हुई भी गोद लेने में समर्थ नहीं होती। इसमें कारण यह है कि-क्योंकि कानून के अनुसार पुत्र के मरने पर उसका धन उसके पुत्र को और उसके न होने पर उसकी स्त्री को मिलता है।

किं वा वंशीयसातत्यभारः पितृगतो यतः।
स्वपत्न्यै संप्रदत्तोऽपि तेनात्र समयान्वितः ॥२०७८॥
याति पुत्रं तदन्ते च तत्पुत्रं वाऽथ तत्स्त्रियम्।
तदन्तेऽतोऽक्षमा माता पत्यर्थं दत्तकग्रहे ॥२०७९॥

अथवा क्योंकि पिता पर रहा वंश को कायम (continue) रखने का भार उसके द्वारा (यदि पुत्र मर जाय तो वह गोद ले सकती है इस) शर्त के साथ अपनी पत्नी को दिया होने पर भी (उस पिता के मरने पर उसके) पुत्र को और उस (पुत्र) के बाद उस (पुत्र) के पुत्र को या उस (मरे हुए पुत्र) की स्त्री को मिल जाता है। इसलिए उस (अपने पुत्र) के बाद माता गोद लेने में समर्थ नहीं होती।

पुत्रश्चेत्केवलां कन्यामुत्सृज्य म्रियते तदा।
महाराष्ट्रे तयोपात्तो दत्तो मान्यो मतो बुधैः ॥२०८०॥

यदि पुत्र केवल लड़की छोड़ कर ही मर जाय, तो बंबई प्रान्त में उस (माता) का लिया गोद विद्वानों ने मान्य माना है।

मृते पुत्रे तु संत्यज्य स्वाम्बां वा पितामहीम्।
समर्था तद्विमाताऽपि नैष्ट प्राग् दत्तकग्रहे ॥२०८१॥
परं यतो न ते शक्ते तत्र वंशप्रवर्तने।
अत आद्रियते नाऽसौ पूर्वोक्तो निर्णयोऽधुना ॥२०८२॥

पुत्र के अपनी माता या दादी को छोड़कर मर जाने पर उसकी (गोद लेने में) समर्थ सौतेली मा भी पहले गोद नहीं ले सकती थी। परन्तु क्योंकि वे (मरनेवाले पुत्रकी अपनी माता और दादी) वहां पर वंश को कायम रखने में समर्थ नहीं होतीं, इसलिए अब यह पहले वाला निर्णय ठीक नहीं समझा जाता।

एकवारं प्रनष्टा चेद्दत्तकग्रहणेशता।
तर्हि पुत्रस्य दायादेष्वासन्नेषु मृतेष्विह ॥२०८३॥
सा न प्रत्येति तस्याऽम्बां पुत्रदायहरामपि।
दायस्तु प्रत्युपैत्यम्बां मध्यस्थानां मृतौ परम् ॥२०८४॥

यदि गोद लेने का अधिकार एकबार नष्ट हो गया हो, तो वह यहां पर पुत्र के नजदीकी हकदारों के मरने पर पुत्र के धन की अधिकारिणी हुई भी उस (मरनेवाले

पुत्र) की माता को फिर से प्राप्त नहीं होता । परन्तु (पुत्र के) दाय का धन तो बीचवालों (बीच में रहे हकदारों) के मरने पर फिर से मा को मिल जाता है ।

पूर्वोक्तैर्नियमैश्चेत् सा समयैर्वा न वारिता ।
आजीवमधवा शक्ता तर्हि दत्तग्रहे ध्रुवम् ॥३०८५॥

पहले (ऊपर) कहे नियमों से या (अधिकार दिये जाने के समय नियत की गई) शर्तों से यदि वह विधवा स्त्री न रोकी गई हो, तो निश्चय ही, जीवन पर्यन्त गोद लेने में समर्थ होती है ।

अस्मिन् भागे हि नियमा ये प्रोक्तास्ते प्रभाविणः ।
अन्तकाले विसृष्टे वा संसृष्टे भर्तरि ध्रुवम् ॥३०८६॥
दायभागाऽनुगे, किन्तु मैताक्षरमताऽनुगे ।
तस्मिन् विसृष्ट एवैते मान्या अत्र प्रकीर्तिताः ॥३०८७॥

इस भाग (Section) में जो नियम कहे गये हैं, वे निश्चय ही, मरने के समय जुदा या साझेदारी में रहने वाले, दायभाग को माननेवाले, पति के होने पर प्रभाववाले (लागू) होते हैं । परन्तु मिताक्षरा को माननेवाले उस (पति) के (मरने के समय) जुदा होने पर ही वे, यहां पर, मान्य कहे गये हैं ।

मृत्युकाले तु संसृष्टे मैताक्षरमताऽनुगे ।
पत्यौ ये नियमा मान्या वक्ष्यन्ते तेऽथ निश्चितम् ॥३०८८॥

मरने के समय साझेदारी में रहे मिताक्षरा को माननेवाले पति के होने पर जो नियम मान्य होते हैं, वे, निश्चित तौर पर, आगे कहे जाते हैं ।

औरसा दत्तका वाऽत्र पुत्रपौत्रप्रपौत्रकाः ।
भागेऽस्मिन् पुत्रशब्देन ग्राह्या न्यायविशारदैः ॥३०८९॥

न्याय के पण्डितों को इस भाग (Section) में पुत्र शब्द से औरस (असली) या गोद लिये बेटे, पोते और परपोते लेने (समझने) चाहिए ।

पत्यर्थं दत्तकस्त्वात्तस्तदन्तेऽधवया तु यः ।
सोऽप्यत्र पतिसंमुक्त-पुत्रवन् मान्य ईरितः ॥३०९०॥

विधवा स्त्री ने पति के मरने पर जो दत्तक पुत्र लिया हो, वह भी यहां (इस भाग में) पति के (अपने पीछे) छोड़े पुत्र के समान मान्य कहा गया है ।

यत्र कन्याश्च विधवां मुक्त्वा भर्ता मृतो भवेत् ।
प्राक् स्वामित्वात्तु विधवा तत्र दत्तग्रहे क्षमा ॥३०९१॥

जहां पर पति, कन्या और विधवा स्त्री को छोड़कर मरा हो, वहां पर पहले अधिकारिणी (उत्तराधिकारिणी) होने से विधवा पत्नी गोद ले सकती है ।

विधवे चेत् परित्यक्ते तर्हि याऽधिकृता तयोः ।
सा, ज्येष्ठा च महाराष्ट्रे स्वेच्छं दत्तग्रहे क्षमा ॥३०९२॥

यदि (पति ने) दो विधवा पत्नियाँ (अपने पीछे) छोड़ी हों, तो उनमें जिसे अधिकार दिया हो वह, और बंबई प्रान्त में ज्येष्ठा (बड़ी) पत्नी अपनी इच्छा से गोद ले सकती है।

भर्ता पुत्रश्च विधवां परित्यज्य मृतो यदि।
तदन्तेऽनूढ एवाऽसौ पुत्रोऽपि त्रिदिवं गतः ॥३०९३॥
तर्हि तस्याऽथवा माता पुत्रदायहरा मता।
अतः सा पतिसंप्राप्ताऽधिकारा तद्ग्रहे क्षमा ॥३०९४॥
द्रविडेऽनुमता पत्युः सपिण्डैरेव या पुनः।
महाराष्ट्रे यथेच्छं सा दत्तकग्रहणे क्षमा ॥३०९५॥

यदि पति (अपने पीछे) पुत्र और विधवा स्त्री को छोड़कर मर जाय और उसके बाद वह बिन ब्याहा पुत्र भी स्वर्ग को चला जाय, तो उस (पुत्र) की विधवा माता पुत्र के धन को पाने वाली मानी गई है। इसलिये पति से अधिकार पाई हुई वह (विधवा) उस (दत्तक-पुत्र) को लेने में समर्थ होती है या फिर मद्रास में (वह विधवा) पति के सपिण्डों की अनुमति पाई हुई होने से ही और बंबई प्रान्त में अपनी इच्छा से (ही) गोद ले सकती है। (अर्थात्—मद्रास और बंबई के अतिरिक्त अन्य स्थानों में पति की अनुमति की आवश्यकता होती है)।

प्रमीते दत्तकेऽनूढे तस्मिन्नपि प्रभुर्हि सा।
पूर्वोक्तरीत्या त्वपरं दत्तीकर्तुं सुतं पुनः ॥३०९६॥

फिर उस गोद लिये हुए पुत्र के भी बिन ब्याहे (ही) मर जाने पर, वह उसको गोद लेने वाली माता पहली (श्लोक ३०९४ और ३०९५ में) कही रीति से दूसरे को गोद का पुत्र बना सकती है।

यत्र पौत्रश्च विधवां त्यक्त्वा भर्ता मृतो भवेत्।
प्रागुक्तरीत्या तत्रापि स्त्री दत्तग्रहणे क्षमा ॥३०९७॥

जहाँ पति (अपने पीछे) पोते और विधवा (पत्नी) को छोड़कर मरा हो, वहाँ भी पहले (श्लोक ३०९३ से ३०९५ तक में) कही रीति से (वह विधवा) स्त्री गोद लेने में समर्थ होती है।

भार्यां वाऽथ सुतं त्यक्त्वा पौत्रो मृत्युमवाप्नुयात्।
यत्र, तत्र न सा शक्ता पत्यर्थं दत्तकग्रहे ॥३०९८॥

जहां पर (वह) पोता पत्नी या पुत्र को छोड़कर मरे, वहां पर वह (विधवा दादी) पति के लिए गोद नहीं ले सकती।

यत्र भर्ता मृतो भार्यां तनयं च विहाय तु।
पुत्रश्चाऽपि ततो जायां त्यक्त्वा यातो दिवं प्रति ॥३०९९॥

तत्र स्वर्गतपुत्रस्य मात्राऽऽत्तो दत्तको यदि।
स्वेच्छया हि महाराष्ट्रे द्रविडेऽनुज्ञया पुनः ॥३१००॥
पत्युः सपिण्डकानां वाऽन्यत्र पत्याज्ञया पुनः।
तद्यमान्यः स सर्वत्र मतो न्यायविशारदैः ॥३१०१॥

जहां पर पति पत्नी को छोड़कर मरजाय और बाद में पुत्र भी अपनी स्त्री को छोड़कर स्वर्ग को चला जाय, वहां पर यदि स्वर्गवासी पुत्र की माता द्वारा बंबई प्रान्त में अपनी इच्छा से, मद्रास प्रान्त में पति के सपिण्डों की अनुमति से या फिर दूसरे स्थान पर (प्रान्तों में) पति की आज्ञा से गोद लिया गया हो, तो कानून के विद्वानों ने उसे सब जगह अमान्य माना है।

पुनः स्नुषाया मरणेऽप्यात्तो दत्तस्तया मतः।
अमान्यो यत्र सा शक्ता दाये याते स्नुषां प्रति ॥३१०२॥

फिर (उस मृत) पुत्र की भार्या के मरने पर भी उस (उपर्युक्त माता) का लिया गोद अमान्य माना है, क्योंकि दाय के धन के (उस) पुत्र वधु को मिल जाने पर वह समर्थ नहीं रहती।

पत्यन्ते तु निजं पुत्रं पौत्रं चाऽपि ततः क्रमात्।
याते दाये मृतः पौत्रोऽनूढो तद्यपि साऽक्षमा ॥३१०३॥

पति के बाद क्रम से पुत्र को और फिर पौत्र को दाय का धन मिल जाने पर बिन ब्याहा (ही) पौत्र मर जाय, तब भी वह (पुत्र की माता और पौत्र की दादी गोद लेने में) असमर्थ होती है।

महाराष्ट्रे कृता शक्ता व्याख्यया त्वनया ततः।
यद्दत्ताय स्वलब्धोऽत्र दायो मात्रा प्रदीयते ॥३१०४॥

इसके बाद बम्बई प्रान्त में इस व्याख्या से वह (गोद लेने में) समर्थ करदी गई है कि ऐसे स्थान पर माता दत्तक पुत्र को अपना प्राप्त किया हकदारी का धन देती है।

मृत्युकाले तु संसृष्टो भर्ता यत्र भवेन्निजः।
तत्राऽन्ये नियमा ये ते प्रवदयन्तेऽधुना पुनः ॥३१०५॥

फिर जहां पर अपना पति मरने के समय साझेदार हो, वहां पर जो दूसरे नियम होते हैं, वे अब कहे जाते हैं।

द्रविडे तु मृते पत्यौ संसृष्टे न क्षमाऽधवा।
पूर्वोक्तासु ह्यवस्थासु पृक्तिनाशेऽपि वा पुनः ॥३१०६॥

मद्रास प्रान्त में साझे में रहनेवाले पति के मरने पर (उसकी) विधवा पहले कही (श्लोक ३०७६ से ३०८२ तक की) अवस्थाओं में या फिर साझेदारी के नष्ट होजाने पर भी (गोद लेनें में) समर्थ नहीं होती।

जायते पृक्तिनाशश्च संसृष्टी शिष्टनाशतः।
पृक्तिनोऽर्थे तदधवां दायत्वेन गते सति ॥३१०७॥

और सामेदारी का नाश, सामेदारी में पीछे बचे पुरुष के मरने से सामे के धन के उस (मरने वाले) की विधवा को दायरूप से मिल जाने पर, हो जाता है।

संसृष्टे प्ववशिष्टस्य मृतौ संसृष्टिनो धने।
यातेऽन्यं तस्य दायादमप्यलं सा न तद्ग्रहे ॥३१०८॥

सामेदारों में पीछे शेष रहे के मरने पर सामे के धन के उस (मरनेवाले) के दूसरे हकदार को मिलजाने पर भी वह उस (दत्तक-पुत्र) को लेने में समर्थ नहीं होती।

महाराष्ट्रे मताऽधिक्यान्न्यायाऽधीशैस्तु सा कृता।
क्षमा दत्तग्रहे किन्तु नो गतार्थप्रतिग्रहे ॥३१०९॥

बंबई प्रान्त में न्यायकर्ताओं (जजों) ने अधिक मत से उस (स्त्री) को गोद लेने में समर्थ बना दिया है, परन्तु (अन्तिम सामेदार के उत्तराधिकारी के पास गये धन को वापस लेने में (समर्थ) नहीं बनाया है।

उपर्युक्तव्यतिकराऽभावे दत्तग्रहे क्षमा।
सा त्वनायत्तवित्ताऽपि मता न्यायविशारदैः ॥३११०॥

ऊपर कही (रुकावट की) बातों के अभाव में वह (स्त्री), धन पर अधिकार न होने पर भी, गोद ले सकती है।

पृक्तयोस्तु मृतो भ्रात्रोरेको दत्तग्रहे क्षमाम्।
विधाय भार्यां, तस्यार्थो यातश्चान्यं हि सोदरम् ॥३१११॥
मिताक्षरानुगा तत्राऽधवा दत्तग्रहे क्षमा।
प्रत्यायाति गतोऽर्थश्च तयात्तं तनयं प्रति ॥३११२॥

दो सामेदार भाइयों में से एक अपनी विधवा स्त्री को गोद लेने की अधिकारिणी बनाकर मरगया हो और उसका धन दूसरे भाई को मिल गया हो, वहां पर (वह) मिताक्षरा को माननेवाली विधवा गोद ले सकती है और (पति के भाई को) गया धन उसके लिये लड़के को वापस मिलजाता है।

भ्रात्रोस्तु पृक्तयोरेको मुक्त्वा गर्भवतीं स्त्रियम्।
मृतोऽपरस्तदन्ते चाऽधिकृत्य विधवां निजाम् ॥३११३॥
दत्तार्थं लेखतो मीतस्ततश्चोत्तरवासरे।
गर्भिण्या जनितः पुत्रस्ततो मासत्रयोत्तरम् ॥३११४॥
आत्तो दत्तोऽधिकृतयाऽधवया मान्य ईरितः।
पैतृव्यौ च मिथस्तौ स्तः पृक्तौ पृक्तार्थभोगिनौ ॥३११५॥

दो सामेदार भाइयों में से एक (अपनी) गर्भवती पत्नी को छोड़कर मर गया

हो और दूसरा (भाई) उसके बाद अपनी विधवा को लेख (will) द्वारा गोद लेने का अधिकार देकर मृत्यु को प्राप्त होगया हो, और (उसके मरने के) दूसरे दिन गर्भिणी स्त्री ने पुत्र को जन्म दिया हो और फिर तीन महीने बाद अधिकार पाई हुई विधवा ने गोद लिया हो, तो वह (दत्तक-पुत्र) मान्य कहा गया है। वे दोनों आपस में (एक-दूसरे के) चचेरे भाई साझेदार और साझे का धन भोगनेवाले होते हैं।

पृक्तयोस्तु मृतो भ्रात्रोरेको मुक्त्वा सुतात्मजौ ।
संत्यज्य विधवां पुत्रवधूं मीतोऽपरोऽपि च ॥३११६
पूर्वभ्रातुः सुतोऽप्यन्ते त्यक्त्वा भार्यासहोदरे ।
मृतः, स्नुषाऽपरभ्रातुस्ततो जग्राह दत्तकम् ॥३११७॥
पूर्वभ्रातुः स्नुषा चाऽन्ते पुनर्भूत्वं गता, ततः ।
कौटुम्बिकं धनं यातं पूर्वभ्रातृसुतां प्रति ॥३११८॥
एवं स्थिते महाराष्ट्रे न्यायिभिर्मतभूमतः ।
स्नुषया त्वपरभ्रातुरात्तो दत्तक आदृतः ॥३११९॥
परं पृक्ताऽवशिष्टे तु पूर्वभ्रातुः सुते मृते ।
तद्भगिन्या हृतं दायं ग्रहीतुं सोऽक्षमः कृतः ॥३१२०॥
मध्यप्रान्तेऽप्यनुमत एष एव हि निर्णयः ।
अशास्त्रीयतया किन्तु नाऽसावाद्रियते बुधैः ॥३१२१॥

दो साझेदार भाइयों में से एक लड़की और लड़का छोड़कर मर गया हो और (फिर) दूसरा (भाई) भी (अपने पीछे) (लड़के के पहले ही मरजाने से) लड़के की विधवा स्त्री को छोड़कर स्वर्ग चला गया हो । बाद में पहले (मरे) भाई का पुत्र भी (अपनी) स्त्री और बहन को छोड़कर मरगया हो । इसके बाद दूसरे भाई की पुत्र की स्त्री ने दत्तक-पुत्र (गोद) लिया हो और अन्त में पहले भाई के लड़के की स्त्री ने दूसरा विवाह कर लिया हो, तथा बाद में कुटुम्ब का धन पहले भाई की लड़की को मिलगया हो । ऐसी अवस्था में बंबई प्रान्त में न्यायाधीशों ने अधिक मत से दूसरे भाई की पुत्र-वधू के लिये दत्तक को मान्य समझा है । परन्तु साझेदारी में शेष रहे पहले भाई के पुत्र के मरने पर उसकी बहन द्वारा प्राप्त किये दाय को (वापस) लेने में उसे (उपर्युक्त दत्तक-पुत्र को) असमर्थ कर दिया है । मध्यप्रान्त में भी (नागपुर हाईकोर्ट ने) यही निर्णय माना है । परन्तु शास्त्र विरुद्ध होने से विद्वान् लोग इसे ठीक नहीं समझते । (अर्थात्-यहां पर गोद मान्य होने पर भी धन का उसे न मिलना विचारणीय है ।)

संपत्तावविभाज्यायां पूर्वोक्तनियमस्य हि ।
प्रयोगे त्ववधार्यं यदवरेऽस्यास्तु यद्यपि ॥३१२२॥

उपभोगे तथा भागे विच्छेदादथ रक्षणे ।
न क्षमास्तदपीहैषा संपत्पृक्तैव निश्चितम् ॥३१२३॥

नहीं बांटी जानेवाली (impartible) संपत्ति में पूर्वोक्त नियम के प्रयोग करने में ध्यान रखना चाहिए कि यद्यपि छोटे (कुटुम्बी) (younger members) इसके उपभोग (enjoyment), भाग (partition) और नष्ट होने (alienation) से बचाने में समर्थ नहीं होते, तथापि यह संपत्ति निश्चितरूप से यहां पर साझे की (coparcenary) ही होती है ।

भ्रातरं निजभार्यां च मुक्त्वाऽभाज्यभुवोऽधिपे ।
मृते तद्भार्यया स्वाचो ह्यनायत्तभुवाऽप्यसौ ॥३१२४॥
पत्याऽधिकृतया दत्तो मान्य स्याद् द्रविडे पुनः ।
ज्यायस्या शाखया पृक्तः पितृव्यं वञ्चितुं प्रभुः ॥३१२५॥

नहीं बांटी जा सकनेवाली भू-संपत्ति के स्वामी (जमींदार) के भाई और अपनी पत्नी को (पीछे) छोड़कर मरजाने पर उसकी भू-संपत्ति पर अधिकार नहीं रखनेवाली, (परन्तु) पति द्वारा (गोद लेने का) अधिकार प्राप्त की हुई, पत्नी द्वारा लिया यह दत्तक-पुत्र भी मद्रास प्रान्त में मान्य होता है और वह ज्येष्ठ शाखा का साझेदार होकर चाचा को (उस संपत्ति से) अलग (divest) रखने में समर्थ होता है ।

भुवोऽधिपेन प्राग्भार्या दत्तीकर्तुं क्षमा कृता ।
ततस्तस्यौरसे पुत्रे जाते स मरणं गतः ॥३१२६॥
भूत्वा वयःस्थः पुत्रोऽपि मृतः सोऽनूढ एव हि ।
तन्मृत्यौ च कनीयस्यां श्रेण्यां भूम्यधिकारिता ॥३१२७॥
गता, ततोऽथवात्तोऽपि दत्तो मान्यो मतः स्वयम् ।
उत्कले तु सुनिर्णीय न्यायसंसत्सदस्यकैः ॥३१२८॥

जमींदार ने पहले स्त्री को गोद लेने में समर्थ कर दिया और इसके बाद उसके औरस-पुत्र हो जाने पर वह मरगया । फिर वह पुत्र भी बालिग होकर बिन ब्याहा ही मर गया और उसके मरने पर जमींदारी का अधिकार छोटी शाखा में चला गया । उसके बाद विधवा का गोदलिया भी उड़ीसा में स्वयं जुडीशल कमेटी ने सोच-विचार कर मान्य माना है ।

भुवोऽधिपे मृते पुत्रं भ्रातरं विधवां तथा ।
मुक्त्वा तस्य तु पुत्रोऽसावपरैर्दत्तकीकृतः ॥३१२९॥
तन्माभाऽन्ते गृहीतोऽन्यः सुतो मान्यो मतः पुनः ।
महाराष्ट्रे हि निर्णीय निर्णेतॄणां तु संसदा ॥३१३०॥

जमींदार के, पुत्र, भाई और विधवा पत्नी को छोड़कर मरने पर उसके इस पुत्र

को दूसरों ने गोद ले लिया और उसके बाद उस (पुत्र) की माता द्वारा (गोद) लिया दूसरा पुत्र बंबई में जुडीशल कमेटी ने निर्णय करके मान्य माना है ।

भूमीशस्याऽवरश्रेणौ स्थितैर्यस्याऽत्र पूर्वजैः ।
तद्वंश्यपुंमभावे हि दातारं प्रतियास्यति ॥३१३१॥
समयेनाऽमुनाग्रामः प्राप्तो निर्वाह हेतवे ।
मृते तस्मिन् परित्यज्य विधवां, दत्तकस्तया ॥३१३२॥
गृहीतस्तु कृतो मान्यो मुख्यया न्यायसंसदा ।
कारणं तत्र यद्ग्रामोऽवरश्रेणिगतोऽप्यसौ ॥३१३३॥
ज्यायस्या अवरायाश्च श्रेण्याः पृक्तिधनं ध्रुवम् ।
ज्येष्ठाश्रेणौ स्थितं दातुरतः प्रत्येत्यसौ नहि ॥३१३४॥

यहां पर जमीदार की छोटी शाखा (junior branch) में रहे जिसके पूर्वजों ने, उसके वंश के पुरुष के अभाव में देनेवाले के पास लौट जायगा-इस शर्त पर निर्वाह (गुजारे) के लिए गांव पाया हो, उसके विधवा स्त्री को छोड़कर, मर-जाने पर उस (विधवा) का लिया दत्तक जुडीशल कमेटी ने मान्य कर दिया है । वहां पर इसका कारण यह है कि वह गाँव छोटी शाखा में रहने पर भी निश्चय ही बड़ी और छोटी (दोनों) शाखाओं का सामे का धन है, इसलिए (गांव) देने-वाले की बड़ी (senior) शाखा में रहे (पुरुष) के पास वापस नहीं जाता ।

महाराष्ट्रे वतन्दारो भार्यां त्यक्त्वा मृतस्ततः ।
तयाऽत्तो दत्तकोऽप्यत्र मृतोऽर्थश्च सगोत्रजम् ॥३१३५॥
गतस्तेन ततो दत्तः स्वपुत्रो विधवां प्रति ।
दत्तकत्वेन, सोऽप्यन्ते कन्यां मुक्त्वा दिवं गतः ॥३१३६॥
गृहीतोऽधवया चाऽन्यस्तन्मृत्यौ दत्तकः सुतः ।
अमुत्र गोत्रजस्याऽर्थप्राप्त्या चाऽन्यसुतस्य च ॥३१३७॥
प्रमीत्या स्वसुतास्त्यक्त्वाऽधवादत्तप्रदेशिता ।
नैव नष्टा मता न्यायशास्त्रतत्त्वाऽर्थवेदिभिः ॥३१३८॥

बंबई में (एक) वतनदार, पत्नी को (पीछे) छोड़कर मरगया । उसके बाद, यहां पर, उस स्त्री का गोदलिया पुत्र भी मरगया और धन (वतन) सगोत्री पुरुष (collatoral) को मिलगया । इसके बाद उस (सगोत्री) ने अपने पुत्र को (उस) विधवा स्त्री की तरफ गोद दे दिया । अन्त में वह (पुत्र) भी कन्याओं को छोड़कर स्वर्ग को सिधारा और उसके मरने पर विधवा ने दूसरा पुत्र गोद ले लिया । यहां पर कानून को जाननेवालों ने सगोत्री को धन मिलजाने या अन्य (दूसरे) पुत्र के अपनी कन्याओं को छोड़कर मरजाने से विधवा का गोद लेने का अधिकार नष्ट हुआ नहीं माना है ।

एकोऽवशिष्टः पृक्तेषु काले दत्तप्रदस्य नो ।
बाधां दत्तप्रदे कुर्यात् संपृष्टेऽत्र कुटुम्बके ॥३१३९॥
पृक्तमेव कुटुम्बं तत् तावद् यावद् हि जीवति ।
कतमाऽप्यधवाऽऽदातुं शक्ता वृत्तिं कुटुम्बतः ॥३१४०॥

यहां पर गोदलेने के समय साझेदारों में से बचा हुआ एक (पुरुष) साझे के कुटुम्ब में गोद लेने में रुकावट नहीं डालता। वह कुटुम्ब तब तक साझेवाला ही रहता है, जब तक कुटुम्ब से (भरण पोषण के लिए) वृत्ति लेने में समर्थ, कोई भी विधवा जीवित रहती है।

पृक्ताऽवशिष्टो भर्ता चेत् तर्हि तस्मिन् मृते पुनः ।
पृक्तिनाशेऽपि तद्भार्या दत्ताऽऽदाने क्षमा मता ॥३१४१॥

फिर यदि साझेदारों में पति (ही) (अन्तिम) शेष रहा (पुरुष) हो, तो उसके मरने पर साझे के नष्ट हो जाने पर भी उसकी पत्नी गोद लेने में समर्थ होती है।

यया गोत्रजसापिण्ड्याद् मुंबायां वसु किञ्चन ।
पृक्ताऽवशिष्टितः प्राप्तं तयात्तो दत्तको मतः ॥३१४२॥
मान्यः परमसौ नूनं गोत्रसापिण्ड्यकारणात् ।
तां प्रत्यर्थं समायान्तं निवारयितुमक्षमः ॥३१४३॥

बंबई प्रान्त में जिस स्त्री ने गोत्रज-सपिण्डा होने से साझेदारों में से (अन्तिम) बचे हुए (पुरुष) से कुछ धन पाया हो, उसका लिया दत्तक-पुत्र मान्य माना गया है। परन्तु यह (दत्तक) गोत्रज-सपिण्डता के कारण से उस (स्त्री) को मिलने वाली संपत्ति को नहीं रोक सकता (उस में बाधा नहीं डाल सकता)।

अतो यत्राऽन्तिमे पृक्ताऽवशिष्टे पुरुषे मृते ।
गता तन्मातरं संपत् तस्याश्चाऽन्ते पितामहीम् ॥३१४४॥
ततः पितृव्यविधवां तयाऽऽत्तो दत्तकः पुनः ।
मान्यस्तत्र परं नासावर्थसंक्रमरोधकः ॥३१४५॥

इसलिए जहां पर साझेदारों में शेष रहे अन्तिम पुरुष के मरने पर (कुटुम्ब की) संपत्ति उसकी मा को और उस (मा) के बाद (मरने पर) दादी को तथा उसके बाद विधवा चाची को मिली हो, वहां पर उस (चाची) का लिया दत्तक मान्य होता है। परन्तु यह (दत्तक-पुत्र) धन का क्रम से एक के बाद दूसरे को मिलना नहीं रोकता।

दत्तकाऽर्पणे न्याय-संमता जनाः ।

गोद देने में कानून से मान्य पुरुष।

केवलौ पितरावेव भवेतां न्यायसंमतौ ।
आत्मजं दत्तकार्थं तु दातुमन्यं जनं प्रति ॥३१४६॥

केवल माता-पिता ही अपने पुत्र को गोद के लिए दूसरे पुरुष को देने में कानून से (समर्थ) माने गये हैं ।

भ्रातरं स्वमतो भ्राता सपत्नीजं विमातृका ।
तथा पितामहः पौत्रं दत्तार्थं दातुमक्षमः ॥३१४७॥

इसलिए भाई अपने भाई को, सौतेली मा सौत के पुत्र को और दादा पोते को गोद के लिए नहीं दे सकता ।

दत्तत्वायात्मजं दातुं प्रधानस्तु पिता मतः ।
सति क्षमेऽतो जनकेऽशक्ता माता तदर्पणे ॥३१४८॥

पिता ही पुत्र को गोद के लिए देने में प्रधान माना गया है । इसलिए पिता के समर्थरूप से मौजूद होने पर माता उस (पुत्र) को देने में असमर्थ होती है ।

गार्हस्थ्यान्निर्गतेऽशक्ते मृतेऽकृत्वैव धारणम् ।
तदर्थे तु निजे पत्यौ स्त्री क्षमा दत्तकार्पणे ॥३१४९॥

अपने पति के गृहस्थी को छोड़ कर निकल जाने पर, असमर्थ (incapable of giving his consent) हो जाने पर, उसके (पुत्र को गोद देने के) लिए मनाई किये विना ही मर जाने पर स्त्री गोद देने में समर्थ होती है ।

न्यायेशैः प्राग् महाराष्ट्रे पुनर्भूत्वं गताऽथवा ।
पूर्वभर्तृसुतं दातुं दत्तार्थं त्वक्षमा मता ॥३१५०॥
पत्या नाधिकृता चेत् सा, परं तत्रैव सा पुनः ।
दत्तकार्थं हि सं पुत्रं दातुं शक्ता प्रकीर्तिता ॥३१५१॥

पहले बंबई प्रान्त में न्यायाधीशों ने विधवा के पुनर्विवाह कर लेने पर उसे पहले के पति से उत्पन्न हुए (अपने) पुत्र को, यदि पति ने उसे अधिकार न दिया हो, तो गोद के लिए देने में असमर्थ माना था । परन्तु फिर वहीं उसे गोद के लिए उस पुत्र को देने में समर्थ बतला दिया ।

पितरावपि नो शक्तावधिकर्तुं परं जनम् ।
स्वपुत्रं दत्तकत्वेन दातुमन्यं प्रति स्वयम् ॥३१५२॥

माता-पिता खुद भी, अपने पुत्र को, दूसरे को गोद देने के लिए, अन्य जनको अधिकारी नहीं बना सकते ।

परं दैहक्रियाकृत्यै नियोक्तुमपरं क्षमौ ।
पितरौ, निर्णयस्तत्र यतस्तस्य न वाञ्छितः ॥३१५३॥

परन्तु मा-बाप शारीरिक काम (physical act) करने के लिए दूसरे को

नियत कर सकते हैं; क्यों कि उसमें उस (पुरुष) के निर्णय (discretion) की आवश्यकता नहीं होती ।

म्लेच्छधर्मग्रहेणापि हिन्दूधर्मस्थितं सुतम् ।
पिता तु दत्तकत्वेन दातुं शक्तो मतोऽधुना ॥३१५४॥

पिता आजकल, म्लेच्छधर्म ग्रहण कर लेने (मुसलमान हो जाने) पर भी हिन्दूधर्म में रहे पुत्र को गोद के रूप में देने में समर्थ माना गया है ।

परं दत्तार्पणे धर्म्यं कृत्यं कर्तुं न स क्षमः ।
यतस्ततो नियुञ्जीताऽपरमार्यं तु तत्कृते ॥३१५५॥

परन्तु क्योंकि वह गोद देने में धार्मिक काम नहीं कर सकता, इसलिए उसके लिए दूसरे हिन्दू पुरुष को नियुक्त करे ।

सप्तखाङ्कैकवर्षीयजात्ययोग्यत्ववारकम् ।
विधानं हि समाश्रित्य निर्णयोऽयं विनिश्चितः ॥३१५६॥

विक्रम् संवत् १९०७ (ई० स० १८५०) के अयोग्यता निवारक कानून (The Caste Disability Removal act) का आश्रय लेकर यह निर्णय किया गया है ।

ब्राह्मधर्माश्रितस्त्वार्य एव लोके मतो यतः ।
ब्राह्मधर्मानुगं पुत्रं स दातुं तत्कृते क्षमः ॥३१५७॥

क्योंकि, दुनिया में, ब्राह्मो समाज में गया (पुरुष) आर्य ही माना गया है । अतः वह ब्राह्म धर्म में रहे पुत्र को उस (गोद) के लिए देने में समर्थ होता है ।

स्वस्थचित्तश्च वयसा विचारक्षमतां गतः ।
सम्रेवात्र मतः पुत्रं दत्तत्वे दातुमीश्वरः ॥३१५८॥

स्वस्थचित्त (sound mind) वाला और वयस् (उम्र) से विचार कर सकने की अवस्था (age of discretion) को प्राप्त हुआ (पुरुष) ही पुत्र को गोद के लिए दे सकता है ।

राज्याज्ञाप्राप्तिरेवात्र मान्यं कर्तुं हि दत्तकम् ।
न क्षमा स तु पूर्वोक्तरीत्यैवायाति मान्यताम् ॥३१५९॥

राज्य (Government) की आज्ञा प्राप्त कर लेना ही दत्तक को मान्य नहीं कर सकता । वह (दत्तक) तो पहले कही रीति के अनुसार (होने पर) ही मान्य होता है ।

न्यायसंमता दत्तकत्वयोग्या जनाः ।

कानून से माने हुए गोद लेने लायक पुरुष ।

वक्ष्यमाणैस्तु नियमैः संमतो ह्यार्यधर्मगः ।
जनोऽत्र दत्तकत्वायाऽऽदातुं दातुं च शक्यते ॥३१६०॥

आगे कहे जानेवाले नियमों से माना गया हिन्दू पुरुष ही दत्तक (गोद) के लिए लिया और दिया जा सकता है।

पुमानथ समादातुः सवर्णो दत्तको मतः।
वर्णशाखैकता दत्तग्रहीत्रोस्त्वनपेक्षिता ॥३१६१॥

पुरुष वर्ग का (male) और (गोद) लेनेवाले के वर्ण (caste) का ही दत्तक-पुत्र माना गया है। दत्तक-पुत्र के और (गोद) लेनेवाले के वर्ण की शाखा की एकता (same subdivision of the caste) की आवश्यकता नहीं होती।

यस्याऽम्बा न्यायतो नूनमुपयम्याऽभवत्पुरा।
तमेव दत्तकत्वेन ग्रहीतुं स्याज्जनः क्षमः ॥३१६२॥

जिसकी माता पहले न्याय के अनुसार (अपने साथ) विवाह लेने योग्य हो, उसीको पुरुष गोद लेने में समर्थ हो सकता है।

परमेष महाराष्ट्रेऽधुना मान्योऽस्ति केवलम्।
दौहित्रं भागिनेयं वाऽथवा मातृष्वसेयकम् ॥३१६३॥
दत्तीकर्तुं पुमान् यत्रोद्यतो भवति निश्चितम्।
शूद्रेषु नियमस्त्वेष परं नास्ति प्रभावकृत् ॥३१६४॥

परन्तु यह (नियम) बंबई-प्रान्त में, आजकल, केवल जहाँ पुरुष नवासे को, भानजे को या मौसेरे भाई को गोद लेने को तैयार हो वहीं, निश्चितरूप, से माना जाता है। परन्तु शूद्रों में यह नियम नहीं लगता। (वे नवासे आदि को भी गोद ले सकते हैं।)

दौहित्राद्याः कुलाचाराद् दत्तत्वाय समर्थिताः।
द्विजेषु यत्र तत्राऽपि त्याज्य एष नयो मतः ॥३१६५॥

जहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों में कुल के रिवाज से नवासे आदि गोद के लिए उपयुक्त बतलाये गये हैं, वहाँ पर भी यह नियम त्याज्य माना गया है।

दत्ताऽऽदानस्य समये दत्तकस्य वयः कृते।
विभिन्ना निर्णया अत्र लभ्यन्ते देशभेदतः ॥३१६६॥

गोद लेने के समय दत्तक-पुत्र की अवस्था के लिए यहाँ पर देश-भेद से जुदा-जुदा निर्णय (राय) मिलते हैं।

वाराणस्यामथो वङ्ग उत्कले मगधे पुनः।
दत्तोपनयनात् पूर्वमेव तस्य ग्रहो मतः ॥३१६७॥

बनारस, बंगाल, उडीसा और बिहार में दत्तक-पुत्र का उपनयन संस्कार होने के पहले ही उसका गोद लेना माना गया है।

वयसा ज्येष्ठमप्यत्र दत्तीकर्तुं भवेत् क्षमः।
कनिष्ठो वयसाऽऽदाता न्यायतो नात्र संशयः ॥३१६८॥

अवस्था से छोटा गोद लेनेवाला अवस्था में बड़े को भी, यहाँ पर कानून से, गोद लेने में समर्थ होता है। इसमें संशय नहीं है।

द्रविडेऽपि मतो मान्यो नियमस्त्वदितः पुरा।
सगोत्रस्तूपनीतोऽपि तत्राऽनूढः प्रगृह्यते ॥३१६६॥

पहले (श्लोक ३१६३ से ३१६५ में) कहा हुआ नियम मद्रास में भी मान्य होता है। परन्तु वहाँ पर सगोत्र दत्तक-पुत्र तो उपनयन किया हुआ भी, अविवाहित होने पर, गोद ले लिया जाता है।

वयसा दत्तकीकर्तुर्ज्येष्ठ ऊढः सतोककः।
अपि दत्तो महाराष्ट्रे नूनं ग्राह्यो मतो बुधैः ॥३१७०॥

बंबई प्रान्त में उम्र में गोद लेनेवाले से बड़ा, विवाहित और बाल-बच्चेवाला दत्तक पुत्र भी विद्वानों ने निश्चय ही ग्राह्य (गोद ले सकने लायक) माना है।

द्रविडेऽथ प्रयागे तु शूद्रेष्वपि न संमतः।
ऊढस्य दत्तकत्वेन ग्रहस्तत्रत्यपण्डितैः ॥३१७१॥

मद्रास और इलाहाबाद में वहाँ के विद्वानों ने विवाहित (पुरुष) का शूद्रों में भी गोद लिया जाना वर्जित माना है।

दौहित्राद्यर्थमेवाद्य निषेधः समुदीरितः।
अतोऽधुना जनः शक्तो दत्तीकर्तुममून् जनान् ॥३१७२॥
वैमात्रेयं तथा भ्रातुः पौत्रं पैतृव्यकं तथा।
पितुर्मातृष्वसेयं च श्यालं श्यालसुतं पुनः ॥३१७३॥
भार्याया भागिनेयं च पितृष्वसृसुतं तथा।
जामातरं च प्रथया नवया त्वऽत्र निश्चितम् ॥३१७४॥

आजकल नवासे आदि के (आदि शब्द से भानजे और मौसेरे भाई का तात्पर्य है) लिए ही (गोद) का निषेध कहा है। इसलिए नवीन रीति से यहाँ पर, आजकल निश्चय ही, मनुष्य इन लोगों को गोद ले सकता है:—सौतेले भाई (half brother) को, भाई के पोते को, चचेरे भाई को, पिता के मौसेरे भाई (father's first cousin) को, साले को, साले के लड़के को, पत्नी के भानजे को, पिता की बहन के पुत्र (अपने फुफेरे भाई) को और (अपने) दामाद को।

शास्त्रेषु दत्तमीमांसादिषु नैते समादृताः।
दत्तकत्वाय किन्त्वद्य विधानेन समर्थिताः ॥३१७५॥

दत्तक-मीमांसा आदि शास्त्रों में गोद के लिए ये (उपर्युक्त पुरुष) ठीक नहीं समझे गये हैं, परन्तु आजकल कानून से (ये) ठीक समझे गये हैं।

पत्न्या दत्तग्रहे स्वाम्यं भर्त्राज्ञात्यसमं मतम्।
तत्समत्वाद्ध सा दत्ताऽऽदानेऽपि पतिवत् क्षमा ॥३१७६॥

गोद लेने में पत्नी का अधिकार पति के अधिकार के समान माना है और उस (अधिकार) के (पति के अधिकार के) समान होने से गोद लेने में भी वह पति के समान समर्थ होती है। (अर्थात्–जिन–जिन को पति गोद ले सकता है, उन--उन को वह भी ले सकती है।)

विधानेन निषिद्धोऽपि य आचारात् समर्थितः।
दत्तकत्वे स मान्योऽत्र दत्तको भवति ध्रुवम् ॥३१७७॥
दक्षिणेऽस्तो महाराष्ट्रे देशस्थाः स्मार्तविप्रकाः।
दौहित्रं दत्तकत्वेन ग्रहीतुं हि क्षमा मताः ॥३१७८॥
तथैव तद्ग्रहे शक्ता द्राविडास्तैलगुञ्जिजाः।
तथाऽमृतसरस्थाश्च क्षत्रिया अपि निश्चितम् ॥३१७९॥

गोद लेने में कानून से मना किया गया होकर भी जो रिवाज से माना हुआ होता है वह, यहां पर निश्चय ही, मान्य गोद का पुत्र होता है। इसीसे दक्षिणी महाराष्ट्र में देशस्थ स्मार्त ब्राह्मण नवासे को गोद लेने में समर्थ माने गये हैं। उसी प्रकार मद्रास के तेलुगु ब्राह्मण भी उसे (नवासे को) गोद ले सकते हैं। तथा अमृतसर के खत्री भी, निश्चय ही, ऐसा कर सकते हैं।

दौहित्रं भ्रातृदौहित्रं स्वस्रीयं वा क्षमाः पुनः।
तामिला ब्राह्मणा दत्तीकर्तुमाचारतो ध्रुवम् ॥३१८०॥

फिर तामील ब्राह्मण निश्चय ही रिवाज से नवासे को, भाई के नवासे को या भानजे को गोद ले सकते हैं।

दक्षिणे कन्नडे देशे स्थिता ये क्षत्रियाः पुनः।
ते शक्ता दत्तकीकर्तुं भ्रातृदौहित्रकं निजम् ॥३१८१॥

और दक्षिण कनारा देश में जो क्षत्रिय रहते हैं, वे अपने भाई के नवासे को गोद ले सकते हैं।

तथैव भागिनेयं च संयुक्तप्रान्तसंस्थिताः।
दत्तीकर्तुं क्षमा मोरा ब्राह्मणा अपि निश्चितम् ॥३१८२॥

उसी प्रकार संयुक्त प्रान्त के रहने वाले मोर ब्राह्मण भी, निश्चय ही, भानजे को गोद लेने में समर्थ होते हैं।

संबद्धाभिस्तु भगिनीपुत्र्यादिभिरिह ध्रुवम्।
विवाहो वर्जितो यस्मात्तस्माद्यत्र तु गृह्यते ॥३१८३॥
दत्तकत्वेन जामेयदौहित्राऽऽद्याः प्रथावशात्।
तत्र वैशिष्ट्यतो नष्टो ज्ञेयः साधारणो नयः ॥३१८४॥

क्यों कि यहां पर निश्चय ही संबन्ध रखने वाली (agnate) बहन या कन्या

आदि से विवाह वर्जित है, इसलिए जहाँ पर रिवाज के कारण भानजा या नवासा आदि गोद लिया जाता है, वहाँ पर (रिवाज की) विशेषता के कारण साधारण नियम को नष्ट हुआ जानना चाहिए।

नान्यथा क्रियते तथ्यं नूनं शास्त्रशतैरपि।
मिताक्षरामतं चैतद्दायभागेऽपि संमतम् ॥३१८५॥

वास्तविक बात को निश्चय ही सैकड़ों शास्त्रों से भी उलटा नहीं जा सकता—यह मिताक्षरा का मत है और दायभाग में भी माना गया है।

शास्त्राज्ञाऽपि द्विधा प्रोक्ता प्रथमा विधिसूचिका।
शासिकाऽथाऽपरा विज्ञैः स्मृतिशास्त्रविशारदैः ॥३१८६॥

विद्वान् स्मृतिशास्त्र के पण्डितों ने शास्त्र की आज्ञा भी दो प्रकार की कही है—पहली विधि (मार्ग) बतानेवाली (directory) और दूसरी आज्ञा देनेवाली (mandatory)।

अत एव कृतं कर्म नाऽकृतं क्रियते भुवि।
निषिद्धमपि शास्त्रीयैर्वचनैर्विधिदर्शकैः ॥३१८७॥

इसलिए, पृथ्वीपर, मार्ग (विधि) दिखलानेवाले शास्त्र के वचनों से मना होने पर भी किया हुआ काम उलटा नहीं जा सकता।

कृतं पूर्णतया यत्तद् न्यायेनाऽन्यजनैस्तथा।
मान्यं प्रतीपमपि चेद्वचनैर्मार्गसूचकैः ॥३१८८॥

जो काम पूरी तौर से किया गया हो, वह विधि बतलानेवाले (शास्त्रके) वचनों से विरुद्ध होने पर भी कानून द्वारा और अन्य लोगों द्वारा मान्य होता है।

शासकाज्ञाविरुद्धं तु कृतं कर्माऽपि पौर्णयतः।
अमान्यमेव लोकेऽत्र मतं शास्त्रविशारदैः ॥३१८९॥

शासन करनेवाली आज्ञा के विरुद्ध (तो) पूर्णता से किया काम भी शास्त्र जाननेवालों ने, इस लोक में, अमान्य ही माना है।

विवाहे रक्षकाज्ञाया आदानं प्रथमं तथा।
केवलस्य तु पुत्रस्य दत्तकत्वे निषेधनम् ॥३१९०॥
असंबद्धाज्जनात् पूर्वं संबद्धस्य परिग्रहः।
दत्तग्रहत्वेऽत्र विज्ञेया व्यवस्था विधिदर्शिकाः ॥३१९१॥

विवाह में पहले रक्षक (guardian) की आज्ञा का लेना, अकेले पुत्र का गोद के विषय में निषेध और संबन्ध न रखनेवाले (stranger) पुरुष से पहले संबन्ध रखनेवाले (relative) को गोद लेना ये व्यवस्थायें (नियम), यहाँ पर, रास्ता बतलानेवाली (directory) जाननी चाहिएं।

पात्रता किन्तु दत्तस्य दातुरादातु रत्र या।

दत्तकस्य च या प्रोक्ता शासकाज्ञा तु सा मता ॥३१६२॥

परन्तु जो पात्रता (योग्यता-capacity) दत्तक (गोद) देनेवाले की और लेनेवाले की और जो (स्वयं) दत्तक (गोदजानेवाले) की कही है, वह शासन करनेवाली (mandatory) आज्ञा मानी गई है ।

प्रथमाया विरुद्धोऽपि विहितोऽर्थः समर्थ्यते ।
द्वितीयायाः परं यस्तु विरुद्धः स विवर्जितः ॥३१६३॥

पहली (directory) आज्ञा के विरुद्ध भी किये काम का समर्थन किया जाता है, परन्तु जो दूसरी (mandatory) आज्ञा के विरुद्ध हो, उसको वर्जित किया है ।

दत्तत्वेन प्रदाने चादानेऽप्यथ क्षमो जनः ।
एकाकिनं हि तनयं पूर्वोक्तव्यवस्थया ध्रुवम् ॥३१६४॥

पहले कहे सुनाये के अनुसार पुरुष अकेले पुत्र को गोद देने और लेने में भी आजकल समर्थ होता है ।

दत्तार्थं पितरावेव क्षमौ दातुं निजं सुतम् ।
ताभ्यां हीनस्तु न ग्राह्य आचाराद्यैर्न संमतः ॥३१६५॥

मा-बाप ही अपने पुत्र को गोद दे सकते हैं । यदि रिवाज से नहीं माना गया हो, तो उन दोनों से हीन को (गोद) नहीं लेना चाहिए ।

सत्स्वासन्नसकुल्येषु जनोऽसंबन्धिनं जनम् ।
दत्तीकर्तुमीशः स्यात्पुरोक्तव्यवस्थयैव हि ॥३१६६॥

पुरुष पहले कहे सुनाये से ही पास के (अपने) वंशवालों के होने पर (भी) बिना संबन्धवाले मनुष्य को गोद करने (लेने) में समर्थ होता है ।

भ्रातरावपि नो शक्तौ ग्रहीतुमेकं दत्तकं सुतम् ।
ग्रहीतुं का कथाऽन्येषां जनानां तत्कृते पुनः ॥३१६७॥

दो भाई भी एक दत्तक-पुत्र को लेने में समर्थ नहीं होते, फिर इसके लिए दूसरों का तो कहना ही क्या है (अर्थात्-दूसरे तो ऐसा कर ही नहीं सकते) ।

एकाऽधिकानां दत्तानामादानं युगपत्तु यत् ।
अमान्यमेव तत् कृतं सर्वाभिरपि ध्रुवम् ॥३१६८॥

जो एक से अधिक दत्तक-पुत्रों का एक साथ लेना है, वह (यदि), सौतों ने भी किया हो, तो भी निश्चय ही अमान्य होता है ।

केषांचित्तु मते मान्यमेतद् भवति निश्चितम् ।
लोकाचारेण चेत्तस्य मान्यता नात्र वर्जिता ॥३१६९॥

किन्हीं के मत में, यदि रिवाज से उसकी मान्यता, यहाँ पर, वर्जित न हो, तो

यह (दो सन्नियों द्वारा एक ही समय में दो पुरों का गोद लेना) निश्चय ही मान्य होता है।

पुत्रो दातृग्रहीत्रोस्तु भवितेत्येकमत्यतः।
यो दत्तीक्रियते सोऽत्र द्व्यामुष्यायण उच्यते ॥३२००॥

देनेवाले और लेनेवाले दोनों का पुत्र होगा-इस प्रकार एक मत हो कर, जो गोदलिया जाता है, वह यहां पर 'द्व्यामुष्यायण' कहा जाता है।

द्व्यामुष्यायणपुत्रस्तु दायार्हो हि मतो बुधैः।
जनकस्य तथाऽऽदातुर्नात्र कार्या विचारणा ॥३२०१॥

विद्वानों ने द्व्यामुष्यायण पुत्र को जन्म देनेवाले और गोद लेनेवाले दोनों का दाय-धन लेनेवाला माना है। इसमें विचार की आवश्यकता नहीं है।

यया स जनितो दत्तीकृतश्चाथ यया पुनः।
ते उभे तस्य दायार्हे चेद्दायो मातरं व्रजेत् ॥३२०२॥

यदि दाय का धन माता को मिले तो जिसने उसे (द्व्यामुष्यायण पुत्र को) जन्म दिया हो और जिसने गोद लिया हो, वे दोनों (मातायें), उस (द्व्यामुष्यायण-पुत्र) का दाय पाती हैं। (both inherit equally as co-heiresses)।

एकाकिनं सुतं भ्रात्रे भ्राता दद्यात्पुनर्यदि।
द्व्यामुष्यायण एवासावन्यथा समयो न चेत् ॥३२०३॥

यदि फिर भाई (अपने) अकेले (इकलौते) पुत्र को भाई को गोद दे दे, और उसमें यदि विपरीत शर्त न हो, तो वह (पुत्र) द्व्यामुष्यायण ही होता है।

महाराष्ट्रे परं तस्य द्व्यामुष्यायणताकृते।
अभ्रातृकस्याऽपि बुधैः प्रामाण्यं समपेक्ष्यते ॥३२०४॥

परन्तु बंबई प्रान्त में बिना भाईवाले भी उस (श्लोक ३२०० में कहे दत्तक-पुत्र) के द्व्यामुष्यायणता के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है।

दत्तमीमांसयाऽथो च दत्तचन्द्रिकया युते।
व्यवहारमयूखीये तथा मैताक्षरे मते ॥३२०५॥
यदुक्तं तत्समाश्रित्य महाराष्ट्रनयाऽधिपैः।
कृतो नियम आद्यको द्व्यामुष्यायणहेतवे ॥३२०६॥

दत्तकमीमांसा और दत्तकचन्द्रिका से युक्त व्यवहारमयूख और मिताक्षरा के मत में जो कहा है, उसका आश्रय लेकर (ही) बंबई प्रान्त के न्यायाधीशों ने द्व्यामुष्यायण के लिए पहले कहा नियम बनाया है। (अर्थात्-द्व्यामुष्यायण की सिद्धि के लिए प्रमाण आवश्यक माना है)।

महाराष्ट्रे तथा वङ्गे नर्तक्यो न क्षमा मताः।
दत्तीकर्तुं सुतां लोकाचारे सत्यपि निश्चितम् ॥३२०७॥

बंबई और बंगाल में नाचनेवालियां, (नाइकायें), रिवाज के होने पर भी, कन्या को गोद लेने में, निश्चय ही, समर्थ नहीं मानी गई हैं ।

द्रविडे ता मताः शक्ता दत्तीकर्तुं सुतामपि ।
व्यभिचारकृते नो चेत्ताभिः सा दत्तकीकृता ॥३२०८॥

मद्रास में वे (नाइकायें) यदि उन्हों ने उस (कन्या) को व्यभिचार के लिए गोद न लिया हो, तो लड़की को भी गोद ले सकती हैं ।

जात्याचारेण कन्ये द्वे आदातुं ताः क्षमा यदि ।
तत्र तर्हि विधानीया बाधा नो तत्कृते मता ॥३२०९॥

यदि वहां मद्रास में रिवाज से वे (नाइकायें) दो कन्याओं को गोद लेने में समर्थ हों, तो उसके लिए कानून की रुकावट नहीं मानी गई है ।

दत्तककर्म तत्संबद्धानि कृत्यानि च ।

गोद लेना और उससे संबन्ध रखनेवाले काम ।

वर्ण्यन्तेऽथ तु कृत्यानि दत्तादानोचितानि हि ।
आवश्यकानि कतिचिदेतेष्वन्यानि नो तथा ॥३२१०॥

अब आगे दत्तक लेने में उचित कार्यों का वर्णन किया जाता है । इनमें कुछ आवश्यक हैं और दूसरे (कुछ) वैसे (आवश्यक) नहीं हैं ।

दानाऽऽदानकृते कर्म दैहिकं येन दत्तकः ।
पितुः कुलाद्विनिर्गत्य यात्यादातृकुलं प्रति ॥३२११॥

(गोद) देने और लेने के लिए शारीरिक काम (physical act) जिससे गोद का पुत्र पिता के कुल से निकल कर लेनेवाले के कुल की तरफ़ चला जाता है ।

दत्तहोमो यदर्थं च तत्संबद्धैस्तु वैदिकैः ।
मन्त्रैः संतर्प्यते वह्निरीश्वरप्रीतिकाम्यया ॥३२१२॥

दत्तहोम जिसके लिए, उससे संबन्ध रखनेवाले वेद के मन्त्रों द्वारा, ईश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा से, अग्नि को (घृतादि से) तृप्त किया जाता है ।

गौणाऽन्यन्यानि कर्माणि पुत्रेष्ट्यादीनि यानि तु ।
शास्त्रोक्तानि सुताप्त्यर्थं तान्यप्यत्र समाचरेत् ॥३२१३॥

पुत्रेष्टियज्ञ आदि दूसरे भी गौण (minor) काम, जो पुत्र की प्राप्ति के लिए शास्त्र में कहे हैं, उन्हें भी इस अवसर पर करे ।

आवश्यकं विधानेन प्रथमं कर्म निश्चितम् ।
द्वितीयं तु कचिच्चाथ तृतीयं समुपेक्षितम् ॥३२१४॥

कानून से निश्चय ही पहला (दैहिक) काम आवश्यक है, दूसरा (दत्तहोम) कहीं-कहीं (पर आवश्यक है) और तीसरे (पुत्रेष्टि आदि अन्य धार्मिक कार्यों) की उपेक्षा की गई है (वे आवश्यक नहीं हैं)।

दत्तहोमादिकृत्यानि धर्म्याण्यावश्यकानि नो।
देशे पञ्चनदे जैनशूद्रयोश्चाप्यसंशयम् ॥३२१५॥

दत्तहोम आदिक धार्मिक काम पंजाब देश में और जैनों और शूद्रों में, भी निःसन्देह ही आवश्यक नहीं हैं।

चतुर्ष्वप्यत्र वर्णेषु दत्तकस्वीकृतिस्तथा।
तदर्थकृतलेखस्य राजमुद्राङ्कनादिकम् ॥३२१६॥
नालं, तत्र तु तद्दानाऽऽदानं वास्तविकं कृतम्।
क्रमाद्दातृग्रहीतृभ्यां मतमावश्यकं बुधैः ॥३२१७॥

यहां पर चारों ही वर्णों में गोद के पुत्र के देने लेने की स्वीकृति या उसके लिए किये लेख का रजिस्ट्री करवाना आदि पर्याप्त नहीं होता। विद्वानों ने यहां पर (उस विषय में) देनेवाले और लेनेवाले द्वारा क्रमसे उस (दत्तक-पुत्र) का देना और लेना वास्तविक रूप से किया जाना आवश्यक माना है।

दत्तत्वेन सुतं दातुं पितरावेव यद्यपि।
क्षमौ तथापि तौ शक्तौ नियोक्तुमपरं जनम् ॥३२१८॥
निर्दिष्टाय जनायात्र तं समर्पयितुं ध्रुवम्।
तदर्थं न मता बाधा तस्मिन् कर्मणि दैहिके ॥३२१९॥

यद्यपि माता-पिता ही पुत्र को (गोद) देने में समर्थ होते हैं, तथापि वे, निश्चय ही यहां पर, उसे (पुत्र को) निर्दिष्ट पुरुष को देने के लिए, दूसरे पुरुष को नियुक्त कर सकते हैं। उसके लिए उस शारीरिक काम में बाधा नहीं मानी गई है।

दत्ताऽऽदाने सगोत्रस्य दत्तहोमो द्विजेषु नो।
आवश्यकोऽपरत्रापि मतैक्यं नोपलभ्यते ॥३२२०॥

अपने ही गोत्रवाले को गोद लेने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों में दत्तहोम आवश्यक नहीं होता। दूसरे स्थानों पर (जहां दत्तक-पुत्र सगोत्री न हो वहां पर) भी दत्तक होम के विषय में मत की एकता नहीं मिलती।

द्रविडे दत्तहोमोऽथ धार्मिका विधयोऽपराः।
नाऽऽयाता अभवन् ब्रह्मक्षत्रयोरपि प्राक् परम् ॥३२२१॥
न्यायाधीशैस्तु तत्रत्यैरेव कालान्तरे पुनः।
सन्देहस्तदुपेक्षायां स्वयमेव प्रदर्शितः ॥३२२२॥

मद्रास में दत्त-होम और दूसरे धार्मिक कार्य पहले ब्राह्मणों और क्षत्रियों में

भी अनिवार्य नहीं थे। परन्तु फिर आगे चलकर यहीं के न्यायाधीशों ने स्वयं ही उनके आवश्यक न होने में सन्देह प्रकट किया है।

दाक्षिणात्येषु विप्रेषु दौहित्रो भ्रातृजोऽथवा।
दत्तकश्चेत्तदोपेक्षा प्रयागे तस्य निश्चिता ॥३२२३॥

दाक्षिणात्य ब्राह्मणों में यदि नवासा या भतीजा गोद लिया गया हो, तो उस (दत्तहोम आदि) की उपेक्षा (त्याग) प्रयाग (इलाहाबाद) में निश्चित की गई है।

महाराष्ट्रे परं दत्तहोमस्त्वावश्यको मतः।
निर्णेतृसंसदाऽप्यस्याऽपेक्षाध्वनित आदृता ॥३२२४॥

परन्तु बंबई प्रान्त में दत्त-होम को तो आवश्यक माना है। निर्णय करनेवाली सभा (Judicial Committee) ने भी इस (दत्तहोम) की आवश्यकता इशारे से मानली है।

यथावकाशं कुर्वीत दत्तादानोत्तरं हि तम्।
दत्तदातुर्ग्रहीतुर्वा मरणात्तत्र न क्षतिः ॥३२२५॥

उसे (दत्त-होम को) गोद लेने के बाद समय मिलने पर करले। उसके करने में गोद देनेवाले और लेनेवाले के मरने से हानि नहीं होती (अर्थात्—उनके मरजाने पर भी वह होम किया जा सकता है)।

कार्यो दातृग्रहीतृभ्यां दत्तहोमोऽथवा पुनः।
ताभ्यामन्यो नियोक्तव्यस्तत्कृतेऽत्र सुनिश्चितम् ॥३२२६॥

या तो (गोद) देने और लेनेवालों को दत्तहोम करना चाहिए, या फिर उन दोनों को उसके लिए, यहां पर निश्चय ही, दूसरे पुरुष को नियुक्त कर देना चाहिए।

पुत्रदत्तकृतौ बाधा नाऽशौचे मृत्युजन्मनोः।
दत्तहोमादिकार्याणि परतस्तत्र कारयेत् ॥३२२७॥

मरण और जन्म के अशौच में पुत्र को गोद करने में बाधा नहीं होती। यहां पर दत्तहोम आदि (धार्मिक) कार्य दूसरे से करवाले।

यदीच्छेद् दैहिके कार्येऽप्यन्यं तत्र नियोजयेत्।
परं तत्पितरावेव दद्यातां दत्युरीकृतिम् ॥३२२८॥

यदि इच्छा हो तो यहां पर गोद (देने-लेने के) शारीरिक कार्य में भी दूसरे को नियुक्त करदे। परन्तु उस (लड़के) के मा-बाप ही (गोद) देने की स्वीकृति देवें।

तत्र दातुरथादातुः स्फुटा संमतिरीहिता।
वयस्यदत्तकाऽऽदाने तत्संमतिरपीष्यते ॥३२२९॥

वहां पर (गोद लेने में) देनेवाले और लेनेवाले दोनों की साफ-साफ संमति की आवश्यकता होती है । बालिग (पुत्र) को गोद लेने में उसकी संमति भी लेनी होती है ।

संप्राप्ताऽनुमतिर्यस्याऽन्यायतः स क्षमो मतः ।
दत्तत्वनिर्णयेऽन्येषां स्वार्थहानिं निवारयन् ॥३२३०॥

जिस (देनेवाले या लेनेवाले) की संमति अन्याय से प्राप्त की गई हो, वह दूसरों के स्वार्थ की हानि को न करता हुआ, गोद के उचित या अनुचित के निर्णय करने में समर्थ माना गया है ।

दात्रा दत्तः प्रदत्तश्चेत्स्वार्थसाधनपूर्वकम् ।
मान्यस्तदपि विद्वद्भिर्मतो दत्तः स निश्चितम् ॥३२३१॥

यदि देनेवाले ने अपना स्वार्थ करके गोद दिया हो, तो भी विद्वानों ने उस दत्तक-पुत्र को निश्चय ही मान्य माना है ।

प्रतिज्ञायाऽपि नो दद्याद् ग्रहीता दत्तकस्य चेत् ।
तत्स्वार्थं तर्हि नो शक्तोऽभियोक्तुं दत्तकप्रदः ॥३२३२॥

यदि गोद लेनेवाला वादा करके भी उस (उपयुक्त) स्वार्थ को न दे, तो गोद-देनेवाला (उस पर) मुकद्दमा नहीं चला सकता ।

आकूनः क्रियते न्याय्यः कृतो दत्तग्रहः सकृत् ।
दात्रा ग्रहीत्रा दत्तेनाऽपरैर्वापीह बान्धवैः ॥३२३३॥

एकबार कानून के अनुसार लिया गोद, देनेवाले, लेनेवाले, (स्वयं) दत्तक-पुत्र अथवा अन्य रिश्तेदारों द्वारा भी उलटा नहीं जा सकता ।

परं दत्तः क्षमो त्यक्तुं दायमादातुरत्र तु ।
स्वेच्छया, च प्रयात्येष तत्र दायहरं परम् ॥३२३४॥

परन्तु दत्तक, यहां पर, अपनी इच्छा से गोद लेनेवाले के धन को छोड़ सकता है और, यहां पर, वह धन दूसरे (अगले) हकदार को मिल जाता है ।

दत्तकाऽऽदानपरिणामाः ।

गोद लेने के नतीजे ।

पितुर्गोत्रात्समादातुर्गोत्रं याति सुनो ध्रुवम् ।
दत्तीकरणतस्तत्र भवत्यौरसवच्च सः ॥३२३५॥

पुत्र गोद जाने से निश्चय ही पिता के गोत्र से (गोद) लेनेवाले के गोत्र में चला जाता है और वहां पर वह असली पुत्र के समान हो जाता है ।

दत्तादाने विवाहे च शक्तिस्तस्य नियन्त्र्यते।
ग्रहीतुरौरसोत्पत्तौ तद्दाये स्वल्पभागयम्॥३२३६॥

गोद लेने और विवाह (करने) में उसकी शक्ति पर रुकावट हो जाती है। गोद लेनेवाले के असली पुत्र के हो जाने पर उस (गोद लेनेवाले) के धन में वह कम भाग पाता है।

दायतो जनकस्यात्र तथा तस्य कुटुम्बिनाम्।
तत्संसृष्टिधनाच्चाऽपि हीयते दत्तकीकृतः॥३२३७॥

'गोद गया (पुरुष) जन्मदाता पिता के धन से और उसके कुटुम्बियों के धन से तथा उसके सामे के धन से भी वञ्चित (महरूम) होता है। (अर्थात्—उनको वह नहीं पा सकता)।

यथाह मनुः।

जैसा कि मनु ने कहा है।

गोत्ररिक्थे जनयितुर्न हरेद्दत्त्रिमः क्वचित्।
गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो व्यपैति ददतः स्वधा॥

गोद गया पुत्र जन्म देनेवाले पिता के गोत्र और दाय-धन को कहीं भी नहीं पा सकता। पिण्ड-दान, गोत्र और दायधन का अनुगामी होता है। अतः जो गोद देता है उसको (उस पुत्र द्वारा किया) श्राद्ध प्राप्त नहीं होता।

दायभागानुगे वङ्गे दत्तीभावात्पुरा यदि।
प्राप्तः केनापि दाये वोपहारे वा क्षमत्वतः॥३२३८॥
अर्थस्तर्हि तु तद्दत्तीभावोत्तरमपि ध्रुवम्।
स तस्यैव मतो नासौ तदर्थाद् वञ्च्यते यतः॥३२३९॥

दायभाग को माननेवाले बंगाल में यदि गोद जाने के पहले किसी ने दाय (हकदारी) में, उपहार में या अपनी क्षमता (power of self acquisition) से धन पाया हो, तो वह धन उसके गोद जाने पर भी, निश्चय ही, उसीका माना गया है; क्योंकि वह उस धन से वञ्चित (महरूम) नहीं किया जाता।

मिताक्षरानुगेभ्योऽपि द्रविडेऽस्ति विनिश्चितम्।
प्रधानन्यायगेहस्थैः प्राड्विवाकैरसंशयम्॥३२४०॥
यद्दत्तीभावतः पूर्वं संप्राप्तोऽर्थो जनेन तु।
तस्यैव भविता दत्तीभावोत्तरमपि ध्रुवम्॥३२४१॥

मिताक्षरा को माननेवालों के लिए मद्रास में हाइकोर्ट के जजों ने निःसन्देह, यह निश्चित किया है कि पुरुष द्वारा गोद जाने के पहले पाया हुआ धन गोद जाने पर भी, निश्चय ही, उसीका होता है।

संसृष्टे प्यवशिष्टया प्राक् प्राप्यार्थं दत्ततां गतः।
चेज्जनस्तर्ह्यपि स्वाम्यात् प्राप्तार्थस्य न हीयते ॥३२४२॥

यदि पुरुष पहले साझेदारों में अकेला शेष रहजाने से धन प्राप्त कर गोद गया हो, तो भी पाये हुए धन के स्वामित्व से हीन नहीं होता।

दायभागे पुरः प्राप्तं पितुर्वा भ्रातृतोथ यत्।
तत्तस्यैव महाराष्ट्रे तस्मिन् जातेऽपि दत्त्रिमे ॥३२४३॥

पहले बटवारे में पिता से या भाई से जो पाया हो, वह बंबई प्रान्त में उस पानेवाले के गोद जाने पर भी उसीका रहता है।

समर्पिता परं संपद् दायादत्वेन या पितुः।
पितरं प्रतियात्येषा तस्मिन्दत्तकतां गते ॥३२४४॥

परन्तु (अपने) पिता का उत्तराधिकारी होने से जो संपत्ति सौंपी गई हो, वह उस (उत्तराधिकारी) के गोद चले जाने पर पिता के पास लौट जाती है।

दत्तत्वगमनान्तेऽपि संपर्को रक्तजः पितुः।
न याति, तेन सोऽशक्तः कन्यां तद्गोत्रसंभवाम् ॥३२४५॥
उपयन्तुं, निषिद्धां तत्कुले प्राग् दत्त्रिमत्वतः।
तथैव दत्तकीकर्तुं तद्वंश्यं तत्र वर्जितम् ॥३२४६॥

गोद जाने पर भी पिता का रक्त से उत्पन्न हुआ संबन्ध नहीं जाता। इसी से वह गोद जाने के पहले उसके लिए वर्जित उस (पिता) के गोत्र में पैदा हुई कन्या से विवाह नहीं कर सकता और उसी प्रकार उस (गोद जाने के पहले की) अवस्था में वर्जित उस गोत्रोत्पन्न पुरुष को गोद (भी) नहीं ले सकता।

दत्त्रिमत्वं गते तस्मिंश्चे दादातुः सुतोद्भवः।
यत्र, यत्र तथाऽऽत्तःस भाविरिक्थाधिकारिणा ॥३२४७॥
अपात्रेण, न तत्रासौ सम औरसवन्मतः।
औरसादल्पभाक् पूर्वोऽपरः सर्वैरनादृतः ॥३२४८॥

जहां पर उस (गोद जानेवाले पुत्र) के गोद जाने पर यदि (गोद) लेने-वाले के पुत्र हो जाय या जहां पर उसे अयोग्य (disqualified) उत्तराधिकारी (heir) ने (गोद) लिया हो, वहां पर वह असली पुत्र के समान समर्थ नहीं माना गया है। पहला (गोद का पुत्र) असली पुत्र से कम हिस्सा पाता है और दूसरा सब से वर्जित है (अर्थात्—कुछ नहीं पाता)।

दत्तग्रहणकाले चेद्दत्तः पुत्रकलत्रवान्।
तर्हि पुत्रस्तु स स्वीये गोत्र एवात्र तिष्ठति ॥३२४९॥
तत्रत्यमेव चाप्नोति स्वांशं, पत्नी तु सा परम्।
पुत्रधर्माङ्कतया याति पत्या सार्धं कुलं नवम् ॥३२५०॥

यदि गोद लेने के समय गोद लियाजाने वाला पुत्र लड़के और भार्यावाला हो, तो वह लड़का तो अपने (पुराने) गोत्र में ही रहता है और वहीं का अपना हिस्सा पाता है । परन्तु वह भार्या तो पुरुष की अर्धाङ्गिनी होने से पति के साथ नवीन (गोद लेने वाले के) कुल में चली जाती है ।

दत्तादानस्य समये भार्या दत्तस्य गर्भिणी ।
चेत्तर्हि तद्भवः पुत्रः पितुर्गोत्रार्थभाग् मतः ॥३२५१॥

गोद लेने के समय यदि गोदलिये जानेवाले पुत्र की पत्नी गर्भिणी हो, तो उससे उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के गोत्र और धन का हकदार होता है । (अर्थात्–गोद जाने के बाद उत्पन्न होने के कारण पिता का ही अनुसरण करता है) ।

प्रागुक्ते ते दशे त्यक्त्वा स्वाम्यं यत्र नियन्त्र्यते ।
दत्तास्याऽन्यत्र शक्तः स पित्रोस्तद्ग्राहिणोस्तया ॥३२५२॥
शाखाऽऽप्तानां तयो रिक्थं प्राप्तुमौरसपुत्रवत् ।
तौ तयोर्वंशजाश्चाऽपि तद्धनं लातुमीशते ॥३२५३॥

पहले (श्लोक ३२४७-३२४८ में) कही उन दो अवस्थाओं को छोड़कर, जिन में दत्तक का अधिकार नियन्त्रित हो जाता है, दूसरी अवस्थाओं में वह (गोद) लेनेवाले माता–पिता का और उनकी ऊपर की शाखावालों (lineal ancestors) का दाय का धन लेने में औरस (असली) पुत्र के समान ही समर्थ होता है । वे (गोद लिये पुत्र के माता-पिता) और उनके ऊपर की शाखा के वंशज भी उस (पुत्र) के (दाय) धन को ले सकते हैं । (यहां पर वंशजों में पिता के बाप-दादा आदि और उनके वंशज भी समझने चाहिए) ।

दत्ताऽऽदातुस्तु भार्या चेन् मृता प्राग्दत्तकग्रहात् ।
स तत्रापीह तत्पित्र्यवंशे तत्पुत्रवद् भवेत् ॥३२५४॥

गोद लेनेवाले की पत्नी यदि गोद लेने के पहले ही मर गई हो, तो भी वह उस (गोद लेनेवाले की पत्नी) के वंश (पितृवंश) में उस (स्त्री) के पुत्र के समान होता है ।

अनेकभार्य एकस्याः साहचर्येण दत्तकम् ।
गृह्णाति चेत्तदा साऽम्बा दत्ताऽऽदात्रीह मन्यते ॥३२५५॥
अन्या विमातरोऽतस्तु दत्तस्तस्याश्च तत्पितुः ।
वंश्यानामेव दायादः सा च तेऽस्याऽर्थहारिणः ॥३२५६॥

यदि अनेक पत्नियोंवाला पुरुष एक (पत्नी) को साथ करके पुत्र को गोद लेता है, तो वही (पत्नी) यहां पर गोद लेनेवाली माता मानी जाती है । दूसरी

(पत्नियाँ) सौतेली मातायें होती हैं । इसलिए गोद लिया हुआ पुत्र उस (माता) का और उसके पिता के वंशवालों का ही दाय का हकदार होता है । तथा वह (माता) और वे (उस माता के पिता के वंशवाले) उस पुत्र का (दाय) धन पानेवाले होते हैं ।

अनेकासु पुनर्यत्र भार्यैकाऽधिकृता भवेत् ।
दत्तग्रहे विधिर्ज्ञेयस्तत्राऽप्येष सुनिश्चितम् ॥३२५७॥

फिर जहां पर अनेक पत्नियों में एक पत्नी को गोद लेने में अधिकारिणी बनाया हो, वहां पर भी, निश्चय ही यही विधि जाननी चाहिए (अर्थात्—वही उसकी गोद लेनेवाली माता समझी जायगी) ।

शक्तोऽपरत्र वा नाऽसौ दत्तोऽर्थग्रहणे पुनः ।
मातॄणामपरासां तद्बन्धूनां चेत्यनिश्चितम् ॥३२५८॥

फिर दूसरे स्थानों पर यह दत्तक-पुत्र दूसरी माताओं और उनके रिश्तेदारों का धन ले सकता है या नहीं—यह बात (अभी) अनिश्चित है ।

गृहीते दत्रिमे तस्याऽऽदातुः स्यादौरसः सुतः ।
चेत्तर्हि दत्रिमो वङ्गे लभते पितृसंपदः ॥३२५९॥
तृतीयांशं तथा वाराणस्यामंशं चतुर्थकम् ।
द्रविडे च महाराष्ट्रे भागं पञ्चममेव च ॥३२६०॥

यदि गोद का पुत्र लेने पर लेनेवाले के असली पुत्र उत्पन्न हो जाय, तो गोद लिया हुआ पुत्र बंगाल में (गोद लेनेवाले) पिता की संपत्ति का तीसरा हिस्सा पाता है । बनारस में चौथा तथा मद्रास और बंबई में पाँचवां ।

संपत्तावविभाज्यायां सुत औरस एव हि ।
तामाप्नोत्यखिलां नूनं न दत्तस्तत्र भागभाक् ॥३२६१॥

संपत्ति के नहीं बाँटी जाने लायक होने पर उसे निश्चय ही, असली पुत्र ही पाता है । उसमें गोद का पुत्र हिस्सा नहीं पाता ।

पूर्वोक्ते द्वे अवस्थे तु संत्यज्याऽन्यत्र दत्तकः ।
भवेदौरसवद्दत्ताऽऽदातुः संपद्धीश्वरः ॥३२६२॥

पहले (श्लो० ३२४७–३२४८ में) कहीं दो अवस्थाओं को छोड़कर अन्य अवस्थाओं में गोद का पुत्र असली पुत्र के समान, गोद लेनेवाले की संपत्ति का मालिक होता है ।

शूद्रेषु त्वौरसे पुत्रे जाते दत्तीकृतः सुतः ।
वङ्गेऽथ द्रविडे नूनमौरसेन समोऽर्थभाक् ॥३२६३॥

पञ्चमांशं महाराष्ट्रे लभते स पुनस्तथा ।
पित्रा कृते विभागे तु द्रविडे पञ्चमांशभाक् ॥३२६४॥
पिता तदौरसस्तत्र द्वि-द्विभागहरावतः ।
दत्त्रिमो भागमेकं च लभते न्यायरीतितः ॥३२६५॥

शूद्रों में असली पुत्र के उत्पन्न हो जाने पर गोद का पुत्र बंगाल और मद्रास में असली पुत्र के समान ही धन पाता है। बंबई में वह पाँचवां हिस्सा पाता है और पिता के स्वयं विभाग करने पर मद्रास में पाँचवां भाग पाता है। इसलिए पिता और उसका असली पुत्र वहां पर दो-दो भाग लेते हैं और गोद का पुत्र, कानून की रीति से, एक भाग पाता है।

दत्तौरसौ पुनःस्यातां चेत्पैतृव्यौ तदा पुनः ।
मैताक्षराऽनुगौ तौ तु पृक्ताऽर्थे सममागिनौ ॥३२६६॥

यदि गोद का पुत्र और असली पुत्र चचेरे भाई हों, तो मिताक्षरा को मानने वाले वे दोनों साझे के धन में समान भाग लेते हैं।

गृहीतदत्तकोऽप्यत्र स्वाऽसंसृष्टां तु संपदम् ।
इच्छापत्रोपहाराभ्यां दातुं शक्तो भवेज्जनः ॥३२६७॥

गोद लेनेवाला पुरुष भी अपनी जुदा रही संपत्ति को इच्छापत्र (will) और उपहार (gift) के द्वार दे सकता है।

यतो नैवौरसात्स्वाम्यं दत्तस्याधिकमुच्यते ।
औरसश्चोक्तशक्त्या नो तातं वञ्चयितुं क्षमः ॥३२६८॥

क्योंकि गोद के पुत्र का अधिकार असली पुत्र से अधिक नहीं होता और असली पुत्र पिता को उस कही हुई (इच्छा पत्र और उपहार द्वारा अपनी जुदा रही संपत्ति को देने की) सामर्थ्य से हीन नहीं कर सकता।

परं दत्तग्रहे यत्र तत्क्षमत्वनिरोधकः ।
समयस्तु कृतस्तत्र तद्दाता दातुमक्षमः ॥३२६९॥

परन्तु जहां पर गोद लेने में उस (दे सकने की) शक्ति को रोकने वाली शर्त की गई हो, वहां पर उस (गोद) का लेनेवाला (इच्छापत्र या उपहार के द्वारा अपनी जुदा रही संपत्ति को भी) नहीं दे सकता।

प्राग् दत्तग्रहणाद्दत्तं पित्रोपहृतितो धनम् ।
असंसृष्टं तु संमान्यं दत्तकेनाऽपि निश्चितम् ॥३२७०॥
दत्तकग्रहणात्पूर्वमिच्छापत्रेण चार्पितम् ।
असंसृष्टं धनं दत्तः प्रत्याऽऽदातुमनीश्वरः ॥३२७१॥

गोद लेने के पहले पिता का उपहार द्वारा दिया जुदा रहा धन गोद लिए पुत्र को भी निश्चय ही मान लेना चाहिए। (अर्थात्—उसे वह वापस नहीं ले सकता)। और गोद लेने के पहले इच्छापत्र द्वारा दिया जुदा रहा धन (भी) गोद का पुत्र (पानेवाले से) पीछा नहीं ले सकता।

एवमेव च्गमो वङ्गेऽप्रतिबद्धाऽधिकारवान् ।
पिता पैत्र्यं तथा स्वीयं धनं दातुं निजेच्छया ॥३२७२॥

इसी प्रकार बंगाल में पूर्ण अधिकार वाला पिता बाप-दादों की (ancestral) और अपनी (self acquired) संपत्ति को अपनी इच्छा से दे सकता है।

पुरादत्तग्रहाद्दत्तं पित्रा संसृष्टिगं धनम् ।
तदन्ते तु गृहीतेन मान्यं दत्तेन निश्चितम् ॥३२७३॥

पिता द्वारा गोद लेने के पूर्व दिया साझे का धन उसके (देने के) बाद लिए गोद के पुत्र को निश्चय ही, मान लेना चाहिए।

मध्यप्रदेशे द्रविडे महाराष्ट्रेऽथवा पुरा ।
संसृष्टेन निजःस्वार्थः पृक्तिगो वा ततोऽधिकः ॥३२७४॥
विनाऽऽवश्यकतां न्याय्यां व्ययितश्चेत्सदा तु सः ।
पश्चाद्दात्तेन दत्तेन मान्यः संसृष्टिभागिना ॥३२७५॥

यदि मध्यप्रदेश, मद्रास और बंबई में साझेदार ने पहले साझे में रहा अपना भाग या उस (भाग) से अधिक (धन) विना न्याय्य (legal) आवश्यकता के खर्च करदिया हो, तो बाद में लिए, साझे के धन के भागी दत्तक-पुत्र को उसे मानलेना चाहिए।

मतान्तरेण पृक्तेन गृहीतो दत्तको यतः ।
तत्कालादेव संसृष्टः पृक्तेऽर्थे, पृक्तिभाक् ततः ॥३२७६॥
इच्छापत्रोपहाराभ्यामन्यस्मै पृक्तिगं धनम् ।
दत्त्वा तं स स्वशिष्टेभ्यो लाभाद् वञ्चयितुं क्षमः ॥३२७७॥

क्योंकि मिताक्षरा को माननेवाले साझेदार का गोद लिया पुत्र उस समय से ही साझेदार होकर साझे के धन में साझेदार हो जाता है। इसलिए वह (उसका गोद लेनेवाला) इच्छापत्र या उपहार के द्वारा साझे के धन को दूसरे को देकर उस (दत्तक-पुत्र) को साझेदारों में पीछे बचने (survivorship) से होनेवाले लाभ से वञ्चित नहीं कर सकता।

विशिष्टसमयाऽभावे पृक्तशेषात्सदत्तकः ।
अवञ्च्यः पूर्ववज्ज्ञेयो प्रदीपा स्वार्थतो ध्रुवम् ॥३२७८॥

. खास शर्त के न होने पर साझेदारों में शेष रहे पुरुष का गोद का पुत्र (गोद) लेनेवाले के द्वारा, निश्चय ही पहले कहे के समान ही (इच्छापत्र या

उपहार करके), स्वार्थ (अपने प्राप्य धन) से वञ्चित नहीं किया जा सकता।

यत्र पृक्तावशिष्टेन लिखितं मृत्युपत्रकम्।
भार्या चाधिकृता दत्ताऽऽदानाय ननु तत्र तु ॥३७९॥
लेखाऽनुवर्त्तिना भाव्यं तयाऽऽत्तेन सुतेन हि।
आजीवं संपदंशेऽपि लेखादधिकृता यदि ॥३८०॥
भार्या तेनाऽथ दत्ताय शेषांशः स्यात्समर्पितः।
तर्ह्यम्बाऽनुज्ञयैवात्र स क्षमः स्वार्थवोपणे ॥३८१॥

जहाँ पर साझेदारों में बाकी बचे पुरुष ने मृत्यु-पत्र (will) लिख दिया हो और अपनी पत्नी को गोद लेने का अधिकार दे दिया हो, वहाँ पर (तो) उस स्त्री द्वारा लिये गोद के पुत्र को (उस) लेख (will) का अनुसरण करनेवाला होना चाहिए। यदि लेख के द्वारा पत्नी को जीवन पर्यन्त के लिए संपत्ति के हिस्से पर (भी) अधिकार देकर बाकी का भाग गोद के पुत्र को दिया हो, तो वह माता की अनुमति से ही अपने भाग को पृथक् (बड़ा) सकता है।

आदीयते वयस्थश्चेद्दत्तः स क्षमते तदा।
समयेनाऽधिकारं स्वं पितुरर्थे नियन्त्रितुम् ॥३८२॥
प्राग् दत्तताऽऽसितः, किन्तु नो वयस्थः स चेत्तदा।
नूनं तज्जनकः कर्तुं समयं तत्कृते क्षमः ॥३८३॥
रूढया मान्यश्च दत्तेन स, किन्तूल्लङ्घ्यते यदि।
सा रूढिर्विधवायै तु पूर्णस्वामित्वदानतः ॥३८४॥
संपत्तेरथवा तस्या दानेनान्याऽकुटुम्बिने।
तर्ह्यमान्यः स समय आर्यशास्त्रविरोधतः ॥३८५॥

यदि बालिग दत्तक-पुत्र गोद लिया जाय, तो वह गोद जाने के पूर्व शर्त के द्वारा पिता के धन में अपने अधिकार को नियन्त्रित (limited) कर सकता है। परन्तु यदि वह उस (गोद लेने के) समय बालिग न हो, तो निश्चय ही उसके लिए उसका असली पिता शर्त कर सकता है और वह (शर्त) रूढ़ि (रिवाज) के कारण दत्तक-पुत्र को मान्य होती है। परन्तु यदि (गोद लेनेवाली) विधवा को संपत्ति का पूरा (absolute) अधिकार देने से या उस (संपत्ति को दूसरे कुटुम्ब के बाहर के पुरुष (stranger) को देने से उस रिवाज का उल्लंघन किया जाता है, तो वह शर्त हिन्दू-शास्त्रों के विरुद्ध होने के कारण अमान्य होती है। (अर्थात्- हिन्दुओं में उपर्युक्त प्रकार से धन देने की रूढ़ि न होने से ऐसा दान अमान्य होता है)।

दत्तीभूते परं पुत्रे जनकस्तस्य न क्षमः।
समयेन तदात्तेऽर्थे स्वाम्यं तस्य नियन्त्रितुम् ॥३८६॥

गृहीतोऽथवा दत्तः सक्रन् क्षीणाऽधिकारया ।
अमान्यश्चाऽक्षमो लातुमन्यहस्तगतं धनम् ॥ ३३१४ ॥

एकबार अधिकार को खो देनेवाली विधवा द्वारा लिया गोद का पुत्र अमान्य होता है और दूसरे के हाथ में गये धन को नहीं लेसकता। (विधवा के अधिकार और उसकी समाप्ति का वर्णन श्लोक ३० ७१ से ३१ ४१ तक किया जा चुका है) ।

महाराष्ट्रे न्यायाधीशैः परं मान्यः क्षमश्च सः।
कृतो हर्तुं धनं चेत्सोऽनुज्ञातो दायहारिणा ॥ ३३१५ ॥

बंबई प्रान्त में न्यायाधीशों ने उसे, यदि वह दायपाने वाले पुरुष से मान लिया गया हो, तो मान्य और धन प्राप्त करने लायक करदिया है ।

अतस्तु श्वशुरस्याऽर्थे तद्भ्रातरमुपाश्रिते ।
स्नुषाऽथवा सुतं लातुं पत्यर्थे न्यायतोऽक्षमा ॥ ३३१६ ॥
श्वशुरभ्रातृसंमत्या गृहीतस्तु तया सुतः ।
क्षमः पैतामहं वित्तं तत्रादातुं परं ध्रुवम् ॥३३१७॥

इसलिए ससुर के धन के उसके भाई के पास चले जाने पर (उस ससुर को) लड़के की विधवा पत्नी पति के लिए गोद लेने में कानून से असमर्थ होती है । परन्तु ससुर के भाई की संमति से उसके द्वारा (गोद) लिया गया पुत्र, निश्चय ही, वहाँ पर (बम्बई में) दादा के धन को ले सकता है ।

श्वसुरस्य धने तस्याऽधवां यातेऽपि दत्तकः ।
स्नुषयाऽवीरया स्वीकृतस्तस्याः संमतितः क्षमः ॥ ३३१८ ॥
पैतामहं धनं मत्यादातुं, श्वश्रूश्च सा पुनः ।
प्रदत्तार्था भवेद्धीना दत्तग्रहणशक्तितः ॥ ३३१९ ॥

(अपने) ससुर के धन के उसकी विधवा स्त्री को मिलजाने पर भी बिना पति और पुत्रवाली (उसकी) पुत्र की स्त्री द्वारा, उस (सास) की संमति से, लिया गोद का पुत्र अपने दादा के धन को (अपनी दादी से) वापिस ले सकता है। तथा धन लौटा देनेवाली वह (पुत्रवधू की) सास गोद लेने की शक्ति से हीन हो जाती है ।

कथितं पूर्वमेवात्र यत्पत्याज्ञां विनैव हि ।
द्रविडेऽथ महाराष्ट्रेऽवीरा दत्तग्रहे क्षमा ॥३३२०॥

पहले ही इस (अध्याय) में कहा है कि मदरास और बंबई (प्रान्तों) में बिना पति और पुत्रवाली विधवा, पति की आज्ञा के बिना ही गोद ले सकती है ।

आसदायाऽपि सा पत्युः सपिण्डानामनुज्ञया ।
पत्र शक्ता स्वपत्यर्थं द्रविडे दत्तकग्रहे ॥३३२१॥

मद्रास में (पति का) दाय प्राप्त की हुई भी वह (विधवा) पति के सपिण्डों की अनुमति से ही अपने पति के लिए गोद ले सकती है।

महाराष्ट्रे पुनर्नैषा प्राप्तदाया त्वपेक्षते ।
स्वभर्तुर्हि सपिण्डानामनुज्ञां तत्कृते ध्रुवम् ॥३३२२॥

फिर बंबई में (पति-का) दाय-धन प्राप्त की हुई विधवा उस (गोद) के लिए, निश्चय ही, अपने पति के सपिण्डों की अनुमति की अपेक्षा (आवश्यकता) नहीं रखती।

परं स्वभर्तृदायश्चेदन्यहस्ते गतस्तदा ।
तस्याऽनुज्ञामवाप्यैव सा क्षमा तत्र तद्ग्रहे ॥३३२३॥

परन्तु यदि अपने पति का दाय-धन दूसरे के हाथ में चला गया हो, तो वहां पर (बंबई में) वह उस (धन के अधिकारी) की अनुमति प्राप्त करके ही उस (गोद) को लेने में समर्थ होती है।

अवीरया गृहीतोऽपि दत्तो नैव क्षमो मतः ।
स्त्रीधनं दत्तकादाद्या हर्तुं न्यायेन निश्चितम् ॥३३२४॥

बिना पति और पुत्रवाली विधवा का लिया भी दत्तकपुत्र गोद लेनेवाली का स्त्री-धन लेने में, निश्चय ही, न्याय से, समर्थ नहीं माना गया है।

दत्तकग्रहणात्पूर्वं समयो यः कृतो भवेत् ।
अवीरया, स मान्योऽत्र दत्तकेन, पुनश्च सः ॥३३२५॥
यतो हरति तद्भर्तुर्दायं तस्यास्ततो हि सा ।
क्षमा पत्यर्थतो लातुं वृत्तिं निर्वाहहेतवे ॥३३२६॥

बिना पति और पुत्रवाली विधवा ने गोद लेने के पहले जो शर्त की हो उसे, यहां पर, दत्तक-पुत्र को मानना चाहिए और फिर क्योंकि वह उस स्त्री के पति के दाय-धन को उस (स्त्री) से ले लेता है, इसलिए वह स्त्री (अपने) पति के धन में से निर्वाह (गुज़ारे) के लिए वृत्ति (खर्चा) ले सकती है।

मिताक्षराऽनुगे पृक्ते पत्यौ मृतेऽथवा यदि ।
पूर्वोक्तविधितो न्याय्यमुपादत्ते सुतं तदा ॥३३२७॥
तत्कालमेव पृक्तेऽर्थे स्वार्थस्तेन तु सृज्यते ।
तत्पतावपि तद्दत्ते न्यस्यते च पुनर्हि सः ॥३३२८॥

मिताक्षरा को माननेवाले साझे में रहे पति के मरने पर यदि विधवा पहले (श्लोक ३०११–३०२१, ३०३८–३०४५ और ३१०६–३१४५) में कही रीति से न्यायानुमोदित (दत्तक) पुत्र को (गोद) लेती है, तो उससे उसी समय साझे

को संपत्ति में स्वार्थ उत्पन्न (पैदा) कर दिया जाता है और फिर वह उस (विधवा) के पति के समान ही उसके गोद के पुत्र में स्थापित कर दिया जाता है (अर्थात्-उसके मृत पति के समान ही उसका दत्तक पुत्र भी साझे के धन में साझेदार हो जाता है)।

ज्येष्ठशाखास्थया नार्या गृहीतो दत्तकस्त्वतः।
संपत्त्यविभाज्यायां भुवो राज्यस्य वा पुनः॥३३२९॥
स्वाम्यं कनिष्ठशाखायां यातं स्वग्रहणात्पुरा।
पितुर्मरणतः प्रत्यादत्ते स्वकुलरीतितः॥३३३०॥

इससे बड़ी ((senior) शाखा में रही स्त्री द्वारा लिया गोद का पुत्र अपने (गोद) लेने के पहले पिता के मरने से छोटी (junior) शाखा में गये अविभाज्य (नहीं बाँटी जानेवाली) पृथ्वी (जमींदारी) या फिर राज्य के अधिकार को अपनी कुल की रीति के अनुसार पीछा ले लेता है। (देखो श्लोक ३१२४ से ३१३० तक)

कनिष्ठशाखागतया स्त्रियाऽऽत्तो दत्तकः क्षमः।
ज्येष्ठशाखागतां वृत्तिभूमिं लातुं तथैव च॥३३३१॥

और इसी प्रकार छोटी (junior) शाखा में रही स्त्री द्वारा गोद लिया दत्तक-पुत्र (उपर्युक्त कारण से) ज्येष्ठ (senior) शाखा में गई जीविका की भूमि को लेने में समर्थ होता है। (देखो श्लोक ३१३१ से ३१३४)।

पृक्तावेकावशिष्टिर्नो बाधिका दत्तकग्रहे।
यतो दत्तग्रहे शक्ताऽथवा यावद्धि जीवति॥३३३२॥
कुटुम्बं मन्यते तावत्पृक्तमेव तु तद् बुधैः।
अतस्तत्राऽपि विधवा दत्तकग्रहणे क्षमा॥३३३३॥

साझे में एक का पीछे बच रहना गोद लेने में बाधक नहीं होता, क्योंकि जब तक कुटुम्ब में गोद ले सकनेवाली एक भी विधवा जीवित रहती है, तब तक विद्वानों द्वारा वह साझे का (कुटुम्ब) ही माना जाता है। (देखो श्लोक ३१११ से ३११५)।

पृक्तावशिष्टमरणात्पृक्तं नांशो भवेत् परम्।
यत्र तत्र तु लभ्यन्ते विविधानि मतानि हि॥३३३४॥
महाराष्ट्रे पुरा तत्राऽथवासो दत्तकोऽभवत्।
अमान्योऽऽस्तु दायास्तेऽका कथाऽऽसीत्तदा भ्रुवम्॥३३३५॥
परं ततः कृतो मान्यो दत्तस्तत्र तथापि नो।
प्रत्यादातुं समर्थः सोऽपरहस्तगतं धनम्॥३३३६॥

परन्तु जहां साझेदारों में के अन्तिम बचे पुरुष के मरने से साझे का नाश हो जाता है, वहां पर अनेक तरह के मत मिलते हैं। बंबई (प्रान्त) में ऐसे स्थान पर पहले विधवा का लिया गोद का पुत्र अमान्य था। इसलिए उस समय निश्चय ही (उसके) दाय का धन पाने की तो कथा ही क्या थी (अर्थात्–बिलकुल नहीं थी)। परन्तु उसके बाद वहां पर दत्तक-पुत्र मान्य करदिया गया, तो भी वह दूसरे के हाथ में गये धन को वापस लेने में समर्थ नहीं हुआ।

मध्यप्रदेशे मान्योऽर्थं प्रत्याहर्तुं च स क्षमः।
कृतोऽभियोक्तुं शक्तश्चाऽर्थापव्ययकृते पुनः ॥३३३७॥
दाये स्वस्य ग्रहात्पूर्वमधिकारधरां स्त्रियम्।
चेत्तया व्ययितं वित्तं न्याय्यावश्यकतां विना ॥३३३८॥

मध्य-प्रदेश (सैंट्रल प्रौविंस) में (नागपुर हाइकोर्ट ने) उसे (ऐसी अवस्था में लिए गोद के पुत्र को) मान्य और धन वापस लेने में समर्थ करदिया है। तथा अपने (गोद) लेने से पहले दाय के धन पर अधिकार रखने वाली स्त्री पर, धन का अपव्यय करने के लिए, यदि उसने न्यायपूर्ण आवश्यकता के विना ही धन खर्च करदिया हो, तो मुकद्दमा चलाने में भी समर्थ करदिया है।

दत्तकग्रहणात् प्राग् विहितोऽर्थस्य व्ययः।

गोद लेने के पहले किया धन का खर्च।

अवीरया गृहीतस्य स्वाम्यं दत्तस्य संभवेत्।
दत्तादानदिनादेव नो पितुर्मरणात्पुनः ॥३३३९॥

फिर विना पति और पुत्रवाली विधवा स्त्री द्वारा लिए गोद के पुत्र का अधिकार गोद लेने के दिन से ही होता है, पिता के मरने के समय से नहीं।

गृहीतोऽघवयाऽप्येषोऽभियोक्तुं मातरं क्षमः।
स्वग्रहात्प्राक् कृतायाऽर्थव्ययायाऽपि कचित्पुनः ॥३३४०॥

फिर विधवा से लिया हुआ भी यह (दत्तक-पुत्र) कहीं-कहीं अपने (गोद) लेने से पहले किये धन के खर्च (alienation) के लिए भी माता पर मुकद्दमा चला सकता है। (देखो श्लोक ३३४४ से ३३५३ तक)

पित्रा दत्तग्रहात्पूर्वं कृतो यो हि व्ययः पुनः।
इच्छापत्रोपहाराभ्यां व्यक्तिगार्थस्य वाऽथवा ॥३३४१॥
पृक्तिस्थितनिजांशस्य मान्यः सोऽत्र मतो बुधैः।
तत ऊर्ध्वं गृहीतेन दत्तेनौरसपुत्रवत् ॥३३४२॥

फिर पिता ने गोद लेने के पहले इच्छापत्र (will) या उपहार (gift) द्वारा जो (अपने) व्यक्तिगत (निजी) धन का अथवा साझे में रहे अपने भाग

का व्यय (alienation) किया हो, विद्वानों ने उसे उस (व्यय करने) के बाद लिए दत्तक-पुत्रद्वारा, असली पुत्र के समान ही, मान्य माना है। (अर्थात्-जिस प्रकार वह व्यय औरस पुत्र के लिए मान्य होता है, उसी प्रकार दत्तक-पुत्र के लिए भी होता है)। (देखो श्लोक ३३७० और ३३७१ से ३३७५ तक)।

मध्यप्रदेशे द्रविडे महाराष्ट्रे कृतो व्ययः।
पृक्तांऽशादधिकस्याऽपि पित्रा दत्तेन मन्यते ॥३३४३॥

मध्यप्रदेश, मद्रास और बंबई प्रान्त में पिता द्वारा किया साझे के धन के भाग से अधिक का खर्च भी गोद के पुत्र से माना जाता है। (देखो श्लोक ३३७४ से ३३७५)।

अवीरया गृहीतेऽत्र दत्ते स्वाम्यं प्रणश्यति।
तस्यास्तदुत्तराणां च दायादानां तु तद्धने ॥३३४४॥
अतः सा दत्तकाऽऽदानाऽनन्तरं न क्षमा मता।
व्ययितुं स्वस्य पत्युर्हि धनांऽशमपि कञ्चन ॥३३४५॥

यहां पर बिना पति और पुत्रवाली स्त्री द्वारा गोद के पुत्र को लेने पर उस (स्त्री) का और उसके बाद के हकदारों का अधिकार उस धन पर नष्ट हो जाता है। इसलिए वह (स्त्री) गोद लेने के बाद अपने पति के धन के किसी भी भाग को खर्च करने में समर्थ नहीं मानी गई है।

न्याय्याऽनिवार्यताहेतो रासन्नानामथो पुनः।
प्रत्यादानामनुज्ञातो व्ययितं चेद्धनं स्त्रिया ॥३३४६॥
प्रमीतभर्तृसंप्राप्तसंपत्तेर्हि तदा तु सः।
पश्चादात्तेन दत्तेन मान्यः प्रत्यादवत्स्वयम् ॥३३४७॥

यदि स्त्री ने मरे हुए पति से प्राप्त हुई संपत्ति से, न्याय्य (legal) आवश्यकता के लिए या फिर पास के (next) हकदारों (reversioners) की अनुमति (consent) से धन खर्च किया हो, तो वह (खर्च) पीछे गोदलिए पुत्र को हकदारों (reversioners) के समान ही खुद भी मानलेना चाहिए।

विधयाऽऽसन्नपूर्णेशप्रत्यादसद्योगतः।
पतिप्राप्तं व्ययेन् सर्वं न्याय्याऽवश्यकतामृते ॥३३४८॥
अपि वित्तं तदा मान्यः स व्ययो, भवतीह च।
पुमान्सर्वत्र पूर्णेशो महाराष्ट्रे सुताऽपि च ॥३३४९॥

यदि विधवा स्त्री नज़दीक के (next) पूर्णाधिकारी हकदारों (reversioners) के सहयोग से, न्याय्य (legal) आवश्यकता के बिना भी, पति से प्राप्त हुए सारे धन को खर्च करदे, तो वह खर्च मानने लायक होता है और यहां पर सब

जगह पुरुष पूर्णाधिकारी होता है और बंबई प्रान्त में कन्या भी (पूर्णाधिकारिणी होती है)।

न्याय्याऽवश्यकताऽभावेऽभावे वा सम्मतेः पुनः ।
प्रत्यादानां पुरोक्तानामथवा चेद्व्ययेद्धनम् ॥३३५०॥
आ स्वाम्यं विधवायाः स तर्हि मान्यो मतो बुधैः ।
अतो दत्तग्रहान्ते तमर्थं धर्तुं न स क्षमः ॥३३५१॥
येन प्राप्तः स्त्रिया सोऽत्राऽधिकारो दत्तकस्य चेत् ।
न नष्टो न्यायनिर्णीतसमयस्य समाप्तितः ॥३३५२॥

यदि विधवा स्त्री न्याय्य (legal) आवश्यकता के बिना या फिर पहले कहे (पास के) हकदारों (reversioners) की संमति के बिना धन खर्च (alienate) करदे, तो विद्वानों ने उस (खर्च) को विधवा के मालिक रहने तक मान्य माना है । इसलिए (उस विधवा के) गोद लेने के बाद, यदि गोद के पुत्र का अधिकार कानून से निश्चित किए समय (limitation) के बीत जाने से नष्ट न हो गया हो, तो जिसने यहां पर (उस) स्त्री (विधवा) से उस (धन) को पाया हो, वह (पुरुष) उस धन को नहीं रख सकता ।

स्वामित्वं दत्तकस्यात्र विधवाया मृतिं नहि ।
अपेक्षते समासन्नप्रत्यादस्येव निश्चितम् ॥३३५३॥

गोद लिए हुए पुत्र का अधिकार निश्चय ही पास के हकदार (reversioner) के अधिकार के समान विधवा के मरने की राह नहीं देखता (अर्थात्–पास का हकदार तो विधवा के मरने पर अधिकारी होता है परन्तु गोद का पुत्र उस (विधवा) के जीते जी ही अधिकारी हो जाता है)।

अनुमत्या निजासन्नप्रत्यादानां कृते पुनः ।
धनव्यये विधवया न्याय्याऽवश्यकतामृते ॥३३५४॥
न्याय्याऽवश्यकताऽभावं चेद्दत्तस्तु प्रमाणयेत् ।
न्यायेन स व्ययोऽमान्यस्तदा स्यान्नात्र संशयः ॥३३५५॥

फिर विधवाद्वारा न्याय्य (legal) आवश्यकता के बिना अपने नजदीकी हकदारों (reversioners) की संमति से धन का व्यय करने पर यदि गोद का पुत्र न्याय्य (legal) आवश्यकता के अभाव को प्रमाणित करदे, तो वह खर्च (alienation) कानून से अमान्य हो जाता है । इसमें संशय नहीं है ।

अवधिर्दत्तकादानान्मतोऽत्र द्वादशाब्दिकः ।
दत्तकायाभियोक्तुं तं जनं यस्त्वग्रहीद्धनम् ॥३३५६॥
विधवातः, परं यत्र सा व्यक्रीणीत संपदम् ।
न्याय्याऽवश्यकताऽभावे तत्र नो बाधकोऽवधिः ॥३३५७॥

अमान्य एव विज्ञातो यतस्तत्र तु विक्रयः।
अतः स विक्रयोपेक्षोऽभियुञ्जीतेशताकृते ॥३३५८॥

यहां पर जिसने विधवा से धन लिया हो, गोद के पुत्र के लिए उस पर मुकद्दमा चलाने की अवधि, गोद लेने के समय से, बारह वर्ष की मानी है (Indian Limitation Act 1908, art.141) परन्तु जहां पर उस (विधवा) ने न्याय्य (legal) आवश्यकता के विना संपत्ति बेची हो, वहां पर (यह) अवधि बाधक नहीं होती। क्योंकि वहां पर बेचना अमान्य ही माना गया है। इसलिए बेचने की परवाह न करनेवाला वह (दत्तक पुत्र) अधिकार के लिए मुकदमा चला सकता है।

प्रागात्तस्तु मृतो दत्तः मुक्त्वा दायाधिकारिणीम्।
मातरं च ततः सोऽर्थो व्ययितः स्यात्तया तदा ॥३३५९॥
तदुत्तरं गृहीतो नाऽभियोक्तुं दत्तकः क्षमः।
तदर्थमिति शास्त्रेषु वचनं नोपलभ्यते ॥३३६०॥

पहले लिया गोद का पुत्र माता को दाय (धन) की अधिकारिणी छोड़कर मर गया हो और उसके बाद उस (स्त्री) ने वह धन खर्च कर दिया हो, तो उसके बाद लिया गोद का पुत्र उस (खर्च—alienation) के लिए मुकद्दमा नहीं चला सकता—ऐसा (हिन्दू) शास्त्रों में वचन (rule) नहीं मिलता।

अवैधानिकस्य दत्तकग्रहणस्य परिणामः।

न्याय विरुद्ध गोद लेने का नतीजा।

साधारण्येन यत्र स्याद्वास्तवो दत्तकग्रहः।
किन्त्वन्याय्यो न लभते तत्राऽसावधिकारिताम् ॥३३६१॥
दत्ताऽऽदातुः कुले, नैव हीयते चाधिकारतः।
स्वीये जन्मकुले नूनं विद्वद्भिरिति निश्चितम् ॥३३६२॥

साधारण तौर से जहां पर वास्तव में गोद लिया गया हो, परन्तु (वह) न्याय से अनुमोदित न हो, वहां पर वह (गोद का पुत्र) गोद लेनेवाले के कुटुम्ब में अधिकार नहीं पाता और निश्चय ही अपने जन्म के कुटुम्ब में अधिकार से हीन नहीं होता—ऐसा विद्वानों ने निश्चित किया है।

उपहारेण वा स्वीयमृतिपत्रेण चेन्नम्।
दत्तो ममायमिति तु निरूप्यात्र प्रदीयते ॥३३६३॥
अनाय किन्तु नासौ स्याद् गृहीतो दत्तकत्वतः।
गृहीतो वाऽप्यमान्योऽसावन्याय्यत्वेन निश्चितम् ॥३३६४॥

न्याय्यत्वं तर्हि दानस्य दानपत्रस्य लेखतः ।
तत्कालीनपरिस्थित्याऽथवा निर्णीयते ध्रुवम् ॥३३६५॥

उपहार (gift) या अपने मृत्युपत्र (will) द्वारा, यह मेरा गोद का पुत्र है-ऐसा निरूपण (describe) करके, यदि (किसी) पुरुष को यहां पर धन दिया जाता है, परन्तु वह गोद की तरह से नहीं लिया गया होता है या (गोद) लिया होने पर भी, कानून के विरुद्ध होने से निश्चय हीं अमान्य होता है, तो दान की उचितता दान-पत्र के लेख (शब्दों) से या उस लिखने के समय की परिस्थिति (circumstances) से निश्चयरूप से निर्णय की जाती है।

उपकर्तुं हि निर्दिष्टं जनमिच्छा भवेद्यदि ।
दातुस्तथा च संयोगः संबन्धस्य तु केवलम् ॥३३६६॥
व्याख्यार्थमेव तत्र स्यात्तर्ह्यसत्येऽपि निश्चितम् ।
संबन्धे दानपत्रं तन्मान्यमेवात्र मन्यते ॥३३६७॥

यदि देनेवाले की निर्दिष्ट पुरुष को लाभ पहुँचाने की इच्छा हो, तथा वहां पर उसकी रिश्तेदारी का संयोग केवल व्याख्या (description) के लिए ही किया हो, तो (उस) संबन्ध के, निश्चय रूप से असत्य होने पर भी, यहां पर, वह दान-पत्र मान्य ही माना जाता है।

परं चेत्कल्पितो दत्तसंबन्धो दानकारणम् ।
तत्प्रेरकस्तथा तत्र नियमस्तर्हि निश्चितम् ॥३३६८॥
संबन्धस्यत्वमान्यत्वे निर्णीते दानपत्रकम् ।
तदमान्यं भवेद्धीनं प्रभावेणाऽप्ययो पुनः ॥३३६९॥

परन्तु यदि वह कल्पना किया हुआ गोद के पुत्र होने का संबन्ध (ही) दान का कारण हो या उस (दान) का प्रेरक हो अथवा उस (दान) में शर्त हो, तो संबन्ध (गोद) के अमान्य निश्चित कर दिये जाने पर (वह) दान-पत्र, निश्चय हीं, अमान्य हो जाता है और फिर प्रभाव (effect) से भी हीन हो जाता है।

प्रमाणविधिस्तदवष्टम्भश्च ।

प्रमाण का तरीका और उसकी रुकावट ।

प्रमाणयन्तेऽभियोगेषु विषया अपरे यथा ।
तथैव दत्तकस्याऽपि ग्रहणं साधयेन्नरः ॥३३७०॥

जिस प्रकार मुकद्दमों में दूसरे विषय प्रमाणित किये जाते हैं, उसी प्रकार पुरुष गोद के पुत्र का लेना भी सिद्ध करे।

यद्यप्यत्र विशिष्टा नो नियमास्तत्प्रमाणने ।
तथाप्यावश्यकानि स्युः साक्ष्याण्यविकलानि तु ॥३३७१॥

यद्यपि यहां पर (गोद के विषय में) उस (गोद) को प्रमाणित करने में विशेष नियम नहीं है, तथापि (यहां पर) पूरे-पूरे प्रमाणों की आवश्यकता होती है ।

यः प्राकृतं हि दायादं वञ्चयित्वा धनग्रहात् ।
तत्स्थाने तु जनं दत्तनाम्ना स्थापयतेऽपरम् ॥३३७२॥
स एव तत्कृते नूनं प्रमाणान्यपि दर्शयेत् ।
भारो गुरुतरो ह्येष गम्भीरश्च मतो यतः ॥३३७३॥

जो (पुरुष) कुदरती हकदार को धन लेने से वञ्चित कर उसके स्थान पर दूसरे को गोद के पुत्र के नाम से स्थापित करता है, वही उसके लिए प्रमाण भी उपस्थित करे । क्योंकि यह जिम्मेदारी बड़ी और गम्भीर मानी गई है ।

परं यत्राऽधिकारात्ते बहुकालोत्तरं कृतम् ।
दत्तादानं भवेत्तत्र भारो गुरुतमः पुनः ॥३३७४॥

परन्तु फिर जहां पर (पति से गोद लेने का) अधिकार पाने के बहुत काल बाद गोद लिया हो, वहां पर जिम्मेदारी और भी भारी हो जाती है ।

पञ्चपञ्चाशदब्दान्ते दत्तकग्रहणस्य चेत् ।
साध्यते ह्यमान्यत्वं तर्हि निर्णयकारिभिः ॥३३७५॥
आनुकूल्येन तत्सिद्धावतिकालगमाच्चनु ।
प्रमाणाभावमालोच्य प्रदेयो निर्णयो निजः ॥३३७६॥

यदि गोद लेने के पचपन वर्ष बाद उसकी अमान्यता सिद्ध की जाय, तो निर्णय करनेवालों को बहुत समय बीत जाने से उसकी सिद्धि में प्रमाणों के अभाव पर अनुकूलता से (favourably) विचार कर अपना निर्णय देना चाहिए ।

यत्र साक्ष्यविधानस्याऽनुसारेण हि दत्तकः ।
अमान्य इति कृत्वैव प्रत्यादैरभियुज्यते ॥३३७७॥
नूनं पत्या त्वधिकृता दत्तकग्रहणेऽभवम् ।
इति मातुर्वचः साक्ष्येऽग्राह्यमनेरितं बुधैः ॥३३७८॥

जहां पर गवाही के कानून [The Indian Evidence Act, 1872 (section 32 or 33] के अनुसार हकदारों (reversioners) द्वारा दत्तक अमान्य है- ऐसा कहकर (उस पर) मुकदमा चलाया जाता है, वहां पर मैं पति से गोद लेने में अधिकृत थी-ऐसा माता का वचन विद्वानों ने गवाही में अग्राह्य (नहीं ग्रहण करने लायक) कहा है ।

यस्मै मया निजं रिक्थं दीयते सोऽस्ति दत्तकः ।
ममेति मृतिपत्रे चेल्लिखितं स्यात्तदा तु नन् ॥३३७९॥

पत्रं साक्ष्ये समादेयं यतस्तत्साधकं मतम्।
मृतरिक्थधरस्याऽत्र दत्तकत्वस्य निश्चितम् ॥३३८०॥

जिसको मैं अपना धन देता हूँ वह मेरा गोद का पुत्र है- यदि ऐसा मृति-पत्र (will) में लिखा हो, तो वह पत्र गवाही में ले लेना चाहिए। क्योंकि वह यहां पर मृत पुरुष के दाय-धन को लेनेवाले के गोद का सिद्ध करने वाला माना गया है।

अभियोक्तुं समर्थेन पुंसा चेद् घोषणेन वा।
कर्मणोपेक्षया वाथ जनो विश्वासितोऽपरः ॥३३८१॥
कस्याऽपि विषयस्याऽत्र सत्यत्वे ज्ञानपूर्वकम्।
विश्वस्तेन पुनस्तेन तथैव विहितं तदा ॥३३८२॥
तदर्थं स तथा चान्ये तन्नियुक्ता जना अपि।
अभियोक्तुमशक्तास्तं तस्य प्रतिनिधीनथ ॥३३८३॥
अभियोगे पुनर्जाते तयोर्मध्ये तु तत्कृते।
प्रत्याख्यातुं तु तत्सत्यं पूर्वे स्युर्न्यायतोऽक्षमाः ॥३३८४॥

यदि मुकद्दमा चलाने में समर्थ पुरुष ने जान-बूझ कर घोषणा (declaration) द्वारा, कर्म (act) द्वारा या उपेक्षा (omission) द्वारा दूसरे पुरुष को किसी विषय के सत्य होने में विश्वास दिला दिया हो और उस विश्वास किये हुए पुरुष ने वैसे ही करलिया हो, तो उस (काम) के लिए वह (विश्वास दिलानेवाला) और उसके द्वारा नियुक्त दूसरे पुरुष (उसके प्रतिनिधि) भी उस (कार्य करनेवाले) पर और उसके प्रतिनिधियों पर मुकद्दमा नहीं चला सकते। फिर उन (विश्वास दिलानेवाले और विश्वास करनेवाले) दोनों के बीच उस कार्य के लिए मुकद्दमा होने पर पहले (विश्वास दिलानेवाला और उसके प्रतिनिधि) कानून के अनुसार उस सत्य का विरोध नहीं कर सकते।

अवष्टम्भोऽधिकारस्य ह्येष व्यक्तिगतस्ततः।
अन्ये स्वतन्त्रदायादाः शक्तास्तत्प्रतिषेधने ॥३३८५॥

यह (मुकद्दमा चलाने के) अधिकार की रोक (estopal) व्यक्तिगत होती है। इसलिए दूसरे स्वतन्त्र (independent title वाले) हकदार उस (गोदलेने) का निषेध कर सकते हैं।

अक्षमः स्याज्जनः शुद्धाशयेनाथ भ्रमेण वा।
स्थितेरज्ञानतश्चाऽपि जनं विश्वासयन्पुनः ॥३३८६॥

फिर पुरुष शुद्ध खयाल से, भ्रम से या स्थिति की अज्ञानता से भी (अन्य) मनुष्य को विश्वास देता हुआ (अभियोग चलाने में) असमर्थ हो जाता है।

गताऽधिकार इत्येवं मिथ्याकथनतो जनः।
हीयते नाऽधिकारेण सत्यं तत्र त्वपेक्षितम् ॥३३८७॥

(मुकद्दमा चलाने के) अधिकार से हीन है-इस प्रकार झूठ कहने से मनुष्य अधिकार से हीन नहीं होता । वहां पर सच (सचाई) की आवश्यकता होती है ।

न्याय्यो दत्तग्रहस्त्वेष मिथ्यैव कथनेन नो ।
अवष्टम्भोऽधिकारस्य विद्वद्भिः परिकीर्तितः ॥३३८८॥

यह गोद लेना कानून से मान्य है-इस प्रकार झूठ कह देना विद्वानों ने (अभियोग चलाने के) अधिकार की रुकावट नहीं कहा है ।

केवलोपस्थितिर्दत्तग्रहणे याऽस्य संमतिः ।
न वाधिकाऽधिकारस्य मता तत्राऽभियोजने ॥३३८९॥

गोद लेने में केवल उपस्थिति (हाज़िरी) या संमति वहां पर मुकद्दमा चलाने में अधिकार की बाधक नहीं मानी गई है ।

यदा दत्तग्रहो ज्ञातो वादिना तद्दिनात्पुनः ।
आषड्वर्षं मतः सोऽत्र प्रमाणयितुमीश्वरः ॥३३९०॥
अमान्यत्वं हि दत्तस्याऽग्रहणं तस्य वा पुनः ।
निर्णाययितुमीशीत न्यायेशैस्तदमान्यताम् ॥३३९१॥

वादी (plaintiff) को जब गोद लेने का पता चले उस दिन से छ वर्ष तक वह, यहां पर, गोद के पुत्र की अमान्यता को या उसके (गोद) नहीं लिये जाने को प्रमाणित कर सकता है, तथा न्यायाधीशों से उस (दत्तक) की अमान्यता निर्णय करवा सकता है । (देखो The Indian Limitation Act 1908, Sch. 1, Art. 118)

यदा दत्ताधिकारे स्याद्धस्तक्षेपोऽपरस्य तु ।
षड्वार्षिकोऽवधिस्तत्र तद्दिनादेव निश्चितः ॥३३९२॥
अभियोक्तुं स्वमान्यत्वसिद्ध्यर्थं प्रतिवादिनः ।
निर्णाययितुमीशश्च स तस्मिन्निजमान्यताम् ॥३३९३॥

गोद के पुत्र के अधिकार में जब दूसरे का हस्तक्षेप हो तब वहां पर उसी दिन से, अपनी मान्यता की सिद्धि के लिए प्रतिवादियों पर मुकद्दमा चलाने को छ वर्ष की अवधि निश्चित की गई है और वह उस (अवधि) में अपनी मान्यता का निर्णय करवा सकता है ।

कृत्रिमपुत्राऽऽदानम् ।

कृत्रिम पुत्र का लेना ।

कृत्रिमस्तु सुतो मान्यो मिथिलायां विधानतः ।
तत्समीपप्रदेशेषु चैव नान्यत्र कुत्रचित् ॥३३९४॥

मिथिला में और उसके पास के प्रदेशों में ही कृत्रिम पुत्र कानून से मान्य होता है और कहीं नहीं होता।

नारी वा पुरुषः शक्तस्तमादातुं निजेच्छया।
कृत्रिमादानविधयो वदयन्तेऽग्रे सुनिश्चिताः ॥३३९५॥

स्त्री या पुरुष अपनी इच्छा से उस (कृत्रिम-पुत्र) को ले सकता है। आगे कृत्रिम-पुत्र लेने की निश्चित रीतियाँ कही जाती हैं।

कृत्रिमग्रहणे तस्याऽनुमतिर्वाञ्छिता यतः।
अतोऽवयः स्थो निर्णीतिक्षमं वय उपागतः ॥३३९६॥
ग्राह्यस्तत्पितृसंमत्या स पुत्रस्तत्र निश्चितम्।
कर्तृ-पुत्राख्ययाऽप्येष एव तत्र प्रकीर्तितः ॥३३९७॥

क्योंकि कृत्रिम-पुत्र के लेने में उसकी (खुद की) अनुमति की आवश्यकता होती है, इसलिए नाबालिग (परन्तु) निर्णय कर सकने लायक अवस्था (age of discretion) को प्राप्त हुआ वह (कृत्रिम) पुत्र, वहाँ पर निश्चय ही, उसके माता और पिता की संमति से लेना चाहिए। यही वहाँ पर (मिथिला आदि में) कर्ता-पुत्र के नाम से भी कहा गया है।

समानजातिको ग्राह्यः पित्रा पुत्रस्तु कृत्रिमः।
तद्वयस्तस्य संबन्धश्चादात्रा नैव चिन्त्यते ॥३३९८॥

पिता को अपनी ही जाति का कृत्रिम-पुत्र लेना चाहिए। उस (पुत्र) की अवस्था और उसका लेनेवाले के साथ का रिश्ता नहीं विचारा जाता। (अर्थात्- इनसे उसके लेने में बाधा नहीं पड़ती।)

आवश्यकस्तु नो लेखो धर्मकृत्यानि वाऽथवा।
नाऽनिवार्याणि पुत्रस्य कृत्रिमस्य परिग्रहे ॥३३९९॥

कृत्रिम-पुत्र के लेने में न तो लेख आवश्यक होता है, न धार्मिक काम (ही) जरूरी होते हैं।

जायापती क्षमौ स्वं स्वमादातुं कृत्रिमं सुतम्।
तथैव विधवाऽऽदातुं निजार्थं तं क्षमा पुनः ॥३४००॥

पत्नी और पति अपने-अपने कृत्रिम-पुत्र को ले सकते हैं। फिर उसी प्रकार विधवा (भी) अपने लिए उसे ले सकती है।

न भार्या न पतिप्राप्ताधिकाराऽप्यथवा क्षमा।
पत्यर्थं कृत्रिमं पुत्रमादातुं तु कथञ्चन ॥३४०१॥

न पत्नी, न पति से अधिकार पाई हुई भी विधवा पति के लिए कृत्रिम-पुत्र लेने में किसी भी तरह समर्थ होती है।

स्वकृते कृत्रिमादाने भार्याऽन्येषामपेक्षते।
नाऽनुज्ञां, न निजस्याऽत्र पत्युश्चाऽपि हि संमतिम् ॥३४०२॥

पत्नी अपने लिए कृत्रिम-पुत्र लेने में न दूसरों की अनुमति और न इसमें अपने पति की संमति की ही आवश्यकता रखती है।

तथैव विधवा शक्ता ग्रहीतुं कृत्रिमं सुतम्।
स्वस्मै पत्युः सपिण्डानामनवाप्यैव संमतिम् ॥३४०३॥

इसी प्रकार विधवा (भी) पति के सपिण्डों की संमति पाये विना ही अपने लिए कृत्रिम-पुत्र ले सकती है।

कृत्रिमो हीयते नात्राऽधिकारात्स्वपितुः कुले।
ग्रहीतुरेव दायं चादत्ते तस्य कुले पुनः ॥३४०४॥

कृत्रिम-पुत्र अपने (जन्म-दाता) पिता के वंश में अधिकार से हीन नहीं होता और फिर लेनेवाले के वंश में उसी का दाय (धन) लेता (पाता) है (दूसरे का नहीं)।

२४ अवयःस्थता रक्षकता च।

नाबालिगपन और रक्षकपन।

वङ्गे पञ्चदशाब्दान्ते वयस्थो जायते नरः।
अन्यत्र षोडशाब्दान्ते स वयस्थो मतः परम् ॥३४०५॥
नेत्रत्र्यङ्कैकवर्षीयवयःप्राप्तिविधानतः।
वयः प्राप्तिकृते सीमा निश्चिता सर्वभारते ॥३४०६॥

बंगाल में पन्द्रह वर्ष पूरे होने पर पुरुष बालिग होता है। दूसरे स्थानों पर वह सोलह वर्ष पूरे होने पर बालिग माना गया है। परन्तु वि० सं० १९३२ (ई० सं० १८७५) में बहे-गये (बने) बालिग होने के कानून (The Indian Majority Act) से समस्त भारतवर्ष में बालिग होने की सीमा निश्चित करदी गई है।

रक्षार्थमवयस्थस्य तदर्थस्याथवा पुनः।
नियुक्तो रक्षको यत्र न्यायगेहाधिकारिभिः ॥३४०७॥
तदर्थस्याथवा रक्ष्य-रक्षकालयसूरिभिः।
गृहीतं रक्षकत्वं हि यत्र तत्र तु निश्चिता ॥३४०८॥
एकविंशतिवर्षान्ते तस्य नूनं वयस्थता।
अन्यत्राष्टादशाब्दान्ते सा निर्णीता सुनिश्चितम् ॥३४०९॥

जहां पर न्यायालय के अधिकारियों ने नाबालिग की रक्षा के लिए या फिर उसके धन की रक्षा के लिए रक्षक (guardian) नियुक्त करदिया हो अथवा जहां नाबालिगों के लिए बनाई अदालत (court of wards) के विद्वानों ने

रख (नाबालिग) के धन की रक्षा का काम (स्वयं) ले लिया हो, वहां पर इक्कीस वर्ष के बाद उसका बालिग होना, निश्चित रूप से, निश्चित किया गया है और दूसरी जगह वह (बालिग होना) अठारह वर्ष के बाद पूरी तौर से तय किया है।

परं तूपयमे तस्योच्छेदे वा यौतके पुनः।
दत्तकग्रहणे नैतद्विधानमुपयुज्यते ॥३४१०॥

परन्तु विवाह में उसके विच्छेद (divorce) में, दहेज के धन (dower) में और गोद लेने में इस कानून का उपयोग नहीं होता। (विवाह के लिए देखो श्लोक २७४२ से २७४५ तक और गोद के लिए श्लोक २१३१ से २१४१ तक)

रक्षकास्त्रिविधास्तत्र प्राकृता वा नियोजिताः।
पित्रा स्वमृतिपत्रेण, न्यायाधीशैः कृताः पुनः ॥३४११॥

वहां (नाबालिगी में) रक्षक तीन तरह के होते हैं। कुदरती (स्वाभाविक), पिता से अपने इच्छापत्र (will) द्वारा नियुक्त किये और अदालत के अधिकारियों द्वारा बनाये।

प्राकृतो रक्षकः।

कुदरती रक्षक।

पिता तु प्राकृतः पूर्वं रक्षकोबालसन्ततेः।
व्यक्तिगस्य तदर्थस्य चापि माता तदुत्तरम् ॥३४१२॥

पिता (अपनी) नाबालिग संतान का और उसके व्यक्तिगत धन का भी पहला स्वाभाविक रक्षक होता है। उसके बाद माता (रक्षक होती है)।

परन्तु मृतिपत्रेण यत्र पित्रा नियोजितः।
सन्तते रक्षकस्त्वन्यस्तत्र माता न रक्षिका ॥३४१३॥

परन्तु जहां पर पिता ने बालकों की रक्षा के लिए, मृति-पत्र (will) द्वारा, दूसरा (पुरुष) नियुक्त कर दिया हो, वहां माता रक्षिका (guardian) नहीं होती। (देखो श्लोक ३५१६ से ३५३४ तक।)

विहाय पितरौ नान्यो बालरक्षाधिकारवान्।
तयोरभावे न्यायेश आसन्नं पितृबान्धवम् ॥३४१४॥
तदभावेऽन्तिकं मातृबान्धवं च नियोजयेत्।
न्यायालयनियुक्तः पुंबंधुरेवात्र रक्षकः ॥३४१५॥

पिता और माता को छोड़कर दूसरा बालक की रक्षा का अधिकारी नहीं होता। उनके न होने पर न्यायाधीश पिता के पास के बन्धु (nearest male paternal kinsman) को और उसके अभाव में माता के पास के बन्धु को

नियुक्त करे। न्यायालय द्वारा नियुक्त किया पुरुष-बन्धु (male kinsman) ही, यहां पर, रक्षक होता है।

परं बालहितायात्र त्यक्त्वा तत्पितृबान्धवम्।
न्यायाधिपो नियोक्तुं हि शक्तस्तन्मातृबान्धवम् ॥३४१६॥
तयोरुभौ तु तौ त्यक्त्वा नियोक्त्रपरं जनम्।
अपि शक्तः स यत्तत्र मुख्यं बालहितं मतम् ॥३४१७॥

परन्तु न्यायाधीश नाबालिग् के हित के लिए उस (बालक) के पिता के बन्धु को छोड़कर उसकी माता के बन्धु को नियुक्त कर सकता है। उसी प्रकार, वह उन दोनों (पिता के बन्धु और माता के बन्धु) को छोड़कर दूसरे (stranger) पुरुष को भी नियत कर सकता है; क्योंकि यहां पर नाबालिग् का हित ही मुख्य माना गया है।

अवयस्थस्य योग्येऽत्र सति ताते नहि क्षमः।
न्यायालयो नियोक्तुं तद्रक्षकत्वेऽपरं जनम् ॥३४१८॥

(परन्तु) यहां पर नाबालिग के योग्य (fit) पिता के विद्यमान् होने पर न्यायालय उसकी रक्षा के लिए दूसरे पुरुष को रक्षक नहीं बना सकता।

मिताक्षराऽनुगस्यात्र दायभागानुगस्य वा।
अवयस्थस्य रक्षार्थं रक्षकस्तु नियुज्यते ॥३४१९॥

मिताक्षरा के अनुयायी या दायभाग को माननेवाले नाबालिग की रक्षा के लिए रक्षक नियुक्त किया जाता है।

मिताक्षरानुगस्याथाऽवयस्थस्य निजं धनम्।
संसृष्टद्रव्यतो भिन्नं पातुमेव स योज्यते ॥३४२०॥

और मिताक्षरा को माननेवाले नाबालिग के सामे के धन से भिन्न निजी (seperate) धन की रक्षा के लिए ही वह (रक्षक) नियुक्त किया जाता है।

दायभागानुगस्यात्र संसृष्टं व्यक्तिगं तथा।
द्रविणं रक्षितुं नूनं नियुक्तिस्तस्य संमता ॥३४२१)

तथा, यहां पर, दायभाग को माननेवाले (नाबालिग) के सामे के और निज के धन की रक्षा के लिए निश्चय ही उस (रक्षक) की नियुक्ति मानी है। (देखो श्लोक १७०० से १७०५ तक)।

स्वबालसतते रक्षा पूत कर्मास्ति पैतृकम्।
स्वस्मिञ्जीवति तत्तत्र स नियुञ्जीत नापरम् ॥३४२२॥

अपनी नाबालिग संतान की रक्षा करना पिता का पवित्र काम है। इसलिए वह अपने जीते जी दूसरे को उस (काम) में नियुक्त न करे।

परं शक्तो नियोक्तुं स सततेर्हितकाम्यया।
अन्यं तत्मेदकं तस्य विद्याभ्यासादिहेतवे ॥३४२३॥

नियुक्तस्य विसृष्टयै च किन्तु न्यायालयाधिपः।
अवयस्थहितायैव शक्तस्तत्प्रतिषेधने ॥३४२४॥

परन्तु वह (पिता) संतान के हित की कामना से उस (संतान) की, पढ़ाई आदि के लिए दूसरे को उसका देख-भाल करनेवाला (guardian) बना सकता है और उस बनाये हुए को हटा सकता है। परन्तु न्यायाधीश नाबालिग के हित के लिए (ही) (उसको) इस (हटाने के कार्य के लिए) मना कर सकता है।

संततेर्जातमात्राया मातुः प्राग् जनको मतः।
रक्षकस्तन्मृतावेव सा स्याद्रक्षाधिकारिणी ॥३४२५॥

संतान के उत्पन्न होते ही माता के पहले पिता (उसका) रक्षक माना गया है। उस (पिता) के मरने पर ही वह (माता) रक्षा (करने) के अधिकारवाली होती है।

असमर्थोऽवयस्थोत्र त्यक्त्वा भार्यां च संततिम्।
रक्षकत्वपदं प्राप्तुमन्यस्य तु विधानतः ॥३४२६॥

नाबालिग यहां पर अपनी स्त्री और संतान को छोड़कर दूसरे के रक्षक पद को प्राप्त करने में कानून से असमर्थ होता है।

भर्त्रिच्छापत्रसंप्राप्ताधिकारा विधवा पुनः।
यत्रादत्ते सुतं दत्तं तत्र तस्याः क्षयोत्तरम् ॥३४२७॥
नियुञ्जीत यथाशक्यमादातृपितृबान्धवम्।
दत्तरक्षाकृते त्यक्त्वा जनकं तस्य निश्चितम्। ॥३४२८॥

फिर जहां पति के इच्छापत्र द्वारा अधिकार पाई हुई विधवा गोद के पुत्र को लेती है, वहां पर उसके मरने के बाद जहां तक हो, बालक की रक्षा के लिए, उसके जन्मदाता पिता को निश्चित रूप से छोड़कर, गोद लेनेवाले पिता के बन्धु (कुटुम्बी) को नियुक्त करे।

तथैव यत्र जनकनियुक्त्याऽऽदातृनिश्चितः।
आशयो लेखगो नश्येत्तत्र नो तन्नियोजनम् ॥३४२९॥

उसी प्रकार जहां जन्म-दाता पिता के (रक्षक) नियुक्त करने से गोद लेनेवाले का निश्चित किया लेख (will) में लिखा अभिप्राय नष्ट होता हो, वहां उस (जन्मदाता पिता) को नहीं नियुक्त करना चाहिए।

मिताक्षरानुगे पृक्तकुटुम्बे पृक्तिमाश्रितः।
अवयस्थो भवेद्यत्र तत्र कर्ता पिता स्वयम् ॥३४३०॥
अतः स बालभागेन सहितां पृक्तिगां श्रियम्।
सर्वां स्वकर्तृभावेन नियन्त्रयितुमीश्वरः ॥३४३१॥

जहां पर मिताचरा को माननेवाले साझे के कुटुम्ब में साझेदार नाबालिग हो, वहां पिता खुद कर्ता (manager) होता है। इसलिए वह अपने कर्ता होने से (उस) बालक के हिस्से के साथ ही साझे में रही सारी संपत्ति का प्रबन्ध करने में समर्थ होता है।

माता नाधिकृता यस्मात्पृक्तसंपत्तिरक्षणे।
तच्छक्तिस्तु तदन्तेऽतो याति ज्येष्ठं हि तत्सुतम् ॥३४३२॥

क्योंकि माता साझे के धन की रक्षा करने में अधिकारिणी नहीं की गई है, इसलिए उस (पिता) के बाद उस (पिता) की शक्ति उस (पिता) के बड़े पुत्र को मिल जाती है। (देखो श्लोक १४०६)

परं निजाऽवयःस्थस्य सूनोस्तस्य धनस्य च।
व्यक्तिगस्याऽत्र रक्षार्थं सा क्षमा न्यायतो मता ॥३४३३॥

परन्तु वह (माता), यहां पर, अपने नाबालिग पुत्र और उसके व्यक्तिगत (निजी) धन की रक्षा के लिए न्याय (कानून) से समर्थ मानी गई है।

पुत्राः सर्वेऽवयस्थाश्चेद् न्यायाधीशो नियोजयेत्।
तावत्तु रक्षकं यावत्तेष्वेकः स्याद्वयस्थितः ॥३४३४॥

यदि (पिता के मरने के समय) सारे ही पुत्र नाबालिग हों तो न्यायाधीश तब तक (उनके साझे के धन का) रक्षक नियुक्त करे, जब तक उनमें का एक बालिग हो जाय।

वयस्थतां समायाते त्वेकस्मिन् स्यात्स रक्षकः।
अन्येषामवयस्थत्वं तत्र नो बाधकं मतम् ॥३४३५॥

(उनमें से) एक के बालिग हो जाने पर वह (बालिग) रक्षक हो जाता है। वहां पर दूसरों की नाबालिगी बाधक नहीं मानी गई है। (देखो श्लोक ३५५४ से ३५५५ तक।)

पितुरन्तेऽवयस्थश्चेत्पुत्रो भ्रातुर्वयःस्थितात्।
असंसृष्टो भवेत्तर्हि माता तस्यार्थरक्षिका ॥३४३६॥

पिता के बाद यदि नाबालिग पुत्र बालिग भाई से जुदा हो, तो (उसकी) माता उसके धन की रक्षिका होती है।

भ्रातरश्चवयःस्थाश्चेत्सर्वे तर्हि नयाधिपः।
सर्वार्थरक्षणे तेषामम्बां वान्यं नियोजयेत् ॥३४३७॥

यदि सारे ही भाई नाबालिग हों, तो न्यायाधीश सारे ही धन की रक्षा के लिए उनकी माता को या किसी अन्य को नियुक्त करे।

शास्त्रे तु स्ववयस्थो नो पृक्तवंशस्य रक्षणे।
निषिद्धोऽतः स शक्तोऽन्याऽवयस्थस्याऽत्र संततेः ॥३४३८॥

भार्यायाश्चाऽपि रक्षायां निजपुत्रकलत्रवत्।
चेत्सर्वे ते तु संपृक्तकुटुम्बाः स्युरसंशयम् ॥३४३६॥

शास्त्रों में साझे के वंश के रक्षण में नाबालिग निषिद्ध नहीं है। इसलिए वह, यहां पर, यदि वे सब साझे के कुटुम्बवाले हों, तो निश्चय ही, अपने पुत्र और स्त्री के समान (ही) दूसरे नाबालिग की संतति और स्त्री की रक्षा करने में भी समर्थ होता है।

स्त्रिया हि परिणीताया रक्षकत्वकृतेपुनः।
नियमा ये पुरैवात्र त उक्ताः शास्त्रसंमताः ॥३४४०॥

फिर ब्याही हुई स्त्री (भार्या) के रक्षकत्व के लिए जो शास्त्र से माने हुए नियम हैं, वे यहां पर पहले ही कह दिये हैं। (देखो श्लोक २८१० से २८१३ तक।)

अवयस्यस्य दत्तस्य रक्षकत्वं व्रजेद् ध्रुवम्।
प्राकृतौ पितरौ त्यक्त्वा ग्रहीतृपितरौ पुनः ॥३४४१॥

और नाबालिग दत्तक पुत्र का रक्षकत्व (guardianship) असली बाप-मा को छोड़कर गोद लेनेवाले बाप-मा के पास चला जाता है। (अर्थात्-वे ही उसके रक्षक होते हैं।)

अज्ञातपितृकस्यात्र पुत्रस्याम्बैव रक्षिका।
जारजस्य, पिता ज्ञात-तातस्यास्य तु रक्षकः ॥३४४२॥

यहां पर जिसके पिता का पता न हो ऐसे जारज (illegitimate) पुत्र की मा ही रक्षक होती है। तथा पिता का पतावाले इस (जारज पुत्र) का तो पिता (ही) रक्षक होता है।

यत्रोद्वाहोऽपरो रूढ्या मतस्तत्र न वञ्च्यते।
पुनर्भूत्वं गता माता सन्तते रक्षकत्वतः ॥३४४३॥

जहां पर दूसरा विवाह रूढि से मान्य होता है, वहां पर दूसरा विवाह की हुई माता सन्तान की रक्षिका होने से वञ्चित नहीं होती।

जातेश्च्युतस्तु शास्त्रेषु वञ्चितो रक्षकत्वतः।
अवयस्यस्य तस्याथ संपत्तेरपि निश्चितम् ॥३४४४॥
परं सप्तनिध्येकवार्षिकेण नयेन हि।
जात्यशक्तिहरेणात्र साऽशक्तिस्तु निवारिता ॥३४४५॥

शास्त्रों में, निश्चय ही, जाति से बहिष्कृत हुआ, नाबालिग के और उसकी संपति के भी रक्षकपन से वञ्चित कर दिया गया है। परन्तु वि० सं० १६०७ (ई० स० १८५०) के जाति संबन्धी अशक्ति को दूर करनेवाले कानून (The Cast Disabilities Removal Act) से, यहां पर, वह असमर्थता दूर करदी गई है।

नयेनानेन धर्माद्वा जातेर्वापि च्युतः पुमान्।
स्त्री वा नो यच्च्यते वित्तादधिकाराच्च निश्चितम्॥३४४६॥

इस कानून से धर्म या जाति से भी दूर हुआ पुरुष या स्त्री, निश्चय ही, धन से वा अधिकार से वञ्चित नहीं होती।

परधर्मगतोऽप्यत्र संतते रक्षकत्वतः।
पिता न हीयते चेन्न स स्वत्वं स्वं स्वयं त्यजेत्॥३४४७॥

दूसरे धर्म में गया हुआ पिता भी, यदि वह अपने अधिकार को स्वयं ही न छोड़ दे, तो यहां पर सन्तान के रक्षकपन से च्युत (दूर) नहीं होता।

परन्तु तेन समयेऽपरधर्मग्रहस्य चेत्।
त्यक्तं निजेच्छया स्वत्वं, नियुक्तश्चापरो जनः॥३४४८॥
संततेः पालनायाथाध्यापनायापि वा पुनः।
तर्हि न्यायाधिपो बालहिताय प्रभवेद् ध्रुवम्॥३४४९॥
पितुस्तदधिकारस्य प्रत्यादाननिषेधने।
यतस्तत्रापि बालस्य लाभो मुख्यो मतो बुधैः॥३४५०॥

परन्तु यदि उस (पिता) ने दूसरा धर्म ग्रहण करने के समय अपनी इच्छा से अपना अधिकार छोड़ दिया हो और सन्तान के पालन या फिर पाठन के लिए दूसरा पुरुष नियुक्त करदिया हो, तो न्यायाधीश, बालक के हित के लिए, पिता को उस अधिकार के पीछा लेने से रोकने में, निश्चय ही, समर्थ होता है; क्योंकि वहां पर भी विद्वानों ने बालक का लाभ ही मुख्य माना है। (अर्थात्-बालक की हानि की सम्भावना हो, तो न्यायाधीश पिता को छोड़े हुए अधिकार को फिर से लेने से मना कर सकता है।)

पितुर्धर्मानुगा चाथ समाजे तत्पदानुगा।
संततिर्मन्यते तस्मात्साधारण्येन रक्षकः॥३४५१॥
शिक्षयेत्तामनुसरन् रीतिं तदुपयोगिनीम्।
धर्मान्तरगतायां तु मातरि न्यायरक्षकः॥३४५२॥
जननीतोऽपहृत्यातो दद्यात्तामार्यसंततिम्।
तद्धितायैव रक्षायां पुंस आर्यस्य कस्यचित्॥३४५३॥

पिता के धर्म का अनुसरण करनेवाली और समाज में उस (पिता) के पद का अनुसरण करनेवाली संतान मानी जाती है। इसलिए रक्षक साधारण तौर से उस (बाप) का अनुसरण करता हुआ उसके उपयुक्त होनेवाली रीति को सिखलावे। माता के दूसरा धर्म ग्रहण करलेने पर तो न्यायाधीश उस आर्य संतान को, माता से लेकर, उस (संतान) के हित के लिए ही, किसी आर्य पुरुष की रक्षा में दे दे।

पितरौ तु परित्यज्य गते धर्मान्तरं पुरा।
आर्यसन्तानकेऽत्रान्ते पितृभ्यां च प्रवर्तिते ॥३४५४॥
अभियोगे पुनर्नेतुमधिकारे निजे हि तम्।
न्यायाधिपाः पुरा चक्रुस्तस्याभीष्टानुमोदनम् ॥३४५५॥
वयसा निर्णये शक्तश्चेत्सोऽभूत्तारतम्यतः।
पित्रोः स्वाम्यं ततो मुख्यं मत्वैवात्रात्मसंततौ ॥३४५६॥
ताभ्यां तमददुस्ते तु तद्विरोधेऽपि निश्चितम्।
महाराष्ट्रे प्रयागेऽथ वङ्गे चापि नयाधिपैः ॥३४५७॥
किन्तु तस्य हितस्यैव मुख्यत्वं त्वद्यचिन्त्यते।
निर्णीयतेऽभियोगश्च तस्यैव हितकाम्यया ॥३४५८॥

आर्य पुरुष की सन्तान के, यहां पर, पहले माता-पिता को छोड़ कर, दूसरे धर्म में चले जाने पर और बाद में माता-पिता के उसको फिर अपने अधिकार में लेने के लिए मुकद्दमा चलाने पर, यदि वह (सन्तान) वय (उम्र के हिसाब) से ठीक तौर से निर्णय करने में समर्थ होता था, तो न्यायाधीश लोग, पहले समय में, उस (धर्म परिवर्तन करनेवाले) की इच्छा का ही अनुमोदन करते थे। उसके बाद वे यहां अपनी सन्तान पर माता-पिता के अधिकार को मुख्य मानकर ही, उस (सन्तान) के विरोध करने पर भी, निश्चय ही, उसे उन (माता-पिता) को दे देते थे (सौंप देते थे)। परन्तु बंबई, इलाहाबाद और बंगाल में न्यायाधीश लोग आजकल उस (सन्तान) के हित का ही मुख्य होना विचारते हैं और मुकद्दमे का फैसला उस (संतान) की हित-कामना से ही करते हैं। (अर्थात्-ऐसे मुकद्दमे में धर्म परिवर्तन करनेवाली सन्तान का जिसमें हित हो, वैसा निर्णय करते हैं।)

स्वाभाविकस्य रक्षकस्याऽधिकाराः।

स्वाभाविक रक्षक के अधिकार।

आर्यस्यात्राऽवयस्थस्य प्राकृतो रक्षकः क्षमः।
आधीकर्तुं च विक्रेतुं तदर्थांशं सुनिश्चितम् ॥३४५९॥
जात आवश्यकत्वेऽथ संपत्तेस्तु हिताय वा।
परं ग्रहीता यदि तु न्याय्यां तस्यानिवार्यताम् ॥३४६०॥
स्वकृतं तत्कृते न्याय्यमन्वेषणमथापि वा।
सिद्धीकर्तुमशक्तः स्यात्तर्ह्यन्याय्यो ग्रहो भवेत् ॥३४६१॥

यहां पर आर्य (हिन्दू) नाबालिग का प्राकृत (कुदरती) रक्षक, आवश्यकता होने पर अथवा संपत्ति के लाभ के लिए, उस (नाबालिग) की संपत्ति के भाग को, निश्चय ही गिरवी रखने या बेचने में समर्थ होता है। परन्तु यदि लेनेवाला उस

(गिरवी रखने या बेचने) की अनिवार्यता को या (लेने के पहले) अपने द्वारा उसके बारे में की न्याय्य (वाजिब) पूछ-ताछ को सिद्ध न कर सके, तो लेना (उसका गिरवी रखना या खरीदना) अन्याय्य (अनुचित) हो जाता है ।

प्राकृती रक्षिकाऽम्बा चेदाधीकुर्याद्धनं पुरा ।
न्याय्यावश्यकताहेतोरात्मनो बालसंततेः ॥३४६२॥
पुनश्चाधिविमुक्त्यर्थं नियुक्ताद्दिवसाद्धि प्राक् ।
विक्रीणीते तमर्थं सा तर्ह्यन्याय्यः स विक्रयः ॥३४६३॥
विक्रयागतवित्तांशो दत्त आधिऋणाय चेत् ।
तया तर्ह्यपि पण्यं तन्न्याय्यावश्यकतोज्झितम् ॥३४६४॥
अत आधिऋणार्थं हि दत्तं प्रतिददद्धनम् ।
अवयस्थः स्वसंपत्तिमधिकर्तुं क्षमो भवेत् ॥३४६५॥

यदि प्राकृतिक (स्वाभाविक) रक्षिका (हुई) माता अपनी नाबालिग संतान की संपत्ति को, न्याय्य आवश्यकता के लिये, पहले गिरवी रखदे और फिर वह गिरवी को छुड़वाने के लिए नियुक्त किये दिन के पहले ही उस संपत्ति को बेचदे, तो वह बेचना अन्याय्य होता है । यदि उसने बेचने से आये हुए धन का कुछ भाग गिरवी के कर्ज में दिया हो, तो भी वह सौदा (बेचान) न्याय्य आवश्यकता के बिनावाला (ही) होता है । इसलिए गिरवी के कर्ज के लिए (उसको चुकाने में) दिये धन को वापस लौटाता हुआ नाबालिग अपनी संपत्ति पर अधिकार करने में समर्थ होता है ।

आधीकृतिर्यदि भवेद् बालोपयमहेतुका ।
विधानस्य विरोधेनान्याय्यैवात्र तदापि सा ॥३४६६॥

यदि गिरवी रखना नाबालिग के विवाह के लिए हो, तो वह भी यहां पर कानून का विरोध होने से, अन्याय्य ही होता है । (क्योंकि नाबालिग का विवाह कानून के विरुद्ध है) ।

बालायै तद्धनायै वा सद्यो वृद्धिरतु विक्रयात् ।
तदर्थस्याथ विक्रीय सं कार्येऽधिकलाभदे ॥३४६७॥
तत्प्रयोगोऽथ सामान्यादधिकेन हि विक्रयः ।
मूल्येन बालसंपत्तेर्न ते तच्छ्रेहितावहाः ॥३४६८॥

नाबालिग के धन को बेचने से उस (नाबालिग) की आमदनी में या उसके धन की आमदनी में झटपट वृद्धि, या उस (नाबालिग के धन) को बेचकर अधिक लाभ देनेवाले कार्य में उसका प्रयोग, अथवा बालक की संपत्ति को साधारण से अधिक कीमत में बेचना ये उस (नाबालिग) की संपत्ति के हितकारी नहीं होते

(क्योंकि यह सब सट्टेबाजी समझी गई है।) ।

मात्रा चाधीकृतिर्वर्ज्या रक्ष्यबालधनस्य तु।
अपैतृकं नवं कर्तुं व्यवसायमसंशयम् ॥३४६९॥

और बाप-दादा से नहीं चले आनेवाले नये व्यापार को करने के लिए माता द्वारा (अपनी) रक्षा में रहे बालक के धन का गिरवी रखना (भी) निःसन्देह वर्जित है ।

प्रबन्धककृते वाऽम्बाकृते वित्तव्यये पुनः।
तद्ग्रहीतैव न्याय्यत्वं तस्य नूनं प्रमाणयेत् ॥३४७०॥

फिर मैनेजर के किये या माता के किये (नाबालिग के) धन के खर्च में उस (धन) को लेने (खरीद ने या गिरवी लेने) वाला ही उस (खर्च) का न्याय्य होना, निश्चय ही, प्रमाणित करे । (देखो श्लोक १४७४-१४८१) ।

सप्तवेदाङ्कचन्द्रेऽब्दे स्वीकृतं यद्विधानकम्।
रक्षकस्याथ रक्ष्यस्य कृते तदनुसारतः ॥३४७१॥
नियुक्तो रक्षकस्त्वार्याऽवयस्थस्यार्थरक्षणे।
जात आवश्यकेऽप्यत्र ऋते न्यायालयाज्ञया ॥३४७२॥
न शक्तः स्थिरसंपत्तिं व्ययितुं हि कथञ्चन।
व्ययेच्चेत्तर्हि बालस्तं क्षमः कर्तुं हि निष्फलम् ॥३४७३॥

विक्रम संवत् १९४७ (ई० स० १८९०) में जो रक्षक और रक्ष्य के लिए विधान (The Guardians and Wards Act) स्वीकृत किया गया था उसके अनुसार नाबालिग हिन्दू के धन की रक्षा में नियुक्त किया रक्षक आवश्यकता होने पर भी यहां पर न्यायालय की आज्ञा के बिना किसी प्रकार भी स्थावर संपत्ति को खर्च नहीं कर सकता। यदि (वह) खर्च कर दे, तो बालक (नाबालिग) उस (खर्च) को निष्फल कर सकता है।

परं न्यायालयाज्ञप्तो यदि कुर्यात्स तद्व्ययम्।
तस्य न्याय्यत्वसिद्ध्यै नो भारस्तद्ग्राहके भवेत् ॥३४७४॥

परन्तु यदि न्यायालय से हुक्म पाकर वह (रक्षक) उस (नाबालिग की स्थावर संपत्ति) को खर्च करे तो उसके न्याय्य होने की सिद्ध करने का भार उसके ग्राहक पर नहीं होता ।

न्यायालयनियुक्तात्तु रक्षकात्प्राकृतः पुनः।
रक्षकोऽधिकसामर्थ्यं धारयत्यत्र निश्चितम् ॥३४७५॥
न्याय्यावश्यकतायां स बालसंपत्तिविक्रये।
शक्तो न्यायालयस्याज्ञां विना तस्या हिताय वा ॥३४७६॥

फिर न्यायालय द्वारा नियुक्त रक्षक से स्वाभाविक रक्षक, यहाँ पर निश्चय ही, अधिक सामर्थ्य रखता है। न्याय्य आवश्यकता होने पर वा उस (संपत्ति) के लाभ के लिए वह न्यायालय की आज्ञा के बिना ही, नाबालिग की संपत्ति को बेच सकता है। इसमें सन्देह नहीं है।

पुरोक्तं तु विधानं नो बाधते प्राकृतस्य हि।
रक्षकस्याधिकारांस्तु हिन्दुन्यायोदितानिह ॥३४७७॥

पहले कहा कानून (The Guardians and Wards Act) स्वाभाविक रक्षक के, यहाँ पर, हिन्दू कानून में कहे, अधिकारों में बाधा नहीं डालता।

परं सकृन्नियुक्तश्चेन्न्यायेशै रक्षकस्तदा।
हीयते सहजस्यात्र रक्षकस्याधिकारिता ॥३४७८॥

परन्तु न्यायाधीशों ने एकवार रक्षक नियुक्त करदिया हो, तो स्वाभाविक रक्षक की अधिकारिता नष्ट हो जाती है।

शरपक्षनवचन्द्राब्दे प्रतिबन्धिविधानकम्।
भारते स्वीकृतं तस्यानुसारेण क्षमो मतः ॥३४७९॥
अवयस्को वयोलाभाऽनन्तरं स्वभियोजने।
आब्दत्र्यं रक्षकेणार्थस्थानान्तरणमत्र चेत् ॥३४८०॥

वि० सं० १९६५ (ई० स० १९०८) में भारतवर्ष में जो प्रतिबन्धवाला कानून (The Indian Limitation Act) स्वीकृत किया गया है उसके अनुसार यदि यहाँ पर रक्षक द्वारा धन स्थानान्तरित (transfer) किया गया हो, तो नाबालिग बालिग होने के बाद तीन वर्ष तक मुकद्मा चलाने में समर्थ माना गया है। (देखो उक्त कानून का sch. I, art. 44.)

प्राकृतो रक्षकः कर्तुं समर्थः पणसंविदम्।
कर्मान्यद्योचितं बालसंपदस्तु हितावहम् ॥३४८१॥
तस्य रक्षाकरं वाथ बालकलाभप्रदं पुनः।
न्यायोक्तविधिना नूनं रक्ष्यलाभरतः सदा ॥३४८२॥

निश्चय ही न्यायद्वारा कही रीति से सदा अपने रक्ष्य (ward) के हित में लगा प्राकृत (कुदरती) रक्षक किसी बात का वादा (contract) या नाबालिग की संपत्ति का लाभकारी उचित दूसरा काम या उस संपत्ति की रक्षा करनेवाला काम या नाबालिग के लाभ का काम कर सकता है।

नियन्त्रयितुमीशोऽथ बालवित्तं पणेन सः।
स्वीयेन, न क्षमो बालं स्वयं तेन नियन्त्रितुम् ॥३४८३॥

वह अपने वादे (contract) से नाबालिग के धन को नियन्त्रित (liable) कर

सकता है, परन्तु उससे स्वयं नाबालिग को नियन्त्रित (bind) नहीं कर सकता।

आवश्यकत्वे विक्रीतं रक्ष्यबालधनं यदि।
मात्रा रक्षिकया राज्यकरेण परिवर्जितम् ॥३४८४॥
भाविराज्यकरार्थं च बालस्तद्वंशजास्तथा।
कृता भारभृतो, राज्ञा ततश्चारोपितः करः ॥३४८५॥
तस्मिंस्तत्प्राप्तये चापि क्रयिकेणाभियोजितः।
वयस्थतां गतोऽर्थस्य पूर्वस्वामी न तर्हि सः ॥३४८६॥
भारार्होऽत्र करार्थं स्याद्यतोऽम्बाविहितः पणः।
तदर्थं व्यक्तिगस्तस्या नैव बध्नाति तं जनम् ॥३४८७॥

रक्षक हुई माता ने यदि आवश्यकता होने पर रक्षा में रहे बालक की, राज्य कर से मुक्त, सम्पत्ति बेचदी हो और आगे लगनेवाले राज्य के कर के लिए नाबालिग और उसके वंशजों को जिम्मेदार करदिया हो, तथा उसके बाद राजा ने उस (संपत्ति) पर लगान लगा दिया हो और उस (कर) की प्राप्ति के लिए खरीददार ने बालिग हुए (उस) संपत्ति के स्वामी पर मुकद्दमा चलाया हो, तो वह, यहां पर, लगान के लिए जिम्मेवार नहीं होता; क्योंकि माता का उसके लिए किया वादा, वहां पर, (माता का) व्यक्तिगत होता है और उस पुरुष पर लागू नहीं होता।

प्रतिज्ञया युतं पत्रं लिखितं रक्षकेण तु।
यद्यत्रात्मगतं भारं न्यसितुं बालसंपदि ॥३४८८॥
तदापि शासनं देयं न्यायेशैः प्रतिसंपदम्।
ऋणं त्वितरथा न्यायमान्यं स्याच्चेत्सुनिश्चितम् ॥३४८९॥

यदि यहां पर रक्षक ने अपने ऊपर का भार नाबालिग की संपत्ति पर रखने को प्रतिज्ञावाला पत्र (promissory note) लिख दिया हो, और यदि और प्रकार से (वह) कर्ज निश्चितरूप से न्याय से मान्य हो, तो भी न्यायाधीशों को (उस नाबालिग की) संपत्ति के प्रति ही डिग्री देनी चाहिए।

प्रबन्धकोऽवयस्थस्य संपत्तेर्वाथ रक्षकः।
अवयस्थस्य, नो शक्तो यन्त्रितुं तस्य संपदम् ॥३४९०॥
अवयस्थं स्वयं वापि तत्कृते स्थावरं धनम्।
क्रेतुं कृतेन समयेनात्र नूनं कथञ्चन ॥३४९१॥

नाबालिग की संपत्ति का प्रबन्धक (manager) या नाबालिग का रक्षक (guardian), यहां पर, उसके लिए किए अचल संपत्ति खरीदने के वादे से उसकी संपत्ति को या स्वयं नाबालिग को, निश्चय ही, किसी प्रकार नहीं बांध सकता।

बालार्थं रक्षकेणात्र क्रेतुं स्थावरसंपदम्।
स्वरदस्य कृते नूनं चेदत्र समयः कृतः ॥३४९२॥
वयस्यतां समापन्ने रक्ष्ये तस्याः क्रे ते हि तौ।
रक्ष्यविक्रयकौ नूनमभियोक्तुं मिथोऽक्षमौ ॥३४९३॥

बालक की संपत्ति के रक्षक ने अपनी रक्षा में रहे (नाबालिग) के वास्ते अचल संपत्ति खरीदने के लिए, निश्चय ही, यहां पर, (किसी से) वादा किया हो, तो (उस) नाबालिग के बालिग हो जाने पर, निश्चय ही वह नाबालिग और (संपत्ति) बेचनेवाला उस (संपत्ति) के लिए आपस में मुकद्दमा नहीं चला सकते।

क्रयश्चेदृणमादाय संपत्तेः साधितो भवेत्।
स्थावरायाः परं नाभूत्तत्रावश्यकता खलु ॥३४९४॥
ऋणस्याथ क्रयस्यापि संपत्तेस्तर्हि न क्षमः।
मृते कर्तरि, संप्राप्य प्रतिपालं प्रतिधि वा ॥३४९५॥
ऋणप्रदोऽभियोगात्तु शासनं हि धनग्रहे।
क्षमः स शासनं प्राप्तुं विक्रीस्यै क्रीतसंपदः ॥३४९६॥
तद्विक्रयागतेनाथ धनेन च ऋणं निजम्।
प्रत्यादातुमपीह प्राग् दत्तं तत्क्रयहेतवे ॥३४९७॥

यदि अचल संपत्ति की खरीद कर्ज करके की हो, परन्तु वहां पर निश्चय ही कर्ज की या संपत्ति के खरीद ने की आवश्यकता न हुई हो, तो कर्ज देनेवाला, कर्ता के मरजाने पर, मुकद्दमे द्वारा, नाबालिग के खिलाफ या (उसकी) संपत्ति के खिलाफ डिग्री प्राप्त कर, धन वसूल करने में समर्थ नहीं होता। परन्तु वह खरीदी हुई संपत्ति को बेचने के लिए और उसके बेचने से आए धन से पहले (उस) संपत्ति को खरीदने के लिए दिये अपने कर्ज को वापस लेने में समर्थ होता है।

प्रबन्धककृते पूक्तसंपदो विक्रयाय हि।
समये दीयते नात्र शासनं प्रतिपालकम् ॥३४९८॥
विक्रयागतवित्तेन क्रीतेऽर्थे चेत्स भागभाक्।
प्रत्याख्यातुं क्षमो नासौ विक्रयं तर्हि निश्चितम् ॥३४९९॥

प्रबन्धक द्वारा किये साझे की संपत्ति के बेचने के बादे में नाबालिग के खिलाफ डिग्री नहीं दी जाती। परन्तु (उस संपत्ति के) बेचने से आये धन से खरीदी गई संपत्ति में यदि वह हिस्सा लेता हो, तो वह निश्चय ही (उस) बेचान से इनकार नहीं कर सकता।

बालस्य रक्षकेणात्र कृतं रक्षकभावतः।
स्वाधिकारगतं कर्म रक्ष्यं बध्नाति नापरम् ॥३५००॥

यहां पर नाबालिग के रक्षक ने, रक्षक भाव से किया, अपने अधिकार में रहा काम, रक्ष्य (नाबालिग) को बांधता है, दूसरा नहीं।

न्यासार्थं विक्रयार्थं वा समयार्थं कृतेऽपि वा।
लेखे बालस्य नाम्नोऽथाभावो नो साधयेत्पुनः ॥३५०१॥
लेखबालकयोर्नूनं संबन्धाभावतामिह।
यतः सर्वत्र लेखस्य वाग्विन्यासः परीक्ष्यते ॥३५०२॥
तात्कालिकी तथावस्था तत्संपर्कस्य निर्णये।
भाषावस्थे विचार्यातः कुर्यात्संबन्धनिश्चयम् ॥३५०३॥

, फिर गिरवी के लिए, बेचने के लिए या किसी वादे (contract) के लिए लेख में नाबालिग के नाम का अभाव, निश्चय ही, यहां पर, लेख और नाबालिग के संबन्ध का अभाव सिद्ध नहीं करता; क्योंकि उस (लेख और नाबालिग) के संबन्ध के निर्णय में सब जगह लेख की इबारत और उस (लिखने के) समय की हालत (circumstances) की परीक्षा की जाती है। इसलिए (लेख की) भाषा और (लिखने के समय की) अवस्था का विचार करके (उनके) संबन्ध का निश्चय करे।

भार्याबालसुतौ त्यक्त्वा मृते तु पुरुषे पुनः।
पुत्रस्य रक्षकत्वेनाधिकृतेऽधवया धने ॥३५०४॥
मनाक्कालेन केनापि विवादाच्च प्रवर्तिते।
अभियोगे नियुक्त्यर्थं तस्याः स्थान इहात्मनः ॥३५०५॥
न्यायेशैः स्वीकृते तस्याऽभिप्राये चाधवा यदि।
तस्याधिकारतः पूर्वं विक्रीणीते हि संपदम् ॥३५०६॥
ममैषेति प्रदर्श्यैव क्रेत्रे यच्छति तां पुनः।
मूल्यार्धं च पतित्यक्तरिक्थर्णप्रतिशोधने ॥३५०७॥
उपयुङ्क्तेऽपरं चार्धं युनक्ति स्वभृतौ तथा।
अभियुङ्क्ते वयः प्राप्य क्रेतारं च सुतस्ततः ॥३५०८॥
प्रत्यादातुं स्वसंपत्तिं तदा व्यर्थः क्रयो हि सः।
मूल्यांशमप्यदत्त्वैवाधिकर्तुं तां क्षमश्च सः ॥३५०९॥

फिर पुरुष के स्त्री और बालक पुत्र को छोड़कर मरजाने और पुत्र की रक्षिका के रूप में विधवा के संपत्ति पर अधिकार करलेने के कुछ समय बाद यहां विवाद के कारण किसी के उस (माता) के स्थान पर अपने को नियुक्त करने के लिए मुकद्दमा चलाने और न्यायाधीशों द्वारा उसके अभिप्राय को स्वीकृत करलेने पर यदि विधवा उसके अधिकार करने के पूर्व ही संपत्ति को बेच देती है और फिर यह मेरी है ऐसा प्रकट करके खरीदनेवाले को दे देती है और (उस की) आधी कीमत

पति द्वारा पीछे छोड़े कर्ज के चुकाने में लगाती है और दूसरी आधी अपने गुजारे के लिए काम में लाती है और उसके बाद (वह) पुत्र बालिग होकर (संपत्ति के) खरीददार पर अपनी संपत्ति को पीछे लेने के लिए मुकदमा चलाता है, तो वह खरीद व्यर्थ हो जाती है और वह (पुत्र) कीमत का कुछ भाग दिये बिना ही उस पर अधिकार करने में समर्थ हो जाता है।

कारागारस्थिते पत्यौ तदृणप्रतिशुद्धये ।
भार्यायै चेदृणं दत्त्वा दाता शासनमाप्नुयात् ॥३५१०॥
प्रतिभार्यं तदाऽऽदानेऽसंयुक्तोऽपि सुतो भवेत् ।
तस्य भारवहो नूनं न्यायेशैरिति निश्चितम् ॥३५११॥

पति के जेलखाने में होने पर उसके कर्ज के चुकाने के लिए (उसकी) स्त्री को कर्ज देकर यदि देनेवाला (उस) स्त्री के खिलाफ डिग्री प्राप्त करले, तो उस (कर्ज) के लेने में असंमिलित रहा पुत्र भी उसका जिम्मेदार होता है।

रक्षकस्तु क्षमो रक्ष्यकृते कर्तुं विपक्षतः ।
समाधानं मिथस्त्यागजनितं नात्र संशयः ॥३५१२॥

रक्षक (अपनी) रक्षा में रहे के लिए प्रतिपक्षी के साथ आपस के त्याग से होनेवाले, समझौते (compromise) को कर सकता है। इसमें संशय नहीं है।

पञ्चत्वं हि कशरदामवधेस्तु विधानतः ।
प्राग् रक्ष्यस्याऽव्ययःस्यस्य प्राकृतो रक्षकस्तथा ॥३५१३॥

सप्तवेदाङ्कचन्द्राब्दरक्ष्यरक्ष्यविधानतः ।
नियुक्तो रक्षकः शक्तो महाराष्ट्रेऽमवस्तुनः ॥३५१४॥
द्रविडे च ऋणं नूनं स्वीकर्तुं वाद्धुं पं तथा ।
दातुं तदर्थमवधिं तस्य वर्धयितुं स्वयम् ॥३५१५॥
तस्य तत्कर्म बालार्थरक्षायै वा हिताय चेत् ।
गतावधि ऋणं नासौ परं जीवयितुं क्षमः ॥३५१६॥

विक्रम संवत् १९६५ (ई० स० १९०८) के अवधि के कानून (The Indian Limitation Act) से पहले रक्षा में रहे नाबालिग का कुदरती रक्षक या वि० सं० १९४७ (ई० स० १८९०) के रक्षक और रक्ष्य के कानून (The Guardian and Wards Act) द्वारा नियुक्त किया रक्षक बंबई और मद्रास में, यदि उसका वह काम नाबालिग के धन की रक्षा के लिए या हित के लिए होता था, तो कर्ज को स्वीकार करने और स्वयं उसकी मयाद को बढ़ाने के लिए उसके ब्याज को देने में समर्थ होता था। परन्तु वह मयाद बीते हुए ऋण को (फिर से) जिलाने (revive करने) में समर्थ नहीं था।

षष्ठे तु तद्विधानान्तर्नियुक्तो रक्षकस्तथा।
प्राकृतो वाऽक्षमो ह्यासीत्कर्तुं पूर्वोक्तकर्मणी ॥३५१७॥

(फिर) बंगाल में तो उक्त विधान के अन्दर नियुक्त किया या प्राकृत रक्षक पहले कहे दोनों काम नहीं कर सकता था।

अवधेर्हि विधानेऽद्य ऋणायाधिकृतेष्वमुम्।
न्याय्यं रक्षं समावेश्य वैमत्यं सर्वथा हृतम् ॥३५१८॥

आज कल अवधि के कानून (The Indian Limitation Act 1908) में फर्ज़ के लिए अधिकारी पुरुषों में इस न्याय्य (lawful) रक्षक को घुसेड़कर मत भिन्नता सर्वथा दूर करदी गई है। (देखो उस कानून के भाग १६ और २०)।

मृतिपत्रनियुक्तो रक्षकः।

इच्छा-पत्र से नियुक्त किया रक्षक।

आर्यः पिताऽत्र लेखेन नियोक्तुं वचसाऽथवा।
रक्षकं निजसंतत्यै मातुरन्यमपि क्षमः ॥३५१९॥

यहां पर हिन्दू पिता, अपनी संतान के लिए, लेख द्वारा या वचन द्वारा, माता से भिन्न को भी, रक्षक नियुक्त कर सकता है। (अर्थात्–माता को अलग रखकर भी दूसरे को रक्षक बना सकता है)।

नियोक्तुं किन्तु नो शक्ता माता स्वमृतिपत्रतः।
सन्तत्यै रक्षकं शास्त्राचारेण तु कथञ्चन ॥३५२०॥

परन्तु माता अपनी संतान के लिए अपने मृत्यु-पत्र (will) से, शास्त्रों के आचार के अनुसार, किसी तरह भी, रक्षक नियुक्त नहीं कर सकती।

रक्षार्थं मृतिपत्रे चेत्तया स्वेच्छाऽङ्किता पुनः।
न्यायेशस्तर्हि तस्याङ्गीकारे त्यागेऽथवा क्षमः ॥३५२१॥

फिर यदि उसने (संतति की) रक्षा के लिए मृति-पत्र में अपनी इच्छा लिख दी हो, तो न्यायाधीश उसके स्वीकार करने या त्याग करने में समर्थ होता है।

मृतिपत्रनियुक्तस्य रक्षकस्याधिकारिता।
रक्ष्यार्थे मृतिपत्रोक्तरीत्यैवात्र नियन्त्र्यते ॥३५२२॥

मृति-पत्र से नियुक्त किये रक्षक का अधिकार, यहां पर, रक्ष्य (ward) के धन में मृति-पत्र में कही रीति से ही नियन्त्रित किया जाता है। (अर्थात्–मृति-पत्र में लिखे अनुसार ही वह उसकी संपत्ति का प्रबन्ध कर सकता है।)

कुटुम्बे यत्र पृक्तः स्यात् पिता बालैः स्वपुत्रकैः।
बाल्यान्तं तत्र तेषां तु पित्रा रक्षनियोजने ॥३५२३॥

मृतिपत्रेण पृक्तार्थकृतेऽस्ति मतभिन्नता।
महाराष्ट्रे पुरा नासीत्स क्षमस्तन्नियोजने ॥३५२४॥
ततः शक्तो मतोऽसौ तु तन्नियुक्त्यै तथा क्षमः।
व्ययार्थं पृक्तवित्तस्याधिकर्तुमपि तं ध्रुवम् ॥३५२५॥
मृतिपत्रप्रदत्ताधिकृत्युक्तविधिना तु सः।
व्ययते यत्र संपत्तिं वालं वध्नाति स व्ययः ॥३५२६॥

जहां पर कुटुम्ब में पिता अपने नाबालिग् पुत्रों के साथ साझेदार हो, वहां पर उन (पुत्रों) के बालिग् होने तक, पिता द्वारा मृति-पत्र से साझे के धन के लिए रक्षक नियुक्त करने में भिन्न मत है। बंबई प्रान्त में पहले वह (पिता) उस (रक्षक) के नियुक्त करने में समर्थ नहीं था। उसके बाद वह (पिता) उस (रक्षक) की नियुक्ति के लिए समर्थ मान लिया गया तथा उस (रक्षक) को साझे के धन के खर्चे (alienation) के लिए अधिकारी करने के लिए भी निश्चित रूप से समर्थ मान लिया गया। तथा जहां पर वह (रक्षक) मृति-पत्र में दिये अधिकार में कही रीति से धन खर्च करता है, वह खर्च बालक पर लागू होता है। (अर्थात्-नाबालिग् को उसे मानना होता है।)

अधुना तु पुनर्नासौ पृक्तार्थस्य कृते क्षमः।
नियोक्तुं रक्षकं स्वेच्छापत्रेण हि मतो बुधैः ॥३५२७॥

विद्वानों ने आज कल तो फिर उसे साझे के धन के लिए अपने इच्छापत्र से रक्षक नियुक्त करने में समर्थ नहीं माना है।

पिता पितृव्यो ज्येष्ठो वा भ्राताप्यथ प्रबन्धकः।
आर्यपृक्तकुटुम्बस्य द्रविडे स्वक्षमो मतः ॥३५२८॥
नियोक्तुं मृतिपत्रेण रक्षं पृक्तार्थहेतवे।
नालं पिताप्यतस्तत्र तन्नियुक्तौ बुधैर्मतः ॥३५२९॥

पिता, चाचा या बड़ा भाई भी साझेवाले हिन्दू कुटुम्ब का प्रबन्धक (manager) हो, तो भी मद्रास में, साझे के धन के लिए मृति-पत्र से रक्षक नियुक्त करने में असमर्थ माना गया है। इसलिए वहां पर विद्वानों ने पिता को भी उस (रक्षक-testamentary guardian) के नियुक्त करने में समर्थ नहीं माना है।

मृते पितरि संपत्तिर्याति वालसुतान्प्रति।
पृक्तायशिष्टितस्तस्मान्नासौ स्वमृतिपत्रतः ॥३५३०॥
आबाल्यान्तं हि पुत्राणां नियोक्तुं रक्षकं क्षमः।
तत्संपत्तिप्रबन्धाय तत्र नूनं कथञ्चन ॥३५३१॥

क्योंकि (वहां पर) पिता के मरने पर संपत्ति, साझेदारों में, पीछे रहने से,

बालक पुत्रों को मिल जाती है, इसलिए वह (पिता) (अपने) मृतिपत्र से, बालकों की नाबालिगी की समाप्ति तक उनकी संपत्ति के प्रबन्ध के लिए, वहां पर, निश्चय ही, किसी प्रकार भी, रक्षक नियुक्त नहीं कर सकता।

अपुत्रस्तु क्षमो भार्यामधिकर्तुं परं हि सः।
मृतिपत्रेण दत्तस्य ग्रहणे स्वकृते तथा ॥३५३२॥
नियोक्तुं रक्षकं तस्य बाल्ये तद्धनहेतवे।
स्वार्जितश्चेद्भवेदर्थो मृतिपत्रनियन्त्रितः ॥३५३३॥

परन्तु वह (पिता) अपुत्र होने पर मृति-पत्र से अपनी स्त्री को अपने लिए दत्तक पुत्र गोद लेने की अधिकारिणी बना सकता है और यदि मृति-पत्र (will) से नियन्त्रित किया धन उसीका कमाया हुआ हो, तो उस (पुत्र) की नाबालिगी में उसके धन के लिए रक्षक नियुक्त कर सकता है।

पित्र्यपैतामहे तस्मिन्मृतिपत्रनियन्त्रिते।
अर्थे नालं तथा कर्तुं मृतिपत्रेण तत्र सः ॥३५३४॥

मृत्यु-पत्र से नियन्त्रित (bind) किये उस धन के बाप-दादा के होने पर वह (पिता) वहां पर (मद्रास में) ऐसा नहीं कर सकता।

न्यायालयनियुक्तो रक्षकः।

अदालत द्वारा नियुक्त रक्षक।

रक्षकस्य नियुक्तिस्तु न्यायेशैर्यत्र निश्चिता।
अवयःस्थस्य लाभाय देयाज्ञा तत्र तैः पुनः ॥३५३५॥
रक्षरक्ष्यविधानान्तर्गता तस्य नियुक्तये।
बालार्थं तद्धनार्थं वोभयार्थं वा यथास्थिति ॥३५३६॥
परन्तु मृतिपत्रेण नियुक्ते रक्षके स्वयम्।
पित्रा, न्यायाधिपो नालं तत्राऽपरनियुक्तये ॥३५३७॥

जहां पर न्यायाधीशों ने नाबालिग के लाभ के लिए रक्षक की नियुक्ति निश्चित करली हो, वहां पर स्थिति के अनुसार नाबालिग के लिए, उसके धन के लिए, या दोनों के लिए उसकी नियुक्ति की आज्ञा रक्षक-रक्ष्य के कानून (The Guardians and Wards Act) के अन्तर्गत (अनुसार) देनी चाहिए। परन्तु स्वयं पिता के मृत्यु-पत्र से रक्षक नियुक्त कर देने पर न्यायाधीश वहां दूसरे की नियुक्ति नहीं कर सकता।

मुख्यन्यायालयस्यात्राधिकारे नैव बाधकम्।
रक्ष-रक्ष्यविधानं हि पूर्वोक्तं तु कथञ्चन ॥३५३८॥

यहां पर पहले कहा रक्ष-रक्ष्य विधान (The Guardians and Wards Act) किसी प्रकार भी मुख्य न्यायालय (Chartered High Court) के अधिकार में बाधक नहीं है।

बालरक्षानियुक्तौ तु विधानविधिना तथा ।
तदात्वे बालहितं ज्ञात्वा निर्णेयनिर्णयेत् ॥३५३९॥

निर्णयकरनेवाला (न्यायाधीश) नाबालिग के लिए रक्षक नियुक्त करने में कानून (The Guardians and Wards Act 1890) की रीति से और उस समय के बालक के हित को जानकर निर्णय करे।

अवयःस्थहितायात्र न्यायेशस्तद्वयस्तथा ।
तल्लिङ्गं चाथ रक्षस्य शीलं सामर्थ्यमेव च ॥३५४०॥
गोत्रे सामीप्यमथ च रक्ष्यरक्षकयोः पुनः ।
मृतपित्रोः स्पृहां चापि चेत्ताभ्यां सा प्रदर्शिता ॥३५४१॥
प्राक्तनं वर्तमानं वा संबन्धं रक्षकस्य तु ।
मनोनीतस्य रक्ष्येण तस्यार्थेनाथ चिन्तयेत् ॥३५४२॥

न्यायाधीश यहां पर नाबालिग के हित के लिए उस (नाबालिग) की आयु तथा लिङ्ग (sex) का, रक्षक के शील (चालचलन) और सामर्थ्य (capacity) का तथा रक्ष्य और रक्षक के गोत्र में रही समीपता का और स्वर्गीय माता-पिता की इच्छा का, यदि उन्होंने उसे प्रकट किया हो, तथा मनोनीत रक्षक के रक्ष्य (ward) के या उसकी संपत्ति के साथ के पुराने या वर्तमान संबन्ध का विचार करे।

निर्णयक्षमतां यातो रक्ष्यश्चेत्तर्हि निर्णयम् ।
रक्षार्थं तत्कृतं चापि न्यायेशस्तु विचिन्तयेत् ॥३५४३॥

यदि रक्ष्य (ward) निर्णय कर सकने लायक होगया हो, तो न्यायाधीश रक्षक के विषय में उसके किये निर्णय का भी विचार करे।

रक्षरक्ष्यविधानेन रक्षकस्य नियोजनम् ।
केवलं व्यक्तिगार्थायाऽवयःस्थस्य मतं बुधैः ॥३५४४॥

रक्षक और रक्ष्य के कानून (The Guardians and Wards Act) से रक्षक का नियुक्त करना विद्वानों ने नाबालिग के केवल व्यक्तिगत (separate) धन के लिए माना है।

मैताक्षरेषु पृक्तेषु पृक्तार्थे नैव कस्यचित् ।
पृथक्स्वार्थो यतस्तस्माद् विधानेनाऽमुना तु नो ॥३५४५॥
मिताक्षरानुगस्यात्रावयःस्थस्य जनस्य हि ।
पृक्तस्वार्थकृते रक्षानियुक्तिः संभवा मता ॥३५४६॥

क्योंकि मिताक्षरा को माननेवाले साझेदारों में साझे के धन में किसी का जुदा

स्वार्थ (separate interest) नहीं होता, इसलिए इस कानून (The Guardians and Wards Act) से मिताक्षरा को माननेवाले नाबालिग पुरुष के सामे के स्वार्थ (interest) के लिए रक्षक की नियुक्ति संभव नहीं मानी गई है।

रक्षरक्ष्यविधानान्तर्गतो यो रक्षकः पुनः ।
नियुज्यते नयाधीशैस्तेषामाज्ञां विना तु सः ॥३५४७॥
न क्षमो व्ययितुं बालसंपत्तिं चेद्व्ययेद्‌थ ।
बालस्य च क्षतिभुजां विरोधे नाहतो व्ययः ॥३५४८॥

फिर न्यायाधीशों द्वारा रक्ष-रक्ष्य-विधान के अन्तर्गत जो रक्षक नियुक्त किया जाता है, वह उन (न्यायाधीशों) की आज्ञा के बिना नाबालिग के धन को खर्च नहीं कर सकता और यदि वह खर्च करे, तो नाबालिग के और (उस खर्च से) हानि उठानेवालों के विरोध करनेपर (वह) खर्च अमान्य हो जाता है।

न्यायेशस्याज्ञयार्थश्चेद्व्ययितस्तर्हि न क्षमः ।
छद्मापहाय बालो वा क्षतिभुक् तद्विरोधने ॥३५४९॥
क्रयिकाय नयेशाज्ञाविश्रब्धाय यतो नहि ।
तदर्थस्य क्रयेऽवश्यं न्याय्याऽन्याय्यत्वमार्गणम् ॥३५५०॥

यदि न्यायाधीश की आज्ञा से धन खर्च किया गया हो, तो नाबालिग या (उससे) नुकसान उठानेवाला छल-कपट की बात (fraud or underhand dealing) को छोड़कर उस का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि न्यायाधीश की आज्ञा से विश्वास किये हुए खरीददार के लिए उस धन के खरीदने में न्याय्य-अन्याय्य की जांच करना आवश्यक नहीं होता।

रक्षरक्ष्यविधानेन यद्यप्यत्र नियुज्यते ।
न बालपृक्तिगस्वार्थकृते रक्षः कथञ्चन ॥३५५१॥
मुख्यन्यायालयः स्वीयसामर्थ्येन तथाप्यलम् ।
नियोक्तुमथ कर्तारं पृक्तवंशस्य निश्चितम् ॥३५५२॥
बालांशरक्षकं बालहितायावश्यकं यदि ।
व्ययेऽधिकर्तुं बालांशसहितस्य धनस्य च ॥३५५३॥
विक्रयेऽर्थस्य बालांशमूल्यरक्षापणेन हि ।
सार्धं वङ्गप्रदेशेऽथ महाराष्ट्रेऽपि वा पुनः ॥३५५४॥

यद्यपि यहां पर रक्ष-रक्ष्य-विधान से नाबालिग के सामे में के स्वार्थ के लिए, किसी तरह भी, रक्षक नियुक्त नहीं किया जाता, तथापि बंगाल और फिर बंबई में मुख्यन्यायालय (Chartered High Court) अपने सामर्थ्य (अधिकार) से सामे के कुटुम्ब के कर्ता को, निश्चय ही, यदि बालक के हित के लिए आवश्यक हो

तो, नाबालिग के हिस्से का रक्षक नियुक्त कर सकता है और संपत्ति के बेचने में नाबालिग के भाग की कीमत की रक्षा की शर्त के साथ, (उसे) नाबालिग के हिस्से से युक्त (सामे की) संपत्ति को खर्च करने में अधिकृत कर सकता है।

प्रयागीयाः पुनर्मुख्यन्यायौकस्याधिपा निजम्।
रक्षन्तोऽप्यधिकारं हि प्रायुञ्जन्त नहि कचित् ॥३५५५॥

अपने (उपर्युक्त) अधिकार की रक्षा करते हुए इलाहाबाद हाइकोर्ट के न्यायाधीशों ने इसका (अबतक) कहीं (भी) प्रयोग नहीं किया है।

स्वयंभूरक्षकोऽसंबद्धो रक्षकश्च।

अपने आप बना रक्षक और बिना संबन्धवाला रक्षक।

न प्राकृतो न च पुनर्नियुक्तो राजशासनात्।
बालवित्तव्यवस्थाकृत् स्वयंभूरक्षको मतः ॥३५५६॥

न कुदरती और न राजाज्ञा से नियुक्त नाबालिग के धन का प्रबन्ध करनेवाला स्वयंभू रक्षक (Guardian De Facto) माना गया है।

सोऽप्यत्र प्राकृतेनैव रक्षकेण समः प्रभुः।
रक्ष्यार्थस्य व्यये यस्मात्ताबुभौ समशक्तिकौ ॥३५५७॥

वह भी यहाँ पर रक्ष्य के धन के खर्च (alienation) में कुदरती रक्षक के समान ही समर्थ होता है; क्योंकि वे दोनों समान शक्तिवाले होते हैं।

बालस्वार्थं विचार्यैव बालसंपद्धिताय हि।
न्यायतो बालवित्तं चेदाधिकुर्यात्तदा तु तम् ॥३५५८॥
स्वयंभू रक्षकस्त्वेष इतिकृत्वैव न क्षमः।
आर्योऽवयस्थोऽमान्यत्वमाधिं नेतुं कथञ्चन ॥३५५९॥

यदि वह नाबालिग के स्वार्थ का विचार करके, नाबालिग की संपत्ति के हित के लिए, न्याय से नाबालिग के धन को गिरवी रखदे, तो हिन्दू नाबालिग उसे (गिरवी रखने को), यह अपने आप बना हुआ रक्षक है ऐसा करके (प्रकट करके) ही, किसी तरह अमान्य नहीं कर सकता।

यथाऽवयःस्थभगिनीविवाहार्थं कृतो व्ययः।
स्वयंभूरक्षकेणात्र तद्धनस्य न धर्प्यते ॥३५६०॥

जैसे कि स्वयंभू रक्षक द्वारा नाबालिग की बहन के विवाह के लिए किये उस (नाबालिग) के धन के खर्च पर आक्रमण (कटाक्ष) नहीं किया जाता।

द्रविडेऽथ महाराष्ट्रे विमातृकृतविक्रयः।
स्वयंभूरक्षकत्वेऽपि तस्या बालस्य संपदः ॥३५६१॥

श्रुतेऽधिकारं विहितोऽमान्य एव मतो पुरा।
आधावपि तथैवेषाऽधिकाररहिताऽभवत् ॥३५६२॥
परमद्य मता शक्ता महाराष्ट्रे तु सा तथा।
द्राविडो निर्णयश्चापि सदोषः परिकीर्तितः ॥३५६३॥

मद्रास और बंबई में सौतेली माता द्वारा किया बालक की संपत्ति का बेचान, उसके स्वयंभू रक्षिका होने पर भी, अधिकार के बिना किया होने से, पहले अमान्य ही माना गया था। गिरवी रखने में भी उसी प्रकार यह (सौतेली माता) अधिकार से रहित थी। परन्तु आजकल बंबई प्रान्त में तो यह (विमाता) (बालक के धन को खर्च करने में) समर्थ मान ली गई है और मद्रास का (उपर्युक्त) निर्णय दूषित बतला दिया गया है।

नाऽनिवार्यश्च नो बालवित्तस्य हितसाधकः।
स्वयंभूरक्षकृतो बालार्थस्य व्ययः पुनः ॥३५६४॥
नाऽमान्यः किन्तु बालस्य वायस्थ्यासौ भवेद् ध्रुवम्।
मान्याऽमान्यत्वरूपेण निर्णेयो नात्र संशयः ॥३५६५॥

फिर स्वयंभू रक्षक का किया, न आवश्यक और न नाबालिग के धन का हित करने वाला, नाबालिग के धन का खर्च अमान्य नहीं होता; परन्तु नाबालिग के बालिग होने पर निश्चय ही मान्य या अमान्य रूप से निर्णय किये जाने लायक होता है, इसमें संशय नहीं है।

विश्लिष्टेन पितृव्येण रक्षत्वरहितेन तु।
बालसंपद्व्ययो नूनममान्यः परिकीर्तितः ॥३५६६॥

जुदा हुए और रक्षकत्व से हीन (Guardian Ad Hoc) चाचा द्वारा किया नाबालिग के धन का खर्च, निश्चय ही, अमान्य कहा गया है।

प्रतीकारोपायाः।

इलाज के तरीके।

वञ्चितो रक्षको योऽत्र निजरक्ष्यस्य रक्षया।
उपायः प्रतिकारस्य तत्कृतेऽग्रे प्रदर्श्यते ॥३५६७॥

यहाँ पर जो रक्षक अपने रक्ष्य की रक्षा से वञ्चित करदिया गया हो, उसके लिए उसको दूर करने का उपाय आगे बतलाया जाता है।

सोऽभियुज्येत तं योऽत्राऽधिकाररहितोऽपि सन्।
अगृह्णाद्रक्षकत्वं हि रक्ष्यस्यच्छलतःस्वयम् ॥३५६८॥

यह, जिसने अधिकार रहित होने पर भी स्वयं ही धोखे से यहाँ पर रक्ष्य का रक्षक पना ले लिया हो उस पर मुकद्मा चलावे।

२५ भृतिः ।

गुज़ारा ।

मिताक्षरायां मनोर्वचनम् ।

वृद्धौ तु मातापितरौ साध्वी भार्या सुतः शिशुः ।
अप्यकार्यशतं कृत्वा भर्तव्या मनुरब्रवीत् ॥

वृद्ध माता-पिता, सती स्त्री और बालक पुत्र का सौ उलटे (बुरे) काम करके भी भरण-पोषण करना चाहिए, ऐसा मनु ने कहा है ।

भृतेरधिकारस्य स्वरूपं परिमाणं च ।

गुज़ारे के अधिकार का रूप और परिमाण ।

भृतेरधिकृतेनार्यैर्नमार्योपात्त ऋणस्य हि ।
प्राथम्यमत एवैतत्प्राग्देयं भृतितो ध्रुवम् ॥३५६९॥

गुज़ारे के अधिकार से, आर्य (हिन्दू) द्वारा लिये कर्ज़ की निश्चय ही प्रथमता (precedence) है । इसलिए ही यह निश्चय ही गुज़ारे से पहले दिया जाता है ।

भृतिदातृत्वमादिष्टमार्येषु द्विविधं मतम् ।
एकं त्वनात्तद्रविणसंबन्धजनितं तथा ॥३५७०॥
भोगायत्तं तु संपत्तेरपरं परिकीर्तितम् ।
एतयोश्चाथ वैशद्यमत्रैवाग्रे करिष्यते ॥३५७१॥

आर्यों में गुज़ारा देने की ज़िम्मेदारी दो तरह की मानी है । एक तो बिना धन पाये संबन्ध से पैदा हुई और दूसरी संपत्ति के भोग (possession) के अधीन रही कही है । इन दोनों का खुलासा यहीं आगे किया जायगा ।

आर्यो न्यायेन बद्धोऽत्र विनैवार्थागमेन हि ।
भृत्यै पत्न्यास्तथा बालपुत्राणामथवा पुनः ॥३५७२॥
अनूढानां कनीनां च वृद्धपित्रोस्तथैव च ।
व्यक्तिगतस्त्वेष भारोऽस्ति संबन्धजनितस्तथा ॥३५७३॥

आर्य (हिन्दू) यहां पर बिना धन पाये ही पत्नी, बालक पुत्रों या फिर क्वांरी कन्याओं और बुड्ढे माता-पिता के भरण के लिए न्याय (क़ानून) से बँधा है । यह भार (ज़िम्मेदारी) व्यक्तिगत और संबन्ध से पैदा हुई है ।

अतो न्यायेन नो बद्धः पौत्राणां भरणे जनः ।
तथैव भगिनीनां च विमातृणां तथा पुनः ॥३५७४॥

स्नुषाणां भ्रातृपत्नीनां विनैवार्थागमेन तु।
तत्संबद्ध धनं प्राप्य स तद्भारहरः परम् ॥३५७५॥

इसलिए पुरुष बिना धन पाये न्याय से पौत्रों के, उसी प्रकार बहनों के और फिर सौतेली माताओं के, पुत्रवधुओं के और भावजों के भरण-पोषण में बँधा (जिम्मेवार) नहीं है। परन्तु वह उनसे संबन्ध रखनेवाला धन पाकर उनका भार उठानेवाला हो जाता है।

मिताक्षरानुगम्लिष्टकुटुम्बस्य प्रबन्धकः।
भृत्यर्थं न्यायतो बद्धः पृक्पुंसां तथा पुनः ॥३५७६॥
तत्स्त्रीणां तदपत्यानां चाऽतः पुंसि मृतेऽपि सः।
भरेत्तद्धिधवाऽपत्ये कुटुम्बार्थेन निश्चितम् ॥३५७७॥

मिताक्षरा को माननेवाले साझे के कुटुम्ब का प्रबन्धक साझेदार पुरुषों और उनकी स्त्रियों और बाल-बच्चों के भरण के लिए न्याय से बद्ध है। इसलिए (साझेदार) पुरुष के मरने पर भी वह (प्रबन्धक) उस (मृत) की स्त्री और बाल-बच्चों का कुटुम्ब के धन से, निश्चय ही, भरण करे।

यतः प्रबन्धको वंशवित्तेऽत्र भवति प्रभुः।
तत्संबद्धभृतेर्भारं ततः स वहति ध्रुवम् ॥३५७८॥

क्योंकि प्रबन्धक यहां पर वंश के धन का स्वामी होता है, इसलिए उस (धन) से संबद्धों के भरण का भार, निश्चय ही, वह उठाता है।

एषैवाथ व्यवस्थाऽस्ति दायभागेऽपि किन्तु नो।
पृक्तिस्तत्र तु पुत्राणां पित्रा सह कदाचन ॥३५७९॥

दायभाग में भी यही व्यवस्था है। परन्तु उसमें तो पुत्रों का पिता के साथ कभी साझा नहीं होता।

अपुंतोके मृते पत्यौ भार्या तद्दायहारिणी।
तत्र, मैताक्षरेष्वेषा भृत्यर्हा किन्तु केवलम् ॥३५८०॥

यहां (दायभाग में) पति के पुरुष सन्तान के बिना मरजाने पर पत्नी उसका धन का भाग पाती है। परन्तु मिताक्षरा वालों में वह केवल गुजारा पाने लायक होती है।

दायादः प्राप्तदायाद्धि भरेन्नूनं जनान् हि तान्।
तत्पूर्वस्वामिनो ये तु भृतिमानर्हु रत्र तु ॥३५८१॥

दाय-धन को लेनेवाला पाये हुए दाय से उन पुरुषों का भरण करे, जो यहां पर उस (धन) के पहले के स्वामी से भरण पाने के योग्य सिद्ध हो चुके थे।

दायस्तु याति दायादं भारेण सहितः प्रभोः।
अतो दायहरो दायावधौ तद्भारवाहकः ॥३५८२॥

दाय-धन मालिक की जिम्मेवारी के साथ दाय लेनेवाले (हक़दार) के पास जाता है। इसलिए दाय लेनेवाला दाय-धन की सीमा तक उसका भार उठाता है।

पितुः प्राप्तधनः पुत्रस्त्वनूढा भगिनीरथ।
विमातृश्चभरेन्नूनमतो न्यायेन निश्चितम् ॥३५८३॥

इसलिए पिता से धन पानेवाला पुत्र क्वाँरी बहनों और सौतेली माताओं का निश्चय ही, न्याय से भरण करे।

पतिप्राप्तधनानारी भरेच्छ्वश्रू मनास्तराः।
श्वशुरस्तु स्नुषायाश्चाऽधवाया भरणे पुनः ॥३५८४॥
बद्धोऽत्र धर्मतः किन्तु न्यायतः स न भारभाक्।
न्यायेन तस्य दायादो भारभाग् भवति क्वचित् ॥३५८५॥

पति से धन पाई हुई स्त्री सास का भरण पोषण करे। बिना (उसके पति से) धन पाया हुआ ससुर यहाँ पर, विधवा पुत्र वधू के भरण में धर्म से बँधा है, किन्तु न्याय से वह जिम्मेदार नहीं है। उस (ससुर) का धन पानेवाला कहीं-कहीं न्याय से (उस पुत्र-वधू के भरण का) जिम्मेदार हो जाता है।

अन्यावलम्बहीनाऽत्राऽधवा पुत्री तु धर्मतः।
पितुः सकाशाद्भरणं प्राप्तुमर्हा विधानतः ॥३५८६॥
महाराष्ट्रे न दायादाः पितुस्तद्भारवाहकाः।
वङ्गे परं भवेयुस्ते न्यायतस्तद्भृतिप्रदाः ॥३५८७॥

यहाँ पर, अन्य सहारे से हीन विधवा पुत्री धर्म के द्वारा पिता के पास से भरण पाने योग्य होती है। बंबई में पिता का दाय-धन लेनेवाले कानून से उस (पुत्री) का भार उठाने के जिम्मेदार नहीं होते, परन्तु बंगाल में वे (पिता के दायाद) न्याय से उसको भरण देनेवाले होते हैं।

दायादानामभावे तु यत्राऽर्थो राजसाद्भवेत्।
यत्र दण्डे हृतोऽर्थो वा तत्र तद्भरभाग् नृपः ॥३५८८॥

दाय का धन लेनेवाले के अभाव (escheat) में जहाँ पर धन राजा के अधीन हो जाय, या जहाँ धन दण्ड (के रूप) में ले लिया जाय, वहाँ उस (भरण-पोषण) का जिम्मेवार राजा होता है।

भृत्यर्हा जनाः।

जीविका के योग्य जन।

पिता तु पोषयेद् बालान्पुत्रान् स्वामत्र निश्चितम्।
असंसृष्टेन वित्तेन स्वार्जितेनाऽपि वा पुनः ॥३५८९॥

परं वयःस्थितान्पुत्रान् स्वीयेनाऽत्र धनेन तु ।
भर्तुं न्यायेन जनको नो वद्धः स्वार्जितेन वा ॥३५६०॥

पिता यहां पर अपने बालिग पुत्रों का निश्चय ही व्यक्तिगत धन से और अपने कमायें धन से भी भरण-पोषण करे । परन्तु पिता बालिग पुत्रों को, यहां पर अपने धन से या अपने कमाये धन से पालन करने को कानून से बँधा नहीं है ।

मिताक्षरानुगश्लिष्टवंशे स्युस्तातपुत्रकाः ।
चेत्तदा तु युवानोऽपि पुत्राः पृक्तार्थतो, भृतिम् ॥३५६१॥
प्राप्नुयुस्ते यतस्तेत्र जन्मनैवांऽशभागिनः ।
तेष्वेकस्य भृतेः सीमा विभागे तद्धनस्य हि ॥३५६२॥
तस्यांऽशस्याऽऽयसीमान्ता न निवद्धा मता पुनः ।
दायभागानुगेष्वंशभागिनो नो सुता यतः ॥३५६३॥
जन्मतः पैतृके द्रव्येऽतस्तत्र जनकस्तु नो ।
अपृक्तात्पैतृकाद्वाऽपि भरते तान् वयःस्थितान् ॥३५६४॥

यदि मिताक्षरा को माननेवाले कुटुम्ब में पिता और पुत्र हों, तो बालिग पुत्र भी सामे के धन से भरण-पोषण पाते हैं । क्योंकि वे (पुत्र) उस (सामे के धन) में जन्म से ही हिस्सेदार होते हैं । फिर उन (पुत्रों) में से एक की भरण-पोषण (के खर्च) की सीमा उस धन के विभाग करने पर उस (पुत्र) के भाग की आमदनी की सीमा तक ही बंधी नहीं मानी गई है । क्योंकि दायभाग को माननेवालों में पुत्र बाप-दादा के धन में जन्म से हिस्सेदार नहीं माने गये हैं; इसलिए वहां पर पिता बालिग हुए उनको जुदा रहे या बाप-दादा के धन से भी पालन-पोषण नहीं करता ।

अभियोक्तुं विभागाय शक्तः पुत्रस्तु न क्षमः ।
भृत्यर्थमभियोक्तुं हि न्यायतोऽत्र कथञ्चन ॥३५६५॥

हिस्सा करवाने के लिए मुकद्मा चलाने में समर्थ पुत्र यहां पर भरण-पोषण के लिए मुकद्मा चलाने में न्याय से किसी तरह भी समर्थ नहीं होता ।

महाराष्ट्रेऽक्षमः पुत्रोऽभियोक्तुं तत्कृते पुनः ॥३५६६॥
अप्राप्य संमतिं नूनं केषांचिद्-श्लिष्टभागिनाम् ।
अतस्तत्र समर्थोऽसावादातुं पृक्तवित्ततः ।
स्वनिर्वाहकृते वृत्तिमभियोगेन निश्चितम् ॥३५६७॥

फिर बंबई प्रदेश में पुत्र उस (बटवारे) के लिए निश्चय ही कुछ (certain) साझेदारों की संमति प्राप्त किये विना मुकद्मा चलाने में असमर्थ होता है; इसलिए वहां पर वह मुकद्मे द्वारा सामे के धन से अपने निर्वाह के लिए वृत्ति लेने में निश्चय ही समर्थ होता है ।

अनूढा कन्यका भर्तुं पितावद्धो विधानतः ।
मृते पितरि तद्वित्तात्सा भृतिं समवाप्नुयात् ॥३५९८॥

पिता, क्वाँरी कन्या का भरण-पोषण करने के लिए कानून से बँधा है। पिता के मरने पर वह उसके धन से भरण पा सकती है।

जाते विवाहे पुत्री तु त्यक्त्वा पितृकुलं निजम् ।
प्रयाति पतिवंशेऽतः पत्युर्भृतिहरा हि सा ॥३५९९॥

कन्या विवाह हो जाने पर पिता के वंश को छोड़कर पति के वंश में चली जाती है, इसलिए वह पति से भरण-पोषण पानेवाली होती है।

मृते पत्यौ पुनः सा च तद्वित्ताद् भृतिमाप्नुयात् ।
अत्यक्तार्थे मृते तस्मिञ्छ्वशुरः स्वार्थधारकः ॥३६००॥
न्यायतो भारहीनोऽपि धर्मतोऽस्यास्तु भारभाक् ।
तन्मृत्यौ तस्य दायादो दायेन सह तद्भरम् ॥३६०१॥
वहतेऽतस्तु तस्याः स न्यायतो भारभाग्भवेत् ।
इत्थं भर्तृकुले तस्या व्यवस्था न्यायतः कृता ॥३६०२॥

फिर वह (विवाहित कन्या) पति के मरने पर उसके धन से भरण-पोषण पा सकती है। उस (पति) के बिना धन छोड़े मरने पर अपना जुदा धन रखनेवाला ससुर न्याय से जिम्मेदार न होने पर भी धर्म से इस (पुत्रवधू) का भार उठानेवाला (पालन-पोषण करनेवाला) होता है और उस (ससुर) की मृत्यु के बाद उसका धन पानेवाला धन के साथ उस (स्त्री) का भार उठाता है; इसलिए वह उस (स्त्री) का न्याय से भार वहन करनेवाला हो जाता है। इस प्रकार पति के वंश में उस (विवाहित कन्या) की न्याय से व्यवस्था की गई है।

अनवाप्तभृतिर्भर्त्रे रसा भर्त्रा तन्मरणेऽथ च ।
तद्वंशतस्तनस्तस्या व्यक्तिगार्थधरः पिता ॥३६०३॥
न्यायमुक्तोऽपि धर्मेण तस्या भारवहो मतः ।
पितुरन्ते तु तद्दायहरैः पोष्याऽथ सा मता ॥३६०४॥

यदि उसने पति से भरण-पोषण न पाया हो या उसके मरने पर उसके वंशसे (भी) नहीं पाया हो, तो उस (स्त्री) का, व्यक्तिगत धन रखनेवाला, पिता न्याय से मुक्त (जिम्मेदार न) होने पर भी धर्म से उसका बोझा उठानेवाला माना गया है। और पिता के बाद वह (स्त्री) उस (पिता) के धन लेनेवालों द्वारा पोषण करनेलायक मानी गई है।

एवमराष्ट्रे तु जनकदायादैर्धर्मपोष्यताम् ।
एव सा याति नो न्यायपोष्यतां तु कथञ्चन ॥३६०५॥

यद्वे पतिकुलाऽप्राप्तसहाया सा विधानतः ।
पोष्या भवेद्धि जनकदायसंपत्तिहारिभिः ॥३६०६॥

यह (स्त्री) बंबई प्रान्त में तो पिता के धन लेनेवालों द्वारा धर्म से ही पोष्यता को प्राप्त होती है (भरण करने लायक होती है), कानून से पालन करने लायक किसी तरह भी नहीं होती । बंगाल में पति के कुल से सहायता न पाई हुई वह (स्त्री) पिता के दाय का धन लेनेवालों द्वारा कानून से पालनीय हो जाती है ।

पितामहस्तु नो बद्धो भर्तुमत्र विधानतः ।
पौत्रांस्तथैव पौत्रीश्च स्वयं स्वेन धनेन हि ॥३६०७॥

यहां पर दादा पोतों और उसी प्रकार पोतियों का अपने व्यक्तिगत धन से पालन-पोषण करने के लिए कानून से स्वयं (personally) बंधा नहीं है ।

वृद्धौ तु पितरौ भर्तुं सुतो बद्धो विधानतः ।
पितुरप्राप्तवित्तोऽपि मातरं स्वामतो भरेत् ॥३६०८॥

पुत्र वृद्ध माता-पिता का भरण करने के लिए कानून से बँधा है । इसलिए पिता से धन नहीं पानेवाला भी अपनी माता का भरण करे ।

पुत्रोऽपरोऽथ दायादो यत्र दायबहिष्कृतः ।
वैकल्यात्तत्र लभते सकुटुम्बस्त्वसौ भृतिम् ॥३६०९॥
तस्माद्दायाद् यमेषोऽत्र प्रापयिष्यद् ध्रुवं न चेत् ।
बहिष्कृतोऽथ वैकल्यादभविष्यद्विधानतः ॥३६१०॥

जहां पर पुत्र या दूसरा हकदार विकल (अयोग्य-disqualified) होने से दाय (हकदारी का धन) प्राप्त करने से बहिष्कृत (excluded) हो, वहां पर कुटुम्ब सहित वह उस धन से भरण पाता है , जिसको कि वह यदि यहां पर कानून से विकल (अयोग्य) होने से बहिष्कृत न होता तो निश्चय ही प्राप्त करता ।

चतुर्विधास्तु विज्ञेया आर्यस्याऽनौरसाः सुताः ।
प्रथमस्तु द्विजातेर्हि दासीजोऽत्र सुतो भवेत् ॥३६११॥

आर्य (हिन्दू) के दोगले (illegitimate) पुत्र चार तरह के जानने चाहिए । पहला यहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य का दासी से उत्पन्न हुआ पुत्र होता है ।

दासी स्यादार्यकुलजोऽपयदी सततं स्थिता ।
एकस्यैवाऽधिकारेऽत्राऽपरसङ्गविवर्जिता ॥३६१२॥

आर्य (हिन्दू) कुल में उत्पन्न हुई और यहां पर एक ही के अधिकार में रहो, दूसरे के संग से रहित, रखैल स्त्री दासी होती है ।

दास्युत्पन्नस्तु शूद्रेण द्वितीयोऽनौरसः सुतः ।
आर्यस्त्रियामदारायां च तृतीयस्त्वार्यजः पुनः ॥३६१३॥

चतुर्थश्चार्यसंजातोऽनार्यायां तु स्त्रियामिह ।
इत्थं चतुर्विधा लोक आर्यपुत्रास्त्वनौरसाः ॥३६१४॥

शूद्र से दासी में उत्पन्न हुआ दूसरा दोगला पुत्र होता है और फिर हिन्दू से दासी से भिन्न हिन्दू स्त्री में पैदा हुआ तीसरा (दोगला पुत्र) होता है। तथा यहाँ पर हिन्दू से हिन्दू से भिन्न स्त्री में पैदा हुआ चौथा होता है। इस प्रकार संसार में चार प्रकार के आर्यों के अनौरस (दोगले) पुत्र होते हैं।

एतेष्वाद्यो न दायार्हो भरणार्हः स केवलम् ।
पूर्वं तु तद्भृतेर्भारो व्यक्तिगोऽर्थे भवेत्पितुः ॥३६१५॥
तदभावे तु तातस्य वंशपृक्तिगते धने ।
आजीवमेव लभते भरणं त्वेष निश्चितम् ॥३६१६॥

इन (अनौरस पुत्रों) में से पहला दाय (हकदारी का धन) पाने लायक नहीं होता, वह केवल भरण-पोषण के लायक ही होता है। पहले उसके भरण का भार पिता के निजी धन पर होता है और उस (धन) के न होने पर पिता के कुटुम्ब के साथ के साझे के धन पर रहता है। निश्चित रूप से यह जीवन पर्यन्त ही भरण पाता है।

मिताक्षरायामपि ।

मिताक्षरा में भी।

"अत्र च शूद्रग्रहणाद् द्विजातिना दास्यामुत्पन्नः पितुरिच्छयाप्यंशं न लभते नाप्यर्धं, दूरत एव कृत्स्नम् । किन्त्वनुकूलश्चेज्जीवनमात्रं लभते"।

तथा च-(जातोऽपि दास्यां शूद्रेण कामतोऽंशहरो मतः)

यहाँ पर शूद्र शब्द का प्रयोग करने से ब्राह्मण क्षत्रिय, और वैश्य से दासी में पैदा हुआ (पुत्र) पिता की इच्छा से भी हिस्सा नहीं पाता, आधा भी नहीं पाता, सारा तो दूर ही रहा। परन्तु यदि मेल से रहे तो गुजारा मात्र पाता है। और (शूद्र से दासी में पैदा हुआ पिता की इच्छा से भाग पानेवाला माना गया है।)

द्वितीयो भागभाक्त्वे पितुस्तद्व्यक्तिगे धने ।
तदभावेत्वशक्तः स पितुः पृक्तिगताद्धनात् ॥३६१७॥
भागं हर्तुं परं योग्यः केवलं भृतये ततः ।
समा तत्र स्थितिस्तस्याऽधवार्भिकलैस्तथा ॥३६१८॥
दायादैर्येऽक्षमा लब्धुं रिक्थं चांशविभाजने ।
शक्ताः परन्तु ये नूनं कालायाऽऽगामिने तथा ॥३६१९॥

अवधिन्यायतो बाह्यायातीतसमयाय हि।
पृक्थार्थान्निजभृत्यर्थं प्राप्तुं च राजशासनम् ॥३६२०॥
परन्त्वेषोऽपि लभते प्रथमेन समं भृतिम्।
आजीवमेव, न पुनस्तद्वंश्या लभतेऽथ ताम् ॥३६२१॥

दूसरा (अनौरस पुत्र) पिता के बाद (मरने पर) उसके निजी धन में भाग पाता है। उस (निजी धन) के अभाव में वह पिता के साझे के धन से भाग लेने में असमर्थ होता है। परन्तु उसमें केवल भरण-पोषण के योग्य होता है। वहाँ पर (साझे के धन में) उसकी स्थिति विधवाओं और विकलाङ्ग (अयोग्य-disqualified) हकदारों के समान होती है; जो कि हिस्सा-बाँट करने में अपना हकदारी का धन पाने में असमर्थ होते हैं, परन्तु जो साझे के धन से निश्चय ही आगे के समय के लिए और अवधि के कानून (Limitation Act) से बाहरके पीछे के समय के लिए अपने गुजारे के वास्ते अदालत से डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु यह भी पहलेवाले (अनौरस-पुत्र) के समान जीवन पर्यन्त ही जीविका पाता है और फिर उसके वंशज उस (जीविका) को नहीं पाते।

याज्ञवल्क्यस्मृतावपि।

याज्ञवल्क्यस्मृति में भी।

जातोऽपि दास्यां शूद्रेण कामतोऽंशहरो भवेत्।
मृते पितरि कुर्युस्तं भ्रातरस्त्वर्धभागिनम्॥ (१३३)

शूद्र से दासी में उत्पन्न हुआ पुत्र पिता की इच्छा से भाग लेनेवाला होता है। पिता के मरने पर भाई (पिता की ब्याही हुई स्त्री के पुत्र) उसको आधा हिस्सा देवें। (अर्थात्-अपने हिस्से से आधा हिस्सा देवें)।

तृतीयोप समुत्पन्नोऽपीहाकस्मिकसंगमात्।
व्यभिचाराद्थ पुनर्भृत्यर्हो भवति ध्रुवम् ॥३६२२॥
सति ताते इतस्तस्मात् तदन्ते तन्निजार्थतः।
भृतिं, तस्याऽप्यभावे स तत्पृक्थार्थाच्च तां भजेत् ॥३६२३॥

और तीसरा (अनौरस पुत्र), चाहे अकस्मात् के (casual) संगम से या व्यभिचार (adultery) से, उत्पन्न हुआ हो, निश्चय ही भरण पाने योग्य होता है। पिता के रहते उससे भरण प्राप्त करता है और उनके मरने पर उसके व्यक्तिगत धन से लेता है और उसके भी न होने पर उसके साझे के धन से उसे पाता है।

एषः व्यक्तिगतस्तस्याऽधिकारोऽतस्तु तद्भवाः।
तदन्ते भृतिमर्हन्ति नो कथञ्चिदपि ध्रुवम् ॥३६२४॥

यह (उपर्युक्त भरण पाने का) अधिकार उस (अनौरस पुत्र) का अपना

(व्यक्तिगत) है। इसलिए इसके बाद उसके पुत्रादि, निश्चय ही, किसी प्रकार भी भरण पाने योग्य नहीं होते।

मैताक्षरेषु लभते भृतिमाजीवमेव हि।
आबाल्यमेव वङ्गे तु नो वयः प्राप्त्यनन्तरम् ॥३६२५॥

यह (तीसरा अनौरस पुत्र) मिताक्षरा को माननेवालों में जीवन पर्यन्त ही जीविका पाता है, परन्तु बंगाल में नाबालिगी तक ही (पाता है)। बालिग होने के बाद नहीं।

अनर्हस्तु चतुर्थोऽथ भृतये पितृवित्ततः।
आर्यन्यायेन किन्त्वेष क्षमस्तत्प्राप्तये पुनः ॥३६२६॥
पञ्चबाणाङ्कचन्द्रेऽब्दे स्वीकृतेनात्र निश्चितम्।
दोषिदण्डविधानस्य वस्वष्टाब्ध्यङ्कशालिना ॥३६२७॥
विभागेन स्वतातस्य जीवनान्तं हि केवलम्।
मृते तस्मिन्न तद्द्रव्यात्स भृतिं लभते परम् ॥३६२८॥

और चौथा (अनौरस पुत्र) हिन्दुओं के कानून से पिता के धन से भरण (पाने) के लिए अयोग्य होता है। परन्तु फिर वह यहाँ पर वि० सं० १९५५ (ई० स० १८९८) में निश्चित रूप से स्वीकृत किये दोषी को दण्ड देने के कानून (The Code of Criminal Procedure) के ४८८ की संख्यावाले विभाग (section) से अपने पिता के जीने तक उस (भरण) को पाने में समर्थ होता है। परन्तु उस (पिता) के मरने पर उसके धन से भरण नहीं पाता।

द्रविडे प्रागलभत द्वितीयो दयया भृतिम्।
किन्त्वद्य पितुरुत्सृष्टार्थानुरूपाऽथ जीवति ॥३६२९॥
तस्मिंस्तस्य स्थितेश्चानुरूपा सा तस्कृते कृता।
न्यायाधीशैर्विधानेन तत्र संस्कृत्य प्राग्मतम् ॥३६३०॥

मद्रास में पहले दूसरा (अनौरस पुत्र) दया से भरण पाता था (अर्थात्—जीवन धारण करने मात्र के योग्य ही जीविका पाता था)। परन्तु आजकल न्यायाधीशों ने वहाँ पर पहले मत को सुधारकर उसके लिए उस (भृति) को कानून से, पिता के छोड़े हुए धन के अनुरूप और उस (पिता) की जीवितावस्था में उस पुत्र की स्थिति (हैसियत) के अनुरूप (अर्थात्—पिताने जिस प्रकार से उसे रक्खा हो उसके अनुरूप) कर दिया है।

स्वस्य दासीभवत्वेऽर्थं यावन्तं हि लभेत सः।
तदायतोऽधिकं नैव लभते व्यभिचारजः ॥३६३१॥

अपने दासी पुत्र होने पर वह जितना धन पाता, व्यभिचार से उत्पन्न हुआ (पुत्र) उसकी आमदनी से अधिक (भरण) नहीं पाता।

आर्यन्यायेन भृत्यर्हाऽनौरसी न सुता मता।
दोषिदण्डविधानेन परं सा तद्ग्रहे क्षमा ॥३६३२॥

हिन्दू कानून से अनौरस (दोगली) लड़की भरण के योग्य नहीं मानी है। परन्तु दोषी को दण्ड देने के कानून (The Code of Criminal Procedure 1893 A. D, sec.-488) से वह उस (भरण) को लेने में समर्थ हो जाती है।

न क्षमस्त्ववरुद्धायै स्त्रियै पृक्तिगतं धनम्।
दातुमार्योऽत्र भृत्यर्थं, नो बद्धश्चाऽप्यसौ पुनः। ३६३३॥
तदर्थं, किन्तु शक्तः स त्यक्तुं तां तु यथेप्सितम्।
अदत्त्वैव भृतिं, साऽपि भृत्यादानेऽक्षमा पुनः ॥३६३४॥
परं तन्मृत्युपर्यन्तं परवर्जं स्थिता यदि।
तदाधीन्येऽन्यगेहेऽपि शुचित्वेन तु सा तदा ॥३६३५॥
दायादात्तांस्वभर्तुर्हि दायतः सा भृतिं हरेत्।
स्थितिस्तूपपतेर्गेहे तस्या नावश्यकी यतः ॥३६३६॥

यहां पर (कोई भी) हिन्दू अवरुद्धा स्त्री (उपपत्नी) को भरण के लिए साझे का धन नहीं दे सकता और फिर उस (भरण) के लिए वह बँधा भी नहीं होता। उलटा वह उस (उपपत्नी) को बिना जीविका दिये ही अपनी इच्छा से छोड़ सकता है। तथा वह भी भरण प्राप्त करने में असमर्थ होती है। परन्तु यदि वह उस (उपपति) के मरने तक दूसरों को छोड़कर उसकी अधीनता में, दूसरे घर में भी, पवित्रता से रही हो, तो वह दायाद (हक्दार) द्वारा लिए अपने पति के धन से भरण ले सकती है; क्योंकि उसका उपपति के घर में रहना आवश्यक नहीं है।

सति पत्यावपि स्त्री स्यादवरुद्धा क्वचित्परम्।
क्वचित्पत्या विरहिताऽवरुद्धा सा मता बुधैः ॥३६३७॥

कहीं पति के जीवित होते भी स्त्री अवरुद्धा (उपपत्नी) हो जाती है। परन्तु कहीं विद्वानों ने पति से रहित उस (स्त्री) को उपपत्नी माना है।

उपपत्न्यै भृतिं दातुं न्यायेशश्चिन्तयेद् ध्रुवम्।
तद्वयस्तत्स्थितिं पूर्वां रिक्थं चोपपतेस्तथा ॥३६३८॥

न्यायाधीश उपपत्नी को भरण देने में निश्चय ही उस की आयु, उसकी पूर्व-स्थिति और उपपति के धन का विचार करे।

पत्न्या भृतिः।

भार्या की जीविका।

भार्याया भरणे भर्ता स्वीयसंबन्धतः स्वयम्।
भवेदुत्तरदस्तत्र न प्रश्नोऽर्थं हि पैतृकम् ॥३६३९॥
उत व्यक्तिगतं त्वेष धनस्त्वथ न वा पुनः।
व्यक्तिगस्तस्य भारोऽयं यतस्तस्मान्न सा क्षमा ॥३६४०॥
पत्युः पलायने राज्ञा तद्धनेऽप्यात्मसात्कृते।
परहस्तगते वाऽस्मिन् भृत्यादाने तदर्थतः ॥३६४१॥

पति पत्नी के भरण-पोषण के लिए अपने संबंध से स्वयं जिम्मेदार है। वहां पर उसके पास बाप-दादा का या निजी धन है या नहीं इसका सवाल नहीं है, क्योंकि वह (भार्या का भरण करना) उस (पति) का व्यक्तिगत बोझा है, इसलिए वह (भार्या) वहां पर पति के भाग जाने पर और राजा द्वारा उसके धन के अपने अधिकार में कर लेने पर (attachment under sections 87 and 88 of the Criminal Procedure Code 1898 as the property of an absconder), या उस (पति के धन) के दूसरे (transferee) के हाथ में चले जाने पर उस धन से जीविका लेने में समर्थ नहीं होती है।

प्रतीकाराय सा तत्र व्यवहारनियामकात्।
प्राप्य न्यायालयादाज्ञां तस्मिन्स्वार्थं नियोजयेत् ॥३६४२॥

वह वहां पर (उपर्युक्त अवस्था में) प्रतिकार (remedy) के लिए लेन-देन का नियमन करनेवाले न्यायालय (Civil Court) से डिग्री प्राप्त कर उस (पति के धन) में स्वार्थ (formal charge) लगावे। (अर्थात्–अपने भरण का हक लगावे)।

[illegible]

प्राप्तं, प्राप्ते तु तैस्तस्मिन्सा समर्था भृतिग्रहे ॥३६४४॥

पति की जीवित अवस्था में, उसके द्वारा छोड़ दी गई भी पत्नी अपने रिश्तेदारों या फिर अपने पति के रिश्तेदारों से, यदि उन्होंने उसके पति का धन न पाया हो, तो जीविका नहीं ले सकती। उनके उस (धन) के प्राप्त करने पर तो वह (उनसे) जीविका लेने में समर्थ हो जाती है।

भर्त्राधीन्यं तु भार्यायाः कर्तव्यं प्रथमं यतः।
ततः सा तद्गृहे तस्य रक्षायां निवसेत्सदा ॥३६४५॥

क्योंकि पति की अधीनता में रहना पत्नी का पहला कर्तव्य है, इसलिए वह सदा उस (पति) के घर में उसकी रक्षा में रहे।

पृथग्भृतिं समादातुं पृथग्वस्तुमथापि या।
साऽशक्ता यावदेषा नो भर्तुर्दुश्चरितं त्यजेत्॥३६४६॥
तत्कृते स्वगृहे वासाऽस्वीकृतिं वान्यकारणम्।
उचितं दर्शयेद्येन साऽनन्यगतिका भवेत्॥३६४७

जब तक वह (पत्नी) पति का बुरा बर्ताव, उसके लिए अपने घर में रहने के स्थान की (उसकी) अस्वीकृति या दूसरा उचित कारण न दिखावे, जिससे कि वह (स्त्री) लाचार हो जावे, तब तक वह जुदा जीविका लेने या जुदा रहने को समर्थ नहीं होती।

नैष्ठुर्यं तु परित्यज्याऽपरा तस्याऽप्रसन्नता।
सामान्यः पतिपत्न्योश्च विवादो वाथ तत्कृतः॥३६४८॥
अन्यभार्याग्रहश्चापि त्यागे पतिगृहस्य तु।
तस्या नाऽलं, परं सा तु क्षमा स्यात्तत्कृते पुनः॥३६४९॥
पृथग्भृतिकृते चापि चेत्पत्या स्वोपपत्निका।
निवासिता भवेत्स्वीयगेह एवाथवा पुनः॥३६५०॥
स्वभावनिष्ठुराचारः स तस्यां तु भवेद्यतः।
स्यात्तस्य सहवासेन तस्या व्यक्तिगतं भयम्॥३८५१॥

पत्नी के पति का घर छोड़ने के लिए उस (पति) की निष्ठुरता (cruelty) को छोड़कर दूसरी अप्रसन्नता, या पति और पत्नी का साधारण झगड़ा अथवा उसका किया दूसरी पत्नी का ग्रहण पर्याप्त नहीं होता। परन्तु यदि पति ने अपनी रखेल स्त्री को अपने ही घर में बसा लिया हो या फिर वह (पति) उस (पत्नी) में स्वभाव से ही निष्ठुर आचार वाला हो, जिससे कि उसके साथ रहने से उस (स्त्री) को व्यक्तिगत भय (danger to her personal safety) हो, तो वह (पत्नी) उस (घर छोड़ने) के लिए और फिर अलग जीविका लेने के लिए भी समर्थ हो जाती है।

तत्कृते तत्र नावश्यं क्रौर्यावृत्तेर्हि साधनम्।
न विलम्बोऽभियोगे च प्रतीकारेऽस्ति बाधकः॥३६५२॥

यहां पर उस (स्त्री) के लिए बार बार क्रूरता का किया जाना सिद्ध करना आवश्यक नहीं है और न मुकद्दमे में देर ही प्रतिकार (इलाज) में बाधक होती है।

प्रेम्णैवाथ प्रदत्तं स्यात्पत्या पत्न्यै निजं धनम्।
भृतये, तत्तु नीयेत भर्तृऋणप्रतिशुद्धये॥३६५३॥

पति ने प्रेम से ही पत्नी को जीविका के लिए अपना धन दिया हो, तो वह पति के ऋण चुकाने के लिए लिया जा सकता है।

वसन्त्यपि पृथग्भर्तुः शुद्धाचारा क्षमा मता।
भार्यागत्य कदाप्यत्र भर्तुः स्वभृतियाचने॥३६५४॥

पति से जुदा रहती हुई भी शुद्ध आचरणवाली पत्नी यहां पर किसी समय भी आकर पति से अपनी जीविका माँगने में समर्थ मानी गई है।

प्रागुक्तं तु स्वधर्मं सा परित्यज्य स्थिता पृथक्।
यावत्तावन्न सा शक्ता भर्तुरत्र भृतिग्रहे ॥३६५५॥

जब तक वह (पत्नी) पहले कहे अपने कर्तव्य (पति की अधीनता में और उसकी रक्षा में रहना आदि) को छोड़कर अलग रहती है, तब तक वह यहां पर पति से जीविका लेने में समर्थ नहीं होती।

परं निवृत्तामिच्छन्तीं धामं पत्या सहात्र यः।
न स्वीकरोति भार्यां स्वां दद्यात्तस्यै भृतिं हि सः ॥३६५६॥

परन्तु लौटकर आई और पति के साथ यहां पर रहना चाहती हुई पत्नी को जो ग्रहण नहीं करता वह (पति) उस (पत्नी) को जीविका देवे।

भृतेः प्रमाणं निर्धार्यं समाजस्थितितस्तथा।
दम्पत्योः पूर्वसंबन्धात्पत्युः स्थित्याथवा पुनः ॥३६५७॥

पत्नी की जीविका का प्रमाण पति और पत्नी की सामाजिक स्थिति से, पहले के सम्बन्ध से और पति की स्थिति से निश्चित करना चाहिए।

सहपित्रा धनाढ्येन स्थिता यत्र न याचते।
सा भृतिं पतितो दीर्घकालान्त, निर्धनः पुनः ॥३६५८॥
तद्भर्ता तत्र लभते सा हि तां याचनोत्तरम्।
तत्पूर्वां तु समादातुं न शक्ता सा कथञ्चन ॥३६५९॥

जहां पर धनवान् पिता के साथ रही वह (पत्नी) बहुत समयतक पति से भरण नहीं मांगती है और उसका पति निर्धन होता है, वहां पर वह मांगने के बाद उस (भरण) को पाती है। उसके पहले (के समय के भरण) को लेने में तो वह किसी तरह (भी) समर्थ नहीं होती।

सतीत्वं शङ्कमानेन भर्त्रा पत्नी बहिष्कृता।
गृहात्तया च संप्राप्तं दोषिदण्डविधानतः ॥३६६०॥
भृत्यर्थं शासनं यत्र तत्र भर्ताऽभियुज्य ताम्।
अक्षमः सहवासायोपयोक्तुं तु बलात्पुनः ॥३६६१॥

जहां पर सतीत्व पर शङ्का करनेवाले पति ने पत्नी को घर से निकाल दिया हो और उस (पत्नी) ने दोषी को दण्ड देने के कानून (The Code of Criminal Procedure 1898) से जीविका के लिए डिग्री प्राप्त करली हो, वहां पर पति

मुकद्दमा चलाकर उस (स्त्री) को जबरदस्ती सहवास के लिए उपयोग में लाने में समर्थ नहीं होता।

व्यभिचारायत्या पत्युर्गृहं त्यक्त्वा तु साग्रहम्।
करोति निन्दितं कर्म सा नाप्नोति भृतिं क्वचित् ॥३६६२॥
शासनं तत्कृते प्राप्याऽप्यक्षमा तद्ग्रहे हि सा।
इति शास्त्रिभिराख्यातं नात्र काचिद्विचारणा ॥३६६३॥

जो (स्त्री) व्यभिचार के लिए पति के घर को छोड़कर आग्रह के साथ निन्दित (बुरे) काम करती है, वह कहीं भी जीविका नहीं पाती। वह उस (जीविका) के लिए डिग्री प्राप्त कर के भी उस (जीविका) को लेने में असमर्थ रहती है—ऐसा शास्त्र जाननेवालों ने कहा है, इसमें विचार की कोई बात नहीं है।

परमेकान्ततः साचेद्व्यभिचारं परित्यजेत्।
तद्भर्ता तर्हि तां दद्यादत्यल्पामुचितां भृतिम् ॥३६६४॥

परन्तु यदि वह (स्त्री) व्यभिचार को बिलकुल छोड़ दे, तो उसका पति उसे बहुत थोड़ी उचित जीविका (भोजन कपड़े मात्र का खर्च) देवे।

शास्त्रानुसारतो भर्ता पत्नीं नात्र परित्यजेत्।
चेत्साऽसती तदा रुद्ध्वा तां नियन्त्र्य निजे गृहे ॥३६६५॥
प्राणधारणमात्रार्थमन्नवस्त्रे तथार्पयेत्।
यतस्ततोऽधिकायात्र साऽसमर्था मता बुधैः ॥३६६६॥

शास्त्रों के अनुसार यहां पर पति अपनी स्त्री को नहीं छोड़े। यदि वह व्यभिचारिणी हो, तो उसे रुकावट कर के अपने घर में रक्खे और प्राण धारण मात्र के लिए अन्न और वस्त्र देवे। क्योंकि इससे अधिक के लिए विद्वानों ने यहां पर उसे असमर्थ माना है।

अनुतप्ता भृशं चेतसा सतीत्वं प्रतिपद्यते।
प्रायश्चित्तविशुद्ध्या तु तदा पत्नीत्वमाप्नुयात् ॥३६६७॥
परं तत्सहवासश्चेद्धीनवर्णेन सा तदा।
प्रायश्चित्तविशुद्धापि भृतिं वासश्च विन्दति ॥३६६८॥

यदि पूरी तौर से पश्चात्ताप करनेवाली वह (स्त्री) सतीपन को प्राप्त हो जाती है, तो प्रायश्चित्त द्वारा शुद्ध होने से (फिर) भार्या-पन को प्राप्त होती है। (अर्थात्—फिर पत्नी का आसन ग्रहण करने लायक हो जाती है।) परन्तु यदि उस (स्त्री) का सहवास उससे नीचे वर्णवाले के साथ हो गया हो, तो वह प्रायश्चित्त से शुद्ध होने पर भी रोटी कपड़ा (ही) पाती है। (भार्या का अधिकार नहीं पाती।)

त्यक्तार्यधर्मतोऽप्येषा स्वभर्तुर्भृतिमर्हति ।
त्यक्तधर्मस्य देशीयजनस्योद्वाहनाशिना ॥२६६९॥
विधानेनाभियुज्यैव यत्र भर्त्रा कृतः क्षयः ।
संबन्धस्य तु तत्रापि न्यायेशः शासनप्रदः ॥२६७०॥
आजीवं ननु भार्यायै ततो वृत्तिं प्रदापयेत् ।
उचितां, च पुनर्भूत्वे तस्या विरमतीह सा ॥२६७१॥

हिन्दू धर्म को छोड़देने वाले अपने पति से भी वह (पत्नी) जीविका पाने योग्य होती है । जहां पर पति ने धर्म छोड़नेवाले देशीय जन के विवाह का नाश करनेवाले कानून (The native Converts marriage Dissolution Act 1866 A. D.) से मुकद्दमा चलाकर ही (विवाह) संबन्ध का नाश करदिया हो, वहां पर भी डिग्री देनेवाला न्यायाधीश, निश्चय ही उस (पति) से पत्नी को उचित (भरण-पोषण के लायक) जीविका दिलवावे, और उस (स्त्री) के पहां पर दूसरा विवाह करलेने पर यह (जीविका) बंद हो जाती है ।

भर्ता यत्र निजैनैव वैकल्येन बहिष्कृतः ।
दायादत्वेन, तद्भार्या पत्यवैकल्यलभ्यतः ॥२६७२॥
धनात्तत्र भृतिं नूनं प्राप्नोत्येव न संशयः ।
तया त्यक्ते सतीत्वे तु भृतिर्विरमतीह सा ॥२६७३॥

जहां पर पति अपनी विकलता (personal disability) से हकदार पने से बाहर करदिया गया हो, वहां पर उसकी स्त्री पति के अविकल (able) होने से (उस पति को) मिलने वाले धन से निश्चय रूप से जीविका पाती ही है, इसमें संशय नहीं है । परन्तु उसके सतीपन को छोड़ देने पर, यहां पर, वह जीविका बंद हो जाती है ।

विधवाया भृतिः ।

विधवा की जीविका ।

अप्राप्तदाया या भर्तुर्दायभाक्त्वेन निश्चितम् ।
भृत्यर्हा साऽधवा तस्य विनाहेतुरविभक्ताधनात् ॥२६७४॥
पृथकार्थादभवद्यस्मिन्मृत्युकाले तु तत्पतिः ।
संश्लिष्टोऽत्र स्थिता चापि पृथग्भर्तुरकारणम् ॥२६७५॥

जिस विधवा ने निश्चय ही पति के धन की हकदार के रूप से (उसका) दायधन नहीं पाया हो, वह विना कारण पति से अलग रहती हुई भी उस (पति) के व्यक्तिगत धन से या जिसमें, यहां पर, मरने के समय पति समेदार रहा हो उस धामे के धन से, जीविका पाने योग्य होती है ।

पत्यौ जीवति तन्मृत्युकाले वा सा स्थिता पृथक् ।
तस्माच्च तदप्यत्र भृत्यर्हत्वात्प्रवच्यते ॥३६७६॥

यदि पति के जीते जी या उसके मरने के समय वह (स्त्री) उससे जुदा रहती हो, तो भी यहां पर भरण पाने की योग्यता से वंचित नहीं होती ।

भार्या व्यक्तिगतं वित्तं यत्र धारयति स्वकम् ।
तत्र पृक्ते मृते पत्यौ तस्य तत्पृक्तवित्ततः ॥३६७७॥
समर्था भृतिमादातुं सा न वेति न निश्चितम् ।
वङ्गेऽसमर्था सा किन्तु द्रविडे तु क्षमा मता ॥३६७८॥
परं भृतेरियत्ताया निर्णये तु विचार्यते ।
तस्या व्यक्तिगतार्थस्य तत्रायोऽपि सुनिश्चितम् ॥३६७९॥

जहां पर पत्नी अपना निज का व्यक्तिगत धन रखती है, वहां पर साझे में रहे उसके पति के मरने पर वह (स्त्री) उस (पति) के साझेवाले धन से जीविका लेने में समर्थ है या नहीं–यह निश्चित नहीं है । बंगाल में वह (लेने में) असमर्थ है, किन्तु मद्रास में समर्थ मानी गई है । परन्तु वहाँ पर (मद्रास में) जीविका की इयत्ता (परिमाण) का निश्चय करने में उस (स्त्री) के व्यक्तिगत धन की आमदनी का भी, निश्चितरूप से, विचार किया जाता है ।

पत्युः पृक्तिगतं भूरि वित्तं तद्धस्तगं पुनः ।
यावन्तं समयं तस्यै पर्याप्तं भृतये भवेत् ॥३६८०॥
तावन्तं न क्षमा भर्तृपृक्तानत्राऽभियुज्य सा ।
तेभ्यो भृतिं समादातुं तत्कालान्ते तु सा क्षमा ॥३६८१॥

फिर उसके हाथ में गया पति का साझे का बहुत सा धन जितने समय तक उसके पोषण के लिये पर्याप्त हो, उतने समय तक वह, यहां पर, पति के साझेदारों पर मुकद्दमा चलाकर उनसे जीविका लेने को समर्थ नहीं होती । (परन्तु) उस समय के बीतने पर वह समर्थ होती है ।

पत्युः पृक्तिगतं वित्तं हस्तगं नाशितं स्त्रिया ।
भृत्यर्थमभियोगात्तु पूर्वमेव भवेद्यदि ॥३६८२॥
तदापि न क्षमा सा स्याद्भृत्याऽऽदाने तु तावते ।
कालाय यावते स्यात्सीत्पर्याप्तं तत्तु निश्चितम् ॥३६८३॥

यदि स्त्री ने पति की साझेदारी का हाथ में आया धन, जीविका के लिए मुकद्दमा चलाने के पहले ही, नष्ट कर दिया हो, तो भी वह उतने समय के लिए जीविका लेने में समर्थ नहीं होती, जितने के लिए वह (धन) निश्चय ही पर्याप्त था ।

पत्यौ जीवति संप्राप्तं शासनं भृतये तथा।
वासाय प्रतिभर्तारं पत्न्या तन्नैव बाधकम् ॥४६८४॥
पत्यौ मृतेऽधवाया हि दायादेभ्योऽत्र तस्य तु।
स्वहृते न्यायतो प्रार्थ्य प्रापणे भृतिवासयोः ॥३६८५॥

पत्नी ने पति के जीते जी गुजारे और स्थान के लिए पति पर डिग्री प्राप्त करली हो, तो वह पति के मरने पर (उसकी) विधवा द्वारा उस (पति) का धन लेनेवालों से, यहां पर, अपने लिए न्याय से प्रार्थना करके, भरण और स्थान प्राप्त करने में बाधक नहीं होती।

पृक्ताऽर्थेऽथ विभक्ते चेत्संश्लिष्टै रभियोजयेत्।
भृत्यर्थं विधवा तर्हि साऽऽप्नुयाद्राजशासनम् ॥३६८६॥
तानेव प्रति यैस्तत्र पुत्रपौत्रादिभिर्ध्रुवम्।
तद्भर्तुर्भाग आप्तः स्यान्नान्यान्प्रति कदाचन ॥३६८७॥

यदि विधवा स्त्री साझेदारों द्वारा साझे के धन के बाँट लेने पर जीविका के लिए मुकद्दमा चलावे, तो वह उनके विरुद्ध ही डिग्री पाती है, जिन पुत्र-पौत्र और प्रपौत्र आदि ने यहां पर निश्चय हो, उसके पति का भाग प्राप्त किया हो। दूसरों के विरुद्ध कभी नहीं पाती।

पत्युः पृक्तकुटुम्बेऽत्राऽवशिष्टेभ्यो भृतिं निजाम्।
प्राप्ता पत्यधवा नायकरदानाय कल्पते ॥३६८८॥
पृक्तावशिष्टस्त्वेकोऽपि तेषु चेत्तर्हापीह सा।
दद्यादायकरं नैव न्यायतस्तु कदाचन ॥३६८९॥

पति के साझे के कुटुम्ब में पीछे बचे लोगों से अपनी जीविका लेती हुई विधवा आमदनी पर लगनेवाले कर को देने योग्य नहीं होती (अर्थात्--वह आयकर नहीं देती)। उन साझेदारों में एक भी पीछे रहा हो, तो भी वह (विधवा) न्याय से कभी आयकर नहीं देवे।

भर्तुतो भृतिमिच्छन्ती पत्नी नात्र क्षमा भवेत्।
त्यक्तुं पतिगृहं वस्तुमन्यत्र च कदाचन ॥३६९०॥
परन्तु विधवा शक्ताऽऽदातुं पत्यर्थतो भृतिम्।
शुचित्वेन वसन्त्याराद‌पि भर्तुकुटुम्बतः ॥३६९१॥

पति से जीविका चाहती हुई पत्नी यहां पर पति के घर को छोड़ने को और दूसरी जगह रहने को कभी समर्थ नहीं होती। परन्तु विधवा पवित्रता के साथ पति के कुटुम्ब से दूर रहती हुई भी पति के धन से जीविका ले सकती है।

सतीत्वं च परित्यागोऽपराऽनुचितकर्मणाम्।
भृत्यर्हत्वे पणौ मुख्यौ न वासस्तत्र कारणम् ॥३६९२॥

सनीपन और दूसरे अनुचित कामों का त्याग (ही) जीविका पाने योग्य होने में दो मुख्य शर्तें हैं। उसमें स्थान (साथ रहना या जुदा रहना) कारण नहीं है।

यत्राल्पत्वेन संपत्तेः पृथक् पोषस्त्वसंभवः।
न्यायेशस्तत्र संचिन्त्य स्थितिं प्रत्यादिशेद्धि तम् ॥३६६३॥

जहां पर संपत्ति के थोड़ी होने से अलग जीविका असंभव हो, वहां पर न्यायाधीश स्थिति का विचार करके उस (जीविका) का इनकार करदे।

पतीच्छापत्रतो यत्र स्त्रीभृतिः स्यान्नियन्त्रिता।
स्वगेहे निजवंश्यैस्तु सार्धं निवसनेन हि ॥३६६४॥
अकारणं त्यजन्ती तु तद्गृहं तत्र साऽक्षमा।
आदातुं पतिसंपत्तेर्भृतिं स्वस्यै विधानतः ॥३६६५॥

जहां पर पति के इच्छापत्र द्वारा स्त्री की जीविका अपने घर में अपने वंशजों के साथ रहने से बाँध दी गई हो (अर्थात्-जहां पर उसके लिए ऐसा करने का बन्धन लगा दिया गया हो), वहां पर बिना कारण के ही उस घर को छोड़ती हुई वह पति की संपत्ति से अपने लिए जीविका लेने में कानून से असमर्थ होती है।

विधवा या त्यजेत्पत्युर्गृहं नाऽशुचिकर्मणे।
भृतये प्रार्थयेताऽथ किञ्चित्कालात्यये पुनः ॥३६६६॥
समर्था भृतिमादातुं गृहत्यागदिनाद्धि सा।
ऋणेनैव तया पोषः कृतस्त्वद्यावधि ध्रुवम् ॥३६६७॥
साधनं तत्कृते नैतदावश्यं तत्र चाऽथवा
नाऽवश्यं तद्गृहत्यागकारणस्य प्रदर्शनम् ॥३६६८॥

जो विधवा पति के घर को अपवित्र काम के लिए नहीं छोड़े (अर्थात्-अन्य कारण से छोड़े) और फिर कुछ समय बीत जाने पर जीविका के लिए प्रार्थना करे, वह घर छोड़ने के दिन से जीविका लेने की समर्थ मानी गई है। उसने निश्चय ही अबतक कर्ज से गुजारा किया है-इसका सिद्ध करना, वहां पर उसके लिए आवश्यक नहीं है और न उसके लिए घर छोड़ने के कारण को दिखलाना ही आवश्यक है।

मृते पत्यौ स्थिता यत्र विधवा तद्गृहे तथा।
प्राप्ता भृतिस्तया त्वन्नवस्त्ररूपेण तत्र सा ॥३६९९॥
भर्तुर्मृतिदिनाच्चैव शक्ताऽऽदातुं भृतिं, परम्।
क्रौर्येण वार्थकृच्छ्रेण रक्षिता चेत्क्षमा भवेत् ॥३७००॥

जहां पर विधवा पति के मरने पर उसके घर में रही हो और उसने अन्न और वस्त्र के रूप में जीविका पाई हो, वहां पर वह पति के मरने के दिन से ही (नकद-रूप में) जीविका लेने में समर्थ नहीं होती। परन्तु यदि वह क्रूरता के साथ या गरीबी के साथ रक्खी गई हो तो समर्थ होती है।

समयस्तु कृतो यत्र भृतिं दातुं सुनिश्चिताम् ।
निश्चिते दिवसे तस्यै प्रतिवर्षं, मृता परम् ॥३७०१॥
सा तद्दिवसतः पूर्वं तत्र तद्दायहारकः ।
तन्मृत्यन्तं भृतेरंशं गृह्णीयाद्दिनसंख्यया ॥३७०२॥

जहाँ पर उस (विधवा) को प्रतिवर्ष निश्चित किये दिन को निश्चित की हुई जीविका देने का वादा किया गया हो, परन्तु वह उस दिन के पहले ही मरगई हो, वहाँ पर उस (विधवा) का दाय-धन लेनेवाला उस (विधवा) के मरने तक, दिनों की गिनती से, जीविका के हिस्से को ले लेवे। (अर्थात्-जितने दिन वह विधवा जीवित रही हो, उतने दिन की जीविका प्राप्त करले।)

सतीत्वेनैव विधवा भृतिं विन्दत्यसंशयम् ।
असतीत्वेऽक्षमा प्राप्तशासनाऽपि च तत्कृते ॥३७०३॥

विधवा सतीपन से ही निःसन्देह जीविका पाती है। असती पन से उस (जीविका) के लिए डिग्री पाई हुई भी (जीविका प्राप्त करने में) असमर्थ रहती है।

तत्कृते भृतिदानार्थं विहितः समयोऽपि च ।
नश्यत्यत्राऽसतीत्वे तु तस्याः सिद्धे सुनिश्चितम् ॥३७०४॥

और उसके लिए किया जीविका देने का वादा भी, यहां पर उसके असती पन के सिद्ध हो जाने पर निश्चय ही नष्ट हो जाता है।

असतीत्वं परं तस्याः प्रतिवादी प्रमाणयेत् ।
यतस्तस्य कृते सैव निश्चयेनोत्तरप्रदः ॥३७०५॥

परन्तु उसका असतीपन प्रतिवादी (विपक्षी) सिद्ध करे; क्योंकि उसके लिए वही निश्चितरूप से उत्तर-दाता है।

असतीत्वं परित्यज्य सतीत्वग्रहणेन सा ।
प्राणधारणमात्रार्थमन्नवस्त्रे तु विन्दते ॥३७०६॥

वह असतीपन को छोड़कर सतीपन ग्रहण करलेने से जीवन-निर्वाह मात्र के लिए अन्न-वस्त्र पाती है। (श्लोक ३२३-३२४ और ३६६३-३६६४)

भृत्यनर्हां विधातुं तां प्रतिवादी तु साधयेत् ।
अभियोगेऽसतीत्वं हि विधवायाः सुनिश्चितम् ॥३७०७॥

विपक्षी उसको जीविका पाने के अयोग्य करने के लिए मुकद्दमे में (उस) विधवा के असतीपन को निश्चितरूप से सिद्ध करे।

स्वार्जितार्थाय चेद् भर्तुस्तद्द्दश्यानभियोजयेत् ।
विधवा ते च समयं कुर्युर्निश्चित्य मासिकम् ॥३७०८॥

वार्षिकं वा धनं तस्यै, नो दद्युः किन्तु तत्पुनः।
साऽसत्यप्यभियुज्यात्र तद्यादातुं तु तत्क्षमा ॥३७०९॥

विधवा यदि पति के अपने कमाये धन के लिए उसके कुटुम्बवालों पर मुकद्दमा चलावे और वे उसके लिए महीने का या साल का धन तय करके (उसको देते रहने का) वादा करलें, परन्तु फिर उसे न दें, तो ऐसी जगह असती (होने पर) भी वह उन पर मुकद्दमा चलाकर उस (तय किये धन) को ले सकती है।

मृतिपत्रप्रदत्ताया भृतेरपि न वञ्च्यते।
साऽसतीत्वेन चेत्तत्र प्रतिबन्धो न तत्कृते ॥३७१०॥

यह असतीपन के कारण इच्छापत्र द्वारा दी गई जीविका से भी उस (इच्छापत्र) में उस (असतीपन) के लिए रुकावट न हो, तो वञ्चित नहीं होती।

आर्याधवा समर्थात्र वस्तुं स्वपतिवेश्मनि।
यस्मिन्सा न्यवसत्पत्या सह तस्मिन् हि जीवति ॥३७११॥
विशेषासु त्ववस्थासु साऽक्षमा तत्कृते यथा-
सपत्न्यै तत्प्रदत्ते सा स्यात्पतीच्छादलेन तु ॥३७१२॥

हिन्दू विधवा वहां पर अपने पति के घरमें, जिसमें वह पति के साथ उसकी जीविताावस्था में रह चुकी हो, रह सकती है। (परन्तु) विशेष अवस्थाओं में वह उसके लिए असमर्थ होती है। जैसे-पति के इच्छापत्र द्वारा उस (घर) के सौत को दे दिये जाने पर वह (असमर्थ) हो जाती है।

नाप्नोति पोषं विधवा द्वितीयोपयमान्तरम्।
पूर्वभर्तुर्हि संपत्या न्यायेनेदं सुनिश्चितम् ॥३७१३॥

विधवा दूसरे विवाह के बाद पहले पति की संपत्ति से जीविका नहीं पाती, यह कानून से निश्चित किया गया है।

द्वितीयोपयमः किन्तु जात्याचारमतो यदि।
पुनर्भूत्वेऽपि सा तर्हि प्रयागे लभते हि तम् ॥३७१४॥
चेन्न तद्ग्रहणं जात्याचारेणैव विवर्जितम्।
कोशलेष्वपि पूर्वोक्तं मतमङ्गीकृतं बुधैः ॥३७१५॥

परन्तु यदि दूसरा विवाह जाति के रिवाज से माना हुआ हो तो वह, दूसरा विवाह करलेने पर भी, यदि उस (जीविका) का लेना जाति के आचार से ही वर्जित न हो तो, इलाहाबाद में (हाईकोर्ट के मतानुसार) उस (पोष-जीविका) को पाती है। अवध में भी विद्वानों (चीफकोर्ट के जजों) ने (यही) पहले कहा मत स्वीकार किया है।

परमन्यत्र प्राग्भर्तुः प्रासादायादि वञ्च्यते।
सा तदर्थाद् भृतिं चापि नाप्नोत्यन्यविवाहतः ॥३७१६॥

बंबई में उस विषय में नियम है कि यदि उसका पति स्वयं (पाने) मरने के समय पिता का साझेदार हो तब ही वह जीविका पाने लायक होती है।

व्ययितं मृतिपत्रेण श्वशुरेण निजं धनम्।
यत्र तत्र स्नुषाऽशक्ता तद्ग्रहीतुर्भृतिग्रहे ॥३७२४॥
महाराष्ट्रीयनियमस्यास्यैवानुकृतिः पुनः।
द्रविडेऽपि न्यायाधीशैरीदृग्योगे विधीयते ॥३७२५॥

जहां पर ससुर ने इच्छापत्र से अपना धन खर्च (dispose) कर दिया हो, वहां पर (विधवा) पुत्र-वधू उस धन को लेनेवाले (devisee) से जीविका लेने में असमर्थ होती है। फिर बंबई के इस नियम का ही अनुकरण मद्रास में भी न्यायाधिकारियों द्वारा ऐसे मौके पर निश्चितरूप से, किया जाता है।

नाऽसमर्था स्नुषा प्रत्याख्यात्यप्यत्र सुनिश्चितम्।
श्वशुरालयवासं हि तद्धनात्तु भृतिग्रहे ॥३७२६॥

यहां पर ससुर के घर में रहने से निश्चयरूप से इनकार करती हुई भी पुत्र-वधू उस (ससुर) के धन से जीविका लेने में असमर्थ नहीं होती।

जात्या बहिष्कृताऽप्यार्या पत्नी भृत्याऽसितस्त्विह।
नो बहिष्क्रियते नूनं विधानेन कथञ्चन ॥३७२७॥

जाति से बाहिर की हुई भी हिन्दू भार्या कानून के द्वारा निश्चय ही जीविका पाने से किसी तरह वञ्चित नहीं की जाती।

भृत्याः परिमाणम्।

जीविका का परिमाण।

साधारण्येन देयात्राऽधवार्थमियती भृतिः।
भर्तृवेश्मसमस्थित्या यया सा निवसेत्सुखम् ॥३७२८॥
कारणानि न तत्र स्युर्विपर्ययकराणि चेत्।
न्यायेशस्त्वथ चैतानि चिन्तयेद् भृतिनिर्णये ॥३७२९॥
पत्युर्वित्तप्रमाणं तस्या मृतभर्तुस्तथा स्थितिः।
तदावश्यकता साधं व्ययेनायोचितेन तु ॥३७३०॥
धर्मणे वान्यकार्येभ्यो यान्यथार्याणि जीवने।
पारस्परिकसम्बन्धो दम्पत्योश्च पुरातनः ॥३७३१॥

साधारण तौर से विधवा को इतनी जीविका देनी चाहिए जिससे कि वह यदि वहां पर उलट-फेर करने वाले कारण न हों, तो पति के घर के समान अवस्था में सुख से रह सके। न्यायाधीश जीविका का निर्णय करने में इन बातों का विचार

करे:-(उसके) पति की संपत्ति और कर्जा, उसकी और उसके मृत पति की स्थिति (Position and status), उस (विधवा) की, धर्म के या अन्य कार्यों के लिए, जो जीवन में अनिवार्य (जरूरी) होते हैं, उचित खर्च के साथ आवश्यकता और पति और पत्नी का आपस का पुराना सम्बन्ध।

चिन्त्यं तत्स्त्रीधनं चापि तच्चे दायप्रदं पुनः ।
वस्त्राभरणरूपं यत्तदनायप्रदं परम् ॥३७३२॥

और फिर उस (विधवा) का स्त्री-धन भी यदि वह आमदनी देने वाला हो, तो विचारना चाहिए। परन्तु जो कपड़े और गहने के रूपवाला होता है, वह आमदनी देनेवाला नहीं होता ।

बहुमूल्या अलङ्कारा यदि स्युर्विक्रयोचिता ।
विचार्यास्तेऽपि तत्पोषनिर्णयेऽत्र सुनिश्चितम् ॥३७३३॥

कीमती आभूषण यदि बेचे जाने लायक हों तो, यहां पर उसकी जीविका का निर्णय करने में, उनका भी निश्चय ही विचार करना चाहिए ।

स्वेच्छया भ्रातृदत्ता तु तद्वृत्तिर्न विचिन्त्यते ।
स्थायित्वं न यतस्तस्या ऐच्छिक्येवात्र सा मता ॥३७३४॥

भाई द्वारा अपनी इच्छा से दी हुई उसकी जीविका का विचार नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी स्थिरता नहीं होती। वह यहां पर इच्छा से संबन्ध रखने वाली ही मानी जाती है।

स्वोद्योगेनार्ज्यं आयोऽपि तस्या नैव विमृश्यते ।
भृतेस्तु निर्णये, यस्मात्सोऽप्यस्थायी मतो बुधैः ॥३७३५॥

जीविका के विषय में उसकी अपने उद्योग से प्राप्त होने वाली आमदनी भी विचार में नहीं ली जाती; क्योंकि वह भी विद्वानों द्वारा अस्थायी मानी गई है।

पर्याप्तस्त्रीधनाया सा पत्युः पृक्तिगताद्धनात् ।
भृत्यादाने क्षमा नोवेत्यत्रास्ति मतभिन्नता ॥३७३६॥

भरपूर स्त्री-धन की आयवाली वह (विधवा) पति के साझेवाले धन से जीविका ले सकती है या नहीं-इसमें भिन्न मत हैं। (देखो श्लोक ३६७७-३६८६)

जीवत्पत्यर्द्धपृक्तांशस्यायात्समधिकां भृतिम् ।
नूनं तद्धवा नैव लभते पृक्तवित्ततः ॥३७३७॥

जीवित पति से प्राप्य साझे के धन के भाग की आमदनी से अधिक जीविका, निश्चय ही, उसकी विधवा, साझे के धन से, नहीं पाती है।

संपत्तिस्तु यदा भूरि ऋणेन परिवेष्टिता ।
पञ्चमांऽशोऽथ षष्ठांऽशः पूर्वोक्ताया अलं तदा ॥३७३८॥

जब संपत्ति बहुत सारे ऋण से घिरी हो, तब पहले कही (उपर्युक्त श्लोक में कही जीविका) का पाँचवाँ या छठा हिस्सा पर्याप्त होता है।

एकदैव यया प्राप्तो भूर्यर्थो भृतये तथा।
व्ययितः स, न सा शक्ता भृत्यादाने पुनर्ध्रुवम् ॥३७३९॥

जिस (विधवा) ने जीविका के लिए एकबार ही बहुत सा धन पाया और खर्च कर दिया हो, वह निश्चय ही फिर जीविका लेने में समर्थ नहीं होती।

सामान्येन विधानेन विधवा लभते भृतिम्।
कालानुरूपां चोद्वीक्ष्य कार्याणामनिवार्यताम् ॥३७४०॥

साधारण कानून से समय के अनुसार कामों की आवश्यकता को देख कर ही विधवा जीविका पाती है।

इयत्ताऽप्यथ संपत्तेर्मुख्या भृतिविनिर्णये।
परं सैव न निष्कर्षो ज्ञेयस्तत्र सुनिश्चितः ॥३७४१॥

संपत्ति का परिमाण भी जीविका के निश्चय करने में मुख्य है। परन्तु उसे ही उसमें निश्चित कसौटी (Criterion) नहीं जानना चाहिए।

भृत्यादानोद्यतायास्तु विधवाया विचिन्त्यते।
आचारोऽपि भृतेस्तस्या निर्णये विबुधैरिह ॥३७४२॥

जीविका लेने को तैयार हुई विधवा का आचरण भी यहाँ पर विद्वानों द्वारा उसकी जीविका के निर्णय करने में विचारा जाता है।

विधवाप्रेतकृत्यर्थं देयः पत्यर्थतो व्ययः।
स्त्रीधनं नोपयोज्यं स्यात्तत्कृतेऽत्र कथञ्चन ॥३७४३॥

विधवा के मरण-कृत्य के लिए पति के धन से खर्च देना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर किसी तरह भी स्त्री-धन का उपयोग नहीं करना चाहिए।

अकारणं परित्यक्ता पत्या भार्या भवेद्यदि।
सा भर्त्रर्थतृतीयांशं लभते भृतये तदा ॥३७४४॥
याज्ञवल्क्योक्तिमाश्रित्य महाराष्ट्रे तु निर्णयः।
मुख्यन्यायालयाधीशैः कृत एव सुनिश्चितः ॥३७४५॥

यदि पति ने बिना सबब के ही स्त्री को छोड़ दिया हो, तो वह पति के धन का तीसरा भाग गुजारे के लिए पाती है। यह निर्णय बंबई में, हाइकोर्ट के जजों ने, याज्ञवल्क्य के कथन का आश्रय लेकर किया है।

याज्ञवल्क्यवचनं तु

आज्ञासंपादिनीं दक्षां वीरसूं प्रियवादिनीम्।
त्यजन्दाप्यस्तृतीयांशमद्रव्यो भरणं स्त्रियाः ॥

(आचाराध्यायः, विवाहप्रकरणम्, श्लोकः ७४)

याज्ञवल्क्य ने कहा है-

आज्ञा का पालन करनेवाली, चतुर, पुत्रवाली, और प्रिय बोलनेवाली स्त्री को छोड़नेवाले से धन का तीसरा भाग दिलवाना चाहिए और निर्धन हो तो, (वह) स्त्री का भरण करे।

भार्याभृतिकृते येऽत्र नियमाः कथिताः पुरा।
त एवापरयोषाणां भृतयेऽपि मता बुधैः ॥३७४६॥

अपनी स्त्री की जीविका के लिए जो नियम यहां पर पहले कहे गये हैं, वे ही विद्वानों ने दूसरी (कुटुम्ब की) स्त्रियों की जीविका के लिए भी माने हैं।

न्यायेशश्चिन्तयेत्तस्मादियत्तां संपदस्तथा।
तद्व्यक्तिगार्थं निर्णेतुं भृतिं ताभ्योऽपि निश्चितम् ॥३७४७॥

इसलिए न्यायाधीश उन स्त्रियों के लिए भी निश्चितरूप से जीविका का निर्णय करने को संपत्ति के परिमाण का और उस (जीविका पानेवाले) के अपने व्यक्तिगत धन का विचार करे।

निश्चितं समयेनाथ शासनेनापि वा पुनः।
भृतेर्द्रव्यं परिस्थित्या वर्ध्यते ह्रस्यतेऽथवा ॥३७४८॥

आपस के समझौते से या फिर किसी से निश्चित किया जीविका का धन परिस्थिति से घटाया या बढ़ाया जाता है।

वृद्धिं प्रयाते वित्तायेऽत्राऽथवा जीवनव्यये।
वर्धनीयं भृतेर्द्रव्यं दात्रा न्यायेन निश्चितम् ॥३७४९॥

यहां पर धन की आमदनी के या जीवन के खर्च के बढ़ जाने पर देनेवाले को निश्चय ही, न्याय से, जीविका के धन को बढ़ा देना चाहिए।

प्रागेवास्य प्रबन्धस्तु भृतौ यत्र कृतो भवेत्।
पूर्वोक्तायव्ययाधिक्ये न वृद्धिस्तत्र संमता ॥३७५०॥

जहां पर पहले ही इस (वृद्धि) का प्रबन्ध जीविका में कर दिया गया हो, वहां पर पहले कही आमदनी और खर्च की अधिकता में वृद्धि नहीं मानी गई है (अर्थात्-वहां जीविका में वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती)।

भृतिदातुः प्रमादेन विनैवाये धनस्य चेत्।
ह्रासस्तर्हि भृतेर्द्रव्यं ह्रस्यते नात्र संशयः ॥३७५१॥

जीविका देनेवाले की गफलत के बिना ही यदि धन की आमदनी में कमी हो जावे, तो जीविका का धन घटा दिया जाता है; इसमें संशय नहीं है।

सामान्यपरिवृत्त्या तु वित्ताये न भृतेर्धनम्।
परिवर्तनमाप्नोति काले काले यथोचितम् ॥३७५२॥

धन की आमदनी में साधारण परिवर्तन होने से जीविका का धन समय-समय पर उसके अनुसार नहीं बदला करता ।

प्रार्थयिष्ये न वृद्ध्यर्थं भृताविति कृतो यदि ।
समयोऽधवया तर्हि साऽक्षमा तत्कृते ततः ॥३७५३॥

यदि विधवा ने जीविका में वृद्धि के लिए नहीं कहूँगी-ऐसा वादा किया हो, तो वह उसके बाद उस (प्रार्थना) के लिए समर्थ नहीं होती ।

शासने यत्र लिखितं भृत्यर्थपरिवृत्तये ।
तत्र प्रार्थनयाऽन्यत्राऽभियोगात् परिवर्तनम् ॥३७५४॥

जहाँ डिग्री में जीविका के धन के बदलने का लिखा हो, वहाँ प्रार्थना (application) से और दूसरी जगह मुकद्में (suit) से परिवर्तन होता है ।

आर्यशास्त्रानुसारेण कर्तव्यत्वात्प्रदीयते ।
भृतिस्ततोऽभियोगेन पणेऽपि परिवर्तनम् ॥३७५५॥

हिन्दूशास्त्रों के अनुसार (देनेवाले का) कर्तव्य होने से जीविका दी जाती है, इसलिए मुकद्में द्वारा समझौते (agreement) में भी परिवर्तन हो जाता है ।

कुटुम्बार्थस्य परसात्करणं भृत्यधिकारे तत्प्रभावश्च ।

कुटुम्ब के धनका दूसरे के अधिकार में देना और जीविका पर उसका प्रभाव ।

अधिकारवती याञ्चा विधवाया अपीह तु ।
भृतये मृतभर्तुर्हि धने पृक्तेऽथवा निजे ॥३७५६॥
नो भारो न भृतिर्यावच्छासनेनाथ संविदा ।
दत्तं धनं भवेद् येन मृतिपत्रेण तेन वा ॥३७५७॥
तन्निश्चित्यैव भरस्तस्या निहितः खलु तद्धने ।
रीतिरेवा विधानज्ञैर्निश्चिता तत्कृते ध्रुवम् ॥३७५८॥

यहां पर विधवा की भी, जीविका के लिए, अधिकार युक्त प्रार्थना (claim) तबतक मरे हुए पति के साझे के या निजी धन पर भार (*charge*) नहीं होगी, जबतक कि डिग्रीद्वारा, समझौते द्वारा या जिससे वह धन (पानेवाले को) दिया गया हो, उस इच्छापत्र द्वारा जीविका का निश्चय करके ही उसका भार निश्चयरूप से उस धन पर नहीं डालदिया गया हो । कानून जाननेवालों ने यह तरीका निश्चय ही उसके लिए तय किया है ।

भृतिप्रार्थनतः पूर्वं क्रीता तद्भर्तृसंपदा ।
चेन्न्यायेन न सा शक्ता क्रयिकात्तर्हि तद्ग्रहे ॥३७५९॥

जीविका माँगने से पहले यदि उसके पति की संपत्ति न्याय से खरीद ली गई हो तो, वह (उसकी विधवा) खरीदनेवाले से उस (जीविका) को नहीं ले सकती।

प्रार्थनान्तेऽप्यथ क्रीतां न्यायेनैव क्षमो जनः।
क्रयिकाय प्रदातुं तत्प्रमीतपतिसंपदम् ॥३७६०॥
हस्तान्तरीकृतिः सा चेद् भृतेर्वञ्चयितुं हि ताम्।
न कृता स्यात्तथा तस्याः क्रयश्चापीह नो कृतः ॥३७६१॥
क्रयिकेण तु विक्रेतुर्ज्ञात्वा पूर्वोक्तमाशयम्।
अधिकारो भृतेस्तस्या अतो निर्णीत्यपेक्षकः ॥३७६२॥

पुरुष (स्त्री की जीविका संबन्धी) प्रार्थना के बाद भी उसके मृतपति की खरीदी हुई संपत्ति खरीदनेवाले को न्यायानुसार (ही) दे सकता है; यदि (बशर्ते कि) वह दूसरे के हाथ में देना (transfer) उस (स्त्री) को जीविका से वञ्चित रखने के लिए न किया गया हो तथा खरीददार ने बेचनेवाले के पहले कहे आशय को जानकर यहाँ पर उसे न खरीदा हो। इसीलिए उसका जीविका का अधिकार निर्णय की आवश्यकतावाला होता है।

भृतेर्भरः परं यत्र न्यस्तोऽर्थे निर्णयेन तु।
पूर्वमेव ततश्चासौ विक्रीतो भृतिदायिना ॥३७६३॥
क्रेता गृह्णाति तं तत्र भृतिभारेण संयुतम्।
परं त्वृणविशुद्ध्यर्थं दत्तेऽर्थे न भृतेर्भरः ॥३७६४॥

परन्तु जहां पर निर्णय द्वारा जीविका का भार पहले ही संपत्ति पर डाल दिया गया हो और उसके बाद जीविका देनेवाले ने उसे बेचा हो, वहां पर खरीदनेवाला उस (संपत्ति) को (उसकी) जीविका के भार के साथ (ही) लेता है। (अर्थात्–वहां पर जीविका देने का भार भी उस पर पड़ता है)। परन्तु ऋण चुकाने के लिए दी संपत्ति में जीविका का भार नहीं रहता।

संपद्धस्तान्तरकरशासनेऽप्येतदेव हि।
मतं प्रदर्शितं न्यायशास्त्रिभिर्भूनये पुनः ॥३७६५॥

फिर संपत्ति को हस्तान्तरित करने के कानून (The Transfer of Property Act 1882) में भी कानून के विद्वानों ने जीविका के लिए यही मत दिखलाया है।

विवाहायाऽथ योषित्यै भृतये यत्र वा धनम्।
साधिकारं भवेद् ग्राह्यमचलार्थस्य लाभतः ॥३७६६॥
तत्र तद्विक्रये नूनं क्रेतारं याति तद्भरः।
तेन चेज्जानता क्रीतं लब्धं मूल्यमृतेऽप वत् ॥३७६७॥

जहां पर स्थिर संपत्ति के लाभ से विवाह के लिए, उन्नति (advancement) के लिए या जीविका के लिए धन अधिकार पूर्वक लेने लायक हो, वहां उस (संपत्ति) के बेच दिये जाने पर वह भार खरीददार पर पड़ता है, यदि उसने (इस बात को) जानते हुए उसे खरीदा हो या मुफ्त में (gratuitous) पाया हो।

शासनं भृतये प्राप्तं प्रतिपृक्तं तु तन्मृतौ।
निर्वाह्यतेऽपरश्लिष्टहस्तयातेन निश्चितम् ॥३७६८॥
पृक्तार्थेन, परं साऽऽज्ञा तमेवोद्दिश्य चेद् भवेत्।
पृक्तार्थेन त्वसंबद्धा तदन्ते तर्हि निष्फला ॥३७६९॥

जीविका के लिए साझेदार के विरुद्ध पाई डिग्री उसके मरने पर दूसरे साझे-दारों के हाथों में गए साझे के धन से निश्चय ही पूरी (execute) करली जाती है। परन्तु यदि वह डिग्री उसी (साझेदार) के उद्देश्य से (Personal) हो और साझे के धन से संबन्ध नहीं रखती हो, तो उस (व्यक्ति) के (मरने के) बाद निष्फल हो जाती है।

भृत्यर्हा भृतये राजशासनं प्राप्य तत्कृते।
विक्रीयमाणां संपत्तिं क्रीणाति स्वयमेव चेत् ॥३७७०॥
कालायागामिने नूनं न्यस्यन्त्यत्र भृतेर्भरम्।
विक्रेतरि, तदा भारी विक्रेतैव तु तत्कृते ॥३७७१॥

जीविका पाने योग्य (स्त्री) जीविका के लिए डिग्री प्राप्त कर उसी के लिए बेची जा रही संपत्ति को, यदि आगे आने वाले समय की जीविका का भार निश्चित रूप से बेचने वाले पर रखती हुई, स्वयं ही खरीदती है, तो उस (आगे आने वाले समय की जीविका को देने) के लिए बेचने वाला ही जिम्मेदार होता है।

विधवाहस्तगं पोषहेतुकं हि धनं पुनः।
जानंस्त्वधिकृतिं तस्याश्चेत्क्रीणाति जनस्तदा ॥३७७२॥
न शक्तः स तदर्थस्याऽधिकृतौ तावदत्र तु।
यावत्तद्भृतये योग्यं प्रबन्धं न करोति हि ॥३७७३॥

फिर यदि पुरुष विधवा के हाथ में रहे गुजारे के काम के धन को, उसके अधिकार को जानते हुए (भी), खरीदता है, तो वह उस धन के अधिकार में तब तक समर्थ नहीं होता, जब तक उस (विधवा) की जीविका के लिए उचित प्रबन्ध नहीं करता।

महाराष्ट्रे तु भृत्यर्थं विधवाहस्तगं धनम्।
कौटुम्बिकं महीतुं नो दायादोऽपि क्षमो मतः ॥३७७४॥

तावद्यावन्न कुर्यात्स प्रबन्धं तद्भृतेः कृते।
तत्र तद्विक्रयेऽप्यस्या अधिकारो विचिन्त्यते ॥२७७५॥

बंबई में तो गुजारे के लिए विधवा के हाथ में रहा कुटुम्ब का धन हकदार भी तब तक लेने में समर्थ नहीं माना गया है, जब तक वह उसकी जीविका के लिए प्रबन्ध न करदे। ऐसे स्थान पर वस (धन) के बेचने में भी इस (विधवा) के अधिकार का विचार किया जाता है।

भृतेरधिकृतिं पत्न्या रक्षन्निजधने क्षमः।
भर्तात्र भृतिपत्रेणान्यस्मै दातुं हि तत्पुनः ॥२७७६॥

पति अपने धन में अपनी स्त्री की जीविका के अधिकार की रक्षा करता हुआ इच्छापत्र से उस (धन) को दूसरे को दे सकता है।

पत्या कृते तु पृक्तार्थत्यागे तस्याधवा क्षमा।
प्रत्याख्यातुं न तं यस्मात्तस्याः पोषाधिकारिता ॥२७७७॥
मृते पत्यौ मता सा च धने शक्ता तदातने।
नियोक्तुं स्वभृतेर्भारं, नेशजीवनकालिके ॥२७७८॥

पति द्वारा साझे के धन के त्याग (alienation) करने पर उसकी विधवा (स्त्री) उससे इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि उसका जीविका का अधिकार पति के मरने पर माना गया है और वह उस समय (पति के मरने के बाद) के धन पर अपनी जीविका का भार आरोपित कर सकती है; स्वामी के जीवनकाल के पर नहीं।

ऋणमार्यकृतं देयं प्राग्भृतेस्तस्य तु स्त्रियाः।
तोकानामवयःस्थानां विधवायाश्च तन्मृतौ ॥२७७९॥

हिन्दू पुरुष का किया कर्जा, उसकी स्त्री की, उसकी बालक संतान की और उस (पति) के मरने पर उसकी विधवा की जीविका से पहले देना चाहिए।

भर्तुः पृक्तकुटुम्बस्य प्रबन्धाऽधिकृतो यदि।
वंशलाभाय कुरुत ऋणं तत्राप्ययं विधिः ॥२७८०॥

यदि पति के साझे के कुटुम्ब का प्रबन्धकर्ता कुटुम्ब के लाभ के लिए कर्जा करता है, तो भी यही रीति होती है।

ऋणं पृक्तकुटुम्बीयव्यवसायसमुद्भवम्।
प्रदेयं पूर्वमधवावासपोषप्रबन्धतः ॥२७८१॥

साझे के कुटुम्ब के व्यापार से उत्पन्न हुआ कर्जा विधवा के रहने के और जीविका के प्रबन्ध से पहले देना चाहिए।

तस्याः पृक्तकुटुम्बस्य पत्युर्वा यत्र संपदः ।
तदृणप्रतिदानार्थं विक्रीयन्ते न तत्र सा ॥३७८२॥
समर्था प्रतिषेद्धुं वा ग्रहीतुं तु ततो भृतिम् ।
क्रेतुर्वा येन ताः क्रीतास्तत्स्वाम्यं जानताऽपि हि ॥३७८३॥

जहाँ पर उस (विधवा) के साझे के कुटुम्ब की या पति की संपत्ति उस (उपर्युक्त श्लोक में कहे) कर्ज के चुकाने के लिए बेची जाती है, वहाँ पर वह न तो उसका विरोध कर सकती है न उस (धन) से या (उस धनके) खरीदने वाले से, जिसने उसके अधिकार को जानते हुए भी उस (संपत्ति) को खरीदा था, जीविका ले सकती है।

तया चेच्छासनं किन्तु प्राप्तं तत्संपदः प्रति ।
भृतये तर्हि तद्वंश्यऋणशुद्ध्यर्पितस्य तु ॥३७८४॥
शासनस्य कृते विक्रेतव्याः क्रीणाति यो हि ताः ।
तच्छासनान्ते तस्मात्सा पूर्वं भृत्यधिकारिणी ॥३७८५॥

परन्तु उस (विधवा) ने यदि उन संपत्तियों के विरुद्ध जीविका के लिए डिग्री प्राप्त करली हो, तो उसके वंश के कर्ज के चुकाने के लिए दी हुई डिग्री के लिए बेची जाती हुई उस (संपत्ति) को उस (विधवा) की डिग्री के बाद जो खरीदता है उस (पुरुष) से पहले वह जीविका की अधिकारिणी होती है। (अर्थात्–उस की जीविका का प्रबन्ध करके ही वह खरीददार उस संपत्ति पर अधिकार कर सकता है।)

कुटुम्बऋणशुद्ध्यर्थं प्राप्तं पृक्तजनान्प्रति ।
शासनं तूत्तमर्णेनाधनया पोषयोग्यया ॥३७८६॥
संश्लिष्टयाऽविमान्यं चेत्तर्हि नावश्यकं भवेत् ।
तस्या अप्यभियोगान्तःसमावेशः पृथक् पुनः ॥३७८७॥

कुटुम्ब का कर्जा चुकाने के लिए साझेदारों के विरुद्ध कर्जा देनेवाले के द्वारा प्राप्त की हुई डिग्री यदि साझे में रही जीविका पाने लायक विधवा द्वारा भी मान्य होती है, तो फिर उसका भी अलग से मुकद्दमे में शामिल करना आवश्यक नहीं होता।

परं यत्र तु प्रागेवाऽभियोगसमयेऽथवा ।
पृक्तार्थं प्रविभज्याऽस्याभागो भृत्यर्थमर्पितः ॥३७८८॥
तस्यै, तत्राऽभियोगे स्यात्सन्निवार्या विधानतः ।
तस्या अपि समावेशो नान्यथा सोत्तरप्रदा ॥३७८९॥

परन्तु जहाँ पर पहले ही या मुकद्दमे के समय के बीच साझे के धन को बाँट कर उसका हिस्सा जीविका के लिए उस (विधवा) को दे दिया गया हो, वहाँ

पर मुकद्दमे में कानून से उस (विधवा) का शामिल करना भी आवश्यक होता है। अन्यथा (ऐसा नहीं करने पर) वह जिम्मेदार नहीं होती।

भृतेर्वञ्चयितुं स्वीयामधावां न क्षमो जनः।
इच्छापत्रोपहाराभ्यां सर्वसंपत्प्रदत्तये ॥३७९०॥

पुरुष अपनी विधवा स्त्री को जीविका से वञ्चित करने के लिए इच्छापत्र (will) और उपहार (gift) के द्वारा सारी संपत्ति (दूसरे को) दे देने को समर्थ नहीं होता।

चेद्दत्ता तेन तर्ह्यत्र ग्रहीता तद्भृतेर्भरम्।
सार्धं तयैव गृह्णाति, तत्रैश्वर्येच साऽप्यलम् ॥३७९१॥

यदि उसने (संपत्ति) दे दी हो, तो वहां पर लेने वाला उस (संपत्ति) के साथ ही उस (विधवा) की जीविका का भार (भी) लेता है; और उस (संपत्ति) पर अधिकार करने (अपने हक के अधिकार का प्रयोग करने) में वह (विधवा) भी समर्थ होती है।

कृतेऽभियोगेऽधवया विशिष्टाचलसंपदः।
प्राप्तुं भृतिं, परेणैवाऽभियुक्तेन समर्पिता ॥३७९२॥

हस्तान्तरे ततश्चास्तं तदर्थं शासनं तया।
चेत्तर्हि संपदा सार्धं भृतेर्भारमपि ध्रुवम् ॥३७९३॥

ग्रहीता वहते किन्तु यत्र हस्तान्तरीकृतिः।
ऋणशुद्धयै न सा तत्र क्षमा तस्या भृतिग्रहे ॥३७९४॥

यदि विधवा द्वारा खास स्थावर संपत्ति से जीविका पाने के लिए मुकद्दमा चलाये जाने पर दूसरे अभियुक्त ने इस (संपत्ति) को दूसरे के हाथ देदी हो और इसके बाद उस (विधवा) ने उस (उक्त संपत्ति से जीविका पाने) के लिए डिग्री पाई हो, तो निश्चय ही (उस) संपत्ति के साथ ही (उसकी) जीविका का बोझा भी (संपत्ति) को लेने वाला उठाता है। परन्तु जहां पर (उसका) दूसरे के हाथ दिया जाना कर्ज चुकाने के लिए हो, वहा पर वह उस (संपत्ति) से जीविका नहीं ले सकती।

एव एव नयो यत्राऽभियुक्तै रपरैः सह।
अभियुक्ता लिखित्वाऽर्थाद् भृतिं प्रार्थयते हि सा ॥३७९५॥

जहां दूसरे अभियुक्तों के साथ अभियुक्त हुई वह (विधवा) लिखकर संपत्ति से जीविका मांगती है, वहां पर भी यही नीति काम आती है।

पूर्वोक्तस्तु नयो वित्तपरसात्करणस्य हि।
विधानस्यैव भावेन विद्वद्भिः परिकल्पितः ॥३७९६॥

विद्वानों ने पहले (श्लोक ३७६२ से ३७६४ में) कहा न्याय (तरीका) धन के दूसरे के अधिकार में करने के कानून (The Transfer of Property Act 1882, section 52) के आशय से ही बनाया है।

संपत्तौ तु भृतेर्भारमनिच्छन्त्यथवा यदि।
प्रार्थयेत स्वभृत्यै तन्नैव तत्रोपयुज्यते ॥३७९७॥

यदि विधवा संपत्ति पर जीविका का भार नहीं चाहती हुई अपनी जीविका माँगे, तो वह (तरीका) वहाँ काम में नहीं लिया जाता।

कुटुम्बनिवासगृहस्य हस्तान्तरीकरणं निवासाऽधिकारे तत्प्रभावश्च।

कुटुम्ब के रहने के घर का दूसरे के अधिकार में देना और उसका रहने के अधिकार पर प्रभाव।

एकाधिकाः स्युः पुरुषा यत्र पृक्कुटुम्बके।
पितापुत्रीयसंबन्धेनान्येनाथ परस्परम् ॥३७९८॥
संबद्धास्तेषु कोऽप्येकस्त्यक्त्वा स्वामधवां स्त्रियम्।
म्रियेत तत्र सा शक्ता वस्तुं कौटुम्बिके गृहे ॥३७९९॥
पत्या सहोषिते पूर्वं तस्मिञ्जीवति निश्चितम्।
पृक्तेन जीवता वाऽथ पृक्तैर्विक्रीयते हि तत्॥३८००॥
विनाऽवश्यकतां यत्र तत्राप्यैश्यं न नश्यति।
तस्याः, क्रेताप्यशक्तश्च बहिष्कर्तुं गृहाद्धि ताम् ॥३८०१॥
तावद्यावन्न दीयेत योग्यं वासगृहं परम्।
निवासायाधवायै तु तस्यै नैवात्र संशयः ॥३८०२॥

जहां पर साझे के कुटुम्ब में पिता और पुत्र के संबन्ध से या दूसरे संबन्ध से बंधे एक से अधिक पुरुष (male members) हों और उनमें कोई एक अपनी विधवा स्त्री को छोड़कर मरजाय, वहां पर वह (विधवा स्त्री) निश्चय ही उस (पति) की जीवितावस्था में पति के साथ पहले वास किए हुए कुटुम्ब के घर (family house) में रह सकती है। जहां बिना आवश्यकता के ही जीते हुए साझेदार द्वारा या साझेदारों द्वारा वह (घर) बेचा जाता है, वहां भी उसका अधिकार नष्ट नहीं होता; और खरीददार भी उसको घर से बाहर निकालने में तबतक समर्थ नहीं होता, जबतक उस विधवा के रहने के लिए दूसरा रहने का उचित घर नहीं दिया जाता। इसमें संशय नहीं है।

परं यत्र तु विक्रेता ज्ञानपूर्णतयाऽपि यत्।
साऽधवा तद् गृहे नूनं वसत्यथ च पोष्यते ॥३८०३॥

क्रीणाति तत्स तां तत्र निर्वासयितुमक्षमः।
तस्माद्यद्यपि तत्र स्यात्कुटुम्बे त्वपरं धनम् ॥३८०४॥
प्राप्य याज्जीविकां यस्माद् परं तद्विक्रयस्तु चेत्।
वश्यावश्यकतायै स्यात्सा बहिष्क्रियते तदा ॥३८०५॥
गृहे वासाधिकारोऽपि तस्या नश्यत्यसंशयम्।
भर्तृ ऋणशुद्धयै न्यत्र यदि विक्रीयते हि तत् ॥३८०६॥

परन्तु जहां पर खरीदनेवाला (यह) जानता हुआ भी कि वह विधवा निश्चय ही उस घर में रहती है और पोषण पाती है, उसको खरीदता है, वहां पर वह उसको उस (घर) से निकालने को समर्थ नहीं होता, यद्यपि उस कुटुम्ब में दूसरी संपत्ति (मौजूद) हो, जिससे वह पोषण (आदि) प्राप्त कर सकती हो। परन्तु यदि उस (घर) का बेचना कुटुम्ब की आवश्यकता के लिए हो, तो वह (घर से) बाहर निकाल दी जाती है। यदि निश्चय ही यहां पर पति का कर्जा चुकाने के लिए वह (घर) बेचा जाता है, तो उसका घर में रहने का अधिकार भी नष्ट हो जाता है।

पत्यौ जीवति विक्रीतं गृहं कौटुम्बिकं यदि।
तदन्ते तस्य विधवा प्रत्याख्यातुं तदाऽक्षमा ॥३८०७॥
अतो हि श्वशुरेणात्र सुते जीवति सद्गृहे।
विक्रीते नो तदन्तेऽलं तत्स्त्री तत्प्रतिषेधने ॥३८०८॥

यदि पति के जीते जी कुटुम्ब का घर बेच दिया गया हो, तो उस (पति) के बाद उसकी विधवा इनकार नहीं कर सकती। इसलिए ससुर के, यहां पर पुत्र के जीते जी उस घर को बेचदेने पर उस (पुत्र) के बाद उसकी स्त्री उसका विरोध करने में समर्थ नहीं होती।

यस्मिन् पृथक्कुटुम्बे स्युः पृक्ता एकाधिका नराः।
संबद्धाश्च पितापुत्रसंबन्धेनाऽपरेण वा ॥३८०९॥
म्रियेत कोऽपि चेत्तेषु त्यक्त्वाऽनूढा हि कन्यकाः।
तर्हि ता आविवाहं हि शक्ताः कौटुम्बिके गृहे ॥३८१०॥
पित्रा सहोषितुं चस्तु नत्क्रेता चाक्षमस्तु ताः।
बहिष्कर्तुं, परं शक्तो वंशार्थं विक्रयोऽस्य चेत् ॥३८११॥

जिस साझे के कुटुम्ब में पिता और पुत्र के अथवा अन्य संबन्ध से बंधे एक से अधिक पुरुष हों और यदि उनमें से कोई क्वांरी लड़कियों को छोड़कर मरजाय, तो वे पिता के साथ रहे हुए कुटुम्ब के घर में विवाह पर्यन्त रह सकती हैं और उस (घर) का खरीदनेवाला उनको बाहर निकालने में असमर्थ होता है। परन्तु यदि

इस (घर) का बेचना कुटुम्ब के लिए (कुटुम्ब की आवश्यकता के लिए) हो, तो (निकालने में) समर्थ होता है।

कुटुम्बे दम्पती एव भवेतां यत्र तत्र चेत् ।
पत्यौ जीवति संप्राप्य शासनं तं प्रति ध्रुवम् ॥३८१२॥
तन्मृत्यौ तस्य संपत्तिं प्रति वा प्राप्य शासनम् ।
विक्रीयते वासगृहं तद्भार्या तर्हि न क्षमा ॥३८१३॥
प्रतिपादयितुं तस्मिन्निजवासाधिकारिताम् ।
तथैव पत्या विक्रीते विनावश्यकतां गृहे ॥३८१४॥
क्रीते केनाथ तद्भार्यावासं तत्राभिजानता ।
असमर्था भवेद् भार्या तत्र वासकृते खलु ॥३८१५॥

जहां कुटुम्ब में पति और पत्नी ही हों, वहां यदि निश्चय ही पति की जीविता-वस्था में उसके विरुद्ध डिग्री प्राप्त करके अथवा उस (पति) के मरने पर उसकी संपत्ति के विरुद्ध डिग्री प्राप्त करके रहने का घर बेचा जाता है, तो उसकी स्त्री उस (घर) में अपने रहने के अधिकार को प्रतिपादित (assert) नहीं कर सकती। उसी प्रकार पति द्वारा आवश्यकता के विना (ही) घर के बेच दिये जाने पर और खरीददार के उसकी पत्नी के निवास को (उस घर में) जानते हुए भी (उसे) खरीद लेने पर पत्नी वहां पर रहने के लिए निश्चय ही समर्थ नहीं होती।

पूर्वोक्तासु स्थितिष्वत्राऽनूढाः कन्या अपि ध्रुवम् ।
अक्षमा रक्षितुं वासाधिकारं स्वं तु तद्गृहे ॥३८१६॥

पहले कही स्थिति में बिन ब्याही कन्यायें भी निश्चय ही उस घर में अपने रहने के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकतीं।

व्यक्तिव्यक्तिगतार्थाभ्यामसंबद्धस्तु निश्चितम् ।
यतो भार्याभृतेर्भारः संबन्धाद् भर्तुरात्मगः ॥३८१७॥
तथैव पितृसंबन्धात्कन्यानां पितृगश्च सः ।
ततो भर्त्राऽथवा पित्रा विक्रीते स्वगृहेऽथवा ॥३८१८॥
विक्रीते तदृणोन्मुक्त्यै शासनं प्राप्य तद्गृहे ।
भार्या कन्याश्च नो शक्ताः स्वं स्वाम्यमभिरक्षितुम् ॥३८१९॥

क्योंकि निश्चय ही व्यक्तिगत और साझे के धन से सम्बन्ध नहीं रखने वाला पत्नी की जीविका का भार सम्बन्ध के कारण पति के व्यक्तित्व पर रहता है और उसी तरह पिता के सम्बन्ध के कारण कन्याओं का वह (भार) पिता पर रहता है, इसलिए पति या पिता द्वारा अपने घर के बेचने पर या उस (पति या पिता) के कर्ज की सफ़ाई के लिए डिग्री प्राप्त कर उस घर के बेचेजाने पर पत्नी और

कन्यायें अपने अधिकार की रक्षा नहीं कर सकतीं । (अर्थात्-उस मकान में नहीं रह सकतीं) ।

विधवाया मृते पत्यौ मृते पितरि वा पुनः ।
कन्यानां तु भृतेर्भारः पृक्ते वंशे मतो ध्रुवम् ॥३८२०॥
पृक्तानां जीवतां स्वाम्ये स्थिते पृक्ते धने यतः ।
ततो भार्याथ कन्यास्तु तत्राधिकृतये क्षमाः ॥३८२१॥

क्योंकि पति के मरने पर (उसकी) विधवा का या फिर पिता के मरने पर कन्याओं का जीविका का भार साझे के कुटुम्ब में निश्चय ही जीवित साझेवालों के अधिकार में रहे साझे के धन पर माना है, इसलिए वहां पत्नी और (क्वाँरी) कन्यायें अधिकार में समर्थ होती हैं । (अर्थात्-बिना दूसरा प्रबन्ध किये कुटुम्ब के घर से बाहर नहीं की जा सकतीं ।)

इच्छापत्रेणाऽप्रभावितोभृतेरधिकारः ।

इच्छापत्र से अप्रभावित जीविका का अधिकार ।

आर्यो दातुं तु सर्वस्वमिच्छापत्रेण न क्षमः ।
न्यायार्हाणां भृतेर्भारं येन नश्येदिह ध्रुवम् ॥३८२२॥

आर्य (हिन्दू) इच्छापत्र के द्वारा सर्वस्व नहीं दे सकता, जिससे निश्चय ही यहां पर न्याय से योग्य पुरुषों की जीविका का बोझा (जिम्मेदारी) नष्ट हो जाय । (अर्थात्-वह हकदारों की जीविका नष्ट करके सर्वस्व नहीं दे सकता ।)

भृतेरधिकारस्य परसात्करणं आत्मसात्करणं च ।

जीविका के अधिकार का दूसरे को सौंपना या उस पर अधिकार करना ।

आगामिन्या भृतेर्भारं भार्या नो अन्यसात्कृतौ ।
शक्ता कथमपि प्राप्तं रक्षितं वाऽपि सर्वथा ॥३८२३॥

पत्नी आगामी काल की जीविका का, किसी तरह से भी प्राप्त हुआ या सब तरह से रक्षित, भार दूसरे को सौंपने में समर्थ नहीं होती ।

स्वद्रव्यप्रहणायात्र जनः प्राप्याऽपि शासनम् ।
आगामिनीं भृतिं नैव स्वायत्तीकरणे क्षमा ॥३८२४॥

पुरुष अपना धन लेने के लिए यहां पर डिग्री प्राप्त करके भी आने वाले समय की जीविका को अपने अधीन नहीं कर सकता ।

अतीतपोषदेयार्थोपचितिर्या सदा तु सः ।
तच्छासनाधिकारेण तां ग्रहीतुं क्षमो भवेत् ॥३८२५॥

बीते हुए (भूत) काल की देने लायक जीविका इकट्ठी (arrears में) हो, तो वह, (डिग्रीदार) उस डिग्री के अधिकार से उसको ले सकता है।

भृत्यर्थमभियोगः।

जीविका के लिए मुकद्दमा।

भृत्यर्हा विधवा कुर्यादभियोगं सतीह तु।
प्रयोजने स्वपोषाधिकृतिघोषणहेतवे ॥३८२६॥
अदत्तगतकालीनपोषद्रव्याप्तयेऽथवा।
पत्यर्थस्य विशिष्टेंऽशे भारं वा पोषवासयोः ॥३८२७॥
निधातुं वा त्रयाणां हि कृतेऽपि न्यायतो ध्रुवम्।
रीतिरेषा तदर्थे तु न्यायाधीशैः प्रकीर्तिता ॥३८२८॥

जीविका पाने योग्य विधवा को प्रयोजन होने पर अपनी जीविका के अधिकार की घोषणा के लिए, भूतकाल के नहीं दिये जीविका के धन के पाने के लिए अथवा पति के धन के खास भाग पर जीविका और निवास (residence) का भार डालने के लिए अथवा तीनों के ही लिए न्याय से निश्चय ही मुकद्दमा करे। न्यायाधीशों ने उस (विधवा) के लिए यह रीति कही है।

अदत्तभूतकालीनभृतिदापननिर्णयः।
मतो न्यायालयाधीनो न्यायेशोऽतः क्षमो भवेत् ॥३८२९॥
पर्याप्ते कारणे प्रत्याख्यातुं तस्य कृते तथा।
प्रागनिश्चितभृतेरत्र न्यूनं दापयितुं ध्रुवम् ॥३८३०॥

गत समय की नहीं दी हुई जीविका के दिलवाने का निर्णय न्यायालय के अधीन माना गया है। इसलिए न्यायाधीश, पर्याप्त कारण होने पर, उस (नहीं दी हुई जीविका के दिलवाने) के लिए इनकार करने को और पहले निश्चित की हुई जीविका से, यहां पर निश्चय ही, कम दिलवाने को समर्थ होता है।

भृतिवृद्धिस्तु निर्णेया पर्याप्ते कारणे सति।
तत्कृते विहितान्नूनमभियोगदिनादिह ॥३८३१॥

पर्याप्त कारण होने पर जीविका की वृद्धि निश्चय ही, यहां पर इसके लिए किये मुकद्दमे के दिन से निश्चित करनी चाहिए।

एकाधिकाभिः शाखाभियुक्ते पृक्तकुटुम्बके।
म्रियेत कोऽपि संपृक्तोऽभियुज्येताधवाऽस्य च ॥३८३२॥
भृत्यर्थं यत्र तत्र स्याद्देयं पोषाय शासनम्।
सर्वान्पृक्तान्समुद्दिश्य नैकां शाखां प्रति ध्रुवम् ॥३८३३॥

यमाश्रितो भवेत्तस्या भर्ता, यस्यां व्रजेत्पुनः ।
पृतावशिष्टविधिना भागस्तस्य सुनिश्चितम् ॥३८३४॥

जहां पर एक से अधिक शाखाओं वाले साझे के कुटुम्ब में कोई साझेदार मर जाय और इसकी विधवा जीविका के लिए मुकद्दमा चलावे, वहां पर सब साझेदारों के प्रति जीविका के लिए डिग्री देनी चाहिए, निश्चय ही एक शाखा के प्रति, जिसमें उस (विधवा) का पति रहा हो और फिर जिसमें साझेदारों में पीछे रहे (survivorship) के कायदे से उस (मृत पति) का भाग निश्चित रूप से जावे, नहीं देनी चाहिए।

प्रत्याख्यातं भृतेः स्वाम्यं दिनाद्यस्मात्ततः खलु ।
आ द्वादशाब्दमवधिरभियोगाय तत्कृते ॥३८३५॥

जिस दिन से जीविका के अधिकार (को मानने) से इनकार किया गया हो, निश्चय ही उस दिन से बारह बरस तक उसके लिए मुकद्दमा करने की अवधि है।

असतीत्वकृते पत्या प्रत्याख्याता भृतिर्यदि ।
पत्न्यै तर्ह्यपि सन्मृत्युदिवसात्तु क्षमा पुनः ॥३८३६॥
आ द्वादशाब्दमत्रैषाऽभियुक्त्यै तत्कृते ध्रुवम् ।
असतीत्वं न पूर्वोक्तं भवेत्तच्चरिते यदि ॥३८३७॥

यदि पति ने बदचलनी के कारण पत्नी के लिए जीविका (देने) से इनकार कर दिया हो, तो भी यह (स्त्री) (पति) के मरने के दिन से बारह बरस तक निश्चय ही, यदि पहले कही बदचलनी उस (स्त्री) के चरित्र में न हो तो, उस (जीविका) के लिए यहां पर मुकद्दमा चलाने को फिर समर्थ होती है।

अप्राप्तगतकालीनभृतिर्यस्मिन्दिने भवेत् ।
प्राप्या तस्माद्दिनादेव द्वादशाब्द्यवधिर्मतः ॥३८३८॥
तस्याः कृतेऽभियोगाय तत्पूर्वा सा न लभ्यते ।
न्यायेन निश्चितस्यात्र ह्यवधेस्तु विनिर्गमात् ॥३८३९॥

नहीं पाई हुई गये समय की जीविका जिस दिन प्राप्य (मिलनी) हो, उस दिन से ही बारह बरस तक उस (स्त्री) के लिए मुकद्दमे की अवधि मानी गई और उसके पहले की वह (जीविका) यहां पर कानून से निश्चित अवधि के निकल जाने से, नहीं मिलती है।

अदत्तां भृतिमादातुं प्रतिरोधं तु तत्कृते ।
अन्याय्यं साधयेन्नूनं व्यतीते समये कृतम् ॥३८४०॥

नहीं दी हुई जीविका को लेने के लिए निश्चय ही गत काल में की उस (

वाले) की अन्यायपूर्ण रुकावट (wrongful withholding) को सिद्ध करे।

प्रतिवर्षं यदा प्राप्या त्वभूद्देया भृतिस्तदा।
तदर्थं प्रार्थितो दाता नास्य सिद्धिस्त्वपेक्षिता ॥३८४१॥

प्रत्येक वर्ष जब यह जीविका पाने लायक (Payable) हुई, तब उसके लिए देने वाले से प्रार्थना की, इसका सिद्ध करना आवश्यक नहीं होता।

अन्याय्यप्रतिरोधस्य सिद्धयर्थं न भवेदलम्।
देयायास्तु भृतेर्नूनमदानं तत्तु केवलम् ॥३८४२॥
शङ्कायाः कारणं दातुः शुद्धाशयकृते परम्।
प्रत्याख्यातं भृतेः स्वाम्यमपि चेत्तर्ह्यलं हि तत् ॥३८४३॥

अन्याय पूर्ण रुकावट (Wrongful withholding) की सिद्धि के लिए देने लायक जीविका का निश्चय ही न देना पर्याप्त नहीं होता। वह तो केवल देने-वाले के शुद्ध आशय के लिए शङ्का का कारण (Prima facie proof) होता है। परन्तु यदि जीविका के अधिकार (को मानने) से इनकार कर दिया हो, तो वह (जीविका का न देना) पर्याप्त हो जाता है।

द्वादशाब्देषु यातेषु पत्युर्मरणतो ध्रुवम्।
स्त्रियाऽभियोगो विहितः पोषाधिकृतये यदि ॥३८४४॥
न्यायेशैस्तर्हि स ग्राह्यो यतस्तस्याऽवधिर्मतः।
तस्याः पोषाधिकारस्य प्रत्याख्यानदिनादिह ॥३८४५॥
पुनः पोषाधिकारोऽत्र पोषार्हस्य प्रयोजनात्।
आवश्यकत्वतश्चापि काले-कालेऽभिजायते ॥३८४६॥

यदि पति के मरने से निश्चय ही बारह वर्ष बीत जाने पर (उसकी) स्त्री ने जीविका के अधिकार के लिए मुकद्मा किया हो, तो न्यायाधीशों को उसे ग्रहण (मंजूर) कर लेना चाहिए; क्योंकि यहां पर उस (मुकद्मे) की अवधि उस (स्त्री) की जीविका के अधिकार के इनकार करने के दिन से मानी गई है। फिर यहां पर जीविका का अधिकार जीविका पाने योग्य के प्रयोजन (wants) और आवश्यकता (exigency) से भी समय-समय (time to time) पर पैदा होता है।

यथासामयिकागामिपोषदानाय शासनम्।
दत्तं तु व्यवहारेण कार्ये नूनं प्रयुज्यते ॥३८४७॥
परन्त्वागामिपोषस्य केवलं स्वाम्यघोषकम्।
शासनं त्वनयारीत्या नैव कार्ये प्रयुज्यते ॥३८४८॥

आगे यथा समय जीविका को देते रहने के लिए दी डिग्री व्यवहार (execu-

अतोऽविभाज्यसंपत्तेरायक्रीतं धनं सदा।
क्रेतुरेव, न तत्पृक्तकुटुम्बीयार्थयोजितम् ॥३८६०॥
स्वार्जितं यस्विव ज्ञेयं तदङ्गीभूतमत्र तु।
यतः पृक्तकुटुम्बार्थे एवैषा रीतिरादृता ॥३८६१॥

इस (अविभाज्य) धन की प्राप्त हुई आमदनी निश्चय ही यहाँ पर उस समय के अधिकारी की ही पूर्ण अधिकार वाली संपत्ति होती है। यह (आमदनी का धन) अपने कमाये धन के समान या उस (अविभाज्य) धन से संबन्ध नहीं रखने वाले पुरुष द्वारा प्राप्त की हुई संपत्ति के समान होता है। इसलिए नहीं बाट ने लायक धन की आमदनी से खरीदा हुआ धन सदा खरीदने वाले का ही होता है। उसे यहाँ पर सामेवाले कुटुम्ब की संपत्ति में मिलाये अपने कमाये धन के जैसा, उसीका हिस्सा बना (उसी में मिल गया हुआ) नहीं जानना चाहिए; क्योंकि यह रीति सामेवाले कुटुम्ब के धन में ही मानी गई है।

अभाज्यपैतृकार्थेशक्रीता तस्यायतस्त्विह।
संपत्तिरचला वाथ ऋणं वृद्धये समर्पितम् ॥३८६२॥
परं प्रबन्धकेनैतल्लब्धं भाटकवार्द्धिकम्।
धनं पत्रेषु लिखितं मूलवित्ताङ्गरूपतः ॥३८६३
मृते स्वामिनि तत्सर्वमविभाज्यधनायतः।
प्राप्तं चलाचलं वित्तं ज्ञेयं तद्व्यक्तिगं धनम् ॥३८६४॥

यहाँ पर नहीं बाँटे जाने लायक पैतृक संपत्ति के मालिक ने उसकी आमदनी से स्थावर संपत्ति खरीदी हो या ब्याज के लिए कर्ज दिया हो, परन्तु प्रबन्ध कर्ता (Manager) ने यह किराये और ब्याज से मिला धन कागजों में मूल (अविभाज्य) धन के हिस्से (उसमें मिले हुए) के रूप में लिख लिया हो, तो उस नहीं बाँटने लायक धन की आमदनी से पाई सारी संपत्ति को स्वामी के मरने पर उसका व्यक्तिगत धन जानना चाहिए।

क्रीतायाय तदायेनाचलायाः संपदः खलु।
संयोगोऽत्राऽविभाज्येऽर्थे क्रेतुरिच्छावशे स्थितः ॥३८६५॥

उस (अविभाज्य धन) की आमदनी से खरीदी स्थावर संपत्ति का, निश्चय ही यहाँ पर, नहीं बाँटने लायक धन में जोड़ देना खरीदनेवाले की इच्छा के वश में रहता है।

परं चलार्थः संप्राप्तस्तदायेनाथ प्राकृतः।
तदायस्तु न कुत्रापि मूले संयोज्यते बुधैः ॥३८६६॥
अतोऽविभाज्यसंपत्तेः स्वामिनो जीवने तु यत्।
भाटमत्र भवेत्प्राप्यं न प्राप्तं किन्तु तत्तदा ॥३८६७॥

मृते स्वामिनि तद्दायहरो गृह्णाति तद् ध्रुवम् ।
न स यस्त्वत्र गृह्णाति भाग्ययोग्यां हि संपदम् ॥३८६८॥

परन्तु विद्वानों द्वारा उस (अविभाज्य धन) की आमदनी से प्राप्त किया अस्थावर धन या स्वयं उस (अविभाज्य धन) की आमदनी कहीं भी मूल धन में नहीं जोड़ी जाती । इसलिए नहीं बाँटने लायक संपत्ति के स्वामी के जीवनकाल में जो किराया वहां पर पाने लायक हुआ (चढ़ा) हो, परन्तु (उससे) वह न पाया हो, तो (उस संपत्ति के) स्वामी के मरने पर उसका हकदार निश्चय ही उस (किराये आदि) को लेता है (और) जो यहां पर अविभाज्य संपत्ति को लेता है वह (उसे) नहीं लेता ।

पैतृकस्त्वविभाज्योऽर्थः पृक्तो नो वेति निर्णये ।
वर्तमानाधिकारस्याऽऽगामिनश्च विवेचनम् ॥३८६९॥
विधेयं, वर्तमानश्चाऽधिकारो द्विविधो मतः ।
तद्दंशनस्य याञ्चायाः सहभुक्तेस्तथा पुनः ॥३८७०॥

बाप-दादा का नहीं बाँटने लायक धन साझेवाला है या नहीं -इसके निर्णय में वर्तमान अधिकार का और आगे के अधिकार का विवेचन करना चाहिए । वर्तमान अधिकार दो तरह का माना गया है:-

उस (अविभाज्य धन) के बटवारे की प्रार्थना का और फिर साथ उपभोग (Joint enjoyment) का ।

अविभाज्यधने किन्तु नाधिकारोऽशनस्य वा ।
सहभुक्तेः प्रकृत्यैव ततः पृक्तं न तत्तथा ॥३८७१॥
तेनैव चात्र संपृक्तस्तत्कालीनाऽधिपेन हि ।
आ स्वाऽन्तं दीयमानं तदुपहारेण वाऽथवा ॥३८७२॥
इच्छापत्रेण नो शक्तो विरोद्धुं न पुनः क्षमः ।
प्राप्तुं भृतिं धनात्तस्मादागामिसमये परम् ॥३८७३॥
मृते स्वामिनि पूर्वेऽत्र संपृक्तेष्ववशिष्टितः ।
प्राप्नोति तद्धनं सोऽपि रीत्या भाविष्यमाणया ॥३८७४॥

परन्तु नहीं बाँटने लायक धन में स्वभाव से ही (कुदरती तौर पर ही) बाँटने का और साथ मिलकर भोगने का अधिकार नहीं होता । इसलिए वह (धन) वैसा (अन्य साझे के धन के समान) साझेवाला नहीं होता । और इसीसे यहां पर साझेदार, उस समय के (अविभाज्य धन के) स्वामी द्वारा उपहार (रूप) से या इच्छापत्र से, अपने मरने तक के लिए, दिये जाते हुए उस (धन) का विरोध नहीं कर सकता और न उस धन से जीविका पा सकता है । परन्तु आगे आने-

वाले समय में पहले स्वामी के मरने पर, यहाँ पर साझेदारों में पीछे बच रहने से, आगे कही जाने वाली रीति से, उस (अविभाज्य) धन को पा लेता है ।

पृक्तावशिष्टः पृक्तेषु ह्यवरोऽपि धनग्रहे ।
शक्तो धनाधिकारस्य तस्य सात्करणेन तु ॥३८७५॥

साझे में पीछे बचा साझेदारों में छोटा भी धन के अधिकार के इसके अधीन (transfer) कर देने से धन लेने में समर्थ हो जाता है ।

पैतृक्या अविभाज्यायाः संपत्तेरीश्वरः क्षमः ।
इच्छापत्रोपहाराभ्यां दातुं तां तु यथेप्सितम् ॥३८७६॥
नियन्त्रिता न चेच्छक्तिर्वंशाचारेण वाथवा ।
नियमेन तु संपत्तेरधिकारगतेन हि ॥३८७७॥

बाप-दादा की अविभाज्य संपत्ति का स्वामी इच्छापत्र और उपहार के द्वारा उस (संपत्ति) को, यदि कुल के रिवाज से या संपत्ति के अधिकार में रहे नियम (tenure) से शक्ति पर नियन्त्रण न हो तो, अपनी इच्छानुसार दे सकता है (alienate कर सकता है) ।

इच्छापत्रोपहाराभ्यां प्राक्तनैशैस्तु नार्पिता ।
चेत्तर्ह्यपि कुलाचारस्तन्मात्रेण न सिध्यति ॥३८७८॥

यदि पुराने स्वामियों ने इच्छापत्र या उपहार से (उसे) नहीं दी हो, तो भी इतने से ही कुल का रिवाज सिद्ध नहीं होता ।

कुलाचारेण साऽदेया स्याच्चेत्तर्हि तु न क्षमः ।
प्रदातुमधिकारी तां न्याय्यावश्यकतामृते ॥३८७९॥

यदि कुल के रिवाज से वह (संपत्ति) देने लायक न हो, तो अधिकारी उसे न्याय्य (legal) आवश्यकता के बिना नहीं दे सकता ।

पृक्तानां वर्तमानो नाऽधिकारस्तत्र संमतः ।
आगाम्येव स विज्ञेयोऽविभाज्ये पैतृके धने ॥३८८०॥

यहाँ पर अविभाज्य पैतृक संपत्ति में साझेदारों का वर्तमान (Present का) अधिकार नहीं माना गया है । उस (अधिकार) को आगे होने वाला (future का) ही जानना चाहिए ।

विहायाथ कुलाचारं स्वामिसंबन्धमप्युत ।
कुटुम्बजोऽवरस्तस्माद् भृतिमादातुमक्षमः ॥३८८१॥

वंश के रिवाज को या (उस संपत्ति के) स्वामी के साथ के संबन्ध को छोड़ कर कुटुम्ब में पैदा हुआ छोटा कुटुम्बी (Junior member) उस (धन) से जीविका नहीं ले सकता ।

शूद्रेषु द्रविडे पुत्रोऽनौरसो ह्यवरस्य तु।
वंश्यस्य भृतिमादातुमविभाज्यधनात्क्षमः ॥३८८२॥

मदास में शूद्रों में कुटुम्ब के छोटे कुटुम्बी का दोगला (illegitimate) पुत्र अविभाज्य धन से जीविका ले सकता है।

अविभाज्यं धनं पृक्तकुटुम्बार्थं इवाथवा।
पैतृकार्थ इवस्याच्चेत्पुत्रास्तर्हि तदीशितुः ॥३८८३॥
आचारेणात्र भृत्यर्हास्तस्माद्वित्तात्सुनिश्चितम्।
परं तदर्जिते तस्मिन्पुत्रा नैव भृतिक्षमाः ॥३८८४॥

यदि अविभाज्य (नहीं बाँटने लायक) धन सामेवाले कुटुम्ब के धन (Joint family property) की तरह हो या बाप-दादा के (ancestral) धन की तरह हो, तो उसके स्वामी के पुत्र यहां पर रिवाज से निश्चय ही उस धन से जीविका पाने योग्य होते हैं। परन्तु उस (अविभाज्य धन) के उस (स्वामी) के कमाये हुए होने पर पुत्र जीविका नहीं ले सकते।

न स्थायी नियमस्तत्र येनार्थाधीशजात्परः।
वंश्यः पौत्रोऽपिशक्तः स्यादधिकृत्या भृतिग्रहे ॥३८८५॥

यहां कोई स्थायी नियम नहीं है, जिससे धन के स्वामी से उत्पन्न हुए (पुत्र) के आगे का वंशज, पौत्र भी अधिकार से जीविका लेने में समर्थ हो सके।

अविभाज्यधनस्यायाद् वंश्यायावरकुटुम्बिने।
तस्य चौरसशाखीयपुंभ्यो दत्ता भृतिः पुनः ॥३८८६॥
प्रत्यायाति मृते त्वन्त्ये तच्छाखीये नरे ध्रुवम्।
अर्थं तमेव यस्मात्सा प्रदत्ता स्वामिना पुरा ॥३८८७॥

अविभाज्य धन की आमदनी से वंश में उत्पन्न हुए छोटे कुटुम्बी (Junior member of the family) को और उसकी असली पुरुष शाखा (his direct male line) को दी जीविका उसकी शाखा के अन्तिम पुरुष (last male heir of the grantee) के मरने पर, जिस धन से (उसके) मालिक ने वह पहले दी हो, उसी धन में फिर लौटकर आजाती है।

अविभाज्यधनेशस्यावरवंश्यभृतेर्धनम्।
मुक्तमायकरेणात्र मतं न्यायविशारदैः ॥३८८८॥

अविभाज्य धन के स्वामी के छोटे वंशज (Junior member of the family) की जीविका का धन न्याय के पण्डितों ने आयकर (Income-tax) से मुक्त माना है।

अविभाज्यसंपत्यर्हाणां क्रमः ।

नहीं बाँटी जाने लायक संपत्ति के हकदारों का क्रम ।

अभाज्यसंपदः स्वाम्ये सामान्या नियामास्तु ये ।
ते संपूर्णतया न्यायशास्त्रिभिर्निश्चिता ध्रुवम् ॥३८८६॥

अविभाज्य संपत्ति के अधिकार (succession) में जो सामान्य नियम हैं, वे न्याय के जानने वालों ने निश्चय ही पूर्ण तौर से निश्चित कर दिये हैं ।

प्रथमस्तु यदेषाऽपि विभाज्यधनरीतितः ।
दायादं याति रक्षन्ती नूनं स्वामविभाज्यताम् ॥३८९०॥

पहला (नियम) है कि यह (संपत्ति) भी बांटे जाने लायक धन की रीति से (ही), निश्चय ही, अपनी अविभाज्यता को रखती हुई, दाय-धन लेनेवाले (heir) को मिलती है ।

द्वितीयस्तु यदाऽनेके समस्वाम्यार्थहारिणः ।
तदाऽविभाज्यतासक्तनयेनैकस्य निर्णयः ॥३८९१॥

दूसरा (नियम) है कि जब बहुत से बराबर अधिकार वाले धन पाने वाले हों, तब अविभाज्यता से संबन्ध रखने वाले नियम से एक का निर्णय करना चाहिए ।

तृतीयस्तु विशिष्टस्याचारस्याऽनुपलब्धितः ।
पूर्वं यात्यग्रजं संपदविभाज्या सुनिश्चितम् ॥३८९२॥
अविभाज्यां विभाज्यां हि मत्वा प्राक्संपदं ततः ।
श्रेण्योऽत्र प्रकर्तव्या दायादानां सुनिश्चिता ॥३८९३॥
चिन्त्याऽस्याः प्रकृतिश्चाऽपि पृक्ताऽप्याऽपृक्तरूपिणी ।
विशिष्टनियमेनान्ते वर्योऽर्थकोऽधिकारिषु ॥३८९४॥

तीसरा (नियम) है कि खास रिवाज के न होने पर अविभाज्य संपत्ति, निश्चय ही, पहले बड़े को मिलती है । पहले अविभाज्य संपत्ति को विभाज्य (बाँटी जाने लायक संपत्ति) मानकर उसके बाद, निश्चय ही, हकदारों की श्रेणियां (classes) कर लेनी चाहिए और इस (संपत्ति) की पृक्त (Joint) अथवा विभक्त (seperate) रूपवाली प्रकृति (nature) का भी विचार करना चाहिए । तथा अंत में खास नियम (special rule) से बहुत से हकदारों में से एक को चुन लेना चाहिए ।

औरसान् हि सुतांस्त्यक्त्वा मृते स्वामिनि संपदः ।
ज्येष्ठत्वनियमेनाऽत्र ज्येष्ठपुत्रोऽधिकारवान् ॥३८९५॥

'असली पुत्रों को छोड़कर संपत्ति के स्वामी के मरने पर यहां पर बड़े पन

(Primogeniture) के नियम से बड़ा पुत्र अधिकारी होता है ।

ज्येष्ठः पुत्रः स विज्ञेयः प्रथमः स्वसुतेषु यः ।
ज्येष्ठाभार्यासुतत्वं नो तस्मायावश्यकं मतम् ॥३८९६॥

ज्येष्ठ पुत्र उसे समझना चाहिए जो अपने पुत्रों में प्रथम हो । उस (पुत्र) के लिए बड़ी स्त्री का पुत्र होना आवश्यक नहीं माना गया है ।

जात्याचारो न चेद् भार्याज्येष्ठत्वस्य नियामकः ।
कनिष्ठाजोऽपि पुत्रेषु ज्येष्ठत्वादधिकारवान् ॥३८९७॥

यदि जाति का रिवाज पत्नी के बड़े होने का नियम नहीं करता हो, तो छोटी (पत्नी) से उत्पन्न हुआ भी, पुत्रों में बड़ा होने से, अधिकारी होता है ।

यावज्ज्येष्ठसुतोत्पन्ना शाखाऽर्थस्याऽधिकारिणी ।
तावद्यात्यत्र संपत्तिस्तच्छाखीयान्यथाक्रमम् ॥३८९८॥
अतो ज्येष्ठे मृते पुत्रे त्यक्त्वा निजसुतानिह ।
संपज्ज्येष्ठं सुतं याति भ्रातरं नो मृतस्य तु ॥३८९९॥

जब तक ज्येष्ठ पुत्र से उत्पन्न हुई शाखा (line) संपत्ति की अधिकारिणी रहती है, तब तक यहां पर संपत्ति उसकी शाखावालों को क्रम से मिलती रहती है । इसलिए बड़े पुत्र के यहां पर अपने पुत्रों को छोड़कर मरने पर संपत्ति (उनमें के) ज्येष्ठ पुत्र को मिलती है; मरनेवाले के भाई को नहीं (मिलती) ।

संपत्तावविभाज्यायां दत्तकग्रहणस्य यः ।
प्रभावोऽपरशाखासु स प्रागेव प्रदर्शितः ॥३९००॥

अविभाज्य संपत्ति में गोद का पुत्र लेने का जो प्रभाव (कुटुम्ब की) दूसरी शाखाओं पर पड़ता है, वह पहले ही दिखला दिया है । (देखो श्लोक ३१२२ से ३१४८ और ३३२७ से ३३३८) ।

गृहीते दत्तके पुत्र औरसो जायते यदि ।
अन्त्य एवाधिकारी स्यात्तस्यास्तर्ह्यत्र संपदः ॥३९०१॥

दत्तक (गोद का) पुत्र लेने पर यदि अपना असली पुत्र उत्पन्न हो जाय, तो यहां पर अन्तिम (असली पुत्र) ही उस (अविभाज्य) संपत्ति का अधिकारी होता है ।

अभाज्यसंपदः स्वामी शूद्रस्त्वनौरसं सुतम् ।
अनौरसं च संत्यज्य म्रियते चेत्तदा सुतः ॥३९०२॥
औरसस्त्वधिकारी स्यादतो वित्तांशने पितुः ।
स एव तस्य मुख्यांऽशं प्रतिगृह्णाति निश्चितम् ॥३९०३॥

यदि यहां पर अविभाज्य संपत्ति का स्वामी शूद्र अपने असली और दोगले

तो व्यक्तिगत (seperate) धन की दाय प्राप्ति (succession) के नियम से निश्चय ही अविभाज्य धन पर भी विभाज्य (धन) की तरह अधिकार कर सकती है। परन्तु दूसरे स्थान पर तो किसी तरह भी नहीं कर सकती।

धनेशस्य मृतो ज्येष्ठः पुत्रस्तस्याऽपि नन्दनः ।
ज्येष्ठः स्वर्गं गतस्त्यक्त्वा भ्रातरं च सुतं निजम् ॥३६१९॥
यत्र तत्र मृतेऽर्थस्य स्वामिनि द्रविणं व्रजेत् ।
ज्येष्ठशाखाभवत्वाद्धि प्रपौत्रं न तु पौत्रकम् ॥३६२०॥
निकटस्थं कनिष्ठायां शाखायां स्थितितो ध्रुवम् ।
पृक्तेषु त्वमुनाऽभाज्यधनमार्गः प्रदर्शितः ॥३६२१॥

जहां पर धन के मालिक का ज्येष्ठ पुत्र मर गया हो और उस (ज्येष्ठ पुत्र) का भी बड़ा लड़का अपने भाई और लड़के को छोड़कर स्वर्ग चला गया हो; वहां धन के मालिक के मरने पर धन ज्येष्ठ (senior) शाखा में होने से परपोते को मिलता है। छोटी (Junior) शाखा में रहने से, निश्चय ही नजदीक रहे पोते को नहीं मिलता। इस (दृष्टान्त) से साझेदारों में अविभाज्य संपत्ति का मार्ग दिखलाया गया है।

संपत्तिरविभाज्याथ पैतृकी परमन्तिमः ।
स्वामी पृथक्कृतः सा च मिताक्षरमतानुगा ॥ ३६२२॥
यत्र तत्र ध्रुवं भाज्यद्रव्यदायाप्तये कृताः ।
सामान्या नियमास्तस्याः प्रयुज्यन्ते विभाजने ॥३६२३॥

जहां पर संपत्ति तो अविभाज्य और बाप-दादा की हो, परन्तु (उसका) अन्तिम स्वामी जुदा कर दिया गया हो और वह (संपत्ति) मिताक्षरा के मतानुसार जाने वाली हो, वहां पर निश्चय ही बांटने लायक धन के दाय-प्राप्ति (succession) के लिए बनाये साधारण नियम उस (संपत्ति) के बांटने में काम में लाये जाते हैं।

अतस्तत्र धनेशोऽन्त्यो मृतोऽपुत्रो निजां स्त्रियम् ।
त्यक्त्वा चेत्तर्हि सा संपद् याति तद्विधवां ध्रुवम् ॥३६२४॥
कुटुम्बाचारतः सा नो वर्जिता तत्कृते यदि ।
अभावे विधवायास्तु याति सा तत्सुतां पुनः ॥३६२५॥

इसलिए यदि वहां पर धन का बिना पुत्रवाला अन्तिम स्वामी अपनी स्त्री को छोड़कर मर जाता है, तो वह संपत्ति, निश्चय ही, यदि कुटुम्ब के रिवाज से वह (मरने वाले की स्त्री) उसके लिए वर्जित न हो, तो उस (मरने वाले की) विधवा को मिलती है और विधवा के न होने पर उसकी (मरने वाले की) लड़की को मिलती है।

अभावे विधवायाश्च सुताया अपि सा व्रजेत्।
आचारस्याऽविरोधे तु पूर्वजत्वव्यवस्थया ॥३९२६॥

और विधवा और कन्या के भी अभाव में वह (संपत्ति), रिवाज का विरोध न होने पर पहले जन्म (primogeniture) की व्यवस्था (rule) से जायगी।

भवेयुस्तत्र बहवः समस्वाम्यकशालिनः।
संपद्या अन्तिमेनार्यस्वामिना चेत्तदा तु सा ॥३९२७॥
ज्येष्ठं यायाद्यथानेकाः शाखाश्चेत्तत्र तर्हि सा।
ज्येष्ठशाखागतं ज्येष्ठं गच्छेच्छास्त्रोक्तरीतितः ॥३९२८॥

यदि वहाँ पर धन के अन्तिम स्वामी से संबन्ध रखनेवाले एक ही शाखा के बहुत से बराबर के हकदार हों, तो वह (संपत्ति) (उनमें के) सब से बड़े को मिलती है और यदि वहां अनेक शाखायें हों, तो वह (संपत्ति), शास्त्र में कही रीति से ज्येष्ठ (senior) शाखा में के ज्येष्ठ (eldest) (पुरुष) को मिलती है।

अभाज्यापृक्तवित्तेऽपि स्त्रियाः स्वाम्यं विवर्जितम्।
आचारेणेति यो ब्रूयात् स एवैनं प्रमाणयेत् ॥३९२९॥

रिवाज से नहीं बाँटने लायक जुदा धन में भी स्त्री का अधिकार नहीं माना है—जो ऐसा कहे, वही उस (रिवाज) को प्रमाणित करे।

कुलाचारात्तु कुत्राऽपि पूर्वजत्वविधिं पुनः।
त्यक्त्वा वरणरीत्यापि संपत्तिः प्राप्यते जनैः ॥३९३०॥

फिर कुल के रिवाज से कहीं पहले जन्म (primogeniture) की रीति को छोड़ कर वरण (चुनलेने) की रीति से भी पुरुष संपत्ति प्राप्त करते हैं।

एषाऽविभाज्या संपत्तिर्दायाधिकृतयेऽभवत्।
असंपृक्तेति सिद्ध्यर्थमवरेषां कुटुम्बिनाम् ॥३९३१॥
इङ्गितेनाथ वचसा संकल्पोऽत्र प्रदर्शितः।
तस्या दायाधिकारस्य त्यागार्थं साध्य ईरितः ॥३९३२॥

यह अविभाज्य (impartible) संपत्ति दायाधिकार (succession) के लिए अलग (seperate) हो गई—इस बात की सिद्धि के लिए छोटे (Junior) कुटुम्बवालों का इशारे से या वचन से, उस (संपत्ति) के अधिकार के त्याग के लिए, प्रकट किया इरादा सिद्ध करना कहा है।

सामान्यापृक्तिमात्रेण न साऽपृक्ता मता यतः।
स्वाम्यत्यागः कनिष्ठैर्हि वंश्यैस्तत्र त्वपेक्षितः ॥३९३३॥

साधारण तौर पर जुदा होने से वह (संपत्ति) जुदा (seperate) हुई नहीं मानी जाती; क्योंकि यहां पर छोटे (Junior) वशजों द्वारा अधिकार के त्याग की अपेक्षा (आवश्यकता) रहती है।

यत्राविभाज्यसंपत्तिर्मितात्तरमतानुगा।
स्वार्जिता च व्रजेत्तत्र सा दायादं जनं पुनः ॥३६३४॥
अपृक्तदायविधिना चरमो यद्यपि ध्रुवम्।
तस्याः स्वामी स्वमरणकाले पृक्तः कुटुम्बिभिः ३६३५॥

फिर जहां पर अविभाज्य संपत्ति मिताक्षरा के मत के अनुसार जानेवाली और अपनी कमाई हो, वहां पर यद्यपि उसका अन्तिम स्वामी मृत्यु के समय कुटुम्बवालों के साथ (undivided) ही हो, तथापि वह निश्चय ही जुदा धन का दाय (succession to seperate property) की रीति से हकदार पुरुष को मिलती है।

स्वार्जितायास्त्वभाज्यायाः भूसंपत्तेरतोऽधिपः।
चेन्मृतो विधवां भार्यां त्यक्त्वा भ्रातृसुतांस्तथा ॥३६३६॥
संपृक्तांस्तर्हि तस्यैव भार्या स्यादधिकारिणी।
नो भ्रातृव्या, ध्रुवं संपत्तद्भर्तुः स्वार्जिता यतः ॥३६३७॥

इसलिए यदि अपनी प्राप्त की हुई अभाज्य जमीन्दारी का स्वामी विधवा पत्नी और साथ रहे भतीजों को छोड़कर मर गया हो, तो निश्चय ही उसकी पत्नी ही अधिकार पायगी भतीजे नहीं, क्योंकि संपत्ति उसके पति की अपनी कमाई थी।

मिताक्षरानुगेनाथाऽविभाज्ये पैतृके धने।
निस्तारणाय विहितपितृलेखेन निश्चितम् ॥३६३८॥
स्वार्थं प्राप्तं निजज्येष्ठे जीवति भ्रातरीह तु।
तथा च द्रविडीयस्याऽभाज्यसंपत्तिहेतवे ॥३६३९॥
कृतस्य तु विधानस्य प्रयोगात्प्राग् हि तद्धनम्।
निजार्जितार्थरूपेण गृहीतं चेत्तदा ध्रुवम् ॥३६४०॥
तन्मृतौ तस्य भार्यैव दायार्हा तद्धने भवेत्।
पूर्वं विमातृजातात्तु भ्रातुर्निश्चितरीतितः ॥३६४१॥

मिताक्षरा को माननेवाले ने यदि निपटारे के लिए किये पिता के लेख से अविभाज्य पैतृक (ancestral) धन में, निश्चय ही यहां पर, बड़े भाई की जीवित अवस्था, में स्वार्थ (interest) प्राप्त कर लिया हो और मद्रास के अविभाज्य संपत्ति के लिए बनाये कानून (The Madras Impartible Estates Act)

के प्रयोग (Coming into force) के पहले ही उस धन को अपने कमाये हुए (self acquired) के रूप में ले लिया हो, तो निश्चय ही उसके मरने पर उसकी स्त्री ही, निश्चित की हुई रीति से, सौतेले भाई से पहले उस धन पर अधिकारिणी होगी।

दायभागानुगेष्वत्र दायादोऽन्त्याधिकारिणः।
नेदिष्ठायास्तु शाखाया ज्येष्ठो वंश्यो न चापरः ॥३६४२॥

यहाँ पर दायभाग को माननेवालों में (धन के) अन्तिम अधिकारी का हकदार सब से निकट की शाखा का सब से बड़ा कुटुम्बी ही होता है, दूसरा नहीं।

२८ वृद्धि-दण्डपातीया नियमाः।

व्याज के दण्डपात के नियम।

दण्डपात इति ख्याता शाखार्यर्णविधानगा।
यया मूलाधिकावृद्धिर्नैकवारे प्रगृह्यते ॥३६४३॥

आर्यों (हिन्दुओं) के कर्ज़े के कानून में दण्डपात इस नाम से प्रसिद्ध (एक) शाखा है, जिससे एकबार में मूल (धन) से अधिक व्याज नहीं लिया जा सकता।

परं मूलाधिकां वृद्धिं समादातुं क्षमो जनः।
भिन्न-भिन्नेषु कालेषु वृद्ध्यंशान्प्राप्य निश्चितम् ॥३६४४॥

परन्तु पुरुष भिन्न-भिन्न समयों में व्याज के हिस्सों को प्राप्त कर मूल-धन से अधिक व्याज ले सकता है।

ऋणप्रतिग्रहे नास्ति कालसीमा तु हिन्दुषु।
ऋणेयत्ताकृते दण्डपातस्त्वावश्यको ह्यतः ॥३६४५॥

हिन्दुओं में कर्जा वापस लेने में समय की सीमा (rule of limitation) नहीं है; इसलिए कर्ज़े की रकम की तादाद को निश्चित करने के लिए दण्डपात (का नियम) आवश्यक होता है।

यत्रर्णं प्रतिदेयं स्यादंशेष्वथ सवृद्धिकाः।
दत्ताः कतिपये तेषामभियोगस्ततः कृतः ॥३६४६॥
तदर्थं वृत्तमर्णेन तत्र नो शेषमूलतः।
अधिका दीयते वृद्धिर्यतः शेषर्णजा हि सा ॥३६४७॥

जहाँ पर कर्जा क़िस्तों में चुका देना हो और उनमें की कई क़िस्तें व्याज सहित वापस देदी हों तथा उसके बाद उस (कर्ज़े) के लिए कर्ज़ देनेवाले ने

मुकद्दमा किया हो, वहां पर बाकी रहे मूल धन से अधिक ब्याज नहीं दिया जाता; क्योंकि वह ब्याज बाकी रहे कर्ज का ही होता है।

विभागशस्तु नो यत्र ऋणं देयं भवेत्परम्।
सवृद्धिकऋणांशः प्राग्दत्तस्तत्राऽप्ययं विधिः ॥३६४८॥

जहां पर किश्तों से तो कर्जा नहीं चुकाना हो, परन्तु सब ब्याज के कर्ज का (कुछ) अंश पहले दे दिया हो, वहां भी यही रीति है।

मिथः समयतो यत्र नव्यलेखेन योजिता।
मूलेऽवशिष्टा वृद्धिस्तु मूलं कृत्स्नं हि तत्र तत् ॥३६४९॥

जहां पर आपस के समझौते से नवीन लेख द्वारा बाकी रहा (चढा हुआ) ब्याज मूल धन में जोड़ दिया गया हो, वहां पर वह सारा मूल धन होता है।

ऋणप्रदानकाले चेदात्राऽऽदात्रा कृतो मिथः।
समयो यददत्ता तु वृद्धिर्मूलत्वमेष्यति ॥३६५०॥
तद्वृद्धिश्चाप्यथो देया भविष्यति ततः परम्।
तदाऽभियोगे प्राग्दत्तं मूलं वृद्धेर्नियामकम् ॥३६५१॥

यदि कर्ज देने के समय देनेवाले और लेनेवाले ने आपस में समझौता कर-लिया हो कि नहीं दिया हुआ ब्याज मूल धन हो जायगा और उसके बाद उसका ब्याज भी देना होगा, तो मुकद्दमे के समय पहले दिया मूल धन ही ब्याज का नियम करने वाला होता है (अर्थात्–उतना ही ब्याज देना होता है)।

अभियोगविधानान्तं दण्डपातः प्रयुज्यते।
ततश्च शासनान्तं वा शोधनान्तमृणस्य वा ॥३६५२॥
क्षमा न्यायाधिपा वृद्धिं निर्णेतुं हि यथोचिताम्।
निक्षेप्तृविहितेऽप्यत्राभियोगे स्यादयं विधिः ॥३६५३॥

मुकद्दमा चलाने तक दण्डपात (कानून) का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद डिग्री तक अथवा कर्ज के चुकाने तक न्यायाधीश यथोचित ब्याज का निर्णय कर सकते हैं (अर्थात्–मुकद्दमा चला देने के बाद दण्डपात लागू नहीं होता)। गिरवी रखने वाले (अधमर्ण) के, यहां पर, मुकद्दमा चलाने पर भी यही रीति है।

दण्डपातविधिर्मान्यो बंबईमण्डलेऽखिले।
कलिकातानगर्यां च तथा संथालमण्डले ॥३६५४॥
सन्थालेषु परं रौप्यऋणायैव प्रयुज्यते।
एष, नान्यत्र कुत्रापि प्रचारोऽस्य मतो बुधैः ॥३६५५॥

दण्डपात विधि सारे ही बम्बई अहाते (Presidency) में, कलकत्ता नगर

में और संथाल परगने में मानी जाती है। परन्तु संथालों में यह केवल रुपयों के कर्जों के लिए ही प्रयोग की जाती है; और कहीं भी विद्वानों ने इसका प्रचार नहीं माना है।

वङ्गमुख्यनयागाराधिपैरेष प्रयुज्यते।
उत्तमर्णाधमर्णौ चेदाद्यावार्यमतानुगौ ॥३६५६॥

बंगाल हाई कोर्ट के जजों द्वारा इस (दण्डपात) का प्रयोग यदि सब से पूर्व के (original) कर्ज देनेवाला और लेनेवाला हिन्दू हो तो किया जाता है।

महाराष्ट्रीयप्रमुखन्यायौकेशैः प्रयुज्यते।
आद्ये ऽधमर्ण आर्येऽत्र दण्डपातः सुनिश्चितम् ॥३६५७॥
अत आद्याधमर्णेन म्लेच्छेन त्वार्यसात्कृते।
ऋणेऽपि दण्डपातस्योपयोगो नैव संमतः ॥३६५८॥

बंबई हाइकोर्ट के जज वहां पर पहले (original) कर्जदार के हिन्दू होने पर निश्चय ही दण्डपात का प्रयोग करते हैं। इसलिए पहले कर्ज लेनेवाले मुसलमान द्वारा कर्ज को हिन्दू को दे देने पर भी दण्डपात का उपयोग नहीं माना गया है।

आर्यानार्यावुभौ यत्राधमर्णावार्य एव हि।
तत्रानेन विधानेन लाभभाग् नापरः परम् ॥३६५९॥
अनार्यः स्वप्रदत्ताया वृद्धे राधिक्यहेतवे।
यत्क आर्यात्समादातुं तदंशं तु सुनिश्चितम् ॥३६६०॥

जहां हिन्दू और अहिन्दू-दोनों कर्जदार हों, वहां हिन्दू ही इस (दण्डपात के) कानून से लाभ प्राप्त करता है दूसरा (अहिन्दू) नहीं। परन्तु अहिन्दू अपने दिये ब्याज की अधिकता के लिए हिन्दू से उस (के जिम्मे) का भाग निश्चय ही ले सकता है।

आर्यात्तऋणवार्द्धक्ये मूलेनाधिकतां गते।
म्लेच्छायत्तीकृतं तत्तु ऋणं चेत्तर्हि निश्चितम् ॥३६६१॥
यावदार्याधमर्णेन सम्बद्धं समभूद्धि तत्।
तावत्कालकृते दण्डपातस्तत्रोपयुज्यते ॥३६६२॥

हिन्दू द्वारा लिये कर्ज के ब्याज के मूल से अधिक हो जाने पर यदि उस कर्ज को मुसलमान के नाम कर दिया गया हो, तो निश्चय ही जब तक हिन्दू कर्जदारों से वह (कर्ज) संबद्ध रहा था, तब तक के समय के लिए (ही) वहां पर दण्डपात का उपयोग किया जाता है।

अरक्षित ऋणे यद्वत्तद्वदेव प्रयुज्यते।
चलाचलार्थनिक्षेपरक्षितेऽत्र ऋणेऽप्यसौ ॥३६६३॥

जिस प्रकार (गिरवी आदि से) अरक्षित (unsecured) ऋण में उसी प्रकार यहां पर चल और अचल संपत्ति के गिरवी रखने से रक्षित (secured) ऋण में भी यह (दण्डपात) काम में लाया जाता है।

निक्षेपमधिकृत्यैव दात्राऽथाऽत्र समर्पितम्।
ऋणं तु द्विविधं प्रोक्तं रीत्याऽग्रे वक्ष्यमाणया ॥३६६४॥

गिरवी रखी वस्तु पर अधिकार करके ही देनेवाले ने यहां पर दिया कर्जा आगे कहीजानेवाली रीति से दो प्रकार का कहा गया है।

प्रथमं यत्र रै-दातृ-ग्रहीतृभ्यां पुरैव तु।
आधेर्विनिश्चितं द्रव्यं वार्षिकं भाटलाभयोः ॥३६६५॥
निर्णीतश्च यथाकालमुत्तमर्णेन तद्ग्रहः।
स्थाने संपूर्णवृद्धेर्वा तद्भागस्य कृतेऽथवा ॥३६६६॥
निक्षिप्तवस्तुसंप्राप्यमनपेक्ष्यैव वास्तवम्।
भाटकं, चापरं यत्र समयस्तु न तादृशः ॥३६६७॥

पहला-जहां पर धन देनेवाले और लेनेवाले ने पहले ही, गिरवी रखी वस्तु द्वारा मिलनेवाले वास्तविक किराये (या लाभ) का विचार न करके, गिरवी की वस्तु के किराये और लाभ का वार्षिक धन निश्चित कर दिया हो और यथा-समय कर्ज देनेवाले का उसको (रकम के) सारे ब्याज की एवज में या उस (ब्याज) के हिस्से की एवज में लेते रहना तय कर दिया हो। दूसरा-जहां ऐसा (कोई) समझौता न हो।

प्रथमे न समीक्ष्यौ स्तो भाटलाभौ तु वस्तुनः।
आधितस्य परं देये मूलवृद्धी यथोचिते ॥३६६८॥
साधारणऋणेनैव सममेतदृणं यतः।
दण्डपातनपद्धतस्माद्त्राऽपि ह्युपयुज्यते ॥३६६९॥

पहले (प्रकार) में गिरवी रखी वस्तु के किराये और लाभ का हिसाब नहीं होता। परन्तु यथोचित (हिसाब से निकलने वाला) मूल (कर्जा) और उसका ब्याज (ही) देना होता है। क्योंकि यह ऋण साधारण कर्ज के समान ही होता है, इसलिए दण्डपात की नीति यहां भी उपयोग में ली जाती है।

समीक्ष्यौ भाटलाभौ हि निक्षेपस्याऽपरत्र तु।
संप्राप्तावुत्तमर्णेन तत्समाधारणे च सः ॥३६७०॥
भारभागेन पत्रैव दण्डपातनपद्धतु नो।
प्रयुज्यतेऽत्र चाद्ध्यप्रतिबन्धाय निश्चितम् ॥३६७१॥

दूसरे में तो गिरवी रखी वस्तु के कर्ज देनेवाले द्वारा प्राप्त किये किराये (rent)

और लाभ (profit) का हिसाब होता है और उस हिसाब के समाधान के लिए वह जिम्मेदार होता है; इसलिए यह दण्डपात का कानून यहाँ (ऐसे स्थानें) पर व्याज की रुकावट के लिए निश्चय ही प्रयोग में नहीं लिया जाता।

नवत्र्यङ्कैकवर्षे यदर्थस्य परसात्कृतेः।
विधानं स्वीकृतं तस्मादूर्ध्वं न्यासीकृतेषु नो ॥३६७२॥
दण्डपातः प्रयोज्यः स्याद् द्राविडीयं मतं त्विदम्।
नादृतं तन्महाराष्ट्रे कलिकातापुरेऽथ च ॥३६७३॥

विक्रम संवत् १६३६ (ई. स. १८८२) में जो धन के दूसरे के अधिकार में करने का कानून (The Transfer of Property Act) स्वीकार किया गया था उसके बाद के गिरवी किये हुओं में दण्डपात का प्रयोग नहीं होता-यह मद्रास वालों का मत है। यह (मत) बम्बई और कलकत्ते में नहीं माना जाता।

द्रविडे दण्डपातस्तु क्वापि मान्यो न यद्यपि।
तथापि खलु तत्रत्यमुख्यन्यायालयाऽधिपैः ॥३६७४॥
निश्चितं यत्स मान्योऽपि मद्रास नगरे यदि।
स्यात्तर्ह्यपि न पूर्वोक्तविधानान्ते प्रभाववान् ॥३६७५॥

यद्यपि मद्रास में दण्डपात कहीं भी नहीं माना जाता, तथापि निश्चय ही वहाँ की हाइकोर्ट के जजों ने तय किया है कि यदि यह मद्रास नगर में मान्य होता, तो भी पहले कहे कानून (The Transfer of Property Act 1882 A. D.) के (स्वीकार करने के) बाद प्रभाववाला न होता।

२६ अनामकी व्यवहारः।

दूसरे के नाम पर का लेन-देन।

स्वार्थेन यत्र संपत्तिं क्रीणाति पुरुषः परम्।
नाम्नाऽपरस्य वा स्वस्य नाम्ना क्रीत्वा ह्यनन्तरम् ॥३६७६॥
नाम्नि संक्रमयेदन्यजनस्य तु विनैव हि।
तल्लाभस्य विचारेण स विज्ञेयस्त्वनामकः ॥३६७७॥
व्यवहारस्तथा यस्य नाम्नि संक्रमितार्थ सः।
अनामकीति विख्यातो जनः स विबुधैर्मतः ॥३६७८॥

जहाँ पर पुरुष अपने धन द्वारा, परन्तु दूसरे के नाम से, संपत्ति खरीदता है या अपने नाम खरीद कर बाद में दूसरे पुरुष के नाम में, बिना उस (पुरुष) के लाभ के विचार के ही, बदल देता है उसे अनामी व्यवहार (transaction) जानना चाहिए और जिसके नाम में वह (संपत्ति) बदली जाती है विद्वानों ने

उसे बेनामीदार इस नामवाला माना है।

अप्रयुज्य निजं नाम व्यवहारो यतः कृतः।
अनामक इति ख्यातो व्यवहारस्ततस्तु सः ॥३६७६॥

क्योंकि अपने नाम का प्रयोग न करके व्यवहार किया होने से यह अनामक (बेनामी) इस नामवाला व्यवहार (transaction) प्रसिद्ध हुआ।

व्यवहारस्त्वसौ नूनं नामसौभाग्यप्रत्ययात्।
छलार्थं गोपनार्थं वा स्वसंपत्तेर्विधीयते ॥३६८०॥

यह व्यवहार निश्चय ही नाम के भाग्यवान् होने के विश्वास (superstition) से, धोखे के लिए या अपनी संपत्ति को छिपाने के लिए किया जाता है।

पट्टं चापि समादातुं परनाम्नि क्षमो जनः।
संपत्तेर्निजनाम्नाथ गृहीतामपि वा पुनः ॥३६८१॥
निक्षेप्तुं परनाम्नीह समर्थः स तथैव हि।
आधीकर्तुमृणादानमृते नाम्नि परस्य वा ॥३६८२॥

पुरुष संपत्ति को पट्टा (lease) भी दूसरे के नाम ले सकता है अथवा अपने नाम पर ली हुई को भी यहां पर दूसरे के नाम पर कर देने को समर्थ होता है। उसी प्रकार (संपत्ति को) बिना कर्ज लिए दूसरे के नाम पर गिरवी (भी) कर सकता है।

सकृदत्र कृते पुंसा व्यवहारे त्वनामके।
फलभुग् वास्तवः कर्ता नैव क्वाप्यनामकी ॥३६८३॥

यहां पर पुरुष द्वारा एकबार बेनामी व्यवहार (transaction) कर दिये जाने पर उसका असली करने वाला ही फायदा उठाता है बेनामीदार कहीं पर भी फायदा नहीं उठाता।

उन्नत्यै वोपहाराय व्यवहारस्त्वनामकः।
कृतस्तस्यैव कर्त्रा चेदिति ब्रूयादनामकी ॥३६८४॥
आर्येषु तर्हि मिथ्यैतदिति कर्तैव साधयेत्।
केवलं कथनेनैव न स तत्र धनेश्वरः ॥३६८५॥

करनेवाले ने यह बेनामी व्यवहार (transaction) उसी की उन्नति के लिए या उपहार (gift) के लिए किया है, यदि हिन्दुओं में बेनामीदार ऐसा कहे, तो वह झूठ है ऐसा उसका करनेवाला ही सिद्ध करे। केवल (उपर्युक्त बात के) कह देने मात्र से वह धन का मालिक नहीं हो सकता।

क्रीता स्याद्यस्य वित्तेन संपत्तिः स तदीश्वरः।
नियमस्त्वेष विज्ञेयो व्यवहारे ह्यनामके ॥३६८६॥

जिसके धन से संपत्ति खरीदी गई हो, वही उसका मालिक होता है। बेनामी व्यवहार में यह नियम जानना चाहिए।

क्रेत्रोपभुक्तो लाभोऽस्या भुक्तोऽनामकिनाथवा।
इति ज्ञात्वैव निर्णयाऽनामकार्याऽधिकारिता ॥३६८७॥
निर्णयेऽत्र विचार्यश्च संबन्धः क्रेतृधारिणोः।
उभयोश्च स्थितिः कार्यप्रेरकश्चाशयस्तथा ॥३६८८॥

खरीदनेवाले ने इसके लाभ का उपभोग किया है या बेनामीदार ने उपभोग किया है-यह जानकर ही बेनामी व्यवहार के स्वामित्व का निर्णय करना चाहिए। और यहां पर इसके निर्णय में खरीदने वाले और रखने वाले (बेनामीदार) का सम्बन्ध, दोनों की स्थिति (position) और कार्य की प्रेरणा करनेवाला आशय (motive) का विचार करना चाहिए।

सार्धअष्टसमान्तं तु भुक्त आयोऽस्य संपदः।
स्थितायां निजनाम्न्यत्र क्रेत्राद्दत्वं विनैव हि ॥३६८९॥
क्रेतुश्चाथ कृताऽनर्घा सेवाऽनामकिना मया।
यत्रेति साध्यते तत्र सोपहारस्तु तत्कृते ॥३६९०॥

यहां पर अपने नाम पर रही संपत्ति की आमदनी का, खरीददार के ऐतराज के बिना ही, साढे नौ वर्ष तक उपभोग किया और मुझ बेनामीदार ने (संपत्ति के) खरीददार की अमूल्य (valuable) सेवा की-जहां पर यह सिद्ध कर दिया जाता है, वहां पर वह (संपत्ति) उस (बेनामीदार) के लिए उपहार हो जाती है (मान ली जाती है)।

धनागारे तु पत्या चेत्संपत्तिर्निहिता निजा।
पतिपत्न्योर्हि संयुक्तनाम्ना कृत्वाथ निर्णयम् ॥३६९१॥
यत्तयोः कतमोऽप्यत्र तमादातुं क्षमोऽथवा।
सा तयोरवशिष्टाय देयैकस्य मृतौ तदा ॥३६९२॥
पत्यन्ते नैव सा ज्ञेया पत्न्यायुपहृता, तथा।
आर्येष्वसंमतं दानं पत्न्युन्नत्यै तु निश्चितम् ॥३६९३॥

यदि पति ने अपनी संपत्ति पति और पत्नी के संयुक्त नाम से, यह निर्णय करके, कि उन दोनों में से एक के मरने पर पीछे बचे हुए को दे देनी होगी, बंक में रखदी हो, तो पति के बाद उसे पत्नी को उपहार में दी नहीं जाननी चाहिए। तथा हिन्दुओं में पत्नी की उन्नति के लिए (धन) देना संमत नहीं होता है।

यदाऽनामकिना स्वाम्यमनामकधनस्य हि।
दर्शितं सोऽभियुक्तश्च क्रेत्रा तस्य कृते तदा ॥३६९४॥

क्रेतैवानामकं स्वीयं व्यवहारं सुसाधयेत्।
तत्र किन्तु प्रमाणानां शैथिल्ये न्यायरक्षकः ॥३९९५॥
परिस्थित्याथ दशया त्वभियोक्त्रभियुक्तयोः।
मिथः सम्बन्धतश्चाथाशयेन प्रेरकेण तु ॥३९९६॥
तत्कर्मणस्तयोरन्त्यव्यवहारेण च ध्रुवम्।
निर्णयेत्संपदः स्वाम्यं वादमस्तं यथोचितम् ॥३९९७॥

जब बेनामीदार ने बेनामी धन का स्वामी होना प्रकट किया हो और इसके लिए (उस धन के) खरीददार ने उस पर मुकद्दमा चलाया हो, तब खरीददार ही अपने बेनामी व्यवहार (बेनामीदार के नाम से धन खरीद ने) को अच्छी तरह से सिद्ध करे। परन्तु वहां पर सबूतों की ढील होने पर न्यायाधीश परिस्थिति (surrounding circumstance), मुद्दई-मुद्दायले की हालत (position), (उन दोनों के) आपस के सम्बन्ध, उस काम (बेनामी करने) की प्रेरणा करने वाले आशय (motive) और उन दोनों के अन्तिम व्यवहार (subsequent conduct) से झगड़े में पड़े संपत्ति के स्वाम्य (ownership) का, निश्चय ही, उचित रूप से निर्णय करे।

यत्र पत्या धनं क्रीतं भार्या नाम्नि निजार्थतः।
पूर्वं विवाहे विहितं समयं रक्षितुं ध्रुवम् ॥३९९८॥
अनामकस्तु न ज्ञेयो व्यवहारः स तत्र तु।
सुसंपुष्टैः प्रमाणैर्हि साध्यः स समयः परम् ॥३९९९॥

जहां पर पति ने निश्चय ही पहले, विवाह के समय, किये वादे की रक्षा करने के लिए अपने धन से पत्नी के नाम संपत्ति खरीदी हो, वहां पर उसे बेनामी व्यवहार नहीं जानना चाहिए। परन्तु (पति के किये) उस वादे को पुष्ट प्रमाणों से सिद्ध करना चाहिए।

विक्रीता यत्र संपत्ती राजशासनतोऽथवा।
करग्रहाय, च क्रीताऽनामकत्वव्यवहारतः ॥४०००॥
परनाम्नि स एवाथ निर्णीतश्चाधिकारवान्।
तत्राऽक्षमो मतः क्रेताधिकर्तुं तद्धनं ततः ॥४००१॥

जहां पर राज की डिग्री से या हासिल वसूल करने के लिए संपत्ति बेची गई हो और बेनामी व्यवहार से दूसरे के नाम में खरीदी गई हो तथा उसे (बेनामीदार को) ही (उस संपत्ति का) अधिकारी निर्णीत (certified) कर दिया गया हो, वहां पर इन (उपर्युक्त) बातों के बाद खरीददार उस संपत्ति पर अधिकार नहीं कर सकता।

उत्तमर्णः परं क्रेतुरभियुज्यात्र तावुभौ ।
क्रेतुः स्वाम्यं च संसाध्य शक्तः स्वार्थग्रहे ततः ॥४००२॥

परन्तु यहां पर खरीददार का कर्ज देनेवाला उन दोनों पर मुकद्दमा चलाकर और खरीददार का स्वामित्व सिद्ध कर उस (संपत्ति) से अपना (दिया) धन ले सकता है ।

कुटुम्बार्थेन चेत्क्रीतं स्वानाम्न्यर्थं कुटुम्बिना ।
तर्हि तस्याऽपरे वंश्याः क्षमाः सत्यस्य सिद्धये ॥४००३॥

यदि कुटुम्बी ने कुटुम्ब के धन से अपने नाम पर संपत्ति खरीदी हो, तो उसके दूसरे कुटुम्बी सच्ची बात को सिद्ध करने में समर्थ होते हैं (अर्थात्-इसे सिद्ध करने में कानूनी रुकावट नहीं होती) ।

अनामको स्वनाम्न्यत्र स्थितं वित्तमनामकम् ।
वास्तवं स्वामिनं तस्याऽसूचयित्वा यथेप्सितम् ॥४००४॥
विक्रीणीत तथा न्यासीकुर्याद्वा निक्षिपेत्पुनः ।
हस्तान्तरे, समादाय तन्मूल्यं यदि तर्हि तु ॥४००५॥
न शक्तो वास्तवः स्वामी हस्तान्तरगतं हि तत् ।
प्रत्यादातुं न चेत्क्रेता स्थितिं प्रागेव सूचितः ॥४००६॥

यदि बेनामीदार यहां पर अपने नाम पर रहे बेनामी धन को, उसके वास्तविक स्वामी को सूचित किये बिना ही, अपनी इच्छानुसार, उसकी कीमत लेकर, बेचदे, गिरवी रखदे या फिर दूसरे के हाथ में देदे, तो (उस धन का) असली स्वामी दूसरे के हाथ में गये उसको, यदि खरीददार को (खरीद ने के) पहले ही स्थिति से सूचित न कर दिया हो, तो पीछा नहीं ले सकता ।

सूचना द्विविधा ज्ञेया वास्तवी कल्पिता तथा ।
वास्तवी स्वामिदत्ता स्यात्कल्पिताऽग्रे प्रदर्श्यते ॥४००७॥

सूचना दो तरह की जाननी चाहिए-वास्तविक (actual) और कल्पित (constructive) । वास्तविक (धन के) स्वामी की दी हुई होती है और कल्पित आगे बतलाई जाती है ।

क्रयणात्पूर्वमेवात्र क्रेत्रा ज्ञेयं ध्रुवं हि यत् ।
कस्य नाम्नि स्थितं वित्तं को भोक्ता चाऽस्य वास्तवः ॥४००८॥
तत्काले, किन्तु चेत् क्रीतमविज्ञायैव भोगिनम् ।
तत्तदन्ते च सिध्येद्यद् वास्तवस्त्वधिपः स्वयम् ॥४००९॥
भोक्तासीत्तद्धनायस्य नो विक्रेता त्वनामकी ।
कल्पिता सूचना तर्हि कल्प्यते तत्र तत्कृते ॥४०१०॥

वास्तवधाधिपः शक्तः प्रत्यादातुं हि तद्धनम् ।
क्रे तुः प्रमादिनो नूनं सकाशादभियोगतः ॥४०११॥

यहां पर खरीदने के पहले ही खरीददार को निश्चय रूप से जान लेना चाहिये कि संपत्ति किस के नाम पर स्थित है और उस समय इसका वास्तविक भोगनेवाला कौन है। परन्तु यदि भोगनेवाले को बिना जाने ही यह (संपत्ति) खरीद ली गई हो और उसके बाद प्रमाणित हो जाय कि वास्तविक स्वामी स्वयं उस धन की आमदनी का भोगनेवाला था, बेनामीदार बेचनेवाला नहीं था, तो यहां पर उस (भोक्ता के) विषय में कल्पित सूचना (constructive notice) की कल्पना करली जाती है और वास्तविक अधिकारी प्रमादी खरीददार के पास से मुकद्मे द्वारा निश्चय ही उस संपत्ति को वापस ले सकता है।

स्थापितं पुरुषेणाथ परनाम्नि धनं यदि ।
उत्तमर्णं तु दत्तार्थान्नूनं वञ्चयितुं तदा ॥४०१२॥
सिद्धे छले न शक्तः स्याद्वास्तवस्तु धनाधिपः ।
अत्रानामकिनः प्रत्यादातुमर्थमनामकम् ॥४०१३॥
परं नो विहितं यत्र पूर्वसंकल्पितं छलम् ।
वास्तवोऽर्थाधिपस्तत्र क्षमोऽर्थस्य प्रतिग्रहे ॥४०१४॥

यदि मनुष्य ने (अपने) कर्ज देनेवाले को निश्चय ही दिये हुए धन से वञ्चित (defraud) करने के लिए दूसरे के नाम पर संपत्ति रखदी हो, तो (उस) छल के सिद्ध हो जाने पर धन का वास्तविक स्वामी, यहां पर, बेनामीदार से बेनामी धन को वापस लेने में समर्थ नहीं होता। परन्तु जहां पर पहले विचारा हुआ छल नहीं किया गया हो, वहां पर धन का असली मालिक धन को वापस ले सकता है।

छलाद्वञ्चयितुं नूनं वास्तवस्याधिकारिणः ।
उत्तमर्णानधिगतं शासनं त्वभियोगतः ॥४०१५॥
यत्रानामकिनार्थस्यानामकस्य ग्रहाय हि ।
तत्राशक्तोऽधिकारी तु विरोद्धुं तद्ग्रहं परम् ॥४०१६॥
तदुत्तमर्णः शक्तः स्यात्संप्रमाणय तु तच्छलम् ।
विरोद्धुं शासनं स्वार्थग्रहणाय न संशयः ॥४०१७॥

जहां पर बेनामीदार ने (धन के) वास्तविक अधिकारी को कर्ज देनेवालों को, निश्चय ही, छल से, वञ्चित करने के लिए मुकद्मे के द्वारा बेनामी धन के लेने के लिए डिग्री प्राप्त करली हो, वहां पर (धन का वास्तविक) अधिकारी उस (धन) के लेने का विरोध नहीं कर सकता। परन्तु उसको कर्ज देनेवाला उस

साल को अच्छी तरह से सिद्ध करके अपने धन को लेने के लिए डिग्री का विरोध कर सकता है, इसमें संशय नहीं है।

यत्रार्थस्य क्रयः क्रेत्रा स्वनाम्नि विहितो भवेत् ।
लोकाचारविरुद्धोऽतः क्रीतो नाम्ना परस्य सः ॥४०१८॥
अर्थः क्रेत्रा, न शक्तोऽसौ तत्रानामकिनः पुनः ।
प्रत्यादातुं तु तद्वित्तमभियोगेन निश्चितम् ॥४०१९॥

जहां पर खरीददार द्वारा अपने नाम पर की गई संपत्ति की खरीद लोकाचार के विरुद्ध हो, इसलिए खरीददार ने उस संपत्ति को दूसरे के नाम से खरीद लिया हो, वहां पर वह निश्चय ही मुकद्दमे के द्वारा उस संपत्ति को बेनामीदार से फिर वापस नहीं ले सकता।

कृतेऽनामकिना नूनमभियोगे न चेदिह ।
विरुद्धानि प्रमाणानि तर्हि ज्ञेयः कृतस्तु सः ॥४०२०॥
संप्राप्तेनाधिकारेण वास्तवादधिकारिणः ।
तन्निर्णयस्तु मान्योऽत्र धनस्य स्वामिनापि च ॥४०२१॥

बेनामीदार द्वारा मुकद्दमा चलाये जाने पर, यदि यहां पर (उसके) विरुद्ध प्रमाण न हों, तो वह (मुकद्दमा) वास्तविक अधिकारी से पाये अधिकार से किया जानना चाहिए और उसका (उस मुकद्दमे में हुआ) निर्णय यहां पर धन के (वास्तविक) स्वामी द्वारा भी मान्य होना चाहिए।

पूर्णः प्रतिनिधिर्ज्ञेयो वास्तवस्याधिकारिणः ।
अनामकी तथा लोकेऽभियोगेऽपि क्षमो मतः ॥४०२२॥
स्थिरार्थस्य पणेनाथाधिकारेण समुद्गते ।
प्रत्याख्याते पुनस्तेन स्वामी शक्तोऽभियुक्तये ॥४०२३॥

बेनामीदार को (धन के) वास्तविक अधिकारी का पूरा प्रतिनिधि जानना चाहिए। तथा दुनिया में वह स्थिर संपत्ति की शर्त (contract) से या अधिकार (title) से उत्पन्न हुए मुकद्दमे (के चलाने maintain करने) में भी समर्थ होता है। परन्तु उसके (मुकद्दमा चलाने से) इनकार कर देने पर (धन का वास्तविक) स्वामी (भी) मुकद्दमा चला सकता है।

क्रेताभियोगे संयुक्तिं स्वस्य प्रार्थयितुं क्षमः ।
तात्कालिको धनाध्यक्षश्चापि शक्तोऽत्र तत्कृते ॥४०२४॥

(संपत्ति का) खरीददार मुकद्दमे में अपने को शरीक करने के लिए प्रार्थना कर सकता है और उस समय का धन का अधिकारी भी, यहां पर, उस (खरीददार को मुकद्दमे में शरीक करवाने) के लिए समर्थ होता है।

२६ जैनाः।

जैन धर्म को मानने वाले।

जैनमतं जैनविधानं च।

जैन मत और जैनों का कानून

ये विहायार्यशास्त्राणि रतास्तीर्थङ्करार्चने।
जिनागमानुगा ये च ते जैनाः परिकीर्तिताः ॥४०२५॥

जो हिन्दू शास्त्रों को छोड़ कर तीर्थङ्करों के पूजन में लगे हुए हैं और जो जिन (महावीर) सम्बन्धी शास्त्रों को माननेवाले हैं, वे जैन कहे गये हैं।

वैश्या विशेषतो जैनाः परं तेष्वपि केचन।
आर्यशास्त्रानुगास्त्वत्र धर्मकर्मसु निश्चितम् ॥४०२६॥

वैश्य विशेष तौर पर जैन होते हैं। परन्तु उन (वैश्यों) में भी कोई-कोई यहा पर धर्म के कार्यों में निश्चय ही हिन्दुओं के शास्त्रों को माननेवाले हैं।

पुत्र एवाधिकारी प्राग् जैनेष्वप्यौर्ध्वदैहिके।
पुत्रपौत्रप्रपौत्राणामभावे तेष्वपि स्त्रियः ॥४०२७॥
प्राप्तदाया ह्यसंपृक्ते मृते पत्यावसंशयम्।
तदौर्ध्व दैहिके भारवहास्त्वत्र प्रकीर्तिताः ॥४०२८॥

जैनों में भी मृत-संस्कार के लिए पहले पुत्र ही अधिकारी होता है और लड़कों, पोतों और परपोतों के अभाव में उनमें भी यहां पर दाय-धन प्राप्त करनेवाली स्त्रियां (पत्नियां), (कुटुम्ब से) जुदा हुए पति के मरने पर उसके मरण-कृत्य के लिए, निःसन्देह जिम्मेदार कही गई हैं।

स्वीकृत्य वैदिकं धर्मं प्राक् परित्यज्य तं ततः।
जैनस्तु जिनधर्मं स्वं प्रतियातुमपि क्षमः ॥४०२९॥

जैन पहले वैदिक धर्म को स्वीकार कर और फिर उसको छोड़ कर अपने जैन धर्म में वापस जाने को भी समर्थ होता है।

ओसवालाग्रवालाद्या जैनेष्वप्यथ जातयः।
आर्येष्विवोपलभ्यन्तेऽनेका भिन्ना न संशयः ॥४०३०॥

तथा जैनों में भी आर्यों की तरह ही ओसवाल, अग्रवाल आदि (आदि शब्द से खंडेलवाल, पोरवाल आदि) अनेक भिन्न भिन्न जातियां मिलती हैं, इसमें संशय नहीं है।

जैनाचारे मता मुख्या भद्रबाहुकसंहिता।
धर्ममानीयनीतिश्चाशासननीतिश्च (?) निश्चितम् ॥४०३१॥
आचार्यहेमचन्द्रेण रचितापि तथा पुनः।
मान्या विशिष्टविषयेष्वत्र जैनमतानुगैः ॥४०३२॥

जैन-व्यवहार में "भद्रबाहुसंहिता" मुख्य मानी गई है और फिर "वर्धमान नीति" और आचार्य हेमचन्द्र की बनाई "आशान नीति" (?) निश्चय ही जैनियों द्वारा खास-खास विषयों में मानी जाती है।

आर्यशाखात्वतस्तेषां बहवस्त्वार्यरीतयः।
अपि कार्येषु बहुषु प्रयुज्यन्ते न संशयः ॥४०३३॥

उनके हिन्दुओं की शाखा होने से बहुत सी हिन्दू रीतियां भी (उनके) बहुत से कामों में प्रयोग की जाती हैं, इसमें सन्देह नहीं है।

विशिष्टनियमाभावे सामान्यं हिन्दुसंमतम्।
विधानं हि प्रयोज्यं स्याज्जैनेष्वपि सुनिश्चितम् ॥४०३४॥

खास नियमों के न होने पर हिन्दुओं द्वारा माना हुआ कानून ही जैनों में भी निश्चित रूप से प्रयोग करना चाहिए।

विशिष्टा नियमा ये च व्यवहाराश्च ये पुनः।
साधारणनयाद्भिन्नास्ते साध्याः प्राक् प्रयोगतः ॥४०३५॥

और जो साधारण नियमों से भिन्न खास नियम हैं या फिर रिवाज हैं, उनको प्रयोग करने के पहले प्रमाणित करना चाहिए।

साक्ष्यादिभिः परं यत्र तेषां सिद्धेर्न संभवः।
साधारणो नयस्तत्र प्रयोज्यो हिन्दुसंमतः ॥४०३६॥

परन्तु जहां पर गवाही आदि से उन (खास नियमों या रिवाजों) की सिद्धि का सम्भव न हो, वहां पर हिन्दुओं द्वारा माना हुआ साधारण कानून काम में लाना चाहिए।

स्थानीयो व्यवहारोऽपि जैनानां न्यायकारिभिः।
चेन्मतस्तर्हि मान्योऽसावन्यत्रापि बुधैः परम् ॥४०३७॥
साधिते तदभावे तु तत्र त्याज्यः स निश्चितम्।
तदभावस्य सिद्ध्यर्थं वाक्साक्ष्यमपि संमतम् ॥४०३८॥

जैनों का एक स्थान का रिवाज भी यदि न्यायकर्ताओं ने मान लिया हो, तो विद्वानों को उसे दूसरे स्थान पर भी मान लेना चाहिए। परन्तु उसका वहां पर नहीं होना सिद्ध कर देने पर उसे निश्चय ही छोड़ देना चाहिए और उसके मौजूद नहीं होने की सिद्धि के लिए जबानी गवाही भी मानी गई है।

आचारो द्रविडे यस्तु निषिद्धोऽन्यत्र संमतः।
प्रागुक्तरीत्या नो मान्यो जायते द्रविडे तु सः ॥४०३९॥

जो रिवाज मदरास में वर्जित है, परन्तु दूसरी जगह मान लिया गया है, वह पहले (श्लोक ४०३७ में) कही रीति से मदरास में मान्य नहीं होता।

बंबईमण्डले नूनं सामान्या हिन्दुसंमता।
व्यवस्थैव तु जैनेषु न्यायाधीशैः प्रयुज्यते ॥४०४०॥

बंबई प्रांत में निश्चय ही हिन्दुओं द्वारा मानी हुई साधारण व्यवस्था ही न्यायकर्ताओं द्वारा जैनों में भी प्रयोग की जाती है।

दायग्रहणम्।

दाय-धन का लेना।

द्विजेषु दायलाभार्थं नियमा ये प्रकीर्तिताः।
विशिष्टनियमाभावे ते जैनेष्वपि संमताः ॥४०४१॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों में दाय-धन की प्राप्ति के लिए जो नियम कहे हैं, विशेष नियमों के अभाव में, वेही जैनों में भी माने गये हैं।

आचारस्याविरोधे तु जैनेष्वप्यधवा ध्रुवम्।
प्रतिबन्धयुतं स्वाम्यं गृह्णाति पतिसंपदः ॥४०४२॥

रिवाज के विरोध के न होने पर जैनों में भी विधवा पति की संपत्ति का, निश्चय ही, प्रतिबन्ध से युक्त (limited) अधिकार प्राप्त करती है।

साहरनपुरे मेरठे च आराहनाम्नि पुऽरेऽपि च।
जैनाग्रवालविधवा पत्यर्थे स्वार्जिते ध्रुवम् ॥४०४३॥

पूर्णस्वाम्यं प्रगृह्णाति शक्ताऽस्य व्यये, परम्।
पैतृके पतिमुक्तेऽर्थेऽपूर्णस्वाम्यधरा हि सा ॥४०४४॥

सहारनपुर, मेरठ और (शाहाबाद जिले के) आराह नामक नगर में भी जैन अग्रवाल विधवा पति के अपने कमाये धन में, निश्चय ही, पूर्ण (absolute) अधिकार प्राप्त करती है और उसके खर्च करने (alienation) में भी समर्थ होती है। परन्तु पति के छोड़े बाप-दादा के (ancestral) धन में वह अपूर्ण (limited) अधिकार वाली होती है। (वहां पर वह उसे विधवा की संपत्ति-widow's state के रूप में ही लेती है)।

दशा श्रीमालिजैनेषु श्वेताम्बरभिधाङ्क्षिषु।
खानदेशप्रजातेषु बंबईनिर्णयेन हि ॥४०४५॥
न क्षमा विधवा पत्युर्माता पुत्रस्य वा धने।
पूर्णस्वाम्यं समादातुमाचाराभावतः पुनः ॥४०४६॥

फिर खानदेश के श्वेताम्बरी नामवाले दशा श्रीमाली जैनों में बम्बई के निर्णय से विधवा पति के और माता पुत्र के धन में रिवाज के अभाव से पूर्ण अधिकार नहीं प्राप्त कर सकती है। [इनमें वह उस धन को स्त्री की संपत्ति (woman's

state) की तरह अपूर्ण (limited) अधिकार से ही लेती है]।

अग्रवालाख्यजैनेषु जनयित्र्या असंशयम्।
आचारेण प्रवृत्त्या च पुत्रः स्त्रीधनदायहृत् ॥४०४७॥

अग्रवाल जैनों में पुत्र आचार (custom) और प्रवृत्ति (usage) से निःसन्देह माता के स्त्री-धन के दाय का लेनेवाला (उत्तराधिकारी) होता है।

दत्तकग्रहणम्।

गोद लेना।

आर्हतेनाग्रवालेन स्वोत्पन्नो दत्तकस्तथा।
तनयः पितुराध्यात्मलाभदो नैव मन्यते ॥४०४८॥
अतस्तु दत्तकः पुत्रो गृहीतस्तेषु निश्चितम्।
ऐहिकायैव लाभाय नामुष्मिकहिताय हि ॥४०४९॥

जैन अग्रवाल द्वारा खुद से उत्पन्न हुआ और दत्तक (गोदलिया) पुत्र पिता की आत्मा को लाभ (spiritual benefit) देनेवाला नहीं माना जाता है। इसलिए उनमें गोद लिया पुत्र निश्चय ही यहाँ के (सांसारिक) लाभ के लिए ही होता है, परलोक के लाभ के लिए नहीं।

अग्रवालेषु वैश्येषु स्त्रावगीतिपदाद्विषु।
अपुत्रा विधवा शक्ता दत्तकग्रहणे ध्रुवम् ॥४०५०॥
पत्युर्वा तत्सपिण्डानां विनाज्ञां कुलरीतितः।
पुनश्चेत्तत्कुलं पृक्तं सोऽपि पृक्तिं भजेत्तदा ॥४०५१॥

सरावगी अग्रवाल वैश्यों में बिना पुत्रवाली विधवा निश्चय ही कुल के रिवाज से बिना पति की और उसके सपिण्डों की आज्ञा के ही गोद ले सकती है। फिर यदि उस (विधवा) का कुटुम्ब साझेदार हो, तो वह (गोद का पुत्र) भी साझेदार (coparcener) हो जाता है।

द्रविडे व्यवहारस्याभावतो नैष संमतः।
आचारो नयनिष्णातैस्तत्रत्यैः प्राग्निवेदितः ॥४०५२॥

मदरास अहाते में रिवाज न होने से वहाँ के न्यायवेत्ताओं ने यह पहले (श्लोक ४०५० और ४०५१ में) कहा आचार (रिवाज) नहीं माना है।

आर्येष्विवैव जैनेषु मृते पुत्रे तु दत्तके।
विधवाऽपरदत्तस्य ग्रहे शक्ता मता बुधैः ॥४०५३॥

आर्यों (हिन्दुओं) की तरह ही जैनों में भी विद्वानों ने दत्तक पुत्र के मर जाने पर विधवा (माता) को दूसरा दत्तक पुत्र लेने में समर्थ माना है।

यतो जैनाग्रवालास्तु वैश्यत्वात्संमता द्विजाः।
अतो हिन्दुमतेनात्र सामान्यनियमेन हि ॥४०५४॥
विवाहितो जनो नैव दत्तकत्वेन गृह्यते।
चेन्न तत्र कुलाचारः साधितस्तत्कृते भवेत् ॥४०५५॥

क्योंकि जैन अग्रवाल वैश्य होने से द्विज माने गये हैं। इसलिए यहां पर हिन्दुओं द्वारा माने हुए साधारण नियम से, यदि उसके लिए कुल का रिवाज सिद्ध न किया गया हो, तो विवाहित पुरुष गोद नहीं लिया जाता।

कुलाचाराद्वयस्याया विवाहस्यापि या पुनः।
बाधा दत्तग्रहे न स्यादित्युक्तं न्यायशास्त्रिभिः ॥४०५६॥

फिर वंश के रिवाज से गोद लेने में उमर और विवाह की भी बाधा नहीं हो सकती, ऐसा कानून के विद्वानों ने कहा है।

श्रावगीष्वग्रवालेषु नूनमस्माद्धि कारणात्।
द्वात्रिंशदब्दपर्यन्तं दत्तकार्थं वयो मतम् ॥४०५७॥

इसी कारण से निश्चय ही सरावगी अग्रवालों में गोद के लिए बत्तीस वर्ष तक (की) अवस्था मानी गई है।

परन्त्वार्यैष्विवैवात्र वर्जितस्तेष्वपि ग्रहः।
मातापितृविहीनस्य दत्तकस्य सुनिश्चितम् ॥४०५८॥

परन्तु हिन्दुओं की तरह ही उन (अग्रवाल वैश्यों) में भी यहां पर निश्चय ही माता-पिता से हीन दत्तक का (गोद) लेना मना है।

पश्चिमे भारते किन्तु जात्याचारेण गृह्यते।
पितृभ्यां तु विहीनोऽपि दत्तो जैनेषु निश्चितम् ॥४०५९॥

परन्तु पश्चिमी भारत में जाति के रिवाज से जैनों में निश्चय ही माता-पिता से हीन भी दत्तक (गोद) ले लिया जाता है।

श्रावगीष्वग्रवालेषु दत्तकत्वेन गृह्यते।
दौहित्रोऽपि यथेच्छं नो बाधा तत्र मता बुधैः ॥४०६०॥

सरावगी अग्रवालों में अपनी इच्छानुसार नवासा भी गोद ले लिया जाता है। विद्वानों ने उसमें रुकावट नहीं मानी है।

जैनन्यायानुसारेण भागिनेयोऽपि गृह्यते।
दत्तपुत्रस्वरूपेण यथेच्छं नात्र संशयः ॥४०६१॥

जैन कानून के अनुसार भानजा भी इच्छानुसार दत्तक पुत्र के रूप से लिया जा सकता है, इसमें संशय नहीं है।

आर्हतेष्वग्रवालेषु दानादानमलं भवेत्।
दत्तस्योपेक्षितं तत्राधवाङ्केऽस्योपवेशनम् ॥४०६२॥

जैन अग्रवालों में दत्तक पुत्र का देना और लेना ही (गोद लेने में) पर्याप्त होता है। वहां पर उसका विधवा की गोद में बिठाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

स्रावगीष्वग्रवालेषु तूष्णीको दत्तकग्रहे।
तन्मूर्ध्नि बध्यते जातिमुख्यानाहूय निश्चितम् ॥४०६३॥
सत्क्रियन्ते च ते सर्वे भोजनेन तु सादरम्।
रीतिरेषा मता नूनं क्वचिज्जैनेतरेष्वपि ॥४०६४॥

सरावगी अग्रवालो में गोद के पुत्र के लेने में निश्चय ही जाति के मुखियाओं को बुलाकर उसके सिर पर साफा (पगड़ी) बांधा जाता है और उन सब (पंचो) का आदर के साथ भोजन के द्वारा सत्कार किया जाता है। यह रिवाज निश्चय ही कहीं कहीं जैनों से भिन्न लोगों में भी माना जाता है।

जीरास्थेष्वग्रवालेषु दत्तादानस्य घोषणा।
ग्रहीत्रा, व्यवहारश्चोचितोऽन्तेऽलं हि तद्ग्रहे ॥४०६५॥

जीरा (पंजाब) में रहने वाले अग्रवालों में गोद लेनेवाले के द्वारा गोद लेने की घोषणा और (उसके) बाद में उस (दत्तक) के साथ उचित (दत्तकोचित) बर्ताव ही उसके गोद लेने में पर्याप्त होते हैं।

आर्येष्विवैव जैनेषु दत्तान्ते त्वौरसो यदि।
महाराष्ट्रे तदा दत्तश्चतुर्थांशहरः पितुः ॥४०६६॥

आर्यों की तरह ही जैनों में (भी) दत्तक पुत्र (लेने) के बाद यदि असली पुत्र पैदा हो जाय, तो बंबई अहाते में दत्तक पुत्र पिता (के धन) का चौथा हिस्सा पाता है।

शूद्राः।

शूद्र।

द्विजातयस्तथा शूद्रा हिन्दवो द्विविधा मताः।
कर्मणां च तयोर्व्याख्या शास्त्रेषु विशदा कृता ॥४०६७॥
परमद्यात्र संजाते मिश्रणे तत्कर्मणाम्।
वर्णानां मिश्रणे चापि दुष्करो वर्णनिर्णयः ॥४०६८॥

द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) तथा शूद्र-हिन्दू दो प्रकार के माने गये हैं और शास्त्रों में उनके कर्मों की व्याख्या विस्तार से की गई है। परन्तु आजकल यहां पर उन कर्मों की मिलावट हो जाने से और वर्णों की भी मिलावट हो जाने से वर्ण का निर्णय करना कठिन हो गया है।

अधिकृत्योपवीतस्य यज्ञस्य च तथा पुनः ।
अशौचसमयेनाथानौरसार्थाधिकारतः ॥४०६९॥
विधवोपयमेनापि ह्याचारैरपरैस्तथा ।
वर्णस्य निर्णयो नून बहुधात्र विधीयते ॥४०७०॥

यज्ञोपवीत (पहनने) के और यज्ञ (करने) के अधिकार से, अशौच (की निवृत्ति) के समय से, दासी-पुत्र के धन (लेने) के अधिकार से, विधवा के विवाह से और दूसरे रिवाजों से (भी) निश्चय ही बहुधा यहां पर वर्ण का निर्णय किया जाता है।

केषांचन मते वर्णाऽभिमानः पुरुषस्य हि ।
तस्यानुमोदने त्वन्यजनानां च रुचिस्तथा ॥४०७१॥
आचारस्त्वत्र निकषो विज्ञेयो वर्णनिर्णये ।
जाते वर्णविवादेऽन्यगत्यभावादसंशयम् ॥४०७२॥

कुछ लोगों के मत में वर्ण के विषय में विवाद होने पर अन्य मार्ग के न होने से यहां पर वर्ण के निर्णय में निःसन्देह पुरुष के (अपने) वर्ण के अभिमान को (consciousness) और उसके अनुमोदन (स्वीकार करने) में दूसरे पुरुषों की रुचि को तथा (अन्य) आचार-विचार को कसौटी समझना चाहिए ।

अपरेषां मते त्यागः शास्त्रोक्तवचसां ध्रुवम् ।
केवलस्तु न शूद्रत्वसिद्धयेऽलं भवेदिह ॥४०७३॥

दूसरों के मत में केवल शास्त्र में कहे वचनों का त्याग ही यहां पर निश्चय ही शूद्रपन की सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होता ।

लिङ्गायताः शिवासक्ताः शिवलिङ्गप्रपूजकाः ।
महाराष्ट्रे मताः शूद्रा अशूद्रा द्रविडे पुनः ॥४०७४॥
विशिष्टव्यवहारस्याभावे हिन्दूनयो ध्रुवम् ।
प्रयोज्यस्तद्विवादेषु तेषां हिन्दुत्वतः पुनः ॥४०७५॥

शिव-भक्त और शिवलिङ्ग की पूजन करने वाले लिङ्गायत (संप्रदाय के) लोग बंबई प्रान्त में शूद्र माने गये हैं, परन्तु मद्रास में शूद्र नहीं माने गये हैं और इनके हिन्दू होने से उन के झगड़ों में खास रिवाज के अभाव में निश्चय ही हिन्दू नीति का प्रयोग करना चाहिए ।

कायस्थास्तु मताः शूद्रा वङ्गे नूनं परं हि ते ।
द्विजेषु गणिता विज्ञैर्विहारे नात्र संशयः ॥४०७६॥

बंगाल में कायस्थ निश्चय ही शूद्र माने गये हैं, परन्तु बिहार में विद्वानों ने इन्हें द्विजों (यज्ञोपवीत धारियों) में गिना है, इसमें संशय नहीं है।

शिवाजीपार्थिवोत्पन्नास्तंजोरस्याधिपा ध्रुवम्।
महाराष्ट्रा मताः शूद्रा नूनं न्यायविशारदैः ॥४०७७॥

राजा शिवाजी से उत्पन्न हुए तंजोर के महराठे राजाओं को न्याय के विद्वानों ने निश्चय ही शूद्र माना है।

कुलानि त्रीणि यान्यत्र महाराष्ट्रे वसन्ति हि।
महाराष्ट्रीयजातेस्तु तेषु पञ्चकुटुम्बिनः ॥४०७८॥
षण्णवत्यन्वयाश्चापि क्षत्रियाः संमता बुधैः।
शूद्राः सर्वेऽपरे नूनं कथितास्तैश्च निश्चितम् ॥४०७९॥

यहां पर महाराष्ट्र (बंबई प्रान्त) में जो महराठा जाति के तीन कुल रहते हैं विद्वानों ने उनमें से पांच कुटुम्बवालों और छियानवे कुटुम्बवालों को भी क्षत्रिय माना है और बाकी सबों को उन्होंने निश्चय ही शूद्र कहा है।

परधर्मं परित्यज्य हिन्दूधर्मे समागताः।
ये शूद्रास्ते तु सर्वेऽपि मता न्यायविचक्षणैः ॥४०८०॥

जो दूसरा धर्म छोड़कर हिन्दू धर्म में आये हों, न्याय के पण्डितों ने उन सब को शूद्र माना है।

शूद्रोऽशक्तो यतित्वस्य संन्यासस्य ग्रहेऽथवा।
त्यक्तैहिकप्रपञ्चोऽपि सोऽतो दायग्रहे क्षमः ॥४०८१॥
कुटुम्बिनां, मृते तस्मिंस्तस्यार्थश्च व्रजेत्पुनः।
त्यक्त्वा गुरुं तथा शिष्यान् दायार्हास्तत्कुटुम्बिनः ॥४०८२॥

शूद्र यति पन को या संन्यास को ग्रहण करने में असमर्थ होता है। इसलिए वह संसार का प्रपञ्च छोड़देने पर भी कुटुम्बियों के दाय-धन को ले सकता है और उसके मरने पर उसका धन गुरु और शिष्यों को छोड़कर उसके हकदार कुटुम्बियों को मिलता है।

दत्तकग्रहणकालिकानि कृत्यानि।

गोद लेने के समय के कर्म।

शूद्रेषु दत्तकादानमैहिकायैव कर्मणे।
दानादानं च दत्तस्य तत्कृते स्यादलं ततः ॥४०८३॥

शूद्रों में गोद के पुत्र का लेना सांसारिक कामों के लिए ही होता है। इसलिए उस (गोद) के वास्ते दत्तक पुत्र का (गोद) देना और लेना ही पर्याप्त होता है।

महाराष्ट्रे महाराष्ट्रब्राह्मणेषु सगोत्रके।
गृहीते दत्तके दत्तहोमो नावश्यको मतः ॥४०८४॥

बंबई प्रान्त में महरठे ब्राह्मणों में अपने ही गोत्र के दत्तक पुत्र के लेने पर 'दत्तहोम' आवश्यक नहीं माना गया है ।

कुष्ठग्रस्तोऽपि शूद्रेषु दत्तादाने क्षमो भवेत् ।
न्यायज्ञै स्तत्कृते नूनं संस्कारास्त्वनपेक्षिताः ॥४०८५॥

शूद्रों में कोढ़ी भी गोद ले सकता है । न्याय के पण्डितों ने उस (गोद) के लिए संस्कार आवश्यक नहीं समझे हैं ।

स्त्रियोऽसत्यस्तथाऽमेध्या अपि दत्तग्रहे क्षमाः ।
शूद्रेष्वथ तु संस्कारैर्विनैवास्मिन्न संशयः ॥४०८६॥

यहां पर शूद्रों में असती अथवा अपवित्र (under pollution) स्त्रियां भी विना-संस्कारों के ही गोद ले सकती हैं, इसमें सन्देह नहीं है ।

दौहित्रो भागिनेयश्च भागिनेयसुतस्तथा ।
मातृष्वसेयः शूद्रेषु दत्तत्वेन प्रगृह्यते ॥४०८७॥

शूद्रों में नवासा, भानजा, भानजे का लड़का और मासी का लड़का गोद के रूप में लिया जा सकता है ।

अन्यगोत्रसमुत्पन्नः पुत्रोऽपि परिगृह्यते ।
शूद्रेषु दत्तकत्वेन न बाधा तत्कृते मता ॥४०८८॥

शूद्रों में दूसरे गोत्र में उत्पन्न हुआ पुत्र भी गोद के रूप में लिया जाता है । इसके लिए कोई रुकावट नहीं मानी गई है ।

पश्चिमे भारते यत्र मयूखो मन्यते जनैः ।
तत्र शूद्रेषु दत्तत्वं यात्यूढोऽपि जनो ध्रुवम् ॥४०८९॥
अन्यत्र भारते दत्तचन्द्रिका यत्र मन्यते ।
तत्रोढस्य न शूद्रेषु दत्तत्वेन ग्रहो भवेत् ॥४०९०॥

पश्चिमी भारत में जहां लोग 'व्यवहारमयूख' को मानते हैं, वहां शूद्रों में विवाहित पुरुष भी, निश्चय ही, गोद जाता है । भारत में दूसरी जगह जहां 'दत्तकचन्द्रिका' मानी जाती है, वहां शूद्रों में विवाहित (पुरुष) का दत्तक रूप से ग्रहण नहीं होता ।

सत्यत्र प्रथमे दत्ते दत्तकर्मरते पुनः ।
आदानमन्यदत्तस्य मतं न्यायविवर्जितम् ॥४०९१॥

यहां पर दत्तक पुत्र के कर्त्तव्य में लगे पहले गोद के पुत्र के विद्यमान होने पर दूसरे पुत्र का गोद लेना न्याय से वर्जित माना है ।

यद्वेऽप्य द्विविधे दत्तः शूद्रेषु स्वग्रहोत्तरम् ।
आनौरसपुत्रैस्तु समभागी पितुर्धने ॥४०९२॥

बंगाल और मद्रास में शूद्रों में दत्तक पुत्र अपने गोद लेने के बाद उत्पन्न हुए (गोद लेनेवाले पिता के) असली पुत्रों के साथ, पिता के धन में, बराबर भाग पाता है।

विवाहः।

विवाह।

द्विजेष्विवैव शूद्रेषु विवाहोऽत्र मतो बुधैः।
संस्कारोऽतस्तु पृक्तस्य वंश्यस्योपयमाय चेत् ॥४०६३॥
प्रगृहीतमृणं तर्हि तत्स्यात्कौटुम्बिकं तथा।
तस्मै पृक्तकुटुम्बीयं धनं भारवहं मतम् ॥४०६४॥

विद्वानों ने यहां पर द्विजों (ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों) की तरह ही शूद्रों में भी विवाह को संस्कार माना है। इसलिए यदि साझेवाले कुटुम्बी के विवाह के लिए कर्जा लिया हो, तो वह कुटुम्बसंबन्धी (कर्जा) होता है और उस (कर्ज) के लिए साझे के कुटुम्ब की संपत्ति बोझा उठानेवाली (जिम्मेदार) होती है।

संस्कारेषु दशस्वेको विवाहस्तु द्विजन्मसु।
नूनं स्त्रीशूद्रयोश्चाथ स एवैको विनिश्चितः ॥४०६५॥

द्विजों में विवाह दश संस्कारों में एक है और स्त्रियों और शूद्रों में निश्चय ही वही एक (संस्कार) निश्चित किया गया है।

द्विजेष्विवैव शूद्रेषु कन्योपयमहेतवे।
तद्भृत्यर्थमिवैवात्र विमात्रा दीयते व्ययः ॥४०६६॥
स्वहस्तागततत्तातधनान्नैवात्र संशयः।
संस्कारत्वाद्विवाहस्य चातुर्वर्ण्ये समोविधिः ॥४०६७॥

द्विजों की तरह ही शूद्रों में (भी) कन्या के विवाह के लिए, उसके पोषण के लिए के समान ही, सौतेली माता द्वारा, यहां पर, अपने हाथ में आये उस (कन्या) के पिता के धन से, खर्चा दिया जाता है, इसमें सन्देह नहीं है। विवाह के संस्कार होने से चारों वर्णों में समान रीति है।

विवाहस्तु सजातीय एव हिन्दुषु संमतः।
सामान्येनासजातीयो जातिरीत्यैव मन्यते ॥४०६८॥

हिन्दुओं में साधारण तौर पर सजातीय विवाह ही माना गया है। अन्य जाति वाले के साथ का विवाह जाति में रिवाज होने से ही माना जाता है।

शूद्रस्यातो विवाहश्चेदुच्चवर्णस्त्रिया तदा।
अन्याय्य एव स प्रोक्तस्तज्जातश्चाप्यनौरसः ॥४०६९॥

इसलिए यदि शूद्र का विवाह उच्चवर्ण की स्त्री के साथ हो, तो, वह न्याय-विरुद्ध ही कहा गया है और उस (विवाह) से उत्पन्न हुआ (पुत्र) भी असवर्ण नहीं होता।

कायस्थशूद्रया वैश्यविवाहस्तु परं मतः।
स्थानीयाचारतो मान्यस्त्रिपुरामण्डले ध्रुवम् ॥४१००॥

परन्तु स्थानीय रिवाज से टिपरा (Tipperah) जिले में कायस्थ जाति की शूद्रा स्त्री से वैश्य का विवाह निश्चय ही मान्य माना है।

जातेस्तु भिन्नशाखासु विवाहश्चेत्परस्परम्।
तर्हि मान्यः स निम्नोक्ता विवाहाः संमता अतः ॥४१०१॥
भूमीश्वरस्य जातया तु मालवस्य सुनिश्चितम्।
वेल्लालजातिसञ्जातशूद्रयोपयमो मतः ॥४१०२॥
डोमस्त्रिया तु वङ्गीयकायस्थेन कृतस्तथा।
तांतीस्त्रिया कृतश्चापि विवाहो मान्य ईरितः ॥४१०३॥
ईशुधर्मं परित्यज्य हिन्दुधर्मग्रहो यया।
कृतस्तया स्त्रिया सार्धं शूद्रोद्वाहोऽपि संमतः ॥४१०४॥

यदि (एक ही) जाति (caste) की भिन्न शाखाओं में आपस में विवाह हो, तो वह मान्य होता है। इसलिए नीचे (आगे) कहे विवाह मान लिये गये हैं:-

मालव जाति (caste) वाले जमींदार का वेल्लाल जाति (class) में उत्पन्न हुई शूद्रा के साथ का विवाह, निश्चय ही, मान्य माना गया है। बंगाल के कायस्थ द्वारा डोम स्त्री से किया या तांती स्त्री से किया विवाह भी मान्य कहा है। तथा जिस स्त्री ने ईसाई धर्म को छोड़कर हिन्दू धर्म का ग्रहण किया हो, उस स्त्री के साथ शूद्र का विवाह भी मानलिया गया है।

विवाहा भिन्नवर्गीयलिङ्गायतजनैः कृताः।
परस्परं मता मान्या महाराष्ट्रे न संशयः ॥४१०५॥

भिन्न वर्ग (class) के लिंगायत लोगों द्वारा आपस में किये विवाह बंबई प्रान्त में मान्य माने गये हैं, इसमें सन्देह नहीं है।

महाराष्ट्रेऽथ वैश्यस्य ब्राह्मणस्यापि वा पुनः।
शूद्रयोपयमो मान्योऽनुलोमत्वान्न संशयः ॥४१०६॥

बंबई प्रदेश में वैश्य का और ब्राह्मण का भी शूद्रा स्त्री से हुआ विवाह, अनुलोम विवाह होने से, मान्य होता है, इसमें संशय नहीं है। (पुरुष के ऊँचे वर्ण के

और स्त्री के उससे नीचे वर्ण की होने से अनुलोम विवाह होता है। इससे उलटा प्रतिलोम कहाता है और वह शास्त्रों में वर्जित है।)

महाराष्ट्रे तु मान्येषु शूद्रेष्वपि हि संमताः।
विवाहा आर्यशास्त्रोक्ता एव न्यायेन निश्चितम् ॥४१०७॥

बंबई प्रान्त में तो मान्य (इज़्ज़तदार) शूद्रों में भी आर्यों के शास्त्रों में बतलाये विवाह ही कानून द्वारा निश्चित रूप से माने गये हैं।

दायप्राप्तिर्विभागश्च।

दाय का भाग मिलना और बटवारा।

अस्मिन्विषये याज्ञवल्क्यः।

जातोऽपि दास्यां शूद्रेण कामतोऽशहरो भवेत् (॥१३३॥)
मृते पितरि कुर्युस्तं भ्रातरस्त्वर्धभागिनम्।
अभ्रातृको हरेत्सर्वं दुहितॄणां सुताहते (॥१३४॥)

मिताक्षरायामस्य व्याख्याः-

शूद्रेण दास्यामुत्पन्नः पुत्रः कामतः पितुरिच्छया भागं लभते। पितुरूर्ध्वं तु यदि परिणीता-पुत्राः सन्ति तदा ते भ्रातरस्तं दासीपुत्रं अर्धभागिनं कुर्युः। स्वभागादर्धं दद्युरित्यर्थः।

अथ परिणीता-पुत्रा न सन्ति तदा कृत्स्नं धनं दासीपुत्रो गृह्णीयात्, यदि परिणीता-दुहितरस्तत्पुत्रा वा न सन्ति। तत्सद्भावे त्वर्धभागिक एव दासीपुत्रः। अत्र च शूद्रग्रहणाद् द्विजाविना दास्यामुत्पन्नः पितुरिच्छयाप्यंशं न लभते। नाप्यर्धं, दूरत एव कृत्स्नम्। किंत्वनुकूलश्चेज्जीवनमात्रं लभते।

इस विषय में याज्ञवल्क्य ने कहा है:-

शूद्र से दासी में उत्पन्न हुआ भी (पिता की) इच्छा से भाग लेनेवाला होता है। पिता के मरने पर भाई उसे आधा हिस्सा पानेवाला करदें। (पिता के) नवासों के अभाव में बिना भाईवाला (दासी पुत्र) सारा (धन) लेता है।

मिताक्षरा में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है:-

शूद्र से दासी में उत्पन्न हुआ पुत्र पिता की इच्छा से भाग पाता है। पिता के बाद यदि (उसकी) ब्याही हुई स्त्री के पुत्र हों, तो वे भाई उस (पिता के)

दासी-पुत्र को आधा हिस्सा लेनेवाला करें। अर्थात्-अपने भाग से आधा (उसे) दें। यदि विवाहित स्त्री के पुत्र न हों और लड़कियाँ और नवासे भी न हों तो सारा धन दासी-पुत्र लेता है। उन (लड़कियों और नवासों) के होने पर दासी-पुत्र आधा हिस्सा ही पाता है। यहां पर शूद्र (शब्द) के ग्रहण से द्विजों (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों) का दासी-पुत्र पिता की इच्छा से भी हिस्सा नहीं पाता। आधा भी नहीं, सारा तो दूर रहा। परन्तु यदि आज्ञानुसार चलनेवाला हो तो केवल गुजारा पाता है।

अतः शूद्रस्य दासीजः सति ताते तदिच्छया।
तद्दत्तं तु लभेतांऽशं मृते पितरि चाप्नुयात् ॥४१०८॥

सत्स्वौरसेषु तातस्य तेष्वेकस्यांशतः खलु।
अर्धं भागं तथा तेषामभावे त्वखिलं धनम् ॥४१०९॥

परन्तु विधवाः कन्या दौहित्रा वा पितुर्यदि।
दासीजस्तर्हि सर्वस्य धनस्यार्धमवाप्नुयात् ॥४११०॥

इसलिए शूद्र का दासी से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के विद्यमान होने पर उसकी इच्छा से उसका दिया भाग पाता है और पिता के मरने पर तथा पिता के औरस (असली) पुत्रों के होने पर उनमें से एक के हिस्से से निश्चय ही आधा हिस्सा पाता है। तथा उन (औरस पुत्रों) के न होने पर सारा धन पाता है। परन्तु यदि पिता की विधवा (स्त्री), (असली) लड़कियाँ या नवासे हों, तो दासीपुत्र सारे धन का आधा पाता है।

मैताक्षरस्तु पूर्वोक्तो नियमोऽत्र मतो बुधैः।
अपृक्तस्य पितुर्वित्तवण्टनायैव केवलम् ॥४१११॥

विद्वानों ने पहले कहा मिताक्षरा का नियम केवल जुदा रहे पिता के धन के बाँटने के लिए ही माना है।

दासीस्यादार्यकुलजोपपत्नी सततं स्थिता।
एकस्यैवाधिकारेऽत्राऽपरसङ्गविवर्जिता (॥३६१२॥)

आर्य (हिन्दू) कुल में उत्पन्न हुई और यहां पर एक ही के अधिकार में रही, दूसरे के सङ्ग से रहित, रखेल स्त्री दासी होती है।

दासीत्वे तु यथा कन्या तथैव विधवा तथा।
सधवापि गृहीतात्र व्यवहारेण निश्चितम् ॥४११२॥

रिवाज से निश्चय ही दासी पने में जैसे बिन ब्याही कन्या वैसे ही विधवा तथा पति-वाली स्त्री भी यहां पर ग्रहण की गई है।

सधवाया मृते पत्यौ प्राक् ततो निजवीर्यतः ।
तस्यां गर्भे समुत्पन्ने संबन्धस्तु तया सह ॥४११३॥
व्यभिचारविहीनः स्यात्स्वीकृतव्यवहारतः ।
अतस्तु तत्सुतो दासीभवो न व्यभिचारजः ॥४११४॥

पतिवाली स्त्री के पति के पहले मरजाने पर और उसके बाद अपने वीर्य से उसके गर्भ रहने पर उसके साथ का सम्बन्ध माने हुए रिवाज से व्यभिचार से विहीन हो जाता है । इसलिए उसका पुत्र दासीपुत्र होता है व्यभिचार से पैदा हुआ नहीं होता ।

शास्त्रेषु नियमो नैव संबन्धायात्र यद्यपि ।
यद् गम्ययैव सार्धं स व्यभिचारविवर्जितः ॥४११५॥
भवेन्मान्यस्तथाप्येष समान्याचारहेतवे ।
विद्वद्भिस्तु कृतस्तत्र समाजहितकाम्यया ॥४११६॥

यद्यपि यहां पर सम्बन्ध के लिए शास्त्रों में नियम नहीं है कि वह गम्या (मैथुन के लिए अवर्जित) स्त्री के साथ का और व्यभिचार से वर्जित ही मान्य होता है, तथापि विद्वानों ने समाज की भलाई की इच्छा से साधारण आचार (general morality) के लिए उसे यहां पर कर दिया है ।

दासीपुत्रस्य मातुश्च विवाहोऽप्यनपेक्षितः ।
तत्पित्रा, स तु तेनैव दायेऽपूर्णाधिकारवान् ॥४११७॥

दासीपुत्र की मां के विवाह की भी उसके पिता से आवश्यकता नहीं समझी गई है । वह इसीलिए हकदारी (inheritance) में भी अधूरे अधिकारवाला होता है ।

अतस्तस्यौरसत्वेऽत्र भागो यस्तत्कृते भवेत् ।
पितुरर्थस्य तस्यार्धं स गृह्णीयात्सुनिश्चितम् ॥४११८॥

इसलिए उसके असली पुत्र होने पर पिता के धन का जो भाग, यहां पर, उसके लिए हो, निश्चय ही वह उसका आधा लेता है ।

मृतायां पितृपत्न्यां वा तत्पुत्र्यां तत्पितुर्धनम् ।
ताभ्यां प्राप्तं व्रजेत्तातदौहित्रं नत्वनौरसम् ॥४११९॥

पिता की विवाहित स्त्री के या (असली) कन्या के मरने पर उनको मिला उस (अनौरस पुत्र) के पिता का धन पिता के (असली) नवासे को मिलता है अनौरस पुत्र को नहीं ।

शूद्रेष्वपि न दायार्हा दासीजा दुहिता मता ।
तत्पुत्रोऽपि ततो मातामहदायमहेऽक्षमः ॥४१२०॥

शूद्रों में भी दासी से उत्पन्न हुई कन्या दाय पाने योग्य नहीं मानी गई है। इसीसे उसका पुत्र भी नाना का दाय-धन लेने में असमर्थ होता है।

शूद्रेष्वपि मतो दत्त औरसेन समो ध्रुवम्।
सार्धं दासीभवेनात्र वण्टने पितृसंपदः ॥४१२१॥

शूद्रों में भी दत्तक पुत्र दासीपुत्र के साथ पिता का धन बाँटने में, निश्चय ही, असली पुत्र के समान माना गया है।

मिताक्षरानुगेष्वत्राऽनौरसाय समर्पितम्।
भागं न भृतये किन्तु तत्पुत्रत्वकृते ध्रुवम् ॥४१२२॥

यहाँ पर मिताक्षरा को माननेवालों में दासीपुत्र को दिया हुआ हिस्सा (उसकी) जीविका (maintenance) के लिए नहीं होता, किन्तु निश्चय ही उसके पुत्रत्व (his status as son) के लिए होता है।

दासीभवौरसौ चात्र गृह्णतः पैतृकं धनम्।
पृक्तस्त्वेनौरसोऽपुत्रो ह्यतस्त्वत्र म्रियेत चेत् ॥४१२३॥
पृक्ताऽवशिष्टया दासीजस्तर्हि पृक्तधनाधिपः।
भार्या कन्याथ जननी दायादा अपरेऽपि च ॥४१२४॥
मृतभ्रातुस्तु नो शक्तास्तद्दायग्रहणे पुनः।
मृते दासीभवे चात्र औरसस्तद्धनं हरेत् ॥४१२५॥

यहाँ पर दासीपुत्र और असली पुत्र पिता का धन साझे से ले लेते हैं। इसलिए यदि यहाँ पर असली पुत्र बिना लड़का छोड़े ही मर जाय, तो साझेदारों में पीछे बच रहने से, दासीपुत्र धन का मालिक हो जाता है। मरे हुए भाई की पत्नी, कन्या, माता और दूसरे हकदार भी उस (मरे हुए) का हिस्सा नहीं ले सकते। फिर असली पुत्र की जगह दासीपुत्र के मरने पर भी असली पुत्र (उसका भाई) (उसी प्रकार पीछे रहने से) उसका धन लेता है।

परं तस्याप्यसंपृक्तं धनमादातुमक्षमः।
सोऽतस्तद्याति दायादान् धनेशस्यैव निश्चितम् ॥४१२६॥

परन्तु वह उस (पिता के असली पुत्र) के भी जुदा रहे धन (separate property) को नहीं ले सकता; इसलिए वह निश्चय ही धन के स्वामी के हकदारों को ही मिलता है।

शूद्रदासीभवस्यात्र पितृदायाप्तता नहि।
व्यक्तिगा, सौरसान्याति तदन्ते चास्य वंशजान् ॥४१२७॥

शूद्र के दासीपुत्र का पिता के धन को प्राप्त करने का अधिकार व्यक्तिगत नहीं है और उसके मरने पर वह उस (दासीपुत्र) की असली औलाद को

मिलता है।

अतः शूद्रस्य दासीजे मृते तस्यौरसः सुतः ।
पितामहे प्रमीतेऽत्र त्यक्त्वान्यं ह्यौरसं सुतम् ॥४१२८॥
पितृप्राप्यं तु भागार्धमर्धात्पैतामहाद्धनात् ।
हरेद्, भागत्रयं शेषं तत्पितृव्यं व्रजेत्पुनः ॥४१२९॥

इसलिए शूद्र के दासीपुत्र के मरने पर उस (मरने वाले) का असली पुत्र यहाँ पर (अपने) दादा के, असली पुत्र को छोड़कर मरने पर, दादा के आधे धन से (अपने) पिता को मिलनेवाले आधे भाग को लेता है और बाकी के तीन भाग (उसके) चाचा को मिलते हैं।

दासीजौरसयोर्मध्ये विभागे चेत्प्रदीयते ।
भागो मात्रेऽपि तन्मृत्यौ तदा दासीभवः क्षमः ॥४१३०॥
तस्मात् स्वांशं समादातुं यतो वित्तं तु तन्मतम् ।
दाये स्वभर्तृसंप्राप्तधनेनैव समं ध्रुवम् ॥४१३१॥

दासीपुत्र और असली पुत्र के बीच के बटवारे में यदि (असली) माता को भी भाग दिया जाय, तो उस (माता) के मरने पर दासीपुत्र उस भाग से अपना हिस्सा ले सकता है; क्योंकि वह धन निश्चय ही (स्त्री को) अपने पति से दाय में मिले धन के समान ही माना गया है।

दासीजस्त्वत्र शूद्रस्य दायादः पितुरेव हि ।
सोऽक्षमो दायमादातुं पितुरन्यकुटुम्बिनाम् ॥४१३२॥

यहाँ पर शूद्र का दासीपुत्र पिता का ही हकदार होता है। वह पिता के अन्य कुटुम्बियों का दाय-धन नहीं ले सकता।

पितुरौरसपुत्रस्य भ्रातुर्वान्यकुटुम्बिनाम् ।
दायस्तैः पृक्त्यभावेऽत आदातुं सोऽक्षमो मतः ॥४१३३॥

इसलिए वह उनके साथ साझे के अभाव में पिता के असली पुत्र का, (पिता के) भाई का या (पिता के) अन्य कुटुम्बियों का दाय-धन लेने में असमर्थ माना गया है।

मृते शूद्रे परित्यज्य पितुर्दासीभवं सुतम् ।
वैमात्रेयं च तस्यार्धं वैमात्रेयो हरेद्यतः ॥४१३४॥
वहिष्कृतोऽत्र दासीजो दायात्तातकुटुम्बिनाम् ।
तथैव तेऽपि नो शक्तास्तद्दायग्रहणे ततः ॥४१३५॥
पितामहस्य दासीजे मृतेऽत्यक्त्वा कुटुम्बिनः ।
पितामहौरसोत्पन्नौरसो नो तस्य दायभाक् ॥४१३६॥

शूद्र के (अपने) पिता के दासी से उत्पन्न हुए पुत्र को और सौतेले भाई (half brother) को छोड़ कर मरने पर उसका धन सौतेला भाई लेता है; क्योंकि यहां पर दासीपुत्र पिता के कुटुम्बियों के दाय–धन से बाहर किया हुआ है और उसी तरह वे (पिता के कुटुम्बी भी) उसका दाय का धन नहीं ले सकते। इसलिए दादा के दासीपुत्र के अपने पीछे कुटुम्बियों (relatives) को छोड़े बिना ही मरने पर दादा के असली पुत्र का असली लड़का उसका दाय–धन नहीं लेता।

शूद्रदासीभवस्तातपत्न्याः स्वयंग्रहेऽक्षमः।
पृक्ति चापि स नैवात्र पित्रा सार्धं भजेत्पुनः।।४१३७।।

शूद्र का दासीपुत्र (illegitimate son) पिता की विवाहिता स्त्री का स्त्री-धन नहीं प्राप्त कर सकता और वह यहां पर पिता के साथ साझेदारी भी नहीं रख सकता।

परं प्रमीते पितरि त्वौरसाऽनौरसाः सुताः।
पृक्त्या तद्दायमाजः स्युस्तेष्विच्छापत्रतस्ततः।।४१३८।।
अमः कोऽपि निजं स्वार्थं तत्रत्यं दातुमक्षमः।
महाराष्ट्रीयविदुषां निर्णयस्त्वेष निश्चितः।।४१३९।।

परन्तु पिता के मरने पर असली पुत्र और दासीपुत्र साझे से उसका धन लेते हैं। इसलिए उनमें से कोई भी पुरुष उसमें के अपने स्वार्थ (interest) को इच्छापत्र द्वारा नहीं दे सकता। बंबई प्रान्त के विद्वानों का यह निश्चित निर्णय है।

महाराष्ट्रे तु विप्रस्य विवाहः शूद्रया सह।
अनुलोमतया मान्यस्तज्जातश्चौरसः सुतः।।४१४०।।
परं पितुर्धने भागं दशमं लभते हि सः।
पितृव्यस्यापि चाप्नोति दशमांशं धने पुनः।।४१४१।।

बंबई प्रान्त में ब्राह्मण का शूद्रा के साथ का विवाह 'अनुलोम' (पत्नी के पति से नीचे वर्ण की) होने से मान्य होता है और उस (विवाह) से उत्पन्न हुआ (पुत्र) असली (legitimate) पुत्र होता है। परन्तु वह पिता के धन में दसवां भाग पाता है और चाचा के धन में भी (मौका होने पर) दसवां हिस्सा पाता है। (और भी देखो श्लोक ३६७० से ३६८६ तक)।

भृतिः।

जीविका।

शूद्रदासीभवस्यात्र भृत्यर्थं नियमास्तु ये।
ते अन्येऽस्मिन्यथास्थानं विस्तरात्कथिता भुवम्।।४१४२।।

यहाँ पर शूद्र के दासीपुत्र के गुजारे के लिए जो नियम हैं वे, निश्चय ही, इस ग्रन्थ में यथास्थान (मौके की जगह) विस्तार से कहे गये हैं। (इनके लिए देखो श्लोक ३६११ से ३६३१ तक)।

द्विखखद्विमिते वर्षे विक्रमार्कस्य पूर्णितः।
विधानव्याख्ययोपेत उत्तरार्धः स्मृतेरयम् ॥४१४३॥

विक्रम संवत् २००२ में यह कानून की व्याख्यावाला (विश्वेश्वर-) स्मृति का उत्तरार्ध समाप्त किया गया।

यो नन्दनोऽजनि मुकुन्दमुरारि-सूरे-
र्विश्वेश्वरः किल सतीमणि चाँदराम्याम् ॥
तेनार्यजाति-हित-दायविभागगर्भो-
विश्वेश्वरस्मृतिगतः कृत उत्तरार्धः ॥४१४४॥

पण्डित मुकुन्दमुरारिजी के सती-श्रेष्ठा चाँदरानीजी के गर्भद्वारा जो विश्वेश्वर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने आर्य (हिन्दू) जाति के योग्य दायविभागवाले विश्वेश्वरस्मृति के (इस) उत्तरार्ध की रचना की।



शुद्धिपत्रम्

पृष्ठम्	पंक्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्
३२८	२२	पता	पिता
३२८	२८	ास-खास	खास-खास
३४६	८	आनं	आने
३४७	२८	नत्र	तत्र
३५०	३१	कुटुम्बी से	कुटुम्बी के
३५३	१	मृत्युत्र	मृत्युपत्र
३५५	शीर्षक-पंक्तिः	० पत्रयौ	० पत्रयोः
३५५	१	रूकपरुत्र०	रुक्पत्र ०
३५६	१६	कंई	कोई
३५६	२३	वन	धन
३५६	३१	अवीन	अधीन
३५७	३	पूर्वोक्तानेयम ०	पूर्वोक्तनियम ०
३५७	१२	अनुसार हो वहां)	अनुसार) हो वहां
३६०	२६	धृत्य	धृत्यै
३६६	१३	धमकृत्य ०	धर्मकृत्य ०
३६६	११	तत्स्थितम्	तत्स्थितिम्
३७०	११	पूर्णास्त्यागो	पूर्णास्त्यागो
३७०	२८	विज्ञया	विज्ञेया
३७०	२८	सस्थिता	संस्थिता
३८०	३२	(कर्त वी)	(कर्त वी)
३८१	२१	० मठाऽधिपैः	६ मंडाऽधिपैः
३९२	६	मूति ०	मूर्ति ०
३९७	३	समपिते	समर्पिते
४०१	६	शुल्काऽऽदान विनैव	शुल्काऽऽदानविनैव
४०१	२०	ओर	ओर
४०४	४	भार्या संख्या०	भार्यासंख्या०
४०६	१३	भ्रातृणा ०	मातृणा ०
४०६	३३	संतान	औरस संतान
४१३	२	(पितृपत्नीयाः	(पितु पितृपत्नीयाः

आर्यविधानम्।

(हिन्दू-कानून—Hindu Law)

(विश्वेश्वरस्मृतेरुत्तरार्धरूपम्)

यह पुस्तक हिन्दुओं के कानून से सम्बन्ध रखने वाली संस्कृत भाषा में अपने ढंग की एक ही पुस्तक है और इतिहास और संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान् महामहोपाध्याय पण्डित विश्वेश्वरनाथ रेउ द्वारा लिखी गई है। इसमें करीब ४१५० अनुष्टुप् छन्दों में मान्य स्मृतियों में कहे इस विषय के आदेशों से लेकर इस समय भारत के बनारस, बंबई, मिथिला, मद्रास, बंगाल आदि प्रदेशों के न्यायालयों में माने जाने वाले हिन्दू-कानून का विशद विवरण है। साथ ही प्रत्येक श्लोक के आगे उसकी सरल हिन्दी टीका भी दे दी गई है। संस्कृत में इस विषय की यह पहली ही पुस्तक है, जिसके द्वारा संस्कृत के या हिन्दी के विद्वान् भी भारत के प्रत्येक प्रान्त की अदालतों में आधुनिक वकीलों के सामने खड़े हो सकते हैं।

आज तक संस्कृत भाषा में किसी ऐसी पुस्तक के, जिसमें प्राचीन स्मृतियों में कहे हिन्दू-विधान के साथ ही आज कल भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों के न्यायालयों में माने जाने वाले हिन्दू-कानून का उल्लेख हो, न होने से संस्कृत की उच्च परीक्षाओं में केवल प्राचीन स्मृतियों या उनकी अर्वाचीन व्याख्याओं के ही कुछ भाग नियत रहते हैं। परन्तु इनसे आज कल के प्रचलित कानून का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। इसी कमी को दूर करने के लिए इस पुस्तक का लिखना प्रारम्भ किया गया था। परन्तु आज ईश्वर की कृपा से भारत स्वतन्त्र हो गया है और आशा है कि जैसे जैसे हमारी मातृ भाषा हिन्दी और उसकी जननी संस्कृत से अंग्रेजी की महत्ता नष्ट होती जायगी, वैसे वैसे इस पुस्तक की उपादेयता बढ़ती जायगी। यह बात पश्चिम बंगाल के शासक (Governor) और कानून के माने हुए विद्वान् पण्डित श्री कैलासनाथ काटजू महोदय ने इस पुस्तक के प्रथम भाग के लिए लिखी अपनी भूमिका में और, फैडरल सर्विस कमीशन के विशिष्ट सभासद डाक्टर एन० टी० जोशी महाशय ने इस पुस्तक पर लिखी अपनी सम्मति में स्पष्ट तौर से स्वीकार की है। इसके द्वितीय भाग की भूमिका बिहार-प्रान्त के शासक (Governor) प्रसिद्ध विद्वान् श्रीमान् माधव श्री हरि अणे महाशय ने लिखी है।

आर्यविधानम् ।

(हिन्दू-कानून—Hindu Law)

(विश्वेश्वरस्मृतेरुत्तरार्धरूपम्)

यह पुस्तक हिन्दुओं के कानून से सम्बन्ध रखने वाली संस्कृत भाषा में अपने ढंग की एक ही पुस्तक है और इतिहास और संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान् महामहोपाध्याय पण्डित विश्वेश्वरनाथ रेउ द्वारा लिखी गई है। इसमें करीब ४१५० अनुष्टुप् छन्दों में मान्य स्मृतियों में कहे इस विषय के आदेशों से लेकर इस समय भारत के बनारस, बंबई, मिथिला, मद्रास, बंगाल आदि प्रदेशों के न्यायालयों में माने जाने वाले हिन्दू-कानून का विशद विवरण है। साथ ही प्रत्येक श्लोक के आगे उसकी सरल हिन्दी टीका भी दे दी गई है। संस्कृत में इस विषय की यह पहली ही पुस्तक है, जिसके द्वारा संस्कृत के या हिन्दी के विद्वान् भी भारत के प्रत्येक प्रान्त की अदालतों में आधुनिक वकीलों के सामने खड़े हो सकते हैं।

आज तक संस्कृत भाषा में किसी ऐसी पुस्तक के, जिसमें प्राचीन स्मृतियों में कहे हिन्दू-विधान के साथ ही आज कल भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों के न्यायालयों में माने जाने वाले हिन्दू-कानून का उल्लेख हो, न होने से संस्कृत की उच्च परीक्षाओं में केवल प्राचीन स्मृतियों या उनकी अर्वाचीन व्याख्याओं के ही कुछ भाग नियत रहते हैं। परन्तु इनसे आज कल के प्रचलित कानून का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। इसी कमी को दूर करने के लिए इस पुस्तक का लिखना प्रारम्भ किया गया था। परन्तु आज ईश्वर की कृपा से भारत स्वतन्त्र हो गया है और आशा है कि जैसे जैसे हमारी मातृ भाषा हिन्दी और उसकी जननी संस्कृत से अंग्रेजी की महत्ता नष्ट होती जायगी, वैसे वैसे इस पुस्तक की उपादेयता बढ़ती जायगी। यह बात पश्चिम बंगाल के शासक (Governor) और कानून के माने हुए विद्वान् पण्डित श्री कैलासनाथ काटजू महोदय ने इस पुस्तक के प्रथम भाग के लिए लिखी अपनी भूमिका में और फैडरल सर्विस कमीशन के विशिष्ट सभासद डाक्टर एल० डी० जोशी महाशय ने इस पुस्तक पर लिखी अपनी सम्मति में स्पष्ट तौर से स्वीकार की है। इसके द्वितीय भाग की भूमिका बिहार-प्रान्त के शासक (Governor) प्रसिद्ध विद्वान् श्रीमान् माधव श्री हरि अणे महाशय ने लिखी है।

आर्यविधानम्।

इस पुस्तक में निम्न लिखित ३० मुख्य विषय हैं—

(१) प्रारम्भ, (२) विधानों (नियमों) की उत्पत्ति के स्थान, (३) दाय (हकदारी) के धन की प्राप्ति में साधारण नियम, (४) दाय–धन के बाटने में मिताक्षरा में कहा क्रम, (५) स्त्री–हकदार, (६) बंबई के उत्तराधिकार के नियम, (७) बंगाल के पुरुषों के उत्तराधिकार के नियम, (८) हकदारी में मिताक्षरा और दायभाग के मुख्य भेद, (९) दाय–धन और बटवारे के हक से हटाने पर विचार, (१०) स्त्री–धन, (११) स्त्री का हकदारी में मिला धन, (१२) मिताक्षरा के मत में साझेदार और साझे का धन, (१३) (बंगाल के) दायभाग में कहे साझेदार और साझे का धन, (१४) मिताक्षरा में का कर्जों का विवेचन, (१५) (बंगाल के) दायभाग में के कर्जों का विचार, (१६) मिताक्षरा में कहा बटवारा, (१७) (बंगाल के) दायभाग में का बटवारा, (१८) उपहार, (१९) इच्छापत्र, (२०) उपहार और इच्छापत्र के समान नियम (२१) धर्म या दान के लिए वृत्ति का नियत करना, (२२) विवाह, (२३) गोद लेना, (२४) नाबालिगी और रक्षक, (२५) जीविका, (२६) नहीं बांटी जाने लायक संपत्ति, (२७) सूद, (ब्याज) के नियम, (२८) दूसरे के नाम पर किया लेन–देन, (२९) जैन–विधान, (३०) शूद्रों का कानून,

इसके अतिरिक्त इनमें के अवान्तर भेदों का और मिताक्षरा को मानने वाले बनारस, बंबई, मिथिला, मद्रास आदि के प्रादेशिक भेदों का भी विशद विवरण है।

इस पुस्तक को दो भागों में प्रकाशित किया गया है। इसके प्रथम भाग में उपर्युक्त विषयों में से प्रथम १७ विषय हैं और उसके परिशिष्ट में भारत की विधान सभा में विचारार्थ उपस्थित किए नवीन हिन्दू–विधान की भी मुख्य–मुख्य बातें संक्षेप में दे दी गई हैं। दूसरे भाग में बाद के १३ विषय हैं। ये दोनों भाग छपकर तैयार हैं। पहले भाग की पृष्ठ संख्या करीब ३५० और श्लोक संख्या २२७८, तथा दूसरे भाग की पृष्ठ संख्या २७५ और श्लोक संख्या करीब ११०५ है। इन भागों की साइज डिमाई ८ पेजी और प्रत्येक भाग की कीमत १०) रुपये है।

आज कल की कागज की कमी व छापे की कठिनाइयों के कारण पुस्तक की केवल ५०० कापी ही छापी गई हैं।

इसके लिखने में लेखक को कहां तक सफलता हुई है वह आगे उद्धृत की हुई कुछ सम्मतियों के देखने से प्रकट होगा।

विश्वेश्वरस्मृति के पूर्वार्ध को भी जिसमें स्मृति-शास्त्र सम्बन्धी अन्य बातें हैं यथासाध्य शीघ्र प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जायगा।

पुस्तक मिलने का पता—

रामसिंह सीसोदिया
कुचामण की हवेली,
जोधपुर

प्रकाशक

OPINIONS

(संमतियां)

Pandit Bisheshwarnath Reu is a Sanskrit scholar of great repute. I think he has laid his countrymen under a deep obligation by writing this book on Hindu Law in Sanskrit. It was much needed and hope it will appeal to a great circle of interested readers. ....

This pioneer effort of Pandit Reu is entitled to great encouragement. His exposition of the law is both learned and accurate and he has shown that it is not difficult to set out our law in simple Sanskrit. The Hindi translation will make it still more useful.

GOVERNMENT HOUSE
Calcutta
14th October 48

KAILAS NATH KATJU.
M. A., L. L. D., D. Litt.
Governor
W. Bengal.

As observed by Mr. Katju, you have demonstrated that it is possible to state in simple Sanskrit the rules of the Hindu Law even as it is administered today and you have more than achieved the aim which you set for yourself when in all humility you stated in the preface

परं यदनेन ग्रन्थेन संस्कृतवाङ्मये एतादृशस्य युगानुरूपार्थविधाननिबन्धा-भावस्यांशेनापि पूर्तिः संभवेत्तर्हि अस्माभिस्त्वत्तो मंस्यते स्तुत्यः प्रयासः।
If anything, my apprehension is that your statement of the law is so elaborate and detailed that the book may be more suited to the legal practitioners than to sanskrit students who may take the Smritis and Nibandhas as their course. The explanatory notes in Hindi, though brief, must be a great help to beginners. This part alone exceeds 2,000 slokas... As it is, it is a wonder that you have been able to express yourself so easily and fluently in verse.

Expressing my appreciation of your labours in the cause.

(*Camp* *Govardhan*		S. VARADACHAR
MYLAPORE, MADRAS		Ex. Judge
11 th January 1949		Federal Court of India & Chairman, Income-Tax Investigation Commission *New Delhi*

I have glanced through the manuscript of 'Arya Vidhanam' compiled by Mahamahopadhyaya Pandit Visheshwar Nath Reu. It is an illuminating commentary in Metric Sanscrit with a Hindi translation, on the Hindu Law as administered in the present time in the several parts of India. References have been made, to the more important case law on the subjects discussed in the book. It is so far as I know, the first attempt of its kind in these days and is therefore all the more commendable. From what I have been able to see I can say that the statement of the law by the author is accurate. The book is bound to be useful to all those who are interested in the subject and particularly to the Judges as well as to the Legal

practitioners.

JODHPUR
27 th March 1948

JAILAL (SIR)
Retd. Judge
High Court.
(Lahore.)

श्रीमन्महामहोपाध्यायपदवीधारिभिः श्रीयुत रेउ-शर्मभिर्यदार्यविधानं नाम पुस्तकं विरचितं तत्समेक्ष्य महान् संतोषो मे समजनि। एतादृशस्य पुस्तकस्याधुना अत्यन्तमावश्यकता वर्तते। धर्मशास्त्रपाठकानां न्यायाधीशकृता निर्णया विधानसभाया निर्बन्धाश्च न परिचिता भवन्ति। तेषां कृते श्रीमन्महामहोपाध्यायै-रचितोऽयं प्रबन्ध इति मे प्रतिभाति। तेषां चायं परिश्रमोऽतीव सफलो भवेद्यदि प्राचीन-स्मृति-निबन्धान्ये पठन्ति ते सम्यगस्य पुस्तकस्याध्ययनं कुर्युः। महता श्रमेण निर्मितमिदमार्यविधानं (विश्वेश्वरस्मृत्यन्तर्भूतं) सर्वेषामादराय सन्तोषाय च जायेत इति मे विश्वासः।

I have gone into the 'Aryavidhanam' composed by Mahamahopadhyaya Reu. I find that he has incorporated into his work in easy and flowing Sanskrit verses latest Judicial decisions and the Acts of the Indian and Provincial legislatures which have modified the Hindu law of the Smritis and Nibandhas. This work will be of great use to all those who study Smriti works and digests under the old system and will enable them to keep their knowledge up to date. It will be of help even to those who learn a little Sanskrit or Hindi and want to know what the modern Hindu Law is as to several subject.

Bombay
29-12-47.

P. V. KANE.
Advocate,
M. A., L. L. M., D. Litt. (Hon.)
Mahamahopadhyaya
Vice-Chancellor, Bombay University.
Author of the History of Dharmashastra.

I have read with great interest and pleasure some pages in the proof copy of "Arya Vidhanam" by Mahamahopadhyaya Pandit Bisheshwar Nath Reu.

The learned scholar has lucidly dealt with what Hindu Law was and also explained the changes recently effected in it as well as correctly enunciated the principles of Hindu Law as are administered by the courts at present.

I am sure it will prove an invaluable treatise for scholars of Dharm Shastras in Sanskrit Colleges in India and a time may come when it will be a text book for Law students in various universities in India when the medium of instruction is through Hindi.

The deep scholarsip and clarity of thought of the learned author are well reflected in this great work.

L. D. JOSHI
18 th June, 1948. L. L. D., Bar at Law
Additional Member
Federal Service Commission

Mahamahopadhyaya Pandit Visveswaranath Reu has placed the world of scholars interested in Hindu Law under a great obligation by the timely publication of his pioneer work Aryavidhanam. The work is divided into two parts and is an easy digest of the vast range of Hindu Law dealt with in different works from the earliest times to the present day. Part I of the work which has been printed deals in about 2300 simple sanskrit verses with Hindu Law bearing chiefly on 'Dayabhaga' and 'Stridhana' in detail as it is administered at present in the courts of the important provinces of India. The *incorporation of the changes* that have been *introduced into them*, from time to time and the citations of the latest judicial decisions invest the work with modernity and authoritativeness. A lucid commentary in Hindi enhances the usefulness of the

work. It is hoped that part II of the work which proposes to deal with other important problems of Hindu Law bearing on Wills, marriage, adoption etc., will soon be available. Pandit Reu's work ably illustrates that Sanskrit still lends itself to expressing modern and up-to-date ideas with brevity, clarity and precision.

ANNAMALAINAGAR
21St February 1949

S. G. MANAVALA RAMANUJAM
Vice-Chancellor.
ANNAMALAI UNIVERSITY

'आर्यविधान' में आपने मिताक्षरा, दायभाग आदि तत्तद्देश में प्रचलित हिन्दू धर्मशास्त्रों के आधार पर तत्तद्देश के विधानों (प्राचीन) का एकत्र संकलन व मतभेद प्रदर्शन करते हुए, अंग्रेजी कानून जो तत्तद्देश में नवीन लगाये गये हैं, उनका भी संस्कृत श्लोकों में संग्रह कर दिया है। आपने सपिण्ड आदि विषयों का स्पष्टीकरण अच्छा किया है। अतः ग्रन्थ उपादेय है।

पुस्तक को संस्कृत परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए··· इसे पाठ्यक्रम समिति के सम्मुख उपस्थित किया जायगा।

नं० एस १०८
२
ता० १८-५-४९

ना० शा० खिस्ते
प्रिंसिपल
गवर्नमेंन्ट संस्कृत कालेज
बनारस

पुस्तक बहुत ही मार्मिक और विद्वत्तापूर्ण है। भाषा-टीका बहुत ही उपयोगी है।

जयपुर
नं० २४३ GD PRO

For प्रधान मंत्री
राजस्थान

रेउ-महोदस्य स्थानेऽयं समारम्भः। संस्कृत एव किम्, राष्ट्रभाषेति सर्वतः संघोषितायां, हिन्दीभाषायामपि आर्यविधानानां (हिन्दूकानून) संबन्धे सर्वाङ्गपूर्णं पुस्तकं नाद्यावधि प्रकाशितम्।···कालप्रगत्या सर्वस्याऽपि परिवर्तनं नूनमनिवार्यं नाम। कियत्कालावधि प्राचीना आर्यास्तदनुसारं स्वधर्ममार्गे प्रावर्द्धन्त। समभूत्समये समये--

ऽस्माकं साहित्ये सामयिकपरिवर्तनानुसारी समावेशोऽपि । किन्तु समवद्धे संस्कृतस्य प्रचारे समवरुद्धा सेयं चेष्टापि नूनम् । अत एव हि मन्ये नातिमार्मिकाः पुरुषाः संस्कृतामिमां गिरं 'मृता' इति प्रालपन् ।···संप्रति येन केनापि रूपेणास्तु, स्वतन्त्रता-सीमानं संस्पृष्टवति देशेऽस्मिन्, परितः परिघोषितायां च हिन्दूविजयघोषणायाम् आर्यसाहित्यस्य सेयं हृदयदाहकारी त्रुटिर्न किं परिपूरयितुं शक्येताऽऽर्यैरेव ? हर्षस्य विषयो यदस्मिन्विषये प्रियसुहृदो महामहोपाध्याय पं॰ श्री विश्वेश्वरनाथरेउ महाभागस्य समाकृष्टा दृष्टिः । परिश्रान्तं चास्मिन् विषये महाभागेनाऽनेन पूर्णतया ।

'आर्यविधाने'ऽस्मिन् सर्वश्लाघनीया सेयं विशेषता यदस्मिन् वर्तमानकाले प्रत्येकप्रान्ते प्रचलितानि यानि यानि विधानानि (कानून), तेषां सर्वेषामेव संग्रहः परमपरिश्रमेण विहितः । वङ्गेषु संप्रति किं विधानम्, मिथिलायां किं प्रचलितम्, मद्रास, बम्बई···प्रभृतिषु च कीदृशं विधानं वर्तमानकाले व्यवहारमुपक्रान्तम्, कथ तेषां परस्परं भेद इति ग्रन्थेऽस्मिन् विस्तरेण प्रदर्शितम्, प्रचलितानि राजशासनानि संनिवीक्ष्य प्रामाणिकरूपेण च संगृहीतम् । वर्तमानकालिकजनानां सर्वतः सुविधा भवेदिति सर्वबोध्या हिन्दीटीकापि सह समावेशितेति सोयमन्यः सुयोग. ।

विधानपुस्तकमिदमालोक्य हृदयतः प्रासदम् । मन्ये संस्कृतसाहित्यस्य सर्वाङ्ग-पूर्णतां दिदृक्षवोऽन्येऽपि ग्रन्थेनानेन संस्कृतानुरागिणस्तोषमीयुः ।

भट्ट श्रीमथुरानाथ शास्त्री (प्रधान संपादकः)
संस्कृतरत्नाकरः (जयपुरम्)
वर्षम् १२, संख्या १०-११ (अप्रेल-मई १९४८).

अनेकेतिहास-निबन्ध-निर्मात्रा महामहोपाध्यायेन पं॰ श्रीविश्वेश्वरनाथरेउ-महोदयेनेममार्यविधानाभिधानं महान्तं ग्रन्थमारचय्यातीवोपकृतः संस्कृतसाहित्य-संसारः । एतादृशस्य वर्तमानयुग-विधान-निबन्धस्य न्यूनतैव नामाऽद्यावधि संस्कृता-ध्येतॄणां छात्राणामेतद्विषयावगाहने मुख्यं वैमुख्यं संपादयन्त्यासीत्, साऽधुनाऽमुना महाभागेन दूरीकृतेति सुमहान् हर्षावसरः । समयोचितानामीदृशीनां साहित्यसामग्रीणां परिपूर्तिरेव संस्कृतस्य राष्ट्रभाषात्वमभिमन्यमानानामभिमानं रक्षितुं प्रगल्भते । रेउ-महाभागस्य विषयविवेचनप्रकारो विशदतरः । सरला च संस्कृतरचनासरणिः । तत्रापि सरलहिन्दीमयं तद्—व्याख्यानमित्युत्तरोत्तरं विषयपरिज्ञानोपयोगित्वमस्य संदर्भस्य नितरां स्पष्टयति हृदयं पाठकानाम् ।

अपि च गुरुतरस्यास्य ग्रन्थस्य सामयिकीमुपयोगितां विविदुषा विदुषा राज-साहब—शाह—श्री गोवर्द्धनलाल काबरा-महोदयेन यदेव प्रकाशितस्तत्तस्य हार्दिकीं संस्कृतानुरागितां समीक्ष्य-कारितां च परिचाययतीति परमोऽयं प्रमोदावसरः।

आशासे, भारतीयविश्वविद्यालयानां ग्रन्थनियामिकाः समितयः (Text book committees) ग्रन्थममुं तदर्हं-संस्कृतपरीक्षासु पाठ्यतया नियम्य सफल-यिष्यन्ति प्रणेतुः प्रकाशयितुश्चैनं महान्तं परिश्रममिति।

नित्यानन्द शास्त्री
(H. S. L. L)
श्रीरामचरिताब्धिरत्नमहाकाव्यादीनां रचयिता,
अजितोदयसूक्तिमुक्तावलीप्रभृतीनां संपादकः,
शास्त्रिप्रमुखोच्चपरीक्षाणां परीक्षकश्च।

योधपुरम्,
ता० १२-८-४८



मारवाड़ प्रिन्टर्स लिमिटेड, जोधपुर।